टैरिफ आदेश
वर्ष 2007–08

मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	याचिका क्रमांक	111/06
मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	याचिका क्रमांक	112/06
मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	याचिका क्रमांक	115/06

दिनांक 30 मार्च, 2007

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग
मेट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, भोपाल –462016
दूरभाष क्रमांक 0755–2463585, 2430154, फैक्स क्रमांक 0755–2430158

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग
का वर्तमान संगठन

(1) डा. जे.एल. बोस
अध्यक्ष

(2) डी. रायबर्धन
सदस्य, (अमियांत्रिकी)

(3) आर. नटराजन
सदस्य (इकॉनॉमिक्स)

विषय में, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, तथा मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रस्तुत टैरिफ याचिकाओं पर आधारित वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु समग्र राजस्व आवश्यकता (एआरआर) तथा खुदरा टैरिफ के अवधारण संबंधी आयोग द्वारा जारी आदेश

(डा. रायबर्धन)
सदस्य (अमियांत्रिकी)

(आर. नटराजन)
सदस्य (इकॉनॉमिक्स)

द्वारा हस्ताक्षरित

सूची

आदेश	2
प्रक्रियात्मक इतिहास	9
जन सुनवाई	10
राज्य सलाहकार समिति	10
पुनरीक्षित टैरिफ दरों से अनुमानित राजस्व की प्राप्ति	10
ए1 : वित्तीय वर्ष 05–06 हेतु सत्यापन बाबत आयोग की अभ्युक्ति	13
ए2 : मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत कंपनी लिमिटेड (ईस्ट डिस्काम) की वित्तीय वर्ष 08 हेतु समग्र राजस्व आवश्यकता	14
अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तावित विक्रय पूर्वानुमान की संक्षेपिका	14
अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तावित ऊर्जा संतुलन तथा विद्युत क्रय	15
आयोग का विश्लेषण	22
नेटवर्क की लागतें	35
पूंजीगत व्यय योजनाएं तथा परिसम्पत्तियों का पूंजीकरण	35
प्रचालन तथा संधारण लागतें	42
अवमूल्यन	45
ब्याज तथा वित्त प्रभार	50
पूंजी पर प्रतिलाभ	58
समग्र राजस्व आवश्यकता (एआरआर) की अन्य मदें	60
अनुमोदित समग्र राजस्व आवश्यकता (एआरआर) का चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधि के मध्य पृथक्करण	61
विद्यमान टैरिफ दरों पर राजस्व अन्तर	63
ए3 : मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत कंपनी लिमिटेड (वेस्ट डिस्काम) की वित्तीय वर्ष 08 हेतु समग्र राजस्व आवश्यकता	66
अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तावित विक्रय पूर्वानुमान की संक्षेपिका	66
अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तावित ऊर्जा संतुलन तथा विद्युत क्रय	67
आयोग का विश्लेषण	74
नेटवर्क की लागतें	88
पूंजीगत व्यय योजनाएं तथा परिसम्पत्तियों का पूंजीकरण	88
प्रचालन तथा संधारण लागतें	94
अवमूल्यन	97
ब्याज तथा वित्त प्रभार	102
पूंजी पर प्रतिलाभ	111
समग्र राजस्व आवश्यकता (एआरआर) की अन्य मदें	112

अनुमोदित समग्र राजस्व आवश्यकता (एआरआर) का चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधि के मध्य पृथक्करण	114
विद्यमान टैरिफ दरों पर राजस्व अन्तर	116
ए4 : मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत कंपनी लिमिटेड (सेंट्रल डिस्काम) की वित्तीय वर्ष 08 हेतु समग्र राजस्व आवश्यकता	118
अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तावित विक्रय पूर्वानुमान की संक्षेपिका	118
अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तावित ऊर्जा संतुलन तथा विद्युत क्रय	119
आयोग का विश्लेषण	126
नेटवर्क की लागतें	139
पूंजीगत व्यय योजनाएं तथा परिसम्पत्तियों का पूंजीकरण	139
प्रचालन तथा संधारण लागतें	145
अवमूल्यन	148
ब्याज तथा वित्त प्रभार	153
पूंजी पर प्रतिलाभ	161
समग्र राजस्व आवश्यकता (एआरआर) की अन्य मदें	163
अनुमोदित समग्र राजस्व आवश्यकता (एआरआर) का चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधि के मध्य पृथक्करण	165
विद्यमान टैरिफ दरों पर राजस्व अन्तर	167
ए5 : सार्वजनिक आपत्तियां तथा अनुज्ञप्तिधारी की याचिका पर टिप्पणियां	169
ए6 : खुदरा टैरिफ का रूपांकन (डिजाइन)	188
कानूनी स्थिति	188
टैरिफ अवधारण हेतु आयोग की कार्यपद्धति	188
ए7 : आयोग द्वारा पूर्व आदेशों में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुपालन की अद्यतन स्थिति	193
निम्न दाब उपभोक्ताओं हेतु टैरिफ अनुसूची	**परिशिष्ट–1 ए**
उच्च दाब उपभोक्ताओं हेतु टैरिफ अनुसूची	**परिशिष्ट–1 बी**

तालिका 1 :	हानियां (प्रतिशत में)	4
तालिका 2 :	वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तुत याचिकाओं का परिदृश्य	9
तालिका 3 :	वित्तीय वर्ष 08 हेतु पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का प्राक्कलित विद्युत विक्रय	14
तालिका 4 :	वित्तीय वर्ष 08 हेतु पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हेतु विद्युत ऊर्जा की उपलब्धि	16
तालिका 5 :	वित्तीय वर्ष 08 हेतु पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हेतु स्थाई एवं परिवर्तनीय लागतें	18
तालिका 6 :	वित्तीय वर्ष 08 हेतु समस्त स्टेशनों हेतु अन्य प्रभार	19
तालिका 7 :	वित्तीय वर्ष 08 हेतु अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार	20
तालिका 8 :	वित्तीय वर्ष 08 हेतु कुल विद्युत शक्ति की आवश्यकता तथा विद्युत ऊर्जा की औसत लागत	21
तालिका 9 :	मध्यप्रदेश शासन के पत्र दिनांक 28 दिसम्बर 2006 के अनुसार वितरण हानियां (प्रतिशत में)	23
तालिका 10 :	माहवार अन्तर्राज्यीय पारेषण हानियां (प्रतिशत में)	23
तालिका 11 :	वित्तीय वर्ष 08 हेतु ऊर्जा संतुलन	24
तालिका 12 :	पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को स्टेशन–वार क्षमता आवंटन (प्रतिशत में)	25
तालिका 13 :	वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु माह–वार विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता एवं उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)	26
तालिका 14 :	वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान एमपी ट्रेडको से लघु–अवधि विद्युत क्रय की दर	27
तालिका 15 :	समुच्य वितरण कंपनियों हेतु विद्युत ऊर्जा की मासिक संकोषीय लागत	27
तालिका 16 :	विद्युत आधिक्य (सरप्लस) वाले स्टेशनों की मासिक औसत लागत	28
तालिका 17 :	वित्तीय वर्ष 08 के दौरान पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की स्टेशन–वार विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)	28
तालिका 18 :	वित्तीय वर्ष 08 हेतु शासन की अधिसूचना के अनुसार केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों से मध्यप्रदेश राज्य एवं पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को विद्युत का आवंटन	30
तालिका 19 :	पश्चिमी क्षेत्र में केन्द्रीय विद्युत स्टेशन (सीजीएस) हेतु अनुज्ञेय किये गये प्रभार	30
तालिका 20 :	शासकीय अधिसूचना के अनुसार केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशनों से मध्यप्रदेश राज्य को आवंटन	31
तालिका 21 :	पूर्वी क्षेत्र में केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों (सीजीएस) हेतु अनुज्ञेय किये गये प्रभार	31
तालिका 22 :	इन्दिरा सागर तथा सरदार सरोवर परियोजना हेतु अनुज्ञेय की गई लागत	33

तालिका 23 :	वित्तीय वर्ष 08 हेतु अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार	33
तालिका 24 :	वित्तीय वर्ष 08 के विद्युत क्रय व्ययों हेतु आयोग का प्राक्कलन	34
तालिका 25 :	प्रस्तुत की गई निवेश योजना	36
तालिका 26 :	नेटवर्क का भौतिक विवरण	37
तालिका 27 :	अनुज्ञप्तिधारी की व्यवसाय योजना के अन्तर्गत अनुमोदित निवेश योजना	38
तालिका 28 :	अनुमोदित व्यवसाय योजना तथा दायर की गई निवेश योजना में भिन्नताएं	39
तालिका 29 :	वित्तीय वर्ष 06–07 में मुख्य कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु अनुज्ञप्तिधारी की प्रगति	40
तालिका 30 :	वित्तीय वर्ष 06–07 में मुख्य कार्यों को पूर्ण किये जाने के संबंध में भौतिक प्रगति	40
तालिका 31 :	अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत किये गये दावे के अनुसार प्रचालन तथा संधारण व्यय	42
तालिका 32 :	नेटवर्क परिसम्पत्तियों की स्थापना के संबंध में अनुज्ञप्तिधारी का पूर्व प्रदर्शन	43
तालिका 33 :	वित्तीय वर्ष 06–07 में अनुज्ञप्तिधारी की नेटवर्क की परिसम्पत्तियों के सृजन संबंधी प्रगति	44
तालिका 34 :	आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुमोदित किये गये प्रचालन एवं संधारण व्यय	44
तालिका 35 :	अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दायर की गई अवमूल्यन योग्य परिसम्पत्तियों का प्रतिशत	45
तालिका 36 :	अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया गया अवमूल्यन का दावा	46
तालिका 37 :	दिनांक 31 मार्च, 2006 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्ति का विभिन्न परिसम्पत्ति वर्गो में विभाजन	48
तालिका 38 :	आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुज्ञेय किया गया अवमूल्यन	49
तालिका 39 :	दायर की गई पूंजीगत व्यय योजना की संक्षेपिका	50
तालिका 40 :	दायर की गई याचिका के अनुसार ऋणों की निबंधन तथा शर्तें	51
तालिका 41 :	अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा किये गये ब्याज तथा वित्त प्रभार	52
तालिका 42 :	वित्तीय वर्ष 07 के टैरिफ आदेशानुसार आवंटन	54
तालिका 43 :	वित्तीय वर्ष 06 की स्थिति में पूर्ण किये गये कार्यों से संबंद्ध ऋण की गणना	54
तालिका 44 :	वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुज्ञेय की गई ब्याज लागत	55
तालिका 45 :	वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुज्ञेय किये गये कुल ब्याज तथा वित्त प्रभार	55
तालिका 46 :	वित्तीय वर्ष 08 हेतु दावा किये गये कार्यकारी पूंजी ऋणों पर ब्याज	56
तालिका 47 :	वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुमोदित किया गया कार्यकारी पूंजी ऋणों पर	57

	ब्याज	
तालिका 48 :	वित्तीय वर्ष 08 हेतु दावा किया गया उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप (सीएसडी) पर ब्याज	58
तालिका 49 :	वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुज्ञेय किये गये उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज	58
तालिका 50 :	वित्तीय वर्ष 08 हेतु दावा किया गया पूंजी पर प्रतिलाभ (रिटर्न ऑन इक्विटी)	59
तालिका 51 :	वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुज्ञेय किया गया पूंजी पर प्रतिलाभ	59
तालिका 52 :	वित्तीय वर्ष 08 हेतु डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण	60
तालिका 53 :	चक्रण गतिविधि हेतु अन्य आय	61
तालिका 54 :	खुदरा विक्रय गतिविधि हेतु अन्य आय	61
तालिका 55 :	वित्तीय वर्ष 08 हेतु चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधियों के मध्य पृथक्करण हेतु अनुज्ञेय की गई समग्र राजस्व आवश्यकता	63
तालिका 56 :	वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुमोदित समग्र राजस्व आवश्यकता पर विद्यमान टैरिफ दरों के अनुसार राजस्व अन्तर	64
तालिका 57 :	पुनरीक्षित टैरिफ दरों के अनुसार राजस्व	64
तालिका 58 :	वित्तीय वर्ष 08 हेतु टैरिफ दरों के अनुसार उपभोक्ता श्रेणी–वार राजस्व	65
तालिका 59 :	वित्तीय वर्ष 08 हेतु पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी का प्राक्कलित विद्युत विक्रय	66
तालिका 60 :	वित्तीय वर्ष 08 हेतु पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हेतु विद्युत ऊर्जा की उपलब्धि	68
तालिका 61 :	वित्तीय वर्ष 08 हेतु पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हेतु स्थाई एवं परिवर्तनीय लागतें	70
तालिका 62 :	वित्तीय वर्ष 08 हेतु समस्त स्टेशनों हेतु अन्य प्रभार	71
तालिका 63 :	वित्तीय वर्ष 08 हेतु अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार	72
तालिका 64 :	वित्तीय वर्ष 08 हेतु कुल विद्युत शक्ति की आवश्यकता तथा विद्युत ऊर्जा की औसत लागत	73
तालिका 65 :	वित्तीय वर्ष 08 हेतु पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी का प्राक्कलित विद्युत विक्रय	75
तालिका 66 :	मध्यप्रदेश शासन के पत्र दिनांक 28 दिसम्बर 2006 के अनुसार वितरण हानियां (प्रतिशत में)	76
तालिका 67 :	माहवार अन्तर्राज्यीय पारेषण हानियां (प्रतिशत में)	76
तालिका 68 :	वित्तीय वर्ष 08 हेतु ऊर्जा संतुलन	77
तालिका 69 :	पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को स्टेशन–वार क्षमता आवंटन (प्रतिशत में)	77
तालिका 70 :	वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु माह–वार विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता	79

	एवं उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)	
तालिका 71 :	वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान एमपी ट्रेडको से लघु–उपलब्धि विद्युत क्रय की दर	79
तालिका 72 :	समुच्य वितरण कंपनियों हेतु विद्युत ऊर्जा की मासिक संकोषीय लागत	80
तालिका 73 :	विद्युत आधिक्य (सरप्लस) वाले स्टेशनों की मासिक औसत लागत	81
तालिका 74 :	वित्तीय वर्ष 08 के दौरान पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की स्टेशन–वार विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)	81
तालिका 75 :	वित्तीय वर्ष 08 हेतु शासन की अधिसूचना के अनुसार केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों से मध्यप्रदेश राज्य एवं पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को विद्युत का आवंटन	83
तालिका 76 :	पश्चिमी क्षेत्र में केन्द्रीय विद्युत स्टेशन (सीजीएस) हेतु अनुज्ञेय किये गये प्रभार	83
तालिका 77 :	शासकीय अधिसूचना के अनुसार केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशनों से मध्यप्रदेश राज्य को आवंटन	84
तालिका 78 :	पूर्वी क्षेत्र में केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों (सीजीएस) हेतु अनुज्ञेय किये गये प्रभार	84
तालिका 79 :	इन्दिरा सागर तथा सरदार सरोवर परियोजना हेतु अनुज्ञेय की गई लागत	86
तालिका 80 :	वित्तीय वर्ष 08 हेतु अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार	86
तालिका 81 :	वित्तीय वर्ष 08 के विद्युत क्रय व्ययों हेतु आयोग का प्राक्कलन	87
तालिका 82 :	प्रस्तुत की गई निवेश योजना	89
तालिका 83 :	नेटवर्क का भौतिक विवरण	90
तालिका 84 :	अनुज्ञप्तिधारी की व्यवसाय योजना के अन्तर्गत अनुमोदित निवेश योजना	91
तालिका 85 :	अनुमोदित व्यवसाय योजना तथा दायर की गई निवेश योजना में भिन्नताएं	91
तालिका 86 :	वित्तीय वर्ष 06–07 में मुख्य कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु अनुज्ञप्तिधारी की प्रगति	92
तालिका 87 :	वित्तीय वर्ष 06–07 में मुख्य कार्यों को पूर्ण किये जाने के संबंध में भौतिक प्रगति	93
तालिका 88 :	अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत किये गये दावे के अनुसार प्रचालन तथा संधारण व्यय	94
तालिका 89 :	नेटवर्क परिसम्पत्तियों की स्थापना के संबंध में अनुज्ञप्तिधारी का पूर्व प्रदर्शन	95
तालिका 90 :	वित्तीय वर्ष 06–07 में अनुज्ञप्तिधारी की नेटवर्क की परिसम्पत्तियों के सृजन संबंधी प्रगति	96
तालिका 91 :	आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुमोदित किये गये प्रचालन एवं संधारण व्यय	96
तालिका 92 :	अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दायर की गई अवमूल्यन योग्य परिसम्पत्तियों का	97

	प्रतिशत	
तालिका 93 :	अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किये गये अवमूल्यन का दावा	98
तालिका 94 :	दिनांक 31 मार्च, 2006 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्ति का विभिन्न परिसम्पत्ति वर्गो में विभाजन	100
तालिका 95 :	आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुज्ञेय किया गया अवमूल्यन	101
तालिका 96 :	दायर की गई पूंजीगत व्यय योजना की संक्षेपिका	102
तालिका 97 :	दायर की गई याचिका के अनुसार ऋणों की निबंधन तथा शर्तें	103
तालिका 98 :	अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा किये गये ब्याज तथा वित्त प्रभार	104
तालिका 99 :	वित्तीय वर्ष 07 के टैरिफ आदेशानुसार आवंटन	106
तालिका 100 :	वित्तीय वर्ष 06 की स्थिति में पूर्ण किये गये कार्यों से संबद्ध ऋण की गणना	107
तालिका 101 :	वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुज्ञेय की गई ब्याज लागत	107
तालिका 102 :	वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुज्ञेय किये गये कुल ब्याज तथा वित्त प्रभार	108
तालिका 103 :	वित्तीय वर्ष 08 हेतु दावा किये गये कार्यकारी पूंजी ऋणों पर ब्याज	108
तालिका 104 :	वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुमोदित किया गया कार्यकारी पूंजी ऋणों पर ब्याज	109
तालिका 105 :	वित्तीय वर्ष 08 हेतु दावा किया गया उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप (सीएसडी) पर ब्याज	110
तालिका 106 :	वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुज्ञेय किये गये उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज	111
तालिका 107 :	वित्तीय वर्ष 08 हेतु दावा किया गया पूंजी पर प्रतिलाभ (रिटर्न ऑन इक्विटी)	111
तालिका 108 :	वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुज्ञेय किया गया पूंजी पर प्रतिलाभ	112
तालिका 109 :	वित्तीय वर्ष 08 हेतु डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण	112
तालिका 110 :	चक्रण गतिविधि हेतु अन्य आय	113
तालिका 111 :	खुदरा विक्रय गतिविधि हेतु अन्य आय	114
तालिका 112 :	वित्तीय वर्ष 08 हेतु चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधियों के मध्य पृथक्करण हेतु अनुज्ञेय की गई समग्र राजस्व आवश्यकता	115
तालिका 113 :	वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुमोदित समग्र राजस्व आवश्यकता पर विद्यमान टैरिफ दरों के अनुसार राजस्व अन्तर	116
तालिका 114 :	पुनरीक्षित टैरिफ दरों के अनुसार राजस्व	117
तालिका 115 :	वित्तीय वर्ष 08 हेतु टैरिफ दरों के अनुसार उपभोक्ता श्रेणी–वार राजस्व	117
तालिका 116 :	वित्तीय वर्ष 08 हेतु मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी का प्राक्कलित विद्युत विक्रय	118
तालिका 117 :	वित्तीय वर्ष 08 हेतु मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हेतु विद्युत ऊर्जा	120

	की उपलब्धि	
तालिका 118 :	वित्तीय वर्ष 08 हेतु मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हेतु स्थाई एवं परिवर्तनीय लागतें	122
तालिका 119 :	वित्तीय वर्ष 08 हेतु समस्त स्टेशनों हेतु अन्य प्रभार	124
तालिका 120 :	वित्तीय वर्ष 08 हेतु अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार	124
तालिका 121 :	वित्तीय वर्ष 08 हेतु कुल विद्युत शक्ति की आवश्यकता तथा विद्युत ऊर्जा की औसत लागत	125
तालिका 122 :	मध्यप्रदेश शासन के पत्र दिनांक 28 दिसम्बर 2006 के अनुसार वितरण हानियां (प्रतिशत में)	127
तालिका 123 :	माहवार अन्तर्राज्यीय पारेषण हानियां (प्रतिशत में)	128
तालिका 124 :	वित्तीय वर्ष 08 हेतु ऊर्जा संतुलन	128
तालिका 125 :	मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को स्टेशन–वार क्षमता आवंटन (प्रतिशत में)	129
तालिका 126 :	वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु माह–वार विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता एवं उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)	130
तालिका 127 :	वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान एमपी ट्रेडको से लघु–उपलब्धि विद्युत क्रय की दर	131
तालिका 128 :	समुच्य वितरण कंपनियों हेतु विद्युत ऊर्जा की मासिक संकोषीय लागत	131
तालिका 129 :	विद्युत आधिक्य (सरप्लस) वाले स्टेशनों की मासिक औसत लागत	132
तालिका 130 :	वित्तीय वर्ष 08 के दौरान मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की स्टेशन–वार विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)	133
तालिका 131 :	वित्तीय वर्ष 08 हेतु शासन की अधिसूचना के अनुसार केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों से मध्यप्रदेश राज्य एवं मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को विद्युत का आवंटन	134
तालिका 132 :	पश्चिमी क्षेत्र में केन्द्रीय विद्युत स्टेशन (सीजीएस) हेतु अनुज्ञेय किये गये प्रभार	134
तालिका 133 :	शासकीय अधिसूचना के अनुसार केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशनों से मध्यप्रदेश राज्य को आवंटन	135
तालिका 134 :	पूर्वी क्षेत्र में केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों (सीजीएस) हेतु अनुज्ञेय किये गये प्रभार	135
तालिका 135 :	इन्दिरा सागर तथा सरदार सरोवर परियोजना हेतु अनुज्ञेय की गई लागत	137
तालिका 136 :	वित्तीय वर्ष 08 हेतु अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार	137
तालिका 137 :	वित्तीय वर्ष 08 के विद्युत क्रय व्ययों हेतु आयोग का प्राक्कलन	138
तालिका 138 :	प्रस्तुत की गई निवेश योजना	140
तालिका 139 :	नेटवर्क का भौतिक विवरण	141

तालिका 140 :	अनुज्ञप्तिधारी की व्यवसाय योजना के अन्तर्गत अनुमोदित निवेश योजना	142
तालिका 141 :	अनुमोदित व्यवसाय योजना तथा दायर की गई निवेश योजना में भिन्नताएं	142
तालिका 142 :	वित्तीय वर्ष 06–07 में मुख्य कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु अनुज्ञप्तिधारी की प्रगति	143
तालिका 143 :	वित्तीय वर्ष 06–07 में मुख्य कार्यों को पूर्ण किये जाने के संबंध में भौतिक प्रगति	144
तालिका 144 :	अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत किये गये दावे के अनुसार प्रचालन तथा संधारण व्यय	145
तालिका 145 :	नेटवर्क परिसम्पत्तियों की स्थापना के संबंध में अनुज्ञप्तिधारी का पूर्व प्रदर्शन	146
तालिका 146 :	वित्तीय वर्ष 06–07 में अनुज्ञप्तिधारी की नेटवर्क की परिसम्पत्तियों के सृजन संबंधी प्रगति	147
तालिका 147 :	आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुमोदित किये गये प्रचालन एवं संधारण व्यय	147
तालिका 148 :	अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किये गये अवमूल्यन का दावा	149
तालिका 149 :	अवमूल्यन योग्य परिसम्पत्तियों का प्रतिशत जैसा कि इसे आयोग द्वारा प्रयोग किया गया	150
तालिका 150 :	दिनांक 31 मार्च, 2006 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्ति का विभिन्न परिसम्पत्ति वर्गो में विभाजन	151
तालिका 151 :	आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुज्ञेय किया गया अवमूल्यन	152
तालिका 152 :	दायर की गई पूंजीगत व्यय योजना की संक्षेपिका	153
तालिका 153 :	दायर की गई याचिका के अनुसार ऋणों की निबंधन तथा शर्तें	154
तालिका 154 :	अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा किये गये ब्याज तथा वित्त प्रभार	155
तालिका 155 :	वित्तीय वर्ष 07 के टैरिफ आदेशानुसार आवंटन	157
तालिका 156 :	वित्तीय वर्ष 06 की स्थिति में पूर्ण किये गये कार्यों से संबंद्ध ऋण की गणना	157
तालिका 157 :	वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुज्ञेय की गई ब्याज लागत	158
तालिका 158 :	वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुज्ञेय किये गये कुल ब्याज तथा वित्त प्रभार	159
तालिका 159 :	वित्तीय वर्ष 08 हेतु दावा किये गये कार्यकारी पूंजी ऋणों पर ब्याज	159
तालिका 160 :	वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुमोदित किया गया कार्यकारी पूंजी ऋणों पर ब्याज	160
तालिका 161 :	वित्तीय वर्ष 08 हेतु दावा किया गया उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज	161
तालिका 162 :	वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुज्ञेय किये गये उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज	161
तालिका 163 :	वित्तीय वर्ष 08 हेतु दावा किया गया पूंजी पर प्रतिलाभ (रिटर्न ऑन इक्विटी)	162

तालिका 164 :	वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुज्ञेय किया गया पूंजी पर प्रतिलाभ	162
तालिका 165 :	वित्तीय वर्ष 08 हेतु डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण	163
तालिका 166 :	चक्रण गतिविधि हेतु अन्य आय	164
तालिका 167 :	खुदरा विक्रय गतिविधि हेतु अन्य आय	164
तालिका 168 :	वित्तीय वर्ष 08 हेतु चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधियों के मध्य पृथक्करण हेतु अनुज्ञेय की गई समग्र राजस्व आवश्यकता	166
तालिका 169 :	वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुमोदित समग्र राजस्व आवश्यकता पर विद्यमान टैरिफ दरों के अनुसार राजस्व अन्तर	167
तालिका 170 :	पुनरीक्षित टैरिफ दरों के अनुसार राजस्व	167
तालिका 171 :	वित्तीय वर्ष 08 हेतु टैरिफ दरों के अनुसार उपभोक्ता श्रेणी–वार राजस्व	168
तालिका 172 :	टैरिफ दर बनाम विद्युत प्रदाय की औसत लागत का तुलनात्मक अध्ययन	189

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

मेट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, भोपाल –462016

खुदरा विद्युत प्रदाय टैरिफ आदेश
वर्ष 2007–08

याचिका क्रमांक : 111/06 (पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी)
112/06 (पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी) एवं
115/06 (मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी)

उपस्थित : डी. रायबर्धन, सदस्य
आर. नटराजन, सदस्य

विषय : मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी तथा मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रस्तुत टैरिफ आवेदनों पर आधारित वित्तीय वर्ष 07–08 हेतु समग्र राजस्व आवश्यकता तथा खुदरा टैरिफ का अवधारण।

आदेश

(आज दिनांक 30 मार्च 2007 को पारित किया गया)

यह आदेश मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी (जिन्हें कि इसके पश्चात् पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी, पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी, मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी कहा गया है) द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (जिसे कि इसके पश्चात् मप्रविनिआ अथवा आयोग कहा गया है) के समक्ष दायर की गई याचिकाओं क्रमशः 111/06, 112/06 तथा 115/06 से संबंधित है । ये याचिकाएं मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत वितरण तथा खुदरा व्यापार के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत) विनियम, 2006 की अर्हताओं के अनुसार दायर की गई हैं।

1.1 आयोग द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत वितरण तथा खुदरा व्यापार के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2005 (जी–27 वर्ष, 2005) दिनांक 5 दिसंबर, 2005 को वितरण अनुज्ञप्तिधारियों हेतु बहु–वर्षीय टैरिफ (वित्तीय वर्ष 07 से वित्तीय वर्ष 09) के अवधारण बाबत् निबंधन तथा शर्तें विनिर्दिष्ट करते हुए अधिसूचित की गई थी। ये विनियम मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र में दिनांक 23 दिसंबर 2005 को प्रकाशित किये गये थे। वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उनकी याचिकाएं, उल्लिखित विनियमों के अनुसार दायर नहीं की गई थीं। वांछित आंकड़े वित्तीय वर्ष 07 हेतु ही प्रस्तुत किये गये थे तथा अवशेष वित्तीय वर्ष 08 तथा 09 हेतु किसी प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई थी। वांछित जानकारी के अभाव में, आयोग वितरण अनुज्ञप्तिधारियों हेतु केवल वित्तीय वर्ष 07 के टैरिफ को ही अवधारित कर सका, परन्तु उसके द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को बहु–वर्षीय टैरिफ अवधारण हेतु उनकी अनुवर्ती याचिकाएं माह अक्टूबर, 2006 में लागू विनियमों के अनुसार दायर किये जाने संबंधी निर्देश दिये गये।

1.2 उपरोक्त बहु–वर्षीय टैरिफ विनियमों के जारी किये जाने के पश्चात्, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उसकी राष्ट्रीय टैरिफ नीति 6 जनवरी, 2006 को अधिसूचित की गई। बहु–वर्षीय टैरिफ संबंधी नीति के संबंध में पैरा 5.3(एच) (1) में कहा गया है :

''अधिनियम की धारा 61 के अनुसार टैरिफ निर्धारण के लिए सेवा शर्तो के लिए उपयुक्त आयोग अन्य बातों के साथ–साथ बहु–वर्षीय टैरिफ सिद्धांतों से निर्देशित होगा। 01 अप्रेल, 2006 से निर्धारित की जाने वाली किसी टैरिफ के लिए एमवाईटी (बहु–वर्षीय टैरिफ) अपनाये जाने के लिए अधिमानतः 5 वर्ष की नियंत्रण अवधि होनी चाहिए। आंकड़ों संबंधी अनिश्चितता व अन्य व्यावहारिक कारणों से नियामक आयोग द्वारा जरूरी माने जाने पर पारेषण व वितरण के लिए आरंभिक तौर पर तीन वर्ष की नियंत्रण अवधि भी हो सकती है..... ।''

आयोग द्वारा पूर्व में अधिसूचित किये गये बहु–वर्षीय टैरिफ विनियमों में प्रतिपादित किये गये कुछ सिद्धांतों को संशोधित किये जाने की आवश्यकता थी ताकि विनियम राष्ट्रीय टैरिफ नीति के सुसंगत हों। तथापि, चूंकि आयोग द्वारा पूर्व में ही उत्पादन तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों के बहु–वष्रीय टैरिफ आदेश जारी किये जा चुके थे, अतएव आयोग द्वारा आगामी टैरिफ नियंत्रण अवधि में पुनरीक्षणों (रिवीजन्स) पर विचार किये जाने का निर्णय लिया गया । आयोग द्वारा इसका संज्ञान भी कर लिया गया है कि केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग जिसके द्वारा उत्पादन कंपनियों तथा अंत–राज्यीय पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों हेतु बहु–वर्षीय टैरिफ आदेश जारी किये गये थे, ने ऐसे किसी प्रकार के परिवर्तन किये जाने संबंधी पहल नहीं की है। आयोग द्वारा विनियमों में राष्ट्रीय टैरिफ नीति के कारण परिवर्तन किये जाने का निर्णय लिया गया बहु–वर्षीय टैरिफ आदेश उनके लिए जारी नहीं किया गया है। तदनुसार, आयोग ने पुनः वितरण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें विनियम (विद्युत वितरण तथा खुदरा

व्यापार के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत) मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 10 नवंबर, 2006 को अनुज्ञप्तिधारियों तथा उपभोक्ताओं से परामर्शीय प्रक्रिया को पूर्ण कर जारी किया गया। विनियमों में किये गये अन्य परिवर्तनों के अतिरिक्त, टैरिफ अवधि को दिनांक 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2010 हेतु पुनरीक्षित किया गया।

1.3 आयोग द्वारा दिनांक 5 दिसंबर, 2005 को अधिसूचित किये गये विनियमों तथा पुनरीक्षित किये गये विनियमों के अनुसार, तीनों वितरण कंपनियों से दिनांक 31 अक्टूबर, 2006 तक बहु–वर्षीय टैरिफ याचिकाएं प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा की गई थी। केवल पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी द्वारा ही इस तिथि का अनुसरण किया गया जबकि पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी द्वारा उनकी टैरिफ याचिका 4 नवंबर, 2006 को तथा मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी द्वारा 7 नवंबर, 2006 हेतु इसे दायर किया गया। यद्यपि विनियमों के अनुसार, राजस्व में पूर्वानुमान अंतर की आपूर्ति (यदि कोई हों) हेतु वितरण कंपनियों से टैरिफ याचिका को दाखिल किये जाने हेतु उनके द्वारा वांछित टैरिफ दर्शाते हुए प्रस्तुत किये की अपेक्षा की गई थी; इन याचिकाओं में केवल विद्यमान टैरिफ दरों के अनुसार संभावित लागत के विवरण तथा अनुमानित राजस्व के विवरण ही प्रस्तुत किये गये थे। इन याचिकाओं में प्रस्तावित राजस्व आवश्यकता में किसी कमी की आपूर्ति हेतु किसी प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया था। यद्यपि प्रस्तुत की गई याचिकाएं अपूर्ण थीं तथा इन्हें इसी आधार पर निरस्त किया जा सकता था, परन्तु आयोग द्वारा वितरण कंपनियों को सार्वजनिक रूप से उनके विचार आमंत्रित किये जाने की दृष्टि से इनके विवरण समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जाने संबंधी निर्देश दिये गये ताकि बहुमूल्य समय व्यर्थ न जावे तथा बहु–वर्षीय टैरिफ का क्रियान्वयन लक्ष्य तिथि के अनुसार किया जा सके।

1.4 आयोग द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को इस कमी के संबंध में इंगित किया गया तथा अनुमानित अंतर की पूर्ति के संबंध में उनके प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक 4 दिसंबर, 2006 तक का समय उन्हें प्रदान किया गया। तीनों वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उनके प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 08 हेतु ही प्रस्तुत किये गये। आयोग द्वारा उन्हें टैरिफ प्रस्तावों को समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना द्वारा प्रकाशन आम जनता के विचार/आपत्तियों की प्राप्ति हेतु निर्देश दिये गये।

1.5 टैरिफ प्रस्ताव की प्रस्तुति के पश्चात्, वितरण कंपनियों द्वारा उनकी प्रस्तुतियां मूल प्रस्तुति से उच्चतर राजस्व अंतर के साथ प्रस्तुत की गई । वितरण कंपनियों के अनुसार उनके द्वारा किया गया यह पुनरीक्षण वित्तीय वर्ष 07 हेतु प्रत्याशित विद्युत के लघु–अवधि विद्युत क्रयों के व्यवस्थापन हेतु किया गया था। अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता की बढ़ी हुई कमी की आपूर्ति, टैरिफ पुनरीक्षण, दक्षता में अभिवृद्धि, बचत की गई विद्युत के विक्रय तथा नियामक परिसम्पत्तियों के सृजन द्वारा प्रस्तावित किया गया है। आयोग ने अनुज्ञप्तिधारियों को प्रस्तावित दक्षता में अभिवृद्धि तथा व्यापारिक आय के मूल्यांकन हेतु आधार प्रस्तुत किये जाने बाबत् निर्देशित किया था परन्तु उनके द्वारा ऐसे कोई भी विवरण प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 07 के अंकेक्षित वार्षिक लेखे के अभाव में वित्तीय वर्ष 07 में लघु–अवधि विद्युत क्रय लागत को सम्मिलित किये जाने संबंधी अनुरोध पर विचार नहीं किया गया है।

1.6 आयोग यहां पर ध्यान आकर्षित करना चाहेगा कि वितरण कंपनियों द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग [विद्युत क्रय एवं अध्याप्ति (प्रोक्यूरमेंट) प्रक्रिया] विनियम, 2004, प्रथम पुनरीक्षण, 2006 के अनुसार अतिरिक्त लघु–अवधि विद्युत क्रयों के अनुमोदन हेतु आंकड़े प्रस्तुत नहीं किये गये है तथा आशा करता है कि कम से कम, आगे अनुज्ञप्तिधारी समय अवधि में अतिरिक्त लागत दावा प्रस्तुत किये जाने हेतु इन विनियमों के उपबंधों का पूर्णरूपेण अनुसरण करेगा।

वितरण अनुज्ञप्तिधारियों हेतु बहु–बर्षीय टैरिफ आदेश को जारी किये जाने संबंधी कठिनाईयां

1.7 राष्ट्रीय विद्युत नीति की धारा 5.8.10 तथा राष्ट्रीय टैरिफ नीति की धारा 5.3 (एच) (2) के अनुसरण में राज्य शासन द्वारा दिनांक 25 दिसम्बर, 2006 को वितरण हानियों हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा हासिल किये जाने वाले वार्षिक लक्ष्य अधिसूचित किये गये हैं। आगामी पांच वर्षो हेतु अधिसूचित की गई वितरण हानियां निम्न तालिका में दर्शाई गई है :

तालिका : 1 हानियां (प्रतिशत में)

वर्ष	पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी		मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी		पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	
	म.प्र.वि.नि. आ. द्वारा अधिसूचित की गई	मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित की गई	म.प्र.वि.नि. आ. द्वारा अधिसूचित की गई	मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित की गई	म.प्र.वि.नि. आ. द्वारा अधिसूचित की गई	मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित की गई
वित्तीय वर्ष 07	32.5	34.5	37.0	43.0	30.0	30.0
वित्तीय वर्ष 08	29.5	32.5	32.0	40.0	27.5	28.5
वित्तीय वर्ष 09	26.5	29.5	27.5	37.0	25.0	27.0
वित्तीय वर्ष 10	23.5	26.5	25.0	34.0	23.0	25.5
वित्तीय वर्ष 11	–	23.5	–	31.0	–	24.0

जैसा कि उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है, राज्य शासन द्वारा तीनों वितरण कंपनियों हेतु विनियमों में विनिर्दिष्ट मानदण्डों में पर्याप्त रूप से हानि में कमी दर्शाये जाने वाले वक्र मार्ग (ट्रेजेक्टरी) में परिवर्तन किये हैं। किया गया यह परिवर्तन, किसी निश्चित ऊर्जा के विक्रय हेतु ऊर्जा क्रय की आवश्यकता में वृद्धि के रूप में परिणत होगा जिससे कि ऊर्जा क्रय की लागत में वृद्धि होगी। आयोग ने राज्य शासन द्वारा अधिसूचित हानि वक्र मार्ग (लॉस ट्रेजेक्टरी) के आधार पर वित्तीय वर्ष 08 की राजस्व आवश्यकता की गणना की है।

1.8. राष्ट्रीय विद्युत नीति तथा राष्ट्रीय टैरिफ नीति के उपरोक्त उपबंध निम्नानुसार उद्धरित किये जा रहे हैं :

राष्ट्रीय विद्युत नीति

5.8.10 ..... राज्य सरकारें एक पंचवर्षीय योजना तैयार करेगी जिसमें इन हानियों में तेजी से कमी लाने के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किये जायेंगे। इन हानियों में कमी करने के लिये अभियान के प्रयासों में सामाजिक भागीदारी, प्रभावी प्रवर्तन, इकाइयों के लिये प्रोत्साहन, स्टाफ और उपभोक्ताओं तथा प्रोद्योगिकीय उच्चीकरण को शामिल किया जाना चाहिए .....

राष्ट्रीय टैरिफ नीति

5.3(ज) (2) ..... ऐसे मामले जहां पर कार्य कलाप पिछले कई वर्षों से मानदण्ड से काफी कम है वहां पर राजस्व जरूरत निर्धारित करने संबंधी व्यवस्था अपेक्षित स्तर के बजाए लचीले स्तर की होनी चाहिए। अपेक्षित निष्पादन मानक प्राप्त करने के लिए उपयुक्त बेंच मार्किंग अध्ययन आयोजित किये जायें। न्यूनतम सेवा संबंधी मानकों को पूरा करने के लिए आवश्यक पूंजीगत व्यय के निमित्त प्रत्येक यूटिलिटी के लिए पृथक से अध्ययनों की जरूरत होगी।

राज्य शासन को वार्षिक लक्ष्यों के निर्धारण के साथ इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु एक योजना भी तैयार करना आवश्यक होगा। ये योजनाएं सुझाये गये दिशा–निर्देशों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय टैरिफ नीति के अनुसार, मानदण्ड उपयुक्त लक्ष्य (बेंच मार्क) अध्ययनों के पश्चात् ही स्थापित किये जाने हैं। न्यूनतम सेवा संबंधी मानकों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक पूंजीगत व्यय स्थापित किये जाने हेतु पृथक से अध्ययनों की जरूरत होगी। उल्लेखित अर्हताओं में से किसी की आपूर्ति नहीं की जा सकी है। आयोग यह अपेक्षा करता है कि अत्यावश्यक योजनाएं तथा अध्ययन समय अवधि के अंदर पूर्ण कर लिये जावेंगे तथा आयोग के विचारार्थ इन्हें प्रस्तुत किया जावेगा। अनुवर्ती कार्यवाही के अभाव में, आयोग विनियमों में एक भाग के रूप में अधिसूचित हानि वक्र मार्ग (ट्रेजेक्टरी लॉस) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु बाध्य होगा।

1.9 आयोग द्वारा बहुवर्षीय संरचना के अंतर्गत वितरण तथा खुदरा टैरिफ के अवधारण बाबत् निबंधन तथा शर्तें अधिसूचित की गई हैं। इससे प्राप्त होने वाले लाभों से सभी भली भांति परिचित हैं तथा यहां इनकी पुनरावृत्ति नहीं की जा रही है। आयोग द्वारा बहुवर्षीय टैरिफ (एमवाईटी) संरचना का विकास मध्यप्रदेश में विद्यमान परिस्थितियों के संदर्भ में किया गया है। विनियमों में, वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 10 तक की अवधि हेतु सत्यापन, लागत अवधारण, प्रचालन एवं संधारण मानदण्ड तथा हानि में कमी से संबंधित वक्र मार्ग (ट्रेजेक्टरी) संबंधी सिद्धांत विनिर्दिष्ट किये गये हैं। आयोग द्वारा टैरिफ अवधि हेतु समग्र राजस्व आवश्यकता में समाविष्ट किये जाने हेतु पूंजीगत व्यय योजना (केपैक्स प्लान) को सिद्धांततः अनुमोदित भी कर दिया गया है। यह संरचना अनुज्ञप्तिधारियों को उनके अनुज्ञेय लागत के पूर्वानुमान तथा आवश्यक प्रोत्साहन मितव्ययी तथा दक्ष संक्रिया को सुनिश्चितता प्रदान किये जाने हेतु करती है। यह संरचना निवेशों को भी सुगम बनाती है क्योंकि यह पूंजीगत निवेश की लागत की वसूली ब्याज तथा पूंजी (इक्विटी) पर प्रतिलाभ के माध्यम से सुनिश्चित करती है। बहुवर्षीय टैरिफ संरचना के सफल क्रियान्वयन द्वारा वित्तीय तथा प्रौद्योगिक रूप से रूग्ण वितरण कंपनियों को स्फूर्तिदायक बनाया जा सकेगा।

1.10 संरचना के सफल क्रियान्वयन हेतु समस्त हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) को उनके दायित्वों का निर्वहन करना होगा। आयोग को अधिसूचित विनियमों का कड़ाई से पालन करना होगा तथा समस्त हितधारकों के हितों के संबंध एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जाना होगा। वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को आयोग द्वारा निर्धारित किये गये मानकों के अनुरूप गुणवत्ता–युक्त तथा विश्वसनीय विद्युत प्रदाय तथा उपभोक्ता सेवाएं, लागतों के अनुमोदित स्तर के अनुसार प्रदान किया जाना होगा। आयोग द्वारा, विद्यमान बहुवर्षीय संरचना हेतु, प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी हेतु अलग–अलग हानि में कमी लाये जाने वाला वक्रमार्ग (ट्रेजेक्टरी) विनिर्दिष्ट किया गया है तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तावित पूंजीगत व्यय को हानि में कमी लाये जाने संबंधी अनुमोदित मानदण्डों की प्राप्ति किये जाने हेतु, इसे सिद्धांततः अनुमोदित कर दिया गया है।

1.11 राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया हानि संबंधी वक्रमार्ग (ट्रेजेक्टरी) मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित किये गये वक्रमार्ग से भिन्न है, अतः अनुज्ञप्तिधारियों के वर्तमान में अनुमोदित पूंजीगत व्यय योजनाओं का पुर्नवलोकन किया जाना आवश्यक है। जैसा कि इस आदेश के अनुवर्ती भागों में स्पष्ट किया गया है, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा

अनुमोदित पूंजीगत व्यय योजना से उल्लेखनीय रूप से विचलन किया जाना प्रस्तावित किया गया है तथा इसके अतिरिक्त इस आदेश को जारी करते समय भी अनुमोदित पूंजीगत व्यय योजना के महत्वपूर्ण भाग को वित्तीय प्रबंधन हेतु निश्चित नहीं किया गया है। यहां पर यह विश्वास किया जाना कठिन है कि प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य प्राप्त किये जा सकेंगे अथवा नहीं क्योंकि अनुज्ञप्तिधारियों की हाल ही की उपलब्धियों से इनकी पुष्टि नहीं हो पाई है। अनुज्ञप्तिधारियों ने उनकी पूंजीगत व्यय योजना तैयार करने में यथार्थवादी दृष्टिकोण नहीं अपनाया है तथा आकड़ों के प्राक्कलन में वे अति महत्वाकांक्षी प्रतीत होते हैं।

1.12 प्रचालन तथा संधारण मानदण्ड, उपभोक्ताओं द्वारा 100 प्रतिशत मीटरीकरण तथा वितरण नेटवर्क के विस्तार को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से निर्धारित किये गये थे। अनुज्ञप्तिधारियों ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत उनके ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कार्यक्रम के वित्तीय प्रबंधन हेतु केन्द्रीय सरकार से सम्पर्क किया है। प्रस्तुत की गई ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं (राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत) का अनुमोदन अभी अपेक्षित है। इन योजनाओं के अंतर्गत सृजित की गई परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों का स्वामित्व राज्य शासन का होगा। अनुज्ञप्तिधारी परिसम्पत्तियों की संस्थापना तथा संधारण किये जाने तथा ऐसे उपभोक्ताओं को विक्रय हेतु उत्तरदायी रहेगा। अनुज्ञेय प्रचालन तथा संधारण लागत की गणना के उद्देश्य से, अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा इस विद्युतीकरण कार्यक्रम से लाभ प्राप्त करने वाले संभावित ग्रामीण उपभोक्ताओं की संख्या तथा ऊर्जा विक्रय को सम्मिलित कर लिया गया है। प्रचालन एवं संधारण लाभ का दावा प्रस्तुत किये जाने वाले प्राक्कलित आंकड़े अविश्वसनीय प्रतीत होते हैं तथा ये अनुज्ञप्तिधारियों के पूर्व में किये गये निष्पादन को पूर्णतः चुनौती देते हैं। उदाहरणतया, पूर्व क्षेत्र वितरण कंनी ने इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 08 में लगभग 6 लाख उपभोक्ताओं में वृद्धि किया जाना अनुमानित किया है जो कि विद्यमान उपभोक्ता आधार का लगभग 25 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में प्रतिनिधि (फ्रेन्चाइजी) की आदेशात्मक नियुक्ति किये जाने का प्रावधान किया गया है जिसके संबंध में प्रगति काफी शिथिल रही है। अतः आयोग महसूस करता है कि ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तावित किया गया पूंजीनिवेश आगामी एक वर्ष में हासिल नहीं किया जा सकेगा।

1.13 राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मई, 2005 को अधिसूचित पॉच कंपनियों के प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्रों (ओपनिंग बैलेंस शीट्स) को अंतिम रूप दिये जाने की तिथि दो बार बढ़ाई जा चुकी है जो कि वर्तमान में 31 मई, 2007 है। आय–व्यय विवरण–पत्रों में किये जाने वाले पुनरीक्षण के कारण अवमूल्यन लागत, ब्याज लागत तथा पूंजी (इक्विटी) पर प्रतिलाभ उल्लेखनीय रूप से प्रभावित हो सकते हैं जिसकी राशि काफी अर्थपूर्ण हो सकती है। बहुवर्षीय टैरिफ के क्रियान्वयन किये जाने पर यह राशि वास्तविक रूप से प्रभावित होकर टैरिफ अवधि के दौरान जाम नहीं हो पायेगी। इसके लिए टैरिफ अवधि के दौरान वार्षिक राजस्व आवश्यकता की पुर्नगणना किये जाने की आवश्यकता होगी।

1.14 वितरण कंपनियां बारंबार आयोग के समक्ष संसाधनों के अभाव को लेकर पूंजीगत निवेश किये जाने के संबंध में अपनी असमर्थता व्यक्त करती रही हैं। अतएव, ऐसी स्थिति में, आयोग इस बात से आश्वस्त नहीं है कि वितरण कंपनियों द्वारा उनकी याचिकाओं में दिये गये पूंजी निवेश संबंधी प्रस्ताव वास्तविक तौर पर क्रियान्वित किये जा सकेंगे।

1.15 आयोग द्वारा दिनांक 17.01.07 को राज्य सलाहकार समिति की एक बैठक आयोजित की गई थी जिनमें वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तुत टैरिफ याचिकाओं पर चर्चा की गई थी। समिति के सदस्यों ने याचिकाओं पर काफी सुझाव प्रस्तुत किये। इनमें से एक सुझाव यह था कि टैरिफ अवधि के शेष बचे दो वित्तीय वर्षो हेतु विश्वसनीय जानकारी के अभाव में टैरिफ अवधारण को वित्तीय वर्ष 08 तक ही सीमित रखा जावे।

1.16 उपरोक्त परिच्छेदों में दर्शाये गये कारणों से, आयोग वित्तीय वर्ष 09 तथा वित्तीय वर्ष 10 की समग्र राजस्व आवश्यकता (एआरआर) का अवधारण नहीं कर रहा है। अतः आयोग समग्र राजस्व आवश्यकता तथा टैरिफ अवधारण हेतु वित्तीय वर्ष 08 तक ही स्वयं को सीमित कर रहा है।तथापि, आयोग यहां पर इस बात पर जोर देने का इच्छुक है कि आयोग द्वारा धारा 61 के अंतर्गत निर्धारित बहुवर्षीय टैरिफ की संरचना टैरिफ अवधि के अवशेष दो वित्तीय वर्षो (वित्तीय वर्ष 09 तथा वित्तीय वर्ष 10) हेतु भी वैध रहेगी तथा इन वर्षो के लिए समग्र राजस्व आवश्यकता का अवधारण इसी संरचना पर आधारित किया जावेगा।

वितरण कंपनियों हेतु एक समान खुदरा टैरिफ दरें

1.17 वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की टैरिफ दरों की समीक्षा करते समय, आयोग द्वारा राज्य शासन से एक पत्र प्राप्त हुआ जिनमें वितरण कंपनियों हेतु एक समान टैरिफ दरें रखे जाने बाबत् उनके विचार व्यक्त किये गये थे। आयोग को संबोधित इस पत्र क्रमांक 8059/13/2006 दिनांक 12 दिसम्बर, 2006 का सुसंगत भाग का भाषा–रूपांतर निम्नानुसार उद्धरित किया जाता है :

''इन टैरिफ दरों के अवधारण हेतु आधारभूत सिद्धांत के बतौर, मध्यप्रदेश शासन यह सुनिश्चित करना चाहता है कि समस्त उपभोक्ताओं तथा राज्य की उपयोगिताओं (यूटिलिटीज) के हितों का संरक्षण हो तथा किसी भी उपभोक्ता को उसके विद्युत संयोजन की भौगोलिक स्थिति उसे अलाभकारी स्थिति में न रखे। इस प्रयोजन हेतु, म.प्र. शासन यह सुनिश्चित किये जाने की इच्छा रखता है :

- *निकट भविष्य में कम से कम राज्य के एक ही श्रेणी के उपभोक्ताओं की टैरिफ दरें एक समान रहें;*
- *इसी समय, उसका यह भी विश्वास है कि वितरण कंपनियों के मध्य राजस्व अंतरों अथवा बचतों के संबंध कोई वृहद अंतर में नहीं होने चाहिए, सिवाय संक्रियाओं (आप्रेशन्स) की उन्नत दक्षता हेतु ;*
- *शासन की यह मंशा है कि शासन की नीति के अनुसार राज्यानुदान अथवा किसी अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता केवल चिन्हित की गई श्रेणी/श्रेणियों को ही प्रदान की जावें;*
- *उपरोक्त को सुनिश्चित करते हुए, वह यह भी चाहता है कि किसी भी वितरण कंपनी/कंपनियों के हितों को खतरा उत्पन्न न हो; तथा*
- *तथापि, दक्षता में अभिवृद्धि बाबत् वितरण कंपनियों के समक्ष पर्याप्त प्रोत्साहन भी उपलब्ध होने चाहिए।*

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए, मध्यप्रदेश शासन आयोग को परामर्श देता है कि वह चालू बहु–वर्षीय टैरिफ अवधारण हेतु (नियंत्रण अवधि 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2010 हेतु) उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सहायक हो तथा विद्युत अधिनियम की धारा 86(2) (iv) के अंतर्गत शासन को उसकी अनुशंसाऐं प्रदान करे, यदि उसका यह विचार हो कि उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शासन द्वारा कोई अग्रिम कार्यवाही की जानी चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु एक विकल्प के रूप में, आयोग थोक टैरिफ दरों के अवधारण को विभेदक (डिफरेंशियल) माने जिस पर हाल ही में गठित एमपी ट्रेडको तीनों वितरण कंपनियों को विद्युत प्रदाय कर सकती है। तथापि, आयोग किसी अन्य विकल्प पर विचार किये जाने बाबत्, जैसा कि वह उचित समझे, स्वतंत्र होगा तथा वह शासन को पहले से ही तीनों वितरण

कंपनियों हेतु खुदरा टैरिफ दरों के संबंध में कोई अंतिम दृष्टिकोण अपनाये जाने से पूर्व शासन को अपने दृष्टिकोण के बारे में अपना परामर्श देगा।''

1.18 आयोग द्वारा राज्य शासन के उपरोक्त पत्र के प्रत्युत्तर में अपने पत्र दिनांक 19 दिसम्बर 2006 द्वारा यह कहा गया है कि आयोग द्वारा दिये गये परामर्श की टीप कर ली गई है तथा टैरिफ अवधारण प्रक्रिया के समय इस पर यथोचित विचार किया जावेगा। तथापि, आयोग द्वारा इस ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है कि तीनों वितरण कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किये गये टैरिफ दरों के प्रस्ताव उपभोक्ताओं की एक श्रेणी हेतु भी अलग–अलग हैं तथा कंपनियों द्वारा टैरिफ प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय राज्य सरकार द्वारा दिये गये परामर्श को अपने विचार में रखना था। तदोपरांत, आयोग द्वारा उसके पत्र दिनांक 31 जनवरी, 2007 द्वारा राज्य सरकार के समक्ष वितरण कंपनियों के संबंध में एक ही श्रेणी के उपभोक्ताओं की दरें एक समान सुनिश्चित किये जाने हेतु तीन विकल्प रखे गये। इनमें से प्रथम था, मध्यप्रदेश शासन द्वारा सुझायी गई विभेदक थोक विद्युत प्रदाय टैरिफ (डिफरेंशियल बल्क सप्लाई टैरिफ) दर का अवधारण किया जाना, द्वितीय था, तीनों वितरण कंपनियों की एक श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा विभेदक राज्यानुदान के माध्यम से तथा तृतीय था, राज्यानुदान प्राप्त करने वाली श्रेणियों को एक समान टैरिफ दरें सुनिश्चित करते हुए, राज्यानुदान प्रदान करने वाले उपभोक्ताओं हेतु विभेदक राज्यानुदान के माध्यम से सुनिश्चित किया जाना। आयोग द्वारा टैरिफ दरें विभेदक तौर पर अवधारण हेतु (द्वितीय विकल्प) को अधिमान्यता दिया जाना प्रकट किया गया जो कि वितरण कंपनियों की लागत संरचना पर आधारित था, यह प्रस्तावित करते हुए कि वितरण कंपनियों के मध्य एकरूपता सुनिश्चित किये जाने का कार्य, आवश्यकतानुसार, प्रत्येक वितरण कंपनी के उसी श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु, राज्य शासन द्वारा विभेदक राज्यानुदान प्रदान किये जाने से प्राप्त किया जा सकता है।

1.19 राज्य शासन द्वारा आयोग को मध्यप्रदेश ट्रेडको द्वारा वितरण कंपनियों को विद्युत प्रदाय हेतु विभेदक थोक विद्युत प्रदाय टैरिफ दरों के अवधारण संबंधी सुझाव को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है क्योंकि मध्यप्रदेश जनरेशन कंपनी तथा केन्द्रीय उत्पादक स्टेशनों की विद्युत उत्पादक क्षमताएं राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 17 अक्टूबर, 2006 द्वारा तीनों वितरण कंपनियों को आवंटित की जा चुकी थीं।

1.20 विभेदक थोक विद्युत प्रदाय टैरिफ दरों की विधि के निर्धारण से दक्ष वितरण कंपनियों द्वारा निष्पादित दक्षता में अभिवृद्धि इन्हें अदक्ष कंपनियों को दक्ष कंपनियों के द्वारा विद्युत क्रय मूल्य वृद्धि के माध्यम से अंतरित किये जाने की ओर अग्रसर होगी। आयोग के पत्र दिनांक 31 जनवरी, 2007 के अनुसरण में सचिव(ऊर्जा) तथा अतिरिक्त सचिव (ऊर्जा), मध्यप्रदेश शासन द्वारा आयोग के साथ एक बैठक आयोजित की गई जिसमें कि विद्यमान एवं प्रस्तावित उत्पादन क्षमताओं का पुर्नवंटन वितरण कंपनियों तथा एमट्रेडको के मध्य किये जाने हेतु सम्पूर्ण राज्य में एक समान खुदरा टैरिफ दरें सुनिश्चित किये जाने बाबत् चर्चा की गई। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि वितरण कंपनियां वर्तमान में साक्रांतिक (ट्रांसिशनल) अवस्था में हैं तथा इन्हें संक्रिया (आप्रेशनल) तथा वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, अतः आयोग द्वारा विद्यमान तथा नवीन उत्पादन क्षमताओं को तीन कंपनियों तथा मध्यप्रदेश ट्रेडको के मध्य इनके पुर्नावंटन की सहमति व्यक्त की गई । तदनुसार आयोग से विचार–विमर्श कर, राज्य शासन द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना दिनांक 18 अक्टूबर 2006 को नवीन अधिसूचना क्रमांक 1929/एफआरएस/13/2001 दिनांक 17 मार्च, 2007 द्वारा पुनरीक्षित किया गया। आयोग यहां पर उल्लेख करना चाहता है कि यदि राज्य शासन भविष्य में एक समान खुदरा टैरिफ दरें रखने का इच्छुक हो तो आगामी वर्षो में आवंटन में परिवर्तन भी करना पड़ सकता है जो कि वितरण कंपनियों के उपभोक्ता मिश्र (कंस्यूमर मिक्स) तथा भार की अभिवृद्धि (लोडग्रोथ) पर निर्भर करेगा। तथापि, यहां पर इस ओर ध्यान आकृष्ट किया जाना आवश्यक है कि राज्य में एक समान खुदरा टैरिफ दर प्राप्त किये जाने हेतु उत्पादन क्षमता आवंटन में बारंबार किये जाने वाले परिवर्तन बहुवर्षीय टैरिफ संरचना के सार के अनुरूप न होंगे तथा

एक या उससे अधिक वितरण कंपनी/कंपनियों द्वारा दक्षता में अभिवृद्धि के लाभ अदक्ष वितरण कंपनी/कंपनियों को अंतरित हो जावेंगे।

प्रक्रियात्मक इतिहास

अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तावों की प्रस्तुति

1.21 आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 06–07 हेतु अपना वितरण तथा विद्युत के खुदरा प्रदाय हेतु टैरिफ आदेश दिनांक 31.3.2006 को जारी किया गया था जो कि माह मार्च 07 तक लागू है। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा समग्र राजस्व आवश्यकता बाबत् उनकी याचिकाएं अवधि 1.4.07 से 31.3.10 तक की अवधि हेतु दायर की गई हैं तथा बाद में वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु टैरिफ प्रस्ताव भी प्रस्तुत किये गये हैं।

याचिकाओं का सारांश

1.22 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तुत याचिकाओं के सारांश निम्नानुसार प्रस्तुत हैं :

तालिका 2 : वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तुत याचिकाओं का परिदृश्य

क्षेत्रीय वितरण कंपनी	वित्तीय वर्ष	विद्युत के विक्रय से राजस्व आय (करोड़ रूपये में)	गैर टैरिफ आय (करोड़ रूपये में)	कुल राजस्व (करोड़ रूपये में)	कुल राजस्व आवश्यकता (करोड़ रूपये में)	राजस्व में अंतर (करोड़ रूपये में)
पूर्व	वित्तीय वर्ष 08	2357.0	54.76	2411.76	2677.80	(266.04)
	वित्तीय वर्ष 09	2619.0	60.11	2679.11	3016.05	(336.94)
	वित्तीय वर्ष 10	2772.0	64.58	2836.58	3227.18	(390.60)
पश्चिम	वित्तीय वर्ष 08	2992.0	75.0	3067.0	3380.0	(313.0)
	वित्तीय वर्ष 09	3249.0	76.0	3325.0	3683.0	(358.0)
	वित्तीय वर्ष 10	3469.0	76.0	3545.0	3954.0	(409.0)
मध्य	वित्तीय वर्ष 08	2315.0	55.92	2370.92	2930.75*	(559.83)
	वित्तीय वर्ष 09	2543.0	60.97	2603.97	3164.26*	(560.29)
	वित्तीय वर्ष 10	2732.0	66.49	2798.49	3347.61*	(549.12)

*अनुज्ञप्तिधारी द्वारा की गई त्रुटि को सुधार लिया गया है।

1.23 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा समग्र राजस्व आवश्यकता हेतु प्रस्तुत याचिकाएं अपूर्ण पाई गई थीं, जिनके अंतर्गत आगे दर्शाई गई आधार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई थी, उदाहरणतया, पूर्व वर्षो की नेटवर्क साख्यिकी जिसके आधार पर आगामी वर्षों के आंकड़े प्राक्कलित किये जा सके, फलस्वरूप प्रचालन तथा संधारण व्ययों की गणना की जा सके। याचिकाओं में राजस्व अंतर की प्राप्ति हेतु कोई प्रस्ताव भी नहीं दिये गये थे। अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा वितरण ट्रांसफार्मर मीटरीकरण (डीटीआर मीटरिंग) के आधार पर अथवा अन्यथा गैर–मीटरीकृत विक्रय के प्राक्कलन हेतु विश्लेषणात्मक अध्ययन भी प्रस्तुत नहीं किया गया था।

सार्वजनिक सूचना हेतु टैरिफ प्रस्तावों की अधिसूचना

1.24 आयोग द्वारा अनुज्ञप्तिधारियों हेतु टैरिफ प्रस्तावों का समाचार पत्रों में प्रकाशन पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी हेतु दिनांक 13.12.06 को, एवं पूर्व तथा मध्य क्षेत्र वितरण कंपनियों हेतु दिनांक

17.12.2006 को किया गया था। हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) से उनकी टीप/सुझाव/आपत्तियां 26.12.06 तक प्रस्तुत किये जाने का अनुरोध किया गया था।

जन सुनवाई

1.25 आयोग द्वारा वितरण कंपनियों द्वारा दायर की गई टैरिफ याचिकाओं पर जन सुनवाईयां आयोग के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई। ये सुनवाईयां पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी हेतु दिनांक 22.1.07 को, मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी हेतु दिनांक 24.1.07 को तथा पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी हेतु दिनांक 29.1.07 को आयेजित की गई । आयोग द्वारा कई गैर–सरकारी संस्थाओं (एन.जी.ओ) को टैरिफ अवधारण प्रक्रिया में भाग लेने हेतु तथा समस्त उपभोक्ताओं के हितों के प्रतिनिधित्व हेतु आमंत्रित किया गया था। सुनवाईयों के दौरान प्राप्त की गई टीपों/आपत्तियों/सुझावों पर यथोचित रूप से इस आदेश को पारित करते समय विचार किया गया है।

राज्य सलाहकार समिति

1.26 आयोग ने राज्य सलाहकार समिति (एस.ए.सी.) के सदस्यों के साथ दिनांक 17.1.07 को एक बैठक भी आयोजित की। सदस्यों द्वारा कुछ सुझाव भी दिये गये है जिन पर कि वित्तीय वर्ष 07–08 हेतु टैरिफ अवधारण करते समय आयोग द्वारा इस आदेश में यथोचित विचार किया गया है। उपरोक्त विषयों पर जिन्हें कि उपभोक्ता संघों अथवा उपभोक्ताओं/ आपत्तिकर्ताओं द्वारा व्यक्तिगत रूप से तथा राज्य सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा उठाया गया था, अनुज्ञप्तिधारियों के प्रतिनिधियों की सुनवाई के उपरांत, आयोग ने विद्यमान टैरिफ दरों तथा इनकी संरचना में सुधार किये जाने का निर्णय लिया है, जिनका विवरण संलग्न विस्तृत आदेश में उल्लेखित किया गया है।

पुनरीक्षित टैरिफ दरों से अनुमानित राजस्व राशि की प्राप्ति

1.27 आयोग द्वारा विभिन्न श्रेणियों हेतु खुदरा विद्युत प्रदाय टैरिफ दरों को पुनरीक्षित किया गया है जिन्हें कि आदेश के साथ संलग्न किया गया है। आयोग द्वारा तीन वितरण कंपनियों हेतु वित्तीय वर्ष 08 हेतु समस्त राजस्व आवश्यकता तथा पुनरीक्षित टैरिफ दरों से प्राप्त होने वाले राजस्वों को प्राक्कलित किया गया है। ये विवरण वितरण कंपनी–वार विस्तृत आदेश में उपलब्ध हैं।

1.28 आयोग का मत है कि वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा नियमित रूप से उनके विक्रयों की प्रगति तथा राजस्व के प्राक्कलनों की समीक्षा की जानी चाहिए तथा किसी प्रकार का गंभीर असंतुलन पाये जाने पर उन्हें आयोग को उचित मार्गदर्शन हेतु सम्पर्क करना चाहिए।

आदेश का क्रियान्वयन

1.29 वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिए उत्पादन कंपनियों और अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दिये जाने वाला विवरण एवं आवेदन देने की रीति और उसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम, 2004 की कण्डिका 1.30 के अनुसार समाचार पत्रों में सात (7) दिवस का नोटिस देकर आदेश के क्रियान्वयन के संबंध में तत्काल कदम उठाने चाहिए। इस आदेश द्वारा अवधारित टैरिफ दरें 31 मार्च, 2008 तक प्रभावशील रहेंगी, जब तक कि इनमें आयोग द्वारा किसी आदेश के माध्यम से इसमे संशोधन अथवा सुधार न कर दिया जावे। दिनांक 31 मार्च, 2006 को जारी पूर्व टैरिफ आदेश इस आदेश के क्रियान्वयन होने तक वैध रहेगा।

1.30 अतएव, आयोग द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की याचिकाएं, सुधारों के साथ तथा सशर्त स्वीकार कर ली गई है तथा वित्तीय वर्ष 07–08 के दौरान विद्युत प्रदाय के अनुज्ञप्ति प्राप्त क्षेत्र में खुदरा टैरिफ दरों तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वसूली योग्य प्रभारों का अवधारण कर दिया गया है तथा आगे निर्देश देता है कि यह आदेश दिये गये निर्देशों तथा दी गई शर्तो के साथ–साथ संलग्न अनुसूची के अनुसार क्रियान्वित किया जावे। अनुज्ञप्तिधारी को आगे उपभोक्ताओं को केवल इस टैरिफ आदेश के उपबंधों के अनुसार ही देयक जारी किये जाने के आदेश भी दिये जाते हैं।

उपरोक्तानुसार आदेश जारी किये गये, संलग्न खुदरा विद्युत प्रदाय टैरिफ अनुसूची के साथ पढ़ा जावे। विस्तृत कारण तथा आधार पृथक से जारी किये जा रहे हैं।

हस्ता/–	हस्ता/–
(आर. नटराजन)	(डी. रायबर्धन)
सदस्य (इकॉनॉमिक्स)	सदस्य (अभियांत्रिकी)

दिनांक : 30 मार्च, 2007
स्थान : भोपाल

समग्र राजस्व आवश्यकता तथा वित्तीय वर्ष 2007–2008 हेतु टैरिफ अवधारण

याचिका क्रमांक 111/06, 112/06 तथा 115/06 के संबंध में मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी खुदरा विद्युत प्रदाय आदेश के साथ संलग्न विस्तृत कारण तथा आधार

श्री ओ.एस. परिहार (अधीक्षण यंत्री), श्री डी.के. गण्डोतरा तथा श्री प्रवीण जैन (अतिरिक्त कार्यपालन यंत्री) द्वारा पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का प्रतिनिधित्व किया गया।

श्री राजीव बैस, (कंपनी सचिव), श्री आर.सी. सोमानी तथा श्री गोपाल मूर्ति (उप–संचालक लेखा) द्वारा पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का प्रतिनिधित्व किया गया।

श्री आर.सी. यादव (अधीक्षण यंत्री), श्री के डब्लू नाशीकर (अतिरिक्त संचालक), श्री ए.आर. वर्मा (अतिरिक्त अधीक्षण यंत्री), पी.के. कमथान (संयुक्त संचालक, लेखा) तथा श्री यू. गौर (उप संचालक, लेखा) द्वारा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का प्रतिनिधित्व किया गया।

तीन वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा वित्तीय वर्ष 08 के दौरान टैरिफ के अवधारण तथा वसूली योग्य प्रभार के विस्तृत आदेश, कारण तथा आधार दर्शाते हुए, निम्नानुसार दिये गये हैं। विस्तृत आदेश तीन भागों में विभाजित है जिनमें तीनों वितरण कंपनियों के कार्यात्मक तथा वित्तीय सम्पादन की पृथक से चर्चा की गई है तथा आयोग के दिशा निर्देशों पर अनुपालन की अद्यतन स्थिति तथा अनुज्ञप्तिधारियों की प्रतिक्रिया तथा टैरिफ के प्रस्तावों पर उपभोक्ताओं से प्राप्त किये गये सुझावों तथा टीपों पर आयोग की अभ्युक्ति संबंधी प्रतिवेदन सम्मिलित है।

ए1 : वित्तीय वर्ष 05–06 हेतु सत्यापन बाबत आयोग की अभ्युक्ति

1.1 आयोग द्वारा उसके वित्तीय वर्ष 06–07 हेतु टैरिफ आदेश में कहा गया था कि आयोग वित्तीय वर्ष 05–06 हेतु समग्र राजस्व आवश्यकता तथा राजस्व अन्तर के सत्यापन की विधि का अवधारण करेगा जब वितरण कंपनियों द्वारा वास्तविक तौर पर अंकेक्षित लेखे प्रस्तुत कर दिये जावेगें। वितरण कंपनियों द्वारा वास्तविक तौर पर वित्तीय वर्ष 05–06 के अंकेक्षित लेखे प्रस्तुत किये जा चुके हैं। तथापि, वितरण कंपनी की वास्तविक लागत को चिन्हित किये जाने हेतु आयोग का मत है कि निम्न जानकारी भी उसे उपलब्ध होनी चाहिये।

(ए) वित्तीय वर्ष 05–06 हेतु एमपी जनको (मध्यप्रदेश पावर जनरेशन कंपनी) के अंकेक्षित लेखे: मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनियों तथा मध्यप्रदेश ट्रांसमिशन कंपनी से भिन्न, एमपी जनको द्वारा वित्तीय वर्ष 05–06 हेतु आयोग को अंकेक्षित लेखे उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। यहां यह संज्ञान किया जाना महत्वपूर्ण है कि वितरण कंपनियों की समग्र राजस्व आवश्यकता में 75 प्रतिशत से अधिक विद्युत ऊर्जा के क्रय पर किया गया व्यय शामिल होते हैं। वितरण कंपनियों के अंकेक्षित लेखे में विभिन्न उत्पादक स्टेशनों हेतु आयोग द्वारा अवधारित टैरिफ दर के आधार पर मप्र जनको द्वारा प्रदाय की गई विद्युत क्रय की लागत सम्मिलित है। वित्तीय वर्ष 05–06 हेतु मप्र जनको के अंकेक्षित लेखे के अभाव में, वित्तीय वर्ष 05–06 के दौरान वितरण कंपनी की विद्युत क्रय लागत को सही रूप से सत्यापित किया जाना संभव नहीं है।

(बी) दिनांक 31 मई 05 की स्थिति में समस्त क्षेत्रीय इकाईयों के अन्तिम प्रारंभिक आय–व्यय वितरण–पत्र (Final Opening Balance Sheets) : मध्यप्रदेश सरकार द्वारा, **प्रावधिक रूप से**, उत्पादन कंपनी, राज्य पारेषण इकाई (स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी) तथा वितरण कंपनियों के प्रारंभिक आय–व्यय विवरण पत्र अधिसूचना क्रमांक 3679/एफआरएस/18/13/2002 दिनांक 31 मई 2005 द्वारा अधिसूचित किये गये थे। उस समय मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्बंधित किया गया था कि प्रावधिक प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र 12 माह के भीतर अन्तिम कर दिये जावेंगे। तथापि, राज्य सरकार द्वारा बाद में 12 माह की अन्तिम किये जाने संबंधी अवधि को 24 माह तक बढ़ा दिया गया। अतएव, समस्त क्षेत्रीय इकाईयों के प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र अब 31 मई, 2007 तक अन्तिम किये जाने की संभावना है। प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्रों में प्रारंभिक परिसम्पत्ति आधार जैसे महत्वपूर्ण आंकड़े, जैसे कि प्रारंभिक पूंजी (इक्विटी) तथा दायित्व जो कि कंपनियों में निहित किये गये हैं, सम्मिलित हैं। ये आंकड़े अवमूल्यन, ब्याज, पूंजी पर प्रतिलाभ आदि की समस्त गणनाओं को प्रभावित करते हैं।

1.2 इस प्रकार आयोग का मत है कि जब तक प्रारंभिक आय–व्यय वितरण–पत्र अन्तिम नहीं कर दिये जाते तथा आयोग को एमपी जनको के अंकेक्षित लेखे उपलब्ध नहीं करा दिये जाते, यह एक अन्तरिम आदेश ही होगा तथा इसमें आगे और अधिक सत्यापन की आवश्यकता होगी, जैसे ही उपरोक्त को सत्यापन हेतु प्रस्तुत कर दिया जाता है। तथापि, जैसे ही महत्वपूर्ण आंकड़े उपलब्ध करा दिये जाते हैं, आयोग समग्र राजस्व आवश्यकता के अवधारण तथा वित्तीय वर्ष 05–06 हेतु अनुज्ञप्तिधारी के राजस्व अन्तर संबंधी आदेश को पारित करेगा तथा भविष्य में इस राशि का समायोजन किया जावेगा। आयोग यहां पर ध्यान आकर्षित करना चाहता है कि वित्तीय वर्ष 05–06 हेतु एमपी ट्रांसको (मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड) द्वारा आयोग को अंकेक्षित आय–व्यय विवरण–पत्र प्रस्तुत किये जाने पर उसके द्वारा इसका सूक्ष्म परीक्षण किया गया तथा रूपये 94.29 करोड़ की अतिरिक्त लागत को अनुज्ञेय किया गया जिसे कि आवंटित क्षमता के आधार पर तीन वितरण कंपनियों में विभाजित किया गया है तथा जिसकी वसूली वित्तीय वर्ष 2007–2008 में की जावेगी।

ए2 : वित्तीय वर्ष 08 हेतु मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण लिमिटेड (ईस्ट डिस्कॉम) हेतु समग्र राजस्व आवश्यकता

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तावित विक्रयों के पूर्वानुमान की संक्षेपिका

2.1 वित्तीय वर्ष 08 के दौरान पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कुल विक्रय 6,598 मिलियन यूनिट प्राक्कलित किये गये हैं। निम्न दाब श्रेणी हेतु विक्रय 3,810 यूनिट (अथवा कुल विक्रय का 57. 74 प्रतिशत) तथा उच्चदाब श्रेणी में 2,788 मिलियन यूनिट (अथवा कुल विक्रय का 42.26 प्रतिशत) प्राक्कलित किये गये हैं।

तालिका 3 : वित्तीय वर्ष 08 हेतु पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का प्राक्कलित विद्युत विक्रय

उपभोक्ता श्रेणी			**वित्तीय वर्ष 08 हेतु विद्युत विक्रय मिलियन यूनिट में**
निम्न दाब उपभोक्ता	एलवी 1	घरेलू बत्ती, पंखा तथा पावर	1778
	एलवी 2	गैर–घरेलू बत्ती, पंखा तथा पावर	315
	एलवी 3	जल प्रदाय संयत्र तथा पथ–प्रकाश	125
	एलवी 4	निम्न दाब औद्योगिक	117
	एलवी 5	कृषि उपभोक्ता	1475
		योग (निम्न दाब)	**3810**
उच्च दाब उपभोक्ता	एचवी 1	रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन)	408
	एचवी 2	कोयला खदानें	515
	एचवी 3	औद्योगिक तथा गैर–औद्योगिक	1100
	एचवी 4	मौसमी (सीजनल)	4
	एचवी 5	उच्च दाब सिंचाई तथा सार्वजनिक जल प्रदाय	59
	एचवी 6	टाऊनशिप तथा आवासीय कालोनी	290
	एचवी 7	छूट प्रदायकर्ताओं को थोक विद्युत प्रदाय	412
		कुल (उच्च दाब)	**2788**
योग निम्न दाब + उच्च दाब			**6598**

2.2 अनुज्ञप्तिधारी के 6598 मिलियन यूनिट के विद्युत विक्रय के पूर्वानुमान वित्तीय वर्ष 07 के पुनरीक्षित प्राक्कलन (जो 5957 मिलियन यूनिट हैं) से 10.76 प्रतिशत अधिक हैं। अनुज्ञप्तिधारी की याचिका के पूर्वानुमान अनुसार, इस प्राक्कलन में 412 मिलियन यूनिट का बिना–मीटरीकृत कृषि विक्रय सम्मिलित है। अनुज्ञप्तिधारी ने घरेलू श्रेणी में 50 मिलियन यूनिट का बिना मीटरीकृत विक्रय का भी पूर्वानुमान किया है। चर्चा के दौरान, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रतिनिधियों ने बताया है कि दिनांक 30.9.06 की स्थिति में 3,26,939 घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता हैं जो कि अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों से हैं तथा बिना मीटरीकृत हैं।

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तावित ऊर्जा संतुलन तथा विद्युत क्रय

2.3 एमपी ट्रेडको तथा तीनों वितरण कंपनियों के मध्य प्रचलित व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा किया गया है कि वह सुसंगत प्रपत्रों में (टैरिफ विनियमों के अनुसार) स्टेशनवार उत्पादन उपलब्धता की अद्यतन जानकारी सम्पूर्ण तथा स्वतंत्र रूप से प्रदान करने की स्थिति में नहीं है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यह जानकारी उसके द्वारा एमपी जनको, एमपी ट्रांसको तथा एमपी ट्रेडको (मध्यप्रदेश पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड) के साथ किये गये परस्पर वार्तालाप के आधार पर प्रदान की गई है। इस संबंध में, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यह दावा भी किया गया है कि उसके द्वारा मप्रविनिआ [विद्युत तथा अध्याप्ति (प्रोक्यूरमेंट) प्रक्रिया)] विनियम, 2004, प्रथम पुनरीक्षण, 2006 (आरजी–19 (I) वर्ष 2006) की धारा 18 से मार्गदर्शन प्राप्त किया है जिसमें कहा गया है कि

''वितरण अनुज्ञप्तिधारी दीर्घ–कालीन मांग तथा प्रदाय उपलब्धता संबंधी निर्धारण, किसी एक अथवा समस्त संबंधितों से, जिसमें राज्य सेक्टर उत्पादन कंपनियों, वितरण कंपनियों, निजी वितरण अनुप्तिधारियों, केन्द्रीय सेक्टर उत्पादन कंपनियों तथा पारेषण कंपनियों/क्षेत्रीय विद्युत मण्डल, राष्ट्रीय/क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण भी सम्मिलित है, से परामर्श द्वारा, करेगा।''

2.4 वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यह दावा किया गया है कि उसके द्वारा प्रमुख क्षेत्रीय प्रतिभागियों से अस्थाई (Tentative) रूप से अपनाई गई जानकारी प्रयोग विद्युत क्रय की लागत की गणना हेतु राजस्व आवश्यकता की प्राप्ति हेतु किया गया है। वितरण अनुज्ञप्तिधारी ने आयोग को अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञेय की जाने वाली विद्युत क्रय लागत की गणना करते समय इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाये जाने का अनुरोध किया है। उसने आयोग को अनुज्ञप्तिधारी को अद्यतन जानकारी प्रस्तुत किये जाने हेतु अवसर प्रदान किये जाने का भी अनुरोध किया यदि ऐसी जानकारी एमपी जनको, एमपी ट्रांसको तथा एमपी ट्रेडको द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को उपलब्ध करा दी जाती है।

2.5 अनुज्ञप्तिधारी ने क्षमता का प्रतिशत आवंटन (अर्थात् 29.5646 प्रतिशत) शासन की अधिसूचना दिनांक 18.10.2006 के अनुसार माना है। पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी ने निम्न मदों की गणना के विवरण उपरोक्त दर्शाये गये आवंटन के अनुसार प्रस्तुत किये हैं :

- समस्त स्त्रोतों से मासिक उपलब्ध विद्युत ऊर्जा
- उत्पादकों को देय वार्षिक स्थाई प्रभार
- उत्पादकों को प्रोत्साहनों, आयकर, शुल्कों आदि के कारण किये जाने वाले अनुमानित भुगतान; तथा
- भुगतान किये जाने वाले अनुमानित अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार।

वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता का आकलन

2.6 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विभिन्न स्त्रोतों से विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता का आकलन ट्रेडको (मध्यप्रदेश पावर ट्रेडिंग कंपनी) के साथ उसके द्वारा की गई चर्चा के आधार पर किया गया है। एमपी जनको से विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता एमपी जनको द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु विद्युत उत्पादन के मासिक पूर्वानुमानों पर आधारित है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा किया गया है कि केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशनों (एनटीपीसी, एनपीसी) से उपलब्धता संबंधी जानकारी याचिका तैयार करते समय तथा दायर करने के समय तक उपलब्ध नहीं थी। उपलब्धता के आकलन हेतु, पूर्व के दो वर्षों तथा चालू वर्ष के प्रथम छः माहों के ''वास्तविक उत्पादन'' का प्रयोग किया गया है। वर्ष 2005–06 के दौरान कोरबा की यूनिट क्रमांक 4 तथा विंध्याचल की

(यूनिट क्रमांक 4 तथा 6) में हुए विवशताजन्य अवरोध (Forced Outage) के कारण उत्पादन की हानि का इन स्टेशनों से विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता का आकलन करते समय यथोचित विचार किया गया है।

2.7 वर्ष 2006–07 तथा वर्ष 2007–08 में उत्पादन प्रारंभ करने वाले नवीन स्टेशनों से संभावित उपलब्धता पर भी विचार किया गया है।

2.8 निम्न तालिका प्रत्येक स्त्रोत से वार्षिक उपलब्धता को दर्शाती है जबकि वित्तीय वर्ष 08 हेतु मासिक उपलब्धता याचिका के प्रपत्र एफ 1–2 में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 4 : वित्तीय वर्ष 08 हेतु पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हेतु विद्युत ऊर्जा की उपलब्धि

स्त्रोतवार उपलब्धि (मिलियन यूनिट में)	2007–08 राज्य हेतु	2007–08 पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हेतु
एनटीपीसी (नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन)		
एनटीपीसी – कोरबा	3242	959
एनटीपीसी – विंध्याचल I	3097	916
एनटीपीसी – विंध्याचल II	2377	703
एनटीपीसी – विंध्याचल III	1146	339
एनटीपीसी – कवास	282	84
एनटीपीसी – गंधार	842	249
एनटीपीसी – सीपत	175	52
केएपीपी (काकरापार एटोमिक पावर प्रोजेक्ट)	467	138
टीएपीएस (तारापुर एटोमिक पावर प्रोजेक्ट)	1072	317
फरक्का	184	54
तालचेर	128	38
कहलगांव	81	24
कहलगांव 2	476	141
एनटीपीसी – योग	**13571**	**4012**
द्विपक्षीय विद्युत क्रय		
सीएचपीएस – गांधी सागर	171	51
सीएचपीएस – राणा प्रताप सागर	186	55
सीएचपीएस – जवाहर सागर	139	41
राजस्थान राज्य विद्युत मंडल (चम्बल, सतपुड़ा)	**497**	**147**
राजघाट एचपीएस (हायड्रो पावर स्टेशन)	45	13
दामोदर वैली कार्पोरेशन (डीवीसी)	770	228
महाराष्ट्र राज्य विद्युत मण्डल (पेंच)	209	62
लैंको (पावर ट्रेडिंग कार्पोरेशन–पीटीसी)	0	0
द्विपक्षीय योग	**1520**	**449**
अन्य स्त्रोत		
एनएचडीसी (नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कार्पोरेशन)–इन्दिरा सागर	2700	798
सरदार सरोवर	1700	503
ओंकारेश्वर एचपीएस (हायड्रो पावर स्टेशन)	1200	355
अन्य (पवन ऊर्जा तथा कैप्टिव विद्युत संयंत्र)	0	0
अन्य 3 (अनशेड्यूल्ड इन्टरचेंज–यू.आई)	**5600**	**1656**
एमपी जनको–ताप विद्युत		

अमरकंटक पीएच–I	181	54
अमरकंटक पीएच–II	941	278
अमरकंटक पीएच–III	558	165
सतपुड़ा पीएच–I	1871	553
सतपुड़ा पीएच–II	2624	776
सतपुड़ा पीएच– III	2647	783
संजय गांधी पीएच–I	2464	729
संजय गांधी पीएच–II	2617	774
बिरसिंहपुर	3241	958
एमपीजनको – ताप विद्युत का योग	**17145**	**5069**
एमपी जनको – जल विद्युत		
बाण सागर टोंस एचपीएस–टोंस	936	277
बाण सागर टोंस एचपीएस–सिलपारा	79	23
बाण सागर टोंस एचपीएस–देवलोंद	79	23
बाण सागर टोंस एचपीएस–बाणसागर IV	79	23
बिरसिंहपुर एचपीएस	45	13
बरगी एचपीएस	503	149
मढ़ी खेड़ा एचपीएस	73	22
मिनी–माइक्रो एचपीएस	0	0
एमपी जनको – जल विद्युत का योग	**1794**	**530**
महायोग	**39629**	**11716**

विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत क्रय लागत (स्थाई तथा परिवर्तनीय लागत) का आकलन

2.9 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा एमपी जनको की स्थाई लागतें तथा परिवर्तनीय लागतें एमपी जनको हेतु आयोग के बहुवर्षीय (वित्तीय वर्ष 07 से वित्तीय वर्ष 09) टैरिफ आदेश से अपनाई गई हैं। विद्यमान केन्द्रीय क्षेत्र के स्टेशनों हेतु, स्थाई लागतें (Fixed Costs) केंन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के तत्संबंधी स्टेशनों हेतु आदेशों के अनुसार तथा परिवर्तनीय लागतें (Variable Costs) वर्तमान में लागू ईंधन मूल्य समायोजन (फ्यूल प्राईस एडजस्टमेंट–एफपीए) को सम्मिलित कर माह जुलाई, 2006 के देयक के अनुसार अपनाई गई हैं।

2.10 केन्द्रीय क्षेत्र के नवीन स्टेशनों से विद्युत क्रय की लागत को गणना हेतु, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निम्न विधि अपनाई गई है :

(ए) विंध्याचल–III हेतु, परिवर्तनीय लागत को माह जुलाई, 2006 के अशक्त ऊर्जा (इन्फर्म पावर) संबंधी देयक के अनुसार प्राक्कलित किया गया है।

(बी) सीपत–II तथा कहलगांव–II–चरण–I हेतु, नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन द्वारा उनके पत्र क्रमांक 01 :: सीडी : 279 : एनएनएस दिनांक 27.5.2004 द्वारा प्रदान किये गये अस्थाई (Tentative) प्राक्कलन का परिवर्तनीय लागतों के अवधारण हेतु आधार के रूप में प्रयोग किया गया है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कहा गया है कि परिवर्तनीय लागतों के यथार्थपूर्ण स्तरों को प्रतिबिंबित किये जाने की दृष्टि से, पत्र में प्रदान किये गये तत्संबंधी परिवर्तनीय लागतों में अवधारण की आधार तिथि से 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वृद्धि की गई है। परिवर्तनीय लागत वृद्धि ईंधन मूल्य समायोजन (फ्यूल प्राईस एडजस्टमेंट–एफपीए) प्रभारों के रूप में दर्शाई गई है।

(सी) उपरोक्त दर्शाये गये तीनों स्टेशनों [अर्थात्, विन्ध्याचल–III सीपत–II कहलगांव–II[चरण–I)] हेतु स्थाई लागतों को पत्र में प्रदान की गई प्रति यूनिट स्थाई लागत के परिवर्तन द्वारा प्राक्कलित किया गया है।

2.11 अन्य नवीन स्टेशनों बाबत, स्थाई तथा परिवर्तनीय लागतें ट्रेडको से की गई चर्चा के आधार पर प्राक्कलित की गई हैं। निम्न तालिका विद्युत क्रय लागत के अवधारण हेतु विचार किये गये प्रत्येक स्टेशन की स्थाई तथा परिवर्तनीय लागतों की संक्षेपिका दर्शाती है। जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के स्थाई लागत के अंशदान को समग्र राजस्व आवश्यकता के प्रयोजन हेतु माना गया है।

तालिका 5 : वित्तीय वर्ष 08 हेतु पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हेतु स्थाई एवं परिवर्तनीय लागतें

(वर्ष 2007–08)

स्त्रोतवार उपलब्धि	स्थाई लागत –राज्य (करोड़ रूपये में)	स्थाई लागत –पूर्व क्षेविविकं (करोड़ रूपये में)	परिवर्तनीय लागत (रूपये/कि लो वाट आवर में)	ईंधन मूल्य समायोजन (एफपीए) (रूपये/कि लोवाट आवर में)
एनटीपीसी (नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन)				
एनटीपीसी – कोरबा	85.95	25.41	0.4731	0.0738
एनटीपीसी – विंध्याचल I	98.17	29.02	0.7578	0.1928
एनटीपीसी – विंध्याचल II	135.26	39.99	0.7333	0.1843
एनटीपीसी – विंध्याचल III	181.86	53.77	0.8675	0.0000
एनटीपीसी – कवास	61.20	18.09	1.0269	2.2567
एनटीपीसी – गंधार	98.85	29.22	1.0210	0.3565
एनटीपीसी – सीपत	99.89	29.53	0.4123	0.1237
केएपीपी (काकरापार एटोमिक पावर प्रोजेक्ट)	0.00	0.00	2.0234	0.0122
टीएपीएस (तारापुर एटोमिक पावर प्रोजेक्ट)	0.00	0.00	1.9526	0.0000
फरक्का	7.49	2.21	0.9857	0.0838
तालचेर	5.76	1.70	0.4110	0.1430
कहलगांव	5.30	1.57	1.0748	0.1791
क्हलगांव–2	54.69	16.17	0.6884	0.2754
एनटीपीसी – योग	**834.44**	**246.70**		
द्विपक्षीय विद्युत क्रय				
सीएचपीएस – गांधी सागर	10.86	3.21	0.00	
राजस्थान राविमं (चंबल, सतपुड़ा)	**10.86**	**3.21**	**0.00**	
राजघाट एचपीएस (हायड्रो पावर स्टेशन)	8.56	2.53	0.00	
दामोदर वैली कार्पोरेशन (डीवीसी)	0.00	0.00	2.54	
महाराष्ट्र राज्य विद्युत मण्डल (पेंच)	11.60	3.43	0.00	
लैंको (पावर ट्रेडिंग कार्पोरेशन– पीटीसी)	0.00	0.00		
द्विपक्षीय–योग	**31.02**	**9.17**		
अन्य स्त्रोत				
एनएचडीसी–इन्दिरा सागर	275.88	81.56	0.00	
सरदार सरोवर	0.00	0.00	0.95	
ओंकारेश्वर हायड्रो पावर स्टेशन	0.00	0.00	0.95	
अन्य I (पवन एवं कैप्टिव विद्युत संयंत्र)	0.00	0.00	0.00	
अन्य 2 (लद्यु अवधि क्रय)	0.00	3.50	0.00	

अन्य 3 (अनशेड्यूल्ड इन्टरचेंज– यू.आई)	**275.88**	**81.56**		
एमपी जनको–ताप विद्युत				
अमरकंटक पीएच–I	49.23	14.55	1.17	
अमरकंटक पीएच–II				
अमरकंटक पीएच–III	140.00	41.39	1.17	
सतपुड़ा पीएच–I	207.29	61.28	1.34	
सतपुड़ा पीएच–II				
सतपुड़ा पीएच– III				
संजय गांधी पीएच–I	303.70	89.79	1.02	
संजय गांधी पीएच–II				
बिरसिंहपुर	320.00	94.61	1.02	
एमपी जनको–ताप विद्युत	**1020.22**	**301.62**		
एमपी जनको – जल विद्युत				
बाण सागर टोंस एचपीएस–टोंस	92.92	27.47	0.00	
बाण सागर टोंस एचपीएस–सिलपारा				
बाण सागर टोंस एचपीएस–देवलोंद				
बाण सागर टोंस एचपीएस–बाणसागर IV				
बिरसिंहपुर एचपीएस	3.93	1.16	0.00	
बरगी एचपीएस	9.68	2.86	0.00	
मढ़ी खेड़ा एचपीएस	0.00	0.00	0.00	
मिनी–माइक्रो एचपीएस	0.00	0.00	0.00	
जल विद्युत का योग	**106.53**	**31.50**		
महायोग	**2268.09**	**670.55**		

विद्युत क्रय लागत के अन्य अवयवों का आकलन

2.12 विद्युत क्रय लागत के अन्य अवयवों, जैसे कि, प्रोत्साहन, आय–कर, उत्पादन–शुल्क तथा उपकर आदि तथा अन्य विभिन्न प्रभार वित्तीय वर्ष 2005–06 के इस लेखे के वास्तविक व्यय के स्तर पर माने गये हैं।

तालिका 6 : वित्तीय वर्ष 08 हेतु समस्त स्टेशनों हेतु अन्य प्रभार

केन्द्रीय विद्युत स्टेशन (सीजीएस) के अन्य प्रभार	प्रोत्साहन / (अप्रोत्साहन)	आय कर	अन्य प्रभार (उत्पादन शुल्क–उप कर आदि)	अन्य प्रभारों का योग (करोड़ रूपये में)
2007–08 हेतु कुल (प्राक्कलित)	38.79	49.75	84.00	172.53
म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का अंशदान				
2007–08 (प्राक्कलित)	11.47	14.71	24.83	51.01

अन्तर्राज्यीय पारेषण लागतें

2.13 अन्तर्राज्यीय पारेषण लागतें माह सितम्बर 2005 से अगस्त 2006 के वास्तविक देयकों के आधार पर प्राक्कलित की गई हैं। इस अवधि हेतु, कुल देयक राशि क्षेत्र हेतु रू.110.14 करोड़ आती है तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्तीय वर्ष 08 हेतु इसी राशि को अपनाया गया है। लघु–अवधि विद्युत पारेषण पर छूटें, आदि को प्राक्कलित नहीं किया गया है क्योंकि इनकी प्रवृत्ति के निश्शक्त (इन्फर्म) होने की संभावना है।

तालिका 7 : वित्तीय वर्ष 08 हेतु अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार

माह/करोड़ रूपये में	पश्चिमी क्षेत्र	पूर्वी क्षेत्र	पश्चिमी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र/ एकीकृत भार प्रेषण केन्द्र	अन्तर्राज्यीय पश्चिमी–पूर्वी क्षेत्र	अन्तर्राज्यीय पश्चिमी–दक्षिणी क्षेत्र	अन्तर्राज्यीय पश्चिमी–उत्तरी क्षेत्र	योग
सितम्बर 05	8.37	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	9.27
अक्टूबर 05	8.70	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	9.53
नवम्बर 05	8.56	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	9.35
दिसम्बर 05	8.63	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	9.12
जनवरी 06	8.46	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	8.69
फरवरी 06	8.46	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	8.68
मार्च 06	9.09	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	9.31
अप्रैल 06	9.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	9.24
मई 06	9.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	9.46
जून 06	9.22	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	9.47
जुलाई 06	7.80	0.25	0.00	0.24	0.14	0.73	9.15
अगस्त 06	7.71	0.25	0.00	0.29	0.08	0.54	8.87
योग	**103.24**	**4.88**	**0.00**	**0.53**	**0.22**	**1.27**	**110.14**
पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का अंशदान	**30.52**	**1.44**	**0.00**	**0.16**	**0.06**	**0.37**	**32.56**

गुण–दोष क्रमानुसार प्रेषण (मेरिट आर्डर डिस्पैच)

2.14 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मसिक आधार पर गुण–दोष क्रमानुसार प्रेषण के अनुसरण को विभिन्न स्त्रोतों की परिवर्तनशील लागतों के आधार पर मासिक उपलब्धता के साथ मासिक ऊर्जा की आवश्यकता के साथ मिलान कर अपनाया गया है। अनुज्ञप्तिधारी ने निवेदन किया है कि जबकि लागतों का मासिक अवधारण लागत के वार्षिक उपलब्धता पर उन्नत प्राक्कलन प्रदान करना है, परन्तु, दैनिक शीर्ष आवश्यकताऐं तथा वास्तविक तथा प्राक्कलन मध्य अन्तर के आधार पर वास्तविक लागत आगे टल जावेगी। अनुज्ञप्तिधारी ने आगे निवेदन किया है कि अन्तरों को नियमित आधार पर प्रस्तावित लागत समायोजन सूत्र (फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट–एफसीए फार्मूला) के अनुसार अन्तरित कर दिया जावेगा जो कि राष्ट्रीय टैरिफ नीति के उपबंधों कंडिका 5.3 (ज) (4) तथा कंडिका 8.2.1 (1) के अनुरूप है:

''विगत लागतों के बोझ से भावी उपभोक्ताओं को बचाने के लिये अनियंत्रण योग लागतों को तेजी से वसूल किया जाना चाहिए। अनियंत्रण योग लागतों (सीमित नहीं) में शामिल है–ईंधन लागत, मुद्रा स्फिति के कारण लागत, कर एवं उपकर विपरीत प्राकृतिक घटनाओं के मामले में हाइड्रो–थर्मल मिश्रण समेत विद्युत क्रय यूनिट लागतों में भिन्नता''

एवं

''सभी विद्युत क्रय लागतों को वैध समझा जाना आवश्यक है जब तक कि यह स्थापित न कर दिया जाये कि मेरिट आदेश सिद्धांत का उल्लंघन किया गया है और अनुचित दरों पर विद्युत का क्रय किया गया है।''

2.15 अनुज्ञप्तिधारी ने दावा किया है कि विद्युत ऊर्जा की मासिक आवश्यकता अनुज्ञप्तिधारी के स्वयं द्वारा किये गये आकलन तथा अन्य वितरण कंपनियों की आवश्यकताओं के संभावित प्राक्कलन पर आधारित है। अनुज्ञप्तिधारी का कथन है कि केवल आयोग के पास ही समस्त वितरण कंपनियों द्वारा नियोजित की गई कुल विद्युत ऊर्जा की आवश्यकताओं की जानकारी उपलब्ध है।

वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तावित की गई, ऊर्जा आवश्यकता

तालिका 8 : वित्तीय वर्ष 08 हेतु कुल विद्युत शक्ति की आवश्यकता तथा विद्युत ऊर्जा की औसत लागत

सरल क्रमांक	विवरण		मिलियन यूनिट में	वित्तीय वर्ष 08	
				राशि	रूपये प्रति किलोवाट
1	केन्द्रीय क्षेत्र	कोरबा	958.6	89.8	**0.94**
2		विंध्याचल–I	915.8	139.2	**1.52**
3		विंध्याचल– II	702.7	116.5	**1.66**
4		कवास	12.1	24.3	**20.06**
5		गंधार	96.7	43.8	**4.53**
6		केएपीपी	138.1	28.6	**2.07**
7		टीएपीपीएस3 तथा 4	317.0	61.9	**1.95**
8		विंध्याचल III (यूनिट– I)	338.7	83.1	**2.46**
9		सीपत	51.9	32.3	**6.23**
10		**योग**	**3531.5**	**619.5**	**1.75**
11	**पूर्वी क्षेत्र**	**फरक्का+तालचेर+कहलगांव I + कहलगांव– II**	**246.3**	**44.91**	**1.82**
12	**द्विपक्षीय क्रय**	**जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर**	**105.23**	**5.52**	**0.52**
13	अन्य स्रोत	एनएचडीसी (इन्दिरा सागर)	798.22	81.6	**1.02**
14		संयुक्त उपक्रम – सरदार सरोवर	502.52	47.9	**0.95**
15		कैप्टिव विद्युत संयंत्र / पवन ऊर्जा			
16		लघु–अवधि क्रय	60.86	21.30	**3.50**
17		नवीन जल विद्युत स्टेशन (मढ़ीखेड़ा तथा बाणसागर–IV, ओंकारेश्वर)	399.85	33.85	**0.85**
18		**योग**	**1,761,45**	**184.65**	**1.05**
19	लघु अवधि विक्रय (घटायें)				
20	**शुद्ध विद्युत क्रय**		**5,644.45**	**854.55**	**1.51**
21	पारेषण प्रभार	स्थाई प्रभार		32.56	
22		कर			
23		**योग**			
24	उप–योग				
25	**एमपी जनको**		**4846.18**	**821.56**	**1.70**
26	**कुल विद्युत क्रय**		**10,490.63**	**1,708. 67**	**1.6288**

2.16 तालिका क्रमांक 4 तथा 8 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता तथा उसकी आवश्यकता में 1225.37 (11,716–10,491) यूनिटों का अन्तर है। यद्यपि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दायर याचिका में इस अन्तर के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दर्शाया गया है परन्तु बाद में की गई प्रस्तुतियों में, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दर्शाया गया है कि इस अधिक विद्युत ऊर्जा का एक भाग राज्य के बाहर विद्युत व्यापार, में उपयोग किया जावेगा जिससे कि उसे रूपये 76 करोड़ की आय होना संभावित है।

2.17 पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु क्रय लागत की गणना रू.1.6288 प्रति यूनिट की गई है।

आयोग का विश्लेषण

विक्रय के पूर्वानुमान

2.18 आयोग इस तथ्य को स्वीकार करता है कि भारी संख्या में बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं का मीटरीकरण किया जाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है तथा इसे केवल क्रमिक रूप से अंजाम दिया जा सकता है। आयोग द्वारा तीनों वितरण कंपनियों के अध्यक्ष सह–प्रबंध संचालकों के साथ दिनांक 23, फरवरी 2007 को एक बैठक आयोजित की गई तथा गहन विचार–विमर्श उपरांत बिना मीटर वाले घरेलू श्रेणी उपभोक्ताओं के संयोजनों को मीटरीकृत किये जाने वाली समय–सारणी को पुनरीक्षित किये जाने तथा वितरण ट्रांसफार्मरों का मीटरीकरण, बिना मीटर वाली कृषि संबंधी विद्युत खपत को निर्धारित किये जाने हेतु निर्णय लिया गया। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मार्गदर्शिका प्रदान कर दी गई है। निर्धारित किये गये लक्ष्यों के अनुसार, घरेलू श्रेणी के समस्त बिना मीटर वाले संयोजनों को माह मार्च, 2010 तक मीटरीकृत कर दिया जावेगा। इसके अतिरिक्त, अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा यह भी वचन दिया गया है कि अधिकांश कृषि उपभोक्ताओं को जिनकी संख्या लगभग 46262 है को पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी हेतु, विद्युत प्रदाय को वर्ष 2009 तक, एक एशियन डेवलपमेंट बैंक कार्यक्रम की सहायता से मीटरीकृत कर दिया जावेगा। आयोग द्वारा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है तथा समस्त हितधारकों (स्टेकहोल्डर) के विचारों की प्राप्ति के उपरांत 100 प्रतिशत मीटरीकरण की उपलब्धि हेतु नवीन समयबद्ध कार्यक्रम अधिसूचित किया जावेगा। तथापि, वित्तीय वर्ष 08 हेतु, आयोग द्वारा इस तथ्य पर विचार किया गया है कि बिना–मीटर विद्युत का विक्रय किया जावेगा तथा इस हेतु उसके द्वारा इन श्रेणियों की खपत के आकलन को मान्य कर लिया गया है।

2.19 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा घरेलू तथा कृषि श्रेणियों हेतु बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं की प्राक्कलित खपत के संबंध में, प्रस्तुतियों के आधार पर, आयोग निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान करता है :

(ए) घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं की बिलिंग 77 यूनिट प्रति उपभोक्ता प्रति माह के आधार पर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 38 यूनिट प्रति उपभोक्ता प्रति माह के आधार पर की जावेगी ;

(बी) विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं की बिलिंग स्थाई संयोजनों हेतु 100 यूनिट प्रति अश्वशक्ति के स्वीकृत भार प्रति माह तथा अस्थाई संयोजन हेतु 130 यूनिट प्रति अश्वशक्ति के स्वीकृत भार प्रति माह के आधार पर की जावेगी ; तथा

(सी) शहरी क्षेत्रों में बिना मीटर वाले कृषि उपभोक्ताओं की बिलिंग स्थाई संयोजनों हेतु 130 यूनिट प्रति अश्वशक्ति के स्वीकृत भार प्रति माह तथा अस्थाई संयोजनों हेतु 150 यूनिट प्रति अश्वशक्ति के स्वीकृत भार प्रति माह के आधार पर की जावेगी।

2.20 इसके अतिरिक्त, आयोग द्वारा समस्त मीटरीकृत किये गये विक्रय के पूर्वानुमानों का अवलोकन किया गया तथा पूर्व की प्रवृत्तियों के साथ इनकी तुलना की गई। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुतियों के समर्थन में विभिन्न श्रेणियों के विक्रय पूर्वानुमानों के संबंध में आयोग ने टीप की है कि उसके विचार में की गई अवधारणाएं युक्तियुक्त है। यहां पर यह भी संज्ञान किया जाना चाहिए कि वर्ष 2007–08 में मध्यप्रदेश राज्य को उपलब्ध विद्युत की मात्रा, विद्यमान विद्युत उत्पादन तथा नियोजित क्षमता की अभिवृद्धि को सम्मिलित कर, अनुज्ञप्तिधारियों की विक्रय आवश्यकताओं की आपूर्ति से काफी अधिक हैं। अतः, आयोग का विचार है कि अनुज्ञप्तिधारी के विक्रय पूर्वानुमानों में कटौती किया जाना उपयुक्त न होगा। विद्युत की उपलब्ध मात्रा, पारेषण तथा वितरण हानियों पर विचार करते हुए भी, उपभोक्ताओं के समस्त पूर्वानुमानों की आवश्यकताओं को आपूर्ति पर विचार किये जाने के उपरांत भी पर्याप्त होगी। अतएव, आयोग अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दायर किये गये विक्रय पूर्वानुमानों को स्वीकार करता है।

2.21 धारा 61 के अंतर्गत आयोग द्वारा जारी वितरण तथा खुदरा विद्युत प्रदाय टैरिफ अवधारण संबंधी विनियमों के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विचाराधीन वर्ष के दौरान विक्रय की गई वास्तविक विद्युत की मात्रा को मानदण्डीय हानियों हेतु समेकित किया जावेगा ताकि ऐसे वर्ष में अनुज्ञेय विद्युत क्रय की मात्रा की गणना की जा सके।

ऊर्जा संतुलन तथा विद्युत क्रय

2.22 राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 07 से वित्तीय वर्ष 11 की अवधि हेतु वितरण हानियों के वार्षिक लक्ष्य प्रकाशित किये जा चुके हैं जिन्हें कि निम्न तालिका में दर्शाया गया है। आयोग द्वारा अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत आवश्यकता की गणना मध्यप्रदेश शासन के वितरण हानियों संबंधी आदेश दिनांक 28 दिसम्बर 2006 के आधार पर की गई है। अतः आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 की अवधि बाबत पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी हेतु वितरण हानि 32.5 प्रतिशत मानी गई है।

तालिका 9 : मध्यप्रदेश शासन के पत्र दिनांक 28 दिसम्बर 2006 के अनुसार वितरण हानियां (प्रतिशत में)

वर्ष	पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी
वित्तीय वर्ष 2006–07	34.5%
वित्तीय वर्ष 2007–08	32.5%
वित्तीय वर्ष 2008–09	29.5%
वित्तीय वर्ष 2009–10	26.5%
वित्तीय वर्ष 2010–11	23.5%

2.23 अंर्तराज्यीय पारेषण हानियों की गणना पिछले 52 सप्ताह की अनुसूचित हानियों की गतिशील औसतों के आधार पर की गई है। वित्तीय वर्ष 08 हेतु इन हानियों की गणना निम्न तालिका के अनुसार की गई है :

तालिका 10 : माहवार अन्तर्राज्यीय पारेषण हानियां (प्रतिशत में)

माह	पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी
अप्रैल	5.0%
मई	4.9%
जून	5.0%

जुलाई	5.3%
अगस्त	5.5%
सितम्बर	5.1%
अक्टूबर	5.2%
नवम्बर	5.1%
दिसम्बर	5.1%
जनवरी	5.1%
फरवरी	5.1%
मार्च	5.2%

2.24 आयोग द्वारा पारेषण बहुवर्षीय टैरिफ आदेशानुसार राज्यान्तरिक (इंटर–स्टेट) पारेषण हानियां 4.9 प्रतिशत मानी गई हैं।

2.25 मध्यप्रदेश शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 08 हेतु निर्धारित हानि के लक्ष्यों के अनुसार ऊर्जा संतुलन की स्थिति निम्न तालिका में प्रस्तुत की गई है :

तालिका 11 : वित्तीय वर्ष 08 हेतु ऊर्जा संतुलन

सरल क्रमांक	विवरण	पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी
1	कुल विद्युत ऊर्जा का विक्रय (मिलियन यूनिट में)	6598
2	वितरण हानि (% में)	32.5%
3	पारेषण – वितरण अर्न्तमुख पर (मिलियन यूनिट में)	9775
4	मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कं लिमिटेड की पारेषण हानि (% में)	4.9 %
5	मध्यप्रदेश राज्य की सीमा पर	10278
6	बाह्य हानियां (मिलियन यूनिट में)	206
7	**शुद्ध ऊर्जा की आवश्यकता (मिलियन यूनिट में)**	**10484**

2.26 आयोग द्वारा मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक 1929/एफआरएस/14/XIII/ 2001 दिनांक 14, मार्च, 2007 के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी की आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु तथा ट्रेडको नवीन स्टेशनों से आवंटित की गई क्षमताओं बाबत भी विद्यमान स्टेशनों से विद्युत ऊर्जा के आवंटन पर विचार किया गया है। आयोग द्वारा मध्यप्रदेश की अधिसूचना पर भी विचार किया गया है जिसमें कहा गया है कि विद्युत ऊर्जा के कमी वाले महीनों में, अनुज्ञप्तिधारियों को एमपी ट्रेडको से विद्युत क्रय करना होगा।

2.27 मध्यप्रदेश शासन की उपरोक्त उल्लेखित अधिसूचना के आधार पर आयोग द्वारा विचारित पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को किया गया स्टेशन–वार क्षमता का आवंटन निम्न तालिका के अनुसार दर्शाया गया है :

तालिका 12 : पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को स्टेशन–वार क्षमता आवंटन (प्रतिशत में)

पावर स्टेशन का नाम	पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी
एमपीपीजीसीएल–एसएच (स्टेट हॉयडल) : बरगी	22.06%
एमपीपीजीसीएल–आईएस (इन्टरस्टेट) : गांधीसागर	22.06%
एमपीपीजीसीएल–आईएस (इन्टरस्टेट) : पेंच	22.06%
एमपीपीजीसीएल–एसएच (स्टेट हॉयडल) : बिरसिंहपुर	22.06%
एमपीपीजीसीएल–एसएच (स्टेट हॉयडल) : बाणसागर काम्प्लेक्स	22.06%
एमपीपीजीसीएल–आईएस (इन्टरस्टेट) : राजघाट	22.06%
पूर्वी क्षेत्र : तालचेर एसटीपीएस (सुपर थर्मल पावर स्टेशन)	22.06%
सरदार सरोवर परियोजना	22.06%
पश्चिमी क्षेत्र : कोरबा एसटीपीएस (सुपर थर्मल पावर स्टेशन)	22.06%
संयुक्त उपक्रम : इंदिरा सागर (8 X 125 मेगावाट)	29.56%
एमपीजीसीएल–एसटी (सुपर थर्मल) : अमरकंटक काम्प्लेक्स	29.56%
पश्चिमी क्षेत्र : विंध्याचल एसटीपीएस (सुपर थर्मल पावर स्टेशन) – I	29.56%
एमपीजीएल–एसटी (स्टेट थर्मल) : संजय गांधी काम्प्लेक्स	29.56%
एमपीपीजीएल–एसटी (स्टेट थर्मल) : सतपुड़ा काम्पलेक्स (पावर हाऊस–II तथा III)	29.56%
एमपीपीजीएल–एसटी (स्टेट थर्मल) : सतपुड़ा पावर हाऊस क्रमांक–I (अंर्तराज्यीय)	29.56%
पूर्वी क्षेत्र. : फरक्का एसटीपीएस	38.79%
पश्चिमी क्षेत्र : विंध्याचल एसटीपीएस– II	38.79%
पश्चिमी क्षेत्र : विंध्याचल एसटीपीएस– III (यूनिट–I)	38.79%
पश्चिमी क्षेत्र : ककरापार एपीएस (एटामिक पावर स्टेशन)	38.79%
पश्चिमी क्षेत्र : गंधार जीपीपी (गैसबेस पावर प्लांट)	38.79%
पश्चिमी क्षेत्र : तारापुर एपीएस (एटामिक पावर स्टेशन)	38.79%
पूर्वी क्षेत्र : कहलगांव एसटीपीएस (सुपर थर्मल पावर स्टेशन)	38.79%
एमपीजीसीएल–एसएच (स्टेट हॉयडल) : मढ़ीखेड़ा	38.79%
पश्चिमी क्षेत्र : कवास जीपीपी (गैसबेस पावर प्लांट)	38.79%
भारित औसत	**29.56%**

2.28 यद्यपि मध्यप्रदेश शासन द्वारा राणाप्रताप एवं जवाहर सागर एचईपी (हॉयड्रो इलेक्ट्रिक पावर) के 135.5 मेगावाट का 29.56% पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को आवंटित किया गया है, आयोग ने इन स्टेशनों से उपलब्ध हो रही विद्युत ऊर्जा पर विचार नहीं किया है क्योंकि ये राजस्थान राज्य में स्थित हैं। इसी प्रकार, यद्यपि मध्यप्रदेश शासन द्वारा सतपुड़ा चरण–I के 187.5 मेगावाट का 29.56% पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को आवंटित किया गया है, आयोग द्वारा 312.5 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता की उपलब्धता पर विचार किया है क्योंकि परियोजना मध्यप्रदेश राज्य में स्थित है। इसी के कारण भारित (व्हेटेड) औसत आवंटन

मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना में दर्शाये गये 28.83% के स्थान पर 29.56% हो गया है। यह आयोग द्वारा पूर्व में मानी गयी स्थिति के अनुरूप ही है।

2.29 पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हेतु आवंटन का भारित औसत प्रत्येक स्टेशन से आवंटित तथा गैर–आवंटित अंशदान के अनुसार 29.56% है।

2.30 केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशन : वित्तीय वर्ष 08 हेतु, केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों से वार्षिक ऊर्जा उपलब्धता पर, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दायर की गई याचिकाओं के अनुसार विचार किया गया है।

2.31 एमपी जनको स्टेशन : जैसा कि पूर्व में उल्लेखित है, अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा एमपी जनको से विद्युत ऊर्जा की उपलब्धि वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु एमपी जनको द्वारा विद्युत उत्पादन के मासिक पूर्वानुमानों के आधार पर दर्शाई गई है।

2.32 आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 08 हेतु मासिक उपलब्धता तथा आवश्यकता के विश्लेषण के अभ्यास का कार्य हाथ में लिया गया। विश्लेषण के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी हेतु प्रत्येक माह में बचत अथवा घाटा प्रदर्शित हुआ है।

2.33 वित्तीय वर्ष 08 हेतु, अनुज्ञप्तिधारी की माहवार विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता तथा आवश्यकता निम्नानुसार दर्शाई गई है :

तालिका 13 : वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु माह–वार विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता एवं उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)

माह	पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी				
	उपलब्ध विद्युत की मात्रा	वितरण कंपनियों के मध्य व्यापार से उपलब्धि	विद्युत की आवश्यकता	वितरण कंपनियों के मध्य व्यापार से विक्रय	(घाटा)/बचत
	ए	बी	सी	डी	ई = (ए+बी)–(सी+डी)
अप्रैल	747.3	0.60	847.2	0	(99.30)
मई	764.2	10.80	829.8	0	(54.70)
जून	684.8	0	787.4	0	(102.60)
जुलाई	676.8	6.30	754.3	0	(71.10)
अगस्त	851.6	40.80	839.6	0	52.80
सितम्बर	860.6	0	798.3	0	62.30
अक्टूबर	962.4	0	914.2	0	48.10
नवम्बर	902.5	0	956.8	0	(54.30)
दिसम्बर	886.0	0	981.2	0	(95.10)
जनवरी	847.5	0	999.8	0	(152.30)
फरवरी	743.4	0	909.9	0	(166.50)
मार्च	782.6	0	865.8	0	(83.20)
योग	**9709.8**	**58.50**	**10484.2**	0	**(715.90)**

2.34 जैसा कि उपरोक्त दर्शाई गई तालिका से देखा जा सकता है अनुज्ञप्तिधारी को माह अप्रैल से जुलाई एवं माह नवम्बर से मार्च हेतु 879.10 मिलियन यूनिट की लघु–अवधि विद्युत की अध्याप्ति (प्रोक्यूरमेंट) करनी होगी तथा माह अगस्त से अक्टूबर तक उसे 163.2 मिलियन यूनिट विद्युत की बचत होगी। यह अध्याप्ति एमपी जनको से रू.1.84 प्रति किलोवाट आवर की औसत दर से निम्न दर्शाई गई तालिका में की गई गणना के अनुसार की जावेगी :

तालिका 14 : वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान एमपी ट्रेडको से लघु–अवधि विद्युत क्रय की दर

एमपी ट्रेडको के स्टेशन	मिलियन यूनिट	कुल लागत (करोड़ रूपये में)
सीपत	749.69	125.17
कहलगांव एसटीपीएस– II	699.28	145.59
बिरसिंहपुर	3267.65	653.30
अमरकंटक	686.21	150.29
ओंकारेश्वर	1200.00	114.48
विन्ध्याचल एसटीपीएस– III (यूनिट क्रमांक 2)	746.66	156.89
मढ़ीखेड़ा (यूनिट– III)	27.68	9.38
योग	**7377.16**	**1355.09**
औसत दर (रूपये प्रति यूनिट में)		**1.84**

2.35 चूंकि आयोग ने वित्तीय वर्ष हेतु राज्य में एक समान टैरिफ दर रखे जाने का निर्णय लिया है, अनुज्ञप्तिधारी के पास बची हुई आधिक्य विद्युत ऊर्जा प्रथमतः मध्यप्रदेश राज्य के अन्य अनुज्ञप्तिधारियों को प्रदान की जावेगी, जिनके पास उक्त माह में विद्युत की कमी होगी। आयोग निर्देश देता है कि राज्य के भीतर अन्य वितरण कंपनियों को आधिक्य ऊर्जा की विक्रय दर विद्युत की मासिक संकोषीय लागत (मन्थली पूल्ड कॉस्ट) निम्न तालिका में दर्शायेनुसार होनी चाहिए :

तालिका 15 : समुच्य वितरण कंपनियों हेतु विद्युत ऊर्जा की मासिक संकोषीय लागत

सरल क्रमांक	माह	मिलियन यूनिट *	करोड़ रूपये में **	रूपये प्रति किलोवाट आवर
1	अप्रैल	2728.0	459	1.68
2	मई	2647.9	461	1.74
3	जून	2556.6	434	1.70
4	जुलाई	2441.1	391	1.60
5	अगस्त	2964.6	352	1.19
6	सितम्बर	2957.2	378	1.28
7	अक्टूबर	3327.5	468	1.41
8	नवम्बर	3354.7	525	1.56
9	दिसम्बर	3368.6	541	1.61
10	जनवरी	3267.2	533	1.63

11	फरवरी	3003.7	494	1.64
12	मार्च	2869.9	475	1.65

* मिलियन यूनिटों में सम्मिलित हैं कुल उपलबध्ता तथा लद्यु अवधि विद्युत क्रय में से विद्युत वितरण कंपनियों के द्वारा परस्पर विद्युत व्यापार के माध्यम से विक्रित की गई ऊर्जा को घटाकर।

** करोड़ रूपये में सम्मिलित हैं स्थाई लागत, परिवर्तनीय लागत, पीजीसीआईएल (पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया) प्रभार, लद्यु अवधि विद्युत क्रय की लागत में से बाह्य विक्रय से प्राप्त राजस्व घटाकर।

2.36 अनुज्ञप्तिधारी के पास बची रहने वाली आधिक्य (एक्सैस) ऊर्जा जैसी कि यह मासिक उपलब्धता तथा आवश्यकता संबंधी उपरोक्त तालिका में देखी जा सकती है, राज्यान्तरिक व्यापार के उपरांत मासिक औसत विद्युत क्रय लागत की गणना अनुसार उन स्टेशनों हेतु जो कि चालू योग्यता क्रमानुसार (रनिंग मेरिट आर्डर) आती हो बाह्य व्यापार हेतु उपयोग की जा सकेगी। इस प्रकार पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हेतु स्वीकृत की गई दरें निम्न दर्शाई गई तालिका के अनुसार होंगीः

तालिका 16 : विद्युत आधिक्य (सरप्लस) वाले स्टेशनों की मासिक औसत लागत

सरल क्रमांक	माह	आधिक्य विद्युत ऊर्जा (मिलियन यूनिट में)	कुल लागत (करोड़ रूपये में)	रूपये प्रति किलोवाट आवर
1	अप्रैल	–	–	–
2	मई	–	–	–
3	जून	–	–	–
4	जुलाई	–	–	–
5	अगस्त	52.77	12.93	2.45
6	सितम्बर	62.32	14.51	2.33
7	अक्टूबर	48.12	11.81	2.45
8	नवम्बर	–	–	–
9	दिसम्बर	–	–	–
10	जनवरी	–	–	–
11	फरवरी	–	–	–
12	मार्च	–	–	–

2.37 पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हेतु, वित्तीय वर्ष 2007–08 में माह अगस्त, सितम्बर तथा अक्टूबर, के दौरान, आधिक्य विद्युत ऊर्जा के कारण विक्रय राज्यान्तरिक व्यापार के अंतर्गत, 163.20 मिलियन यूनिट आंका गया है। आधिक्य विद्युत ऊर्जा के विक्रय से होने वाली आय को वितरण अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत क्रय लागत के साथ समायोजित किया जावेगा।

2.38 वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राक्कलित तथा आयोग द्वारा प्राक्कलित स्टेशन–वार विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता निम्न तालिका में दर्शाई गई है :

तालिका 17 : वित्तीय वर्ष 08 के दौरान पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की स्टेशन–वार विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)

सरल क्रमांक	वित्तीय वर्ष 08		
	स्टेशनों के नाम	विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रस्तावित	जैसा कि इन्हें आयोग द्वारा प्राक्कलित किया गया है
1	केन्द्रीय क्षेत्र (पश्चिमी क्षेत्र)	3755	3876
2	केन्द्रीय क्षेत्र (पूर्वी क्षेत्र)	257	131
3	द्विपक्षीय क्रय	449	164

4	एनएचडीसी (इन्दिरा सागर)	798	798
5	सरदार सरोवर	503	375
6	ओंकारेश्वर (एचपीएस)	355	0
7	नवीन जल – विद्युत स्टेशन	45	0
8	एमपी जनको	5554	4365
9	**योग**	**11716**	**9710**

2.39 केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशन (पश्चिमी क्षेत्र) : मध्य प्रदेश शासन की अधिसूचना के अनुसार, विभेदक आवंटन (डिफरेंशियल एलोकेशन) के कारण अनुज्ञप्तिधारी को उपलब्ध अंशदान में वृद्धि हुई है।

2.40 केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशन (पूर्वी क्षेत्र) : अनुज्ञप्तिधारी ने उसके द्वारा दायर की गई याचिका के अंतर्गत कहलगांव (चरण–II) पर विचार किया है। मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना के अनुसार इस स्टेशन की क्षमता अब एमपी ट्रेडको के पास है।

2.41 द्विपक्षीय विद्युत क्रय : द्विपक्षीय विद्युत क्रय से घटी हुई मात्रा पुनरीक्षित क्षमता आवंटन के कारण है तथा आयोग द्वारा राणाप्रताप सागर, जवाहर सागर, दामोदर वैली कार्पोरेशन (डीवीसी) तथा लैंको की क्षमता को, पूर्व में दर्शाये गये परिच्छेदों में दी गई व्याख्या के अनुसार नहीं माना गया है।

2.42 ओंकारेश्वर एचपीएस : मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना के अनुसार इस स्टेशन की क्षमता एमपी ट्रेडको के पास है।

2.43 एमपी जनको : मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना के अनुसार पुनरीक्षित क्षमता आवंटन के कारण उपलब्धता में परिवर्तन हुआ है।

विद्युत क्रय लागतें

केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशन – पश्चिमी क्षेत्र

2.44 पश्चिमी क्षेत्र में एनटीपीसी के स्टेशन (कोरबा, वीएसटीपीएस–I, वीएसटीपीएस–II, वीएसटीपीएस–III, (यूनिट–I), कवास तथा गन्धार) : जैसा कि पूर्व में कहा गया है, विद्यमान स्टेशनों से ऊर्जा की उपलब्धता पर अनुज्ञप्तिधारियों, द्वारा की गई प्रस्तुति के अनुसार विचार किया गया है। आयोग ने भी इन स्टेशनों बाबत स्थाई तथा परिवर्तनीय लागत को केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के इन स्टेशनों बाबत इनकी स्थाई तथा परिवर्तनीय लागतों के सत्यापन उपरांत इन्हें अनुमोदित कर दिया है। वे स्टेशन जिनके लिये केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग का अन्तिम आदेश उपलध नहीं है, वहां पर अनुज्ञप्तिधारी के माह जुलाई 2006 के बिल पर आधारित याचिका पर विचार किया गया है। केएपीपी तथा टीएपीपीएस 3 तथा 4 हेतु, एकल भाग टैरिफ दर का भुगतान देय होगा तथा प्रावधिक टैरिफ दरों पर भारत शासन, अणुशक्ति विभाग के माह अक्टूबर 2006 में जारी की गई अधिसूचना के अनुसार विचार किया गया है।

2.45 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा केन्द्रीय स्टेशनों हेतु मध्यप्रदेश राज्य को अंशदान का आवंटन एनटीपीसी के देयकों के अनुसार दर्शाया गया था। आयोग द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के अंशदान के आवंटन तथा परिणामस्वरूप पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी के अंशदान को, शासन द्वारा दिनांक 14 मार्च 2007 को जारी अधिसूचना के अनुसार माना गया है।

तालिका 18 : वित्तीय वर्ष 08 हेतु शासन की अधिसूचना के अनुसार केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों से मध्यप्रदेश राज्य एवं पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को विद्युत का आवंटन

सरल क्रमांक	पश्चिमी क्षेत्र (केन्द्रीय विद्युत स्टेशन–सीजीएस)	स्थापित क्षमता	राज्य का अंशदान (प्रतिशत में)	उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)	स्थाई लागत (करोड़ रूपये में)	अंशदान (प्रतिशत में)	पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हेतु	
							उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)	स्थाई लागत (करोड़ रूपये में)
1	केटीपीएस	2100	21.38	3242	86	22.06	715	18.96
2	वीएसटीपीएस–I	1260	33.34	3097	98.2	29.56	916	29.03
3	वीएसटीपीएस–II	1000	30.12	2377	135.3	38.79	922	52.47
4	वीएसटीपीएस–III (यूनिट– I)	500	22.9	746.7	85	38.79	290	32.97
5	केजीपीएस	656.2	24.16	282.4	59	38.79	110	22.70
6	जीजीपीएस	657.4	20.64	842	76	38.79	327	29.65
7	केएपीपी	440	23.99	467	0.00	38.79	181	0.00
8	टीएपीपी (3 तथा 4)	540	18.64	1072	0.00	38.79	416	0.00

2.46 ईंधन लागत समायोजन (फ्यूल प्राईस एडजस्टमेंट–एफपीए) प्रभारों की गणना इन स्टेशनों हेतु माह अक्टूबर 2006 के देयक के आधार पर की गई है। अन्य प्रभारों की गणना, प्रोत्साहन तथा करों को सम्मिलित कर, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों को किये गये माह अप्रैल 06 से अक्टूबर 06 की अवधि के वास्तविक बिलों के भुगतान की आनुपातिक दरों के अनुसार की गई है।

2.47 अनुज्ञेय किये गये परिवर्तनीय तथा अन्य प्रभार निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं :

तालिका 19 : पश्चिमी क्षेत्र में केन्द्रीय विद्युत स्टेशन (सीजीएस) हेतु अनुज्ञेय किये गये प्रभार

पश्चिमी क्षेत्र (सीजीएस)	वित्तीय वर्ष 08			
	परिवर्तनीय (रू/किलोवाट आवर)	ईंधन लागत समायोजन (एफपीए) प्रभार (रू/किलोवाट आवर)	अन्य प्रभार (रू/किलोवाट आवर)	कुल प्रभार (करोड़ रूपये में) *
केटीपीएस	0.50	0.15	0.11	73.75
वीएसटीपीएस–I	0.80	0.23	0.26	147.34
वीएसटीपीएस– II	0.78	0.22	0.18	160.53
वीएसटीपीएस–III (यूनिट– I)	0.87	0	0.01	58.24
केजीपीएस	1.09	2.86	0.12	67.29
जीजीपीएस	1.11	0.43	0.01	80.38
केएपीपी	2.04	0.0	0.01	37.21
टीएपीपी (3 तथा 4)	2.65	0.0	0.00	110.51
योग				**735**

* इनमें स्थाई प्रभार सम्मिलित हैं।

केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशन–पूर्वी क्षेत्र

2.48 पूर्वी क्षेत्र में स्थित संयंत्रों की अनुज्ञेय, लागतों के अवधारण हेतु पश्चिमी क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों हेतु अनुसरण किये जा रहे सिद्धांत को यहां पर भी अपनाया जा रहा है। जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, इन संयंत्रों में अंशदान के संबंध में शासन की अधिसूचना दिनांक 14 मार्च, 2007 के अनुसार विचार किया गया है।

तालिका 20 : शासकीय अधिसूचना के अनुसार केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशनों से मध्यप्रदेश राज्य को आवंटन

							पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	
स.कं	पूर्वी क्षेत्र सीजीएस	स्थापित क्षमता (मेगा वाट में)	राज्य का अंशदान (प्रतिशत में)	उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)	स्थाई लागतें (करोड़ रूपये में)	अंशदान (प्रतिशत में)	उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)	स्थाई लागत (करोड़ रूपये में)
1	फरक्का	1600	1.01	184.08	5.16	38.79	71	2.00
2	तालचेर	100	1.01	128.1	4.03	22.06	28	0.89
3	कहलगांव	840	2.84	80.7	9	38.79	31	3.43
4	**योग**						**131**	**6.32**

2.49 अनुज्ञेय किये गये परिवर्तनीय तथा अन्य प्रभार निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं :

तालिका 21 : पूर्वी क्षेत्र में केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों (सीजीएस) हेतु अनुज्ञेय किये गये प्रभार

वित्तीय वर्ष 08				
पूर्वी क्षेत्र (सीजीएस)	परिवर्तनीय (रूपये प्रति किलोवाट आवर में)	ईंधन समायोजन प्रभार (एफपीएए) (रूपये/किलोवाट आवर में)	अन्य प्रभार (रूपये प्रति किलोवाट आवर में)	कुल प्रभार (करोड़ रूपये में) *
फरक्का	1.04	0.35	0.01	12.03
तालचेर	0.44	0.21	0.00	2.73
कहलगांव	1.15	0.43	0.00	8.36
योग				**23**

* उपरोक्त तालिका में उपरोक्त उल्लेख किये गये अनुसार स्थाई प्रभार भी सम्मिलित हैं।

इन्दिरा सागर (एनएचडीसी) तथा सरदार सरोवर परियोजनाएं

2.50 वित्तीय वर्ष 07 हेतु, आयोग द्वारा केवल केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के आदेश दिनांक 1. 5.2004 द्वारा इन्दिरा सागर हेतु अनुमोदित वार्षिक स्थाई प्रभारों पर ही विचार किया गया। केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग ने उसके आदेश द्वारा स्थाई वार्षिक प्रभार सात मशीनों हेतु रू. 241.41 करोड़ अनुमोदित किये। जैसे ही आठों मशीनें संचालित कर दी गईं, आयोग द्वारा स्थाई लागत में मूल्यांकित लागत में आगे आनुपातिक दर से 10 प्रतिशत की अभिवृद्धि अनुज्ञेय की गई। इस प्रकार, आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 07 हेतु, वार्षिक स्थाई प्रभारों हेतु, रूपये 300 करोड़ की राशि अनुज्ञेय की गई।

2.51 अनुज्ञप्तिधारी ने उसके द्वारा प्रस्तुत याचिका में वित्तीय वर्ष 08 हेतु इन्दिरा सागर परियोजना के लिये रू.275.88 करोड़ की मोटी दर (फ्लैट रेट) प्रस्तुत की है। तथापि, आयोग द्वारा स्टेशन हेतु भुगतान योग्य प्रभारों के सत्यापन बाबत वर्ष 2006 में भुगतान किये गये वास्तविक देयकों का विश्लेषण किया गया। इस वर्ष, माह अक्टूबर तक वास्तविक रूप से किये गये वार्षिक स्थाई प्रभार का भुगतान वित्तीय वर्ष 07 हेतु अनुज्ञेय की गई राशि से काफी कम पाया गया है। अतः आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 08 हेतु वार्षिक प्रभारों का पुनरीक्षण वित्तीय वर्ष 07 में देयकों के भुगतान के आधार पर क्षमता प्रभार की आनुपातिक दर के अनुसार तथा वित्तीय वर्ष 07 हेतु माह अक्टूबर 06 तक अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा वास्तविक रूप से भुगतान किये गये परिवर्तनीय प्रभार के आधार पर कर दिया गया है।

2.52 इस परियोजना की रूपांकित विद्युत ऊर्जा वित्तीय वर्ष 08 हेतु 2700 मिलियन यूनिट अनुमोदित की गई है। स्थाई लागत की गणना रूपये 191.70 करोड़ के रूप में की गई है तथा परिवर्तनीय प्रभार की गणना पश्चिमी क्षेत्र की न्यूनतम परिवर्तनीय लागत पर रूपये 0.49/ किलोवाट आवर की दर से की गई है जो कि सीपत पावर हाऊस क्रमांक 2 के अनुरूप है। वे माह जबकि सीपत पावर हाऊस क्रमांक 2 उपलब्ध न हो, परिवर्तनीय लागत अगली न्यूनतम परिवर्तनीय लागत के अनुसार मानी गई है, जो कि कोरबा की दर रूपये 0.50 पैसे के अनुरूप है।

2.53 मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल द्वारा सरदार सरोवर जल विद्युत परियोजना हेतु रू.2.00 प्रति यूनिट की प्रावधिक दर को माना गया है। यह दर मध्यप्रदेश शासन द्वारा उसके पत्र दिनांक 30 नवम्बर 2005 द्वारा निर्धारित की गई प्रावधिक दर के अनुरूप है। विद्युत अधिनियम की धारा 62 (1) के अनुसार केवल समुचित आयोग को ही एक विद्युत उत्पादक कंपनी द्वारा वितरण कंपनी को प्रदाय की जा रही विद्युत के दर के अवधारण का अधिकार है। इसके अतिरिक्त, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 64 (5) के अनुसार राज्य आयोग जो अनुज्ञप्तिधारी के संबंध में क्षेत्राधिकार रखता हो तथा जो कि विद्युत के वितरण तथा भुगतान करने का इच्छुक हो, केवल उत्पादन टैरिफ के अवधारण हेतु अधिकृत है।

2.54 वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत की गई उसकी याचिका में सरदार सरोवर जल विद्युत स्टेशन हेतु विद्युत क्रय लागत की गणना रू. 0.95/किलोवाट आवर की गई है। वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मानी गई विद्युत क्रय लागत आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु आयोग द्वारा जारी किये गये टैरिफ आदेश में मानी गई लागत के अनुसार है। आयोग अनुज्ञप्तिधारी द्वारा की गई अवधारणा को सही मानता है, तथापि, आयोग प्रावधिक दर में रू.0.08 पैसे/किलोवाट की अभिवृद्धि प्रचालन तथा संधारण लागत में संभावित वृद्धि के कारण अनुज्ञेय कर रहा है। यहां पर यह उल्लेख किया जाना प्रासंगिक होगा कि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा एक याचिका रूपये 2.00 प्रति किलोवाट ऑवर के प्रावधिक अवधारण किये जाने बाबत दायर की है। वित्तीय वर्ष 08 हेतु इस परियोजना की रूपांकित विद्युत ऊर्जा की मात्रा 1700 मिलियन यूनिट अनुमोदित की गई है। स्थाई लागत की गणना रू. 91.79 करोड़ तथा पश्चिमी क्षेत्र की न्यूनतम परिवर्तनीय लागत के अनुसार परिवर्तनीय प्रभारों की गणना प्रति किलोवाट आवर रू. 0.49 के रूप में की गई है, जो कि सीपत चरण–II की है। वे माह, जबकि सीपत से विद्युत उपलब्ध नहीं है, परिवर्तनीय लागत आगामी परिवर्तनीय लागत मानी गई है, जो कि कोरबा की दर रू.0.50 के अनुरूप है।

2.55 यद्यपि सरदार सरोवर परियोजना हेतु टैरिफ दर निर्धारण की याचिका पूर्व में दायर की जा चुकी है, आयोग द्वारा इस संबंध में दर निर्धारण किया जाना शेष है। आयोग, इस संबंध में सुनवाई प्रक्रिया के समाप्त होने पर एक उपयुक्त दर पर विचार करेगा।

तालिका 22 : इन्दिरा सागर तथा सरदार सरोवर परियोजना हेतु अनुज्ञेय की गई लागत

सरल क्रमांक	अन्य स्त्रोत	वित्तीय वर्ष 08		
		उपलब्धता	स्थाई लागत (करोड़ रूपये में)	कुल प्रभार (करोड़ रूपये में)
1	इन्दिरा सागर	2700	191.70	324
2	सरदार सरोवर	1700	91.79	175.1

अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार

2.56 मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) को भुगतान किये जाने वाले प्रभार, पश्चिमी तथा पूर्वी क्षेत्र की पारेषण प्रणाली हेतु प्रभारों का मिश्र है। विद्यमान स्टेशनों हेतु अन्तर्राज्यीयपारेषण लागत हेतु प्राक्कलन पर विचार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रयोग की गई विधि के अनुसार किया गया है जो कि माह सितम्बर2005 से माह अगस्त 2006 तक के पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्र के वास्तविक देयकों पर आधारित है।

2.57 आयोग द्वारा विन्ध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन [वीएसटीपीएस–III (यूनिट–I)] हेतु प्रभारों की गणना पश्चिमी क्षेत्र के विद्यमान स्टेशनों हेतु, पीजीसीआईएल को प्रति मेगावाट किये गये प्रभारों के भुगतान के आधार पर की गई है। तदोपरांत नवीन स्टेशन हेतु प्रति मेगावाट लागत आवंटित क्षमता को लागू की गई, जिससे कि प्रभारों की राशि की प्राप्ति की गई।

तालिका 23 : वित्तीय वर्ष 08 हेतु अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार

माह/करोड़ रूपये में	पश्चिमी क्षेत्र	पूर्वी क्षेत्र	पश्चिमी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र/ एकीकृत (यूनिफाईट) भार प्रेषण केन्द्र	अर्न्तक्षेत्रीय (पश्चिमी –पूर्वी क्षेत्र)	अर्न्तक्षेत्रीय (पश्चिमी –दक्षिणी क्षेत्र)	अर्न्तक्षेत्रीय (पश्चिमी –उत्तरी क्षेत्र)	योग
सितम्बर–05	8.37	0.9	0	0	0	0	**9.27**
अक्टूबर–05	8.7	0.83	0	0	0	0	**9.53**
नवम्बर–05	8.56	0.78	0	0	0	0	**9.35**
दिसम्बर–05	8.63	0.49	0	0	0	0	**9.12**
जनवरी–06	8.46	0.23	0	0	0	0	**8.69**
फरवरी–06	8.46	0.22	0	0	0	0	**8.68**
मार्च–06	9.09	0.22	0	0	0	0	**9.31**
अप्रैल–06	9	0.24	0	0	0	0	**9.24**
मई–06	9.23	0.23	0	0	0	0	**9.46**
जून–06	9.22	0.25	0	0	0	0	**9.47**
जुलाई–06	7.8	0.25	0	0.24	0.14	0.73	**9.15**

अगस्त–06	7.71	0.25	0	0.29	0.08	0.54	**8.87**
योग	**103.24**	**4.88**	**0**	**0.53**	**0.22**	**1.27**	**110.14**
वित्तीय वर्ष 08							
विद्यमान क्षमता (मेगावाट में) (म. प्र.राज्य अंशदान)	1,771.2	50.0					
विद्यमान स्टेशनो से कुल प्रभार (करोड़ रूपये में)	104.73	5.41					**110.14**
लागत प्रति मेगावाट (करोड़ रूपये में)	0.059	0.11					
वीएसटीपीएस–III (यूनिट–I) से प्राप्त अतिरिक्त क्षमता	114.3						
नवीन स्टेशनों से प्राप्त प्रभार (करोड़ रूपये में)	6.80	0					**6.80**
कुल पारेषण प्रभार (करोड़ रूपये में)							**116.94**
पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का अंशदान (करोड़ रूपये में)							**34.56**

2.58 वित्तीय वर्ष 08 हेतु अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार हेतु करों पर विचार वित्तीय वर्ष 07 के टैरिफ आदेश के अनुसार, अर्थात्, रू. 2.35 करोड़ किया गया है। इसमें पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी का अंशदान रूपये 0.69 करोड़ है।

2.59 उपरोक्त की गई चर्चा के आधार पर, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को अनुज्ञेय की गई विद्युत क्रय की लागत निम्न तालिका में दर्शाई गई है :

तालिका 24 : वित्तीय वर्ष 08 के विद्युत क्रय व्ययों हेतु आयोग का प्राक्कलन

(राशि करोड़ रूपये में) वित्तीय वर्ष 08

सरल क्रमांक	विवरण		मिलियन यूनिट में	राशि	रू. प्रति किलोवाट आवर
1	केन्द्रीय सेक्टर पश्चिमी क्षेत्र	कोरबा	715.40	73.75	**103**
2		विंध्याचल–I	915.76	147.34	**1.61**
3		विंध्याचल– II	921.96	160.53	**1.74**
4		कवास	109.56	67.29	**6.14**
5		गंधार	326.77	80.38	**2.46**
6		केएपीपी	181.16	37.21	**2.05**
7		टीएपीएस 3 तथा 4	415.91	110.51	**2.66**
8		विंध्याचल–III (यूनिट–I)	289.63	58.24	**2.01**

9		**योग**	**3876**	**735**	**1.90**
10	पूर्वी क्षेत्र	फरक्का+तालचेर+कहलगांव–I + कहलगांव–II	131	23	**1.77**
11	द्विपक्षीय क्रय	राजस्थान राज्य विद्युत मंडल / अन्य	164	7	**0.42**
12	अन्य स्त्रोत	एनएचडीसी (इन्दिरा सागर)	798	96	**1.20**
13		संयुक्त उपक्रम–सरदार सरोवर	375	39	**1.03**
14		कैप्टिव विद्युत संयंत्र / पवन ऊर्जा	शून्य	0	**0**
15		**योग**	**1173**	**134**	**1.15**
16	एमपी जनको		4365	685	**1.57**
17	वितरण कंपनी–आन्तरिक विद्युत क्रय		**58.51**	**7.84**	**1.34**
18	लद्यु अवधि क्रय (एमपी ट्रेडको)		**879.14**	**161.49**	**1.84**
19	वितरण कंपनी आन्तरिक विक्रय (घटायें)		**0**	**0**	**0**
20	बाह्य विक्रय (घटायें)		**163.21**	**39.26**	**2.41**
21	**शुद्ध विद्युत क्रय**		**10484**	**1714.70**	**1.64**
22	पारेषण प्रभार	स्थाई प्रभार		34.56	
23		कर		0.69	
24		**योग**		**35.25**	**–**
25	**कुल विद्युत क्रय ***		**10484**	**1749.95**	**1.669**

*इसमें पीजीसीआईएल की हानियों की मात्रा 205.96 मिलियन यूनिट सम्मिलित है।

नेट वर्क की लागतें

2.60 निम्न भागों में, आयोग द्वारा अनुज्ञप्तिधारी की पूंजीगत व्यय योजनाओं, परिसम्पत्तियों का प्रस्तावित पूंजीकरण, अवमूल्यन का पूर्वानुमान, ब्याज तथा वित्त प्रभारों एवं पूंजी पर प्रतिलाभ (रिटर्न ऑन इक्विटी) का विश्लेषण किया गया है। वित्तीय वर्ष 08 हेतु पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की इन लागतों बाबत प्रस्तुतियों पर आयोग का निर्णय निम्न परिच्छेदों में दर्शाया गया है।

पूंजीगत व्यय योजनाएं तथा परिसम्पत्तियों का पूंजीकरण

अनुज्ञप्तिधारी की प्रस्तुति

2.61 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग को प्रस्तुत पांच–वर्षीय निवेश योजना, कतिपय सुधारों के साथ अपनाई गई है।

2.62 याचिका के अनुसार प्रस्तुत पुनरीक्षित निवेश योजना की संक्षेपिका निम्नानुसार प्रस्तुत है :

तालिका 25 : प्रस्तुत की गई निवेश योजना

(राशि करोड़ रूपये में)

योजना	वित्तीय वर्ष 07	वित्तीय वर्ष 08
नार्मल डेवलपमेंट (एनडी)	0	0
जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोआपरेशन (जेबीआईसी)	21.95	29.80
सब ट्रांसमिशन (नार्मल) – एसटी (एन)	15	10
पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट (पीएसआई)	9.05	19.38
एक्सेलेरेटेड पावर डेवलपमेंट एण्ड रिफार्म प्रोग्राम (एपीडीआरपी)	45	0
एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी	74.81	0
राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)	93.96	406.98
प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई)	11.69	0
पवर फायनेंस कार्पोरेशन (पीएफसी)–वितरण ट्रांसफार्मर मीटरिंग	13.65	31.85
एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) प्रस्तावित	0	197.02
एन्टरप्राईस रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) परियोजना	0	11.7
नवीन संयोजन (निक्षेप)–न्यू कनेक्शन (डिपाजिट)	7	8.05
योग (आरजीवीवाई) को जोड़कर	**292.11**	**714.83**

2.63 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निवेदन किया गया है कि निवेश योजना जिसे आयोग द्वारा अनुमोदित व्यवसाय योजना के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किया गया है, में कतिपय सुधार किये गये हैं। ये मुख्यतः निम्नानुसार हैं :

- प्रस्तावित नवीन एडीबी योजना का चरणबद्ध पुनरीक्षण एशियन डेवलपमेंट बैंक को प्रस्तुत किये गये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों पर आधारित है।

- राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में पूंजी निवेशों का चरणबद्ध पुनरीक्षण, विभिन्न वृत्त–स्तर की योजनाओं के अनुमोदन की अद्यतन स्थिति पर आधारित है।

- नवीन संयोजनों हेतु, पूंजीगत व्यय को सम्मिलित किया जाना जिनका वित्तीय पोषण उपभोक्ता के योगदान से हुआ है।

- वित्तीय वर्ष 08 (डीएफआईडी के माध्यम से) से प्रस्तावित इंटरप्राईसेज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) योजना को सम्मिलित किया जाना, जिसमें वित्त पोषण का दायित्व अनुज्ञप्तिधारी की प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस), बिलिंग तथा लेखांकन प्रक्रियाओं में दक्षता–वृद्धि हेतु संभाला जाता है।

- वित्तीय वर्ष 07 तथा 08 हेतु, एक्सेलेरेटिड पावर डेवलपमेंट एण्ड रिफार्म प्रोग्राम (एपीडीआरपी) योजना के अंतर्गत प्रस्तावित निवेश का पुनरीक्षण किया जाना क्योंकि वर्ष 2006–07 के बाद इस योजना को चालू रखे जाने पर निर्णय भारत सरकार से अभी तक प्रतीक्षित है।

पूंजीकरण योजना

2.64 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निवेदन किया गया है कि उसे मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना दिनांक 31 मई, 2005 द्वारा जारी प्रावधिक प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र के आधार पर उत्तराधिकार में रूपये 551.35 करोड़ के निर्माणाधीन मुख्य कार्य (सीडब्लूआईपी) प्राप्त हुये हैं। वित्तीय वर्ष 06 में प्रावधिक लेखे के अनुसार, निर्माणाधीन मुख्य कार्यों में रू. 55.82 करोड़ की अभिवृद्धि हुई है। तथापि, रू. 55.82 करोड़ के निर्माणाधीन मुख्य कार्यों के विवरण प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। प्रक्षेपित अवधि हेतु, पूंजीकरण को निम्नानुसार माना गया है :

(ए) प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र के रूप में राशि प्रावधिक रू. 551.35 करोड़ के प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र में से रू.300 करोड़ की राशि वित्तीय वर्ष 08 तक पूंजीकृत की गई प्राक्कलित की गई है।

(बी) प्रत्येक वर्ष में नवीन पूंजीनिवेश, 1:1 के अनुपात में दो वर्षों की अवधि में पूंजीकृत हो जाना माने गये हैं।

(सी) जबकि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत प्रस्तावित पूंजीनिवेश, निवेश योजना में किये गये के अंतर्गत होना बताये गये हैं, परिसम्पत्तियां तथा तत्संबंधी दायित्व बहुवर्षीय टैरिफ प्रक्षेपित राशियों हेतु माने गये हैं। योजना की निबंधन तथा शर्तों के अनुसार, परिसम्पत्तियां तथा दायित्व राज्य शासन के स्वामित्व में रहेगें।

(डी) व्ययों का पूंजीकरण वार्षिक कर्मचारी तथा प्रशासनिक एवं सामान्य व्ययों का 8 प्रतिशत माना गया है।

2.65 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा याचिका में यह दावा भी किया गया है कि वित्तीय वर्ष 08 के दौरान प्रणाली में निम्नलिखित अभिवृद्धियां/विस्तार किये जावेगें।

तालिका 26 : नेटवर्क का भौतिक विवरण

विवरण	वित्तीय वर्ष 06	वित्तीय वर्ष 07	वित्तीय वर्ष 08
33 केवी लाईन (सर्किट किलोमीटर में)	117	1881	627
11 केवी लाईन (सर्किट किलोमीटर में)	272	4122	11589
निम्न दाब लाईन (सर्किट किलोमीटर में)	170	1139	6999
33/11 केवी उपकेन्द्र (संख्या)	33	0	0
पावर ट्रांसफार्मर – संख्या/एमवीए	33/104	175/525	43/145
वितरण ट्रांसफार्मर–संख्या/एमवीए	1905/237	6200/238	20379/450

पूंजीगत व्यय तथा पूंजीकरण के संबंध में आयोग का विश्लेषण

2.66 आयोग द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा पूंजीगत व्यय के संबंध में मार्गदर्शन हेतु दिशा–निर्देश ***"Guide lines for Capital Expenditure by the Licensses in MP"*** में विनिर्दिष्ट किये गये हैं। संक्षेप में, दिशा–निदेर्शों में, अनुज्ञप्तिधारियों से आयोग को पांच–वर्षीय व्यवसाय योजना पांच वर्षीय अवधि को दृष्टिगत करते हुए, नियोजित की गई, समस्त निवेश योजनाओं

के भौतिक तथा वित्तीय वितरण दर्शाते हुए, प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा की गई है। अधिसूचित दिशा–निर्देशों के अर्न्तगत, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग के समक्ष वित्तीय वर्ष 07 से वित्तीय वर्ष 11 की पांच वर्षीय अवधि तक चलने वाली एक व्यवसाय, योजना प्रस्तुत की है जिसे आयोग द्वारा पत्र क्रमांक 2178 दिनांक 31.08.06 द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। निम्न तालिका अनुज्ञप्तिधारी की निवेश योजना दर्शाती है जिसे कि आयोग द्वारा व्यवसाय योजना के एक भाग के रूप में अनुमोदित किया गया है :

तालिका 27 : अनुज्ञप्तिधारी की व्यवसाय योजना के अन्तर्गत अनुमोदित निवेश योजना

राशि करोड़ रूपये में

योजना	वित्तीय वर्ष 07	वित्तीय वर्ष 08	वित्तीय वर्ष 09	वित्तीय वर्ष 10	वित्तीय वर्ष 11
एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी)	74.81	150.74	186.76	140.00	112.00
एक्सेलेरेटे पावर डेवलपमेंट रिफार्म प्रोग्राम (एपीडीआरपी)	75.20	18.80	0	0	0
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी)	9.05	19.38	0	0	0
जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोआपरेशन (जेबीआईसी)	21.95	29.80	0	0	0
राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)	70.00	310.00	280.00	220.00	0
प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई) /न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एमएनपी)	11.69	0	0	0	0
सब ट्रांसमिशन (नार्मल)–एसटी (एन)	23.00	14.90	22.03	14.08	0
पावर फायनेंस कार्पोरेशन (पीएफसी)	13.65	31.85	0	0	0
योग	**299.35**	**575.47**	**488.79**	**374.08**	**112.00**

2.67 आयोग द्वारा प्रावधिक रूप से अनुमोदित की गई पंचवर्षीय योजना के अतिरिक्त, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–2012 की अवधि हेतु निवेश की एक अतिरिक्त परियोजना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जिसकी, परियोजना लागत **रू. 838.37 करोड़ रूपये, कंपनी द्वारा प्रस्तुत रू.594.30 करोड़ की पांच–वर्षीय योजना को सम्मिलित करते हुए,** जिसे आयोग द्वारा प्रावधिक रूप से अनुमोदित किया जा चुका है। इस प्रकार, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने रू.244.07 करोड़ की अतिरिक्त राशि का अनुमोदन चाहा है। अतिरिक्त प्रस्ताव हेतु, वित्तीय व्यवस्था को एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) से संयोजित किया जाना प्रस्तावित किया गया है तथा एडीबी ने परियोजना को परियोजना की लागत के 70 प्रतिशत तक के वित्तीय निवेश किये जाने की सहमति दी है। शेष 30 प्रतिशत की आपूर्ति पावर फायनेंस कार्पोरेशन (पीएफसी) अथवा अन्य किसी वित्तीय संस्था द्वारा प्रति–निवेश द्वारा की जावेगी।

2.68 जैसा कि उपरोक्त से स्पष्ट है, अनुमोदित निवेश योजना तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा टैरिफ याचिका में दायर की गई योजना में निम्न भिन्नताएं विद्यमान हैं :

तालिका 28 : अनुमोदित व्यवसाय योजना तथा दायर की गई निवेश योजना में भिन्नताएं

राशि करोड़ रूपये में

योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 07		वित्तीय वर्ष 08	
	याचिका में दायर किये गये अनुसार	व्यवसाय योजना के अनुसार अनुमोदित	याचिका में दायर किये गये अनुसार	व्यवसाय योजना के अनुसार अनुमोदित
सब ट्रांसमिशन (नार्मल)– एसटी (एन)	15	23	10	14.90
नार्मल डेवलपमेंट (एनडी)	0	0	0	0
एक्सेलेरेटे पावर डेवलपमेंट रिफार्म प्रोग्राम (एपीडीआरपी)	45	75.20	0	18.80
एशियन डेवलपेंट बैंक (एडीबी)	74.81	4.80	0	0
जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोआपरेशन (जेबीआईसी)	21.95	21.95	29.80	29.80
राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)	93.96	70	406.98	310.00
एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी)–II	0	0	197.02	197.02
पावर फायनेंस कार्पोरेशन–वितरण ट्रांसफार्मर मीटरिंग (पीएफसी–डीटी आर–मीटरिंग)	13.65	13.65	31.85	31.85
नवीन संयोजन निक्षेप (न्यू कनेक्शन डिपाजिट)	7	0	8.05	0
पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट (पीएसआई)	9.05	0	19.38	0
प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई)	11.69	11.69	0	0
एन्टरप्राईसेस रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) प्रोजेक्ट	0	0	11.75	0
योग–आरजीजीवीआई को छोड़कर (करोड़ रूपये में)	**198.15**	**150.29**	**307.85**	**292.37**

2.69 जैसा कि उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसकी याचिका में वित्तीय वर्ष 07 में एपीडीआरपी तथा एसटी (एन) योजनाओं के अंतर्गत व्यवसाय योजना में अनुमोदित किये गये प्रावधानों की तुलना में निम्न पूंजी निवेश प्रक्षेपित किये गये हैं जो स्वीकार योग्य हैं क्योंकि अनुज्ञप्तिधारी इन योजनाओं के सम्पादन की क्षमता को सुनिश्चित करने हेतु बेहतर स्थिति में है। नवीन संयोजनों में ई.आर.पी. तथा पीएसआई योजनाओं के अंतर्गत अधिक निवेश प्रस्तावित किया गया है जिसका प्रावधान व्यवसाय योजना में नहीं किया गया है तथा पूंजीगत व्यय संबंधी निर्देशों के अनुसार ऐसे अतिरिक्त निवेश के कोई भी विवरण प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अनुज्ञप्तिधारी के लिये यह बाध्यकारी है कि वह पूंजीगत व्यय संबंधी निर्देशों (केपैक्स गाइडलाईन्स) की अर्हता अनुसार ऐसी समस्त योजनाओं के विवरण प्रस्तुत करे जिन्हें कि व्यवसाय योजना में अनुमोदित नहीं किया गया है।

2.70 आयोग अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पूंजी निवेश को निर्बन्धित करने की मंशा नहीं रखता है, अतः अनुज्ञप्तिधारी को उसकी निवेश योजना के अनुसार निवेश करने की अनुमति प्रदान करता है। अनुज्ञप्तिधारी वित्तीय वर्ष 08 के दौरान नवीन योजनाएं प्रारंभ करने के लिये स्वतंत्र होगा जिनका अभी तक प्रावधान नहीं किया गया है, बशर्ते वह आयोग की केपैक्स गाईडलाईंस की अर्हतानुसार योजना हेतु आयोग का अनुमोदन प्राप्त करे।

2.71 वित्तीय वर्ष 08 हेतु, समग्र राजस्व आवश्यकता के अवधारण के संबंध में पूंजीगत निवेश की भूमिका उन्हीं कार्यों तक सीमित होगी जिन्हें वित्तीय वर्ष 07 तथा वित्तीय वर्ष 08 में पूर्ण कर प्रारंभ (कमीशन) किये जाने की योजना है। वित्तीय वर्ष 05–06 के अन्त की स्थिति में सकल

स्थाई परिसम्पत्तियां, अनुज्ञप्तिधारी के अंकेक्षित लेखे से प्राप्त की जा सकती है जिसमें कि वित्तीय वर्ष 07 में आगे किया गया पूंजीकरण जुड़ जावेगा वित्तीय वर्ष 07 तथा 08 हेतु अवमूल्यन तथा ब्याज प्रभार पूंजीकरण की सीमा के अनुसार प्रभावित होते हैं। अतः वित्तीय वर्ष 06–07 के दौरान अनुज्ञप्तिधारी के मुख्य कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु उसके अभी तक के प्रदर्शन पर विचार किया जाना आवश्यक है। इसे निम्न तालिका में प्रस्तुत किया गया है :

तालिका 29 : वित्तीय वर्ष 06–07 में मुख्य कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु अनुज्ञप्तिधारी की प्रगति

योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 07 जैसा कि व्यवसाय योजना में अनुमोदित किया गया	अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्तीय वर्ष 07 के दौरान दिनांक 30.9.2006 तक की प्रतिवेदित प्रगति
सब ट्रांसमिशन (नार्मल) – एसटी (एन)	23.00	8.4
नार्मल डेवलपमेंट (एनडी)	0	
एक्सेलेरेटे पावर डेवलपमेंट एण्ड रिफार्म प्रोग्राम (एपीडीआरपी)	75.20	10.16
एशियन डेवलपेंट बैंक (एडीबी)	4.80	18.33
जापान बैंक फॉर इन्टरनेशनल कोआपरेशन (जेबीआईसी)	21.95	
राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)	70.00	
प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना/न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (पीएमजीवाई/एमएनपी)	–	0.86
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी)	–	1.63
हाई वोल्टेज डिस्ट्रब्यूशन सिस्टम (एचवीडीएस)	–	3.6
योग	**194.95**	**42.98**

2.72 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रारंभिक 6 माह की अवधि में वित्तीय प्रगति लगभग 22% है। वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उक्त अविध बाबत निष्पादित प्रगति, प्रक्षेपित संख्या की तुलना में, निम्न तालिका में दर्शाई गई है :

तालिका 30 : वित्तीय वर्ष 06–07 में मुख्य कार्यों को पूर्ण किये जाने के संबंध में भौतिक प्रगति

विवरण	वित्तीय वर्ष 07 में दायर की गई याचिका के अनुसार	दिनांक 31.10.3006 तक की प्रगति	प्रगति प्रतिशत में
33 केवी लाईन (सर्किट किलोमीटर में)	1881	161	8.54%
11 केवी लाईन (सर्किट किलोमीटर में)	4122	602	14.61%
निम्न दाब लाईन (सर्किट किलोमीटर में)	1139	2.6	0.23%
33/11 केवी उपकेन्द्र (संख्या)	0		
पावर ट्रांसफार्मर – संख्या/एमवीए	175/525	35/एमवीए क्षमता पृथक से प्रस्तुत नहीं की गई	20%
वितरण ट्रांसफार्मर–संख्या/एमवीए	6200/238	936/एमवीए क्षमता पृथक से प्रस्तुत नहीं की गई	15.10%
कुल ट्रांसफार्मेशन क्षमता (एमवीए में)	**763**	**50.85**	**6.66%**

2.73 उपरोक्त दर्शाई गई प्रगति की अद्यतन स्थिति स्पष्ट दर्शाती है कि अनुज्ञप्तिधारी आयोग द्वारा अनुमोदित वित्तीय वर्ष 07 हेतु व्यावसायिक योजना के भाग के रूप में पूंजीगत व्यय के संबंध में उल्लेखनीय रूप से पीछे रह गया है। यदि शेष बचे 5 माह हेतु, विद्यमान प्रगति की आनुपातिक गणना भी कर दी जावे, फिर भी उपलब्धियां लक्ष्यों से काफी कम रहेंगी। इसके अतिरिक्त, अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक कार्य के संबंध में वास्तविक कार्य पूर्ण किये जाने संबंधी प्रतिवेदन (कम्पलीशन रिपोर्ट) उपरोक्त दर्शाई गई प्रगति को प्रमाणित करने में असमर्थ रहा है। अतः यह स्पष्ट नहीं है कि वित्तीय वर्ष 07 में अब तक पूर्ण किये गये कार्यों को निर्माणाधीन मुख्य कार्यों से स्थाई परिसम्पत्तियों में अन्तरित किया गया है अथवा नहीं।

2.74 वित्तीय वर्ष 06 हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग को प्रदाय किये अंकेक्षित लेखे वित्तीय वर्ष 06 के अंत में सकल स्थाई परिसम्पत्तियों का मूल्य रू.1288.05 करोड़ दर्शाते हैं जबकि दिनांक 31 मई 05 को अधिसूचित आय–व्यय विवरण–पत्र के अनुसार सकल स्थाई परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन केवल रूपये 1252.00 करोड़ दर्शाया गया है। अतः 01 जून 05 से 31 मार्च 06 के दस माह के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्ति में केवल रू.36.05 करोड़ की वृद्धि दर्ज हुई है। वित्तीय वर्ष 07 हेतु तथा आगे वित्तीय वर्ष 08 हेतु संभावित पूंजीकरण की राशि के अवधारण के प्रयोजन हेतु, आयोग ने अनुज्ञप्तिधारी से वित्तीय वर्ष 06 हेतु बजट में प्रावधान किये पूंजीकरण के बारे में जानकारी चाही गई थी परन्तु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसे आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया है।

2.75 वित्तीय वर्ष 06 के दौरान प्रदत्त अल्प पूंजीकरण दर तथा वित्तीय वर्ष 07 के दौरान लक्ष्यों के विरूद्ध अल्प प्रगति को दृष्टिगत रखते हुए, आयोग का विचार है कि उपभोक्ता के हित में वित्तीय वर्ष 07 तथा वित्तीय वर्ष 08 में सकल स्थाई परिसम्पत्तियों में किसी वृद्धि पर, वित्तीय वर्ष 08 के टैरिफ अवधारण हेतु, विचार किया जाना उचित न होगा। अंकेक्षित लेख के समर्थन से, वित्तीय वर्ष 07 के दौरान वास्तविक वृद्धि, पर वित्तीय वर्ष 09 के टैरिफ अवधारण के समय विचार किया जावेगा। इससे अनुज्ञप्तिधारी को प्रोत्साहन प्राप्त होने की संभावना है जिससे लंबित मुख्य कार्यों को पूर्ण किये जाने, परियोजना के कार्य पूर्ण प्रतिवेदनों (कम्पलीशन रिपोर्ट) को संधारित करने तथा आयोग को इन्हें समयबद्ध रूप से इसकी प्रस्तुति सुनिश्चित करने में गति प्राप्त होगी।

2.76 आयोग इस बात पर जोर देने का इच्छुक है कि वह विद्युत वितरण क्षेत्र में सकेन्द्रित निवेश किये जाने हेतु, बहुत अधिक पक्ष में है। आयोग के मत में राज्य में विद्युत वितरण नेट वर्क में सुधार लाये जाने हेतु भारी पूंजी निवेश किये जाने की त्वरित आवश्यकता है। राष्ट्रीय विद्युत नीति के साथ–साथ राष्ट्रीय टैरिफ नीति में भी विद्युत वितरण नेटवर्क में प्राथमिकता के आधार पर पूंजी निवेश किये जाने की आवश्यकता प्रतिपादित की गई है। एशियन डेवलपमेंट बैंक तथा पावर फायनेंस कार्पोरेशन आदि से वित्तीय पोषित एक्सेलेरेटिड पावर डेवलपमेंट एण्ड रिफार्म प्रोग्राम (एपीडीआरपी) तथा अन्य योजनाओं के माध्यम से इस दिशा में बड़ी पहल की जा सकती है। दुर्भाग्य से, प्राथमिकता के आधार पर ध्यान प्राप्त किये जाने के बावजूद, वितरण कंपनी की इस संबंध में प्रगति काफी निराशाजनक रही है तथा योजनाओं का क्रियान्वयन निर्धारित समय में पूरा किये जाने के संबंध में पर्याप्त रूचि का अभाव प्रतीत होता है। जबकि यह स्थिति निरंतर उच्च वितरण हानियों की ओर अग्रसर हो रही है, इसी समय आयोग टैरिफ हेतु केवल उन्हीं निवेशों को अनुज्ञेय किये जाने बाबत ऐसा दृष्टिकोण अपनाये जाने हेतु विवश है जहां पर वितरण कंपनियों ने वास्तविक रूप से उनकी प्रस्तुतियों द्वारा इसका प्रदर्शन किया है। ऐसे समय में, सकल स्थाई परिसम्पत्तियां जैसी कि ये वित्तीय वर्ष 05–06 हेतु अनुज्ञप्तिधारी के अंकेक्षित लेखे में प्रतिबिंबित की गई है, ही आयोग के पास केवल अभिलेखित तथा सत्यापित जानकारी है जो कि अनुज्ञप्तिधारी के परिसम्पत्ति के आधार को प्रदर्शित करती है। अतः आयोग वित्तीय वर्ष 08 हेतु, अवमूल्यन तथा ब्याज प्रभार को जैसे कि वे वित्तीय वर्ष 05–06 के अंत में केवल सकल स्थाई सम्पत्ति पर हों, को अनुज्ञेय करेगा।

प्रचालन तथा संधारण लागतें

अनुज्ञप्तिधारी की प्रस्तुति

2.77 अनुज्ञप्तिधारी ने आयोग द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत वितरण खुदरा व्यापार के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत) विनियम, 2006 में विनिर्दिष्ट किये गये प्रचालन तथा संधारण व्ययों के संबंध में मानदण्डीय आधार पर अपना दावा प्रस्तुत किया है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रचालन एवं संधारण व्ययों के अवधारकों (Determinants) को वित्तीय वर्ष 07 तथा वित्तीय वर्ष 08 के अन्तिम शेष के औसत के रूप में माना है। वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुज्ञप्तिधारी का दावा निम्नानुसार है:

तालिका 31 : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत किये गये दावे के अनुसार प्रचालन तथा संधारण व्यय

	प्रचालन तथा संधारण प्रभार	**वित्तीय वर्ष 08**
ए	मीटरीकृत उपभोक्ता	2597594
	गुणांक (मल्टीप्लाईंग फेक्टर)–ए (लाख रूपये/'000 उपभोक्ता)	6.50
	प्रचालन एवं संधारण अनुसार प्रभार – ए (लाख रूपये में)	**16884.36**
बी	वर्ष के दौरान अतिरिक्त पूर्व–भुगतान (प्रिपेड) स्थापित किये जाने वाले मीटरों की संख्या	0.00
	गुणांक – बी (लाख रूपये प्रति मीटर)	**0.50**
	प्रचालन एवं संधारण प्रभार – बी (लाख रूपये में)	0.00
सी	मीटरीकृत विक्रय (मिलियन यूनिट में)	5867.44
	गुणाक – सी (लाख रूपये प्रति मिलियन यूनिट में)	2.35
	प्रचालन एवं संधारण प्रभार – सी (लाख रूपये में)	**13788.48**
डी	उच्च दाब नेटवर्क की लम्बाई (सर्किट किलोमीटर में)	76931
	गुणांक – डी (लाख रूपये/'00 सर्किट किलोमीटर में)	16.00
	प्रचालन एवं संधारण प्रभार – डी (लाख रूपये में)	**12308.92**
ई	**ट्रांसफार्मेशन क्षमता (एमवीए में)**	**3196**
	गुणाक – ई (लाख रूपये प्रति एमवीए)	1.53
	प्रचालन एवं संधारण प्रभार – ई (लाख रूपये में)	**4890.03**
***एफ**	**मदें जो सूत्रों के अन्तर्गत नहीं आतीं [अर्थात्, मप्रविनिआ अनुज्ञप्ति शुल्क (लायसेंस फी), टेक्स आदि (करोड़ रूपये में)]**	**61.17**
	दावा किये गये कुल प्रचालन एवं संधारण प्रभार (ए+बी+सी+डी+ई+एफ)	**539.89**

***** इस राशि में रूपये 60.71 करोड़ की टर्मिनल प्रसुविधाएं सम्मिलित हैं।

प्रचालन एवं संधारण लागत हेतु आयोग का विश्लेषण

2.78 परिसम्पत्ति पूंजीकरण बाबत भाग में, आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 08 के टैरिफ अवधारण हेतु, वित्तीय वर्ष 07 तथा वित्तीय वर्ष 08 के दौरान किसी परिसम्पत्ति को जोड़े जाने पर विचार न किये जाने के कारणों की व्याख्या की है। तथापि, अनुज्ञप्तिधारी को उसकी परिसम्पत्ति पूंजीकरण दर में सुधार लाये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है, परन्तु अनुज्ञप्तिधारी को इसके लाभ केवल आगामी टैरिफ वर्षों में सत्यापन याचिकाओं पर विचारोपरांत ही उपलब्ध कराये जावेंगे। आयोग इसे उपभोक्ताओं के सर्वश्रेष्ठ हितों में उचित मानता है क्योंकि इसके कारण उपभोक्ता को, परिसम्पत्ति आधार में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सर्वश्रेष्ठ अनुपालन किये जाने द्वारा, जिसकी कार्यान्वित होने या न होने की अनुज्ञेय सीमा तक संभावना है, भविष्य में की जाने वाली अभिवृद्धि हेतु टैरिफ दर के माध्यम से भुगतान न करना होगा। अतः, आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 08 हेतु मानदण्डीय प्रचालन तथा संधारण व्यय केवल उच्च दाब लाईनों के सर्किट किलोमीटर हेतु, तथा दिनांक 31 मार्च, 2006 की स्थिति में विद्यमान ट्रांसफार्मेशन क्षमता पर ही अवधारित किये हैं। ये आंकड़े अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग को प्रदान किये गये हैं।

2.79 पूर्व उल्लेख परिच्छेदों में चर्चित की गई आयोग की प्रक्रिया की अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्थापित की गई लाइनों तथा ट्रांसफार्मरों द्वारा और अधिक संपुष्टि होती है। इसे निम्न तालिका में प्रस्तुत किया गया है :

तालिका 32 : नेटवर्क परिसम्पत्तियों की स्थापना के संबंध में अनुज्ञप्तिधारी का पूर्व प्रदर्शन

विवरण	माह मार्च 03 की स्थिति में	वित्तीय वर्ष 03–04 के दौरान की गई अभिवृद्धि	वित्तीय वर्ष 04–05 के दौरान की गई अभिवृद्धि	वित्तीय वर्ष 05–06 के दौरान की गई अभिवृद्धि	वित्तीय वर्ष 06–07 के दौरान अभिवृद्धि का दावा	वित्तीय वर्ष 07–08 के दौरान अभिवृद्धि का दावा
33 केवी लाईन (सर्किट किलोमीटर में)	10753	114	220	117	1881	627
11 केवी लाईन (सर्किट किलोमीटर में)	57862	1228	362	272	4122	11589
पावर ट्रांसफार्मर–एमवीए क्षमता	2491	85	44	104	525	145

2.80 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वित्तीय वर्ष 07 तथा वित्तीय वर्ष 08 हेतु प्राक्कलित की गई लाईनों तथा ट्रांसफार्मेशन क्षमता में वृद्धि पूर्व वर्ष में इन्हें वास्तविक रूप से जोड़े गये के अनुरूप नहीं है। वास्तव में, वित्तीय वर्ष के दौरान अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कार्य पूर्ण किये जाने संबंधी प्रगति की प्रस्तुति से यह स्पष्ट है कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रक्षेपित किये गये आंकड़े काफी अधिक बढ़ा–चढ़ा कर अभिव्यक्त किये गये हैं। इसे निम्न तालिका में प्रस्तुत किया गया है :

तालिका 33 : वित्तीय वर्ष 06–07 में अनुज्ञप्तिधारी की नेटवर्क की परिसम्पत्तियों के सृजन संबंधी प्रगति

विवरण	वित्तीय वर्ष 07 में समग्र राजस्व आवश्यकता में दावा की गई नेटवर्क अभिवृद्धि	कंपनी द्वारा संचालित समस्त योजनाओं में दिनांक 31.10.2006 तक की वास्तविक प्रगति	प्रगति प्रतिशत में
33 केवी लाईन (सर्किट किलोमीटर में)	1881	161	8.54%
11 केवी लाईन (सर्किट किलोमीटर में)	4122	602	14.61%
पावर ट्रांसफार्मर एमवीए क्षमता	525	प्रस्तुत नहीं की गई	

2.81 मानदण्डीय प्रचालन तथा संधारण व्ययों के दो अन्य अवधारकों (determinants) यथा, मीटरीकृत उपभोक्ताओं तथा मीटरीकृत विक्रयों के संबंध में आयोग द्वारा सुसंगति संधारित किये जाने की दृष्टि से, वित्तीय वर्ष 08 के अवधारण हेतु समरूप मार्ग अपनाया है ; अर्थात्, ये मानदण्ड वित्तीय वर्ष 06 के अन्त के अनुरूप रखे गये हैं तथा वित्तीय वर्ष 07 एवं वित्तीय वर्ष 08 के दौरान प्रचालन एवं संधारण लागत के अवधारण के प्रयोजन से किसी प्रकार की वृद्धियों पर विचार नहीं किया गया है। ये आंकड़े अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग को भी प्रदान किये गये थे।

2.82 आयोग, तथापि, यहां पर यह जोर देना चाहता है कि यद्यपि वित्तीय वर्ष 08 की समग्र राजस्व आवश्यकता के अवधारण के प्रयोजन से, मानदण्डीय संचालन एवं संधारण व्ययों के अवधारक केवल वित्तीय वर्ष 06 के अन्त की भांति माने गये हैं, वित्तीय वर्ष 08 के अन्त में मानदण्डीय व्ययों की पुर्नगणना वित्तीय वर्ष 07 की वास्तविक अभिवृद्धियों के आधार पर की जावेगी। वित्तीय वर्ष 2007–08 के सत्यापन के समय समायोजन पर विचार किया जावेगा।

2.83 उपरोक्त तर्कों के आधार पर, आयोग द्वारा अनुज्ञेय किये गये मानदण्डीय प्रचालन तथा संधारण व्यय जिनकी वसूली वित्तीय वर्ष 08 हेतु टैरिफ दरों के माध्यम से किया जाना है, निम्नानुसार हैं :

तालिका 34 : आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुमोदित किये गये प्रचालन एवं संधारण व्यय

राशि करोड़ रूपये में

	प्रचालन तथा संधारण व्यय	वित्तीय वर्ष 08
ए	मीटरीकृत उपभोक्ता	1718458
	गुणांक (मल्टीप्लाईंग फेक्टर)–ए (लाख रूपये/'000 उपभोक्ता)	6.50
	प्रचालन एवं संधारण प्रभार – ए (लाख रूपये में)	**11169.98**
बी	मीटरीकृत विक्रय (मिलियन यूनिट में)	4147
	गुणांक – सी (लाख रूपये प्रति मिलियन यूनिट में)	2.35
	प्रचालन एवं संधारण – सी (लाख रूपये में)	**9745.45**
सी	उच्च दाब नेटवर्क की लम्बाई (सर्किट किलोमीटर में)	70928
	गुणांक – डी (लाख रूपये/'00 सर्किट किलोमीटर)	16.00
	प्रचालन एवं संधारण अनुसार प्रभार – डी (लाख रूपये में)	**11348.48**
डी	ट्रांसफार्मेशन क्षमता (एमवीए में)	2671
	गुणांक – ई (लाख रूपये/एमवीए में)	1.53
	प्रचालन एवं संधारण अनुसार प्रभार – ई (लाख रूपये /एमवीए में)	**4086.63**
ई	**मदें जो सूत्रों के अंतर्गत नहीं आती [अर्थात, मप्रविनिआ अनुज्ञप्ति शुल्क (लायसेंस फी), टैक्स आदि (करोड़ रूपये में)]**	**0.46**
	दावा किये गये कुल प्रचालन एवं संधारण प्रभार (ए+बी+सी+डी+ई+एफ)	**363.96**

2.84 आयोग के विनियमों में प्रावधान किया गया है कि टर्मिनल सुविधायें प्रचालन तथा संधारण व्ययों की मानदण्डीय राशि से अधिक प्रदान की जानी चाहिए। वर्तमान में, पेंशन न्यास के अभाव में मप्र शासन के आदेश दिनांक 31 मई, 2005 के अनुसार टर्मिनल प्रसुविधाओं के भुगतान द्वारा सम्पादित किया जा रहा है, अतः अनुज्ञप्तिधारी हेतु टर्मिनल प्रसुविधाओं के भुगतान कार्य एमपीपीटीसीएल द्वारा सम्पादित किया जा रहा है, अतः अनुज्ञप्तिधारी हेतु टर्मिनल प्रसुविधाओं के संबंध में किसी प्रकार का पृथक प्रावधान नहीं किया गया है।

अवमूल्यन

अनुज्ञप्तिधारी की प्रस्तुति :

2.85 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निवेदन किया गया है कि उसे रू.1251.521 करोड़ रूपये की सकल स्थाई परिसम्पत्तियां उत्तराधिकार में प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र (Opening Balance Sheet) के अनुसार प्राप्त हुई हैं जो कि मध्यप्रदेश शासन की किसी पश्चात्वर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तनीय हैं। उनके द्वारा यह भी दावा किया गया है कि वित्तीय वर्ष 06 में, सकल स्थाई परिसम्पत्तियों में रू.7.57 करोड़ के रूप में अभिवृद्धि हुई है तथा दिनांक 31 मार्च, 2006 की स्थिति में संचित अवमूल्यन की राशि प्रावधिक आय–व्यय विवरण–पत्र के अनुसार रू.842.20 करोड़ है।

2.86 अनुज्ञप्तिधारी के अनुसार, अवमूल्यन की गणना सकल स्थाई परिसम्पत्तियों की अवमूल्यन–योग्य परिसम्पत्तियों की प्रारंभिक शेष राशि पर अधिसूचित प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र के अनुसार की गई है। वह प्रतिशत, जिस हेतु प्रत्येक उप–श्रेणी में परिसम्पत्तियां अवमूल्यन योग्य हैं, की दिनांक 31 मई, 2005 की स्थिति में गणना की गई है तथा इसका प्राक्कलन मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल के वर्ष 1985–86 से वर्ष 2004–05 के वर्ष–वार परिसम्पत्ति वृद्धि आंकड़ों (Year wise asset addition data) के आधार पर किया गया है। इस प्रकार प्राप्त की गई अवमूल्यन योग्य परिसम्पत्तियों (प्रारंभिक शेष) के प्रतिशत निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं :

तालिका 35 : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दायर की गई अवमूल्यन योग्य परिसम्पत्तियों का प्रतिशत

परिसम्पत्ति वर्ग (क्लास)	वित्तीय वर्ष 07	वित्तीय वर्ष 08
भूमि तथा भूमि अधिकार	100%	100%
भवन तथा सिविल कार्य	100%	100%
द्रव्य संबंधी कार्य (हायड्रॉलिक वर्क्स)	100%	100%
अन्य सिविल कार्य	100%	100%
संयंत्र तथा मशीनरी :–		
ट्रांसफार्मर	*57%*	*65%*
बैटरियां	*80%*	*82%*
संसूचना उपकरण	*57%*	*57%*
अन्य	*57%*	*57%*
लाईनें तथा केबल नेटवर्क, आदि :		
मीटर	*42%*	*50%*
अन्य	*51%*	*59%*
वाहन	0%	23%
फर्नीचर तथा फिक्सचर्स	22%	32%
अन्य उपकरण	49%	59%
अन्य कोई मदें	100%	100%

इसके अतिरिक्त तत्पश्चात, प्रत्येक वर्ष के दौरान परिसम्पत्ति वृद्धि पर प्रत्येक ऐसे वर्ष में प्रक्षेपित (प्राजेक्टेड) पूंजीकरण, जैसा कि इसे इस आदेश के पूंजीगत व्यय संबंधी भाग में प्रस्तुत किया गया है के आधार पर अवमूल्यन की गणना की गई है। प्रत्येक वर्ष में, कुल प्रक्षेपित पूंजीकरण को अनुज्ञप्तिधारी के वित्तीय वर्ष 06 के अंकेक्षित लेखे के अनुसार श्रेणीवार विभाजन के आधार पर, तीन विभिन्न परिसम्पत्ति श्रेणियों में वितरित किया गया है। अवमूल्यन का दावा भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना एस.ओ.265 (ई) दिनांक 27 मार्च, 1994 के आधार पर किया गया है।

2.87 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा एक वर्ष हेतु अवमूल्यन का दावा सकल स्थाई सम्पत्तियो के प्रारंभिक शेष पर उक्त वर्ष हेतु किया गया है तथा उक्त वर्ष में जोड़ी गई परिसम्पत्तियों पर किसी अवमूल्यन का दावा नहीं किया गया है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्तीय वर्ष 07 तथा वित्तीय वर्ष 08 हेतु किये गये अवमूल्यन का दावा निम्नानुसार है :

तालिका 36 : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया गया अवमूल्यन का दावा

राशि करोड़ रूपये में

परिसम्पत्ति वर्ग (क्लास)	**वित्तीय वर्ष 07**	**वित्तीय वर्ष 08**
भूमि तथा भूमि अधिकार	0.00	0.00
भवन तथा सिविल कार्य	0.46	0.58
द्रव्य संबंधी कार्य (हायड्रॉलिक वर्क्स)	0.33	0.40
अन्य सिविल कार्य	0.08	0.10
संयंत्र तथा मशीनरी :–		
ट्रांसफार्मर	*0.00*	*0.00*
बैटरियां	*0.13*	*0.16*
संसूचना उपकरण	*0.00*	*0.12*
अन्य	*12.25*	*16.06*
लाईन तथा केबल नेटवर्क, आदि :		
मीटर	*13.28*	*19.59*
अन्य	*27.80*	*40.08*
वाहन	0.0	0.29
फर्नीचर तथा फिक्सचर्स	0.05	0.08
अन्य उपकरण	0.32	0.48
अन्य कोई मदें	0.00	0.00
योग	**54.69**	**77.94**

2.88 अनुज्ञप्तिधारी ने चक्रण (व्हीलिंग) तथा खुदरा विक्रय (रिटेल सेल) गतिविधियों हेतु पृथक–पृथक अवमूल्यन की गणना नहीं की है तथा केवल चक्रण व्यापार हेतु ही समस्त अवमूल्यन का दावा किया है।

अवमूल्यन के दावों के संबंध में आयोग का विश्लेषण :

2.89 आयोग ने अनुज्ञप्तिधारी के अवमूल्यन संबंधी दावों का विश्लेषण किया है तथा यह जान कर प्रसन्न है कि अनुज्ञप्तिधारी ने दिनांक 31.5.2005 की स्थिति में अवमूल्यन योग्य परिसम्पत्तियों के प्रारंभिक शेष के अवधारण हेतु विस्तृत विश्लेषण किया है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल के परिसम्पत्ति आधार में वर्ष–वार तथा श्रेणी–वार परिसम्पत्ति वृद्धि संबंधी आंकड़ों को आयोग के साथ बांटा गया है। तथापि, इसके साथ–साथ यह भी कि दिनांक 31. 5.2005 की स्थिति में, अवमूल्यन–योग्य तथा पूर्ण रूप से अवमूल्यित परिसम्पत्तियों, जैसा कि इनका मूल्यांकन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया गया है, अधिसूचित प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र के अनुसार संचित अवमूल्यन के साथ मेल नहीं खाता। यदि इस आंकड़े का प्रयोग किया जाता है तो वह प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र के साथ विसंगति दर्शायेगा।

2.90 वित्तीय वर्ष 06 हेतु, अनुज्ञप्तिधारी ने रू.7.57 करोड़ की परिसम्पत्ति वृद्धि का दावा किया है; तथापि, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत अंकेक्षित आय–व्यय विवरण–पत्र के अनुसार यह वृद्धि रू. 36.05 करोड़ की हुई है। लेखे भी पूंजीगत परिसम्पत्तियों के प्रति रू.3.56 करोड़ की राशि का उपभोक्ता योगदान दर्शाते हैं।

2.91 आयोग द्वारा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किये गये प्रक्षेपणों पर विचार न किये जाने हेतु काफी विस्तारपूर्वक इसका अध्ययन किया है तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि ये काफी अतिरंजित (Inflated) प्रतीत होते हैं तथा पूर्व की प्रवृत्ति के अनुरूप नहीं हैं। पूर्व में, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राप्त दोनों भौतिक तथा वित्तीय परिसम्पत्ति पूंजीकरण अत्यंत न्यून रहे हैं। वित्तीय वर्ष 07 हेतु भी, इनके सही होने की पूर्ण संभावना है। परिसम्पत्ति पूंजीकरण संबंधी विषय पर, इस आदेश के परिसम्पत्ति पूंजीकरण संबंधी भाग में काफी विस्तार से चर्चा की गई है। यदि वित्तीय वर्ष 08 के दौरान परिसम्पत्ति में वृद्धि के प्रक्षेपण हेतु इसी दर का प्रयोग किया जाता है तो यह वृद्धि पर्याप्त होने की संभावना नहीं है। परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 08 हेतु अवमूल्यन में वित्तीय वर्ष 06 हेतु प्राप्त किये गये अवमूल्यन से विशेष अन्तर होने की संभावना नहीं है। अतः वित्तीय वर्ष 08 हेतु, आयोग द्वारा अवमूल्यन की गणना दिनांक 31 मार्च, 2006 की स्थिति में विद्यमान परिसम्पत्तियों के अन्तिम शेष पर की है तथा किसी भी प्रकार की प्रक्षेपित परिसम्पत्ति वृद्धियों पर विचार नहीं किया गया है। आयोग अनुज्ञेय राशि का सत्यापन वित्तीय वर्ष 08 के अंकेक्षित आय–व्यय विवरण–पत्र के उपलब्ध होने पर करेगा बशर्ते वित्तीय वर्ष 07 तथा वित्तीय वर्ष 08 में परिसम्पत्तियों का पूंजीकरण आयोग द्वारा संरचित केपैक्स गाईड लाईन्स के अनुसार आयोग द्वारा अनुमोदित योजनाओं का एक भाग बने।

2.92 निम्न दर्शाई गई तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 'ट्रांसफार्मरों' के विरूद्ध कोई परिसम्पत्ति मूल्य नहीं दर्शाया गया है। इसे अनुज्ञप्तिधारी से चर्चा कर स्पष्ट कर लिया गया है तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निवेदन किया गया है कि परिसम्पत्ति वर्ग 'अन्य' में ट्रांसफार्मर भी सम्मिलित हैं तथा चूंकि 'ट्रांसफार्मरों' तथा 'अन्य' की एक समान अवमूल्यन दर है, अतः अवमूल्यन की गणना अप्रभावित रहेगी।

2.93 प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्ति तथा इसका विभिन्न परिसम्पत्ति वर्गों में विभाजन, जिस पर आयोग द्वारा अवमूल्यन की गणना के प्रयोजन से विचार किया गया है, निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 37 : दिनांक 31 मार्च, 2006 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्ति का विभिन्न परिसम्पत्ति वर्गो में विभाजन

(राशि करोड़ रूपये में)

परिसम्पत्ति वर्ग (क्लास)	**वित्तीय वर्ष 08**
भूमि तथा भूमि अधिकार	2.02
भवन तथा सिविल कार्य	15.35
द्रव्य संबंधी कार्य (हायड्रॉलिक वर्कस)	9.67
अन्य सिविल कार्य	2.75
संयंत्र तथा मशीनरी :–	
ट्रांसफार्मर	*0.00*
बैटरियां	*2.02*
संसूचना उपकरण	*2.61*
अन्य	*285.50*
लाईन तथा केबल नेटवर्क, आदि :	
मीटर	*251.67*
अन्य	*706.80*
वाहन	2.89
फर्नीचर तथा फिक्सचर्स	1.63
अन्य उपकरण	5.13
अन्य कोई मदें	0.00
योग	**1288.05**

2.94 धारा 61 के अंतर्गत आयोग के विनियम विनिर्दिष्ट करते हैं कि अवमूल्यन की गणना केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (केविनिआ) द्वारा अधिसूचित की गई दरों पर की जानी चाहिए। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्तीय वर्ष 07 हेतु प्रस्तुत उसकी याचिका में अवमूल्यन की गणना इन दरों के आधार पर की गई थी। तथापि उसके द्वारा प्रस्तुत की गई वर्तमान याचिका में, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्तीय वर्ष 07 से वित्तीय वर्ष 08 हेतु अवमूल्यन की गणना विद्युत मंत्रालय (MOP) दरों के आधार पर की थी तथा उसने आयोग को उसके द्वारा दावा की गई अवमूल्यन राशि अनुज्ञेय किये जाने का अनुरोध किया है। उच्चतर अवमूल्यन दरों संबंधी उसके दावे के अवलंबन की दृष्टि से (एमओपी दरें केविनिआ द्वारा अनुमोदित दरों से अधिक हैं), अनुज्ञप्तिधारी द्वारा राष्ट्रीय टैरिफ नीति की धारा 5.3 (सी) का हवाला दिया गया है जिसमें कहा गया है कि वितरण हेतु नियामकों का फोरम (Forum of Regulators) अवमूल्यन दरों को विकसित करेगा। इसके अतिरिक्त, नीति में यह भी कहा गया है कि अधिसूचित दरें दोनों टैरिफ तथा लेखांकन हेतु प्रयोज्य होंगी। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यह भी इंगित किया गया है कि आईसीएआई द्वारा जारी ए.एस–6 ''डेपरिसियेशन अकाऊंटिंग'' के अनुसार यदि अवमूल्यन की विधि में कोई परिवर्तन किया जाता है तो परिवर्तित वर्ष से भूतलक्षी प्रभाव से अवमूल्यन की गणना किया जाना आवश्यक होगा।

2.95 राष्ट्रीय टैरिफ नीति में अनुशंसा की गई है कि नियामकों के फोरम (एफओआर) द्वारा विद्युत वितरण व्यापार हेतु उपयुक्त अवमूल्यन दरों को विकसित किया जावेगा। इस संबंध में आयोग

फोरम ऑफ रेगुलेटर्स (एफओआर) द्वारा राज्य विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों को संबोधित उनके संदर्भ क्रं.1/20(6)–2006–टैरिफ पालिसी/सीईआरसी दिनांक 23 जून 2006 को उद्धरित करना चाहता है जिसमें कहा गया है कि अवमूल्यन दरें जैसी कि वे केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (केविनिआ) द्वारा अवधारित की गई हैं, विद्युत वितरण व्यापारों को भी लागू होंगी। अतः आयोग अनुज्ञप्तिधारी के दावे को अमान्य करता है। अवमूल्यन की गणना केविनिआ की दरों के अनुसार की गई है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 5 दिसम्बर 2005 की धारा 61 के अंतर्गत आयोग जारी किये गये तत्कालीन विनियमों में भी केविनिआ की दरों के अनुरूप दरें निर्धारित की गई थीं। अतएव, आयोग अनुज्ञप्तिधारी के दावे को स्वीकार नहीं कर सकता तथा उसके द्वारा अवमूल्यन की पुर्नगणना केविनिआ दरों के आधार पर की गई है।

2.96 आयोग द्वारा दिनांक 31 मई, 2005 को जारी अन्तरण योजना के एक भाग के रूप में अधिसूचित परिसम्पत्तियों पर अवमूल्यन की गणना तथा वित्तीय वर्ष 06 हेतु जोड़ी गई परिसम्पत्तियों हेतु इसकी गणना पृथक–पृथक की गई है। दिनांक 1 जून, 2005 की स्थिति में, अधिसूचित विद्यमान परिसम्पत्तियों हेतु आयोग द्वारा ऐसी परिसंपत्ति श्रेणी हेतु अवमूल्यन उस सीमा तक प्रदान किया गया है जिससे कि प्रत्येक वर्ष में दिनांक 31 मार्च की स्थिति में संचित अवमूल्यन की राशि इसके अर्जन की ऐतिहासिक लागत के 90 प्रतिशत से अधिक न होगी।

2.97 उपरोक्त की गई चर्चा के आधार पर, वित्तीय वर्ष 08 हेतु आयोग द्वारा अनुज्ञेय अवमूल्यन निम्नानुसार दर्शाया गया है :

तालिका 38 : आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुज्ञेय किया गया अवमूल्यन

राशि करोड़ रूपये में

परिसम्पत्ति वर्ग	**वित्तीय वर्ष 08**
भूमि तथा भूमि अधिकार	0.00
भवन तथा सिविल कार्य	0.28
द्रव्य संबंधी कार्य (हायड्रॉलिक वर्कस)	0.25
अन्य सिविल कार्य	0.05
संयंत्र तथा मशीनरी :–	
ट्रांसफार्मर	*0.00*
बैटरियां	*0.36*
संसूचना उपकरण	*10.28*
अन्य	*0.00*
लाईन तथा केबल नेटवर्क, आदि	
मीटर	*15.10*
अन्य	*25.44*
वाहन	0.00
फर्नीचर तथा फिक्सचर्स	0.10
अन्य उपकरण	0.31
अन्य कोई मदें	0.00
योग	**52.17**

ब्याज तथा वित्त प्रभार

अनुज्ञप्तिधारी की प्रस्तुति :

2.98 ब्याज तथा वित्त प्रभारों में सम्मिलित हैं, दिनांक 31 मई 05 की स्थिति में प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र के अनुसार परियोजना विशिष्ट ऋणों पर ब्याज एवं वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत निवेश योजना के अनुसार नवीन ऋणों के आहरण, कार्यकारी पूंजीगत ऋणों पर ब्याज प्रभार तथा ऋण–प्रदायकर्ता संस्थाओं द्वारा वित्त एकत्रीकरण की लागत। वित्तीय वर्ष 08 के दौरान, नवीन पूंजीगत व्यय के संबंध में, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा एक समुपयुक्त (मैचिंग) वित्तीय योजना प्रस्तुत की है जिसमें ऋणों के आहरण, पूंजी अन्तःक्षेपण (इक्विटी इनफ्यूजन) तथा उपभोक्ता अंशदान सम्मिलित हैं। अनुज्ञप्तिधारी ने कुछ पूंजी निवेश आंशिक वित्तीय प्रबंधन 'अगठबंधित कोष (Untied Funds)'' के माध्यम से किये गये दर्शाये हैं (अर्थात्, कोई भी वचनबद्ध वित्तीय प्रबंधन उपलब्ध नहीं है)।

2.99 वित्तीय वर्ष 08 हेतु, पूंजीगत व्यय योजना की संक्षेपिका जिस पर ब्याज की गणना हेतु विचार किया गया है, निम्न तालिका में दी गई है :

तालिका 39 : दायर की गई पूंजीगत व्यय योजना की संक्षेपिका

राशि करोड़ रूपये में

योजना	वित्तीय वर्ष 07	वित्तीय वर्ष 08
जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोआपरेशन (जेबीआईसी)	21.95	29.80
सब ट्रांसमिशन (नार्मल)–एसटी (एन)	15	10
पावर सिस्टम इम्प्रूव्हमेंट (पीएसआई)	9.05	19.38
एक्सेलेरेटिड पावर डेवलपमेंट रिफार्म प्रोग्राम (एपीडीआरपी)	45	0
एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी)	74.81	0
राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीआई)	93.96	406.98
प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई)	11.69	0
पावर फायनेन्स कार्पोरेशन–वितरण ट्रांसफार्मर मीटरिंग (पीएफसी–डीटीआर मीटरिंग)	13.65	31.85
एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी)–प्रस्तावित	0	197.02
एन्टरप्राइसेन रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) प्रोजेक्ट	0	11.75
नवीन संयोजन (निक्षेप) [न्यू कनेक्शन (डिपाजिट)]	7	8.05
योग (राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को सम्मिलित करते हुए)	**292.11**	**714.83**

2.100 अनुज्ञप्तिधारी ने राज्य सरकार द्वारा दिनांक 31 मार्च 2005 को अधिसूचित अन्तरण योजना (ट्रांसफर स्कीम) में उसे आवंटित ऋणों पर ब्याज की गणना पृथक से की है। इन ऋणों के प्रारंभिक तथा अन्तिम शेष का अवधारण प्रक्षेपित (प्रोजेक्टेड) अदायगी के समायोजन द्वारा किया गया है।

2.101 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा किया गया है कि उसे अधिसूचित आय–व्यय विवरण–पत्र (बैलेंस शीट), उसे आवंटित किये गये ऋणों की निबंधन तथा शर्तें [(जैसे कि ब्याज दर, अदायगी का निबंधन, तथा ऋण स्थगन अवधि (मोरेटोरियम पीरियड), आदि] तत्संबंधी ऋण अनुबधों तथा राज्य सरकार द्वारा दर्शाई गई शर्तों के अनुसार हैं। नवीन ऋणों की निबंधन तथा शर्तों पर विचार ऋण प्रदाय संस्था के साथ उसके द्वारा किये गये ऋण अनुबंध के अनुसार किया गया है। अगठबंधित कोष (अनटाईड फंड्स) के संबंध में, तथापि निबंधन एवं शर्तें अवधारित (assumed) की गई हैं। नवीन ऋणों हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विचार की गईं ब्याज लागत की गणना बाबत निबंधन तथा शर्तें निम्न तालिका में दी गई हैं :

तालिका 40 : दायर की गई याचिका के अनुसार ऋणों की निबंधन तथा शर्तें

स्त्रोत	ब्याज दर (प्रतिशत)	ऋण स्थगन अवधि	ऋण अदायगी अवधि (वर्षों में)
पावर फायनेंस कार्पोरेशन (पीएफसी) ऋण	10.25	2	8
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम–जापान बैंक फॉर इन्टरनेशनल कोआपरेशन (आरईसी– जेबीआईसी)	9.25	5	10
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) ऋण	8.25	3	10
एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) ऋण	10.5	5	15
जापान बैंक फॉर इन्टरनेशनल कोआपरेशन (जेबीआईसी)	9.20	5	10
पूंजीगत व्यय हेतु बाजार से अन्य ऋणों की प्राप्ति	10.00	1	7

2.102 वित्तीय वर्ष 07 हेतु, वित्त तथा बैंक प्रभारों के एकत्रीकरण की लागत रू.3 करोड़ प्राक्कलित की गई है तथा वित्त वर्ष 08 हेतु भी समरूप राशि मानी गई है। तथापि, इस राशि की गणना हेतु कोई आधार प्रदान नहीं किया गया है। प्रतिभूति निक्षेप (सेक्यूरिटी डिपाजिट) पर देय ब्याज की गणना कुल प्रतिभूति निक्षेप को प्रक्षेपित कर की गई है जिसकी कि अनुज्ञप्तिधारी को सुसंगत विनियम के अनुसार पात्रता है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कृषि उपभोक्ताओं हेतु, तीन माह की औसत मांग तथा अन्य उपभेक्ताओं हेतु, डेढ़ माह की औसत मांग हेतु प्रतिभूति निक्षेप पर विचार किया गया है तथा इस जमा राशि पर भुगतान योग्य ब्याज दर 6 प्रतिशत मानी गई है।

2.103 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसकी याचिका में ब्याज लागत (आईडीसी) के पूंजीकरण के आधार के बारे में कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है परंतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदाय किये गये गणना पत्रकों (वर्किंग शीट्स) के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रत्येक वर्ष हेतु औसत निर्माणाधीन मुख्य कार्यों (सीडब्यूआईपी) के ऋण अवयव की गणना की गई है तथा इसे प्रत्येक वर्ष में भारित औसत ऋण की लागत से गुणा किया है जिससे कि पूंजीकृत निर्माण के दौरान ब्याज इन्ट्रेस्ट ड्यूरिंग कन्स्ट्रक्शन (आईडीसी) की प्राप्ति हुई है। व्यय पूंजीकरण के संबंध में, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसे सकल वार्षिक कर्मचारी तथा प्रशासनिक एवं सामान्य लागत का 8 प्रतिशत माना गया है। इस अवधारणा हेतु याचिका में कोई भी कारण प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

यहां पर यह बतलाया जाना आवश्यक है कि अनुज्ञप्तिधारी की वित्त प्रबंधन योजना, निर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी) तथा पूंजीकृत किये गये व्यय हेतु वित्तीय व्यवस्था का प्रावधान नहीं करती है। तथापि, राशियों के विश्लेषण से ऐसा प्रतीत होता है कि अगठबंधित कोष (अनटाईड फंड्स) हेतु जैसा कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसे प्राक्कलित किया गया है, इन्हें निर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी) की वित्तीय व्यवस्था तथा पूंजीकृत किये गये व्यय में उपयोग किया जावेगा।

2.104 वितरण अनुज्ञप्तिधारी ने विद्यमान तथा नवीन ऋणों हेतु ब्याज लागत की गणना उपरोक्त दर्शाई गई निबंन्धन तथा शर्त के आधार पर की है। वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा की गई ब्याज लागत निम्न तालिका में दर्शाई गई है :

तालिका 41 : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा किये गये ब्याज तथा वित्त प्रभार

(राशि करोड़ रूपये में)

ब्याज तथा वित्त प्रभार (आईएफसी)	**वित्त वर्ष 07**	**वित्त वर्ष 08**
नवीन दीर्घ–अवधि ऋणों पर ब्याज तथा वित्त प्रभार		
पावर फायनेंस कार्पोरेशन (पीएफसी)	2.19	7.78
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी)	0.37	1.55
एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी)	1.92	11.09
जापान बैंक फार इन्टरनेशनल कोआपरेशन (जेबीआईसी)	0.86	2.88
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम–जापान फॉर बैंक फॉर इन्टरनेशनल कोआपरेशन (आरईसी–जेबीआईसी)	0.15	0.51
विद्यमान दीर्घ–अवधि ऋणों पर ब्याज तथा वित्त प्रभार		
पीएफसी	7.17	5.12
आरईसी	0	11.63
एडीबी	6.49	6.32
म.प्र. शासन–एक्सेलेरेटिड पावर डेवलपमेंट एण्ड रिफार्म प्रोग्राम (एपीडीआरपी), नाबार्ड, विश्व बैंक (डब्ल्यू बी)	12.30	10.64
मप्रराविमं से विद्यमान प्रजातीय (जनरिक) ऋणों पर ब्याज तथा वित्त प्रभार	27.22	24.19
कार्यकारी पूंजी हेतु बाजार से ऋणों की प्राप्ति	5.89	7.46
अन्य ब्याज तथा वित्त प्रभार		
वित्त तथा बैंक प्रभारों के एकत्रीकरण की लागत	3.00	3.00
उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज	17.78	19.15
सकल ब्याज तथा वित्त प्रभार	**85.34**	**111.32**
घटायें : पूंजीकृत किये गये ब्याज तथा ऋण प्रभार	**34.64**	**30.13**
शुद्ध ब्याज तथा वित्त प्रभार	**50.71**	**81.19**

आयोग का विश्लेषण

2.105 दिनांक 26 अक्टूबर, 2006 को मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विद्युत वितरण तथा खुदरा व्यापार के टैरिफ अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें एवं प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत संबंधी विनियम केवल उन्हीं ऋणों के ब्याज प्रभारों को अनुज्ञेय करते हैं जिन्हें कि समग्र राजस्व आवश्यकता के माध्यम से लिया गया है तथा जिनसे संबद्ध मुख्य कार्य पूर्ण कर उपयोग हेतु प्रारंभ किये जा चुके हैं।

2.106 आयोग द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को अर्द्ध–वार्षिक लेखे संधारित किये जाने तथा इन्हें अंकेक्षित करा आयोग को प्रस्तुत किये जाने संबंधी निर्देश दिये हैं। तथापि, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अभी तक केवल वार्षिक लेखे ही उपलब्ध कराये गये हैं। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग को उपलब्ध कराये गये अन्तिम लेखे वित्तीय वर्ष 05–06 से संबंधित हैं जबकि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 30 सितम्बर 06 को समाप्त होने वाली अर्द्ध–वार्षिकी अवधि हेतु लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। यद्यपि अनुज्ञप्तिधारी ने आयोग को मुख्य कार्यों को पूर्ण किये जाने संबंधी माह अक्टूबर 06 तक का प्रतिवेदन उपलब्ध कर दिया है परन्तु इससे यह स्थापित नहीं किया जा सका है कि पूर्ण किये गये कार्यों को पूंजीकृत किया गया है अथवा नहीं। अतएव, आयोग केवल वित्तीय वर्ष 05–06 के अन्तिम अंकेक्षित लेखे से उपलब्ध पूंजीकरण (सकल स्थाई परिसंपत्तियों) के बारे में ही अश्वस्त है। इसके अलावा, पूर्व में निर्माणाधीन कार्यों के पूंजीकरण के संबंध में अनुज्ञप्तिधारी का प्रदर्शन देखते हुए, वित्तीय वर्ष 07 तथा वित्तीय वर्ष 08 के दौरान परिसम्पत्ति में वृद्धि काफी न्यून है।

2.107 समस्त निर्माणाधीन कार्यों हेतु, ऐसे कार्यों हेतु ऋण के वित्त प्रबंधन से संबंधित ब्याज लागत को निर्माण के दौरान ब्याज (आई.डी.सी.) माना जाता है जिसे कि पूंजीकृत किया जावेगा तथा परिसम्पत्ति पूंजीकरण के समय इसे परियोजना लागत में जोड़ा जावेगा। ऐसी ब्याज लागत को समग्र राजस्व आवश्यकता के माध्यम से पास थ्रू (Pass through) किये जाने पर विचार नहीं किया जाता है। इसके पीछे विचार यह है कि उपभोक्ता से केवल उन संपत्तियों की लागत से संबंधित ब्याज को वहन करने की अपेक्षा की जा सकती है जिनका कि उपभोक्ता उपयोग कर रहा है। निर्माणाधीन परिसम्पत्तियां उपभोक्ताओं के उपयोग की नहीं हैं तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्माण के अन्तर्गत वहन की गई ब्याज लागत निर्माणाधीन मुख्य कार्यों का एक भाग बन जाती है, अतः इसे टैरिफ के माध्यम से वसूली हेतु अनुज्ञेय नहीं किया जा रहा है।

2.108 आयोग को यह ज्ञात है कि अनुज्ञप्तिधारी कुछ मुख्य कार्य वित्तीय वर्ष 07 तथा वित्तीय वर्ष 08 के दौरान पूर्ण कर लेगा जिन्हें कि पूंजीकृत कर परिसम्पत्ति आधार में जोड़ दिया जावेगा। तथापि, जैसा कि पूंजीकरण संबंधी भाग में स्पष्ट किया गया है, अनुज्ञप्तिधारी का परिसम्पत्तियों के पूंजीकरण के संबंध में प्रदर्शन पूर्ण रूप से किये गये प्रक्षेपणों को नकारता है जो कि उसके द्वारा वित्तीय वर्ष 07 तथा वित्तीय वर्ष 08 के लिये किये गये हैं। अतः, आयोग वित्तीय वर्ष 07 तथा वित्तीय वर्ष 08 हेतु संभावित पूंजीकरण पर विचार करना बुद्धिमतापूर्ण नहीं मानता परंतु वह केवल उसी दशा में ऐसी परिसम्पत्तियों को आरोपणीय ब्याज व्ययों पर विचार करेगा जब ऐसी परिसम्पत्तियों को परिसम्पत्ति आधार में जोड़ दिया जावे। यह अनुज्ञप्तिधारी को, इस प्रकार से, कार्यों को पूर्ण किये जाने में गति लाये जाने तथा परिसम्पत्तियों को निर्माणाधीन मुख्य कार्यों से सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के त्वरित तथा दक्ष अन्तरण को सुनिश्चित किये जाने बाबत उसकी लेखांकन प्रक्रियाओं में गति लाये जाने को प्रोत्साहित करेगा। इसी के साथ–साथ, यह अनुज्ञप्तिधारी के लिये उसका अर्द्ध–वार्षिकी लेखा संधारित किये जाने तथा आयोग को इसकी प्रस्तुति किये जाने हेतु भी प्रोत्साहित करेगा।

2.109 अतः आयोग की वित्तीय वर्ष 08 हेतु, उसी मार्ग के अनुसरण में ही अभिरूचि है जो उसके द्वारा वित्तीय वर्ष 07 के टैरिफ आदेश में अपनाया गया था जिससे कि राजस्व लेखे को प्रभारणीय ब्याज के लागत की गणना की जा सके। इसमें ऋण तथा पूंजी (इक्विटी) का सकल स्थाई परिसम्पत्तियों तथा निर्माणाधीन मुख्य कार्यों में आवंटन सन्निहित है जैसा कि वह वित्तीय वर्ष 06 के अंकेक्षित आय–व्यय विवरण–पत्र से उपलब्ध है। इसे निम्न विधि द्वारा किया गया है :

(ए) वित्तीय वर्ष 05–06 के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के सकल योग की गणना कुल सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के योग से आय–व्यय विवरण–पत्र से उपलब्ध उपभोक्ता अंशदान राशि को घटा कर की जाती है।

(बी) वित्तीय वर्ष 05–06 के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्ति के 30 प्रतिशत का पोषण वित्तीय व्यवस्था पूंजी के माध्यम से तथा इसे 31 मई, 2005 की स्थिति में वित्तीय वर्ष 07 के टैरिफ आदेश अनुसार सकल स्थाई परिसम्पत्तियों को आवंटित पूंजी के साथ जोड़ कर विचार किया गया है।

(सी) सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के सकल जोड़ के शेष को ऋण के माध्यम से वित्तीय व्यवस्था द्वारा किया गया माना गया है तथा इसे 31 मई, 05 की स्थिति में वित्तीय वर्ष 07 के टैरिफ आदेश अनुसार सकल स्थाई परिसम्पत्ति को आवंटित कुल ऋण के साथ जोड़ा गया है।

(डी) तत्पश्चात्, ऋणों की अदायगी को उपरोक्तानुसार की गई गणना के अनुसार पूर्ण की गई परिसम्पत्तियों से चिन्हित कुल ऋण से घटाया गया है। अदायगी राशियों की गणना वित्तीय वर्ष 05–06 के दौरान कुल अनुसूचित अदायगी राशियों की आनुपातिक दर के रूप में गई हैं। वास्तविक अदायगी की राशियों को माना नहीं गया है क्योंकि वित्तीय वर्ष 05–06 के दौरान अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रमुख त्रुटियां की गई हैं।

आवंटन राशि निम्न तालिका में प्रस्तुत की गई है :

तालिका 42 : वित्तीय वर्ष 07 के टैरिफ आदेशानुसार आवंटन

राशि करोड़ रूपये में

सरल क्रमांक	वित्तीय स्त्रोत	अधिसूचित प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र के अनुसार राशि	स्थाई परिसम्पत्तियों को आवंटित की गई	निर्माणाधीन मुख्य कार्य को आवंटित की गई
1	पूंजी (इक्विटी)	317	317	0
2	परियोजना विशिष्ट ऋण	294	35	259
3	मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल ऋण	252	0	252

तालिका 43 : वित्तीय वर्ष 06 की स्थिति में पूर्ण किये गये कार्यों से संबद्ध ऋण की गणना

सरल क्रमांक	विवरण	राशि (करोड़ रूपये में)
1	वित्तीय वर्ष 05–06 के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्तियों में परिवर्धन	36.05
2	वित्तीय वर्ष 05–06 के दौरान उपभोक्ता का अंशदान	3.56
3	वित्तीय वर्ष 05–06 के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्तियों में शुद्ध परिवर्धन	32.50
4	शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्तियों में परिवर्धन का 30 प्रतिशत [जिसे पूंजी (इक्विटी) द्वारा पोषित किया गया माना गया है]	9.75
5	शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति में शेष परिवर्धन–ऋण के माध्यम से पोषित किया गया	22.75
6	दिनांक 31 मई 05 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्ति के साथ संबद्ध ऋण (उपरोक्त तालिका से)	35.37
7	ऋण अदायगी	2.05
8	**दिनांक 31 मार्च 05 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्तियों से संबद्ध कुल ऋण (5+6+7)**	**56.07**

2.110 ब्याज लागत को केवल उन्हीं ऋणों पर अनुज्ञेय किया जा सकता है जो कि आवंटन के अनुसार चिन्हित किये जा सकते हैं, जैसा कि ये पूर्ण किये गये कार्यों (सकल स्थाई परिसम्पत्तियों) के साथ संबद्ध हैं। ऐसे ऋण पर ब्याज दिनांक 31 मार्च, 2006 की स्थिति में समस्त ऋणों की भारित औसत ब्याज पर अनुज्ञेय किया गया है। वित्तीय वर्ष 05–06 हेतु, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हेतु भारित औसत ब्याज दर 9.94 प्रतिशत प्रति वर्ष है। इसका

आवधारण केवल अनुसूचित अदायगियों पर ही किया गया है तथा इसके लिए वित्तीय वर्ष 05–06 के दौरान वास्तविक ब्याज तथा प्रमुख चूकों (डिफाल्टस) पर विचार नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस प्रयोजन हेतु, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ऋण पर प्रकल्पित (नोशनल) ब्याज दर पर विचार किया गया है जबकि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) ऋण पर ऋण स्थगन (मोरेटेरियम) विधान लागू है क्योंकि इसे विलंब काल के उपरांत ब्याज का भुगतान करना होगा। 9.94 प्रतिशत की यह भारित औसत ब्याज दर भारतीय स्टेट बैंक की निर्धारित सार्वजनिक ऋण प्रदाय अधिकार (पीएलआर) दर 11.5 प्रतिशत से कम होने के कारण उक्त दर पर ही अनुज्ञेय की गई है। तत्पश्चात्, भारित औसत ब्याज दर को चिन्हित किये गये ऋणों पर लागू किया गया है जो कि उपरोक्त दर्शाये गये आवंटन के अनुसार पूर्ण किये गये कार्य से संबद्ध है जिससे वित्तीय वर्ष 08 हेतु समग्र राजस्व आवश्यकता के माध्यम से की जाने वाली अनुज्ञेय ब्याज लागत को अनुज्ञेय किया जा सके। इसे निम्न तालिका में प्रस्तुत किया गया है:

तालिका 44 : वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुज्ञेय की गई ब्याज लागत

राशि करोड़ रूपये में

विवरण	**वित्तीय वर्ष 08**
पूंजीकृत की गई परिसम्पत्तियों से संबद्ध ऋण	56.07
भारित औसत ब्याज दर (प्रतिशत में)	9.94%
समग्र राजस्व आवश्यकता के माध्यम से अनुज्ञेय की गई ब्याज लागत	**5.57**

2.111 वित्तीय वर्ष 07 हेतु, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्त एकत्रीकरण तथा बैंक प्रभार की लागत को रूपये 3.00 करोड़ प्राक्कलित किया गया है तथा वित्तीय वर्ष 08 हेतु भी इसी राशि को माना गया है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसकी गणना का आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है। तथापि, आयोग वित्तीय वर्ष 07 तथा वित्तीय वर्ष 08 के दौरान मुख्य कार्यों के सम्पादन हेतु अनुज्ञप्तिधारी को नवीन ऋणों को आहरित करने बाबत निरूत्साहित करने के पक्ष में नहीं है। अतः आयोग वित्तीय वर्ष 08 हेतु वित्त एकत्रीकरण लागत हेतु रू.3.00 करोड़ की राशि को अनुज्ञेय करता है। वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुज्ञेय किये गये कुल ब्याज तथा वित्त प्रभार निम्नानुसार हैं :

तालिका 45 : वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुज्ञेय किये गये कुल ब्याज तथा वित्त प्रभार

राशि करोड़ रूपये में

विवरण	**वित्तीय वर्ष 08**
अनुज्ञेय की गई ब्याज लागत	5.57
अनुज्ञेय किये गये वित्त प्रभार	3.00
समग्र राजस्व आवश्यकता के माध्यम से अनुज्ञेय किये गये ब्याज तथा वित्त प्रभार	**8.57**

कार्यकारी पूंजी (वर्किंगकैप्टिल) पर ब्याज

अनुज्ञप्तिधारी की प्रस्तुति

2.112 ब्याज लागत की गणना चक्रण तथा खुदरा गतिविधि हेतु पृथक–पृथक से कार्यकारी पूंजी आवश्यकता के 12.25 प्रतिशत की दर से की गई है जिसे कि आयोग के वितरण टैरिफ के अवधारण के उपबंधों के अनुसार अवधारित किया गया है। इसके विवरण निम्न तालिका में दिये गये हैं :

तालिका 46 : वित्तीय वर्ष 08 हेतु दावा किये गये कार्यकारी पूंजी ऋणों पर ब्याज

राशि करोड़ रूपये में

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 08
	चक्रण गतिविधि	
ए)	पिछले वर्ष हेतु वार्षिक सामग्री (इन्वेंटरी) आवश्यकता का छटवां भाग(1/6)	15.93
बी)	प्रचालन तथा संधारण व्ययों का बारहवां भाग (1/12)	44.99
सी)	दो माह के औसत चक्रण प्रभार	0.00
	कुल कार्यकारी पूंजी	60.92
	ब्याज दर (प्रतिशत में)	12.25%
	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	**7.46**
	खुदरा विक्रय गतिविधि	
ए)	पिछले वर्ष हेतु सामग्री (इन्वेंटरी) की वार्षिक राजस्व आवश्यकता का छटवां भाग(1/6)	0
बी)	दो माह की औसत बिलिंग के बराबर प्राप्ति योग्य राशियां	392.8
घटायें	विद्युत क्रय व्ययों का बारहवां भाग (1/12)	142.39
	उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप	319.09
	कुल कार्यकारी पूंजी	–68.66
	ब्याज दर	12.25%
	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	**0.00**

आयोग का विश्लेषण

2.113 खुदरा विक्रय गतिविधि हेतु, आयोग द्वारा वार्षिक सामग्री (इन्वेंटरी) आवश्यकता वित्तीय वर्ष 05–06 के अन्त की मीटरिंग परिसम्पत्तियों के सकल मूल्य की एक प्रतिशत की दर से मानी गई है (जो कि तालिका 37 के अनुसार 251.67 करोड़ है)। इस प्रकार मीटरिंग सामग्री की दो माह की आवश्यकता की गणना रू.0.42 करोड़ (251.67 का 1% दो माह हेतु आनुपातिक किया गया) के रूप में होगी। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 06 की अन्त की स्थिति में तालिका 37 के अनुसार, सकल खण्ड (ग्रास ब्लाक) का शेष मूल्य रू. 1036.38 करोड़ होगा। इस मूल्य के एक प्रतिशत की गणना, दो माह हेतु आनुपातिक किये गये अनुसार रू. 1.73 करोड़ होगी। इसे चक्रण गतिविधि हेतु, सामग्री आवश्यकता (इन्वेंटरी रिक्यारमेंट) माना गया है। उपभोक्ता

सामग्री प्रतिभूति निक्षेप को 'उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज' संबंधी भाग में की गई चर्चानुसार माना गया है। आयोग द्वारा अनुमत राशि हेतु कार्यकारी पूंजी के अन्य अवयवों के मूल्यों की पुर्नगणना इस आदेश के सुसंगत भाग में की गई है। आयोग द्वारा चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिवधि हेतु अनुज्ञेय किया गया कार्यकारी पूंजी पर ब्याज निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 47 : वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुमोदित किया गया कार्यकारी पूंजी ऋणों पर ब्याज

राशि करोड़ रूपये में

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 08
	चक्रण गतिविधि	
ए)	पिछले वर्ष हेतु सामग्री (इन्वेंटरी) की वार्षिक आवश्यकता का छटवां भाग(1/6)	1.73
बी)	प्रचालन तथा संधारण व्ययों का बारहवां भाग (1/12)	30.33
सी)	दो माह के औसत चक्रण प्रभार	0.00
	कुल कार्यकारी पूंजी पर ब्याज–चक्रण	32.06
	ब्याज दर (प्रतिशत में)	12.75%
	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज–चक्रण	**4.09**
	खुदरा विक्रय गतिविधि	
ए)	पिछले वर्ष हेतु सामग्री (इन्वेंटरी) की वार्षिक राजस्व आवश्यकता का छटवां भाग(1/6)	0.42
बी)	दो माह की औसत बिलिंग के बराबर प्राप्ति योग्य राशियां *	403.23
घटायें	विद्युत क्रय व्ययों का 1/12 वां भाग	145.83
	उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप **	346.78
	कुल कार्यकारी पूंजी	(88.96)
	ब्याज दर	12.75%
	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज –खुदरा विक्रय गतिविधि	**0.00**

* इस आदेश के सुसंगत भाग में दर्शाई गई वित्तीय वर्ष 08 की खुदरा टैरिफ अनुसूचियों की अनुमोदित टैरिफ दरों के अनुसार गणना की गई।

** वित्तीय वर्ष 08 हेतु राजस्वों के आधार पर गणना की गई जैसा कि वित्तीय वर्ष 08 के अनुमोदित विक्रय पूर्वानुमानों अनुमोदित टैरिफ दरों के अनुसार इसे तैयार किया गया।

उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज

अनुज्ञप्तिधारी की प्रस्तुति

2.114 प्रतिभूति निक्षेप पर देय ब्याज की गणना अनुज्ञप्तिधारी को लागू सुसंगत विनियम के अनुसार प्राधिकृत कुल प्रतिभूति राशि को प्रक्षेपित कर की गई है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कृषि उपभोक्ताओं हेतु 3 माह की औसत मांग तथा अन्य उपभोक्ताओं हेतु डेढ़ माह की औसत मांग पर विचार किया गया है।

2.115 राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मई, 2005 को अधिसूचित आय–व्यय विवरण–पत्र के अनुसार पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को आवंटित उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप की राशि रू.273 करोड़ थी। वित्तीय वर्ष 06 के दौरान, अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप राशि में लगभग 15 करोड़ की राशि की अभिवृद्धि होने की अपेक्षा रखता है। वित्तीय वर्ष 08 की प्रक्षेपित अन्तिम शेष राशियां राज्य शासन द्वारा अधिसूचित अन्तिम शेष राशियों के अनुरूप ही हैं। देय ब्याज की राशि की गणना सुसंगत वर्ष के प्रारंभिक तथा अन्तिम शेष के औसत के 6 प्रतिशत दर पर की गई है। वित्तीय वर्ष 08 हेतु, ब्याज जिसका दावा प्रक्षेपित जमा राशि पर किया गया है, निम्नानुसार दिया गया है :

तालिका 48 : वित्तीय वर्ष 08 हेतु दावा किया गया उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप (सीएसडी) पर ब्याज

(राशि करोड़ रूपये में)

उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप	वित्तीय वर्ष 08
प्रक्षेपित अन्तिम शेष	338
औसत शेष राशि	319
उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर 6% की दर से ब्याज प्रभार	**19.15**

आयोग का विश्लेषण

2.116 वित्तीय वर्ष 08 हेतु, आयोग द्वारा उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप का अवधारण मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) विनियम, 2005 के उपबंधों तथा अनुमोदित टैरिफ हेतु उपभोक्ता की प्रत्येक श्रेणी हेतु प्रक्षेपित किये गये राजस्व के अनुसार किया गया है। अनुज्ञेय किये गये उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 49 : वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुज्ञेय किये गये उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज

(राशि करोड़ रूपये में)

उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप	वित्तीय वर्ष 08
वित्तीय वर्ष 08 के राजस्वों पर उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप	346.78
उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज प्रभार, 6% की दर से	**20.81**

पूंजी पर प्रतिलाभ (Return on Equity)

2.117 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्तीय वर्ष 08 में पूर्ण की गई परिसम्पत्तियों पर अनुमानित लगाई जाने वाली पूंजी पर 14 प्रतिशत की दर से प्रतिलाभ का दावा किया गया है। पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना हेतु, वित्तीय वर्ष 06 में पूंजी के सम्पूर्ण अन्तिम शेष को पूर्ण तथा उपयोगी परिसम्पत्तियों पर लगाया गया माना गया है। इसके अतिरिक्त अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यह अवधारणा भी की गई है कि प्रत्येक वर्ष हेतु तत्पश्चात् उप–पारेषण (सामान्य) [सब–ट्रांसमिशन (नॉर्मल)] योजनाओं तथा एशियन डेवलपमेंट योजनाओं हेतु सम्पूर्ण पूंजी का अन्तर्बहाव (इनफ्लो) उसी वर्ष के दौरान पूंजीकृत हो जावेगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस अवधारणा हेतु कोई भी कारण प्रस्तुत नहीं

किया गया है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रतिलाभ हेतु योग्य मानी गई पूंजी निम्न तालिका में दर्शाई गई है :

तालिका 50 : वित्तीय वर्ष 08 हेतु दावा किया गया पूंजी पर प्रतिलाभ (रिटर्न ऑन इक्विटी)

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 08
अंश पूंजी (शेयर केपिटल)	378.30
पूंजीकरण (केपिटलाईजेशन)	461.17
अतिरिक्त पूंजी (इक्विटी) प्रवाह	23.72
मानदण्डीय पूंजी (इक्विटी)	138.35
पूंजी (इक्विटी) जो प्रतिलाभ के योग्य है	390.16
पूंजी पर प्रतिलाभ	**54.62**

2.118 ब्याज तथा वित्त प्रभारों संबंधी भाग स्पष्ट रूप से ऋण तथा पूंजी को पूर्ण की गई परिसम्पत्तियों से चिन्हित किये जाने की प्रक्रिया की व्याख्या करता है। यह प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 05–06 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के साथ चिन्हित की गई कुल पूंजी में परिणत होती है। इसे निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है। वित्तीय वर्ष 08 की समग्र राजस्व आवश्यकता हेतु, अनुज्ञेय किये गये पूंजी पर प्रतिलाभ का अवधारण, तत्पश्चात्, आयोग द्वारा निर्दिष्ट की गई 14% दर के अनुसार चिन्हित की गई कुल पूंजी पर जैसा कि इसे सकल स्थाई परिसम्पत्ति को आवंटित किया गया है, को प्रयोज्य कर किया जाता है। आयोग को ज्ञात है कि वित्तीय वर्ष 07 एवं वित्तीय वर्ष 08 की अवधि के दौरान, परिसम्पत्तियों के सृजन के प्रयोजन हेतु, वितरण व्यापार में अतिरिक्त पूंजी का निवेश किया जावेगा, जिससे कि पूर्ण की गई परिसम्पत्तियों को आवंटित की गई पूंजी (इक्विटी) की राशि में अभिवृद्धि होगी। यदि इसे अंकेक्षित लेखे के समर्थन के साथ प्रस्तुत किया जाता है तो इसे अनुज्ञप्तिधारी की भावी समग्र राजस्व आवश्यकता हेतु लेखाबद्ध किया जावेगा।

तालिका 51 : वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुज्ञेय किया गया पूंजी पर प्रतिलाभ

(राशि करोड़ रूपये में)

स्त्रोत	वित्तीय वर्ष 08
शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्तियां जिनका पूंजी के माध्यम से वित्तीय पोषण चिन्हित किया गया है, में 30% की अभिवृद्धि (तालिका 43 से)	9.75
दिनांक 31 मई 05 की स्थिति में, सकल स्थाई परिसम्पत्ति के साथ चिन्हित की गई पूंजी का अन्तिम शेष	317.00
दिनांक 31 मार्च 06 की स्थिति में, कुल पूंजी जिसे सकल स्थाई परिसम्पत्ति के साथ चिन्हित किया गया है।	326.75
वित्तीय वर्ष 08 हेतु समग्र राजस्व आवश्यकता में अनुज्ञेय किया गया पूंजी पर प्रतिलाभ, 14% की दर से	**45.74**

समग्र राजस्व आवश्यकता (एआरआर) की अन्य मदें

2.119 व्ययों के अवयवों के अतिरिक्त, कुछ अन्य मदें भी हैं जो समग्र राजस्व आवश्यकता (एआरआर) का भाग बनती हैं। इनमें सम्मिलित हैं डूबन्त ऋण, अन्य विविध व्यय, कोई पूर्व अवधि व्यय/आकलन (क्रेडिट्स) तथा अन्य (गैर–टैरिफ) आय। इनका विश्लेषण निम्नानुसार किया गया है :

डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण

2.120 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्तीय वर्ष 08 हेतु इस शीर्ष के अन्तर्गत राशि की गणना आयोग के विनियमों के अनुसार की गई है, अर्थात्, विक्रयों के राजस्व के एक प्रतिशत की दर से। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रक्षेपित किये गये राजस्व चालू टैरिफ दरों के अनुसार हैं। आयोग डूबन्त तथा संदिग्ध ऋणों हेतु विक्रय राजस्व पर एक प्रतिशत की दर से प्रावधान को अनुज्ञेय करता है, जहां पर राजस्वों की गणना अनुमोदित विक्रयों के पुर्वानुमानों तथा इस आदेश के सुसंगत भाग में अवधारित की गई अन्तिम टैरिफ दरों के प्रयोग द्वारा की गई है। निम्न तालिका वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा की गई डूबन्त ऋणों की राशि तथा जैसी कि यह आयोग द्वारा अनुमोदित की गई है, दर्शाती है :

तालिका 52 : वित्तीय वर्ष 08 हेतु डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 08
जिसका दावा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया गया	23.57
वित्तीय वर्ष 08 की अनुमानित टैरिफ दरों के अनुसार विक्रय राजस्व का 1%	24.19
जिसे आयोग द्वारा अनुज्ञेय किया गया	**24.19**

टीप : विक्रय राजस्व की गणना आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 08 हेतु इस आदेश द्वारा अनुमोदित टैरिफ दरों के अनुसार की गई है।

2.121 वित्तीय वर्ष 07 के टैरिफ आदेशों में कहा गया था कि वित्तीय वर्ष 07 हेतु वास्तविक रूप से अपलेखित डूबन्त ऋणों की राशि पर विचार विक्रय राजस्वों के अधिकतम पर 1% के अध्यधीन किया जावेगा तथा किसी आधिक्य/कमी को वित्तीय वर्ष 08 की समग्र राजस्व आवश्यकता में समायोजित किया जावेगा। इसी प्रकार, वास्तविक रूप से अपलेखित डूबन्त ऋणों हेतु किसी सत्यापन पर वित्तीय वर्ष 08 हेतु विचार किया जावेगा जिस समय इन वर्षों के अंकेक्षित लेखे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग को उपलब्ध करा दिये जावेंगे।

अन्य विविध व्यय

2.122 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्तीय वर्ष 08 हेतु इस शीर्ष के अंतर्गत किसी व्यय का दावा नहीं किया गया है। आयोग इसे स्वीकार करता है।

अन्य आय

2.123 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्तीय वर्ष 08 हेतु इस मद के अंतर्गत रू.54.76 करोड़ की राशि का दावा किया गया है। इस राशि में सम्मिलित हैं, मीटर भाड़ा, विद्युत ऊर्जा की चोरी के कारण वसूल की गई राशि, विविध प्राप्तियां तथा ऋणों पर ब्याज तथा स्टाफ को अग्रिम राशि प्रदाय की जाना। इसमें से ऋणों पर ब्याज, तथा स्टाफ को अग्रिम राशि का प्रदाय, व्यापार से आय (विद्युत से आय प्राप्ति को छोड़कर) तथा मीटर भाड़ा को चक्रण गतिविधि का एक भाग माना गया है जबकि अन्य मदों को खुदरा विक्रय गतिविधि माना गया है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अन्य

आय की किसी भी मद के पूर्वानुमान का आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अलावा, अनुज्ञप्तिधारी ने चक्रण प्रभारों से किसी भी आय को चक्रण गतिविधि के अन्य भाग के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है।

2.124 आयोग अन्य आय के समस्त अवयवों हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किये गये पूर्वानुमानों को, केवल मीटर भाड़ा को छोड़कर, स्वीकार करता है जिसकी वित्तीय वर्ष 08 हेतु मीटर भाड़े की पुर्नगणना अनुमोदित उपभोक्ताओं की संख्या के औसत (प्रारंभिक तथा अन्तिम शेष का औसत) तथा आयोग के मीटर भाड़े की अनुमोदित दरों के आधार पर की गई है। इसके अतिरिक्त, चूंकि मीटरों का प्रावधान किया जाना अनुज्ञप्तिधारी की खुदरा विद्युत प्रदाय से संबंधित एक गतिविधि है, आयोग इस स्त्रोत से प्राप्त की गई आय को खुदरा विद्युत प्रदाय गतिविधि हेतु अन्य आय मानता है, जबकि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसे चक्रण गतिविधि से प्राप्त आय माना गया है जिसे आयोग स्वीकार नहीं करता है।

अनुज्ञप्तिधारी ने चक्रण गतिविधि से किसी आय पर विचार नहीं किया है जिसे आयोग स्वीकार करता है। तथापि, वित्तीय वर्ष 08 के दौरान, चक्रण प्रभारों से अनुज्ञप्तिधारी की वास्तविक आय उपभोक्ताओं की वास्तविक संख्या पर निर्भर करता है तथा इसे आगामी वर्षों में समायोजित किया जावेगा।

2.125 इस प्रकार, आयोग द्वारा अनुज्ञेय की गई राशि जिसे वित्तीय वर्ष 08 हेतु अन्य आय माना गया है, निम्नानुसार होगी :

तालिका 53 : चक्रण गतिविधि हेतु अन्य आय

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 08
अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा की गई	30.20
आयोग द्वारा अनुज्ञेय की गई	**6.11**

तालिका 54 : खुदरा विक्रय गतिविधि हेतु अन्य आय

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 08
अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा की गई	24.56
आयोग द्वारा अनुज्ञेय की गई :–	
मीटर भाड़ा	26.82
अन्य मदों का योग	24.56
आयोग द्वारा अनुज्ञेय की गई कुल राशि	**51.38**

अनुमोदित समग्र राजस्व आवश्यकता (एआरआर) का चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधि के मध्य पृथक्करण

2.126 आयोग द्वारा धारा 61 के अंतर्गत दिनांक 26 दिसम्बर 2006 को अधिसूचित विनियमों में कहा गया है कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा समग्र राजस्व आवश्यकता तीन भागों में दायर की जावेगी, यथा, विद्युत क्रय गतिविधि हेतु, चक्रण (वितरण) गतिविधि हेतु, तथा खुदरा विक्रय गतिविधि हेतु। विनियमों में स्थाई लागतों (अर्थात्, विद्युत क्रय को छोड़कर) की मदें पृथक से

सूचीबद्ध की गई हैं जिन्हें कि चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधि में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

2.127 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग के विनियमों का प्रतिपालन उस सीमा तक किया गया है कि यह उनके द्वारा समग्र राजस्व आवश्यकता के पृथक्कृत किये गये विद्युत क्रय, चक्रण गतिविधि तथा खुदरा विक्रय गतिविधियों के व्ययों हेतु इसे दायर किया गया है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा केवल कार्यकारी पूंजी पर मानदण्डीय ब्याज, डूबन्त ऋणों हेतु प्रावधान, तथा उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेपों पर ब्याज को खुदरा विक्रय गतिविधि के अंतर्गत माना है। अन्य समस्त मदें पूर्णरूपेण चक्रण गतिविधि का भाग मानी गई हैं।

2.128 विद्यमान टैरिफ अभ्यास हेतु, आयोग अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लागतों को चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधि के मध्य आवंटित किये जाने संबंधी विधि को स्वीकार करता है। तथापि, आयोग अनुज्ञप्तिधारी को उसके वितरण केन्द्रों, क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों आदि के एक प्रतिनिधि नमूने का गहन अध्ययन किये जाने बाबत निर्देशित करता है जिससे कि प्रत्येक व्यय मद (विद्युत क्रय को छोड़कर) के आवंटन अनुपात को चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधि के मध्य पृथक्कृत किया जाना विकसित किया जा सके। इस अध्ययन के परिणाम आयोग को टैरिफ आदेश जारी होने के छः माह के भीतर प्रस्तुत किये जाने चाहिये। तथापि, यह एक अस्थाई स्थानापन्न व्यवस्था है। आयोग चाहता है कि अनुज्ञप्तिधारी चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधि को अलग–अलग व्यय भारित किये जाने का पूर्ण लेखांकन पृथक्करण का उत्तरदायित्व स्वयं संभाले। अनुज्ञप्तिधारी को इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर इस गतिविधि के क्रियान्वयन हेतु संभावित समय–सीमा को दर्शाते हुए आयोग से सम्पर्क स्थापित करना चाहिए।

2.129 अतः इस टैरिफ आदेश के प्रयोजन हेतु, आयोग स्थाई लागतों (अर्थात्, विद्युत क्रय को छोड़कर) का आवंटन निम्न विधि अनुसार करता है :

चक्रण गतिविधि में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :

(ए) संचालन तथा संधारण व्यय

(बी) अवमूल्यन

(सी) परियोजना ऋणों पर ब्याज

(डी) कार्यकारी पूंजी ऋणों पर ब्याज–मानदण्डीय कार्यकारी पूंजी हेतु, चक्रण गतिविधि के लिये

(ई) पूंजी पर प्रतिलाभ (रिटर्न ऑन इक्विटी)

(एफ) अन्य विविध व्यय

(जी) घटायें : आय, जिसकी गणना पूर्व भाग में की गई है।

खुदरा विक्रय गतिविधि में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :

(एच) कार्यकारी पूंजी ऋणों पर ब्याज–मानदण्डीय कार्यकारी पूंजी हेतु, खुदरा विक्रय गतिविधि के लिये

(आई) उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेपों पर ब्याज

(जे) डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण

(के) घटायें : आय, जिसकी गणना पूर्व भाग में की गई है।

2.130 उपरोक्त दर्शायेनुसार, वित्तीय वर्ष 08 हेतु, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधियों हेतु समग्र राजस्व आवश्यकता निम्नानुसार अनुमोदित की जाती है :

तालिका 55 : वित्तीय वर्ष 08 हेतु चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधियों के मध्य पृथक्करण हेतु अनुज्ञेय की गई समग्र राजस्व आवश्यकता

विवरण	वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुमोदित राशि करोड़ रूपये में
विद्युत क्रय व्यय	1749.88
पारेषण प्रभार (एमपी ट्रांसको)	218.83
चक्रण गतिविधि :	
संचालन तथा संधारण व्यय	363.96
अवमूल्यन	52.17
परियोजना ऋणों पर ब्याज तथा वित्त प्रभार	8.57
कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	4.09
पूंजी पर प्रतिलाभ (रिटर्न ऑन इक्विटी)	45.74
अन्य व्यय	0.00
घटायें : अन्य आय	6.11
उप–योग – वित्तीय वर्ष 08 हेतु, अनुमोदित की गई चक्रण समग्र राजस्व आवश्यकता	***470.24***
खुदरा विक्रय गतिविधि	
कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	0.00
डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण	24.19
उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज	20.81
घटायें : अन्य आय	51.38
उप–योग–वित्तीय वर्ष 08 हेतु, अनुमोदित की गई खुदरा समग्र राजस्व आवश्यकता	***(6.38)***
महायोग–वित्तीय वर्ष 07–08 हेतु अनुमोदित वार्षिक राजस्व आवश्यकता	**2430.82**

विद्यमान टैरिफ दरों पर राजस्व अन्तर

2.131 आयोग द्वारा विद्यमान टैरिफ दरों पर राजस्व की गणना इस विक्रय पूर्वानुमान के आधार पर की गई है। राजस्व अन्तर की गणना उपरोक्त तालिका में दर्शाई गई अनुमोदित राजस्व तथा समग्र राजस्व आवश्यकता के प्रयोग द्वारा की गई है। विद्यमान टैरिफ दरों पर विक्रय राजस्वों तथा राजस्व अन्तर निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किये गये हैं। राजस्व–अन्तर जैसा कि इसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दायर किया गया है, को यहां त्वरित संदर्भ हेतु उद्धरित किया जाता है :

तालिका 56 : वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुमोदित समग्र राजस्व आवश्यकता पर विद्यमान टैरिफ दरों के अनुसार राजस्व अन्तर

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 08
अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दायर किया गया राजस्व अन्तर	(266.12)
विद्यमान टैरिफ दरों पर राजस्व, आयोग द्वारा की गई गणना अनुसार	2413.38
वित्तीय वर्ष 08 हेतु, अनुमोदित समग्र राजस्व आवश्यकता (उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज, डूबन्त ऋण, आदि सहित जिनकी गणना वित्तीय वर्ष 08 हेतु चालू टैरिफ दरों के अनुसार की गई है)	2430.70
वित्तीय वर्ष 08 हेतु, विद्यमान टैरिफ दरों के अनुसार राजस्व अन्तर	**(17.32)**

2.132 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा रू.266.12 करोड़ की प्रक्षेपित राशि का अन्तर पाटने हेतु आंशिक रूप से टैरिफ दर में वृद्धि तथा दक्षता में अभिवृद्धि द्वारा तथा आंशिक रूप से नियामक परिसम्पत्ति के सृजन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तथापि, आयोग द्वारा अवधारित पुनरीक्षित राजस्व अन्तर, उपरोक्त दर्शायनुसार, केवल रू.17.32 करोड़ ही है। अतएव, आयोग द्वारा उपरोक्त दर्शाये गये कुल राजस्व अन्तर की आपूर्ति हेतु टैरिफ प्रस्तावों में उपयुक्त सुधार किये गये हैं तथा वित्तीय वर्ष 08 हेतु उसे किसी नियामक परिसम्पत्ति के सृजन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

2.133 पुनरीक्षित टैरिफ दरों के अनुसार वितरण अनुज्ञप्तिधारी के प्रत्याशित राजस्व निम्नानुसार हैं:

तालिका 57 : पुनरीक्षित टैरिफ दरों के अनुसार राजस्व

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	राशि
अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दायर की गई याचिका के अनुसार राजस्व अन्तर	(266.12)
वित्तीय वर्ष 08 हेतु, अनुमोदित टैरिफ दरों के अनुसार प्रत्याशित राजस्व	2419.35
वित्तीय वर्ष 08 हेतु, अनुमोदित समग्र राजस्व आवश्यकता	2430.82
वित्तीय वर्ष 08 की टैरिफ दरों के अनुसार राजस्व (अन्तर)/आधिक्य	**(11.47)**

2.134 उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि अनुज्ञप्तिधारी के पास मामूली सा अन्तर छूट गया है। तथापि, यह राज्य में एक समान टैरिफ दरें रखे जाने के परिणामस्वरूप है। चूंकि छूटा हुआ राजस्व अन्तर बहुत ही मामूली है, इसकी समीक्षा वित्तीय वर्ष 08 के सत्यापन के दौरान की जावेगी।

2.135 वित्तीय वर्ष 08 की अनुमोदित दरों के अनुसार (जिन्हें इस आदेश की टैरिफ अनुसूची में दर्शाया गया है), आयोग द्वारा उपभोक्ता श्रेणी–वार राजस्व की गणना निम्न तालिका में प्रस्तुत की गई है :

तालिका 58 : वित्तीय वर्ष 08 हेतु टैरिफ दरों के अनुसार उपभोक्ता श्रेणी–वार राजस्व

उपभोक्ता श्रेणी	विक्रय (मिलियन यूनिट में)	राजस्व (करोड़ रूपये में)
निम्न दाब		
घरेलू बत्ती, पंखा तथा पावर	1778	584.63
गैर–घरेलू बत्ती, पंखा तथा पावर	315	172.11
जल–प्रदाय संयत्र तथा पथ–प्रकाश	125	41.24
निम्न दाब औद्योगिक *	217	88.09
कृषि उपभोक्ता	1375	321.27
योग (निम्न दाब)	**3810**	**1207.35**
उच्च दाब		
रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन)	408	187.86
कोयला खदाने (कोल माईन्स)	515	274.0
औद्योगिक तथा गैर–औद्योगिक	1100	507.34
मौसमी (सीजनल)	4	2.44
उच्च दाब सिंचाई तथा सार्वजनिक जल प्रदाय	59	19.33
टाऊनशिप तथा आवासीय कालोनी	290	100.84
छूट प्रदायकर्ताओं को थोक विद्युत प्रदाय	412	120.20
योग (उच्च दाब)	**2788**	**1212.01**
महायोग (निम्न दाब+उच्च दाब)	**6598**	**2419.35**

* निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी में ग्रामीण क्षेत्रों में (एल.वी 5.2) कृषि आधारित विक्रयसम्मिलित है जिसे कि पूर्व में कृषि श्रेणी में रखा गया था।

ए–3 : वित्तीय वर्ष 08 हेतु मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (वेस्ट डिस्कोम) हेतु समग्र राजस्व आवश्यकता

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तावित विक्रयों के पूर्वानुमान की संक्षेपिका

3.1 वित्तीय वर्ष 08 के दौरान पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कुल विक्रय 8,909 मिलियन यूनिट प्राक्कलित किये गये हैं। निम्न दाब श्रेणी हेतु विक्रय 6,017 यूनिट (अथवा कुल विक्रय का 67.54 प्रतिशत) तथा उच्चदाब श्रेणी में 2,892 मिलियन यूनिट (अथवा कुल विक्रय का 32.46 प्रतिशत) प्राक्कलित किये गये हैं।

तालिका 59 : वित्तीय वर्ष 08 हेतु पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी का प्राक्कलित विद्युत विक्रय

उपभोक्ता श्रेणी			वित्तीय वर्ष 08 हेतु विद्युत विक्रय मिलियन यूनिट में
निम्न दाब उपभोक्ता	एलवी 1	घरेलू बत्ती, पंखा तथा पावर	1707
	एलवी 2	गैर–घरेलू बत्ती, पंखा तथा पावर	419
	एलवी 3	जल प्रदाय संयत्र तथा पथ–प्रकाश	141
	एलवी 4	निम्न दाब औद्योगिक	344
	एलवी 5	कृषि उपभोक्ता	3407
		योग (निम्न दाब)	**6017**
उच्च दाब उपभोक्ता	एचवी 1	रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन)	313
	एचवी 2	कोयला खदानें	0.00
	एचवी 3	औद्योगिक तथा गैर औद्योगिक	2142
	एचवी 4	मौसमी (सीजनल)	11
	एचवी 5	उच्च दाब सिंचाई तथा सार्वजनिक जल प्रदाय	212
	एचवी 6	टाऊनशिप तथा आवासीय कालोनी	0.00
	एचवी 7	छूट प्रदायकर्ताओं को थोक विद्युत प्रदाय	213
		कुल (उच्च दाब)	**2892**
योग निम्न दाव + उच्च दाब			**8909**

3.2 अनुज्ञप्तिधारी के 8909 मिलियन यूनिट के विद्युत विक्रय के पूर्वानुमान वित्तीय वर्ष 07 के पुनरीक्षित प्राक्कलन (जो 7927 मिलियन यूनिट हैं) से 12.39 प्रतिशत अधिक हैं। अनुज्ञप्तिधारी की याचिका के पूर्वानुमान अनुसार, इस प्राक्कलन में 1350 मिलियन यूनिट का बिना–मीटरीकृत कृषि विक्रय सम्मिलित है। अनुज्ञप्तिधारी ने घरेलू श्रेणी में 50 मिलियन यूनिट का बिना मीटरीकृत विक्रय का भी पूर्वानुमान किया है।

3.3 चर्चा के दौरान पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा बतलाया गया है कि दिनांक 30.9.06 की स्थिति में घरेलू श्रेणी के लगभग 55,226 उपभोक्ता, अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान में बिना मीटर विद्युत प्राप्त कर रहे हैं। तथापि; अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत

उसकी याचिका में; बिना मीटर घरेलू श्रेणी हेतु कोई विक्रय प्राक्कलित नहीं किये गये हैं परंतु इस श्रेणी की खपत पर भी मीटरीकृत विक्रय के रूप में विचार किया गया है ।

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तावित ऊर्जा संतुलन तथा विद्युत क्रय

3.4 एमपी ट्रेडको तथा तीनों वितरण कंपनियों के मध्य प्रचलित व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा किया गया है कि वह सुसंगत प्रपत्रों में (टैरिफ विनियमों के अनुसार) स्टेशनवार उत्पादन उपलब्धता की अद्यतन जानकारी सम्पूर्ण तथा स्वतंत्र रूप से प्रदान करने की स्थिति में नहीं है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यह जानकारी उसके द्वारा एमपी जनको, एमपी ट्रांसको तथा एमपी ट्रेडको (मध्यप्रदेश पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड) के साथ किये गये परस्पर वार्तालाप के आधार पर प्रदान की गई है। इस संबंध में, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यह दावा भी किया गया है कि उसके द्वारा मप्रविनिआ [विद्युत तथा अध्याप्ति (प्रोक्यूरमेंट) प्रक्रिया] विनियम, 2004, प्रथम पुनरीक्षण, 2006 (आरजी–19 (I) वर्ष 2006) की धारा 18 से मार्गदर्शन प्राप्त किया है जिसमें कहा गया है कि

''वितरण अनुज्ञप्तिधारी दीर्घ–कालीन मांग तथा प्रदाय उपलब्धता संबंधी निर्धारण, किसी एक अथवा समस्त संबंधितों से जिसमें राज्य सेक्टर उत्पादन कंपनियों, वितरण कंपनियों, निजी वितरण अनुप्तिधारियों, केन्द्रीय सेक्टर उत्पादन कंपनियों तथा पारेषण कंपनियों/क्षेत्रीय विद्युत मण्डल राष्ट्रीय/क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण भी सम्मिलित है से परामर्श द्वारा, करेगा।''

3.5 वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यह दावा किया गया है कि उसके द्वारा प्रमुख क्षेत्रीय प्रतिभागियों से अस्थाई (Tentative) रूप से अपनाई गई जानकारी का प्रयोग विद्युत क्रय की लागत की गणना हेतु, राजस्व आवश्यकता की प्राप्ति हेतु किया गया है। वितरण अनुज्ञप्तिधारी ने आयोग को अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञेय की जाने वाली विद्युत क्रय लागत की गणना करते समय इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाये जाने को अनुरोध किया है। उसने आयोग को अनुज्ञप्तिधारी को अद्यतन जानकारी प्रस्तुत किये जाने हेतु अवसर प्रदान किये जाने का भी अनुरोध किया यदि ऐसी जानकारी एमपी जनको, एमपी ट्रांसको तथा एमपी ट्रेडको द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को उपलब्ध करा दी जाती है।

3.6 अनुज्ञप्तिधारी ने क्षमता का प्रतिशत आवंटन (अर्थात् 29.5646 प्रतिशत) शासन की अधिसूचना दिनांक 18.10.2006 के अनुसार माना है। पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी ने निम्न मदों की गणना के विवरण उपरोक्त दर्शाये गये आवंटन के अनुसार प्रस्तुत किये हैं :

- समस्त स्त्रोतों से मासिक उपलब्ध विद्युत ऊर्जा
- उत्पादकों को देय वार्षिक स्थाई प्रभार
- उत्पादकों को प्रोत्साहनों, आयकर, शुल्कों आदि के कारण किये जाने वाले अनुमानित भुगतान ; तथा
- भुगतान किये जाने वाले अनुमानित अन्तर्राज्यीयपारेषण प्रभार

वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता का आकलन

3.7 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विभिन्न स्त्रोतों से विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता का आकलन ट्रेडको (मध्यप्रदेश पावर ट्रेडिंग कंपनी) के साथ उसके द्वारा की गई चर्चा के आधार पर किया गया है। एमपी जनको से विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता एमपी जनको द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु विद्युत उत्पादन के मासिक पूर्वानुमानों पर आधारित है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा किया गया है कि केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशनों (एनटीपीसी, एनपीसी) से उपलब्धता संबंधी जानकारी याचिका तैयार करते समय तथा दायर करने के समय तक उपलब्ध नहीं थी। उपलब्धता के

आकलन हेतु, पूर्व के दो वर्षों तथा चालू वर्ष के प्रथम छः माहों के ''वास्तविक उत्पादन'' का प्रयोग किया गया है। वर्ष 2005–06 के दौरान कोरबा की यूनिट क्रमांक 4 तथा विंध्याचल की (यूनिट क्रमांक 4 तथा 6) में हुए विवशताजन्य अवरोध (Forced Outage) के कारण उत्पादन की हानि का इन स्टेशनों से विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता का आकलन करते समय यथोचित विचार किया गया है।

3.8 वर्ष 2006–07 तथा वर्ष 2007–08 में उत्पादन प्रारंभ करने वाले नवीन स्टेशनों से संभावित उपलब्धता पर भी विचार किया गया है।

3.9 निम्न तालिका प्रत्येक स्त्रोत से वार्षिक उपलब्धता को दर्शाती है जबकि वित्तीय वर्ष 08 हेतु मासिक उपलब्धता याचिका के प्रपत्र एफ1–2 (एक अतिरिक्त प्रपत्र में) में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 60 : वित्तीय वर्ष 08 हेतु पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हेतु विद्युत ऊर्जा की उपलब्धि

स्त्रोतवार उपलब्धि (मिलियन यूनिट में)	2007–08 राज्य हेतु	2007–08 पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हेतु
एनटीपीसी (नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन)		
एनटीपीसी – कोरबा	3140	1191
एनटीपीसी – विंध्याचल I	2948	1118
एनटीपीसी – विंध्याचल II	2182	828
एनटीपीसी – विंध्याचल III	1146	435
एनटीपीसी – कवास	282	107
एनटीपीसी – गंधार	842	320
एनटीपीसी – सीपत	175	67
केएपीपी (काकरापार एटोमिक पावर प्रोजेक्ट)	467	177
टीएपीएस (तारापुर एटोमिक पावर प्रोजेक्ट)	1072	407
फरक्का	184	70
तालचेर	128	49
कहलगांव	81	31
कहलगांव 2	476	181
एनटीपीसी – योग	**13125**	**4979**
द्विपक्षीय विद्युत क्रय		
सीएचपीएस – गांधी सागर	171	65
सीएचपीएस – राणा प्रताप सागर	186	71
सीएचपीएस – जवाहर सागर	139	53
राजस्थान राज्य विद्युत मंडल (चम्बल, सतपुड़ा)	**497**	**188**
राजघाट एचपीएस (हायड्रो पावर स्टेशन)	45	17
दामोदर वैली कार्पोरेशन (डीवीसी)	770	292
महाराष्ट्र राज्य विद्युत मण्डल (पेंच)	209	79
लैंको (पावर ट्रेडिंग कार्पोरेशन–पीटीसी)	0	0
द्विपक्षीय योग	**1520**	**577**
अन्य स्त्रोत		
एनएचडीसी (नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कार्पोरेशन)–इन्दिरा सागर	2700	1024
सरदार सरोवर	1700	645
ओंकारेश्वर एचपीएस (हायड्रो पावर स्टेशन)	1200	455
अन्य (पवन ऊर्जा तथा कैप्टिव विद्युत संयंत्र)	0	0
लद्यु अवधि क्रय	0	0

अन्य 3 (अनशेड्यूल्ड इन्टरचेंज–यू.आई)	**5600**	**2125**
एमपी जनको–ताप विद्युत		
अमरकंटक पीएच–I	181	69
अमरकंटक पीएच–II	941	357
अमरकंटक पीएच–III	558	212
सतपुड़ा पीएच–I	1871	710
सतपुड़ा पीएच–II	2624	996
सतपुड़ा पीएच– III	2647	1004
संजय गांधी पीएच–I	2464	935
संजय गांधी पीएच–II	2617	993
बिरसिंहपुर	3241	1230
एमपीजनको – ताप विद्युत	**17145**	**6505**
एमपी जनको – जल विद्युत	0	0
बाण सागर टोंस एचपीएस–टोंस	936	355
बाण सागर टोंस एचपीएस सिलपारा	79	30
बाण सागर टोंस एचपीएस देवलोंद	79	30
बाण सागर टोंस एचपीएस बाणसागर IV	79	30
बिरसिंहपुर–एचपीएस	45	17
बरगी एचपीएस	503	191
मढ़ी खेड़ा एचपीएस	73	28
मिनी–माइक्रो एचपीएस	0	0
एमपी जनको – जल विद्युत का योग	**1794**	**681**
महायोग	**39180**	**14916**

विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत क्रय लागत (स्थाई तथा परिवर्तनीय लागत) का आकलन

3.10 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा एमपी जनको की स्थाई लागतें तथा परिवर्तनीय लागतें एमपी जनको हेतु आयोग के बहुवर्षीय (वित्तीय वर्ष 07 से वित्तीय वर्ष 09) टैरिफ आदेश से अपनाई गई हैं। विद्यमान केन्द्रीय क्षेत्र के स्टेशनों हेतु, स्थाई लागतें (Fixed Costs) केंन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के तत्संबंधी स्टेशनों हेतु आदेशों के अनुसार तथा परिवर्तनीय लागतें (Variable Costs) वर्तमान में लागू ईंधन मूल्य समायोजन (फ्यूल प्राईस एडजस्टमेंट–एफपीए) को सम्मिलित कर माह जुलाई, 2006 के देयक के अनुसार अपनाई गई हैं।

3.11 केन्द्रीय क्षेत्र के नवीन स्टेशनों से विद्युत क्रय की लागत को गणना हेतु, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निम्न विधि अपनाई गई है :

(ए) विंध्याचल–III हेतु, परिवर्तनीय लागत को माह जुलाई, 2006 के अशक्त ऊर्जा (इन्फर्म पावर) संबंधी देयक के अनुसार प्राक्कलित किया गया है।

(बी) सीपत–II तथा कहलगांव–II–चरण–I हेतु, नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन द्वारा उनके पत्र क्रमांक 01 :: सीडी : 279 : एनएनएस दिनांक 27.5.2004 द्वारा प्रदान किये गये अस्थाई (Tentative) प्राक्कलन को परिवर्तनीय लागतों के अवधारण हेतु आधार के रूप में प्रयोग किया गया है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कहा गया है कि परिवर्तनीय लागतों के यथार्थपूर्ण स्तरों को प्रतिबिंबित किये जाने की दृष्टि से, पत्र में प्रदान किये गये तत्संबंधी परिवर्तनीय लागतों में अवधारण की आधार तिथि से 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वृद्धि की गई है। परिवर्तनीय लागत वृद्धि ईंधन मूल्य समायोजन (फ्यूल प्राईस एडजस्टमेंट–एफपीए) प्रभारों के रूप में दर्शाई गई है।

(सी) उपरोक्त दर्शाये गये तीनों स्टेशनों अर्थात्, विन्ध्याचल–III सीपत–II तथा कहलगांव–II–चरण (I) हेतु स्थाई लागतों को पत्र में प्रदान की गई प्रति यूनिट स्थाई लागत के परिवर्तन द्वारा प्राक्कलित किया गया है।

3.12 अन्य नवीन स्टेशनों बाबत, स्थाई तथा परिवर्तनीय लागतें ट्रेडको से की गई चर्चा के आधार पर प्राक्कलित की गई हैं। निम्न तालिका विद्युत क्रय लागत के अवधारण हेतु विचार किये गये प्रत्येक स्टेशन की स्थाई तथा परिवर्तनीय लागतों की संक्षेपिका दर्शाती है। जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के स्थाई लागत के अंशदान को समग्र राजस्व आवश्यकता के प्रयोजन हेतु माना गया है।

तालिका 61 : वित्तीय वर्ष 08 हेतु पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हेतु स्थाई एवं परिवर्तनीय लागतें

(वर्ष 2007–08)

स्त्रोतवार उपलब्धि	स्थाई लागत– राज्य (करोड़ रूपये में)	स्थाई लागत– पश्चिम क्षेविविकं (करोड़ रूपये में)	परिवर्तनीय लागत (रूपये/किलो वाट आवर में)	ईंधन मूल्य समायोजन (एफपीए) (रूपये/किलो वाट आवर में)
एनटीपीसी (नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन)				
एनटीपीसी – कोरबा	85.95	32.61	0.47	0.07
एनटीपीसी – विंध्याचल I	98.17	37.25	0.76	0.19
एनटीपीसी – विंध्याचल II	135.26	51.32	0.73	0.18
एनटीपीसी – विंध्याचल III	181.86	69	0.87	0.00
एनटीपीसी – कवास	61.20	23.22	1.03	2.26
एनटीपीसी – गंधार	98.85	37.50	1.02	0.36
एनटीपीसी – सीपत	99.89	37.90	0.41	0.12
केएपीपी (काकरापार एटोमिक पावर प्रोजेक्ट)	0.00	0.00	2.02	0.01
टीएपीएस (तारापुर एटोमिक पावर प्रोजेक्ट)	0.00	0.00	1.95	0.00
फरक्का	7.49	2.84	0.99	0.08
तालचेर	5.76	2.18	0.41	0.14
कहलगांव	5.3	2.01	1.07	6.18
कहलगांव 2	54.69	20.75	0.69	0.28
एनटीपीसी – योग	**834.44**	**316.59**		
द्विपक्षीय विद्युत क्रय				
सीएचपीएस – गांधी सागर	10.86	4.12	0.00	
राजस्थान राविमं (चंबल, सतपुड़ा)	10.86	4.12	0.00	
राजघाट (हायड्रो पावर स्टेशन)	8.56	3.25	0.00	
दामोदर वैली कार्पोरेशन (डीवीसी)	0.00	0.00	2.54	
महाराष्ट्र राज्य विद्युत मण्डल (पेंच)	11.60	4.4	0.00	
लैंको (पावर ट्रेडिंग कार्पोरेशन–पीटीसी)	0.00	0.00	0.00	
द्विपक्षीय योग	**31.02**	**11.77**		
अन्य स्त्रोत				
एनएचएचडीसी–इन्दिरा सागर	275.88	104.67	0.00	
सरदार सरोवर	0.00	0.00	0.95	
ओंकारेश्वर हायड्रो पावर स्टेशन	0.00	0.00	0.95	

अन्य । (पवन एवं कैप्टिव विद्युत संयंत्र)	0.00	0.00	0.00	
अन्य 2 (लघु अवधि क्रय)	0.00	0.00	0.00	
अन्य 3 (अनशेड्यूल्ड इन्टरचेंज–यू. आई)	**275.88**	**104.67**		
एमपी जनको–ताप विद्युत				
अमरकंटक पीएच–I	49.23	18.68	1.17	
अमरकंटक पीएच–II				
अमरकंटक पीएच–III	140.00	53.12	1.17	
सतपुड़ा पीएच–I	207.29	78.65	1.34	
सतपुड़ा पीएच–II				
सतपुड़ा पीएच– III				
संजय गांधी पीएच–I	303.70	115.23	1.02	
संजय गांधी पीएच–II				
बिरसिंहपुर	320.00	121.41	1.02	
एमपी जनको–ताप विद्युत	**1020.22**	**387.08**		
एमपी जनको – जल विद्युत				
बाण सागर काम्प्लेक्स	92.92	35.25	0.00	
बिरसिंहपुर एचपीएस	3.93	1.49	0.00	
बरगी एचपीएस	9.68	3.67	0.00	
मढ़ी खेड़ा एचपीएस	0.00	0.00	0.00	
मिनी–माइक्रो एचपीएस	0.00	0.00	0.00	
जल विद्युत का योग	**106.53**	**40.42**		
महायोग	**2268.09**	**860.53**		

विद्युत क्रय लागत के अन्य अवयवों का आकलन

3.13 विद्युत क्रय लागत के अन्य अवयवों, जैसे कि, प्रोत्साहन, आय–कर, उत्पादन–शुल्क तथा उपकर आदि तथा अन्य विभिन्न प्रभार वित्तीय वर्ष 2005–06 के इस लेखे के वास्तविक व्यय के स्तर पर माने गये हैं।

तालिका : 62 वित्तीय वर्ष 08 हेतु समस्त स्टेशनों हेतु अन्य प्रभार

केन्द्रीय विद्युत स्टेशन (सीजीएस) के अन्य प्रभार	प्रोत्साहन / (अप्रोत्साहन)	आय कर	अन्य प्रभार (उत्पादन शुल्क–उप कर आदि)	अन्य प्रभारों का योग (करोड़ रूपये में)
2007–08 हेतु कुल (प्राक्कलित)	38.79	49.75	84	172.53
म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का अंशदान				
2007–08 (प्राक्कलित)	14.72	18.9	31.9	65.46

अन्तर्राज्यीय पारेषण लागतें

3.14 राज्यीय पारेषण लागतें माह सितम्बर 2005 से अगस्त 2006 के वास्तविक देयकों के आधार पर प्राक्कलित की गई हैं। इस अवधि हेतु, कुल देयक राशि क्षेत्र हेतु रू.110.14 करोड़ आती है तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्तीय वर्ष 08 हेतु इसी राशि को अपनाया गया है। लघु–अवधि

विद्युत पारेषण पर छूटें, आदि को प्राक्कलित नहीं किया गया है क्योंकि इनकी प्रवृत्ति की निश्शक्त (इन्फर्म) होने की संभावना है।

तालिका 63 : वित्तीय वर्ष 08 हेतु अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार

माह/करोड़ रूपये में	पश्चिमी क्षेत्र	पूर्वी क्षेत्र	पश्चिमी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र/ एकीकृत भार प्रेषण केन्द्र	अन्तर्राज्यीय पश्चिमी–पूर्वी क्षेत्र	अन्तर्राज्यीय पश्चिमी–दक्षिणी क्षेत्र	अन्तर्राज्यीय पश्चिमी–उत्तरी क्षेत्र	योग
सितम्बर 05	8.37	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	9.27
अक्टूबर 05	8.7	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	9.53
नवम्बर 05	8.56	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	9.35
दिसम्बर 05	8.63	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	9.12
जनवरी 06	8.46	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	8.69
फरवरी 06	8.46	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	8.68
मार्च 06	9.09	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	9.31
अप्रैल 06	9.0	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	9.24
मई 06	9.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	9.46
जून 06	9.22	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	9.47
जुलाई 06	7.8	0.25	0.00	0.24	0.14	0.73	9.15
अगस्त 06	7.71	0.25	0.00	0.29	0.08	0.54	8.87
योग	**103.24**	**4.88**	**0.00**	**0.53**	**0.22**	**1.27**	**110.14**
पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का अंशदान	**39.17**	**1.44**	**0.00**	**0.2**	**0.08**	**0.48**	**41.79**

गुण–दोष क्रमानुसार प्रेषण (मेरिट आर्डर डिस्पैच)

3.15 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मसिक आधार पर गुण–दोष क्रमानुसार प्रेषण के अनुसरण को विभिन्न स्त्रोतों की परिवर्तनशील लागतों के आधार पर मासिक उपलब्धता के साथ मासिक ऊर्जा की आवश्यकता के साथ मिलान कर अपनाया गया है। अनुज्ञप्तिधारी ने निवेदन किया है कि जबकि लागतों का मासिक अवधारण लागत के वार्षिक उपलब्धता पर उन्नत प्राक्कलन प्रदान करना है, परन्तु, दैनिक शीर्ष आवश्यकताओं तथा वास्तविक तथा प्राक्कलन के मध्य अन्तर के आधार पर वास्तविक लागत आगे टल जावेगी। अनुज्ञप्तिधारी ने आगे निवेदन किया है कि अन्तरों को नियमित आधार पर प्रस्तावित लागत समायोजन सूत्र (फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट–एफसीए फार्मूला) के अनुसार अन्तरित कर दिया जावेगा जो कि राष्ट्रीय टैरिफ नीति के उपबंधों कंडिका 5.3 (ज) (4) तथा कंडिका 8.2.1 (1) के अनुरूप है:

''विगत लागतों के बोझ से भावी उपभोक्ताओं को बचाने के लिये अनियंत्रण योग्य लागतों को तेजी से वसूल किया जाना चाहिए। अनियंत्रण योग्य लागतों (सीमित नहीं) में शामिल है–ईंधन लागत, मुद्रा स्फिति के कारण लागत, कर एवं उपकर विपरीत प्राकृतिक घटनाओं के मामले में हाइड्रो–थर्मल मिश्रण समेत विद्युत क्रय यूनिट लागतों में भिन्नता''

एवं

''सभी विद्युत क्रय लागतों को वैध समझा जाना आवश्यक है जब तक कि यह स्थापित न कर दिया जाये कि मेरिट आदेश सिद्धांत का उल्लंघन किया गया है और अनुचित दरों पर विद्युत का क्रय किया गया है।''

3.16 अनुज्ञप्तिधारी ने दावा किया है कि विद्युत ऊर्जा की मासिक आवश्यकता अनुज्ञप्तिधारी के स्वयं द्वारा किये गये आकलन तथा अन्य वितरण कंपनियों की आवश्यकताओं के संभावित प्राक्कलन पर आधारित है। अनुज्ञप्तिधारी का कथन है कि केवल आयोग के पास ही समस्त वितरण कंपनियों द्वारा नियोजित की गई कुल विद्युत ऊर्जा की आवश्यकताओं की जानकारी उपलब्ध है।

वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तावित किया गया विद्युत क्रय

तालिका 64 : वित्तीय वर्ष 08 हेतु कुल विद्युत शक्ति की आवश्यकता तथा विद्युत ऊर्जा की औसत लागत

सरल क्रमांक	विवरण		मिलियन यूनिट में	वित्तीय वर्ष 08	
				राशि	रूपये प्रति किलोवाट
1	केन्द्रीय क्षेत्र	कोरबा	1191.5	113.11	**0.95**
2		विंध्याचल–I	1118.3	173.19	**1.55**
3		विंध्याचल– II	827.9	142.69	**1.72**
4		कवास	25.7	34.55	**13.44**
5		गंधार	179.8	63.86	**3.55**
6		केएपीपी	177.2	36.66	**2.07**
7		टीएपीपीएस3 तथा 4	406.8	79.43	**1.95**
8		विंध्याचल III (यूनिट– I)	434.6	106.71	**2.46**
9		सीपत	66.6	41.47	**6.23**
10		**योग**	**4428.3**	**791.7**	**1.79**
11	**पूर्वी क्षेत्र**	**फरक्का+तालचेर+कहलगांव-I+ कहलगांव–II**	**323.5**	**58.47**	**1.81**
12	**द्विपक्षीय क्रय**	**जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर**	**185.29**	**19.48**	**1.05**
13	अन्य स्रोत	एनएचडीसी (इन्दिरा सागर)	1024.37	104.67	**1.02**
14		संयुक्त उपक्रम–सरदार सरोवर	644.89	61.52	**0.95**
15		कैप्टिव विद्युत संयंत्र / पवन ऊर्जा			
16		लघु–अवधि क्रय	50.24	17.58	**3.50**
17		नवीन जल विद्युत स्टेशन (मढ़ीखेड़ा, तथा बाणसागर–IV, ओंकारेश्वर)	513.13	43.43	**0.85**
18		**योग**	**2,232.64**	**227.21**	**1.02**
19	लघु अवधि विक्रय (घटायें)				
20	**शुद्ध विद्युत क्रय**		**7,169.75**	**1,097.19**	**1.53**
21	पारेषण प्रभार	स्थाई प्रभार		41.79	
22		कर			
23		**योग**			
24	उप–योग				
25	एमपी जनको		6586.02	1103.02	
26	**कुल विद्युत क्रय**		**13,755.77**	**2,242**	**1.6299**

3.17 तालिका क्रमांक 60 तथा 64 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता तथा उसकी आवश्यकता में 1160.23 (14916–13756) यूनिटों का अन्तर है। यद्यपि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दायर याचिका में इस अन्तर के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दर्शाया गया है परन्तु बाद में की गई प्रस्तुतियों में, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दर्शाया गया है कि इस अधिक विद्युत ऊर्जा का एक भाग राज्य के बाहर विद्युत व्यापार, में उपयोग किया जावेगा जिससे कि उसे रू. 91 करोड़ की आय होना संभावित है।

3.18 पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्राक्कलित कुल विद्युत क्रय लागत रू. 2242 करोड़ आती है जो वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु रू0 1.6299 प्रति यूनिट है ।

आयोग का विश्लेषण

विक्रय के पूर्वानुमान

3.19 आयोग इस तथ्य को स्वीकार करता है कि भारी संख्या में बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं का मीटरीकरण किया जाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है तथा इसे केवल क्रमिक रूप से अंजाम दिया जा सकता है। आयोग द्वारा तीनों वितरण कंपनियों के अध्यक्ष सह–प्रबंध संचालकों के साथ दिनांक 23, फरवरी 2007 को एक बैठक आयोजित की गई तथा गहन विचार–विमर्श उपरांत बिना मीटर वाले घरेलू श्रेणी उपभोक्ताओं के संयोजनों को मीटरीकृत किये जाने वाली समय–सारणी को पुनरीक्षित किये जाने तथा वितरण ट्रांसफार्मरों का मीटरीकरण, बिना मीटर वाली कृषि संबंधी विद्युत खपत को निर्धारित किये जाने हेतु निर्णय लिया गया। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मार्गदर्शिका प्रदान कर दी गई है। निर्धारित किये गये लक्ष्यों के अनुसार, घरेलू श्रेणी के समस्त बिना मीटर वाले संयोजनों को माह दिसम्बर 2008 तक मीटरीकृत कर दिया जावेगा। इसके अतिरिक्त, अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा यह भी वचन दिया गया है कि अधिकांश कृषि उपभोक्ताओं को जिनकी संख्या लगभग 23000 है को पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी हेतु, विद्युत प्रदाय को मार्च, 2011 तक, एक एशियन डेवलपमेंट बैंक कार्यक्रम की सहायता से मीटरीकृत कर दिया जावेगा। आयोग द्वारा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है तथा समस्त हितधारकों (स्टेकहोल्डर) के विचारों की प्राप्ति के उपरांत 100 प्रतिशत मीटरीकरण की उपलब्धि हेतु नवीन समयबद्ध कार्यक्रम अधिसूचित किया जावेगा। तथापि, वित्तीय वर्ष 08 हेतु, आयोग द्वारा इस तथ्य पर विचार किया गया है कि बिना–मीटर विद्युत का विक्रय किया जावेगा तथा इस हेतु उसके द्वारा इन श्रेणियों की खपत के आकलन को मान्य कर लिया गया है।

3.20 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा घरेलू तथा कृषि श्रेणियों हेतु बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं की प्राक्कलित खपत के संबंध में, प्रस्तुतियों के आधार पर, आयोग निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान करता है :

(ए) घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं की बिलिंग 77 यूनिट प्रति उपभोक्ता प्रति माह के आधार पर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 38 यूनिट प्रति उपभोक्ता प्रति माह के आधार पर की जावेगी;

(बी) विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं की बिलिंग स्थाई संयोजनों हेतु 100 यूनिट प्रति अश्वशक्ति के स्वीकृत भार प्रति माह तथा अस्थाई संयोजन हेतु 130 यूनिट प्रति अश्वशक्ति के स्वीकृत भार प्रति माह के आधार पर की जावेगी ; तथा

(सी) शहरी क्षेत्रों में बिना मीटर वाले कृषि उपभोक्ताओं की बिलिंग स्थाई संयोजनों हेतु 130 यूनिट प्रति अश्वशक्ति के स्वीकृत भार प्रति माह तथा अस्थाई संयोजनों हेतु 150 यूनिट प्रति अश्वशक्ति के स्वीकृत भार प्रति माह के आधार पर की जावेगी।

3.21 अन्य दो विद्युत वितरण कंपनियों के विपरीत, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 08 हेतु, बिना मीटर वाले स्थाई कृषि उपभोक्ताओं के विक्रय के आकलन हेतु 100 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रतिमाह को आधार माना है, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रदाय किये गये आंकड़ों के अनुसार, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसके स्थान पर 170 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रतिमाह को इस श्रेणी के उपभोक्ताओं की खपत आकलित किये जाने हेतु प्रयोग किया गया है। यदि इसी आंकड़े का प्रयोग बिलिंग आधार हेतु किया जाता है तो इन उपभोक्ताओं के विक्रय पूर्वानुमान 562 मिलियन यूनिट कम हो जावेंगे, जिसका कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पूर्वानुमान किया गया है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग के समक्ष निवेदन किया गया है कि इन उपभोक्ताओं की खपत के आकलन का आधार 100 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रतिमाह हो सकता है जिसे कि आयोग विद्युत प्रदाय की सीमित अवधि के आधार पर स्वीकार्य–योग्य पाता है। अतः इन उपभोक्ताओं के आकलित खपत पूर्वानुमानों में 562 मिलियन यूनिट की कटौती की जाना आवश्यक है। इसके परिणामस्वरूप, विद्युत क्रय मात्रा तथा राजस्वों में कमी हो जावेगी। आयोग, तथापि, कृषि–बहुल क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय कर रहे वितरण ट्रांसफार्मरों पर तत्काल मीटर स्थापित किया जाने का दृढ़ समर्थन करता है तथा इसके साथ ही वह वर्ष के व्यस्त तथा अव्यस्त मौसमों में नमूना सर्वेक्षण संचालित किये जाने का भी समर्थन करता है ताकि खपत के रूझान का आकलन किया जा सके।

3.22 यहां यह भी टीप किये जाने योग्य है कि वित्तीय वर्ष 2007–08 में विद्यमान उत्पादन तथा नियोजित क्षमता वृद्धि के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य को विद्युत मात्रा की उपलब्धता, अनुज्ञप्तिधारी की विक्रय आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु आवश्यकता से काफी अधिक है। उपलब्ध विद्युत की मात्रा, पारेषण एवं वितरण हानियों पर विचार किये जाने के उपरांत भी, उपभोक्ताओं की पूर्वानुमान आवश्यकताओं हेतु पर्याप्त है।

3.23 उपरोक्त की गई चर्चा के आधार पर, आयोग विक्रय के पूर्वानुमानों का अनुमोदन, तथापि 562 मिलियन यूनिट की कमी द्वारा जैसा कि पैरा 3.21 में अमीटरीकृत स्थाई कृषि उपभोक्ताओं के प्रक्षेपित विक्रय के बारे में स्पष्ट किया गया है, दायर की गई याचिका के अनुसार करता है। वित्तीय वर्ष 08 हेतु अंतिम अनुमोदित विक्रय पूर्वानुमान निम्नानुसार हैं :

तालिका 65 : वित्तीय वर्ष 08 हेतु पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी का प्राक्कलित विद्युत विक्रय

उपभोक्ता श्रेणी			वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुमोदित किया गया विक्रय मिलियन यूनिट में
निम्न दाब उपभोक्ता	एलवी 1	घरेलू बत्ती, पंखा तथा पावर	1707
	एलवी 2	गैर–घरेलू बत्ती, पंखा तथा पावर	419
	एलवी 3	जल प्रदाय संयत्र तथा पथ–प्रकाश	141
	एलवी 4	निम्न दाब औद्योगिक *	409
	एलवी 5	कृषि उपभोक्ता	2780
		योग (निम्न दाब)	**5456**
उच्च दाब उपभोक्ता	एचवी 1	रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन)	313
	एचवी 2	कोयला खदाने (कोलमाईन्स)	0
	एचवी 3	औद्योगिक तथा गैर–औद्योगिक	2142
	एचवी 4	मौसमी सीजनल	11
	एचवी 5	उच्च दाब सिंचाई तथा सार्वजनिक जल प्रदाय	212
	एचवी 6	टाऊनशिप तथा आवासीय कालोनी	0
	एचवी 7	छूट प्रदायकर्ताओं को थोक विद्युत प्रदाय	213
		कुल (उच्च दाब)	**2892**
योग निम्न दाब + उच्च दाब			**8347**

* निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उपयोग (एलवी 5.2) हेतु विक्रय सम्मिलित है जिसे कि पूर्व में कृषि श्रेणी में सम्मिलित किया गया था ।

3.24 धारा 61 के अंतर्गत आयोग द्वारा जारी वितरण तथा खुदरा विद्युत प्रदाय टैरिफ अवधारण संबंधी विनियमों के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विचाराधीन वर्ष के दौरान विक्रय की गई वास्तविक विद्युत की मात्रा को मानदण्डीय हानियों हेतु समेकित किया जावेगा ताकि ऐसे वर्ष में अनुज्ञेय विद्युत क्रय की मात्रा की गणना की जा सके।

ऊर्जा संतुलन तथा विद्युत क्रय

3.25 राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 07 से वित्तीय वर्ष 11 की अवधि हेतु वितरण हानियों के वार्षिक लक्ष्य प्रकाशित किये जा चुके हैं जिन्हें कि निम्न तालिका में दर्शाया गया है। आयोग द्वारा अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत आवश्यकता की गणना मध्यप्रदेश शासन के वितरण हानियों संबंधी आदेश दिनांक 28 दिसम्बर 2006 के आधार पर की गई है। अतः आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 की अवधि बाबत पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी हेतु वितरण हानि 28.5 प्रतिशत मानी गई है।

तालिका 66 : मध्यप्रदेश शासन के पत्र दिनांक 28 दिसम्बर 2006 के अनुसार वितरण हानियां (प्रतिशत में)

वर्ष	पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी
वित्तीय वर्ष 2006–07	30.0%
वित्तीय वर्ष 2007–08	28.5%
वित्तीय वर्ष 2008–09	27.0%
वित्तीय वर्ष 2009–10	25.5%
वित्तीय वर्ष 2010–11	24.0%

3.26 अंतर्राज्यीय पारेषण हानियों की गणना पिछले 52 सप्ताह की अनुसूचित हानियों की गतिशील औसतों के आधार पर की गई है। वित्तीय वर्ष 08 हेतु इन हानियों की गणना निम्न तालिका के अनुसार की गई है :

तालिका 67 : माहवार अन्तर्राज्यीय पारेषण हानियां (प्रतिशत में)

माह	पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी
अप्रैल	5.1%
मई	5.0%
जून	5.1%
जुलाई	5.4%
अगस्त	5.5%
सितम्बर	5.2%
अक्टूबर	5.3%
नवम्बर	5.3%
दिसम्बर	5.2%
जनवरी	5.2%
फरवरी	5.3%
मार्च	5.2%

3.27 आयोग द्वारा पारेषण बहुवर्षीय टैरिफ आदेशानुसार राज्यान्तरिक (इंटर–स्टेट) पारेषण हानियां 4.9 प्रतिशत मानी गई हैं।

3.28 मध्यप्रदेश शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 08 हेतु निर्धारित हानि के लक्ष्यों के अनुसार ऊर्जा संतुलन की स्थिति निम्न तालिका में प्रस्तुत की गई है :

तालिका 68 : वित्तीय वर्ष 08 हेतु ऊर्जा संतुलन

सरल कमांक	विवरण	पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी
1	कुल विद्युत ऊर्जा का विक्रय (मिलियन यूनिट में)	8347
2	वितरण हानि (% में)	28.5%
3	पारेषण – वितरण अर्न्तमुख पर (मिलियन यूनिट में)	11674
4	मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कं लिमिटेड की पारेषण हानि (% में)	4.90%
5	मध्यप्रदेश राज्य की सीमा पर	12276
6	बाह्य हानियां (मिलियन यूनिट में)	264
7	**शुद्ध ऊर्जा की आवश्यकता (मिलियन यूनिट में)**	**12540**

3.29 आयोग द्वारा मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक 1929/एफआरएस/14/XIII/ 2001 दिनांक 14, मार्च, 2007 के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी की आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु तथा ट्रेडको नवीन स्टेशनों से आवंटित की गई क्षमताओं बाबत भी विद्यमान स्टेशनों से विद्युत ऊर्जा के आवंटन पर विचार किया गया है। आयोग द्वारा मध्यप्रदेश की अधिसूचना पर भी विचार किया गया है जिसमें कहा गया है कि विद्युत ऊर्जा के कमी वाले महीनों में, अनुज्ञप्तिधारियों को एमपी ट्रेडको से विद्युत क्रय करना होगा।

3.30 मध्यप्रदेश शासन की उपरोक्त उल्लेखित अधिसूचना के आधार पर आयोग द्वारा विचारित पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को किया गया स्टेशन–वार क्षमता का आवंटन निम्न तालिका के अनुसार दर्शाया गया है :

तालिका 69 : पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को स्टेशन–वार क्षमता आवंटन (प्रतिशत में)

पावर स्टेशन का नाम	पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी
एमपीपीजीसीएल–एसएच (स्टेट हॉयडल) : बरगी	30.44%
एमपीपीजीसीएल–आईएस (इन्टरस्टेट) : गांधीसागर	30.44%
एमपीपीजीसीएल–आईएस (इन्टरस्टेट) : पेंच	30.44%
एमपीपीजीसीएल–एसएच (स्टेट हॉयडल) : बिरसिंहपुर	30.44%
एमपीपीजीसीएल–एसएच (स्टेट हॉयडल) : बाणसागर काम्प्लेक्स	30.44%
एमपीपीजीसीएल–आईएस (इन्टरस्टेट) : राजघाट	30.44%
पूर्वी क्षेत्र : तालचेर एसटीपीएस (सुपर थर्मल पावर स्टेशन)	30.44%
सरदार सरोवर परियोजना	30.44%

पश्चिमी क्षेत्र : कोरबा एसटीपीएस (सुपर थर्मल पावर स्टेशन)– I	30.44%
संयुक्त उपक्रम : इंदिरा सागर (8 x 125 मेगावाट)	37.94%
एमपीजीसीएल–एसटी (सुपर थर्मल) : अमरकंटक काम्प्लेक्स	37.94%
पश्चिमी क्षेत्र : विंध्याचल एसटीपीएस (सुपर थर्मल पावर स्टेशन) –I	37.94%
एमपीपीजीएल–एसटी (स्टेट थर्मल) : संजय गांधी काम्प्लेक्स	37.94%
एमपीपीजीएल–एसटी (स्टेट थर्मल) : सतपुड़ा काम्पलेक्स (पावर हाऊस–II तथा III)	37.94%
एमपीपीजीएल–एसटी (स्टेट थर्मल) : सतपुड़ा पावर हाऊस कमांक–I (अंर्तराज्यीय)	37.94%
पूर्वी क्षेत्र : फरक्का एसटीपीएस	47.17%
पश्चिमी क्षेत्र : विंध्याचल एसटीपीएस– II	47.17%
पश्चिमी क्षेत्र : विंध्याचल एसटीपीएस– III (यूनिट–I)	47.17%
पश्चिमी क्षेत्र : ककरापार एपीएस (एटामिक पावर स्टेशन)	47.17%
पश्चिमी क्षेत्र : गंधार जीपीपी (गैसबेस पावर प्लांट)	47.17%
पश्चिमी क्षेत्र : तारापुर एपीएस (एटामिक पावर स्टेशन)	47.17%
पूर्वी क्षेत्र : कहलगांव एसटीपीएस (सुपर थर्मल पावर स्टेशन)	47.17%
एमपीपीजीएल–एसएच (स्टेट हॉयडल) : मढ़ीखेड़ा	47.17%
पश्चिमी क्षेत्र : कवास जीपीपी (गैसबेस पावर प्लांट)	47.17%
भारित औसत	**37.94%**

3.31 यद्यपि मध्यप्रदेश शासन द्वारा राणाप्रताप एवं जवाहर सागर एचईपी (हायड्रो इलेक्ट्रिक पावर) के 135.5 मेगावाट का 37.94% पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को आवंटित किया गया है, आयोग ने इन स्टेशनों से उपलब्ध हो रही विद्युत ऊर्जा पर विचार नहीं किया है क्योंकि ये राजस्थान राज्य में स्थित हैं। इसी प्रकार, यद्यपि मध्यप्रदेश शासन द्वारा सतपुड़ा चरण–I के 187.5 मेगावाट का 37.94% पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को आवंटित किया गया है, आयोग द्वारा 312.5 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता की उपलब्धता पर विचार किया है क्योंकि परियोजना मध्यप्रदेश राज्य में स्थित है। इसी के कारण भारित (व्हेटेड) औसत आवंटन मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना में दर्शाये गये 37.21% के स्थान पर 37.94% हो गया है। यह आयोग द्वारा पूर्व में मानी गयी स्थिति के अनुरूप ही है।

3.32 केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशन : वित्तीय वर्ष 08 हेतु, केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों से वार्षिक ऊर्जा उपलब्धता पर, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दायर की गई याचिकाओं के अनुसार विचार किया गया है।

3.33 एमपी जनको स्टेशन : जैसा कि पूर्व में उल्लेखित है, अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा एमपी जनको से विद्युत ऊर्जा की उपलब्धि वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु एमपी जनको द्वारा विद्युत उत्पादन के मासिक पूर्वानुमानों के आधार पर दर्शाई गई है।

3.34 आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 08 हेतु मासिक उपलब्धता तथा आवश्यकता के विश्लेषण के अभ्यास का कार्य हाथ में लिया गया। विश्लेषण के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी हेतु प्रत्येक माह में बचत अथवा घाटा प्रदर्शित हुआ है।

3.35 वित्तीय वर्ष 08 हेतु, अनुज्ञप्तिधारी की माहवार विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता तथा आवश्यकता निम्नानुसार दर्शाई गई है :

तालिका 70 : वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु माह–वार विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता एवं उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)

माह	पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी				
	उपलब्ध विद्युत की मात्रा	वितरण कंपनियों के मध्य व्यापार से उपलब्धि	विद्युत की आवश्यकता	वितरण कंपनियों के मध्य व्यापार से विक्रय	(घाटा)/बचत
	ए	बी	सी	डी	ई = (ए+बी)–(सी+डी)
अप्रैल	953.3	0	951.6	1.7	0
मई	974.0	0	938.7	35.3	0
जून	873.7	0	901.1	0	(27.3)
जुलाई	869.4	0	855.3	14.1	0
अगस्त	1103.7	0	928.3	5.2	170.2
सितम्बर	1108.3	0	925.7	0	182.7
अक्टूबर	1241.1	0	1178.1	0	63.0
नवम्बर	1162.3	0	1314.2	0	(151.9)
दिसम्बर	1136.7	0	1267.3	0	(130.5)
जनवरी	1085.7	0	1169.4	0	(83.7)
फरवरी	951.9	0	1070.1	0	(118.2)
मार्च	1000.4	0	1040.5	0	(40.0)
योग	**12460.7**	**0**	**12540.3**	56.3	**(135.9)**

3.36 जैसा कि उपरोक्त दर्शाई गई तालिका से देखा जा सकता है अनुज्ञप्तिधारी को माह जून एवं माह नवम्बर से मार्च हेतु 551.6 मिलियन यूनिट की लघु–अवधि विद्युत की अध्याप्ति (प्रोक्यूरमेंट) करनी होगी तथा माह अगस्त से अक्टूबर तक उसे 415.9 मिलियन यूनिट विद्युत की बचत होगी। यह अध्याप्ति एमपी जनको से रू.1.84 प्रति किलोवाट आवर की औसत दर से निम्न दर्शाई गई तालिका में की गई गणना के अनुसार की जावेगी :

तालिका 71 : वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान एमपी ट्रेडको से लघु–अवधि विद्युत क्रय की दर

एमपी ट्रेडको के स्टेशन	मिलियन यूनिट	कुल लागत (करोड़ रूपये में)
सीपत	749.69	125.17
कहलगांव एसटीपीएस– II	699.28	145.59
बिरसिंहपुर	3267.65	653.30
अमरकंटक	686.21	150.29
ओंकारेश्वर	1200.00	114.48
विन्ध्याचल एसटीपीएस–III (यूनिट क्रमांक 2)	746.66	156.89
मढ़ीखेड़ा (यूनिट–III)	27.68	9.38
योग	**7377.16**	**1355.09**
औसत दर (रूपये प्रति यूनिट में)		**1.84**

3.37 चूंकि आयोग ने वित्तीय वर्ष हेतु राज्य में एक समान टैरिफ दर रखे जाने का निर्णय लिया है, अनुज्ञप्तिधारी के पास बची हुई आधिक्य विद्युत ऊर्जा प्रथमतः मध्यप्रदेश राज्य के अन्य अनुज्ञप्तिधारियों को प्रदान की जावेगी, जिनके पास उक्त माह में विद्युत की कमी होगी। आयोग निर्देश देता है कि राज्य के भीतर अन्य वितरण कंपनियों को आधिक्य ऊर्जा की विक्रय दर विद्युत की मासिक संकोषीय लागत (मन्थली पूल्ड कॉस्ट) निम्न तालिका में दर्शायेनुसार होनी चाहिए :

तालिका 72 : समुच्य वितरण कंपनियों हेतु विद्युत ऊर्जा की मासिक संकोषीय लागत

सरल क्रमांक	माह	मिलियन यूनिट *	करोड़ रूपये में **	रूपये प्रति किलोवाट आवर
1	अप्रैल	2728.0	459	1.68
2	मई	2647.9	461	1.74
3	जून	2556.6	434	1.70
4	जुलाई	2441.1	391	1.60
5	अगस्त	2964.6	352	1.19
6	सितम्बर	2957.2	378	1.28
7	अक्टूबर	3327.5	468	1.41
8	नवम्बर	3354.7	525	1.56
9	दिसम्बर	3368.6	541	1.61
10	जनवरी	3267.2	533	1.63
11	फरवरी	3003.7	494	1.64
12	मार्च	2869.9	475	1.65

***** मिलियन यूनिटों में सम्मिलित हैं कुल उपलबध्ता तथा लद्यु अवधि विद्युत क्रय में से विद्युत वितरण कंपनियों के द्वारा परस्पर विद्युत व्यापार के माध्यम से विक्रित की गई ऊर्जा को घटाकर।
****** करोड़ रूपये में सम्मिलित हैं स्थाई लागत, परिवर्तनीय लागत, पीजीसीआईएल (पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया) लद्यु अवधि विद्युत क्रय की लागत में से बाह्य विक्रय से प्राप्त राजस्व घटाकर।

3.38 अनुज्ञप्तिधारी के पास बची रहने वाली आधिक्य (एक्सैस) ऊर्जा जैसी कि यह मासिक उपलब्धता तथा आवश्यकता संबंधी उपरोक्त तालिका में देखी जा सकती है, राज्यान्तरिक व्यापार के उपरांत मासिक औसत विद्युत क्रय लागत की गणना अनुसार उन स्टेशनों हेतु जो कि चालू योग्यता क्रमानुसार (रनिंग मेरिट आर्डर) आती हो बाह्य व्यापार हेतु उपयोग की जा सकेगी। इस प्रकार पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हेतु स्वीकृत की गई दरें निम्न दर्शाई गई तालिका के अनुसार होंगी :

तालिका 73 : विद्युत आधिक्य (सरप्लस) वाले स्टेशनों की मासिक औसत लागत

सरल क्रमांक	माह	आधिक्य विद्युत ऊर्जा (मिलियन यूनिट में)	कुल लागत (करोड़ रूपये में)	रूपये प्रति किलोवाट आवर
1	अप्रैल	–	–	–
2	मई	–	–	–
3	जून	–	–	–
4	जुलाई	–	–	–
5	अगस्त	170.17	33.31	1.96
6	सितम्बर	182.67	35.39	1.94
7	अक्टूबर	63.02	15.11	2.40
8	नवम्बर	–	–	–
9	दिसम्बर	–	–	–
10	जनवरी	–	–	–
11	फरवरी	–	–	–
12	मार्च	–	–	–

3.39 पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हेतु, वित्तीय वर्ष 2007–08 में माह अगस्त, सितम्बर तथा अक्टूबर, के दौरान, आधिक्य विद्युत ऊर्जा के कारण विक्रय राज्यान्तरिक व्यापार के अंतर्गत, 415.87 मिलियन यूनिट आंका गया है। आधिक्य विद्युत ऊर्जा के विक्रय से होने वाली आय को वितरण अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत क्रय लागत के साथ समायोजित किया जावेगा।

3.40 वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राक्कलित तथा आयोग द्वारा प्राक्कलित स्टेशन–वार विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता निम्न तालिका में दर्शाई गई है :

तालिका 74 : वित्तीय वर्ष 08 के दौरान पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की स्टेशन–वार विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)

सरल क्रमांक	स्टेशनों के नाम	वित्तीय वर्ष 08	
		विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रस्तावित	जैसा कि इन्हें आयोग द्वारा प्राक्कलित किया गया है
1	केन्द्रीय क्षेत्र (पश्चिमी क्षेत्र)	4819	4892
2	केन्द्रीय क्षेत्र (पूर्वी क्षेत्र)	330	164
3	द्विपक्षीय क्रय	577	227
4	एनएचडीसी (इन्दिरा सागर)	1024	1024
5	सरदार सरोवर	645	517
6	ओंकारेश्वर (एचपीएस)	455	0
7	नवीन जल – विद्युत स्टेशन	58	0
8	एमपी जनको	7128	5637
9	**योग**	**15036**	**12461**

3.41 केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशन (पश्चिमी क्षेत्र) : मध्य प्रदेश शासन की अधिसूचना के अनुसार, विभेदक आवंटन (डिफरेंशियल एलोकेशन) के कारण अनुज्ञप्तिधारी को उपलब्ध अंशदान में वृद्धि हुई है।

3.42 केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशन (पूर्वी क्षेत्र) : अनुज्ञप्तिधारी ने उसके द्वारा दायर की गई याचिका के अंतर्गत कहलगांव (चरण–II) पर विचार किया है। मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना के अनुसार इस स्टेशन की क्षमता अब एमपी ट्रेडको के पास है।

3.43 द्विपक्षीय विद्युत क्रय : द्विपक्षीय विद्युत क्रय से घटी हुई मात्रा पुनरीक्षित क्षमता आवंटन के कारण है तथा आयोग द्वारा राणाप्रताप सागर, जवाहर सागर, दामोदर वैली कार्पोरेशन (डीवीसी) तथा लैंको की क्षमता को, पूर्व में दर्शाये गये परिच्छेदों में दी गई व्याख्या के अनुसार नहीं माना गया है।

3.44 ओंकारेश्वर एचपीएस : मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना के अनुसार इस स्टेशन की क्षमता एमपी ट्रेडको के पास है।

3.45 एमपी जनको : मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना के अनुसार पुनरीक्षित क्षमता आवंटन के कारण उपलब्धता में परिवर्तन हुआ है।

विद्युत क्रय लागतें

केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशन – पश्चिमी क्षेत्र

3.46 पश्चिमी क्षेत्र में एनटीपीसी के स्टेशन (कोरबा, वीएसटीपीएस–I, वीएसटीपीएस–II, वीएसटीपीएस–III, (यूनिट–I), कवास तथा गन्धार) : जैसा कि पूर्व में कहा गया है, विद्यमान स्टेशनों से ऊर्जा की उपलब्धता पर अनुज्ञप्तिधारियों, द्वारा की गई प्रस्तुति के अनुसार विचार किया गया है। आयोग ने भी इन स्टेशनों बाबत स्थाई तथा परिवर्तनीय लागत को केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के इन स्टेशनों बाबत इनकी स्थाई तथा परिवर्तनीय लागतों के सत्यापन उपरांत इन्हें अनुमोदित कर दिया है। वे स्टेशन जिनके लिये केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग का अन्तिम आदेश उपलध नहीं है, वहां पर अनुज्ञप्तिधारी के माह जुलाई 2006 के बिल पर आधारित याचिका पर विचार किया गया है। केएपीपी तथा टीएपीपीएस 3 तथा 4 हेतु, एकल भाग टैरिफ दर का भुगतान देय होगा तथा प्रावधिक टैरिफ दरों पर भारत शासन, अणुशक्ति विभाग के माह अक्टूबर 2006 में जारी की गई अधिसूचना के अनुसार विचार किया गया है।

3.47 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा केन्द्रीय स्टेशनों हेतु मध्यप्रदेश राज्य को अंशदान का आवंटन एनटीपीसी के देयकों के अनुसार दर्शाया गया था। आयोग द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के अंशदान के आवंटन तथा परिणामस्वरूप पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी के अंशदान को, शासन द्वारा दिनांक 14 मार्च 2007 को जारी अधिसूचना के अनुसार माना गया है।

तालिका 75 : वित्तीय वर्ष 08 हेतु शासन की अधिसूचना के अनुसार केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों से मध्यप्रदेश राज्य एवं पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को विद्युत का आवंटन

स.क्र	पश्चिमी क्षेत्र (केन्द्रीय विद्युत स्टेशन–सीजीएस)	स्थापित क्षमता	राज्य का अंशदान (प्रतिशत में)	उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)	स्थाई लागत (करोड़ रूपये में)	अंशदान (प्रतिशत में)	पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हेतु	
							उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)	स्थाई लागत (करोड़ रूपये में)
1	केटीपीएस	2100	21.38	3242	86	30.44	987	26.16
2	वीएसटीपीएस–I	1260	33.34	3097	98.2	37.94	1175	37.25
3	वीएसटीपीएस–II	1000	30.12	2377	135.3	47.17	1121	63.80
4	वीएसटीपीएस–III (यूनिट– I)	500	22.9	746.7	85	47.17	352	40.08
5	केजीपीएस	656.2	24.16	282.4	59	47.17	133	27.60
6	जीजीपीएस	657.4	20.64	842	76	47.17	397	36.06
7	केएपीपी	440	23.99	467	0.0	47.17	220	0
8	टीएपीपी (3 तथा 4)	540	18.64	1072	0.0	47.17	506	0

3.48 ईंधन लागत समायोजन (फ्यूल प्राईस एडजस्टमेंट–एफपीए) प्रभारों की गणना इन स्टेशनों हेतु माह अक्टूबर 2006 के देयक के आधार पर की गई है। अन्य प्रभारों की गणना, प्रोत्साहन तथा करों को सम्मिलित कर, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों को किये गये माह अप्रैल 06 से अक्टूबर 06 की अवधि के वास्तविक बिलों के भुगतान की आनुपातिक दरों के अनुसार की गई है।

3.49 अनुज्ञेय किये गये परिवर्तनीय तथा अन्य प्रभार निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं :

तालिका 76 : पश्चिमी क्षेत्र में केन्द्रीय विद्युत स्टेशन (सीजीएस) हेतु अनुज्ञेय किये गये प्रभार

पश्चिमी क्षेत्र (सीजीएस)	वित्तीय वर्ष 08			
	परिवर्तनीय (रू/किलोवाट आवर)	ईंधन लागत समायोजन (एफपीए प्रभार) (रू/किलोवाट आवर)	अन्य प्रभार (रू/किलोवाट आवर)	कुल प्रभार (करोड़ रूपये में) *
केटीपीएस	0.50	0.15	0.11	101.74
वीएसटीपीएस–I	0.80	0.23	0.26	189.09
वीएसटीपीएस– II	0.78	0.22	0.18	195.19
वीएसटीपीएस–III (यूनिट– I)	0.87	0	0.01	70.81
केजीपीएस	1.09	2.86	0.12	81.82
जीजीपीएस	1.11	0.43	0.01	97.74
केएपीपी	2.04	0.0	0.01	45.25
टीएपीपी (3 तथा 4)	2.65	0.0	0.00	134.37
योग				**916**

* उपरोक्त दर्शाई गई तालिका में स्थाई प्रभार सम्मिलित हैं।

केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशन–पूर्वी क्षेत्र

3.50 पूर्वी क्षेत्र में स्थित संयंत्रों की अनुज्ञेय, लागतों के अवधारण हेतु पश्चिमी क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों हेतु अनुसरण किये जा रहे सिद्धांत को यहां पर भी अपनाया जा रहा है। जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, इन संयंत्रों में अंशदान के संबंध में शासन की अधिसूचना दिनांक 14 मार्च, 2007 के अनुसार विचार किया गया है।

तालिका 77 : शासकीय अधिसूचना के अनुसार केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशनों से मध्यप्रदेश राज्य को आवंटन

सरल क्रमांक	पूर्वी क्षेत्र सीजीएस	पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी						
		स्थापित क्षमता (मेगा वाट में)	राज्य का अंशदान (प्रतिशत में)	उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)	स्थाई लागतें (करोड़ रूपये में)	अंशदान (प्रतिशत में)	उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)	स्थाई लागत (करोड़ रूपये में)
1	फरक्का	1600	1.01	184.08	5.16	47.17	87	2.43
2	तालचेर	1000	1.01	128.1	4.03	30.44	39	1.23
3	कहलगांव	840	2.84	80.7	9	47.17	38	4.17
4	**योग**						**164**	**7.83**

3.51 अनुज्ञेय किये गये परिवर्तनीय तथा अन्य प्रभार निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं।

तालिका 78 : पूर्वी क्षेत्र में केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों (सीजीएस) हेतु अनुज्ञेय किये गये प्रभारः

पूर्वी क्षेत्र (सीजीएस)	वित्तीय वर्ष 08			
	परिवर्तनीय (रूपये प्रति किलोवाट आवर में)	ईंधन समायोजन प्रभार (एफपीएए) (रूपये/किलोवाट आवर में)	अन्य प्रभार (रूपये प्रति किलोवाट आवर में)	कुल प्रभार (करोड़ रूपये में) *
फरक्का	1.04	0.35	0.01	14.63
तालचेर	0.44	0.21	0.00	3.76
कहलगांव	1.15	0.43	0.00	10.16
योग				**29**

* उपरोक्त तालिका में उल्लेख किये गये अनुसार इसमें स्थाई प्रभार सम्मिलित हैं।

इन्दिरा सागर (एनएचडीसी) तथा सरदार सरोवर परियोजनाएं

3.52 वित्तीय वर्ष 07 हेतु, आयोग द्वारा केवल केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के आदेश दिनांक 1. 5.2004 द्वारा इन्दिरा सागर हेतु अनुमोदित वार्षिक स्थाई प्रभारों पर ही विचार किया गया। केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग ने उसके आदेश द्वारा स्थाई वार्षिक प्रभार सात मशीनों हेतु रू. 241.41 करोड़ अनुमोदित किये। जैसे ही आठों मशीनें संचालित कर दी गईं, आयोग द्वारा स्थाई लागत में मूल्यांकित लागत में आगे आनुपातिक दर से 10 प्रतिशत की अभिवृद्धि अनुज्ञेय

की गई। इस प्रकार, आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 07 हेतु, वार्षिक स्थाई प्रभारों हेतु रूपये 300 करोड़ की राशि अनुज्ञेय की गई।

3.53 अनुज्ञप्तिधारी ने उसके द्वारा प्रस्तुत याचिका में वित्तीय वर्ष 08 हेतु इन्दिरा सागर परियोजना के लिये रू.275.88 करोड़ की मोटी दर (फ्लैट रेट) प्रस्तुत की है। तथापि, आयोग द्वारा स्टेशन हेतु भुगतान योग्य प्रभारों के सत्यापन बाबत वर्ष 2006 में भुगतान किये गये वास्तविक देयकों का विश्लेषण किया गया। इस वर्ष, माह अक्टूबर तक वास्तविक रूप से किये गये वार्षिक स्थाई प्रभार का भुगतान वित्तीय वर्ष 07 हेतु अनुज्ञेय की गई राशि से काफी कम पाया गया है। अतः आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 08 हेतु वार्षिक प्रभारों का पुनरीक्षण वित्तीय वर्ष 07 में देयकों के भुगतान के आधार पर क्षमता प्रभार की आनुपातिक दर के अनुसार तथा वित्तीय वर्ष 07 हेतु माह अक्टूबर 06 तक अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा वास्तविक रूप से भुगतान किये गये परिवर्तनीय प्रभार के आधार पर कर दिया गया है।

3.54 इस परियोजना की रूपांकित विद्युत ऊर्जा वित्तीय वर्ष 08 हेतु 2700 मिलियन यूनिट अनुमोदित की गई है। स्थाई लागत की गणना रूपये 191.70 करोड़ के रूप में की गई है तथा परिवर्तनीय प्रभार की गणना पश्चिमी क्षेत्र की न्यूनतम परिवर्तनीय लागत पर रूपये 0.49/ किलोवाट आवर की दर से की गई है जो कि सीपत पावर हाऊस क्रमांक 2 के अनुरूप है। वे माह जबकि सीपत पावर हाऊस क्रमांक 2 उपलब्ध न हो, परिवर्तनीय लागत अगली न्यूनतम परिवर्तनीय लागत के अनुसार मानी गई है, जो कि कोरबा की दर रूपये. 0.50 पैसे के अनुरूप है।

3.55 मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल द्वारा सरदार सरोवर जल विद्युत परियोजना हेतु रू. 2.00 प्रति यूनिट की प्रावधिक दर को माना गया है। यह दर मध्यप्रदेश शासन द्वारा उसके पत्र दिनांक 30 नवम्बर 2005 द्वारा निर्धारित की गई प्रावधिक दर के अनुरूप है। विद्युत अधिनियम की धारा 62 (1) के अनुसार केवल समुचित आयोग को ही एक विद्युत उत्पादक कंपनी द्वारा वितरण कंपनी को प्रदाय की जा रही विद्युत के दर के अवधारण का अधिकार है। इसके अतिरिक्त, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 64 (5) के अनुसार राज्य आयोग जो अनुज्ञप्तिधारी के संबंध में क्षेत्राधिकार रखता हो तथा जो कि विद्युत के वितरण तथा भुगतान करने का इच्छुक हो, केवल उत्पादन टैरिफ के अवधारण हेतु अधिकृत है।

3.56 वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत की गई उसकी याचिका में सरदार सरोवर जल विद्युत स्टेशन हेतु विद्युत क्रय लागत की गणना रू. 0.95/किलोवाट आवर की गई है। वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मानी गई विद्युत क्रय लागत आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु आयोग द्वारा जारी किये गये टैरिफ आदेश में मानी गई लागत के अनुसार है। आयोग अनुज्ञप्तिधारी द्वारा की गई अवधारणा को सही मानता है, तथापि, आयोग प्रावधिक दर में रू.0.08 पैसे/किलोवाट की अभिवृद्धि प्रचालन तथा संधारण लागत में संभावित वृद्धि के कारण अनुज्ञेय कर रहा है। यहां पर यह उल्लेख किया जाना प्रासंगिक होगा कि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा एक याचिका रू.2.00 प्रति किलोवाट ऑवर के प्रावधिक अवधारण किये जाने बाबत दायर की है। वित्तीय वर्ष 08 हेतु इस परियोजना की रूपांकित विद्युत ऊर्जा की मात्रा 1700 मिलियन यूनिट अनुमोदित की गई है। स्थाई लागत की गणना रू.91.79 करोड़ तथा पश्चिमी क्षेत्र की न्यूनतम परिवर्तनीय लागत के अनुसार परिवर्तनीय प्रभारों की गणना प्रति किलोवाट ऑवर रू. 0.49 के रूप में की गई है, जो कि सीपत चरण–II की है। वे माह, जबकि सीपत से विद्युत उपलब्ध नहीं है, परिवर्तनीय लागत आगामी परिवर्तनीय लागत मानी गई है, जो कि कोरबा की दर रू.0.50 के अनुरूप है।

3.57 यद्यपि सरदार सरोवर परियोजना हेतु टैरिफ दर निर्धारण की याचिका पूर्व में दायर की जा चुकी है, आयोग द्वारा इस संबंध में दर निर्धारण किया जाना शेष है। आयोग, इस संबंध में सुनवाई प्रक्रिया के समाप्त होने पर एक उपयुक्त दर पर विचार करेगा।

तालिका 79 : इन्दिरा सागर तथा सरदार सरोवर परियोजना हेतु अनुज्ञेय की गई लागत

सरल क्रमांक	अन्य स्त्रोत	वित्तीय वर्ष 08		
		उपलब्धता	स्थाई लागत (करोड़ रूपये में)	कुल प्रभार (करोड़ रूपये में)
1	इन्दिरा सागर	2700	191.70	324
2	सरदार सरोवर	1700	91.79	175.1

अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार

3.58 मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) को भुगतान किये जाने वाले प्रभार, पश्चिमी तथा पूर्वी क्षेत्र की पारेषण प्रणाली हेतु प्रभारों का मिश्र है। विद्यमान स्टेशनों हेतु अन्तर्राज्यीय पारेषण लागत हेतु प्राक्कलन पर विचार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रयोग की गई विधि के अनुसार किया गया है जो कि माह सितम्बर 2005 से माह अगस्त 2006 तक के पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्र के वास्तविक देयकों पर आधारित है।

3.59 आयोग द्वारा विन्ध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन वीएसटीपीएस–III (यूनिट–I) हेतु प्रभारों की गणना पश्चिमी क्षेत्र के विद्यमान स्टेशनों हेतु, पीजीसीआईएल को प्रति मेगावाट किये गये प्रभारों के भुगतान के आधार पर की गई है। तदोपरांत नवीन स्टेशन हेतु प्रति मेगावाट लागत आवंटित क्षमता को लागू की गई, जिससे कि प्रभारों की राशि की प्राप्ति की गई।

तालिका 80 : वित्तीय वर्ष 08 हेतु अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार

माह/करोड़ रूपये में	पश्चिमी क्षेत्र	पूर्वी क्षेत्र	पश्चिमी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र/एकीकृत (यूनिफाईट) भार प्रेषण केन्द्र	अर्न्तक्षेत्रीय (पश्चिमी –पूर्वी क्षेत्र)	अर्न्तक्षेत्रीय (पश्चिमी –दक्षिणी क्षेत्र)	अर्न्तक्षेत्रीय (पश्चिमी –उत्तरी क्षेत्र)	योग
सितम्बर–05	8.37	0.9	0	0	0	0	9.27
अक्टूबर–05	8.7	0.83	0	0	0	0	9.53
नवम्बर–05	8.56	0.78	0	0	0	0	9.35
दिसम्बर–05	8.63	0.49	0	0	0	0	9.12
जनवरी–06	8.46	0.23	0	0	0	0	8.69
फरवरी–06	8.45	0.22	0	0	0	0	8.68
मार्च–06	9.09	0.22	0	0	0	0	9.31
अप्रैल–06	9	0.24	0	0	0	0	9.24
मई–06	9.23	0.23	0	0	0	0	9.46
जून–06	9.22	0.25	0	0	0	0	9.47
जुलाई–06	7.8	0.25	0	0.24	0.14	0.73	9.15
अगस्त–06	7.71	0.25	0	0.29	0.08	0.54	8.87
योग	**103.24**	**4.88**	**0**	**0.53**	**0.22**	**1.27**	**110.14**
वित्तीय वर्ष 08							

विद्यमान क्षमता (मेगावाट में) (म.प्र. राज्य अंशदान)	1,771.2	50.0					
विद्यमान स्टेशनो से कुल प्रभार (करोड़ रूपये में)	104.73	5.41					110.14
लागत प्रति मेगावाट (करोड़ रूपये में)	0.059	0.11					
वीएसटीपीएस–III (यूनिट–I) से प्राप्त अतिरिक्त क्षमता	114.3						
नवीन स्टेशनों से प्राप्त प्रभार (करोड़ रूपये में)	6.80	0					**6.80**
कुल पारेषण प्रभार (करोड़ रूपये में)							**116.94**
पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का अंशदान (करोड़ रूपये में)							**44.35**

3.60 वित्तीय वर्ष 08 हेतु अन्तर्राज्यीयपारेषण प्रभार हेतु करों पर विचार वित्तीय वर्ष 07 के टैरिफ आदेश के अनुसार, अर्थात्, रू.2.35 करोड़ किया गया है। इसमें पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी का अंशदान रूपये 0.89 करोड़ है।

3.61 उपरोक्त की गई चर्चा के आधार पर, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को अनुज्ञेय की गई विद्युत क्रय की लागत निम्न तालिका में दर्शाई गई है :

तालिका 81 : वित्तीय वर्ष 08 के विद्युत क्रय व्ययों हेतु आयोग का प्राक्कलन

(राशि करोड़ रूपये में) वित्तीय वर्ष 08

सरल क्रमांक	विवरण		मिलियन यूनिट में	राशि	रू. प्रति किलोवाट आवर
1	केन्द्रीय सेक्टर पश्चिमी क्षेत्र	कोरबा	986.98	101.74	1.03
2		विंध्याचल–I	1175.21	189.09	1.61
3		विंध्याचल– II	1121.05	195.19	1.74
4		कवास	133.22	81.82	6.14
5		गंधार	397.33	97.74	2.46
6		केएपीपी	220.28	45.25	2.05
7		टीएपीएस 3 तथा 4	505.72	134.37	2.66
8		विंध्याचल– III (यूनिट–I)	352.17	70.81	2.01
9		**योग**	**4892**	**916**	**1.87**
10	पूर्वी क्षेत्र	फरक्का+तालचेर+कहलगांव–I+ कहलगांव–II	164	29	1.74
11	द्विपक्षीय क्रय	राजस्थान राज्य विद्युत मंडल /अन्य	227	9	0.42
12	अन्य स्त्रोत	एनएचडीसी (इन्दिरा सागर)	1024	123	1.20
13		संयुक्त उपक्रम–सरदार सरोवर	517	53	1.03
14		कैप्टिव विद्युत संयंत्र/पवन ऊर्जा **	–	0	0
15		**योग**	**1542**	**176**	**1.14**
16	एमपी जनको		5637	881	1.56
17	लघु अवधि क्रय (म.प्र. ट्रेडको)		**551.73**	**101.35**	**1.84**

18	वितरण कंपनी आन्तरिक विक्रय (घटायें)		(56.28)	(9.31)	1.62
19	बाह्य विक्रय (घटायें)		(415.87)	(83.81)	2.02
20	शुद्ध विद्युत का क्रय		12540.3	2019.49	1.61
21	पारेषण प्रभार	स्थाई प्रभार	44.35		
22		कर	0.89		
23		**योग**	45.24		
24	**कुल विद्युत क्रय ***		12540.3	2064.73	1.646

***** पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया (पीजीसीआईएल) की 264.31 मिलियन यूनिट की हानियां सम्मिलित है।

****** अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों से क्रय की जाने वाली मात्रा को अंकित नहीं किया है। आयोग के पास उपलब्ध जानकारी दर्शाती है कि वर्तमान में पवन ऊर्जा उत्पादकों से विद्युत क्रय की जा रही है तथा यह वित्तीय वर्ष 2007–08 में भी जारी रहेगी। आयोग ऐसे स्त्रोतों से क्रय की गई विद्युत के संबंध में वित्तीय वर्ष 2007–08 के सत्यापन के समय विचार करेगा।

नेट वर्क की लागतें

3.62 निम्न भागों में, आयोग द्वारा अनुज्ञप्तिधारी की पूंजीगत व्यय योजनाओं, परिसम्पत्तियों का प्रस्तावित पूंजीकरण, अवमूल्यन का पूर्वानुमान, ब्याज तथा वित्त प्रभारों एवं पूंजी पर प्रतिलाभ (रिटर्न ऑन इक्विटी) का विश्लेषण किया गया है। वित्तीय वर्ष 08 हेतु पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की इन लागतों बाबत प्रस्तुतियों पर आयोग का निर्णय निम्न परिच्छेदों में दर्शाया गया है।

पूंजीगत व्यय योजनाएं तथा परिसम्पत्तियों का पूंजीकरण

अनुज्ञप्तिधारी की प्रस्तुति

3.63 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग को प्रस्तुत पांच–वर्षीय निवेश योजना, कतिपय सुधारों के साथ अपनाई गई है। निवेश योजना के अंतर्गत प्रस्तावित की गई योजनाओं का लक्ष्य निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति की जाना है :

- क्षमता निर्माण
- प्रणाली सदृढ़ीकरण
- वोल्टेज में सुधार
- हानि में कमी की जाना
- उपभोक्ता सेवा
- सेवा की विश्वसनीयता
- ग्रामीण विद्युतीकरण

3.64 : याचिका के अनुसार निवेश योजना की संक्षेपिका निम्नानुसार प्रस्तुत है :

तालिका 82 : प्रस्तुत की गई निवेश योजना

(राशि करोड़ रूपये में)

योजना	वित्तीय वर्ष 07	वित्तीय वर्ष 08
नार्मल डेवलपमेंट (एनडी)	25.78	27.97
जापान बैंक फॉर इन्टरनेशनल कोआपरेशन (जेबीआईसी)	34.61	32.15
सब ट्रांसमिशन (एसटी)	26.93	29.93
पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट (पीएसआई)	0.00	0.00
एक्सेलरेटेड पावर डेवलपमेंट रिफार्म प्रोग्राम (एपीडीआरपी)	186.75	80.04
एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी)	40.29	0.00
राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)	34.06	67.15
प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई)	0.00	0.00
पावर फायनेंस कार्पोरेशन (पीएफसी)–कैपेसिटर बैंक्स	0.00	15.00
एडीबी–।।	0	181
अंशदाता (कन्ट्रीब्यूटरी) योजनाएँ	25	25
योग : (राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं को छोड़कर)	**339.36**	**391.09**

3.65 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निवेदन किया गया है कि निवेश योजना जिसे आयोग द्वारा अनुमोदित व्यवसाय योजना के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किया गया है, में कतिपय सुधार किये गये हैं। ये मुख्यतः निम्नानुसार है :

- प्रस्तावित नवीन एडीबी योजना का चरणबद्ध पुनरीक्षण एशियन डेवलपमेंट बैंक को प्रस्तुत किये गये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों पर आधारित है।

- राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में पूंजी निवेशों का चरणबद्ध पुनरीक्षण, विभिन्न वृत्त स्तर की योजनाओं के अनुमोदन की अद्यतन स्थिति पर आधारित है।

- वित्तीय वर्ष 07–08 हेतु, एक्सेलेरेटिड पावर डेवलपमेंट एण्ड रिफार्म प्रोग्राम (एपीडीआरपी) योजना के अंतर्गत प्रस्तावित निवेश का पुनरीक्षण किया जाना क्योंकि वर्ष 2006–07 के बाद इस योजना को चालू रखे जाने पर निर्णय भारत सरकार से अभी तक प्रतीक्षित है।

पूंजीकरण योजना

3.66 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निवेदन किया गया है कि उसे मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना दिनांक 31 मई, 2005 द्वारा जारी प्रावधिक प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र के आधार पर उत्तराधिकार में रू.705 करोड़ के निर्माणाधीन मुख्य कार्य (सीडब्लूआईपी) प्राप्त हुये हैं। वित्तीय वर्ष 06 में प्रावधिक लेखे के अनुसार, निर्माणाधीन मुख्य कार्यों में रू.91.49 करोड़ की अभिवृद्धि हुई है। तथापि, रू.91.49 करोड़ के निर्माणाधीन मुख्य कार्यों के विवरण प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। प्रक्षेपित अवधि हेतु, पूंजीकरण को निम्नानुसार माना गया है :

- दिनांक 31.3.2006 के प्रावधिक आय–व्यय विवरण–पत्र के अनुसार प्रारंभिक निर्माणाधीन कार्य 5 वर्षों में पूंजीकृत हो जाने की संभावना है।

- प्रतिवर्ष नवीन पूंजी निवेश 5 वर्षों में पूंजीकृत हो जाना अनुमानित किया गया है।

- जबकि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत प्रस्तावित पूंजीनिवेश, निवेश योजना में किये गये के अंतर्गत होना बताये गये हैं, परिसम्पत्तियां तथा तत्संबंधी दायित्व बहुवर्षीय टैरिफ प्रक्षेपित राशियों हेतु माने गये हैं। योजना की निबंधन तथा शर्तों के अनुसार, परिसम्पत्तियां तथा दायित्व राज्य शासन के स्वामित्व में रहेगें।

- व्ययों का पूंजीकरण वार्षिक कर्मचारी तथा प्रशासनिक एवं सामान्य व्ययों का 4 प्रतिशत माना गया है।

3.67 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा याचिका में यह दावा भी किया गया है कि वित्तीय वर्ष 08 के दौरान प्रणाली में निम्नलिखित अभिवृद्धियां/विस्तार किये जावेंगे।

तालिका 83 : नेटवर्क का भौतिक विवरण

विवरण	वित्तीय वर्ष 06	वित्तीय वर्ष 07	वित्तीय वर्ष 08
33 केवी लाईन (सर्किट किलोमीटर में)	351	2332	924
11 केवी लाईन (सर्किट किलोमीटर में)	926	4354	4590
निम्न दाब लाईन (सर्किट किलोमीटर में)	851	971	1115
33/11 केवी उपकेन्द्र (संख्या)	18	245	74
पावर ट्रांसफार्मर – संख्या/एमवीए	52/235	245/950	74/287
वितरण ट्रांसफार्मर–संख्या/एमवीए	1891/296	20326/1916	4769/450

पूंजीगत व्यय तथा पूंजीकरण के संबंध में आयोग का विश्लेषण

3.68 आयोग द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा पूंजीगत व्यय के संबंध में मार्गदर्शन हेतु दिशा निर्देश ***"Guide lines for Capital Expenditure by the Licensses in MP"*** में विनिर्दिष्ट किये गये हैं। संक्षेप में, दिशा निदेर्शों में, अनुज्ञप्तिधारियों से आयोग को पांच–वर्षीय व्यवसाय योजना पांच वर्षीय अवधि को दृष्टिगत करते हुए, नियोजित की गई, समस्त निवेश योजनाओं के भौतिक तथा वित्तीय वितरण दर्शाते हुए, प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा की गई है। अधिसूचित दिशा–निर्देशों के अर्न्तगत, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग के समक्ष वित्तीय वर्ष 07 से वित्तीय वर्ष 11 की पांच वर्षीय अवधि तक चलने वाली एक व्यवसाय योजना प्रस्तुत की है जिसे आयोग द्वारा पत्र क्रमांक 2178 दिनांक 31.08.06 द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। निम्न तालिका अनुज्ञप्तिधारी की निवेश योजना दर्शाती है। जिसे कि आयोग द्वारा व्यवसाय योजना के एक भाग के रूप में अनुमोदित किया गया है :

तालिका 84 : अनुज्ञप्तिधारी की व्यवसाय योजना के अन्तर्गत अनुमोदित निवेश योजना

(राशि करोड़ रूपये में)

योजना	**वित्तीय वर्ष 07**	**वित्तीय वर्ष 08**
सब ट्रांसमिशन (नार्मल)–एसटी (एन)	27	29
नार्मल डेवलपमेंट (एनडी)	26	28
एक्सेलेरेटेड पावर डेवलपमेंट एण्ड रिफार्म प्रोग्राम(एपीडीआरपी)	267	0
एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी)	40	0
जापान बैंक फॉर इण्टरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी)	35	32
राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)	34	34
योग :	**428**	**123**

3.69 जैसा कि उपरोक्त से स्पष्ट है, अनुमोदित निवेश योजना तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा टैरिफ याचिका में दायर की गई योजना में निम्न भिन्नताएं विद्यमान हैं :

तालिका 85 : अनुमोदित व्यवसाय योजना तथा दायर की गई निवेश योजना में भिन्नताएं

(राशि करोड़ रूपये में)

योजना का नाम	**वित्तीय वर्ष 07**		**वित्तीय वर्ष 08**	
	याचिका में दायर किये गये अनुसार	**व्यवसाय योजना के अनुसार अनुमोदित**	**याचिका में दायर किये गये अनुसार**	**व्यवसाय योजना के अनुसार अनुमोदित**
सब ट्रांसमिशन (नार्मल)–एसटी (एन)	26.93	27	29.93	29
नार्मल डेवलपमेंट (एनडी)	25.78	26	27.97	28
एक्सेलेरेटेड पावर डेवलपमेंट एण्ड रिफार्म प्रोग्राम (एपीडीआरपी)	186.75	267	80.04	0
एशियन डेवलपेंट बैंक (एडीबी)	40.29	40	0	0
जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोआपरेशन (जेबीआईसी)	34.61	35	32.15	32
राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)	34.06	34	67.15	34
एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी–II	0	अनुमोदन हेतु प्रस्तुत नहीं की गई	181	अनुमोदन हेतु प्रस्तुत नहीं की गई
पावर फायनेंस कार्पोरेशन (पीएफसी)	0	अनुमोदन हेतु प्रस्तुत नहीं की गई	15	अनुमोदन हेतु प्रस्तुत नहीं की गई
अंशदाता (कंट्रीब्यूटरी) योजनाएं	25	अनुमोदन हेतु प्रस्तुत नहीं की गई	25	अनुमोदन हेतु प्रस्तुत नहीं की गई
योग–राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को छोड़कर (करोड़ रूपये में)	**339.36**	**395**	**391.09**	**89**

3.70 जैसा कि उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्तीय वर्ष 07 हेतु उसकी याचिका में एपीडीआरपी योजना के अंतर्गत न्यून राशि के पूंजीगत निवेश प्रक्षेपित किये गये

हैं। वित्तीय वर्ष 08 में उसके द्वारा रू0 80 करोड़ की राशि का निवेश प्रस्तावित किया गया है जबकि व्यवसाय योजना में किसी भी राशि का अनुमोदन नहीं किया गया था। तथापि, वित्तीय वर्ष 07 हेतु एपीडीआरपी योजना में व्यवसाय योजना के समग्र प्रावधान, वित्तीय वर्ष 07 तथा वित्तीय वर्ष 08 संयुक्त रूप से प्रस्तावित निवेश के साथ मेल खाते हैं, अतएव यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 07 हेतु व्यवसाय योजना के अंतर्गत प्रस्तावित निवेश अब दो वित्तीय वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 07 तथा 08, में किया जावेगा। अतः याचिका में एपीडीआरपी संबंधी प्रस्ताव स्वीकार योग्य हैं। व्यवसाय योजनाओं के अंतर्गत, आयोजन के अतिरिक्त, अनुज्ञप्तिधारी ने एडीबी–।।, पीएफसी, केपेसिटर बैंक तथा अंशदाता योजनाओं के अंतर्गत निवेश प्रस्तावित किया है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग को एडीबी–।। तथा पीएफसी केपेसिटर बैंक संबंधी विवरण आयोग को प्रस्तुत किये जा चुके है जिनका आयोग स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है।

3.71 आयोग अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पूंजी निवेश को निर्बन्धित करने की मंशा नहीं रखता है, अतः अनुज्ञप्तिधारी को उसकी निवेश योजना के अनुसार निवेश करने की अनुमति प्रदान करता है। अनुज्ञप्तिधारी वित्तीय वर्ष 08 के दौरान नवीन योजनाएं प्रारंभ करने के लिये स्वतंत्र होगा जिनका अभी तक प्रावधान नहीं किया गया है, बशर्ते वह आयोग की केपैक्स गाईडलाईंस की अर्हतानुसार योजना हेतु आयोग का अनुमोदन प्राप्त करे।

3.72 वित्तीय वर्ष 08 हेतु, समग्र राजस्व आवश्यकता के अवधारण के संबंध में पूंजीगत निवेश की भूमिका उन्हीं कार्यों तक सीमित होगी जिन्हें वित्तीय वर्ष 07 तथा वित्तीय वर्ष 08 में पूर्ण कर प्रारंभ (कमीशन) किये जाने की योजना है। वित्तीय वर्ष 05–06 के अन्त की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्तियां, अनुज्ञप्तिधारी के अंकेक्षित लेखे से प्राप्त की जा सकती है जिसमें कि वित्तीय वर्ष 07 तथा वर्ष 08 में आगे किया गया पूंजीकरण जुड़ जावेगा। वित्तीय वर्ष 07 तथा 08 हेतु अवमूल्यन तथा ब्याज प्रभार पूंजीकरण की सीमा के अनुसार प्रभावित होते हैं। अतएव, वित्तीय वर्ष 06–07 के दौरान अनुज्ञप्तिधारी का मुख्य कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु उसके अभी तक के प्रदर्शन पर विचार किया जाना आवश्यक है। इसे निम्न तालिका में प्रस्तुत किया गया है :

तालिका 86 : वित्तीय वर्ष 06–07 में मुख्य कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु अनुज्ञप्तिधारी की प्रगति

(राशि करोड़ रूपये में)

योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 07 जैसा कि व्यवसाय योजना में अनुमोदित किया गया	अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्तीय वर्ष 07 के दौरान दिनांक 31.10.2006 तक की प्रतिवेदित प्रगति
सब ट्रांसमिशन (नार्मल)–एसटी (एन)	27	3.36
नार्मल डेवलपमेंट (एनडी)	26	2.19
एक्सेलेरेटे पावर डेवलपमेंट एण्ड रिफार्म प्रोग्राम (एपीडीआरपी)	267	24.69
एशियन डेवलपेंट बैंक (एडीबी)	40	13.61
जापान बैंक फॉर इन्टरनेशनल कोआपरेशन (जेबीआईसी)	35	0
राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)	34	0
योग	**428**	**43.85**

3.73 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रारंभिक 7 माह की अवधि में वित्तीय प्रगति लगभग 10% है। वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उक्त अविध बाबत निष्पादित प्रगति, प्रक्षेपित संख्या की तुलना में, निम्न तालिका में दर्शाई गई है :

तालिका 87 : वित्तीय वर्ष 06–07 में मुख्य कार्यों को पूर्ण किये जाने के संबंध में भौतिक प्रगति

विवरण	वित्तीय वर्ष, 07 में दायर की गई याचिका के अनुसार	दिनांक 31.10. 2006 तक की प्रगति	प्रगति प्रतिशत में
33 केवी लाईन (सर्किट किलोमीटर में)	2332	275.5	12
11 केवी लाईन (सर्किट किलोमीटर में)	4354	224	5
निम्न दाब लाईन (सर्किट किलोमीटर में)	971	8.58	1
33/11 केवी उपकेन्द्र (संख्या)	245	7	3
पावर ट्रांसफार्मर – संख्या/एमवीए	245/950	6/प्रस्तुत नहीं की गई	2/प्रस्तुत नहीं की गई
वितरण ट्रांसफार्मर–संख्या/एमवीए	20326/1016	686/प्रस्तुत नहीं की गई	3/प्रस्तुत नहीं की गई

3.74 उपरोक्त दर्शाई गई प्रगति की अद्यतन स्थिति स्पष्ट दर्शाती है कि अनुज्ञप्तिधारी आयोग द्वारा अनुमोदित वित्तीय वर्ष 07 हेतु व्यावसायिक योजना के भाग के रूप में पूंजीगत व्यय के संबंध में उल्लेखनीय रूप से पीछे रह गया है। यदि शेष बचे 5 माह हेतु, विद्यमान प्रगति की आनुपातिक गणना भी कर दी जावे, फिर भी उपलब्धियां लक्ष्यों से काफी कम रहेंगी। इसके अतिरिक्त, अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक कार्य के संबंध में वास्तविक कार्य पूर्ण किये जाने संबंधी प्रतिवेदन (कम्पलीशन रिपोर्ट) उपरोक्त दर्शाई गई प्रगति को प्रमाणित करने में असमर्थ रहा है। अतः यह स्पष्ट नहीं है कि वित्तीय वर्ष 07 में अब तक पूर्ण किये गये कार्यों को निर्माणाधीन मुख्य कार्यों से स्थाई परिसम्पत्तियों में अन्तरित किया गया है अथवा नहीं।

3.75 वित्तीय वर्ष 06 हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग को प्रदाय किये अंकेक्षित लेखे वित्तीय वर्ष 06 के अंत में सकल स्थाई परिसम्पत्तियों का मूल्य रू.1553.35 करोड़ दर्शाते हैं जबकि दिनांक 31 मई 05 को अधिसूचित आय–व्यय विवरण–पत्र के अनुसार सकल स्थाई परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन केवल रूपये 1499.42 करोड़ दर्शाया गया है। अतः 01 जून 05 से 31 मार्च 06 के दस माह के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्ति में केवल रू.53.93 करोड़ की वृद्धि दर्ज हुई है। वित्तीय वर्ष 07 हेतु तथा आगे वित्तीय वर्ष 08 हेतु संभावित पूंजीकरण की राशि के अवधारण के प्रयोजन हेतु, आयोग ने अनुज्ञप्तिधारी से वित्तीय वर्ष 06 हेतु बजट में प्रावधान किये पूंजीकरण के बारे में जानकारी चाही गई थी परन्तु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसे आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3.76 वित्तीय वर्ष 06 के दौरान प्रदत्त अल्प पूंजीकरण दर तथा वित्तीय वर्ष 07 के दौरान लक्ष्यों के विरूद्ध अल्प प्रगति को दृष्टिगत रखते हुए, आयोग का विचार है कि उपभोक्ता के हित में वित्तीय वर्ष 07 तथा वित्तीय वर्ष 08 में सकल स्थाई परिसम्पत्तियों में किसी वृद्धि पर, वित्तीय वर्ष 08 के टैरिफ अवधारण हेतु, विचार किया जाना उचित न होगा। अंकेक्षित लेख के समर्थन से, वित्तीय वर्ष 07 के दौरान वास्तविक वृद्धि, पर वित्तीय वर्ष 09 के टैरिफ अवधारण के समय विचार किया जावेगा। इससे अनुज्ञप्तिधारी को प्रोत्साहन प्राप्त होने की संभावना है जिससे लंबित मुख्य कार्यों को पूर्ण किये जाने, परियोजना के कार्य पूर्ण प्रतिवेदनों (कम्पलीशन रिपोर्ट)

को संधारित करने तथा आयोग को इन्हें समयबद्ध रूप से इसकी प्रस्तुति सुनिश्चित करने में गति प्राप्त होगी।

3.77 आयोग इस बात पर जोर देने का इच्छुक है कि वह विद्युत वितरण क्षेत्र में सकेन्द्रित निवेश किये जाने हेतु, बहुत अधिक पक्ष में है। आयोग के मत में राज्य में विद्युत वितरण नेट वर्क में सुधार लाये जाने हेतु भारी पूंजी निवेश किये जाने की त्वरित आवश्यकता है। राष्ट्रीय विद्युत नीति के साथ–साथ राष्ट्रीय टैरिफ नीति में भी विद्युत वितरण नेटवर्क में प्राथमिकता के आधार पर पूंजी निवेश किये जाने की आवश्यकता प्रतिपादित की गई है। एशियन डेवलपमेंट बैंक तथा पावर फायनेंस कार्पोरेशन आदि से वित्तीय पोषित एक्सेलेरेटिड पावर डेवलपमेंट एण्ड रिफार्म प्रोग्राम (एपीडीआरपी) तथा अन्य योजनाओं के माध्यम से इस दिशा में बड़ी पहल की जा सकती है। दुर्भाग्य से, प्राथमिकता के आधार पर ध्यान प्राप्त किये जाने के बावजूद, वितरण कंपनी की इस संबंध में प्रगति काफी निराशाजनक रही है तथा योजनाओं का क्रियान्वयन निर्धारित समय में पूरा किये जाने के संबंध में पर्याप्त रूचि का अभाव प्रतीत होता है। जबकि यह स्थिति निरंतर उच्च वितरण हानियों की ओर अग्रसर हो रही है, इसी समय आयोग टैरिफ हेतु केवल उन्हीं निवेशों को अनुज्ञेय किये जाने बाबत ऐसा दृष्टिकोण अपनाये जाने हेतु विवश है जहां पर वितरण कंपनियों ने वास्तविक रूप से उनकी प्रस्तुतियों द्वारा इसका प्रदर्शन किया है। ऐसे समय में, सकल स्थाई परिसम्पत्तियां जैसी कि ये वित्तीय वर्ष 05–06 हेतु अनुज्ञप्तिधारी के अंकेक्षित लेखे में प्रतिबिंबित की गई है, ही आयोग के पास केवल अभिलेखित तथा सत्यापित जानकारी है जो कि अनुज्ञप्तिधारी के परिसम्पत्ति के आधार को प्रदर्शित करती है। अतः आयोग वित्तीय वर्ष 08 हेतु, अवमूल्यन तथा ब्याज प्रभार को जैसे कि वे वित्तीय वर्ष 05–06 के अंत में केवल सकल स्थाई सम्पत्ति पर हों, को अनुज्ञेय करेगा।

प्रचालन तथा संधारण लागतें

अनुज्ञप्तिधारी की प्रस्तुति

3.78 अनुज्ञप्तिधारी ने आयोग द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत वितरण खुदरा व्यापार के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत) विनियम, 2006 में विनिर्दिष्ट किये गये प्रचालन तथा संधारण व्ययों के संबंध में मानदण्डीय आधार पर अपना दावा प्रस्तुत किया है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रचालन एवं संधारण व्ययों के अवधारकों (Determinants) को वित्तीय वर्ष 07 तथा वित्तीय वर्ष 08 के अन्तिम शेष के औसत के रूप में माना है। वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुज्ञप्तिधारी का दावा निम्नानुसार है:

तालिका 88 : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत किये गये दावे के अनुसार प्रचालन तथा संधारण व्यय

(राशि करोड़ रूपये में)

	प्रचालन तथा संधारण प्रभार	**वित्तीय वर्ष 08**
ए	**मीटरीकृत उपभोक्ता (वित्तीय वर्ष 07 तथा वित्तीय वर्ष 08 का औसत)**	**2384168**
	गुणांक (मल्टीप्लाईंग फेक्टर)–ए (लाख रूपये/'000 उपभोक्ता)	6.50
	प्रचालन एवं संधारण अनुसार प्रभार – ए (लाख रूपये में)	**15497**
बी	वर्ष के दौरान अतिरिक्त पूर्व–भुगतान (प्रिपेड) स्थापित किये जाने वाले मीटरों की संख्या	0.00
	गुणांक – बी (लाख रूपये प्रति मीटर)	0.50
	प्रचालन एवं संधारण प्रभार – बी (लाख रूपये में)	**0.00**
सी	मीटरीकृत विक्रय (मिलियन यूनिट में)	6398
	गुणांक – सी (लाख रूपये प्रति मिलियन यूनिट में)	2.35
	प्रचालन एवं संधारण प्रभार – सी (लाख रूपये में)	**15034.00**
डी	उच्च दाब नेटवर्क की लम्बाई (सर्किट किलोमीटर में)	70529

	गुणांक – डी (लाख रूपये/'00 सर्किट किलोमीटर में)	16.00
	प्रचालन एवं संधारण प्रभार – डी (लाख रूपये में)	**11285**
ई	**ट्रांसफार्मेशन क्षमता (एमवीए में)**	**5152**
	गुणांक – ई (लाख रूपये प्रति एमवीए)	1.53
	प्रचालन एवं संधारण प्रभार – ई (लाख रूपये में)	**7882**
एफ	**मदें जो सूत्रों के अन्तर्गत नहीं आतीं [अर्थात्, मप्रविनिआ अनुज्ञप्ति शुल्क (लायसेंस फी), टेक्स आदि] (करोड़ रूपये में)**	0.00
	दावा किये गये कुल प्रचालन एवं संधारण प्रभार (ए+बी+सी+डी+ई+एफ)	**496.98**

प्रचालन एवं संधारण लागत हेतु आयोग का विश्लेषण

3.79 परिसम्पत्ति पूंजीकरण बाबत भाग में, आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 08 के टैरिफ अवधारण हेतु, वित्तीय वर्ष 07 तथा वित्तीय वर्ष 08 के दौरान किसी परिसम्पत्ति को जोड़े जाने पर विचार न किये जाने के कारणों की व्याख्या की है। तथापि, अनुज्ञप्तिधारी को उसकी परिसम्पत्ति पूंजीकरण दर में सुधार लाये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है, परन्तु अनुज्ञप्तिधारी को इसके लाभ केवल आगामी टैरिफ वर्षों में सत्यापन याचिकाओं पर विचारोपरांत ही उपलब्ध कराये जावेंगे। आयोग इसे उपभोक्ताओं के सर्वश्रेष्ठ हितों में उचित मानता है क्योंकि इसके कारण उपभोक्ता को, परिसम्पत्ति आधार में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सर्वश्रेष्ठ अनुपालन किये जाने द्वारा, जिसकी कार्यान्वित होने या न होने की अनुज्ञेय सीमा तक संभावना है, भविष्य में की जाने वाली अभिवृद्धि हेतु टैरिफ दर के माध्यम से भुगतान न करना होगा। अतः, आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 08 हेतु मानदण्डीय प्रचालन तथा संधारण व्यय केवल उच्च दाब लाईनों के सर्किट किलोमीटर हेतु, तथा दिनांक 31 मार्च, 2006 की स्थिति में विद्यमान ट्रांसफार्मेशन क्षमता पर ही अवधारित किये हैं। ये आंकड़े अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग को प्रदान किये गये हैं।

3.80 पूर्व उल्लेख परिच्छेदों में चर्चित की गई आयोग की प्रक्रिया की अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्थापित की गई लाइनों तथा ट्रांसफार्मरों द्वारा और अधिक संपुष्टि होती है। इसे निम्न तालिका में प्रस्तुत किया गया है :

तालिका 89 : नेटवर्क परिसम्पत्तियों की स्थापना के संबंध में अनुज्ञप्तिधारी का पूर्व प्रदर्शन

विवरण	माह मार्च 03 की स्थिति में	वित्तीय वर्ष 03–04 के दौरान की गई अभिवृद्धि	वित्तीय वर्ष 04–05 के दौरान की गई अभिवृद्धि	वित्तीय वर्ष 05–06 के दौरान की गई अभिवृद्धि	वित्तीय वर्ष 06–07 के दौरान अभिवृद्धि का दावा	वित्तीय वर्ष 07–08 के दौरान अभिवृद्धि का दावा
33 केवी लाईन (सर्किट किलोमीटर में)	10024	322	593	572	2332	924
11 केवी लाईन (सर्किट किलोमीटर में)	50452	599	1735	883	4354	4590
पावर ट्रांसफार्मर– एमवीए क्षमता	4341	355	403	132	950	287

3.81 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वित्तीय वर्ष 07 तथा वित्तीय वर्ष 08 हेतु प्राक्कलित की गई लाईनों तथा ट्रांसफार्मेशन क्षमता में वृद्धि पूर्व वर्ष में इन्हें वास्तविक रूप से जोड़े गये के अनुरूप नहीं है। वास्तव में, वित्तीय वर्ष के दौरान अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कार्य पूर्ण

किये जाने संबंधी प्रगति की प्रस्तुति से यह स्पष्ट है कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रक्षेपित किये गये आंकड़े काफी अधिक बढ़ा–चढ़ा कर अभिव्यक्त किये गये हैं। इसे निम्न तालिका में प्रस्तुत किया गया है :

तालिका 90 : वित्तीय वर्ष 06–07 में अनुज्ञप्तिधारी की नेटवर्क की परिसम्पत्तियों के सृजन संबंधी प्रगति

विवरण	वित्तीय वर्ष 07 में समग्र राजस्व आवश्यकता में दावा की गई नेटवर्क अभिवृद्धि	कंपनी द्वारा संचालित समस्त योजनाओं में दिनांक 31.10.2006 तक की वास्तविक प्रगति	प्रगति प्रतिशत में
33 केवी लाईन (सर्किट किलोमीटर में)	2332	275.5	**11.81%**
11 केवी लाईन (सर्किट किलोमीटर में)	4354	224	**5.14%**
पावर ट्रांसफार्मर एमवीए क्षमता	950	प्रस्तुत नहीं की गई	

3.82 मानदण्डीय प्रचालन तथा संधारण व्ययों के दो अन्य अवधारकों (determinants) यथा, मीटरीकृत उपभोक्ताओं तथा मीटरीकृत विक्रयों के संबंध में आयोग द्वारा सुसंगति संधारित किये जाने की दृष्टि से, वित्तीय वर्ष 08 के अवधारण हेतु समरूप मार्ग अपनाया है ; अर्थात्, ये मानदण्ड वित्तीय वर्ष 06 के अन्त के अनुरूप रखे गये हैं तथा वित्तीय वर्ष 07 एवं वित्तीय वर्ष 08 के दौरान प्रचालन एवं संधारण लागत के अवधारण के प्रयोजन से किसी प्रकार की वृद्धियों पर विचार नहीं किया गया है। ये आंकड़े अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग को भी प्रदान किये गये थे।

3.83 आयोग, तथापि, यहां पर यह जोर देना चाहता है कि यद्यपि वित्तीय वर्ष 08 की समग्र राजस्व आवश्यकता के अवधारण के प्रयोजन से, मानदण्डीय संचालन एवं संधारण व्ययों के अवधारक केवल वित्तीय वर्ष 06 के अन्त की भांति माने गये हैं, वित्तीय वर्ष 08 के अन्त में मानदण्डीय व्ययों की पुर्नगणना वित्तीय वर्ष 07 की वास्तविक अभिवृद्धियों के आधार पर की जावेगी। वित्तीय वर्ष 2007–08 के सत्यापन के समय समायोजन पर विचार किया जावेगा।

3.84 उपरोक्त तर्कों के आधार पर, आयोग द्वारा अनुज्ञेय किये गये मानदण्डीय प्रचालन तथा संधारण व्यय जिनकी वसूली वित्तीय वर्ष 08 हेतु टैरिफ दरों के माध्यम से किया जाना है, निम्नानुसार हैं :

तालिका 91 : आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुमोदित किये गये प्रचालन एवं संधारण व्यय

राशि करोड़ रूपये में

	प्रचालन तथा संधारण व्यय	वित्तीय वर्ष 08
ए	मीटरीकृत उपभोक्ता	2274808
	गुणांक (मल्टीप्लाईंग फेक्टर)–ए (लाख रूपये/'000 उपभोक्ता)	6.50
	प्रचालन एवं संधारण प्रभार – ए (लाख रूपये में)	**14786.25**
बी	मीटरीकृत विक्रय (मिलियन यूनिट में)	5606

	गुणांक – सी (लाख रूपये प्रति मिलियन यूनिट में)	2.35
	प्रचालन एवं संधारण – सी (लाख रूपये में)	**13174.10**
सी	उच्च दाब नेटवर्क की लम्बाई (सर्किट किलोमीटर में)	62999
	गुणांक – डी (लाख रूपये/'00 सर्किट किलोमीटर)	16.00
	प्रचालन एवं संधारण अनुसार प्रभार – डी (लाख रूपये में)	**10079.84**
डी	ट्रांसफार्मेशन क्षमता (एमवीए में)	4876
	गुणांक – ई (लाख रूपये प्रति एमवीए में)	1.53
	प्रचालन एवं संधारण अनुसार प्रभार – ई (लाख रूपये में)	**7460.28**
ई	मदें जो सूत्रों के अंतर्गत नहीं आती (अर्थात् मप्रविनिआ अनुज्ञप्ति शुल्क (लायसेंस फी) टैक्स आदि (करोड़ रूपये में)	**0.69**
	दावा किये गये कुल प्रचालन एवं संधारण प्रभार (ए+बी+सी+डी+ई+एफ)	**455.69**

अवमूल्यन

अनुज्ञप्तिधारी की प्रस्तुति :

3.85 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निवेदन किया गया है कि उसे रू.1499.42 करोड़ रूपये की सकल स्थाई परिसम्पत्तियां उत्तराधिकार में प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र (Opening Balance Sheet) के अनुसार प्राप्त हुई हैं जो कि मध्यप्रदेश शासन की किसी पश्चात्वर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तनीय हैं। उनके द्वारा यह भी दावा किया गया है कि वित्तीय वर्ष 06 में, सकल स्थाई परिसम्पत्तियों में रू.53.93 करोड़ के रूप में अभिवृद्धि हुई है तथा दिनांक 31 मार्च, 2006 की स्थिति में संचित अवमूल्यन की राशि प्रावधिक आय–व्यय विवरण–पत्र के अनुसार रू.922.85 करोड़ है।

3.86 अनुज्ञप्तिधारी के अनुसार, अवमूल्यन की गणना सकल स्थाई परिसम्पत्तियों की अवमूल्यन–योग्य परिसम्पत्तियों की प्रारंभिक शेष राशि पर अधिसूचित प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र के अनुसार की गई है। वह प्रतिशत, जिस हेतु प्रत्येक उप–श्रेणी में परिसम्पत्तियां अवमूल्यित हो गई हैं, की दिनांक 31 मई, 2005 की स्थिति में गणना की गई है तथा इसका प्राक्कलन मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल के वर्ष 1985–86 से वर्ष 2004–05 के वर्ष–वार परिसम्पत्ति वृद्धि आंकड़ों (Year wise asset addition data) के आधार पर किया गया है। इस प्रकार प्राप्त की गई अवमूल्यन योग्य परिसम्पत्तियों (प्रारंभिक शेष) के प्रतिशत निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं :

तालिका 92 : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दायर की गई अवमूल्यन योग्य परिसम्पत्तियों का प्रतिशत

परिसम्पत्ति वर्ग (क्लास)	वित्तीय वर्ष 07	वित्तीय वर्ष 08
भूमि तथा भूमि अधिकार	0%	0%
भवन तथा सिविल कार्य	1%	1%
द्रव्य संबंधी कार्य (हायड्रॉलिक वर्क्स)	26%	26%
अन्य सिविल कार्य	13%	13%
संयंत्र तथा मशीनरी :–		
ट्रांसफार्मर	*60%*	*60%*

बैटरियां	*97%*	*97%*
स्विच गियर नियंत्रण तथा सुरक्षा	*43%*	*43%*
अन्य	*45%*	*45%*
लाईनें तथा केबल नेटवर्क, आदि :		
मीटर	*23%*	*23%*
अन्य	*70%*	*70%*
वाहन	100%	100%
फर्नीचर तथा फिक्सचर्स	72%	72%
अन्य उपकरण	34%	34%
अन्य कोई मदें	0%	0%

इसके अतिरिक्त, तत्पश्चात, प्रत्येक वर्ष के दौरान परिसम्पत्ति वृद्धि पर प्रत्येक ऐसे वर्ष में प्रक्षेपित (प्राजेक्टेड) जैसा कि इसे इस आदेश के पूंजीगत व्यय संबंधी भाग में प्रस्तुत किया गया है, पूंजीकरण के आधार पर अवमूल्यन की गणना की गई है। प्रत्येक वर्ष में, कुल प्रक्षेपित पूंजीकरण को अनुज्ञप्तिधारी के वित्तीय वर्ष 06 के अंकेक्षित लेखे के अनुसार श्रेणीवार विभाजन के आधार पर, तीन विभिन्न परिसम्पत्ति श्रेणियों में वितरित किया गया है। अवमूल्यन का दावा भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना एस.ओ.265 (ई) दिनांक 27 मार्च, 1994 के आधार पर किया गया है।

3.87 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा एक वर्ष हेतु अवमूल्यन का दावा सकल स्थाई सम्पत्तियो के प्रारंभिक शेष पर उक्त वर्ष हेतु किया गया है तथा उक्त वर्ष में जोड़ी गई परिसम्पत्तियों पर किसी अवमूल्यन का दावा नहीं किया गया है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्तीय वर्ष 07 तथा वित्तीय वर्ष 08 हेतु किये गये अवमूल्यन का दावा निम्नानुसार है :

तालिका 93 : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया गया अवमूल्यन का दावा

राशि करोड़ रूपये में

परिसम्पत्ति वर्ग (क्लास)	**वित्तीय वर्ष 07**	**वित्तीय वर्ष 08**
भूमि तथा भूमि अधिकार	0.00	0.00
भवन तथा सिविल कार्य	0.86	1.03
द्रव्य संबंधी कार्य (हायड्रॉलिक वर्क्स)	0.16	0.16
अन्य सिविल कार्य	0.08	0.08
संयंत्र तथा मशीनरी :–		
ट्रांसफार्मर	*13.45*	*19.46*
बैटरियां	*0.00*	*0.00*
स्विच गियर, नियंत्रण तथा सुरक्षा	*2.14*	*2.89*
अन्य	*0.19*	*0.49*
लाईन तथा केबल नेटवर्क, आदि :		
मीटर	*31.95*	*33.48*

अन्य	*16.31*	*25.71*
वाहन	0.00	0.00
फर्नीचर तथा फिक्सचर्स	0.07	0.07
अन्य उपकरण	0.32	0.32
अन्य कोई मदें	0.00	0.37
योग	**65.52**	**84.05**

3.88 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा किये गये अवमूल्यन को प्रत्येक गतिविधि में लगाई गई परिसम्पत्तियों के चिन्हीकरण के आधार पर चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधि के मध्य आवंटित कर दिया गया है ।

अवमूल्यन के दावों के संबंध में आयोग का विश्लेषण

3.89 आयोग ने अनुज्ञप्तिधारी के अवमूल्यन संबंधी दावों का विश्लेषण किया है तथा यह जान कर प्रसन्न है कि अनुज्ञप्तिधारी ने दिनांक 31.5.2005 की स्थिति में अवमूल्यन योग्य परिसम्पत्तियों के प्रारंभिक शेष के अवधारण हेतु विस्तृत विश्लेषण किया है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल के परिसम्पत्ति आधार में वर्ष–वार तथा श्रेणी–वार परिसम्पत्ति वृद्धि संबंधी आंकड़ों को आयोग के साथ बांटा गया है। तथापि, इसके साथ–साथ यह भी कि दिनांक 31. 5.2005 की स्थिति में, अवमूल्यन–योग्य तथा पूर्ण रूप से अवमूल्यित परिसम्पत्तियों, जैसा कि इनका मूल्यांकन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया गया है, अधिसूचित प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र के अनुसार संचित अवमूल्यन के साथ मेल नहीं खाता। यदि इस आंकड़े का प्रयोग किया जाता है तो वह प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र के साथ विसंगति दर्शायेगा।

3.90 इसके अलावा, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्तीय वर्ष 06 के दौरान रू. 53.93 करोड़ के परिसम्पत्ति परिवर्धन का दावा किया है जिसकी संपुष्टि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत किये गये वित्तीय वर्ष 06 के अंकेक्षित लेखे से होती है। लेखे पूंजीगत परिसम्पत्तियों की लागत हेतु रू. 3.48 करोड़ के उपभोक्ता अंशदान की राशि दर्शाते हैं जिन्हें कि पूंजीगत संचिति (केपिटल रिजर्व) के अंतर्गत माना गया है। लेखा परीक्षकों द्वारा, तथापि, इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया गया है तथा टीप की है कि उपभोक्ता अंशदान को सकल स्थाई परिसम्पत्तियों से घटाया जाना चाहिये था।

3.91 आयोग द्वारा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किये गये प्रक्षेपणों पर विचार न किये जाने हेतु काफी विस्तारपूर्वक इसका अध्ययन किया है तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि ये काफी अतिरंजित (inflated) प्रतीत होते हैं तथा पूर्व की प्रवृत्ति के अनुरूप नहीं हैं। पूर्व में, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राप्त दोनों भौतिक तथा वित्तीय परिसम्पत्ति पूंजीकरण अत्यंत न्यून रहे हैं। वित्तीय वर्ष 07 हेतु भी, इनके सही होने की पूर्ण संभावना है। परिसम्पत्ति पूंजीकरण संबंधी विषय पर, इस आदेश के परिसम्पत्ति पूंजीकरण संबंधी भाग में काफी विस्तार से चर्चा की गई है। यदि वित्तीय वर्ष 08 के दौरान परिसम्पत्ति में वृद्धि के प्रक्षेपण हेतु इसी दर का प्रयोग किया जाता है तो यह वृद्धि पर्याप्त होने की संभावना नहीं है। परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 08 हेतु अवमूल्यन में वित्तीय वर्ष 06 हेतु प्राप्त किये गये अवमूल्यन से विशेष अन्तर होने की संभावना नहीं है। अतः वित्तीय वर्ष 08 हेतु, आयोग द्वारा अवमूल्यन की गणना दिनांक 31 मार्च, 2006 की स्थिति में विद्यमान परिसम्पत्तियों के अन्तिम शेष पर की है तथा किसी भी प्रकार की प्रक्षेपित परिसम्पत्ति वृद्धियों पर विचार नहीं किया गया है। आयोग अनुज्ञेय राशि का सत्यापन वित्तीय वर्ष 08 के अंकेक्षित आय–व्यय विवरण–पत्र के उपलब्ध होने पर करेगा बशर्ते वित्तीय वर्ष 07 तथा

वित्तीय वर्ष 08 में परिसम्पत्तियों का पूंजीकरण आयोग द्वारा संरचित केपैक्स गाईड लाईन्स के अनुसार आयोग द्वारा अनुमोदित योजनाओं का एक भाग बने।

3.92 प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्ति तथा इसका विभिन्न परिसम्पत्ति वर्गों में विभाजन, जिस पर आयोग द्वारा अवमूल्यन की गणना के प्रयोजन से विचार किया गया है, निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 94 : दिनांक 31 मार्च, 2006 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्ति का विभिन्न परिसम्पत्ति वर्गो में विभाजन

(राशि करोड़ रूपये में)

परिसम्पत्ति वर्ग (क्लास)	**वित्तीय वर्ष 08**
भूमि तथा भूमि अधिकार	4.14
भवन तथा सिविल कार्य	28.57
द्रव्य संबंधी कार्य (हायड्रॉलिक वर्कस)	6.77
अन्य सिविल कार्य	3.03
संयंत्र तथा मशीनरी :–	
ट्रांसफार्मर	*411.01*
बैटरियां	*0.20*
स्विच गियर, नियंत्रण तथा सुरक्षा	*49.46*
अन्य	*4.39*
लाईन तथा केबल नेटवर्क, आदि :	
मीटर	*326.67*
अन्य	*705.18*
वाहन	5.37
फर्नीचर तथा फिक्सचर्स	1.95
अन्य उपकरण	3.16
अन्य कोई मदें	0.00
योग	**1549.88**

3.93 धारा 61 के अंतर्गत आयोग के विनियम विनिर्दिष्ट करते हैं कि अवमूल्यन की गणना केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (केविनिआ) द्वारा अधिसूचित की गई दरों पर की जानी चाहिए। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्तीय वर्ष 07 हेतु प्रस्तुत उसकी याचिका में अवमूल्यन की गणना इन दरों के आधार पर की गई थी। तथापि उसके द्वारा प्रस्तुत की गई वर्तमान याचिका में, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्तीय वर्ष 07 से वित्तीय वर्ष 08 हेतु अवमूल्यन की गणना विद्युत मंत्रालय (MOP) दरों के आधार पर की थी तथा उसने आयोग को उसके द्वारा दावा की गई अवमूल्यन राशि अनुज्ञेय किये जाने का अनुरोध किया है। उच्चतर अवमूल्यन दरों संबंधी उसके दावे के अवलंबन की दृष्टि से (एमओपी दरें केविनिआ के द्वारा अनुमोदित दरों से अधिक हैं), अनुज्ञप्तिधारी द्वारा राष्ट्रीय टैरिफ नीति की धारा 5.3 (सी) का हवाला दिया गया है जिसमें कहा गया है कि वितरण हेतु नियामकों का फोरम (Forum of Regulators) अवमूल्यन दरों को विकसित करेगा। इसके अतिरिक्त, नीति में यह भी कहा गया है कि अधिसूचित दरें दोनों टैरिफ तथा लेखांकन हेतु प्रयोज्य होंगी। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यह भी इंगित किया गया है कि आईसीएआई द्वारा जारी ए.एस–6 ''डेपरिसियेशन अकाऊंटिंग'' के अनुसार यदि अवमूल्यन की विधि में कोई परिवर्तन किया जाता है तो परिवर्तित वर्ष से भूतलक्षी प्रभाव से अवमूल्यन की गणना किया जाना आवश्यक होगा।

3.94 राष्ट्रीय टैरिफ नीति में अनुशंसा की गई है कि नियामकों के फोरम (एफओआर) द्वारा विद्युत वितरण व्यापार हेतु उपयुक्त अवमूल्यन दरों को विकसित किया जावेगा। इस संबंध में आयोग फोरम ऑफ रेगुलेटर्स (एफओआर) द्वारा राज्य विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों को संबोधित संदर्भ क्रमांक 1/20(6)–2006–टैरिफ पालिसी/सीईआरसी दिनांक 23 जून 2006

को उद्धरित करना चाहता है जिसमें कहा गया है कि अवमूल्यन दरें जैसी कि वे केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (केविनिआ) द्वारा अवधारित की गई हैं, विद्युत वितरण व्यापारों को भी लागू होंगी। अतः आयोग अनुज्ञप्तिधारी के दावे को अमान्य करता है। अवमूल्यन की गणना केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग की दरों के अनुसार की गई है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 5 दिसम्बर 2005 को विद्युत अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत जारी किये गये तत्कालीन विनियमों में भी केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग की दरों के अनुरूप दरें निर्धारित की गई थीं।

3.95 आयोग द्वारा दिनांक 31 मई, 2005 को जारी अन्तरण योजना के एक भाग के रूप में अधिसूचित परिसम्पत्तियों पर अवमूल्यन की गणना तथा वित्तीय वर्ष 06 हेतु जोड़ी गई परिसम्पत्तियों हेतु इसकी गणना पृथक–पृथक की गई है। दिनांक 1 जून, 2005 की स्थिति में, अधिसूचित विद्यमान परिसम्पत्तियों हेतु आयोग द्वारा ऐसी परिसंपत्ति श्रेणी हेतु अवमूल्यन उस सीमा तक प्रदान किया गया है जिससे कि प्रत्येक वर्ष में दिनांक 31 मार्च की स्थिति में संचित अवमूल्यन की राशि इसके अर्जन की ऐतिहासिक लागत के 90 प्रतिशत से अधिक न होगी।

3.96 उपरोक्त की गई चर्चा के आधार पर, वित्तीय वर्ष 08 हेतु आयोग द्वारा अनुज्ञेय अवमूल्यन निम्नानुसार दर्शाया गया है :

तालिका 95 : आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुज्ञेय किया गया अवमूल्यन

राशि करोड़ रूपये में

परिसम्पत्ति वर्ग	**वित्तीय वर्ष 08**
भूमि तथा भूमि अधिकार	0.00
भवन तथा सिविल कार्य	0.52
द्रव्य संबंधी कार्य (हायड्रॉलिक वर्कस)	0.17
अन्य सिविल कार्य	0.05
संयंत्र तथा मशीनरी :–	
ट्रांसफार्मर	*14.31*
बैटरियां	*0.00*
स्विच गियर, नियंत्रण तथा सुरक्षा	*2.85*
अन्य	*0.25*
लाईन तथा केबल नेटवर्क, आदि :–	
मीटर	*19.50*
अन्य	*24.96*
वाहन	0.00
फर्नीचर तथा फिक्सचर्स	0.11
अन्य उपकरण	0.23
अन्य कोई मदें	0.00
योग	**62.96**

3.97 चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधियों के मध्य अनुज्ञेय अवमूल्यन के पृथक्करण के संबंध में, आयोग का दृष्टिकोण तथा अन्तिम निर्णय इस आदेश के सुसंगत भाग में सम्मिलित किया गया है।

ब्याज तथा वित्त प्रभार

अनुज्ञप्तिधारी की प्रस्तुति

3.98 ब्याज तथा वित्त प्रभारों में सम्मिलित है, दिनांक 31 मई, 05 को प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र के अनुसार ऋण, वित्तीय वर्ष 06 के दौरान आहरित किये गये अतिरिक्त ऋण, वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निवेश योजना के अनुसार आहरित किये जाने वाले प्रस्तावित नवीन ऋण, उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेपों पर ब्याज प्रभार, कार्यकारी मुख्य ऋणों पर ब्याज प्रभार तथा ऋण प्रदाय संस्थाओं से नवीन ऋणों के संग्रहण की लागत। वित्तीय वर्ष 08 के दौरान, नवीन पूंजीगत व्यय के संबंध में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पूर्ण रूप से मेल खाती हुई वित्तीय प्रबंधन योजना उपलब्ध नहीं कराई है क्योंकि इसके कुछ भाग को वित्तीय पोषण अगठबंधित कोष (untied fords) के भाग के रूप में दर्शाया गया है [अर्थात्, कोई वचनबद्ध कोष (committed funding) उपलब्ध नहीं है] ।

3.99 वित्तीय वर्ष 08 हेतु, पूंजीगत व्यय योजना की संक्षेपिका जिस पर ब्याज की गणना हेतु विचार किया गया है, निम्न तालिका में दी गई है :

तालिका 96 : दायर की गई पूंजीगत व्यय योजना की संक्षेपिका

राशि करोड़ रूपये में

योजना	वित्तीय वर्ष 07	वित्तीय वर्ष 08
नार्मल डेवलपमेंट (एनडी)	25.78	27.97
जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोआपरेशन (जेबीआईसी)	34.61	32.15
सब ट्रांसमिशन (नार्मल)–एसटी (एन)	26.93	29.93
एक्सेलेरेटिड पावर डेवलपमेंट एण्ड रिफार्म प्रोग्राम (एपीडीआरपी)	186.75	80.04
एशियन डेवलपमेंट एण्ड बैंक (एडीबी)	40.29	0.00
पावर फायनेन्स कार्पोरेशन (पीएफसी)–कैपीसिटर बैंक्स	0.00	15.00
(एडीबी)–II	0.00	181
कंट्रब्यूटरी स्कीम्स (अंशदाता योजनाएं)	25.00	25.00
योग	**339.36**	**391.09**

3.100 ब्याज दायित्व की गणना हेतु, वित्तीय वर्ष 08 की प्रारंभिक तथा अन्तिम शेष राशियों की औसत राशि को मान्य किया गया है। अन्तिम शेष राशियों का अवधारण प्रक्षेपित मूलधन की अदायगी हेतु प्रारंभिक शेष राशियों के समायोजन द्वारा किया गया है।

3.101 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा किया गया है कि उसे अधिसूचित आय–व्यय विवरण–पत्र (बैलेंस शीट), उसे आवंटित किये गये ऋणों की निबंधन तथा शर्तें [जैसे कि ब्याज दर, अदायगी का निबंधन, तथा ऋण स्थगन अवधि (मोरेटोरियम पीरियड), आदि] तत्संबंधी ऋण अनुबधों तथा राज्य सरकार द्वारा दर्शाई गई शर्तों के अनुसार हैं। नवीन ऋणों की निबंधन तथा शर्तों पर विचार ऋण प्रदाय संस्था के साथ उसके द्वारा किये गये ऋण अनुबंध के अनुसार किया गया है। अगठबंधित कोष (अनटाईड फंड्स) के संबंध में, तथापि निबंधन एवं शर्तें अवधारित (assumed) की गई हैं। नवीन ऋणों हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विचार की गईं ब्याज लागत की गणना बाबत निबंधन तथा शर्तें निम्न तालिका में दी गई हैं :

तालिका 97 : दायर की गई याचिका के अनुसार ऋणों की निबंधन तथा शर्तें

स्त्रोत	ब्याज दर (प्रतिशत)	ऋण स्थगन अवधि	वार्षिक किश्तों की संख्या
राज्य शासन ऋण	10.5	0	7
पावर फायनेंस कार्पोरेशन (पीएफसी) ऋण	10.75	3	8
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) ऋण	9.25	5	10
एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) ऋण	10.5	5	15
जापान बैंक फॉर इन्टरनेशनल कोआपरेशन (जेबीआईसी) ऋण	8.2	5	10
पीएफसी–कैपेसिटर बैंक्स	10.5	3	12
पूंजीगत व्यय (अगठबंधित) हेतु अन्य बाजार ऋणों की प्राप्ति	10.5	3	7

3.102 वित्तीय वर्ष 07 हेतु, वित्त तथा बैंक प्रभारों के एकत्रीकरण की लागत रू.3 करोड़ प्राक्कलित की गई है तथा वित्त वर्ष 08 हेतु भी समरूप राशि मानी गई है। तथापि, इस राशि की गणना हेतु कोई आधार प्रदान नहीं किया गया है। प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज की गणना, प्रक्षेपित की गई 6% प्रतिभूति राशि पर, जो कि अनुमोदित प्रतिभूति राशि के महीनों तथा उपभोक्ता की विभिन्न श्रेणियों पर औसत मासिक प्राक्कलित राजस्व पर आधारित है, की गयी है।

3.103 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसकी याचिका में ब्याज लागत के पूंजीकरण के आधार के बारे में कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है, परंतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदाय किये गये गणना पत्रकों (वर्किंग शीट्स) के अवलोकन से प्रतीत होता है कि पूंजीगत व्यय के पोषण हेतु उपयोग किये गये विद्यमान तथा नवीन ऋणों की ब्याज लागत के 50% को पूंजीकृत किया गया ब्याज मान लिया गया है। पूंजीकृत किये गये व्यय के संबंध में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्तीय वर्ष 06 के अंकेक्षित लेखे से उपलब्ध इस मद की कीमत में प्रति वर्ष वित्तीय वर्ष 08 तक 5% की दर से वृद्धि कर दी गई है।

यहां पर यह बतलाया जाना आवश्यक है कि अनुज्ञप्तिधारी की वित्त प्रबंधन योजना, निर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी) तथा पूंजीकृत किये गये व्यय हेतु वित्तीय व्यवस्था का प्रावधान नहीं करती है। तथापि, राशियों के विश्लेषण से ऐसा प्रतीत होता है कि अगबंधित कोष (अनटाईड फंड्स) हेतु जैसा कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसे प्राक्कलित किया गया है, इन्हें निर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी) की वित्तीय व्यवस्था तथा पूंजीकृत किये गये व्यय में उपयोग किया जावेगा।

3.104 वितरण अनुज्ञप्तिधारी ने विद्यमान तथा नवीन ऋणों हेतु ब्याज लागत की गणना उपरोक्त दर्शाई गई निबंन्धन तथा शर्त के आधार पर की है। वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा की गई ब्याज लागत निम्न तालिका में दर्शाई गई है :

तालिका 98 : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा किये गये ब्याज तथा वित्त प्रभार

(राशि करोड़ रूपये में)

ब्याज तथा वित्त प्रभार (आईएफसी)	वित्त वर्ष 07	वित्त वर्ष 08
नवीन दीर्घ–अवधि ऋणों पर ब्याज तथा वित्त प्रभार		
राज्य शासन के ऋण–एक्सेलेरेटिड पावर डेवलपमेंट एण्ड रिफार्म प्रोग्राम (एपीडीआरपी)	7.35	16.81
पावर फायनेंस कार्पोरेशन (पीएफसी)	0.33	2.13
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी)	0.24	0.70
एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी)	0.8	5.20
जापान बैंक फार इन्टरनेशनल कोआपरेशन (जेबीआईसी)	1.21	3.53
विद्यमान दीर्घ–अवधि ऋणों पर ब्याज तथा वित्त प्रभार		
पीएफसी	16.60	8.03
आरईसी	0	6.04
एडीबी	5.93	5.80
म.प्र. शासन–एपीडीआरपी	7.67	6.45
मप्रराविमं से विद्यमान प्रजातीय (जनरिक) ऋणों पर ब्याज तथा वित्त प्रभार	55.57	47.42
राजस्व घाटे की पूर्ति हेतु बाजार से अन्य ऋण प्राप्तियां	3.19	4.11
कार्यकारी पूंजी हेतु बाजार से अन्य ऋण प्राप्तियां	16.37	31.90
पूंजीगत व्यय (अगठबंधित) हेतु बाजार से ऋण प्राप्तियां	6.66	21.98
अन्य ब्याज तथा वित्त प्रभार		
वित्त एकत्रीकरण की लागत तथा बैंक प्रभार	3.00	3.00
उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज	15.83	17.07
दाण्डिक ब्याज प्रभार	0	0
पट्टों का भाड़ा (लीज रेंटल्स)	0	0
विद्युत क्रय में विलंबित भुगतान हेतु दाण्डिक प्रभार	0	0
सकल ब्याज तथा वित्त प्रभार	**134.74**	**180.98**
घटायें : पूंजीकृत किये गये ब्याज तथा ऋण प्रभार	**48.18**	**62.45**
शुद्ध ब्याज तथा वित्त प्रभार	**86.56**	**118.53**

आयोग का विश्लेषण

3.105 दिनांक 26 अक्टूबर, 2006 को मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विद्युत वितरण तथा खुदरा व्यापार के टैरिफ अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें एवं प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत संबंधी विनियम केवल उन्हीं ऋणों के ब्याज प्रभारों को अनुज्ञेय करते हैं जिन्हें कि समग्र राजस्व आवश्यकता के माध्यम से लिया गया है तथा जिनसे संबद्ध मुख्य कार्य पूर्ण कर उपयोग हेतु प्रारंभ किये जा चुके हैं।

3.106 आयोग द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को अर्द्ध–वार्षिक लेखे संधारित किये जाने तथा इन्हें अंकेक्षित करा आयोग को प्रस्तुत किये जाने संबंधी निर्देश दिये हैं। तथापि, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अभी तक केवल वार्षिक लेखे ही उपलब्ध कराये गये हैं। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग को उपलब्ध कराये गये अन्तिम लेखे वित्तीय वर्ष 05–06 से संबंधित हैं जबकि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 30 सितम्बर 06 को समाप्त होने वाली अर्द्ध–वार्षिकी अवधि हेतु लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। यद्यपि अनुज्ञप्तिधारी ने आयोग को मुख्य कार्यों को पूर्ण किये जाने संबंधी माह अक्टूबर 06 तक का प्रतिवेदन उपलब्ध कर दिया है परन्तु इससे यह स्थापित नहीं किया जा सका है कि पूर्ण किये गये कार्यों को पूंजीकृत किया गया है अथवा नहीं। अतएव, आयोग केवल वित्तीय वर्ष 05–06 के अन्तिम अंकेक्षित लेखे से उपलब्ध पूंजीकरण (सकल स्थाई परिसंपत्तियों) के बारे में ही अश्वस्त है। इसके अलावा, पूर्व में निर्माणाधीन कार्यों के पूंजीकरण के संबंध में अनुज्ञप्तिधारी का प्रदर्शन देखते हुए, वित्तीय वर्ष 07 तथा वित्तीय वर्ष 08 के दौरान परिसम्पत्ति में वृद्धि काफी न्यून है।

3.107 समस्त निर्माणाधीन कार्यों हेतु, ऐसे कार्यों हेतु ऋण के वित्त प्रबंधन से संबंधित ब्याज लागत को निर्माण के दौरान ब्याज (आई.डी.सी.) माना जाता है जिसे कि पूंजीकृत किया जावेगा तथा परिसम्पत्ति पूंजीकरण के समय इसे परियोजना लागत में जोड़ा जावेगा। ऐसी ब्याज लागत के संबंध में इसे समग्र राजस्व आवश्यकता के माध्यम से पास–थ्रू (Pass through) किये जाने पर विचार नहीं किया जाता है। इसके पीछे विचार यह है कि उपभोक्ता से केवल उन संपत्तियों की लागत से संबंधित ब्याज को वहन करने की अपेक्षा की जा सकती है जिनका कि उपभोक्ता उपयोग कर रहा है। निर्माणाधीन परिसम्पत्तियां उपभोक्ताओं के उपयोग की नहीं हैं तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्माण के अन्तर्गत वहन की गई ब्याज लागत निर्माणाधीन मुख्य कार्यों का एक भाग बन जाती है, अतः इन्हें टैरिफ के माध्यम से वसूली हेतु अनुज्ञेय नहीं किया जा रहा है।

3.108 आयोग को यह ज्ञात है कि अनुज्ञप्तिधारी कुछ मुख्य कार्य वित्तीय वर्ष 07 तथा वित्तीय वर्ष 08 के दौरान पूर्ण कर लेगा जिन्हें कि पूंजीकृत कर परिसम्पत्ति आधार में जोड़ दिया जावेगा। तथापि, जैसा कि पूंजीकरण संबंधी भाग में स्पष्ट किया गया है, अनुज्ञप्तिधारी का परिसम्पत्तियों के पूंजीकरण के संबंध में प्रदर्शन पूर्ण रूप से किये गये प्रक्षेपणों को नकारता है जो कि उसके द्वारा वित्तीय वर्ष 07 तथा वित्तीय वर्ष 08 के लिये किये गये हैं। अतः, आयोग वित्तीय वर्ष 07 तथा वित्तीय वर्ष 08 हेतु संभावित पूंजीकरण पर विचार करना बुद्धिमतापूर्ण नहीं मानता परंतु वह केवल उसी दशा में ऐसी परिसम्पत्तियों को आरोपणीय ब्याज व्ययों पर विचार करेगा जब ऐसी परिसम्पत्तियों को परिसम्पत्ति आधार में जोड़ दिया जावे। यह अनुज्ञप्तिधारी को, इस प्रकार से, कार्यों को पूर्ण किये जाने में गति लाये जाने तथा परिसम्पत्तियों को निर्माणाधीन मुख्य कार्यों से सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के त्वरित तथा दक्ष अन्तरण को सुनिश्चित किये जाने बाबत उसकी लेखांकन प्रक्रियाओं में गति लाये जाने को प्रोत्साहित करेगा। इसी के साथ–साथ, यह अनुज्ञप्तिधारी के लिये उसका अर्द्ध–वार्षिकी लेखा संधारित किये जाने तथा आयोग को इसकी प्रस्तुति किये जाने हेतु भी प्रोत्साहित करेगा।

3.109 अतः आयोग की वित्तीय वर्ष 08 हेतु, उसी मार्ग के अनुसरण में ही अभिरूचि है जो उसके द्वारा वित्तीय वर्ष 07 के टैरिफ आदेश में अपनाया गया था जिससे कि राजस्व लेखे को

प्रभारणीय ब्याज के लागत की गणना की जा सके। इसमें ऋण तथा पूंजी (इक्विटी) का सकल स्थाई परिसम्पत्तियों तथा निर्माणाधीन मुख्य कार्यों में आवंटन सन्निहित है जैसा कि वह वित्तीय वर्ष 06 के अंकेक्षित आय–व्यय विवरण–पत्र से उपलब्ध है। इसे निम्न विधि द्वारा किया गया है :

(ए) वित्तीय वर्ष 05–06 के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के सकल योग की गणना कुल सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के योग से आय–व्यय विवरण–पत्र से उपलब्ध उपभोक्ता अंशदान राशि को घटा कर की गई है।

(बी) वित्तीय वर्ष 05–06 के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्ति के 30 प्रतिशत का पोषण वित्तीय व्यवस्था पूंजी के माध्यम से तथा इसे 31 मई, 2005 की स्थिति में वित्तीय वर्ष 07 के टैरिफ आदेश अनुसार सकल स्थाई परिसम्पत्तियों को आवंटित पूंजी के साथ जोड़ कर विचार किया गया है।

(सी) सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के सकल जोड़ के शेष को ऋण के माध्यम से वित्तीय व्यवस्था द्वारा किया गया माना गया है तथा इसे 31 मई, 05 की स्थिति में वित्तीय वर्ष 07 के टैरिफ आदेश अनुसार सकल स्थाई परिसम्पत्ति को आवंटित कुल ऋण के साथ जोड़ा गया है।

(डी) तत्पश्चात्, ऋणों की अदायगी को उपरोक्तानुसार की गई गणना के अनुसार पूर्ण की गई परिसम्पत्तियों से चिन्हित कुल ऋण से घटाया गया है। अदायगी राशियों की गणना वित्तीय वर्ष 05–06 के दौरान कुल अनुसूचित अदायगी राशियों की आनुपातिक दर के रूप में गई है। वास्तविक अदायगी की राशियों को माना नहीं गया है क्योंकि वित्तीय वर्ष 05–06 के दौरान अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रमुख त्रुटियां की गई हैं।

आवंटन राशि निम्न तालिका में प्रस्तुत की गई है :

तालिका 99 : वित्तीय वर्ष 07 के टैरिफ आदेशानुसार आवंटन

राशि करोड़ रूपये में

सरल क्रमांक	वित्तीय स्त्रोत	अधिसूचित प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र के अनुसार राशि	स्थाई परिसम्पत्तियों को आवंटित की गई	निर्माणाधीन मुख्य कार्य को आवंटित की गई
1	पूंजी (इक्विटी)	533.00	449.70	83.30
2	परियोजना विशिष्टि ऋण	258.00	130.30	127.70
3	मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल ऋण	494.00	0.00	494.00

तलिका 100 : वित्तीय वर्ष 06 की स्थिति में पूर्ण किये गये कार्यों से संबद्ध ऋण की गणना

सरल क्रमांक	विवरण	राशि (करोड़ रूपये में)
1	वित्तीय वर्ष 05–06 के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्तियों में परिवर्धन	53.93
2	वित्तीय वर्ष 05–06 के दौरान उपभोक्ता का अंशदान	3.48
3	वित्तीय वर्ष 05–06 के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्तियों में शुद्ध परिवर्धन	50.45
4	शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्तियों में परिवर्धन का 30 प्रतिशत (जिसे पूंजी (इक्विटी) द्वारा पोषित किया गया माना गया है)	15.14
5	शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति में शेष परिवर्धन–ऋण के माध्यम से पोषित किया गया	35.31
6	दिनांक 31 मई 05 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्ति के साथ संबद्ध ऋण (उपरोक्त तालिका से)	129.91
7	ऋण अदायगी	4.41
8	**दिनांक 31 मार्च 05 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्तियों से संबद्ध कुल ऋण (5+6+7)**	**160.82**

3.110 ब्याज लागत को केवल उन्हीं ऋणों पर अनुज्ञेय किया जा सकता है जो कि आवंटन के अनुसार चिन्हित किये जा सकते हैं, जैसा कि ये पूर्ण किये गये कार्यों (सकल स्थाई परिसम्पत्तियों) के साथ संबद्ध हैं। ऐसे अनुज्ञप्तिधारी की पहचान के अभाव में, ऐसे ऋण पर ब्याज दिनांक 31 मार्च, 2006 की स्थिति में समस्त ऋणों की भारित औसत ब्याज पर अनुज्ञेय किया गया है। वित्तीय वर्ष 05–06 हेतु पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हेतु भारित औसत ब्याज दर 10.62 प्रतिशत प्रति वर्ष है। इसका अवधारण केवल अनुसूचित अदायगियों पर ही किया गया है तथा इसके लिए वित्तीय वर्ष 05–06 के दौरान वास्तविक ब्याज तथा प्रमुख त्रुटियों (डिफाल्टस) पर विचार नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस प्रयोजन हेतु, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ऋण पर प्रकल्पित (नोशनल) ब्याज दर पर विचार किया गया है जबकि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) ऋण पर ऋण स्थगन (मोरेटेरियम) विधान लागू है क्योंकि इसे विलंब काल के उपरांत ब्याज का भुगतान करना होगा। 10.62 प्रतिशत की यह भारित औसत ब्याज दर भारतीय स्टेट बैंक की निर्धारित सार्वजनिक ऋण प्रदाय अधिकार (पीएलआर) दर 11.5 प्रतिशत से कम होने के कारण उक्त दर पर ही अनुज्ञेय की गई है। तत्पश्चात्, भारित औसत ब्याज दर को चिन्हित किये गये ऋणों पर लागू किया गया है जो कि उपरोक्त दर्शाये गये आवंटन के अनुसार पूर्ण किये गये कार्य से संबद्ध है जिससे वित्तीय वर्ष 08 हेतु समग्र राजस्व आवश्यकता के माध्यम से की जाने वाली अनुज्ञेय ब्याज लागत को अनुज्ञेय किया जा सके। इसे निम्न तालिका में प्रस्तुत किया गया है :

तालिका 101 : वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुज्ञेय की गई ब्याज लागत

राशि करोड़ रूपये में

विवरण	वित्तीय वर्ष 08
पूंजीकृत की गई परिसम्पत्तियों से संबद्ध ऋण	160.82
भारित औसत ब्याज दर (प्रतिशत में)	10.62%
समग्र राजस्व आवश्यकता के माध्यम से अनुज्ञेय की गई ब्याज लागत	**17.09**

3.111 वित्तीय वर्ष 07 हेतु, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्त एकत्रीकरण तथा बैंक प्रभार की लागत को रूपये 3.00 करोड़ प्राक्कलित किया गया है तथा वित्तीय वर्ष 08 हेतु भी इसी राशि को माना गया है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसकी गणना का आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है। तथापि, आयोग वित्तीय वर्ष 07 तथा वित्तीय वर्ष 08 के दौरान मुख्य कार्यों के सम्पादन हेतु अनुज्ञप्तिधारी को नवीन ऋणों को आहरित करने बाबत निरूत्साहित के पक्ष नहीं है। अतः आयोग वित्तीय वर्ष 08 हेतु वित्त एकत्रीकरण लागत हेतु रू.3.00 करोड़ की राशि को अनुज्ञेय करता है। वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुज्ञेय किये गये कुल ब्याज तथा वित्त प्रभार निम्नानुसार हैं :

तालिका 102 : वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुज्ञेय किये गये कुल ब्याज तथा वित्त प्रभार

राशि करोड़ रूपये में

विवरण	वित्तीय वर्ष 08
अनुज्ञेय की गई ब्याज लागत	17.09
अनुज्ञेय किये गये वित्त प्रभार	3.00
समग्र राजस्व आवश्यकता के माध्यम से अनुज्ञेय किये गये ब्याज तथा वित्त प्रभार	**20.09**

कार्यकारी पूंजी (वर्किंग कैपिटल) पर ब्याज

अनुज्ञप्तिधारी की प्रस्तुति

3.112 ब्याज लागत की गणना चक्रण तथा खुदरा गतिविधि हेतु पृथक–पृथक से कार्यकारी पूंजी आवश्यकता के 12.75 प्रतिशत की दर से की गई है जिसे कि आयोग के वितरण टैरिफ के अवधारण के उपबंधों के अनुसार अवधारित किया गया है। इसके विवरण निम्न तालिका में दिये गये है :

तालिका 103 : वित्तीय वर्ष 08 हेतु दावा किये गये कार्यकारी पूंजी ऋणों पर ब्याज

राशि करोड़ रूपये में

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 08
	चक्रण गतिविधि	
ए)	पिछले वर्ष हेतु सामग्री की वार्षिक आवश्यकता का छटवां भाग(1/6)	1.5
बी)	प्रचालन तथा संधारण व्ययों का बारहवां भाग (1/12)	41.4
सी)	दो माह के औसत चक्रण प्रभार	0.00
	कुल कार्यकारी पूंजी	**42.9**
	ब्याज दर (प्रतिशत में)	12.75%
	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	**5.5**
	खुदरा विक्रय गतिविधि	
ए)	पिछले वर्ष हेतु सामग्री (इन्वेंटरी) की वार्षिक राजस्व आवश्यकता का छटवां भाग(1/6)	1.8
बी)	दो माह की औसत बिलिंग के बराबर प्राप्ति योग्य राशियां	5.77.1
घटायें	विद्युत क्रय व्ययों का बारहवां भाग (1/12)	207.1
	उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप	293.0
	कुल कार्यकारी पूंजी	**78.8**
	ब्याज दर	12.75%
	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	**10.10**

आयोग का विश्लेषण

3.113 खुदरा विक्रय गतिविधि हेतु, आयोग द्वारा वार्षिक सामग्री (इन्वेंटरी) आवश्यकता वित्तीय वर्ष 05–06 के अन्त की मीटरिंग परिसम्पत्तियों के सकल मूल्य की एक प्रतिशत की दर से मानी गई है (जो कि तालिका 94 के अनुसार 326.67 करोड़ है)। इस प्रकार मीटरिंग सामग्री की दो माह की आवश्यकता की गणना रू. 0.54 करोड़ (326.67 का 1% दो माह हेतु आनुपातिक किया गया) के रूप में होंगी। तालिका 94 के अनुसार वित्तीय वर्ष 06 की अन्त की स्थिति में सकल खण्ड (ग्रास ब्लाक) का शेष मूल्य रू. 1223.21 करोड़ होगा। इस मूल्य के एक प्रतिशत की गणना, दो माह हेतु आनुपातिक किये गये अनुसार रू. 2.04 करोड़ होगी। इसे चक्रण गतिविधि हेतु, सामग्री आवश्यकता (Inventory Requirement) माना गया है। उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप को 'उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज' संबंधी भाग में की गई चर्चानुसार माना गया है। आयोग द्वारा अनुज्ञेय राशि हेतु कार्यकारी पूंजी के अन्य अवयवों के मूल्यों की पुर्नगणना इस आदेश के सुसंगत भाग में की गई है। आयोग द्वारा चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिवधि हेतु अनुज्ञेय किया गया कार्यकारी पूंजी पर ब्याज निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 104 : वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुमोदित किया गया कार्यकारी पूंजी ऋणों पर ब्याज

राशि करोड़ रूपये में

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 08
	चक्रण गतिविधि सामग्री	
ए)	पिछले वर्ष हेतु सामग्री (इन्वेंटरी) की वार्षिक आवश्यकता का छटवां भाग(1/6)	2.04
बी)	प्रचालन तथा संधारण व्ययों का बारहवां भाग (1/12)	37.97
सी)	दो माह के औसत चक्रण प्रभार	0.00
	कुल कार्यकारी पूंजी	40.01
	ब्याज दर (प्रतिशत में)	12.75%
	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज–चक्रण गतिविधि	**5.10**
	खुदरा विक्रय गतिविधि	
ए)	पिछले वर्ष हेतु सामग्री (इन्वेंटरी) की वार्षिक आवश्यकता का छटवां भाग(1/6)	0.54
बी)	दो माह की औसत बिलिंग के बराबर प्राप्ति योग्य राशियां *	490.05
घटायें	विद्युत क्रय व्ययों का बारहवां भाग (1/12)	172.06
	उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप **	453.71
	कुल कार्यकारी पूंजी	(135.18)
	ब्याज दर	12.75%
	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज–खुदरा विक्रय गतिविधि	**0.00**

* इस आदेश के सुसंगत भाग में दर्शाई गई वित्तीय वर्ष 08 की खुदरा टैरिफ अनुसूचियों की अनुमोदित टैरिफ दरों के अनुसार गणना की गई।

** वित्तीय 08 वर्ष हेतु राजस्वों के आधार पर गणना की गई जैसा कि इसे वित्तीय वर्ष 08 की अनुमोदित विक्रय पूर्वानुमानों तथा अनुमोदित टैरिफ दरों के अनुसार तैयार किया गया।

उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज

अनुज्ञप्तिधारी की प्रस्तुति

3.114 प्रतिभूति निक्षेप पर देय ब्याज की गणना अनुज्ञप्तिधारी को लागू सुसंगत विनियम के अनुसार प्राधिकृत कुल प्रतिभूति राशि को प्रक्षेपित कर की गई है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कृषि उपभोक्ताओं हेतु 3 माह की औसत मांग तथा अन्य उपभोक्ताओं हेतु डेढ़ माह की औसत मांग पर विचार किया गया है।

3.115 अनुज्ञप्तिधारी के वित्तीय वर्ष 06 के अंकेक्षित लेखे दर्शाते हैं कि दिनांक 31 मार्च 2006 की स्थिति में, उपरोक्त बही–खाते (लेजर) के अनुसार तथा वह जिसे दिनांक 31 मई के अधिसूचित आय–व्यय विवरण पत्र में सम्मिलित किया गया है, प्रतिभूति राशि निक्षेप राशि में रू. 181.98 करोड़ का अन्तर है। इस अन्तर को उपरोक्त पैरा में स्पष्ट किये गये अनुसार निकाले गये प्रक्षेपित प्रतिभूति निक्षेप में से घटा दिया गया है। भुगतान योग्य ब्याज की गणना इस में समायोजित शेष के प्रारंभिक तथा अन्तिम शेष के औसत पर 6% की दर से की गई है। वित्तीय वर्ष 08 हेतु, प्रक्षेपित जमा राशि पर ब्याज का दावा निम्न तालिका के अनुसार किया गया है :

तालिका 105 : वित्तीय वर्ष 08 हेतु दावा किया गया उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप (सीएसडी) पर ब्याज

(राशि करोड़ रूपये में)

उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप	वित्तीय वर्ष 08
आय–व्यय विवरण–पत्र (बैलेंस शीट) तथा विनियम के अनुसार	475.00
वित्तीय तथा उपभोक्ता बही–खाते (लेजर) में अन्तर हेतु समयोजन	181.98
उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप, गणना के प्रयोजन हेतु	293.02
उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप ब्याज प्रभार, 6% की दर से	**17.07**

आयोग का विश्लेषण

3.116 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्तीय तथा उपभोक्ता बही–खातों में प्रतिभूति निक्षेप राशि में आये राशि के अन्तर हेतु कोई स्पष्टीकरण प्रदान नहीं किया गया है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, उसके वित्तीय वर्ष 06 के अंकेक्षित आय–व्यय विवरण–पत्र में उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप रू. 433.68 करोड़ माना गया है। आयोग द्वारा उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज की गणना हेतु उस आंकड़े पर विचार किया गया है जो वित्तीय वर्ष 06 के यथोचित अंकेक्षित आय–व्यय विवरण–पत्र में प्रतिबिंबित किया गया है, जिसके अनुसार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किये गये समायोजन को मान्यता नहीं दी जा रही है। वित्तीय वर्ष 08 हेतु, आयोग द्वारा उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप का अवधारण मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) विनियम, 2005 के उपबंधों तथा अनुमोदित टैरिफ हेतु उपभोक्ता की प्रत्येक श्रेणी हेतु प्रक्षेपित किये गये राजस्व के अनुसार किया गया है। अनुज्ञेय किये गये उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 106 : वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुज्ञेय किये गये उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज

(राशि करोड़ रूपये में)

उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप	वित्तीय वर्ष 08
वित्तीय वर्ष 08 के राजस्वों पर उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप	453.71
उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज प्रभार, 6% की दर से	**27.22**

पूंजी पर प्रतिलाभ (Return on Equity)

3.117 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्तीय वर्ष 08 में पूर्ण की गई परिसम्पत्तियों पर अनुमानित जाने वाली पूंजी पर 14 प्रतिशत की दर से प्रतिलाभ का दावा किया गया है। इस राशि का प्रक्षेपण दिनांक 31 मार्च 2006 की स्थिति में शेष राशि तथा उप–पारेषण (सामान्य) [एसटी (एन)] योजनाओं हेतु सम्पूर्ण पूंजी (इक्विटी) के आन्तरिक प्रवाह तथा म.प्र. शासन द्वारा एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) ऋणों के प्रतिभागी वित्तीय पोषण (काऊंटर–पार्ट फंडिग) को मानकर किया गया है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रतिलाभ हेतु योग्य मानी गई राशि पूंजी राशि निम्न तालिका में दी गई है :

तालिका 107 : वित्तीय वर्ष 08 हेतु दावा किया गया पूंजी पर प्रतिलाभ (रिटर्न ऑन इक्विटी)

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 08
अंश पूंजी (शेयर केपिटल) (ए)	570
पूंजीकरण (केपिटलाईजेशन) (बी)	333
अतिरिक्त पूंजी (इक्विटी) प्रवाह	67
मानदण्डीय पूंजी (इक्विटी)	100
प्रतिलाभ योग्य पूंजी (इक्विटी)	638
दावा किया गया पूंजी पर प्रतिलाभ	**89**

3.118 ब्याज तथा वित्त प्रभारों संबंधी भाग स्पष्ट रूप से ऋण तथा पूंजी को पूर्ण की गई परिसम्पत्तियों से चिन्हित किये जाने की प्रक्रिया की व्याख्या करता है। यह प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 05–06 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के साथ चिन्हित की गई कुल पूंजी में परिणत होती है। इसे निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है। वित्तीय वर्ष 08 की समग्र राजस्व आवश्यकता हेतु, अनुज्ञेय किये गये पूंजी पर प्रतिलाभ का अवधारण, तत्पश्चात्, आयोग द्वारा निर्दिष्ट की गई 14% दर के अनुसार चिन्हित की गई कुल पूंजी पर जैसा कि इसे सकल स्थाई परिसम्पत्ति को आवंटित किया गया है, को प्रयोज्य कर किया जाता है। आयोग को ज्ञात है कि वित्तीय वर्ष 07 एवं वित्तीय वर्ष 08 की अवधि के दौरान, परिसम्पत्तियों के सृजन के प्रयोजन हेतु, वितरण व्यापार में अतिरिक्त पूंजी का निवेश किया जावेगा, जिससे कि पूर्ण की गई परिसम्पत्तियों को आवंटित की गई पूंजी (इक्विटी) की राशि में अभिवृद्धि होगी। यदि इसे अंकेक्षित लेखे के समर्थन के साथ प्रस्तुत किया जाता है तो इसे अनुज्ञप्तिधारी की भावी समग्र राजस्व आवश्यकता हेतु लेखाबद्ध किया जावेगा।

तालिका 108 : वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुज्ञेय किया गया पूंजी पर प्रतिलाभ

(राशि करोड़ रूपये में)

स्त्रोत	वित्तीय वर्ष 08
वित्तीय वर्ष 05–06 के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्तियां जिनका पूंजी के माध्यम से वित्तीय पोषण किया गया है में 30% की अभिवृद्धि (तालिका क्रमांक 100 स)	15.14
दिनांक 31 मई 05 की स्थिति में, सकल स्थाई परिसम्पत्ति के साथ चिन्हित की गई पूंजी का अन्तिम शेष	449.83
दिनांक 31 मार्च 06 की स्थिति में, कुल पूंजी जिसे सकल स्थाई परिसम्पत्ति के साथ चिन्हित किया गया है	464.96
वित्तीय वर्ष 08 हेतु, समग्र राजस्व आवश्यकता में अनुज्ञेय किया गया पूंजी पर प्रतिलाभ, 14% की दर से	**65.09**

समग्र राजस्व आवश्यकता (एआरआर) की अन्य मदें

3.119 व्ययों के अवयवों के अतिरिक्त, कुछ अन्य मदें भी हैं जो समग्र राजस्व आवश्यकता (एआरआर) का भाग बनती हैं। इनमें सम्मिलित हैं डूबन्त ऋण, अन्य विविध व्यय, कोई पूर्व अवधि व्यय/आकलन (क्रेडिट्स) तथा अन्य (गैर–टैरिफ) आय। इनका विश्लेषण निम्नानुसार किया गया है :

डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण

3.120 डूबन्त ऋणों के प्रावधान के संबंध में, आयोग द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के दावे का अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आयोग के विनियमों जिनके अनुसार वितरण अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञेय किये गये अधिकतम डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण विक्रय राजस्व का एक प्रतिशत होंगे, अधिकतम प्रावधान के परिपेक्ष्य में परीक्षण किया गया है। निम्न तालिका, वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा की गई डूबन्त ऋणों की राशि, जैसी कि यह आयोग द्वारा अनुमोदित की गई है, दर्शाती है :

तालिका 109 : वित्तीय वर्ष 08 हेतु डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 08
जिसका दावा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया गया	69.26
विक्रय राजस्व का 1%	29.40
जिसे आयोग द्वारा अनुज्ञेय किया गया	**29.40**

टीप : विक्रय राजस्व की गणना आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 08 हेतु इस आदेश द्वारा अनुमोदित टैरिफ दरों के अनुसार की गई है।

3.121 वित्तीय वर्ष 07 के टैरिफ आदेशों में कहा गया था कि वित्तीय वर्ष 07 हेतु वास्तविक रूप से अपलेखित डूबन्त ऋणों की राशि पर विचार विक्रय राजस्वों के अधिकतम पर 1% के अध्यधीन किया जावेगा तथा किसी आधिक्य/कमी को वित्तीय वर्ष 08 की समग्र राजस्व आवश्यकता में समायोजित किया जावेगा। इसी प्रकार, वास्तविक रूप से अपलेखित डूबन्त ऋणों हेतु किसी सत्यापन पर वित्तीय वर्ष 08 हेतु विचार किया जावेगा जिस समय इन वर्षों के अंकेक्षित लेखे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग को उपलब्ध करा दिये जावेंगे।

अन्य विविध व्यय

3.122 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विविध व्यय की राशि का पूर्व अवधि आकलनों/विकलनों (Prior period debits/credits), पूर्व अपलेखित की गई हानियां आदि को सम्मिलित कर, दावा किया गया है। इस राशि की गणना वित्तीय वर्ष 08 हेतु रू.1.51 करोड़ की गई है। आयोग इस राशि को वित्तीय वर्ष 08 की समग्र राजस्व आवश्यकता में शामिल किये जाने हेतु स्वीकार करता है।

अन्य आय

3.123 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्तीय वर्ष 08 हेतु इस मद से रू. 75.19 करोड़ की आमदनी प्रक्षेपित की गई है। इस आमदनी में सम्मिलित है, मीटर भाड़ा, विद्युत ऊर्जा की चोरी के कारण वसूली गई राशि तथा ऋणों पर ब्याज तथा स्टाफ को अग्रिम राशि प्रदाय की जाना। ऋणों पर ब्याज तथा स्टाफ को प्रदाय अग्रिम राशि को चक्रण गतिविधि तथा खुदरा विक्रय गतिविधि के मध्य 76 : 24 के अनुपात में विभाजित किया गया है जबकि अन्य समस्त मदें पूर्ण रूप से खुदरा विक्रय गतिविधि के अंतर्गत रखी गयी हैं। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्तीय वर्ष 08 हेतु, मीटर भाड़े की गणना, आयोग द्वारा सुसंगत विनियमों में प्रत्येक श्रेणी हेतु उक्त ऋणों में प्राक्कलित किये गये उपभोक्ताओं बाबत विनिर्दिष्ट किये गये भाड़ों पर आधारित की है। विद्युत ऊर्जा की चोरी से वसूली के प्रक्षेपणों के संबंध में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्तीय वर्ष 08 में रू. 50 करोड़ की राशि का दावा इस मद के अंतर्गत किया है। याचिका में इस दावे के संबंध में कोई औचित्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा याचिका चक्रण प्रभारों से किसी आय को, चक्रण गतिविधि हेतु अन्य आय के भाग के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है।

3.124 आयोग ने मीटर भाड़े की पुर्नगणना वित्तीय वर्ष 08 हेतु, उपभोक्ताओं की औसत अनुमोदित संख्या हेतु (प्रारंभिक तथा अन्तिम शेष का औसत) के आधार पर की है। विद्युत की चोरी से वसूली के संबंध में, अनुज्ञप्तिधारी के वित्तीय वर्ष 06 के अंकेक्षित लेखे इस मद के विरूद्ध किसी राशि को प्रदर्शित नहीं करते हैं। आयोग, तथापि, यह समझता है कि अनुज्ञप्तिधारी इस मद को पूर्वानुमान किये जाने के संबंध में सर्वोत्तम स्थिति में है, जो कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा हानि कम किये जाने संबंधी प्रयासों पर निर्भर करता है, अतः वित्तीय वर्ष 08 हेतु अन्य आय के रूप में इस गतिविधि से रू. 50 करोड़ की राशि अनुज्ञेय करता है।

इसके अतिरिक्त, आयोग अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रक्षेपित किये गये ऋणों तथा अग्रिमों के संबंध में, इसे अन्य आय के रूप में अनुज्ञेय करता है। तथापि, चक्रण प्रभारों से आय के संबंध में, वित्तीय वर्ष 06 के अंकेक्षित लेखे के अनुसार, वास्तविक राजस्व की प्राप्ति रूपये 0.148 करोड़ है। वित्तीय वर्ष 08 हेतु भी, चक्रण प्रभारों से आय हेतु, समराशि को सम्मिलित किया जाता है। तथापि, वित्तीय वर्ष 08 के दौरान अनुज्ञप्तिधारी को चक्रण प्रभारों से वास्तविक आय और अधिक हो सकती थी जो कि खुली पहुंच उपभोक्ताओं की संख्या पर निर्भर करता है तथा इसे आगामी वर्षों में समायोजित किया जावेगा।

3.125 इस प्रकार, आयोग द्वारा अनुज्ञेय की गई राशि, जिसे वित्तीय वर्ष 08 हेतु अन्य आय माना गया है, निम्नानुसार होगी :

तालिका 110 : चक्रण गतिविधि हेतु अन्य आय

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 08
अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा की गई	1.87
आयोग द्वारा अनुज्ञेय की गई *	**2.02**

* उपरोक्त स्पष्ट किये गये अनुसार इसमें चक्रण प्रभारों से रू.0.15 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

तालिका 111 : खुदरा विक्रय गतिविधि हेतु अन्य आय

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 08
अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा की गई	73.32
आयोग द्वारा अनुज्ञेय की गई :–	
मीटर भाड़ा	41.64
अन्य मदों का योग	50.59
आयोग द्वारा अनुज्ञेय की गई कुल राशि	**92.23**

समग्र राजस्व आवश्यकता (एआरआर) का चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधि के मध्य पृथक्करण

3.126 आयोग द्वारा धारा 61 के अंतर्गत दिनांक 26 दिसम्बर 2006 को अधिसूचित विनियमों में कहा गया है कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा समग्र राजस्व आवश्यकता तीन भागों में दायर की जावेगी, यथा, विद्युत क्रय गतिविधि हेतु, चक्रण (वितरण) गतिविधि हेतु, तथा खुदरा विक्रय गतिविधि हेतु। विनियमों में स्थाई लागतों (अर्थात्, विद्युत क्रय को छोड़कर) की मदें पृथक से सूचीबद्ध की गई हैं जिन्हें कि चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधि में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

3.127 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग के विनियमों का प्रतिपालन उस सीमा तक किया गया है कि यह उनके द्वारा समग्र राजस्व आवश्यकता के पृथक्कृत किये गये विद्युत क्रय, चक्रण गतिविधि तथा खुदरा विक्रय गतिविधियों के व्ययों हेतु इसे दायर किया गया है। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा दो वितरण केन्द्रों के अंतर्गत अध्ययन किये जाने संबंधी दावा किया गया है जिससे कि लागतों के अनुपात, जैसे कि चक्रण गतिविधि तथा खुदरा विक्रय गतिविधि से संबद्ध प्रचालन तथा संधारण का अवधारण किया जा सके। अन्य लागत मदों के संबंध में, उनके द्वारा आवंटन अनुपातों का प्रयोग उस सीमा तक किये जाने का दावा किया गया है कि व्ययों का चिन्हीकरण प्रभावी रूप से एक गतिविधि अथवा अन्य से किया जा सके।

3.128 आयोग पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी द्वारा चक्रण गतिविधि तथा खुदरा विक्रय गतिविधि को अधिरोपित किये जाने वाले व्ययों के पृथक–पृथक अवधारण किये जाने संबंधी प्रयासों की सराहना करता है। एक प्रतिनिधि आंकड़ा समूह के अभाव में, आयोग आवंटन अनुपातों का प्रयोग, पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी द्वारा व्ययों के पृथक्करण हेतु अपनाये गये के अनुरूप किये जाने का इच्छुक नहीं है। तथापि, आयोग अनुज्ञप्तिधारी को उसके वितरण केन्द्रों, क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों आदि के एक प्रतिनिधि नमूने का गहन अध्ययन किये जाने बाबत निर्देशित करता है जिससे कि प्रत्येक व्यय मद (विद्युत क्रय को छोड़कर) के आवंटन अनुपात को चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधि के मध्य पृथक्कृत किया जाना विकसित किया जा सके। इस अध्ययन के परिणाम आयोग को टैरिफ आदेश जारी होने के छः माह के भीतर प्रस्तुत किये जाने चाहिये। तथापि, यह एक अस्थाई स्थानापन्न व्यवस्था है। आयोग चाहता है कि अनुज्ञप्तिधारी चक्रण गतिविधि एवं खुदरा विक्रय को अलग–अलग व्यय भारित किये जाने का पूर्ण लेखांकन पृथक्करण का उत्तरदायित्व स्वयं संभाले। अनुज्ञप्तिधारी को इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर इस गतिविधि के क्रियान्वयन हेतु संभावित समय–सीमा को दर्शाते हुए आयोग से सम्पर्क स्थापित करना चाहिए।

3.129 अतः इस टैरिफ आदेश के प्रयोजन हेतु, आयोग स्थाई लागतों (अर्थात्, विद्युत क्रय को छोड़कर) का आवंटन निम्न विधि अनुसार करता है :

चक्रण गतिविधि में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :

(ए) संचालन तथा संधारण व्यय

(बी) अवमूल्यन

(सी) परियोजना ऋणों पर ब्याज

(डी) कार्यकारी पूंजी ऋणों पर ब्याज–मानदण्डीय कार्यकारी पूंजी हेतु, चक्रण गतिविधि के लिये

(ई) पूंजी पर प्रतिलाभ (रिटर्न ऑन इक्विटी)

(एफ) अन्य विविध व्यय

(जी) घटायें : आय, जिसकी पूर्व भाग में गणना की गई है।

खुदरा विक्रय गतिविधि में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :

(एच) कार्यकारी पूंजी ऋणों पर ब्याज–मानदण्डीय कार्यकारी पूंजी हेतु खुदरा विक्रय गतिविधि के लिये

(आई) उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेपों पर ब्याज

(जे) डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण

(के) घटायें : आय, जिसकी पूर्व भाग में गणना की गई है।

3.130 उपरोक्त दर्शायेनुसार वित्तीय वर्ष 08 हेतु, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधियों हेतु समग्र राजस्व आवश्यकता निम्नानुसार अनुमोदित की जाती है :

तालिका 112 : वित्तीय वर्ष 08 हेतु चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधियों के मध्य पृथक्करण हेतु अनुज्ञेय की गई समग्र राजस्व आवश्यकता

विवरण	वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुमोदित राशि करोड़ रूपये में
विद्युत क्रय व्यय	2064.73
पारेषण प्रभार (एमपी ट्रांसको)	279.79
चक्रण गतिविधि :	
संचालन तथा संधारण व्यय	455.69
अवमूल्यन	62.96
परियोजना ऋणों पर ब्याज तथा वित्त प्रभार	20.09
कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	5.10
पूंजी पर प्रतिलाभ (रिटर्न ऑन इक्विटी)	65.09

अन्य व्यय	1.51
घटायें : अन्य आय	2.02
उप–योग – वित्तीय वर्ष 08 हेतु, अनुमोदित की गई चक्रण समग्र राजस्व आवश्यकता	***608.36***
खुदरा विक्रय गतिविधि	
कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	0.00
डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण	29.40
उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज	27.22
घटायें : अन्य आय	92.23
उप–योग–वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुमोदित की गई खुदरा समग्र राजस्व आवश्यकता	***(35.60)***
महायोग– वित्तीय वर्ष 07–08 हेतु अनुमोदित वार्षिक राजस्व आवश्यकता	**2917.35**

विद्यमान टैरिफ दरों पर राजस्व अन्तर

3.131 आयोग द्वारा विद्यमान टैरिफ दरों पर राजस्व की गणना इस विक्रय पूर्वानुमान के आधार पर की गई है। राजस्व अन्तर की गणना उपरोक्त तालिका में दर्शाई गई अनुमोदित राजस्व तथा समग्र राजस्व आवश्यकता के प्रयोग द्वारा की गई है। विद्यमान टैरिफ दरों पर विक्रय राजस्वों तथा राजस्व अन्तर निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किये गये हैं। राजस्व–अन्तर जैसा कि इसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दायर किया गया है, को यहां त्वरित संदर्भ हेतु उद्धरित किया जाता है :

तालिका 113 : वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुमोदित समग्र राजस्व आवश्यकता पर विद्यमान टैरिफ दरों के अनुसार राजस्व अन्तर

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	**वित्तीय वर्ष 08**
अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दायर किया गया राजस्व अन्तर	(313.0)
विद्यमान टैरिफ दरों पर, आयोग द्वारा की गई गणना	2933.08
वित्तीय वर्ष 08 हेतु, अनुमोदित समग्र राजस्व आवश्यकता (उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज, डूबन्त ऋण, आदि सहित जिनकी गणना वित्तीय वर्ष 08 हेतु चालू टैरिफ दरों के अनुसार की गई है)	2917.15
वित्तीय वर्ष 08 हेतु, विद्यमान टैरिफ दरों के अनुसार राजस्व अन्तर	**(15.93)**

3.132 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा रू.313.0 करोड़ की प्रक्षेपित राशि का अन्तर पाटने हेतु आंशिक रूप से टैरिफ दर में वृद्धि तथा दक्षता में अभिवृद्धि द्वारा तथा आंशिक रूप से नियामक परिसम्पत्ति के सृजन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तथापि, आयोग द्वारा अवधारित पुनरीक्षित राजस्व अन्तर,

उपरोक्त दर्शायनुसार, केवल रू.15.93 करोड़ ही है। अतएव, आयोग द्वारा उपरोक्त दर्शाये गये कुल राजस्व अन्तर की आपूर्ति हेतु टैरिफ प्रस्तावों में उपयुक्त सुधार किये गये हैं।

3.133 पुनरीक्षित टैरिफ दरों के अनुसार वितरण अनुज्ञप्तिधारी के प्रत्याशित राजस्व निम्नानुसार हैं:

तालिका 114 : पुनरीक्षित टैरिफ दरों के अनुसार राजस्व

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	राशि
अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दायर की गई याचिका के अनुसार राजस्व अन्तर	(313.0)
वित्तीय वर्ष 08 हेत, अनुमोदित टैरिफ दरों के अनुसार प्रत्याशित राजस्व	2940.31
वित्तीय वर्ष 08 हेतु, अनुमोदित समग्र राजस्व आवश्यकता	2917.15
वित्तीय वर्ष 08 की टैरिफ दरों के अनुसार राजस्व (अन्तर)/आधिक्य	**22.96**

3.134 उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि अनुज्ञप्तिधारी के पास मामूली सा अन्तर छूट गया है। तथापि, यह राज्य में एक समान टैरिफ दरें रखे जाने के परिणामस्वरूप है। चूंकि छूटा हुआ राजस्व अन्तर बहुत ही मामूली है, इसकी समीक्षा वित्तीय वर्ष 08 के सत्यापन के दौरान की जावेगी।

3.135 वित्तीय वर्ष 08 की अनुमोदित दरों के अनुसार (जिन्हें इस आदेश की टैरिफ अनुसूची में दर्शाया गया है), आयोग द्वारा उपभोक्ता श्रेणी–वार राजस्व की गणना निम्न तालिका में प्रस्तुत की गई है :

तालिका 115 : वित्तीय वर्ष 08 हेतु टैरिफ दरों के अनुसार उपभोक्ता श्रेणी–वार राजस्व

उपभोक्ता श्रेणी	विक्रय (मिलियन यूनिट में)	राजस्व (करोड़ रूपये में)
निम्न दाब		
घरेलू बत्ती, पंखा तथा पावर	1707	576.35
गैर–घरेलू बत्ती, पंखा तथा पावर	419	229.62
जल–प्रदाय संयत्र तथा पथ–प्रकाश	141	47.0
निम्न दाब औद्योगिक	409	187.36
कृषि उपभोक्ता	2780	667.56
योग (निम्न दाब)	**5456**	**1707.88**
उच्च दाब		
रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन)	313	144.05
कोयला खदाने (कोल माईन्स)	0	0.00
औद्योगिक तथा गैर–औद्योगिक	2142	957.77
मौसमी (सीजनल)	11	6.71
उच्च दाब सिंचाई तथा सार्वजनिक जल प्रदाय	212	64.73
टाऊनशिप तथा आवासीय कालोनी	0	0.00
छूट प्रदायकर्ताओं को थोक विद्युत प्रदाय	213	59.17
योग (उच्च दाब)	**2892**	**1232.43**
महायोग (निम्न दाब+उच्च दाब)	**8347**	**2940.31**

ए–4 : वित्तीय वर्ष 08 हेतु मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (सेंट्रल डिस्काम) हेतु समग्र राजस्व आवश्यकता

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तावित विक्रयों के पूर्वानुमान की संक्षेपिका

4.1 वित्तीय वर्ष 08 के दौरान मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कुल विक्रय 6,504 मिलियन यूनिट प्राक्कलित किये गये हैं। निम्न दाब श्रेणी हेतु विक्रय 4,398 यूनिट (अथवा कुल विक्रय का 67.63 प्रतिशत) तथा उच्चदाब श्रेणी में 2,105 मिलियन यूनिट (अथवा कुल विक्रय का 32.37 प्रतिशत) प्राक्कलित किये गये हैं।

तालिका 116 : वित्तीय वर्ष 08 हेतु मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी का प्राक्कलित विद्युत विक्रय

उपभोक्ता श्रेणी			वित्तीय वर्ष 08 हेतु विद्युत विक्रय मिलियन यूनिट में
निम्न दाब उपभोक्ता	एलवी 1	घरेलू बत्ती, पंखा तथा पावर	1779
	एलवी 2	गैर–घरेलू बत्ती, पंखा तथा पावर	436
	एलवी 3	जल प्रदाय संयत्र तथा पथ–प्रकाश	123
	एलवी 4	निम्न दाब औद्योगिक	162
	एलवी 5	कृषि उपभोक्ता	1898
		योग (निम्न दाब)	**4398**
उच्च दाब उपभोक्ता	एचवी 1	रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन)	694
	एचवी 2	कोयला खदानें (कोलमाईन्स)	38
	एचवी 3	औद्योगिक तथा गैर औद्योगिक	1133
	एचवी 4	मौसमी (सीजनल)	2
	एचवी 5	उच्च दाब सिंचाई तथा सार्वजनिक जल प्रदाय	91
	एचवी 6	टाऊनशिप तथा आवासीय कालोनी	148
	एचवी 7	छूट प्रदायकर्ताओं को थोक विद्युत प्रदाय	0
		कुल (उच्च दाब)	**2105**
योग निम्न दाब + उच्च दाब			**6504**

4.2 अनुज्ञप्तिधारी के 6504 मिलियन यूनिट के विद्युत विक्रय के पूर्वानुमान वित्तीय वर्ष 07 के पुनरीक्षित प्राक्कलन (जो 5724 मिलियन यूनिट हैं) से 13.63 प्रतिशत अधिक हैं। अनुज्ञप्तिधारी की याचिका के पूर्वानुमान अनुसार, इस प्राक्कलन में 376 मिलियन यूनिट का बिना–मीटरीकृत कृषि विक्रय सम्मिलित है। अनुज्ञप्तिधारी ने घरेलू श्रेणी में 50 मिलियन यूनिट का बिना मीटरीकृत विक्रय का भी पूर्वानुमान किया है।

4.3 चर्चा के दौरान मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा बतलाया गया है कि दिनांक 30.9.06 की स्थिति में घरेलू श्रेणी के लगभग 65,452 उपभोक्ता, अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान में बिना मीटर विद्युत प्राप्त कर रहे हैं। तथापि, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत

उसकी याचिका में; बिना मीटर घरेलू श्रेणी हेतु कोई विक्रय प्राक्कलित नहीं किये गये हैं परंतु इस श्रेणी की खपत पर भी मीटरीकृत विक्रय के रूप में विचार किया गया है ।

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तावित ऊर्जा संतुलन तथा विद्युत क्रय

4.4 एमपी ट्रेडको तथा तीनों वितरण कंपनियों के मध्य प्रचलित व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा किया गया है कि वह सुसंगत प्रपत्रों में (टैरिफ विनियमों के अनुसार) स्टेशनवार उत्पादन उपलब्धता की अद्यतन जानकारी सम्पूर्ण तथा स्वतंत्र रूप से प्रदान करने की स्थिति में नहीं है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यह जानकारी उसके द्वारा एमपी जनको, एमपी ट्रांसको तथा एमपी ट्रेडको (मध्यप्रदेश पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड) के साथ किये गये परस्पर वार्तालाप के आधार पर प्रदान की गई है। इस संबंध में, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यह दावा भी किया गया है कि उसके द्वारा मप्रविनिआ [विद्युत तथा अध्याप्ति (प्रोक्यूरमेंट) प्रक्रिया] विनियम, 2004, प्रथम पुनरीक्षण, 2006 (आरजी–19 (I) वर्ष 2006) की धारा 18 से मार्गदर्शन प्राप्त किया है जिसमें कहा गया है कि

''वितरण अनुज्ञप्तिधारी दीर्घ–कालीन मांग तथा प्रदाय उपलब्धता संबंधी निर्धारण, किसी एक अथवा समस्त संबंधितों से जिसमें प्रत्येक राज्य सेक्टर उत्पादन कंपनियों, वितरण कंपनियों, निजी वितरण अनुप्तिधारियों, केन्द्रीय सेक्टर उत्पादन कंपनियों तथा पारेषण कंपनियों/क्षेत्रीय विद्युत मण्डल, राष्ट्रीय/क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण भी सम्मिलित है, से परामर्श द्वारा, करेगा।''

4.5 वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यह दावा किया गया है कि उसके द्वारा प्रमुख क्षेत्रीय प्रतिभागियों से अस्थाई (Tentative) रूप से अपनाई गई जानकारी का प्रयोग विद्युत क्रय की लागत की गणना हेतु राजस्व आवश्यकता की प्राप्ति हेतु किया गया है। वितरण अनुज्ञप्तिधारी ने आयोग को अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञेय की जाने वाली विद्युत क्रय लागत की गणना करते समय इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाये जाने का अनुरोध किया है। उसने आयोग को अनुज्ञप्तिधारी को अद्यतन जानकारी प्रस्तुत किये जाने हेतु अवसर प्रदान किये जाने का भी अनुरोध किया यदि ऐसी जानकारी एमपी जनको, एमपी ट्रांसको तथा एमपी ट्रेडको द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को उपलब्ध करा दी जाती है।

4.6 अनुज्ञप्तिधारी ने क्षमता का प्रतिशत आवंटन (अर्थात् 32.52 प्रतिशत) शासन की अधिसूचना दिनांक 18.10.2006 के अनुसार माना है। मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी ने निम्न मदों की गणना के विवरण उपरोक्त दर्शाये गये आवंटन के अनुसार प्रस्तुत किये हैं :

- समस्त स्त्रोतों से मासिक उपलब्ध विद्युत ऊर्जा
- उत्पादकों को देय वार्षिक स्थाई प्रभार
- उत्पादकों को प्रोत्साहनों, आयकर, शुल्कों आदि के कारण किये जाने वाले अनुमानित भुगतान ; तथा
- भुगतान किये जाने वाले अनुमानित अन्तर्राज्यीयपारेषण प्रभार

वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता का आकलन

4.7 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विभिन्न स्त्रोतों से विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता का आकलन ट्रेडको (मध्यप्रदेश पावर ट्रेडिंग कंपनी) के साथ उसके द्वारा की गई चर्चा के आधार पर किया गया है। एमपी जनको से विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता एमपी जनको द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु विद्युत उत्पादन के मासिक पूर्वानुमानों पर आधारित है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा किया गया है कि केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशनों (एनटीपीसी, एनपीसी) से उपलब्धता संबंधी जानकारी याचिका तैयार करते समय तथा दायर करने के समय तक उपलब्ध नहीं थी। उपलब्धता के आकलन हेतु, पूर्व के दो वर्षों तथा चालू वर्ष के प्रथम छः माहों के ''वास्तविक उत्पादन'' का प्रयोग किया गया है। वर्ष 2005–06 के दौरान कोरबा की यूनिट क्रमांक 4 तथा विंध्याचल की (यूनिट क्रमांक 4 तथा 6) में हुए विवशताजन्य अवरोध (Forced Outage) के कारण उत्पादन की हानि का इन स्टेशनों से विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता का आकलन करते समय यथोचित विचार किया गया है।

4.8 वर्ष 2006–07 तथा वर्ष 2007–08 में उत्पादन प्रारंभ करने वाले नवीन स्टेशनों से संभावित उपलब्धता पर भी विचार किया गया है।

4.9 निम्न तालिका प्रत्येक स्त्रोत से वार्षिक उपलब्धता को दर्शाती है जबकि वित्तीय वर्ष 08 हेतु मासिक उपलब्धता याचिका के प्रपत्र एफ1–2 (एक अतिरिक्त प्रपत्र में) में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 117 : वित्तीय वर्ष 08 हेतु मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हेतु विद्युत ऊर्जा की उपलब्धि

स्त्रोतवार उपलब्धि (मिलियन यूनिट में)	2007–08 राज्य हेतु	2007–08 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हेतु
एनटीपीसी (नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन)		
एनटीपीसी–कोरबा	3242	1054
एनटीपीसी–विंध्याचल I	3097	1007
एनटीपीसी– विंध्याचल II	2377	772
एनटीपीसी– विंध्याचल III	1146	372
एनटीपीसी–कवास	282	92
एनटीपीसी–गंधार	842	274
एनटीपीसी–सीपत	175	57
केएपीपी (काकरापार एटोमिक पावर प्रोजेक्ट)	467	152
टीएपीएस (तारापुर एटोमिक पावर प्रोजेक्ट)	1072	348
फरक्का	184	60
तालचेर	128	42
कहलगांव	81	26
कहलगांव 2	476	155
एनटीपीसी – योग	**13571**	**4410**
द्विपक्षीय विद्युत क्रय		
सीएचपीएस – गांधी सागर	171	56
सीएचपीएस – राणा प्रताप सागर	186	61
सीएचपीएस – जवाहर सागर	139	45
राजस्थान राज्य विद्युत मंडल (चम्बल, सतपुड़ा)	497	161
राजघाट एचपीएस (हायड्रो पावर स्टेशन)	45	14
दामोदर वैली कार्पोरेशन (डीवीसी)	770	250
महाराष्ट्र राज्य विद्युत मण्डल (पेंच)	209	68

लैंको (पावर ट्रेडिंग कार्पोरेशन–पीटीसी)	0	0
द्विपक्षीय योग	**1520**	**494**
अन्य स्त्रोत		
एनएचडीसी (नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कार्पोरेशन)–इन्दिरा सागर	2700	877
सरदार सरोवर	1700	552
ओंकारेश्वर एचपीएस (हायड्रो पावर स्टेशन)	1200	390
अन्य (पवन ऊर्जा तथा कैप्टिव विद्युत संयंत्र)	0	0
लद्यु अवधि क्रय	0	0
अन्य 3 (अनशेड्यूल्ड इन्टरचेंज–यू.आई)	**5600**	**1820**
एमपी जनको–ताप विद्युत		
अमरकंटक पीएच–I	181	59
अमरकंटक पीएच–II	941	306
अमरकंटक पीएच–III	558	181
सतपुड़ा पीएच–I	1871	608
सतपुड़ा पीएच–II	2624	853
सतपुड़ा पीएच– III	2647	860
संजय गांधी पीएच–I	2464	801
संजय गांधी पीएच–II	2617	850
बिरसिंहपुर	3241	1053
एमपीजनको – ताप विद्युत	**17145**	**5571**
एमपी जनको – जल विद्युत		
बाण सागर टोंस एचपीएस–टोंस	936	304
बाण सागर टोंस एचपीएस–सिलपारा	79	26
बाण सागर टोंस एचपीएस–देवलोंद	79	26
बाण सागर टोंस एचपीएस बाणसागर IV	79	26
बिरसिंहपुर–एचपीएस	45	14
बरगी एचपीएस	503	163
मढ़ी खेड़ा एचपीएस	73	24
मिनी–माइक्रो एचपीएस	0	0
एमपी जनको – जल विद्युत का योग	**1794**	**583**
महायोग	**39629**	**12877**

विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत क्रय लागत (स्थाई तथा परिवर्तनीय लागत) का आकलन

4.10 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा एमपी जनको की स्थाई लागतें तथा परिवर्तनीय लागतें एमपी जनको हेतु आयोग के बहुवर्षीय वित्तीय वर्ष 07 से वित्तीय वर्ष 09) टैरिफ आदेश से अपनाई गई हैं। विद्यमान केन्द्रीय क्षेत्र के स्टेशनों हेतु, स्थाई लागतें (Fixed Costs) केंन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के तत्संबंधी स्टेशनों हेतु आदेशों के अनुसार तथा परिवर्तनीय लागतें (Variable Costs) वर्तमान में लागू ईंधन मूल्य समायोजन (फ्यूल प्राईस एडजस्टमेंट–एफपीए) को सम्मिलित कर माह जुलाई, 2006 के देयक के अनुसार अपनाई गई हैं।

4.11 केन्द्रीय क्षेत्र के नवीन स्टेशनों से विद्युत क्रय की लागत को गणना हेतु, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निम्न विधि अपनाई गई है :

(ए) विंध्याचल–III हेतु, परिवर्तनीय लागत को माह जुलाई, 2006 के अशक्त ऊर्जा (इन्फर्म पावर) संबंधी देयक के अनुसार प्राक्कलित किया गया है।

(बी) सीपत–II तथा कहलगांव–II–चरण–I हेतु, नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन द्वारा उनके पत्र क्रमांक 01 :: सीडी : 279 : एनएनएस दिनांक 27.5.2004 द्वारा प्रदान किये गये अस्थाई (Tentative) प्राक्कलन का परिवर्तनीय लागतों के अवधारण हेतु आधार के रूप में प्रयोग किया गया है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कहा गया है कि परिवर्तनीय लागतों के यथार्थपूर्ण स्तरों को प्रतिबिंबित किये जाने की दृष्टि से, पत्र में प्रदान किये गये तत्संबंधी परिवर्तनीय लागतों में अवधारण की आधार तिथि से 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वृद्धि की गई है। परिवर्तनीय लागत वृद्धि ईंधन मूल्य समायोजन (फ्यूल प्राईस एडजस्टमेंट–एफपीए) प्रभारों के रूप में दर्शाई गई है।

(सी) उपरोक्त दर्शाये गये तीनों स्टेशनों अर्थात्, विन्ध्याचल–III सीपत–II तथा कहलगांव–II–चरण (I) हेतु स्थाई लागतों को पत्र में प्रदान की गई प्रति यूनिट स्थाई लागत के परिवर्तन द्वारा प्राक्कलित किया गया है।

4.12 अन्य नवीन स्टेशनों बाबत, स्थाई तथा परिवर्तनीय लागतें ट्रेडको से की गई चर्चा के आधार पर प्राक्कलित की गई हैं। निम्न तालिका विद्युत क्रय लागत के अवधारण हेतु विचार किये गये प्रत्येक स्टेशन की स्थाई तथा परिवर्तनीय लागतों की संक्षेपिका दर्शाती है। जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के स्थाई लागत के अंशदान को समग्र राजस्व आवश्यकता के प्रयोजन हेतु माना गया है।

तालिका 118 : वित्तीय वर्ष 08 हेतु मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हेतु स्थाई एवं परिवर्तनीय लागतें

(वर्ष 2007–08)

स्त्रोतवार उपलब्धि	स्थाई लागत– राज्य (करोड़ रूपये में)	स्थाई लागत– मध्य क्षेविविकं (करोड़ रूपये में)	परिवर्तनीय लागत (रूपये/किलोवाट आवर में)	ईंधन मूल्य समायोजन एफपीए (रूपये/किलोवाट आवर में)
एनटीपीसी (नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन)				
एनटीपीसी – कोरबा	85.95	27.93	0.4731	0.0738
एनटीपीसी – विंध्याचल I	98.17	31.9	0.7578	0.1928
एनटीपीसी – विंध्याचल II	135.26	43.95	0.7333	0.1843
एनटीपीसी – विंध्याचल III	181.86	59.1	0.8675	0.00
एनटीपीसी – कवास	61.2	19.89	1.0269	2.2567
एनटीपीसी – गंधार	98.85	32.12	1.021	0.3565
एनटीपीसी – सीपत	99.89	32.46	0.4123	0.1237
केएपीपी (काकरापार एटोमिक पावर प्रोजेक्ट)	0.00	0.00	2.0234	0.0122
टीएपीएस (तारापुर एटोमिक पावर प्रोजेक्ट)	0.00	0.00	1.9526	0.00
फरक्का	7.49	2.43	0.9857	0.0838
तालचेर	5.76	1.87	0.411	0.143
कहलगांव	5.3	1.72	1.0748	0.1791
कहलगांव 2	54.69	17.77	0.6884	0.2754
एनटीपीसी – योग	**834.44**	**271.15**		
द्विपक्षीय विद्युत क्रय				
सीएचपीएस – गांधी सागर	10.86	3.53	0.00	
राजस्थान राविमं (चंबल, सतपुड़ा)	10.86	3.53	0.00	

राजघाट (हायड्रो पावर स्टेशन)	8.56	2.78	0.00	
दामोदर वैली कार्पोरेशन (डीवीसी)	0.00	0.00	2.54	
महाराष्ट्र राज्य विद्युत मण्डल (पेंच)	11.60	3.77	0.00	
लैंको (पावर ट्रेडिंग कार्पोरेशन– पीटीसी)	0.00	0.00	0.00	
द्विपक्षीय योग	**31.02**	**10.08**		
अन्य स्त्रोत				
एनएचडीसी–इन्दिरा सागर	275.88	89.65	0.00	
सरदार सरोवर	0.00	0.00	0.95	
ओंकारेश्वर हायड्रो पावर स्टेशन	0.00	0.00	0.95	
अन्य I (पवन एवं कैप्टिव विद्युत संयंत्र)	0.00	0.00	0.00	
अन्य 2 (लद्यु–अवधि क्रय)	0.00	0.00	0.00	
अन्य 3 (अनशेड्यूल्ड इन्टरचेंज–यू.आई)	**275.88**	**89.65**		
एमपी जनको–ताप विद्युत				
अमरकंटक पीएच–I	49.23	16	1.17	
अमरकंटक पीएच–II				
अमरकंटक पीएच–III	140.00	45.49	1.17	
सतपुड़ा पीएच–I	207.29	67.36	1.34	
सतपुड़ा पीएच–II				
सतपुड़ा पीएच– III				
संजय गांधी पीएच–I	303.7	98.69	1.02	
संजय गांधी पीएच–II				
बिरसिंहपुर	320.00	103.98	1.02	
एमपी जनको–ताप विद्युत	**1020.22**	**331.52**		
एमपी जनको – जल विद्युत	0.00	0.00	0.00	
बाण सागर टोंस (एचपीएस–टोंस)	92.92	30.19	0.00	92.92
बाण सागर टोंस (एचपीएस– टोंस)–सिलपारा				
बाण सागर टोंस (एचपीएस– टोंस)–देवलोंद				
बाण सागर टोंस (एचपीएस–टोंस)–बाण सागर– IV				
बिरसिंहपुर एचपीएस	3.93	1.28	0.00	3.93
बरगी एचपीएस	9.68	3.15	0.00	9.68
मढ़ी खेड़ा एचपीएस	0.00	0.00	0.00	0.00
मिनी–माइक्रो एचपीएस	0.00	0.00	0.00	0.00
जल विद्युत का योग	**106.53**	**34.62**		**106.53**
महायोग	**2268.09**	**737.01**		

विद्युत क्रय लागत के अन्य अवयवों का आकलन

4.13 विद्युत क्रय लागत के अन्य अवयवों, जैसे कि, प्रोत्साहन, आयकर, उत्पादन–शुल्क तथा उपकर आदि तथा अन्य विभिन्न प्रभार वित्तीय वर्ष 2005–06 के इस लेखे के वास्तविक व्यय के स्तर पर माने गये हैं।

तालिका : 119 वित्तीय वर्ष 08 हेतु समस्त स्टेशनों हेतु अन्य प्रभार

केन्द्रीय विद्युत स्टेशन (सीजीएस) के अन्य प्रभार	प्रोत्साहन/ (अप्रोत्साहन)	आय कर	अन्य प्रभार (उत्पादन शुल्क–उप कर आदि)	अन्य प्रभारों का योग (करोड़ रूपये में)
2007–08 हेतु कुल (प्राक्कलित)	38.79	49.75	84	**172.53**
म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का अंशदान				
2007–08 (प्राक्कलित)	12.6	16.16	27.29	**56.06**

अन्तर्राज्यीय पारेषण लागतें

4.14 अन्तर्राज्यीय पारेषण लागतें माह सितम्बर 2005 से अगस्त 2006 के वास्तविक देयकों के आधार पर प्राक्कलित की गई हैं। इस अवधि हेतु, कुल देयक राशि क्षेत्र हेतु रू.110.14 करोड़ आती है तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्तीय वर्ष 08 हेतु इसी राशि को अपनाया गया है। लघु–अवधि विद्युत पारेषण पर छूटें, आदि को प्राक्कलित नहीं किया गया है क्योंकि इनकी प्रवृत्ति की निश्शक्त (इन्फर्म) होने की संभावना है।

तालिका 120 : वित्तीय वर्ष 08 हेतु अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार

माह/करोड़ रूपये में	पश्चिमी क्षेत्र	पूर्वी क्षेत्र	पश्चिमी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र/एकीकृत भार प्रेषण केन्द्र	अन्तर्राज्यीय पश्चिमी–पूर्वी क्षेत्र	अन्तर्राज्यीय पश्चिमी–दक्षिणी क्षेत्र	अन्तर्राज्यीय पश्चिमी–उत्तरी क्षेत्र	योग
सितम्बर 05	8.37	0.9	0.00	0.00	0.00	0.00	9.27
अक्टूबर 05	8.7	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	9.53
नवम्बर 05	8.56	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	9.35
दिसम्बर 05	8.63	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	9.12
जनवरी 06	8.46	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	8.69
फरवरी 06	8.46	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	8.68
मार्च 06	9.09	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	9.31
अप्रैल 06	9.0	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	9.24
मई 06	9.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	9.46
जून 06	9.22	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	9.47
जुलाई 06	7.8	0.25	0.00	0.24	0.14	0.73	9.15
अगस्त 06	7.71	0.25	0.00	0.29	0.08	0.54	8.87
योग	**103.24**	**4.88**	**0.00**	**0.53**	**0.22**	**1.27**	**110.14**
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का अंशदान							35.79

गुण–दोष क्रमानुसार प्रेषण (मेरिट आर्डर डिस्पैच)

4.15 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मसिक आधार पर गुण–दोष क्रमानुसार प्रेषण के अनुसरण को विभिन्न स्त्रोतों की परिवर्तनशील लागतों के आधार पर मासिक उपलब्धता के साथ मासिक ऊर्जा की आवश्यकता के साथ मिलान कर अपनाया गया है। अनुज्ञप्तिधारी ने निवेदन किया है कि जबकि लागतों का मासिक अवधारण लागत के वार्षिक उपलब्धता पर उन्नत प्राक्कलन को प्रदान करना है, परन्तु, दैनिक शीर्ष आवश्यकताओं तथा वास्तविक तथा प्राक्कलन मध्य अन्तर के आधार पर वास्तविक लागत आगे टल जावेगी। अनुज्ञप्तिधारी ने आगे निवेदन किया है कि अन्तरों को नियमित आधार पर प्रस्तावित लागत समायोजन सूत्र (फ्यूल कास्ट

एडजस्टमेंट–एफसीए फार्मूला) के अनुसार अन्तरित कर दिया जावेगा जो कि राष्ट्रीय टैरिफ नीति के उपबंधों कंडिका 5.3 (ज) (4) तथा कंडिका 8.2.1 (1) के अनुरूप हैः

''विगत लागतों के बोझ से भावी उपभोक्ताओं को बचाने के लिये अनियन्त्रण योग्य लागतों को तेजी से वसूल किया जाना चाहिए। अनियन्त्रण योग्य लागतों (सीमित नहीं) में शामिल है–ईंधन लागत, मुद्रा स्फिति के कारण लागत, कर एवं उपकर विपरीत प्राकृतिक घटनाओं के मामले में हाइड्रो–थर्मल मिश्रण समेत विद्युत क्रय यूनिट लागतों में भिन्नता''

एवं

''सभी विद्युत क्रय लागतों को वैध समझा जाना आवश्यक है जब तक कि यह स्थापित न कर दिया जाये कि मेरिट आदेश सिद्धांत का उल्लंघन किया गया है और अनुचित दरों पर विद्युत का क्रय किया गया है।''

4.16 अनुज्ञप्तिधारी ने दावा किया है कि विद्युत ऊर्जा की मासिक आवश्यकता अनुज्ञप्तिधारी के स्वयं द्वारा किये गये आकलन तथा अन्य वितरण कंपनियों की आवश्यकताओं के संभावित प्राक्कलन पर आधारित है। अनुज्ञप्तिधारी का कथन है कि केवल आयोग के पास ही समस्त वितरण कंपनियों द्वारा नियोजित की गई कुल विद्युत ऊर्जा की आवश्यकताओं की जानकारी है।

वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तावित किया गया विद्युत क्रय

तालिका 121 : वित्तीय वर्ष 08 हेतु कुल विद्युत शक्ति की आवश्यकता तथा विद्युत ऊर्जा की औसत लागत

सरल क्रमांक	विवरण		मिलियन यूनिट में	वित्तीय वर्ष 08	
				राशि	रूपये प्रति किलोवाट
1	केन्द्रीय क्षेत्र	कोरबा	1053.6	98.69	9.94
2		विंध्याचल–I	1006.5	152.96	1.52
3		विंध्याचल– II	772.3	128.02	1.66
4		कवास	12.4	26.44	21.31
5		गंधार	99.2	47.15	4.75
6		केएपीपी	151.8	31.4	2.07
7		टीएपीपीएस3 तथा 4	348.4	68.03	1.95
8		विंध्याचल III (यूनिट– I)	372.3	91.39	2.46
9		सीपत	57	35.52	6.23
10		**योग**	**3873.5**	**679.6**	1.75
11	**पूर्वी क्षेत्र**	**फरक्का+तालचेर+कहलगांव-I + कहलगांव–II**	**270.7**	**49.36**	**1.82**
12	**द्विपक्षीय क्रय**	**जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर**	**132.13**	**6.72**	**0.51**
13	अन्य स्रोत	एनएचडीसी (इन्दिरा सागर)	877.34	89.65	**1.02**
14		संयुक्त उपक्रम–सरदार सरोवर	552.33	52.69	**0.95**
15		कैप्टिव विद्युत संयंत्र/पवन ऊर्जा			
16		लघु–अवधि क्रय	55.86	19.55	**3.5**
17		नवीन जल विद्युत स्टेशन (मढ़ीखेड़ा तथा बाणसागर–IV ओंकारेश्वर)	439.48	37.2	**0.85**
18		**योग**	**1925.01**	**199.09**	**1.03**
19	लघु अवधि विक्रय (घटायें)		0	0	0

20	**शुद्ध विद्युत क्रय**		**6201.34**	**934.77**	**1.51**
21	पारेषण प्रभार	स्थाई प्रभार		35.79	
22		कर			
23		**योग**			
24	उप–योग				
25	**एमपी जनको**		**5341.56**	**910.05**	**1.70**
26	**कुल विद्युत क्रय**		**11542.9**	**1880.61**	**1.6292**

4.17 तालिका क्रमांक 117 तथा 121 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता तथा उसकी आवश्यकता में 1334 (12877–11543) यूनिटों का अन्तर है। यद्यपि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दायर याचिका में इस अन्तर के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दर्शाया गया है परन्तु बाद में की गई प्रस्तुतियों में, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दर्शाया गया है कि इस अधिक विद्युत ऊर्जा का एक भाग राज्य के बाहर विद्युत व्यापार, में उपयोग किया जावेगा जिससे कि उसे रू. 114 करोड़ की आय होना संभावित है।

4.18 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्राक्कलित कुल विद्युत क्रय लागत रू. 1880.61 करोड़ आती है जो वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु रू0 1.6292 प्रति यूनिट है ।

आयोग का विश्लेषण

विक्रय के पूर्वानुमान

4.19 आयोग इस तथ्य को स्वीकार करता है कि भारी संख्या में बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं का मीटरीकरण किया जाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है तथा इसे केवल क्रमिक रूप से अंजाम दिया जा सकता है। आयोग द्वारा तीनों वितरण कंपनियों के अध्यक्ष सह–प्रबंध संचालकों के साथ दिनांक 23, फरवरी 2007 को एक बैठक आयोजित की गई तथा गहन विचार–विमर्श उपरांत बिना मीटर वाले घरेलू श्रेणी उपभोक्ताओं के संयोजनों को मीटरीकृत किये जाने वाली समय–सारणी को पुनरीक्षित किये जाने तथा वितरण ट्रांसफार्मरों का मीटरीकरण, बिना मीटर वाली कृषि संबंधी विद्युत खपत को निर्धारित किये जाने हेतु निर्णय लिया गया। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मार्गदर्शिका प्रदान कर दी गई है। निर्धारित किये गये लक्ष्यों के अनुसार, घरेलू श्रेणी के समस्त बिना मीटर वाले संयोजनों को माह दिसम्बर 2008 तक मीटरीकृत कर दिया जावेगा। इसके अतिरिक्त, अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा यह भी वचन दिया गया है कि अधिकांश कृषि उपभोक्ताओं को जिनकी संख्या लगभग 57000 है को मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी हेतु, विद्युत प्रदाय को मार्च, 2011 तक, एक एशियन डेवलपमेंट बैंक कार्यक्रम की सहायता से मीटरीकृत कर दिया जावेगा। आयोग द्वारा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है तथा समस्त हितधारकों (स्टेकहोल्डर) के विचारों की प्राप्ति के उपरांत 100 प्रतिशत मीटरीकरण की उपलब्धि हेतु नवीन समयबद्ध कार्यक्रम अधिसूचित किया जावेगा। तथापि, वित्तीय वर्ष 08 हेतु, आयोग द्वारा इस तथ्य पर विचार किया गया है कि बिना–मीटर विद्युत का विक्रय किया जावेगा तथा इस हेतु उसके द्वारा इन श्रेणियों की खपत के आकलन को मान्य कर लिया गया है।

4.20 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा घरेलू तथा कृषि श्रेणियों हेतु बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं की प्राक्कलित खपत के संबंध में, प्रस्तुतियों के आधार पर, आयोग निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान करता है :

(ए) घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं की बिलिंग 77 यूनिट प्रति उपभोक्ता प्रति माह के आधार पर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 38 यूनिट प्रति उपभोक्ता प्रति माह के आधार पर की जावेगी ;

(बी) विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं की बिलिंग स्थाई संयोजनों हेतु 100 यूनिट प्रति अश्वशक्ति के स्वीकृत भार प्रति माह तथा अस्थाई संयोजन हेतु 130 यूनिट प्रति अश्वशक्ति के स्वीकृत भार प्रति माह के आधार पर की जावेगी ; तथा

(सी) शहरी क्षेत्रों में बिना मीटर वाले कृषि उपभोक्ताओं की बिलिंग स्थाई संयोजनों हेतु 130 यूनिट प्रति अश्वशक्ति के स्वीकृत भार प्रति माह तथा अस्थाई संयोजनों हेतु 150 यूनिट प्रति अश्वशक्ति के स्वीकृत भार प्रति माह के आधार पर की जावेगी।

4.21 इसके अतिरिक्त, आयोग द्वारा समस्त मीटरीकृत किये गये विक्रय के पूर्वानुमानों का अवलोकन किया गया तथा पूर्व की प्रवृत्तियों के साथ इनकी तुलना की गई। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुतियों के समर्थन में विभिन्न श्रेणियों के विक्रय पूर्वानुमानों के संबंध में आयोग ने टीप की है कि उसके विचार में की गई अवधारणाएं युक्तियुक्त है। यहां पर यह भी संज्ञान किया जाना चाहिए कि वर्ष 2007–08 में मध्यप्रदेश राज्य को उपलब्ध विद्युत की मात्रा, विद्यमान विद्युत उत्पादन तथा नियोजित क्षमता की अभिवृद्धि को सम्मिलित कर, अनुज्ञप्तिधारियों की विक्रय आवश्यकताओं की आपूर्ति से काफी अधिक हैं। अतः, आयोग का विचार है कि अनुज्ञप्तिधारी के विक्रय पूर्वानुमानों में कटौती किया जाना उपयुक्त न होगा। विद्युत की उपलब्ध मात्रा, पारेषण तथा वितरण हानियों पर विचार करते हुए भी, उपभोक्ताओं के समस्त पूर्वानुमानों की आवश्यकताओं को आपूर्ति पर विचार किये जाने के उपरांत भी पर्याप्त होगी। अतएव, आयोग अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दायर किये गये विक्रय पूर्वानुमानों को स्वीकार करता है।

4.22 धारा 61 के अंतर्गत आयोग द्वारा जारी वितरण तथा खुदरा विद्युत प्रदाय टैरिफ अवधारण संबंधी विनियमों के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विचाराधीन वर्ष के दौरान विक्रय की गई वास्तविक विद्युत की मात्रा को मानदण्डीय हानियों हेतु समेकित किया जावेगा ताकि ऐसे वर्ष में अनुज्ञेय विद्युत क्रय की मात्रा की गणना की जा सके।

ऊर्जा संतुलन तथा विद्युत क्रय

4.23 राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 07 से वित्तीय वर्ष 11 की अवधि हेतु वितरण हानियों के वार्षिक लक्ष्य प्रकाशित किये जा चुके हैं जिन्हें कि निम्न तालिका में दर्शाया गया है। आयोग द्वारा अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत आवश्यकता की गणना मध्यप्रदेश शासन के वितरण हानियों संबंधी आदेश दिनांक 28 दिसम्बर 2006 के आधार पर की गई है। अतः आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 की अवधि बाबत मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी हेतु वितरण हानि 40 प्रतिशत मानी गई है।

तालिका 122 : मध्यप्रदेश शासन के पत्र दिनांक 28 दिसम्बर 2006 के अनुसार वितरण हानियां (प्रतिशत में)

वर्ष	मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी
वित्तीय वर्ष 2006–07	43%
वित्तीय वर्ष 2007–08	40%
वित्तीय वर्ष 2008–09	37%
वित्तीय वर्ष 2009–10	34%
वित्तीय वर्ष 2010–11	31%

4.24 अंर्तराज्यीय पारेषण हानियों की गणना पिछले 52 सप्ताह की अनुसूचित हानियों की गतिशील औसतों के आधार पर की गई है। वित्तीय वर्ष 08 हेतु इन हानियों की गणना निम्न तालिका के अनुसार की गई है :

तालिका 123 : माहवार अन्तर्राज्यीय पारेषण हानियां (प्रतिशत में)

माह	मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी
अप्रैल	6.3%
मई	6.5%
जून	6.7%
जुलाई	6.5%
अगस्त	6.2%
सितम्बर	6.9%
अक्टूबर	6.6%
नवम्बर	6.6%
दिसम्बर	6.7%
जनवरी	6.6%
फरवरी	6.6%
मार्च	6.3%

4.25 आयोग द्वारा पारेषण बहुवर्षीय टैरिफ आदेशानुसार राज्यान्तरिक (इंटर–स्टेट) पारेषण हानियां 4.9 प्रतिशत मानी गई हैं।

4.26 मध्यप्रदेश शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 08 हेतु निर्धारित हानि के लक्ष्यों के अनुसार ऊर्जा संतुलन की स्थिति निम्न तालिका में प्रस्तुत की गई है :

तालिका 124 : वित्तीय वर्ष 08 हेतु ऊर्जा संतुलन

सरल कमांक	विवरण	मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी
1	कुल विद्युत ऊर्जा का विक्रय (मिलियन यूनिट में)	6503
2	वितरण हानि (% में)	40%
3	पारेषण – वितरण अर्न्तमुख पर (मिलियन यूनिट में)	10839
4	मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कं लिमिटेड की पारेषण हानि (% में)	4.90%
5	मध्यप्रदेश राज्य की सीमा पर	11397.6
6	बाह्य हानियां (मिलियन यूनिट में)	226.4
7	**शुद्ध ऊर्जा की आवश्यकता (मिलियन यूनिट में)**	**11623.9**

4.27 आयोग द्वारा मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक 1929/एफआरएस/14/XIII/ 2001 दिनांक 14, मार्च, 2007 के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी की आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु तथा ट्रेडको नवीन स्टेशनों से आवंटित की गई क्षमताओं बाबत भी विद्यमान स्टेशनों से विद्युत ऊर्जा के आवंटन पर विचार किया गया है। आयोग द्वारा मध्यप्रदेश की अधिसूचना पर भी विचार

किया गया है जिसमें कहा गया है कि विद्युत ऊर्जा के कमी वाले महीनों में, अनुज्ञप्तिधारियों को एमपी ट्रेडको से विद्युत क्रय करना होगा।

4.28 मध्यप्रदेश शासन की उपरोक्त उल्लेखित अधिसूचना के आधार पर आयोग द्वारा विचारित मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को किया गया स्टेशन–वार क्षमता का आवंटन निम्न तालिका के अनुसार दर्शाया गया है :

तालिका 125 : मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को स्टेशन–वार क्षमता आवंटन (प्रतिशत में)

पावर स्टेशन का नाम	पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी
एमपीपीजीसीएल–एसएच (स्टेट हॉयडल) : बरगी	47.49%
एमपीपीजीसीएल–आईएस (इन्टरस्टेट) : गांधीसागर	47.49%
एमपीपीजीसीएल–आईएस (इन्टरस्टेट) : पेंच	47.49%
एमपीपीजीसीएल–एसएच (स्टेट हॉयडल) : बिरसिंहपुर	47.49%
एमपीपीजीसीएल–एसएच (स्टेट हॉयडल) : बाणसागर काम्प्लेक्स	47.49%
एमपीपीजीसीएल–आईएस (इन्टरस्टेट) : राजघाट	47.49%
पूर्वी क्षेत्र : तालचेर एसटीपीएस (सुपर थर्मल पावर स्टेशन)	47.49%
सरदार सरोवर परियोजना	47.49%
पश्चिमी क्षेत्र : कोरबा एसटीपीएस (सुपर थर्मल पावर स्टेशन)	47.49%
संयुक्त उपक्रम : इंदिरा सागर (8 x 125 मेगावाट)	32.49%
एमपीजीसीएल–एसटी (सुपर थर्मल) : अमरकंटक काम्प्लेक्स	32.49%
पश्चिमी क्षेत्र : विंध्याचल एसटीपीएस (सुपर थर्मल पावर स्टेशन) –I	32.49%
एमपीपीजीएल–एसटी (स्टेट थर्मल) : संजय गांधी काम्प्लेक्स	32.49%
एमपीपीजीएल–एसटी (स्टेट थर्मल) : सतपुड़ा काम्पलेक्स (पावर हाऊस–II तथा III)	32.49%
एमपीपीजीएल–एसटी (स्टेट थर्मल) : सतपुड़ा पावर हाऊस क्रमांक–I (अंर्तराज्यीय)	32.49%
पूर्वी क्षेत्र : फरक्का एसटीपीएस	14.04%
पश्चिमी क्षेत्र : विंध्याचल एसटीपीएस– II	14.04%
पश्चिमी क्षेत्र : विंध्याचल एसटीपीएस– III (यूनिट–I)	14.04%
पश्चिमी क्षेत्र : ककरापार एपीएस (एटामिक पावर स्टेशन)	14.04%
पश्चिमी क्षेत्र : गंधार जीपीपी (गैसबेस पावर प्लांट)	14.04%
पश्चिमी क्षेत्र : तारापुर एपीएस (एटामिक पावर स्टेशन)	14.04%
पूर्वी क्षेत्र : कहलगांव एसटीपीएस (सुपर थर्मल पावर स्टेशन)	14.04%
एमपीपीजीसीएल–एसएच (स्टेट हॉयडल) : मढ़ीखेड़ा	14.04%
पश्चिमी क्षेत्र : कवास जीपीपी (गैसबेस पावर प्लांट)	14.04%
भारित औसत	**32.49%**

4.29 यद्यपि मध्यप्रदेश शासन द्वारा राणाप्रताप एवं जवाहर सागर एचईपी (हायड्रो इलेक्ट्रिक पावर) के 135.5 मेगावाट का 32.49% मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को आवंटित किया गया है, आयोग ने इन स्टेशनों से उपलब्ध हो रही विद्युत ऊर्जा पर विचार नहीं किया है क्योंकि ये राजस्थान राज्य में स्थित हैं। इसी प्रकार, यद्यपि मध्यप्रदेश शासन द्वारा सतपुड़ा चरण–I के 187.5 मेगावाट का 32.49% मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को आवंटित किया गया है, आयोग द्वारा 312.5 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता की उपलब्धता पर विचार किया है क्योंकि परियोजना मध्यप्रदेश राज्य में स्थित है। इसी के कारण भारित (व्हेटेड) औसत आवंटन मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना में दर्शाये गये 33.96% के स्थान पर 32.49% हो गया है। यह आयोग द्वारा पूर्व में मानी गयी स्थिति के अनुरूप ही है।

4.30 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हेतु आवंटन का भारित औसत प्रत्येक स्टेशन से आवंटित तथा गैर–आवंटित अंशदान के अनुसार 32.49% है।

4.31 केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशन : वित्तीय वर्ष 08 हेतु केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों से वार्षिक ऊर्जा उपलब्धता पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दायर की गई याचिकाओं के अनुसार विचार किया गया है।

4.32 एमपी जनको स्टेशन : जैसा कि पूर्व में उल्लेखित है, अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा एमपी जनको से विद्युत ऊर्जा की उपलब्धि वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु एमपी जनको द्वारा विद्युत उत्पादन के मासिक पूर्वानुमानों के आधार पर दर्शाई गई है।

4.33 आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 08 हेतु मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की मासिक उपलब्धता तथा आवश्यकता के विश्लेषण के अभ्यास का कार्य हाथ में लिया गया। विश्लेषण के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी हेतु प्रत्येक माह में बचत अथवा घाटा प्रदर्शित हुआ है।

4.34 वित्तीय वर्ष 08 हेतु, अनुज्ञप्तिधारी की माहवार विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता तथा आवश्यकता निम्नानुसार दर्शाई गई है :

तालिका 126 : वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु माह–वार विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता एवं उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)

माह	मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी				
	उपलब्ध विद्युत की मात्रा	वितरण कंपनियों के मध्य व्यापार से उपलब्धि	विद्युत की आवश्यकता	वितरण कंपनियों के मध्य व्यापार से विक्रय	(घाटा)/बचत
	ए	बी	सी	डी	ई=(ए+बी)–(सी+डी)
अप्रैल	759.8	1.1	930.9	0	(170.1)
मई	766.3	24.5	914.7	0	(123.9)
जून	697.1	0	868.2	0	(171.0)
जुलाई	753.1	7.8	848.5	0	(87.6)
अगस्त	1054.1	0	890.7	35.6	127.8
सितम्बर	988.3	0	886.9	0	101.3
अक्टूबर	1124.0	0	994.8	0	129.3
नवम्बर	1037.4	0	1083.7	0	(46.2)
दिसम्बर	970.5	0	1120.2	0	(149.7)
जनवरी	910.2	0	1098.0	0	(187.8)
फरवरी	794.0	0	1023.7	0	(229.7)
मार्च	817.4	0	963.6	0	(146.3)
योग	**10672.1**	**33.4**	**11623.9**	35.6	**(954.0)**

4.35 जैसा कि उपरोक्त दर्शाई गई तालिका से देखा जा सकता है अनुज्ञप्तिधारी को माह अप्रैल से जुलाई एवं माह नवम्बर से मार्च हेतु 1312.41 मिलियन यूनिट की लघु–अवधि विद्युत की अध्याप्ति (प्रोक्यूरमेंट) करनी होगी तथा माह अगस्त से अक्टूबर तक उसे 358.4 मिलियन यूनिट विद्युत की बचत होगी। यह अध्याप्ति एमपी जनको से रू.1.84 प्रति किलोवाटआवर की औसत दर से निम्न दर्शाई गई तालिका में की गई गणना के अनुसार की जावेगी :

तालिका 127 : वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान एमपी ट्रेडको से लघु–अवधि विद्युत क्रय की दर

एमपी ट्रेडको के स्टेशन	मिलियन यूनिट	कुल लागत (करोड़ रूपये में)
सीपत	749.69	125.17
कहलगांव एसटीपीएस– II	699.28	145.59
बिरसिंहपुर	3267.65	653.30
अमरकंटक	686.21	150.29
ओंकारेश्वर	1200.00	114.48
विन्ध्याचल एसटीपीएस–III (यूनिट क्रमांक 2)	746.66	156.89
मढ़ीखेड़ा (यूनिट–III)	27.68	9.38
योग	**7377.16**	**1355.09**
औसत दर (रूपये प्रति यूनिट में)		**1.84**

4.36 चूंकि आयोग ने वित्तीय वर्ष हेतु राज्य में एक समान टैरिफ दर रखे जाने का निर्णय लिया है, अनुज्ञप्तिधारी के पास बची हुई आधिक्य विद्युत ऊर्जा प्रथमतः मध्यप्रदेश राज्य के अन्य अनुज्ञप्तिधारियों को प्रदान की जावेगी, जिनके पास उक्त माह में विद्युत की कमी होगी। आयोग निर्देश देता है कि राज्य के भीतर अन्य वितरण कंपनियों को आधिक्य ऊर्जा की विक्रय दर विद्युत की मासिक संकोषीय लागत (मन्थली पूल्ड कोस्ट) निम्न तालिका में दर्शायेनुसार होनी चाहिए :

तालिका 128 : समुच्य वितरण कंपनियों हेतु विद्युत ऊर्जा की मासिक संकोषीय लागत

सरल क्रमांक	माह	मिलियन यूनिट *	करोड़ रूपये में **	रूपये प्रति किलोवाट आवर
1	अप्रैल	2728.0	459	1.68
2	मई	2647.9	461	1.74
3	जून	2556.6	434	1.70
4	जुलाई	2441.1	391	1.60
5	अगस्त	2964.6	352	1.19
6	सितम्बर	2957.2	378	1.28
7	अक्टूबर	3327.5	468	1.41
8	नवम्बर	3354.7	525	1.56
9	दिसम्बर	3368.6	541	1.61
10	जनवरी	3267.2	533	1.63
11	फरवरी	3003.7	494	1.64
12	मार्च	2869.9	475	1.65

***** मिलियन यूनिटों में सम्मिलित हैं कुल उपलबध्ता तथा लघु अवधि विद्युत क्रय में से विद्युत वितरण कंपनियों के द्वारा परस्पर विद्युत व्यापार के माध्यम से विक्रित की गई ऊर्जा को घटाकर।

****** करोड़ रूपये में सम्मिलित हैं स्थाई लागत, परिवर्तनीय लागत, पीजीसीआईएल (पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया) प्रभार, लघु अवधि विद्युत क्रय की लागत में से बाह्म विक्रय से प्राप्त राजस्व घटाकर।

4.37 अनुज्ञप्तिधारी के पास बची रहने वाली आधिक्य (एक्सैस) ऊर्जा जैसी कि यह मासिक उपलब्धता तथा आवश्यकता संबंधी उपरोक्त तालिका में देखी जा सकती है, राज्यान्तरिक

व्यापार के उपरांत मासिक औसत विद्युत क्रय लागत की गणना अनुसार उन स्टेशनों हेतु जो कि चालू योग्यता क्रमानुसार (रनिंग मेरिट आर्डर) आती हो बाह्य व्यापार हेतु उपयोग की जा सकेगी। इस प्रकार मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हेतु स्वीकृत की गई दरें निम्न दर्शाई गई तालिका के अनुसार होंगीः

तालिका 129 : विद्युत आधिक्य (सरप्न्लस) वाले स्टेशनों की मासिक औसत लागत

सरल क्रमांक	माह	आधिक्य विद्युत ऊर्जा (मिलियन यूनिट में)	कुल लागत (करोड़ रूपये में)	रूपये प्रति किलोवाट आवर
1	अप्रैल	–	–	–
2	मई	–	–	–
3	जून	–	–	–
4	जुलाई	–	–	–
5	अगस्त	127.78	22.72	1.78
6	सितम्बर	101.34	18.33	1.81
7	अक्टूबर	129.25	22.84	1.77
8	नवम्बर	–	–	–
9	दिसम्बर	–	–	–
10	जनवरी	–	–	–
11	फरवरी	–	–	–
12	मार्च	–	–	–

4.38 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हेतु, वित्तीय वर्ष 2007–08 में माह अगस्त, सितम्बर तथा अक्टूबर, के दौरान, आधिक्य विद्युत ऊर्जा के कारण विक्रय राज्यान्तरिक व्यापार के अंतर्गत, 358.38 मिलियन यूनिट आंका गया है। आधिक्य विद्युत ऊर्जा के विक्रय से होने वाली आय को वितरण अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत क्रय लागत के साथ समायोजित किया जावेगा।

4.39 वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राक्कलित तथा आयोग द्वारा प्राक्कलित स्टेशन–वार विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता निम्न तालिका में दर्शाई गई है :

तालिका 130 : वित्तीय वर्ष 08 के दौरान मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की स्टेशन–वार विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)

सरल क्रमांक	वित्तीय वर्ष 08		
	स्टेशनों के नाम	विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रस्तावित	जैसा कि इन्हें आयोग द्वारा प्राक्कलित किया गया है
1	केन्द्रीय क्षेत्र (पश्चिमी क्षेत्र)	4127	3359
2	केन्द्रीय क्षेत्र (पूर्वी क्षेत्र)	282	98
3	द्विपक्षीय क्रय	494	353
4	एनएचडीसी (इन्दिरा सागर)	877	877
5	सरदार सरोवर	552	807

6	ओंकारेश्वर (एचपीएस)	390	0
7	नवीन जल – विद्युत स्टेशन	50	0
8	एमपी जनको	6105	5177
9	**योग**	**12877**	**10672**

4.40 केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशन (पश्चिमी क्षेत्र) : मध्य प्रदेश शासन की अधिसूचना के अनुसार, विभेदक आवंटन (डिफरेंशियल एलोकेशन) के कारण अनुज्ञप्तिधारी को उपलब्ध अंशदान में वृद्धि हुई है।

4.41 केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशन (पूर्वी क्षेत्र) : अनुज्ञप्तिधारी ने उसके द्वारा दायर की गई याचिका के अंतर्गत कहलगांव (चरण–II) पर विचार किया है। मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना के अनुसार इस स्टेशन की क्षमता अब एमपी ट्रेडको के पास है।

4.42 **द्विपक्षीय विद्युत क्रय** : द्विपक्षीय विद्युत क्रय से घटी हुई मात्रा पुनरीक्षित क्षमता आवंटन के कारण है तथा आयोग द्वारा राणाप्रताप सागर, जवाहर सागर, दामोदर वैली कार्पोरेशन (डीवीसी) तथा लैंको की क्षमता को, पूर्व में दर्शाये गये परिच्छेदों में दी गई व्याख्या के अनुसार नहीं माना गया है।

4.43 **ओंकारेश्वर एचपीएस** : मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना के अनुसार इस स्टेशन की क्षमता एमपी ट्रेडको के पास है।

4.44 **एमपी जनको** : मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना के अनुसार पुनरीक्षित क्षमता आवंटन के कारण उपलब्धता में परिवर्तन हुआ है।

विद्युत क्रय लागतें

केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशन – पश्चिमी क्षेत्र

4.45 पश्चिमी क्षेत्र में एनटीपीसी के स्टेशन (कोरबा, वीएसटीपीएस–I,वीएसटीपीएस–II, वीएसटीपीएस–III, (यूनिट–I), कवास तथा गन्धार) : जैसा कि पूर्व में कहा गया है, विद्यमान स्टेशनों से ऊर्जा की उपलब्धता पर अनुज्ञप्तिधारियों, द्वारा की गई प्रस्तुति के अनुसार विचार किया गया है। आयोग ने भी इन स्टेशनों बाबत स्थाई तथा परिवर्तनीय लागत को केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के इन स्टेशनों बाबत इनकी स्थाई तथा परिवर्तनीय लागतों के सत्यापन उपरांत इन्हें अनुमोदित कर दिया है। वे स्टेशन जिनके लिये केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग का अन्तिम आदेश उपलध नहीं है, वहां पर अनुज्ञप्तिधारी के माह जुलाई 2006 के बिल पर आधारित याचिका पर विचार किया गया है। केएपीपी तथा टीएपीपीएस 3 तथा 4 हेतु, एकल भाग टैरिफ दर का भुगतान देय होगा तथा प्रावधिक टैरिफ दरों पर भारत शासन, अणुशक्ति विभाग के माह अक्टूबर 2006 में जारी की गई अधिसूचना के अनुसार विचार किया गया है।

4.46 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा केन्द्रीय स्टेशनों हेतु मध्यप्रदेश राज्य को अंशदान का आवंटन एनटीपीसी के देयकों के अनुसार दर्शाया गया था। आयोग द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के अंशदान के आवंटन तथा परिणामस्वरूप मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी के अंशदान को, शासन द्वारा दिनांक 14 मार्च 2007 को जारी अधिसूचना के अनुसार माना गया है।

तालिका 131 : वित्तीय वर्ष 08 हेतु शासन की अधिसूचना के अनुसार केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों से मध्यप्रदेश राज्य एवं मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को विद्युत का आवंटन

स. क्र	पश्चिमी क्षेत्र (केन्द्रीय विद्युत स्टेशन–सीजीएस)	स्थापित क्षमता	राज्य का अंशदान (प्रतिशत में)	उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)	स्थाई लागत (करोड़ रूपये में)	अंशदान (प्रतिशत में)	मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हेतु	
							उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)	स्थाई लागत (करोड़ रूपये में)
1	केटीपीएस	2100	21.38	3242	86	47.49	1540	40.8
2	वीएसटीपीएस–I	1260	33.34	3097	98.2	32.49	1007	32
3	वीएसटीपीएस–II	1000	30.12	2377	135.3	14.04	334	19
4	वीएसटीपीएस–III (यूनिट–I)	500	22.9	746.7	85	14.04	105	12
5	केजीपीएस	656.2	24.16	282.4	59	14.04	40	8
6	जीजीपीएस	657.4	20.64	842	76	14.04	118	11
7	केएपीपी	440	23.99	467	0.0	14.04	66	0
8	टीएपीपी(3 तथा 4)	540	18.64	1072	0.0	14.04	151	0

4.47 ईंधन लागत समायोजन (फ्यूल प्राईस एडजस्टमेंट–एफपीए) प्रभारों की गणना इन स्टेशनों हेतु माह अक्टूबर 2006 के देयक के आधार पर की गई है। अन्य प्रभारों की गणना, प्रोत्साहन तथा करों को सम्मिलित कर, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों को किये गये माह अप्रैल 06 से अक्टूबर 06 की अवधि के वास्तविक बिलों के भुगतान की आनुपातिक दरों के अनुसार की गई है।

4.48 अनुज्ञेय किये गये परिवर्तनीय तथा अन्य प्रभार निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं :

तालिका 132 : पश्चिमी क्षेत्र में केन्द्रीय विद्युत स्टेशन (सीजीएस) हेतु अनुज्ञेय किये गये प्रभार

पश्चिमी क्षेत्र (सीजीएस)	वित्तीय वर्ष 08			
	परिवर्तनीय (रू/किलोवाट आवर)	ईंधन लागत समायोजन (एफपीए प्रभार) (रू/किलोवाट आवर)	अन्य प्रभार (रू/किलोवाट आवर)	कुल प्रभार (करोड़ रूपये में) *
केटीपीएस	0.50	0.15	0.11	158.7
वीएसटीपीएस–I	0.80	0.23	0.26	161.9
वीएसटीपीएस– II	0.78	0.22	0.18	58.12
वीएसटीपीएस–III (यूनिट– I)	0.87	0	0.01	21.09
केजीपीएस	1.09	2.86	0.12	24.36
जीजीपीएस	1.11	0.43	0.01	29.10

केएपीपी	2.04	0.0	0.01	13.47
टीएपीपी (3 तथा 4)	2.65	0.0	0.00	40.01
योग				**506.8**

* उपरोक्त दर्शाई गई तालिका में स्थाई प्रभार सम्मिलित हैं।

केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशन–पूर्वी क्षेत्र

4.49 पूर्वी क्षेत्र में स्थित संयंत्रों की अनुज्ञेय, लागतों के अवधारण हेतु पश्चिमी क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों हेतु अनुसरण किये जा रहे सिद्धांत को यहां पर भी अपनाया जा रहा है। जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, इन संयंत्रों में अंशदान के संबंध में शासन की अधिसूचना दिनांक 14 मार्च, 2007 के अनुसार विचार किया गया है।

तालिका 133 : शासकीय अधिसूचना के अनुसार केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशनों से मध्यप्रदेश राज्य को आवंटन

							मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	
सरल क्रमांक	पूर्वी क्षेत्र सीजीएस	स्थापित क्षमता (मेगा वाट में)	राज्य का अंशदान (प्रतिशत में)	उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)	स्थाई लागतें (करोड़ रूपये में)	अंशदान (प्रतिशत में)	उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)	स्थाई लागत (करोड़ रूपये में)
1	फरक्का	1600	1.01	184.08	5.16	14.04	26	0.7
2	तालचेर	1000	1.01	128.1	4.03	47.49	61	1.9
3	कहलगांव	840	2.84	80.7	9	14.04	11	1.2
4	**योग**						**98**	**3.9**

4.50 अनुज्ञेय किये गये परिवर्तनीय तथा अन्य प्रभार निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं।

तालिका 134 : पूर्वी क्षेत्र में केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों (सीजीएस) हेतु अनुज्ञेय किये गये प्रभार

वित्तीय वर्ष 08				
पूर्वी क्षेत्र (सीजीएस)	परिवर्तनीय (रूपये प्रति किलोवाट आवर में)	ईंधन समायोजन प्रभार (एफपीएए) (रूपये/किलोवाट आवर में)	अन्य प्रभार (रूपये प्रति किलोवाट आवर में)	कुल प्रभार (करोड़ रूपये में) *
फरक्का	1.04	0.35	0.01	4.36
तालचेर	0.44	0.21	0.00	5.87
कहलगांव	1.15	0.43	0.00	3.03
योग				**13**

* उपरोक्त तालिका में उपरोक्त उल्लेख किये गये अनुसार इसमें स्थाई प्रभार भी सम्मिलित हैं।

इन्दिरा सागर (एनएचडीसी) तथा सरदार सरोवर परियोजनाएं

4.51 वित्तीय वर्ष 07 हेतु, आयोग द्वारा केवल केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के आदेश दिनांक 1.5.2004 द्वारा इन्दिरा सागर हेतु अनुमोदित वार्षिक स्थाई प्रभारों पर ही विचार किया गया। केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग ने उसके आदेश द्वारा स्थाई वार्षिक प्रभार सात मशीनों हेतु रू. 241.41 करोड़ अनुमोदित किये। जैसे ही आठों मशीनें संचालित कर दी गईं, आयोग द्वारा स्थाई लागत में मूल्यांकित लागत में आगे आनुपातिक दर से 10 प्रतिशत की अभिवृद्धि अनुज्ञेय की गई। इस प्रकार, आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 07 हेतु, वार्षिक स्थाई प्रभारों हेतु, रूपये 300 करोड़ की राशि अनुज्ञेय की गई।

4.52 अनुज्ञप्तिधारी ने उसके द्वारा प्रस्तुत याचिका में वित्तीय वर्ष 08 हेतु इन्दिरा सागर परियोजना के लिये रू.275.88 करोड़ की मोटी दर (फ्लैट रेट) प्रस्तुत की है। तथापि, आयोग द्वारा स्टेशन हेतु भुगतान योग्य प्रभारों के सत्यापन बाबत वर्ष 2006 में भुगतान किये गये वास्तविक देयकों का विश्लेषण किया गया। इस वर्ष, माह अक्टूबर तक वास्तविक रूप से किये गये वार्षिक स्थाई प्रभार का भुगतान वित्तीय वर्ष 07 हेतु अनुज्ञेय की गई राशि से काफी कम पाया गया है। अतः आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 08 हेतु वार्षिक प्रभारों का पुनरीक्षण वित्तीय वर्ष 07 में देयकों के भुगतान के आधार पर क्षमता प्रभार की आनुपातिक दर के अनुसार तथा वित्तीय वर्ष 07 हेतु माह अक्टूबर 06 तक अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा वास्तविक रूप से भुगतान किये गये परिवर्तनीय प्रभार के आधार पर कर दिया गया है।

4.53 इस परियोजना की रूपांकित विद्युत ऊर्जा वित्तीय वर्ष 08 हेतु 2700 मिलियन यूनिट अनुमोदित की गई है। स्थाई लागत की गणना रूपये 191.70 करोड़ के रूप में की गई है तथा परिवर्तनीय प्रभार की गणना पश्चिमी क्षेत्र की न्यूनतम परिवर्तनीय लागत पर रूपये 0.49/किलोवाट आवर की दर से की गई है जो कि सीपत पावर हाऊस क्रमांक 2 के अनुरूप है। वे माह जबकि सीपत पावर हाऊस क्रमांक 2 उपलब्ध न हो, परिवर्तनीय लागत अगली न्यूनतम परिवर्तनीय लागत के अनुसार मानी गई है, जो कि कोरबा की दर रूपये 0.50 पैसे के अनुरूप है।

4.54 मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल द्वारा सरदार सरोवर जल विद्युत परियोजना हेतु रू. 2.00 प्रति यूनिट की प्रावधिक दर को माना गया है। यह दर मध्यप्रदेश शासन द्वारा उसके पत्र दिनांक 30 नवम्बर 2005 द्वारा निर्धारित की गई प्रावधिक दर के अनुरूप है। विद्युत अधिनियम की धारा 62 (1) के अनुसार केवल समुचित आयोग को ही एक विद्युत उत्पादक कंपनी द्वारा वितरण कंपनी को प्रदाय की जा रही विद्युत के दर के अवधारण का अधिकार है। इसके अतिरिक्त, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 64 (5) के अनुसार राज्य आयोग जो अनुज्ञप्तिधारी के संबंध में क्षेत्राधिकार रखता हो तथा जो कि विद्युत के वितरण तथा भुगतान करने का इच्छुक हो, केवल उत्पादन टैरिफ के अवधारण हेतु अधिकृत है।

4.55 वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत की गई उसकी याचिका में सरदार सरोवर जल विद्युत स्टेशन हेतु विद्युत क्रय लागत की गणना रू. 0.95/किलोवाट आवर की गई है। वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मानी गई विद्युत क्रय लागत आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु आयोग द्वारा जारी किये गये टैरिफ आदेश में मानी गई लागत के अनुसार है। आयोग अनुज्ञप्तिधारी द्वारा की गई अवधारणा को सही मानता है, तथापि, आयोग प्रावधिक दर में रू.0.08 पैसे/किलोवाट की अभिवृद्धि प्रचालन तथा संधारण लागत में संभावित वृद्धि के कारण अनुज्ञेय कर रहा है। यहां पर यह उल्लेख किया जाना प्रासंगिक होगा कि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा एक याचिका रू.2.00 प्रति किलोवाट ऑवर के प्रावधिक अवधारण किये जाने बाबत दायर की है। वित्तीय वर्ष 08 हेतु इस परियोजना की रूपांकित विद्युत ऊर्जा की मात्रा 1700 मिलियन यूनिट अनुमोदित की गई है। स्थाई लागत की गणना रू.91.79 करोड़ तथा पश्चिमी क्षेत्र की न्यूनतम परिवर्तनीय लागत के अनुसार परिवर्तनीय प्रभारों की

गणना प्रति किलोवाट ऑवर रू. 0.49 के रूप में की गई है, जो कि सीपत चरण–II की है। वे माह, जबकि सीपत से विद्युत उपलब्ध नहीं है, परिवर्तनीय लागत आगामी परिवर्तनीय लागत मानी गई है, जो कि कोरबा की दर रू.0.50 के अनुरूप है।

4.56 यद्यपि सरदार सरोवर परियोजना हेतु टैरिफ दर निर्धारण की याचिका पूर्व में दायर की जा चुकी है, आयोग द्वारा इस संबंध में दर निर्धारण किया जाना शेष है। आयोग, इस संबंध में सुनवाई प्रक्रिया के समाप्त होने पर एक उपयुक्त दर पर विचार करेगा।

तालिका 135 : इन्दिरा सागर तथा सरदार सरोवर परियोजना हेतु अनुज्ञेय की गई लागत

सरल क्रमांक	अन्य स्त्रोत	वित्तीय वर्ष 08		
		उपलब्धता	स्थाई लागत (करोड़ रूपये में)	कुल प्रभार (करोड़ रूपये में)
1	इन्दिरा सागर	2700	191.70	324
2	सरदार सरोवर	1700	91.79	175.1

अन्तर्राज्यीयपारेषण

4.57 मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) को भुगतान किये जाने वाले प्रभार, पश्चिमी तथा पूर्वी क्षेत्र की पारेषण प्रणाली हेतु प्रभारों का मिश्र है। विद्यमान स्टेशनों हेतु अन्तर्राज्यीयपारेषण लागत हेतु प्राक्कलन पर विचार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रयोग की गई विधि के अनुसार किया गया है जो कि माह सितम्बर 2005 से माह अगस्त 2006 तक के पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्र के वास्तविक देयकों पर आधारित है।

4.58 आयोग द्वारा विन्ध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन वीएसटीपीएस–III (यूनिट–I) हेतु प्रभारों की गणना पश्चिमी क्षेत्र के विद्यमान स्टेशनों हेतु, पीजीसीआईएल को प्रति मेगावाट किये गये प्रभारों के भुगतान के आधार पर की गई है। तदोपरांत नवीन स्टेशन हेतु प्रति मेगावाट लागत आवंटित क्षमता को लागू की गई, जिससे कि प्रभारों की राशि की प्राप्ति की गई।

तालिका 136 : वित्तीय वर्ष 08 हेतु अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार

माह/करोड़ रूपये में	पश्चिमी क्षेत्र	पूर्वी क्षेत्र	पश्चिमी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र/ एकीकृत (यूनिफाईट) भार प्रेषण केन्द्र	अर्न्तक्षेत्रीय (पश्चिमी –पूर्वी क्षेत्र)	अर्न्तक्षेत्रीय (पश्चिमी –दक्षिणी क्षेत्र)	अर्न्तक्षेत्रीय (पश्चिमी –उत्तरी क्षेत्र)	योग
सितम्बर–05	8.37	0.9	0	0	0	0	9.27
अक्टूबर–05	8.7	0.83	0	0	0	0	9.53
नवम्बर–05	8.56	0.78	0	0	0	0	9.35
दिसम्बर–05	8.63	0.49	0	0	0	0	9.12
जनवरी–06	8.46	0.23	0	0	0	0	8.69
फरवरी–06	8.46	0.22	0	0	0	0	8.68
मार्च–06	9.09	0.22	0	0	0	0	9.31

अप्रैल–06	9	0.24	0	0	0	0	9.24
मई–06	9.23	0.23	0	0	0	0	9.46
जून–06	9.22	0.25	0	0	0	0	9.47
जुलाई–06	7.8	0.25	0	0.24	0.14	0.73	9.15
अगस्त–06	7.71	0.25	0	0.29	0.08	0.54	8.87
योग	**103.24**	**4.88**	**0**	**0.53**	**0.22**	**1.27**	**110.14**
वित्तीय वर्ष 08							
विद्यमान क्षमता (मेगावाट में) (म.प्र.राज्य अंशदान)	1,771.2	50.0					
विद्यमान स्टेशनो से कुल प्रभार (करोड़ रूपये में)	104.73	5.41					110.14
लागत प्रति मेगावाट (करोड़ रूपये में)	0.059	0.11					
वीएसटीपीएस–III (यूनिट–I) से प्राप्त अतिरिक्त क्षमता	114.3						
नवीन स्टेशनों से प्राप्त प्रभार (करोड़ रूपये में)	6.80	0					**6.80**
कुल पारेषण प्रभार (करोड़ रूपये में)							**116.94**
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का अंशदान (करोड़ रूपये में)							**37.98**

4.59 वित्तीय वर्ष 08 हेतु अन्तर्राज्यीयपारेषण प्रभार हेतु करों पर विचार वित्तीय वर्ष 07 के टैरिफ आदेश के अनुसार, अर्थात्, रू.2.35 करोड़ किया गया है। इसमें मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी का अंशदान रूपये 0.76 करोड़ है।

4.60 उपरोक्त की गई चर्चा के आधार पर, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी को अनुज्ञेय की गई विद्युत क्रय की लागत निम्न तालिका में दर्शाई गई है :

तालिका 137 : वित्तीय वर्ष 08 के विद्युत क्रय व्ययों हेतु आयोग का प्राक्कलन

(राशि करोड़ रूपये में) वित्तीय वर्ष 08

सरल क्रमांक	विवरण		मिलियन यूनिट में	राशि	रू. प्रति किलोवाट आवर
1	केन्द्रीय सेक्टर पश्चिमी क्षेत्र	कोरबा	1539.9	158.74	1.03
2		विंध्याचल–I	1006.52	161.94	1.61
3		विंध्याचल– II	333.80	58.12	1.74
4		कवास	39.67	24.36	6.14
5		गंधार	118.31	29.10	2.46
6		केएपीपी	65.59	13.47	2.05
7		टीएपीएस 3 तथा 4	150.58	40.01	2.66
8		विंध्याचल– III (यूनिट–I)	104.86	21.09	2.01
9		**योग**	**3359**	**507**	**1.51**
10	पूर्वी क्षेत्र	फरक्का+तालचेर+कहलगांव–I+ कहलगांव–II	98	13	1.35
11	द्विपक्षीय क्रय	राजस्थान राज्य विद्युत मंडल /अन्य	353	15	0.42

12	अन्य स्त्रोत	एनएचडीसी (इन्दिरा सागर)	877.34	105.28	1.20
13		संयुक्त उपक्रम–सरदार सरोवर	807.29	83.15	1.03
14		कैप्टिव विद्युत संयंत्र/पवन ऊर्जा	शून्य	0	0
15		**योग**	**1685**	**188**	**1.12**
16	एमपी जनको		5177	774	1.50
17	वितरण कंपनी आन्तरिक क्रय (घटायें)		**33.36**	**5.69**	**1.71**
18	लद्यु अवधि क्रय (म.प्र. ट्रेडको)		**1312.41**	**241.07**	**1.84**
19	वितरण कंपनी आंतरिक विक्रय (घटायें)		**35.58**	**4.23**	**1.19**
20	बाह्य विक्रय (घटायें)		**358.38**	**63.88**	**1.78**
21	शुद्ध विद्युत क्रय		**11624**	**1676.23**	**1.44**
22	पारेषण	स्थाई प्रभार	**37.98**		
23	प्रभार	कर	**0.76**		
24		**योग**	**38.75**		
25	**कुल विद्युत क्रय ***		**11624**	**1714.97**	**1.475**

***** पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया (पीजीसीआईएल) की 226.38 मिलियन यूनिट की हानियां सम्मिलित हैं।

नेट वर्क की लागतें

4.61 निम्न भागों में, आयोग द्वारा अनुज्ञप्तिधारी की पूंजीगत व्यय योजनाओं, परिसम्पत्तियों का प्रस्तावित पूंजीकरण, अवमूल्यन का पूर्वानुमान, ब्याज तथा वित्त प्रभारों एवं पूंजी पर प्रतिलाभ (रिटर्न ऑन इक्विटी) का विश्लेषण किया गया है। वित्तीय वर्ष 08 हेतु पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की इन लागतों बाबत प्रस्तुतियों पर आयोग का निर्णय निम्न परिच्छेदों में दर्शाया गया है।

पूंजीगत व्यय योजनाएं तथा परिसम्पत्तियों का पूंजीकरण

अनुज्ञप्तिधारी की प्रस्तुति

4.62 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग को प्रस्तुत पांच–वर्षीय निवेश योजना, कतिपय सुधारों के साथ अपनाई गई है। निवेश योजना के अंतर्गत प्रस्तावित की गई योजनाओं का लक्ष्य निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति की जाना है :

- क्षमता निर्माण
- प्रणाली सदृढ़ीकरण
- वोल्टेज में सुधार
- हानि में कमी की जाना
- उपभोक्ता सेवा
- सेवा की विश्वसनीयता
- ग्रामीण विद्युतीकरण

4.63 : याचिका के अनुसार निवेश योजना की संक्षेपिका निम्नानुसार प्रस्तुत है

तालिका 138 : प्रस्तुत की गई निवेश योजना

(राशि करोड़ रूपये में)

योजना	वित्तीय वर्ष 07	वित्तीय वर्ष 08
एन.डी. (नार्मल डेवलपमेंट)	10.32	12.00
जे.बी.आई.सी. (जापान बैंक फार इंटरनेशनल कोआपरेशन)	30.70	19.21
एस.टी.(एन) (सबट्रांसमिशन–नार्मल)	19.32	21.00
पी.एस.आई. (पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट)	3.69	0.00
ए.पी.डी.आर.पी. (एक्सेलेरिडिट पावर डेवलपमेंट एण्ड रिफार्म प्रोग्राम)	80.19	15.55
ए.डी.बी. (एशियन डेवलपमेंट बैंक)	59.52	0.00
आर.जी.जी.वी.वाई. (राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना)	120.28	250.39
पीएमजीवाई (प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना)	1.40	0.00
एडीबी–II (एडीबी द्वारा वित्त पोषित योजना का द्वितीय चरण)	0.00	41.56
योग (करोड़ रूपये में)	**325.42**	**359.71***

* याचिका में एक योग में हुई त्रुटि को सुधार दिया गया है।

4.64 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निवेदन किया गया है कि निवेश योजना जिसे आयोग द्वारा अनुमोदित व्यवसाय योजना के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किया गया है, में कतिपय सुधार किये गये हैं। ये मुख्यतः निम्नानुसार है :

- प्रस्तावित नवीन एडीबी योजना का चरणबद्ध पुनरीक्षण एशियन डेवलपमेंट बैंक को प्रस्तुत किये गये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों पर आधारित है।

- राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में पूंजी निवेशों का चरणबद्ध पुनरीक्षण, विभिन्न वृत्त स्तर की योजनाओं के अनुमोदन की अद्यतन स्थिति पर आधारित है।

- वित्तीय वर्ष 07 तथा 08 हेतु, एक्सेलेरेटिड पावर डेवलपमेंट एण्ड रिफार्म प्रोग्राम (एपीडीआरपी) योजना के अंतर्गत प्रस्तावित निवेश का पुनरीक्षण किया जाना क्योंकि वर्ष 2006–07 के बाद इस योजना को चालू रखे जाने पर निर्णय भारत सरकार से अभी तक प्रतीक्षित है।

पूंजीकरण योजना

4.65 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निवेदन किया गया है कि उसे मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना दिनांक 31 मई 2005 द्वारा जारी प्रावधिक वित्तीय वर्ष 06 के प्रावधिक प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र के आधार पर उत्तराधिकार में रू.461 करोड़ के निर्माणाधीन मुख्य कार्य (सीडब्लूआईपी) प्राप्त हुये हैं। वित्तीय वर्ष 06 में प्रावधिक लेखे के अनुसार, निर्माणाधीन मुख्य कार्यों में रू.78.44 करोड़ की अभिवृद्धि हुई है। तथापि, रू.78.44 करोड़ के निर्माणाधीन मुख्य कार्यों के विवरण प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। प्रक्षेपित अवधि हेतु, पूंजीकरण को निम्नानुसार माना गया है :

- वित्तीय वर्ष 06 (दिनांक 1 जून से 31 मार्च 2006 तक) के प्रावधिक आय–व्यय विवरण–पत्र के अनुसार प्रारंभिक निर्माणाधीन मुख्य कार्यों का पूंजीकरण आगामी पांच वर्षों में बराबर–बराबर किये जाने का अनुमान है।

- प्रतिवर्ष नवीन पूंजी निवेश 5 वर्षों में पूंजीकृत हो जाना अनुमानित किया गया है।

- जबकि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत प्रस्तावित पूंजीनिवेश, निवेश योजना में किये गये के अंतर्गत होना बताये गये हैं, परिसम्पत्तियां तथा तत्संबंधी दायित्व बहुवर्षीय टैरिफ प्रक्षेपित राशियों हेतु माने गये हैं। योजना की निबंधन तथा शर्तों के अनुसार, परिसम्पत्तियां तथा दायित्व राज्य शासन के स्वामित्व में रहेगें।

- व्ययों का पूंजीकरण वार्षिक कर्मचारी तथा प्रशासनिक एवं सामान्य व्ययों का 4 प्रतिशत माना गया है।

4.66 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा याचिका में यह दावा भी किया गया है कि वित्तीय वर्ष 08 के दौरान प्रणाली में निम्नलिखित अभिवृद्धियां/विस्तार किये जावेंगे।

तालिका 139 : नेटवर्क का भौतिक विवरण

विवरण	वित्तीय वर्ष 06 (वास्तविक)	वित्तीय वर्ष 07 (प्राक्कलित)	वित्तीय वर्ष 08 (प्रक्षेपित)
33 केवी लाईन (सर्किट किलोमीटर में)	183.21	368.5	255.0
11 केवी लाईन (सर्किट किलोमीटर में)	238.28	4687.0	4476.0
निम्न दाब लाईन (सर्किट किलोमीटर में)	397.42	1100.0	1170.0
33/11 केवी उपकेन्द्र (संख्या)	0	29	22
पावर ट्रांसफार्मर – संख्या/एमवीए	32/149.6	30/94.5	14/44.1
वितरण ट्रांसफार्मर–संख्या/एमवीए	3013/315.8	8788/553.6	8755/551.6

पूंजीगत व्यय तथा पूंजीकरण के संबंध में आयोग का विश्लेषण

4.67 आयोग द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा पूंजीगत व्यय के संबंध में मार्गदर्शन हेतु दिशा निर्देश ***"Guide lines for Capital Expenditure by the Licensses in MP"*** में विनिर्दिष्ट किये गये हैं। संक्षेप में, दिशा निदेर्शों में, अनुज्ञप्तिधारियों से आयोग को पांच–वर्षीय व्यवसाय योजना पांच वर्षीय अवधि को दृष्टिगत करते हुए, नियोजित की गई, समस्त निवेश योजनाओं के भौतिक तथा वित्तीय वितरण दर्शाते हुए, प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा की गई है। अधिसूचित दिशा–निर्देशों के अर्न्तगत, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग के समक्ष वित्तीय वर्ष 07 से वित्तीय वर्ष 11 की पांच वर्षीय अवधि तक चलने वाली एक व्यवसाय योजना प्रस्तुत की है जिसे आयोग द्वारा पत्र क्रमांक 2178 दिनांक 31.08.06 द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। निम्न तालिका अनुज्ञप्तिधारी की निवेश योजना दर्शाती है जिसे कि आयोग द्वारा व्यवसाय योजना के एक भाग के रूप में अनुमोदित किया गया है :

तालिका 140 : अनुज्ञप्तिधारी की व्यवसाय योजना के अन्तर्गत अनुमोदित निवेश योजना

(राशि करोड़ रूपये में)

योजना	वित्तीय वर्ष 07	वित्तीय वर्ष 08
जे.बी.आई.सी. (जापान बैंक फार इंटरनेशनल कोआपरेशन)	30.70	19.21
एन.डी. (नार्मल डेवलपमेंट) (आंतरिक संसाधनों द्वारा)	38.22	26.75
एस.टी.(एन) (सबट्रांसमिशन–नार्मल)	44.63	32.25
पी.एस.आई. (पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट)	3.69	3.12
ए.पी.डी.आर.पी. (एक्सेलेरिडिट पावर डेवलपमेंट एण्ड रिफार्म प्रोग्राम)	81.42	0.00
ए.डी.बी. (एशियन डेवलपमेंट बैंक)	59.52	0.00
आर.जी.जी.वी.वाई. (राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना)	120.28	250.39
पीएमजीवाई (प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना)	0.17	0.00
योग (करोड़ रूपये में)	**378.63**	**331.70**

4.68 जैसा कि उपरोक्त से स्पष्ट है, अनुमोदित निवेश योजना तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा टैरिफ याचिका में दायर की गई योजना में निम्न भिन्नताएं विद्यमान हैं :

तालिका 141 : अनुमोदित व्यवसाय योजना तथा दायर की गई निवेश योजना में भिन्नताएं

(राशि करोड़ रूपये में)

योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 07		वित्तीय वर्ष 08	
	याचिका में दायर किये गये अनुसार	व्यवसाय योजना के अनुसार अनुमोदित	याचिका में दायर किये गये अनुसार	व्यवसाय योजना के अनुसार अनुमोदित
नार्मल डेवलपमेंट (एनडी)	10.32	38.22	12.00	26.75
जेबीआईसी (जापान बैंक फार इन्टरनेशनल कोआपरेशन	30.70	30.70	19.21	19.21
सब–ट्रांसमिशन (नार्मल)–एसटी (एन)	19.32	44.62	21.00	32.24
पीएसआई (पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट)	3.69	3.68	0.00	3.12
एक्सेलेरेटेड पावर डेवलपमेंट एण्ड रिफार्म प्रोग्राम (एपीडीआरपी)	80.19	81.42	15.55	0.00
एशियन डेवलपेंट बैंक (एडीबी)	59.52	59.52	0.00	3.12
राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)	120.28	120.28	250.39	250.39
प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई)	1.40	0.17	0.00	0.00
एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी)–II	0.00	व्यवसाय योजना में प्रस्तुत नहीं की गई है	41.56	व्यवसाय योजना में प्रस्तुत नहीं की गई है
योग	**325.42**	**378.63**	**359.71**	**331.71**

4.69 जैसा कि उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसकी याचिका में एनडी (नार्मल डेवलपमेंट), एसटी–एन (सबट्रांसमिशन–नार्मल) तथा पीएसआई (पावर सिस्टम

इम्प्रूवमेंट) योजनाओं में निम्न राशि के पूंजीगत निवेश प्रक्षेपित किये गये हैं। ये योजनाएं अनुज्ञप्तिधारी के आन्तरिक संसाधनों से वित्त–पोषित किया जाना प्रस्तावित है। अतः आयोग को निम्न पूंजीगत व्यय स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि अनुज्ञप्तिधारी उसके प्रचालनों द्वारा अधिक संसाधनों से उपलब्धता का पूर्वानुमान लगाने की सर्वोत्तम स्थिति में है। यहां यह भी स्पष्ट है कि अनुज्ञप्तिधारी ने एपीडीआरपी के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 08 बनाम व्यवसाय योजना में प्रक्षेपित पूंजी निवेश की राशि रूपये14.32 करोड़ (80.19+15.55–81.42) अधिक प्रक्षेपित की है। व्यवसाय योजना की योजनाओं के अतिरिक्त, अनुज्ञप्तिधारी ने एडीबी–II योजना के अंतर्गत निवेश प्रस्तावित किया है। अनुज्ञप्तिधारी ने आयोग को एडीबी–II योजना संबंधी विवरण प्रस्तुत किया है जिस पर आयोग स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है।

4.70 आयोग अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पूंजी निवेश को निर्बन्धित करने की मंशा नहीं रखता है, अतः अनुज्ञप्तिधारी को उसकी निवेश योजना के अनुसार निवेश करने की अनुमति प्रदान करता है। अनुज्ञप्तिधारी वित्तीय वर्ष 08 के दौरान नवीन योजनाएं प्रारंभ करने के लिये स्वतंत्र होगा जिनका अभी तक प्रावधान नहीं किया गया है, बशर्ते वह आयोग की केपैक्स गाईडलाईंस की अर्हतानुसार योजना हेतु आयोग का अनुमोदन प्राप्त करे।

4.71 वित्तीय वर्ष 08 हेतु, समग्र राजस्व आवश्यकता के अवधारण के संबंध में पूंजीगत निवेश की भूमिका उन्हीं कार्यों तक सीमित होगी जिन्हें वित्तीय वर्ष 07 तथा वित्तीय वर्ष 08 में पूर्ण कर प्रारंभ (कमीशन) किये जाने की योजना है। वित्तीय वर्ष 05–06 के अन्त की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्तियां, अनुज्ञप्तिधारी के अंकेक्षित लेखे से प्राप्त की जा सकती है जिसमें कि वित्तीय वर्ष 07 तथा वर्ष 08 में आगे किया गया पूंजीकरण जुड़ जावेगा। वित्तीय वर्ष 07 तथा 08 हेतु अवमूल्यन तथा ब्याज प्रभार पूंजीकरण की सीमा के अनुसार प्रभावित होते हैं। अतः वित्तीय वर्ष 06–07 के दौरान अनुज्ञप्तिधारी के मुख्य कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु उसके अभी तक के प्रदर्शन पर विचार किया जाना आवश्यक है। इसे निम्न तालिका में प्रस्तुत किया गया है :

तालिका 142 : वित्तीय वर्ष 06–07 में मुख्य कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु अनुज्ञप्तिधारी की प्रगति

(राशि करोड़ रूपये में)

योजना	वित्तीय वर्ष 07 व्यवसाय योजना में अनुमोदन के अनुसार	वित्तीय वर्ष 07 के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदन दिनांक 31.10.2006 तक एडीबी तथा एपीडीआरपी योजनाओं हेतु तथा 30.9.06 तक अन्य योजनाओं हेतु
एन.डी. (नार्मल डेवलपमेंट)	38.22	3.31
जे.बी.आई.सी. (जापान बैंक फार इंटरनेशनल कोआपरेशन)	30.70	00.00
एस.टी.(एन) (सबट्रांसमिशन–नार्मल)	44.62	00.00
पी.एस.आई. (पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट)	3.68	प्रस्तुत नहीं की गई
ए.पी.डी.आर.पी. (एक्सेलेरिडिट पावर डेवलपमेंट रिफार्म प्रोग्राम)	81.42	15.59
ए.डी.बी.–(एशियन डेवलपमेंट बैंक)	59.52	17.43
आर.जी.जी.वी.वाई. (राजीव गांधी ग्रामीणी विद्युतीकरण योजना)	120.28	00.00
पीएमजीवाई	0.17	00.00
एडीबी–II	00.00	00.00
योग	**378.63**	**36.33**

4.72 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रारंभिक 7 माह की अवधि में वित्तीय प्रगति लगभग 10% है। वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उक्त अविध बाबत निष्पादित प्रगति, प्रक्षेपित संख्या की तुलना में, निम्न तालिका में दर्शाई गई है :

तालिका 143 : वित्तीय वर्ष 06–07 में मुख्य कार्यों को पूर्ण किये जाने के संबंध में भौतिक प्रगति

विवरण	वित्तीय वर्ष, 07 में दायर की गई याचिका के अनुसार	दिनांक 30.09. 2006 तक की प्रगति	प्रगति प्रतिशत में
33 केवी लाईन (सर्किट किलोमीटर में)	368.5	42.23	11.50
11 केवी लाईन (सर्किट किलोमीटर में)	4687.0	66.89	14.27
निम्न दाब लाईन (सर्किट किलोमीटर में)	1100.00	2.90	0.30
33/11 केवी उपकेन्द्र (संख्या)	29	7	24
पावर ट्रांसफार्मर – संख्या/एमवीए	30/94.5	7/प्रस्तुत नहीं की गई	23/प्रस्तुत नहीं की गई
वितरण ट्रांसफार्मर–संख्या/एमवीए	8788/553.6	577/प्रस्तुत नहीं की गई	7/प्रस्तुत नहीं की गई

4.73 उपरोक्त दर्शाई गई प्रगति की अद्यतन स्थिति स्पष्ट दर्शाती है कि अनुज्ञप्तिधारी आयोग द्वारा अनुमोदित वित्तीय वर्ष 07 हेतु व्यावसायिक योजना के भाग के रूप में पूंजीगत व्यय के संबंध में उल्लेखनीय रूप से पीछे रह गया है। यदि शेष बचे 5 माह हेतु, विद्यमान प्रगति की आनुपातिक गणना भी कर दी जावे, फिर भी उपलब्धियां लक्ष्यों से काफी कम रहेंगी। इसके अतिरिक्त, अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक कार्य के संबंध में वास्तविक कार्य पूर्ण किये जाने संबंधी प्रतिवेदन (कम्पलीशन रिपोर्ट) उपरोक्त दर्शाई गई प्रगति को प्रमाणित करने में असमर्थ रहा है। अतः यह स्पष्ट नहीं है कि वित्तीय वर्ष 07 में अब तक पूर्ण किये गये कार्यों को निर्माणाधीन मुख्य कार्यों से स्थाई परिसम्पत्तियों में अन्तरित किया गया है अथवा नहीं।

4.74 वित्तीय वर्ष 06 हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग को प्रदाय किये अंकेक्षित लेखे वित्तीय वर्ष 06 के अंत में सकल स्थाई परिसम्पत्तियों का मूल्य रू.1303.08 करोड़ दर्शाते हैं जबकि दिनांक 31 मई 05 को अधिसूचित आय–व्यय विवरण–पत्र के अनुसार सकल स्थाई परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन केवल रूपये 1281.00 करोड़ दर्शाया गया है। अतः 01 जून 05 से 31 मार्च 06 के दस माह के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्ति में केवल रू.22.08 करोड़ की वृद्धि दर्ज हुई है। वित्तीय वर्ष 07 हेतु तथा आगे वित्तीय वर्ष 08 हेतु संभावित पूंजीकरण की राशि के अवधारण के प्रयोजन हेतु, आयोग ने अनुज्ञप्तिधारी से वित्तीय वर्ष 06 हेतु बजट में प्रावधान किये पूंजीकरण के बारे में जानकारी चाही गई थी परन्तु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसे आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया है।

4.75 वित्तीय वर्ष 06 के दौरान प्रदत्त अल्प पूंजीकरण दर तथा वित्तीय वर्ष 07 के दौरान लक्ष्यों के विरूद्ध अल्प प्रगति को दृष्टिगत रखते हुए, आयोग का विचार है कि उपभोक्ता के हित में वित्तीय वर्ष 07 तथा वित्तीय वर्ष 08 में सकल स्थाई परिसम्पत्तियों में किसी वृद्धि पर, वित्तीय वर्ष 08 के टैरिफ अवधारण हेतु, विचार किया जाना उचित न होगा। अंकेक्षित लेख के समर्थन से, वित्तीय वर्ष 07 के दौरान वास्तविक वृद्धि, पर वित्तीय वर्ष 09 के टैरिफ अवधारण के समय विचार किया जावेगा। इससे अनुज्ञप्तिधारी को प्रोत्साहन प्राप्त होने की संभावना है जिससे लंबित मुख्य कार्यों को पूर्ण किये जाने, परियोजना के कार्य पूर्ण प्रतिवेदनों (कम्पलीशन रिपोर्ट) को संधारित करने तथा आयोग को इन्हें समयबद्ध रूप से इसकी प्रस्तुति सुनिश्चित करने में गति प्राप्त होगी।

4.76 आयोग इस बात पर जोर देने का इच्छुक है कि वह विद्युत वितरण क्षेत्र में सकेन्द्रित निवेश किये जाने हेतु, बहुत अधिक पक्ष में है। आयोग के मत में राज्य में विद्युत वितरण नेट वर्क में सुधार लाये जाने हेतु भारी पूंजी निवेश किये जाने की त्वरित आवश्यकता है। राष्ट्रीय विद्युत नीति के साथ–साथ राष्ट्रीय टैरिफ नीति में भी विद्युत वितरण नेटवर्क में प्राथमिकता के आधार पर पूंजी निवेश किये जाने की आवश्यकता प्रतिपादित की गई है। एशियन डेवलपमेंट बैंक तथा पावर फायनेंस कार्पोरेशन आदि से वित्तीय पोषित एक्सेलेरेटिड पावर डेवलपमेंट एण्ड रिफार्म प्रोग्राम (एपीडीआरपी) तथा अन्य योजनाओं के माध्यम से इस दिशा में बड़ी पहल की जा सकती है। दुर्भाग्य से, प्राथमिकता के आधार पर ध्यान प्राप्त किये जाने के बावजूद, वितरण कंपनी की इस संबंध में प्रगति काफी निराशाजनक रही है तथा योजनाओं का क्रियान्वयन निर्धारित समय में पूरा किये जाने के संबंध में पर्याप्त रूचि का अभाव प्रतीत होता है। जबकि यह स्थिति निरंतर उच्च वितरण हानियों की ओर अग्रसर हो रही है, इसी समय आयोग टैरिफ हेतु केवल उन्हीं निवेशों को अनुज्ञेय किये जाने बाबत ऐसा दृष्टिकोण अपनाये जाने हेतु विवश है जहां पर वितरण कंपनियों ने वास्तविक रूप से उनकी प्रस्तुतियों द्वारा इसका प्रदर्शन किया है। ऐसे समय में, सकल स्थाई परिसम्पत्तियां जैसी कि ये वित्तीय वर्ष 05–06 हेतु अनुज्ञप्तिधारी के अंकेक्षित लेखे में प्रतिबिंबित की गई है, ही आयोग के पास केवल अभिलेखित तथा सत्यापित जानकारी है जो कि अनुज्ञप्तिधारी के परिसम्पत्ति के आधार को प्रदर्शित करती है। अतः आयोग वित्तीय वर्ष 08 हेतु, अवमूल्यन तथा ब्याज प्रभार को जैसे कि वे वित्तीय वर्ष 05–06 के अंत में केवल सकल स्थाई सम्पत्ति पर हों, को अनुज्ञेय करेगा।

प्रचालन तथा संधारण लागतें

अनुज्ञप्तिधारी की प्रस्तुति

4.77 अनुज्ञप्तिधारी ने आयोग द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत वितरण खुदरा व्यापार के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्ते तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत) विनियम, 2006 में विनिर्दिष्ट किये गये प्रचालन तथा संधारण व्ययों के संबंध में मानदण्डीय आधार पर अपना दावा प्रस्तुत किया है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रचालन एवं संधारण व्ययों के अवधारकों (Determinants) की वित्तीय वर्ष 07 तथा वित्तीय वर्ष 08 के अन्तिम शेष के औसत के रूप में माना है। वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुज्ञप्तिधारी का दावा निम्नानुसार हैः

तालिका 144 : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत किये गये दावे के अनुसार प्रचालन तथा संधारण व्यय

(राशि करोड़ रूपये में)

	प्रचालन तथा संधारण प्रभार	**वित्तीय वर्ष 08**
ए	मीटरीकृत उपभोक्ता	1978449
	गुणांक (मल्टीप्लाईंग फेक्टर)–ए (लाख रूपये/'000 उपभोक्ता)	6.50
	प्रचालन एवं संधारण अनुसार प्रभार – ए (लाख रूपये में)	**12859.92**
बी	वर्ष के दौरान अतिरिक्त पूर्व–भुगतान (प्रिपेड) स्थापित किये जाने वाले मीटरों की संख्या	0.00
	गुणांक – बी (लाख रूपये प्रति मीटर)	0.50
	प्रचालन एवं संधारण प्रभार – बी (लाख रूपये में)	**0.00**
सी	मीटरीकृत विक्रय (मिलियन यूनिट में)	6128

	गुणांक – सी (लाख रूपये प्रति मिलियन यूनिट में)	2.35
	प्रचालन एवं संधारण प्रभार – सी (लाख रूपये में)	**14400.45**
डी	उच्च दाब नेटवर्क की लम्बाई (सर्किट किलोमीटर में)	72934
	गुणांक – डी (लाख रूपये/'00 सर्किट किलोमीटर में)	16.00
	प्रचालन एवं संधारण प्रभार – डी (लाख रूपये में)	**11669.38**
ई	**ट्रांसफार्मेशन क्षमता (एमवीए में)**	**4153**
	गुणांक – ई (लाख रूपये प्रति एमवीए)	1.53
	प्रचालन एवं संधारण प्रभार – ई (लाख रूपये में)	**6354.24**
एफ	**मदें जो सूत्रों के अन्तर्गत नहीं आतीं* (अर्थात्, मप्रविनिआ अनुज्ञप्ति शुल्क (लायसेंस फी), टेक्स आदि (करोड़ रूपये में)**	64.20
	दावा किये गये कुल प्रचालन एवं संधारण प्रभार (ए+बी+सी+डी+ई+एफ)	**517.04**

*रू.63.62 की टर्मिनल प्रसुविधाओं की राशि सम्मिलित

प्रचालन एवं संधारण लागत हेतु आयोग का विश्लेषण

4.78 परिसम्पत्ति पूंजीकरण बाबत भाग में, आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 08 के टैरिफ अवधारण हेतु, वित्तीय वर्ष 07 तथा वित्तीय वर्ष 08 के दौरान किसी परिसम्पत्ति को जोड़े जाने पर विचार न किये जाने के कारणों की व्याख्या की है। तथापि, अनुज्ञप्तिधारी को उसकी परिसम्पत्ति पूंजीकरण दर में सुधार लाये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है, परन्तु अनुज्ञप्तिधारी को इसके लाभ केवल आगामी टैरिफ वर्षों में सत्यापन याचिकाओं पर विचारोपरांत ही उपलब्ध कराये जावेंगे। आयोग इसे उपभोक्ताओं के सर्वश्रेष्ठ हितों में उचित मानता है क्योंकि इसके कारण उपभोक्ता को, परिसम्पत्ति आधार में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सर्वश्रेष्ठ अनुपालन किये जाने द्वारा, जिसकी कार्यान्वित होने या न होने की अनुज्ञेय सीमा तक संभावना है, भविष्य में की जाने वाली अभिवृद्धि हेतु टैरिफ दर के माध्यम से भुगतान न करना होगा। अतः, आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 08 हेतु मानदण्डीय प्रचालन तथा संधारण व्यय केवल उच्च दाब लाईनों के सर्किट किलोमीटर हेतु, तथा दिनांक 31 मार्च, 2006 की स्थिति में विद्यमान ट्रांसफार्मेशन क्षमता पर ही अवधारित किये हैं। ये आंकड़े अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग को प्रदान किये गये हैं।

4.79 पूर्व उल्लेख परिच्छेदों में चर्चित की गई आयोग की प्रक्रिया की अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्थापित की गई लाइनों तथा ट्रांसफार्मरों द्वारा और अधिक संपुष्टि होती है। इसे निम्न तालिका में प्रस्तुत किया गया है :

तालिका 145 : नेटवर्क परिसम्पत्तियों की स्थापना के संबंध में अनुज्ञप्तिधारी का पूर्व प्रदर्शन

विवरण	माह मार्च 03 की स्थिति में	वित्तीय वर्ष 03–04 के दौरान की गई अभिवृद्धि	वित्तीय वर्ष 04–05 के दौरान की गई अभिवृद्धि	वित्तीय वर्ष 05–06 के दौरान की गई अभिवृद्धि	वित्तीय वर्ष 06–07 के दौरान अभिवृद्धि का दावा	वित्तीय वर्ष 07–08 के दौरान अभिवृद्धि का दावा
उच्च दाब लाईन (सर्किट किलोमीटर में)	61021	444	1368	421	5182	4503
पावर ट्रांसफार्मर– एमवीए क्षमता	3005	220	316	249	536	204

4.80 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वित्तीय वर्ष 07 तथा वित्तीय वर्ष 08 हेतु प्राक्कलित की गई लाईनों तथा ट्रांसफार्मेशन क्षमता में वृद्धि पूर्व वर्ष में इन्हें वास्तविक रूप से जोड़े गये के अनुरूप नहीं है। वास्तव में, वित्तीय वर्ष के दौरान अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कार्य पूर्ण किये जाने संबंधी प्रगति की प्रस्तुति से यह स्पष्ट है कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रक्षेपित किये गये आंकड़े काफी अधिक बढ़ा–चढ़ा कर अभिव्यक्त किये गये हैं। इसे निम्न तालिका में प्रस्तुत किया गया है :

तालिका 146 : वित्तीय वर्ष 06–07 में अनुज्ञप्तिधारी की नेटवर्क की परिसम्पत्तियों के सृजन संबंधी प्रगति

विवरण	वित्तीय वर्ष 07 में समग्र राजस्व आवश्यकता में दावा की गई नेटवर्क अभिवृद्धि	कंपनी द्वारा संचालित समस्त योजनाओं में दिनांक 31.10.2006 तक की वास्तविक प्रगति	प्रगति प्रतिशत में
33 केवी लाईन (सर्किट किलोमीटर में)	5182	109	**2.10%**
पावर ट्रांसफार्मर एमवीए क्षमता	525	प्रस्तुत नहीं की गई	

4.81 मानदण्डीय प्रचालन तथा संधारण व्ययों के दो अन्य अवधारकों (determinants) यथा, मीटरीकृत उपभोक्ताओं तथा मीटरीकृत विक्रयों के संबंध में आयोग द्वारा सुसंगति संधारित किये जाने की दृष्टि से, वित्तीय वर्ष 08 के अवधारण हेतु समरूप मार्ग अपनाया है ; अर्थात्, ये मानदण्ड वित्तीय वर्ष 06 के अन्त के अनुरूप रखे गये हैं तथा वित्तीय वर्ष 07 एवं वित्तीय वर्ष 08 के दौरान प्रचालन एवं संधारण लागत के अवधारण के प्रयोजन से किसी प्रकार की वृद्धियों पर विचार नहीं किया गया है। ये आंकड़े अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग को भी प्रदान किये गये थे।

4.82 आयोग, तथापि, यहां पर यह जोर देना चाहता है कि यद्यपि वित्तीय वर्ष 08 की समग्र राजस्व आवश्यकता के अवधारण के प्रयोजन से, मानदण्डीय संचालन एवं संधारण व्ययों के अवधारक केवल वित्तीय वर्ष 06 के अन्त की भांति माने गये हैं, वित्तीय वर्ष 08 के अन्त में मानदण्डीय व्ययों की पुर्नगणना वित्तीय वर्ष 07 की वास्तविक अभिवृद्धियों के आधार पर की जावेगी। वित्तीय वर्ष 2007–08 के सत्यापन के समय समायोजन पर विचार किया जावेगा।

4.83 उपरोक्त तर्कों के आधार पर, आयोग द्वारा अनुज्ञेय किये गये मानदण्डीय प्रचालन तथा संधारण व्यय जिनकी वसूली वित्तीय वर्ष 08 हेतु टैरिफ दरों के माध्यम से किया जाना है, निम्नानुसार हैं :

तालिका 147 : आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुमोदित किये गये प्रचालन एवं संधारण व्यय

राशि करोड़ रूपये में

	प्रचालन तथा संधारण व्यय	वित्तीय वर्ष 08
ए	मीटरीकृत उपभोक्ता	1446670
	गुणांक (मल्टीप्लाईंग फेक्टर)–ए (लाख रूपये/'000 उपभोक्ता)	6.50
	प्रचालन एवं संधारण प्रभार – ए (लाख रूपये में)	**9403.36**
बी	मीटरीकृत विक्रय (मिलियन यूनिट में)	3689

	गुणांक – सी (लाख रूपये प्रति मिलियन यूनिट में)	2.35
	प्रचालन एवं संधारण – सी (लाख रूपये में)	**8669.15**
सी	उच्च दाब नेटवर्क की लम्बाई (सर्किट किलोमीटर में)	63249
	गुणांक–डी (लाख रूपये/'00 सर्किट किलोमीटर)	16.00
	प्रचालन एवं संधारण अनुसार प्रभार – डी (लाख रूपये में)	**10119.82**
डी	ट्रांसफार्मेशन क्षमता (एमवीए में)	3415
	गुणांक – ई (लाख रूपये प्रति एमवीए में)	1.53
	प्रचालन एवं संधारण अनुसार प्रभार – ई (लाख रूपये में)	**5224.95**
ई	**मदें जो सूत्रों के अंतर्गत नहीं आती (अर्थात् मप्रविनिआ अनुज्ञप्ति शुल्क (लायसेंस फी) टैक्स आदि (करोड़ रूपये में)**	**0.59**
	दावा किये गये कुल प्रचालन एवं संधारण प्रभार (ए+बी+सी+डी+ई+एफ)	**334.76**

4.84 आयोग के विनियमों में प्रावधान किया गया है कि टर्मिनल सुविधायें प्रचालन तथा संधारण व्ययों की मानदण्डीय राशि से अधिक प्रदान किया जाना चाहिए। वर्तमान में पेंशन न्यास के अभाव में मप्र शासन के आदेश दिनांक 31 मई, 2005 के अनुसार टर्मिनल प्रसुविधाओं के भुगतान द्वारा सम्पादित किया जा रहा है, अतः अनुज्ञप्तिधारी हेतु टर्मिनल प्रसुविधाओं के संबंध में किसी प्रकार का पृथक प्रावधान नहीं किया गया है।

अवमूल्यन

अनुज्ञप्तिधारी की प्रस्तुति :

4.85 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निवेदन किया गया है कि उसे रू.1281 करोड़ रूपये की सकल स्थाई परिसम्पत्तियां उत्तराधिकार में प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र (Opening Balance Sheet) के अनुसार प्राप्त हुई हैं जो कि मध्यप्रदेश शासन की किसी पश्चात्वर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तनीय हैं। उनके द्वारा यह भी दावा किया गया है कि वित्तीय वर्ष 06 में, सकल स्थाई परिसम्पत्तियों में रूपये 20.32 करोड़ के रूप में अभिवृद्धि हुई है तथा दिनांक 31 मार्च, 2006 की स्थिति में संचित अवमूल्यन की राशि प्रावधिक आय–व्यय विवरण–पत्र के अनुसार रू.881. 75 करोड़ है।

4.86 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निवेदन किया गया है कि सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के अधिसूचित प्रारंभिक शेष को अवमूल्यित तथा अवमूल्यन योग्य परिसम्पत्तियों में विभाजन के अभ्यास की पहल समस्त क्षेत्रीय लेखा इकाईयों (आर.ए.यू.) स्तर पर की जा रही है तथा अनुज्ञप्तिधारी इस जानकारी को प्रदान करने की स्थिति में होगा, यदि इसकी आवश्यकता हुई। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा याचिका की प्रस्तुति के उपरांत प्रस्तुत अनुपूरक जानकारी में अवमूल्यन योग्य परिसम्पत्तियों का प्रतिशत दर्शाया गया है। इसके साथ ही, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तत्पश्चात् परिवर्धित परिसम्पत्तियों पर अवमूल्यन की गणना प्रत्येक वर्ष हेतु प्रक्षेपित पूंजीकरण के आधार पर की गई है जैसा कि इस आदेश के पूंजीगत व्यय भाग में प्रस्तुत किया गया है। प्रत्येक वर्ष हेतु कुल प्रक्षेपित पूंजीकरण को अनुज्ञप्तिधारी के वित्तीय वर्ष 06 के प्रावधिक लेखे के अनुसार उपलब्ध विभाजन के आधार पर विभिन्न परिसम्पत्ति श्रेणियों में वितरित किया गया है। अवमूल्यन का दावा (भारत सरकार) विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एस.ओ.265 (ई) दिनांक 27 मार्च, 1994 के आधार पर किया गया है।

4.87 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा एक वर्ष हेतु अवमूल्यन का दावा सकल स्थाई सम्पत्तियो के प्रारंभिक शेष पर उक्त वर्ष हेतु किया गया है तथा उक्त वर्ष में जोड़ी गई परिसम्पत्तियों पर किसी

अवमूल्यन का दावा नहीं किया गया है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्तीय वर्ष 07 तथा वित्तीय वर्ष 08 हेतु किये गये अवमूल्यन का दावा निम्नानुसार है :

तालिका 148 : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया गया अवमूल्यन का दावा

(राशि करोड़ रूपये में)

परिसम्पत्ति वर्ग (क्लास)	**वित्तीय वर्ष 07**	**वित्तीय वर्ष 08**
भूमि तथा भूमि अधिकार	0.00	0.00
भवन तथा सिविल कार्य	0.50	0.06
द्रव्य संबंधी कार्य (हायड्रॉलिक वर्कस)	0.00	0.09
अन्य सिविल कार्य	0.03	0.04
संयंत्र तथा मशीनरी :–		
ट्रांसफार्मर	*33.35*	*34.42*
बैटरियां	*0.02*	*0.66*
संसूचना उपकरण	*0.06*	*0.62*
अन्य	*0.00*	*2.86*
लाईन तथा केबल नेटवर्क, आदि :		
मीटर	*26.29*	*29.78*
अन्य	*47.97*	*54.54*
वाहन	0.00	1.27
फर्नीचर तथा फिक्सचर्स	0.17	0.19
अन्य उपकरण	0.34	0.42
अन्य कोई मदें	0.00	0.00
योग	**108.93**	**124.95***

* याचिका में एक गणना में सुधार किया गया है।

4.88 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधियों हेतु अवमूल्यन की गणना पृथक से नहीं की गई है तथा उसके द्वारा समस्त अवमूल्यन का दावा केवल चक्रण व्यापार हेतु ही किया गया है।

अवमूल्यन के दावों के संबंध में आयोग का विश्लेषण :

4.89 आयोग द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के अवमूल्यन संबंधी दावों का विश्लेषण किया गया तथा उसे यह जानकर निराशा हुई है कि अन्य दो वितरण कंपनियों की भांति, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिनांक 31 मई, 2005 की स्थिति में प्रारंभिक तौर पर अवमूल्यन–योग्य परिसम्पत्तियों का प्रारंभिक शेष आयोग को प्रदान नहीं किया गया है। आयोग द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को निर्देशित किये जाने पर उसके द्वारा नीचे दर्शाई गई तालिका के अनुसार इसे प्रस्तुत किया गया है। अनुज्ञेय योग्य अवमूल्यन की गणना हेतु, आयोग द्वारा अवमूल्यन योग्य परिसम्पत्तियों के प्रतिशत का प्रयोग किया है, जैसा कि इसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 149 : अवमूल्यन योग्य परिसम्पत्तियों का प्रतिशत जैसा कि इसे आयोग द्वारा प्रयोग किया गया

परिसम्पत्ति वर्ग (क्लास)	दिनांक 31 मई 2005 की स्थिति में अवमूल्यन योग्य प्रतिशत
भूमि तथा भूमि अधिकार	0%
भवन तथा सिविल कार्य	0%
द्रव्य संबंधी कार्य (हायड्रॉलिक वर्क्स)	0%
अन्य सिविल कार्य	0%
संयंत्र तथा मशीनरी :–	
ट्रांसफार्मर	*41%*
बैटरियां	*18%*
स्विच गियर, नियंत्रण तथा सुरक्षा	*48%*
अन्य	*48%*
लाईनें तथा केबल नेटवर्क, आदि :	
मीटर	*69%*
अन्य	*46%*
वाहन	99%
फर्नीचर तथा फिक्सचर्स	78%
अन्य उपकरण	54%
अन्य कोई मदें	0%

4.90 तथापि, दिनांक 31 मई, 2005 की स्थिति में अवमूल्यन योग्य तथा पूर्ण रूपेण अवमूल्यित परिसम्पत्तियां जैसी कि इनकी गणना अनुज्ञप्तिधारी द्वारा की गई है, अधिसूचित प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र के अनुसार संचित अवमूल्यन से मेल नहीं खातीं। यदि इस आंकड़े का उपयोग किया भी जाता है, तो यह प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र से विरोधाभासी होगा।

4.91 वित्तीय वर्ष 06 हेतु, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा रू. 20.32 करोड़ के परिसम्पत्ति परिवर्धन का दावा किया गया है, तथापि, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत अंकेक्षित आय–व्यय विवरण–पत्र के अनुसार यह वृद्धि रूपये 8.76 करोड़ ही है। लेखे उपभोक्ता अंशदान की रू. 5.44 करोड़ की राशि पूंजीगत परिसम्पत्तियों की लागत हेतु भी दर्शाते हैं।

4.92 आयोग द्वारा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किये गये प्रक्षेपणों पर विचार न किये जाने हेतु काफी विस्तारपूर्वक इसका अध्ययन किया है तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि ये काफी अतिरंजित (inflated) प्रतीत होते हैं तथा पूर्व की प्रवृत्ति के अनुरूप नहीं हैं। पूर्व में, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राप्त दोनों भौतिक तथा वित्तीय परिसम्पत्ति पूंजीकरण अत्यंत न्यून रहे हैं। वित्तीय वर्ष 07 हेतु भी, इनके सही होने की पूर्ण संभावना है। परिसम्पत्ति पूंजीकरण संबंधी विषय पर, इस आदेश के परिसम्पत्ति पूंजीकरण संबंधी भाग में काफी विस्तार से चर्चा की गई है। यदि वित्तीय वर्ष 08 के दौरान परिसम्पत्ति में वृद्धि के प्रक्षेपण हेतु इसी दर का प्रयोग किया जाता है तो यह वृद्धि पर्याप्त होने की संभावना नहीं है। परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 08 हेतु अवमूल्यन में वित्तीय वर्ष 06 हेतु प्राप्त किये गये अवमूल्यन से विशेष अन्तर होने की संभावना नहीं है। अतः वित्तीय वर्ष 08 हेतु, आयोग द्वारा अवमूल्यन की गणना दिनांक 31 मार्च, 2006 की स्थिति में

विद्यमान परिसम्पत्तियों के अन्तिम शेष पर की है तथा किसी भी प्रकार की प्रक्षेपित परिसम्पत्ति वृद्धियों पर विचार नहीं किया गया है। आयोग अनुज्ञेय राशि का सत्यापन वित्तीय वर्ष 08 के अंकेक्षित आय–व्यय विवरण–पत्र के उपलब्ध होने पर करेगा बशर्ते वित्तीय वर्ष 07 तथा वित्तीय वर्ष 08 में परिसम्पत्तियों का पूंजीकरण आयोग द्वारा संरचित केपैक्स गाईड लाईन्स के अनुसार आयोग द्वारा अनुमोदित योजनाओं का एक भाग बने।

4.93 प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्ति तथा इसका विभिन्न परिसम्पत्ति वर्गों में विभाजन, जिस पर आयोग द्वारा अवमूल्यन की गणना के प्रयोजन से विचार किया गया है, निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 150 : दिनांक 31 मार्च, 2006 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्ति का विभिन्न परिसम्पत्ति वर्गो में विभाजन

(राशि करोड़ रूपये में)

परिसम्पत्ति वर्ग (क्लास)	दिनांक 31 मई 2005 की स्थिति में अवमूल्यन योग्य प्रतिशत
भूमि तथा भूमि अधिकार	3.77
भवन तथा सिविल कार्य	16.53
द्रव्य संबंधी कार्य (हायड्रॉलिक वर्क्स)	1.15
अन्य सिविल कार्य	0.88
संयंत्र तथा मशीनरी :–	
ट्रांसफार्मर	*416.21*
बैटरियां	*0.30*
संसूचना उपकरण	*0.72*
अन्य	*21.52*
लाईनें तथा केबल नेटवर्क, आदि :	
मीटर	*206.13*
अन्य	*612.66*
वाहन	3.34
फर्नीचर तथा फिक्सचर्स	1.31
अन्य उपकरण	2.65
अन्य कोई मदें	2.59
योग	**1289.76**

4.94 धारा 61 के अंतर्गत आयोग के विनियम विनिर्दिष्ट करते हैं कि अवमूल्यन की गणना केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (केविनिआ) द्वारा अधिसूचित की गई दरों पर की जानी चाहिए। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्तीय वर्ष 07 हेतु प्रस्तुत उसकी याचिका में अवमूल्यन की गणना इन दरों के आधार पर की गई थी। तथापि उसके द्वारा प्रस्तुत की गई वर्तमान याचिका में, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्तीय वर्ष 07 से वित्तीय वर्ष 08 हेतु अवमूल्यन की गणना विद्युत मंत्रालय (MOP) दरों के आधार पर की थी तथा उसने आयोग को उसके द्वारा दावा की गई अवमूल्यन राशि अनुज्ञेय किये जाने का अनुरोध किया है। उच्चतर अवमूल्यन दरों संबंधी उसके दावे के अवलंबन की दृष्टि से (एमओपी दरें केविनिआ के द्वारा अनुमोदित दरों से अधिक हैं), अनुज्ञप्तिधारी द्वारा राष्ट्रीय टैरिफ नीति की धारा 5.3 (सी) का हवाला दिया गया है जिसमें कहा गया है कि वितरण हेतु नियामकों का फोरम (Forum of Regulators) अवमूल्यन दरों को विकसित करेगा। इसके अतिरिक्त, नीति में यह भी कहा गया है कि अधिसूचित दरें दोनों टैरिफ तथा लेखांकन हेतु प्रयोज्य होंगी। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यह भी इंगित किया गया है कि आईसीएआई द्वारा जारी ए.एस–6 ''डेपरिसियेशन अकाऊंटिंग'' के अनुसार यदि अवमूल्यन की विधि में कोई परिवर्तन किया जाता है तो परिवर्तित वर्ष से भूतलक्षी प्रभाव से अवमूल्यन की गणना किया जाना आवश्यक होगा।

4.95 राष्ट्रीय टैरिफ नीति में अनुशंसा की गई है कि नियामकों के फोरम (एफओआर) द्वारा विद्युत वितरण व्यापार हेतु उपयुक्त अवमूल्यन दरों को विकसित किया जावेगा। इस संबंध में आयोग फोरम रेगुलेटर्स (एफओआर) द्वारा राज्य विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों को संबोधित उनके संदर्भ क्रमांक 1/20(6)–2006–टैरिफ पालिसी/सीईआरसी दिनांक 23 जून 2006 को उद्धरित करना चाहता है जिसमें कहा गया है कि अवमूल्यन दरें जैसी कि वे केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (केविनिआ) द्वारा अवधारित की गई हैं, विद्युत वितरण व्यापारों को भी लागू होंगी। अतः आयोग अनुज्ञप्तिधारी के दावे को अमान्य करता है। अवमूल्यन की गणना केविनिआ की दरों के अनुसार की गई है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 5 दिसम्बर 2005 को विद्युत अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत जारी किये गये तत्कालीन विनियमों में भी केविनिआ की दरों के अनुरूप दरें निर्धारित की गई थीं।

4.96 आयोग द्वारा दिनांक 31 मई, 2005 को जारी अन्तरण योजना के एक भाग के रूप में अधिसूचित परिसम्पत्तियों पर अवमूल्यन की गणना तथा वित्तीय वर्ष 06 हेतु जोड़ी गई परिसम्पत्तियों हेतु इसकी गणना पृथक–पृथक की गई है। दिनांक 1 जून, 2005 की स्थिति में, अधिसूचित विद्यमान परिसम्पत्तियों हेतु आयोग द्वारा ऐसी परिसंपत्ति श्रेणी हेतु अवमूल्यन उस सीमा तक प्रदान किया गया है जिससे कि प्रत्येक वर्ष में दिनांक 31 मार्च की स्थिति में संचित अवमूल्यन की राशि इसके अर्जन की ऐतिहासिक लागत के 90 प्रतिशत से अधिक न होगी।

4.97 उपरोक्त की गई चर्चा के आधार पर, वित्तीय वर्ष 08 हेतु आयोग द्वारा अनुज्ञेय अवमूल्यन निम्नानुसार दर्शाया गया है :

तालिका 151 : आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुज्ञेय किया गया अवमूल्यन

(राशि करोड़ रूपये में)

परिसम्पत्ति वर्ग (क्लास)	**वित्तीय वर्ष 08**
भूमि तथा भूमि अधिकार	0.00
भवन तथा सिविल कार्य	0.30
द्रव्य संबंधी कार्य (हायड्रॉलिक वर्क्स)	0.00
अन्य सिविल कार्य	0.02
संयंत्र तथा मशीनरी :–	
ट्रांसफार्मर	*14.98*
बैटरियां	*0.00*
संसूचना उपकरण	*0.00*
अन्य	*0.00*
लाईनें तथा केबल नेटवर्क, आदि :–	
मीटर	*12.37*
अन्य	*22.06*
वाहन	0.00
फर्नीचर तथा फिक्सचर्स	0.08
अन्य उपकरण	0.16
अन्य कोई मदें	0.00
योग	**49.96**

4.98 चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधियों के मध्य अनुज्ञेय अवमूल्यन के पृथक्करण के संबंध में, आयोग का दृष्टिकोण तथा अन्तिम निर्णय इस आदेश के सुसंगत भाग में सम्मिलित किया गया है।

ब्याज तथा वित्त प्रभार

अनुज्ञप्तिधारी की प्रस्तुति

4.99 ब्याज तथा वित्त प्रभारों में सम्मिलित हैं, दिनांक 31 मई 05 की स्थिति में प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र के अनुसार परियोजना विशिष्ट ऋणों पर ब्याज एवं वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत निवेश योजना के अनुसार नवीन ऋणों के आहरण, कार्यकारी पूंजीगत ऋणों पर ब्याज प्रभार तथा ऋण–प्रदायकर्ता संस्थाओं द्वारा वित्त एकत्रीकरण की लागत। वित्तीय वर्ष 08 के दौरान, नवीन पूंजीगत व्यय के संबंध में, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा एक समुपयुक्त (मैचिंग) वित्तीय योजना प्रस्तुत की है जिसमें ऋणों के आहरण, पूंजी अन्तःक्षेपण (इक्विटी इनफ्यूजन) तथा उपभोक्ता अंशदान सम्मिलित हैं।

4.100 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा एडीबी–I योजना का आंशिक वित्तीय पोषण 'अगठबंधित कोष (untied funds) के माध्यम से किया जाना दर्शाया गया है (अर्थात् यदि कोई वचनबद्ध निवेश उपलब्ध न हो)। इसके अतिरिक्त, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रक्षेपित किये गये ऋण आहरण वित्तीय वर्ष 08 हेतु शीर्ष ''पूंजीगत व्यय हेतु अन्य बाजार ऋणों का आहरण'' में भारी राशियां सम्मिलित किया जाना दर्शाते हैं। तथापि, अनुज्ञप्तिधारी की पूंजीगत व्यय योजना में इस कोष का प्रयोग सुस्पष्ट नहीं किया गया है।

4.101 वित्तीय वर्ष 08 हेतु, पूंजीगत व्यय योजना की संक्षेपिका जिस पर ब्याज की गणना हेतु विचार किया गया है, निम्न तालिका में दी गई है :

तालिका 152 : दायर की गई पूंजीगत व्यय योजना की संक्षेपिका

राशि करोड़ रूपये में

योजना	वित्तीय वर्ष 07	वित्तीय वर्ष 08
नार्मल डेवलपमेंट (सामान्य विकास) – एनडी	10.32	12.00
जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोआपरेशन (जेबीआईसी)	30.70	19.21
सब–ट्रांसमिशन–नार्मल (उप पारेषण–सामान्य) एसटी (एन)	19.32	21.00
पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट (पीएसआई)	3.69	0.00
एक्सेलेरेटिड पावर डेवलपमेंट एण्ड रिफार्म प्रोग्राम (एपीडीआरपी)	80.19	15.55
एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी)	59.52	0.00
आरजीजीवीवाई (राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना)	120.28	250.39
पीएमजीवाई (प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना)	1.40	0.00
एडीबी–II	0.00	41.56
योग	**325.42**	**359.71**

4.102 अनुज्ञप्तिधारी ने राज्य सरकार द्वारा दिनांक 31 मार्च 2005 को अधिसूचित अन्तरण योजना (ट्रांसफर स्कीम) में उसे आवंटित ऋणों पर ब्याज की गणना पृथक से की है। इन ऋणों के

प्रारंभिक तथा अन्तिम शेष का अवधारण प्रक्षेपित (प्रोजेक्टेड) अदायगी के समायोजन द्वारा किया गया है।

4.103 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा किया गया है कि उसे अधिसूचित आय–व्यय विवरण–पत्र (बैलेंस शीट), उसे आवंटित किये गये ऋणों की निबंधन तथा शर्तें [(जैसे कि ब्याज दर, अदायगी का निबंधन, तथा ऋण स्थगन अवधि (मोरेटोरियम पीरियड), आदि] तत्संबंधी ऋण अनुबधों तथा राज्य सरकार द्वारा दर्शाई गई शर्तों के अनुसार हैं। नवीन ऋणों की निबंधन तथा शर्तों पर विचार ऋण प्रदाय संस्था के साथ उसके द्वारा किये गये ऋण अनुबंध के अनुसार किया गया है। अगठबंधित कोष (अनटाईड फंड्स) के संबंध में, तथापि निबंधन एवं शर्तें अवधारित (assumed) की गई हैं। नवीन ऋणों हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विचार की गईं ब्याज लागत की गणना बाबत निबंधन तथा शर्तें निम्न तालिका में दी गई हैं :

तालिका 153 : दायर की गई याचिका के अनुसार ऋणों की निबंधन तथा शर्तें

स्त्रोत	ब्याज दर (प्रतिशत)	ऋण स्थगन अवधि	ऋण अदायगी अवधि (वर्षों में)
पावर फायनेंस कार्पोरेशन (पीएफसी) ऋण	9.25	2	8
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) ऋण	8.25	3	10
एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) ऋण	10.5	5	15
जापान बैंक फॉर इन्टरनेशनल कोआपरेशन (जेबीआईसी) ऋण	9.20	5	15
पूंजीगत व्यय (अगठबंधित) हेतु अन्य बाजार ऋणों की प्राप्ति	10.5	1	7

4.104 वित्तीय वर्ष 08 हेतु, प्रत्येक वित्त एवं बैंक प्रभारों के एकत्रीकरण हेतु लागत को इन ऋणों पर सकल ब्याज लागत के 2% की दर से प्रक्षेपित किया गया है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नवीन ऋणों हेतु किन्हीं वित्त प्रभारों को प्रक्षेपित नहीं किया गया है। इन अवधारणाओं हेतु कोई आधार भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रतिभूति निक्षेप (सेक्यूरिटी डिपाजिट) पर देय ब्याज की गणना कुल प्रतिभूति निक्षेप को प्रक्षेपित कर की गई है जिसकी कि अनुज्ञप्तिधारी को सुसंगत विनियम के अनुसार पात्रता है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कृषि उपभोक्ताओं हेतु, तीन माह की औसत मांग तथा अन्य उपभेक्ताओं हेतु, डेढ़ माह की औसत मांग हेतु प्रतिभूति निक्षेप पर विचार किया गया है तथा इस जमा राशि पर भुगतान योग्य ब्याज दर 6 प्रतिशत मानी गई है।

4.105 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, उसकी याचिका में, वित्तीय वर्ष 08 के दौरान विचारित किये गये समस्त ऋणों की ब्याज लागत के 40% की दर से ब्याज पूंजीकरण पर विचार किया गया है। पूंजीकृत किये गये व्यय के संबंध में, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसे सकल वार्षिक कर्मचारी तथा प्रशासनिक एवं सामान्य लागत का 4% माना गया है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसकी याचिका में इस अवधारणा बाबत कोई कारण नहीं दर्शाये गये हैं।

यहां पर यह बतलाया जाना आवश्यक है कि अनुज्ञप्तिधारी की वित्त प्रबंधन योजना, निर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी) तथा पूंजीकृत किये गये व्यय हेतु वित्तीय व्यवस्था का प्रावधान नहीं करती है। तथापि, राशियों के विश्लेषण से ऐसा प्रतीत होता है कि अबंधित वित्त (अनटाईड फंड्स) हेतु जैसा कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसे प्राक्कलित किया गया है, इन्हें निर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी) की वित्तीय व्यवस्था तथा पूंजीकृत किये गये व्यय में उपयोग किया जावेगा।

4.106 वितरण अनुज्ञप्तिधारी ने विद्यमान तथा नवीन ऋणों हेतु ब्याज लागत की गणना उपरोक्त दर्शाई गई निबंन्धन तथा शर्त के आधार पर की है। वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा की गई ब्याज लागत निम्न तालिका में दर्शाई गई है :

तालिका 154 : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा किये गये ब्याज तथा वित्त प्रभार

(राशि करोड़ रूपये में)

ब्याज तथा वित्त प्रभार (आईएफसी)	**वित्त वर्ष 07**	**वित्त वर्ष 08**
नवीन दीर्घ–अवधि ऋणों पर ब्याज तथा वित्त प्रभार		
पावर फायनेंस कार्पोरेशन (पीएफसी)	0.93	2.03
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी)	1.87	4.19
एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी)	2.19	5.90
जापान बैंक फार इन्टरनेशनल कोआपरेशन (जेबीआईसी)	1.17	3.08
विद्यमान दीर्घ अवधि ऋणों पर ब्याज तथा वित्त प्रभार		
पीएफसी	5.73	4.17
आरईसी	0	7.63
एडीबी	6.32	6.16
म.प्र. शासन–एक्सेलेरेटिड पावर डेवलपमेंट एण्ड रिफार्म प्रोग्राम (एपीडीआरपी)	4.39	3.78
मप्रराविमं से विद्यमान प्रजातीय (जनरिक) ऋणों पर ब्याज तथा वित्त प्रभार	34.77	30.34
राजस्व घाटे की पूर्ति हेतु बाजार से अन्य ऋण प्राप्तियां	0	0
कार्यकारी पूंजी हेतु बाजार से अन्य ऋणों की प्राप्तियां	8.75	7.41
पूंजीगत व्यय हेतु बाजार ऋणों की प्राप्ति (अगठबंधित)	6.40	13.95
अन्य ब्याज तथा वित्त प्रभार		
वित्त तथा बैंक प्रभारों के एकत्रीकरण की लागत	1.02	1.04
उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज	18.29	20.06
दाण्डिक ब्याज प्रभार	0	0
पट्टों का भाड़ा (लीज रेंटल्स)	0	0
विद्युत क्रय में विलंबित भुगतान हेतु दाण्डिक प्रभार	0	0
सकल ब्याज तथा वित्त प्रभार	**88.23**	**108.42**
घटायें : पूंजीकृत किये गये ब्याज तथा ऋण प्रभार	**25.92**	**32.90**
शुद्ध ब्याज तथा वित्त प्रभार	**62.31**	**75.52**

आयोग का विश्लेषण

4.107 दिनांक 26 अक्टूबर, 2006 को मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विद्युत वितरण तथा खुदरा व्यापार के टैरिफ अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें एवं प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत संबंधी विनियम केवल उन्हीं ऋणों के ब्याज प्रभारों को अनुज्ञेय

करते हैं जिन्हें कि समग्र राजस्व आवश्यकता के माध्यम से लिया गया है तथा जिनसे संबद्ध मुख्य कार्य पूर्ण कर उपयोग हेतु प्रारंभ किये जा चुके हैं।

4.108 आयोग द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को अर्द्ध–वार्षिक लेखे संधारित किये जाने तथा इन्हें अंकेक्षित करा आयोग को प्रस्तुत किये जाने संबंधी निर्देश दिये हैं। तथापि, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अभी तक केवल वार्षिक लेखे ही उपलब्ध कराये गये हैं। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग को उपलब्ध कराये गये अन्तिम लेखे वित्तीय वर्ष 05–06 से संबंधित है जबकि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 30 सितम्बर 06 को समाप्त होने वाली अर्द्ध–वार्षिकी अवधि हेतु लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। यद्यपि अनुज्ञप्तिधारी ने आयोग को मुख्य कार्यों को पूर्ण किये जाने संबंधी माह अक्टूबर 06 तक का प्रतिवेदन उपलब्ध कर दिया है परन्तु इससे यह स्थापित नहीं किया जा सका है कि पूर्ण किये गये कार्यों को पूंजीकृत किया गया है अथवा नहीं। अतएव, आयोग केवल वित्तीय वर्ष 05–06 के अन्तिम अंकेक्षित लेखे से उपलब्ध पूंजीकरण (सकल स्थाई परिसंपत्तियों) के बारे में ही अश्वस्त है। इसके अलावा, पूर्व में निर्माणाधीन कार्यों के पूंजीकरण के संबंध में अनुज्ञप्तिधारी का प्रदर्शन देखते हुए, वित्तीय वर्ष 07 तथा वित्तीय वर्ष 08 के दौरान परिसम्पत्ति में वृद्धि काफी न्यून है।

4.109 समस्त निर्माणाधीन कार्यों हेतु, ऐसे कार्यों हेतु ऋण के वित्त प्रबंधन से संबंधित ब्याज लागत को निर्माण के दौरान ब्याज (आई.डी.सी.) माना जाता है जिसे कि पूंजीकृत किया जावेगा तथा परिसम्पत्ति पूंजीकरण के समय इसे परियोजना लागत में जोड़ा जावेगा। ऐसी ब्याज लागत के संबंध में इसे समग्र राजस्व आवश्यकता के माध्यम से पास–थ्रू (Pass through) किये जाने पर विचार नहीं किया जाता है। इसके पीछे विचार यह है कि उपभोक्ता से केवल उन संपत्तियों की लागत से संबंधित ब्याज को वहन करने की अपेक्षा की जा सकती है जिनका कि उपभोक्ता उपयोग कर रहा है। निर्माणाधीन परिसम्पत्तियां उपभोक्ताओं के उपयोग की नहीं हैं तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्माण के अन्तर्गत वहन की गई ब्याज लागत निर्माणाधीन मुख्य कार्यों का एक भाग बन जाती है अतः इन्हें टैरिफ के माध्यम से वसूली हेतु अनुज्ञेय नहीं किया जा रहा है।

4.110 आयोग को यह जानकारी है कि अनुज्ञप्तिधारी कुछ मुख्य कार्य वित्तीय वर्ष 07 तथा वित्तीय वर्ष 08 के दौरान पूर्ण कर लेगा जिन्हें कि पूंजीकृत कर परिसम्पत्ति आधार में जोड़ दिया जावेगा। तथापि, जैसा कि पूंजीकरण संबंधी भाग में स्पष्ट किया गया है, अनुज्ञप्तिधारी का परिसम्पत्तियों के पूंजीकरण के संबंध में प्रदर्शन पूर्ण रूप से किये गये प्रक्षेपणों को नकारता है जो कि उसके द्वारा वित्तीय वर्ष 07 तथा वित्तीय वर्ष 08 के लिये किये गये हैं। अतः, आयोग वित्तीय वर्ष 07 तथा वित्तीय वर्ष 08 हेतु संभावित पूंजीकरण पर विचार करना बुद्धिमतापूर्ण नहीं मानता परंतु वह केवल उसी दशा में ऐसी परिसम्पत्तियों को आरोपणीय ब्याज व्ययों पर विचार करेगा जब ऐसी परिसम्पत्तियों को परिसम्पत्ति आधार में जोड़ दिया जावे। यह अनुज्ञप्तिधारी को, इस प्रकार से, कार्यों को पूर्ण किये जाने में गति लाये जाने तथा परिसम्पत्तियों को निर्माणाधीन मुख्य कार्यों से सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के त्वरित तथा दक्ष अन्तरण को सुनिश्चित किये जाने बाबत उसकी लेखांकन प्रक्रियाओं में गति लाये जाने को प्रोत्साहित करेगा। इसी के साथ–साथ, यह अनुज्ञप्तिधारी के लिये उसका अर्द्ध–वार्षिकी लेखा संधारित किये जाने तथा आयोग को इसकी प्रस्तुति किये जाने हेतु भी प्रोत्साहित करेगा।

4.111 अतः आयोग की वित्तीय वर्ष 08 हेतु, उसी मार्ग के अनुसरण में ही अभिरूचि है जो उसके द्वारा वित्तीय वर्ष 07 के टैरिफ आदेश में अपनाया गया था जिससे कि राजस्व लेखे को प्रभारणीय ब्याज के लागत की गणना की जा सके। इसमें ऋण तथा पूंजी (इक्विटी) का सकल स्थाई परिसम्पत्तियों तथा निर्माणाधीन मुख्य कार्यों में आवंटन सन्निहित है जैसा कि वह वित्तीय वर्ष 06 के अंकेक्षित आय–व्यय विवरण–पत्र से उपलब्ध है। इसे निम्न विधि द्वारा किया गया है :

(ए) वित्तीय वर्ष 05–06 के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के सकल योग की गणना कुल सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के योग से आय–व्यय विवरण–पत्र से उपलब्ध उपभोक्ता अंशदान राशि को घटा कर की जाती है।

(बी) वित्तीय वर्ष 05–06 के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्ति के 30 प्रतिशत का पोषण वित्तीय व्यवस्था पूंजी के माध्यम से तथा इसे 31 मई, 2005 की स्थिति में वित्तीय वर्ष 07 के टैरिफ आदेश अनुसार सकल स्थाई परिसम्पत्तियों को आवंटित पूंजी के साथ जोड़ कर विचार किया गया है।

(सी) सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के सकल जोड़ के शेष को ऋण के माध्यम से वित्तीय व्यवस्था द्वारा किया गया माना गया है तथा इसे 31 मई, 05 की स्थिति में वित्तीय वर्ष 07 के टैरिफ आदेश अनुसार सकल स्थाई परिसम्पत्ति को आवंटित कुल ऋण के साथ जोड़ा गया है।

(डी) तत्पश्चात्, ऋणों की अदायगी को उपरोक्तानुसार की गई गणना के अनुसार पूर्ण की गई परिसम्पत्तियों से चिन्हित कुल ऋण से घटाया गया है। अदायगी राशियों की गणना वित्तीय वर्ष 05–06 के दौरान कुल अनुसूचित अदायगी राशियों की आनुपातिक दर के रूप में गई है। वास्तविक अदायगी की राशियों को माना नहीं गया है क्योंकि वित्तीय वर्ष 05–06 के दौरान अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रमुख त्रुटियां की गई हैं।

आवंटन राशि निम्न तालिका में प्रस्तुत की गई है :

तालिका 155 : वित्तीय वर्ष 07 के टैरिफ आदेशानुसार आवंटन

राशि करोड़ रूपये में

सरल क्रमांक	वित्तीय स्त्रोत	अधिसूचित प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र के अनुसार राशि	स्थाई परिसम्पत्तियों को आवंटित की गई	निर्माणाधीन मुख्य कार्य को आवंटित की गई
1	पूंजी (इक्विटी)	316	316	0
2	परियोजना विशिष्टि ऋण	220	75	145
3	मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल ऋण	316	0	316

तालिका 156 : वित्तीय वर्ष 06 की स्थिति में पूर्ण किये गये कार्यों से संबद्ध ऋण की गणना

सरल क्रमांक	विवरण	राशि (करोड़ रूपये में)
1	वित्तीय वर्ष 05–06 के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्तियों में परिवर्धन	22.08
2	वित्तीय वर्ष 05–06 के दौरान उपभोक्ता का अंशदान	5.55
3	वित्तीय वर्ष 05–06 के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्तियों में शुद्ध परिवर्धन	16.53
4	शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्तियों में परिवर्धन का 30 प्रतिशत (जिसे पूंजी (इक्विटी) द्वारा पोषित किया गया माना गया है)	4.96
5	शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति में शेष परिवर्धन–ऋण के माध्यम से पोषित किया	11.57

	गया	
6	दिनांक 31 मई 05 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्ति के साथ संबद्ध ऋण (उपरोक्त तालिका से)	74.97
7	ऋण अदायगी	5.91
8	**दिनांक 31 मार्च 05 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्तियों से संबद्ध कुल ऋण (5+6+7)**	**80.62**

4.112 ब्याज लागत को केवल उन्हीं ऋणों पर अनुज्ञेय किया जा सकता है जो कि आवंटन के अनुसार चिन्हित किये जा सकते हैं, जैसा कि ये पूर्ण किये गये कार्यों (सकल स्थाई परिसम्पत्तियों) के साथ संबद्ध है। ऐसे ऋण पर ब्याज दिनांक 31 मार्च, 2006 की स्थिति में समस्त ऋणों की भारित औसत ब्याज पर अनुज्ञेय किया गया है। वित्तीय वर्ष 05–06 हेतु मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हेतु भारित औसत ब्याज दर 10.35 प्रतिशत प्रति वर्ष है। इसका आवधारण केवल अनुसूचित अदायगियों पर ही किया गया है तथा इसके लिए वित्तीय वर्ष 05–06 के दौरान वास्तविक ब्याज तथा प्रमुख चूंकों (डिफाल्टस) पर विचार नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस प्रयोजन हेतु, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ऋण पर प्रकल्पित (नोशनल) ब्याज दर पर विचार किया गया है जबकि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) ऋण पर ऋण स्थगन (मोरेटेरियम) विधान लागू है क्योंकि इसे विलंब काल के उपरांत ब्याज का भुगतान करना होगा। 10.35 प्रतिशत की यह भारित औसत ब्याज दर भारतीय स्टेट बैंक की निर्धारित सार्वजनिक ऋण प्रदाय अधिकार (पीएलआर) दर 11.5 प्रतिशत से कम होने के कारण उक्त दर पर ही अनुज्ञेय की गई है। तत्पश्चात्, भारित औसत ब्याज दर को चिन्हित किये गये ऋणों पर लागू किया गया है जो कि उपरोक्त दर्शाये गये आवंटन के अनुसार पूर्ण किये गये कार्य से संबद्ध है जिससे वित्तीय वर्ष 08 हेतु समग्र राजस्व आवश्यकता के माध्यम से की जाने वाली अनुज्ञेय ब्याज लागत को अनुज्ञेय किया जा सके। इसे निम्न तालिका में प्रस्तुत किया गया है :

तालिका 157 : वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुज्ञेय की गई ब्याज लागत

राशि करोड़ रूपये में

विवरण	**वित्तीय वर्ष 08**
पूंजीकृत की गई परिसम्पत्तियों से संबद्ध ऋण	80.62
भारित औसत ब्याज दर (प्रतिशत में)	10.35%
समग्र राजस्व आवश्यकता के माध्यम से अनुज्ञेय की गई ब्याज लागत	**8.34**

4.113 वित्तीय वर्ष के दौरान अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्त एकत्रीकरण की लागत तथा बैंक प्रभार प्रक्षेपित विद्यमान व्यय किये जाने वाले ऋणों की ब्याज लागत के 2% की दर से प्राक्कलित किये गये हैं। वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसकी गणना रू.1.04 करोड़ की गई है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसकी अवधारणा हेतु कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है। तथापि, आयोग वित्तीय वर्ष 07 तथा वित्तीय वर्ष 08 के दौरान मुख्य कार्यों के सम्पादन हेतु अनुज्ञप्तिधारी को नवीन ऋणों को आहरित करने बाबत निरूत्साहित करने के पक्ष में नहीं है। अतः आयोग वित्तीय वर्ष 08 हेतु वित्त एकत्रीकरण लागत हेतु रू.1.04 करोड़ की राशि को अनुज्ञेय करता है। वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुज्ञेय किये गये कुल ब्याज तथा वित्त प्रभार निम्नानुसार हैं :

तालिका 158 : वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुज्ञेय किये गये कुल ब्याज तथा वित्त प्रभार

राशि करोड़ रूपये में

विवरण	वित्तीय वर्ष 08
अनुज्ञेय की गई ब्याज लागत	8.34
अनुज्ञेय किये गये वित्त प्रभार	1.04
समग्र राजस्व आवश्यकता के माध्यम से अनुज्ञेय किये गये ब्याज तथा वित्त प्रभार	**9.38**

कार्यकारी पूंजी (वर्किंग कैपिटल) पर ब्याज

अनुज्ञप्तिधारी की प्रस्तुति

4.114 ब्याज लागत की गणना चक्रण तथा खुदरा गतिविधि हेतु पृथक–पृथक से कार्यकारी पूंजी आवश्यकता के 12.50 प्रतिशत की दर से की गई है जिसे कि आयोग के वितरण टैरिफ के अवधारण के उपबंधों के अनुसार अवधारित किया गया है। इसके विवरण निम्न तालिका में दिये गये हैं :

तालिका 159 : वित्तीय वर्ष 08 हेतु दावा किये गये कार्यकारी पूंजी ऋणों पर ब्याज

राशि करोड़ रूपये में

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 08
	चक्रण गतिविधि	
ए)	पिछले वर्ष हेतु वार्षिक आवश्यकता का छटवां भाग(1/6)	5.81
बी)	प्रचालन तथा संधारण व्ययों का बारहवां भाग (1/12)	43.09
सी)	दो माह के औसत चक्रण प्रभार	0.00
	कुल कार्यकारी पूंजी	**48.90**
	ब्याज दर (प्रतिशत में)	12.5
	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	**6.11**
	खुदरा विक्रय गतिविधि	
ए)	पिछले वर्ष हेतु सामग्री (इन्वेंटरी) की वार्षिक राजस्व आवश्यकता का छटवां भाग(1/6)	0.00
बी)	दो माह की औसत बिलिंग के बराबर प्राप्ति योग्य राशियां	397.76
घटायें	विद्युत क्रय व्ययों का बारहवां भाग (1/12)	173.51
	उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप	334.32
	कुल कार्यकारी पूंजी	**–110.06**
	ब्याज दर	12.5%
	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	**0.00**

आयोग का विश्लेषण

4.115 खुदरा विक्रय गतिविधि हेतु, आयोग द्वारा वार्षिक सामग्री (इन्वेंटरी) आवश्यकता वित्तीय वर्ष 05–06 के अन्त की मीटरिंग परिसम्पत्तियों के सकल मूल्य की एक प्रतिशत की दर से मानी गई है (जो कि तालिका 151 के अनुसार 206.13 करोड़ है)। इस प्रकार मीटरिंग सामग्री की दो माह की आवश्यकता की गणना रू. 0.34 करोड़ (206.13 का 1% दो माह हेतु आनुपातिक किया गया) के रूप में होगी। तालिका 151 के अनुसार वित्तीय वर्ष 06 की अन्त की स्थिति में सकल खण्ड (ग्रास ब्लाक) का शेष मूल्य रू. 1083.63 करोड़ होगी। इस मूल्य के एक प्रतिशत की गणना, दो माह हेतु आनुपातिक किये गये अनुसार रू. 1.81 करोड़ होगी। इसे चक्रण गतिविधि हेतु, सामग्री आवश्यकता माना गया है। उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप को 'उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज' संबंधी भाग में की गई चर्चानुसार माना गया है। आयोग द्वारा अनुज्ञेय राशि हेतु कार्यकारी पूंजी के अन्य अवयवों के मूल्यों की पुर्नगणना इस आदेश के सुसंगत भाग में की गई है। आयोग द्वारा चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिवधि हेतु अनुज्ञेय किया गया कार्यकारी पूंजी पर ब्याज निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 160 : वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुमोदित किया गया कार्यकारी पूंजी ऋणों पर ब्याज

राशि करोड़ रूपये में

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 08
	चक्रण गतिविधि	
ए)	पिछले वर्ष हेतु सामग्री (इन्वेंटरी) की वार्षिक आवश्यकता का छटवां भाग(1/6)	1.81
बी)	प्रचालन तथा संधारण व्ययों का बारहवां भाग (1/12)	27.90
सी)	दो माह के औसत चक्रण प्रभार	0.00
	कुल कार्यकारी पूंजी	**29.71**
	ब्याज दर (प्रतिशत में)	12.75%
	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज–चक्रण गतिविधि	**3.79**
	खुदरा विक्रय गतिविधि	
ए)	पिछले वर्ष हेतु सामग्री (इन्वेंटरी) की वार्षिक राजस्व आवश्यकता का छटवां भाग(1/6)	0.34
बी)	दो माह की औसत बिलिंग के बराबर प्राप्ति योग्य राशियां *	393.06
घटायें	विद्युत क्रय व्ययों का बारहवां भाग (1/12)	142.91
	उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप **	349.97
	कुल कार्यकारी पूंजी	**(99.48)**
	ब्याज दर	12.75%
	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज–खुदरा	**0.00**

* इस आदेश के सुसंगत भाग में दर्शाई गई वित्तीय वर्ष 08 की खुदरा टैरिफ अनुसूचियों की अनुमोदित टैरिफ दरों के अनुसार गणना की गई।

** वित्तीय वर्ष 08 हेतु राजस्वों के आधार पर गणना की गई जैसा कि अनुमोदित विक्रय पूर्वानुमानों तथा वित्तीय वर्ष 08 की अनुमोदित टैरिफ दरों के अनुसार तैयार किया गया।

उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज

अनुज्ञप्तिधारी की प्रस्तुति

4.116 प्रतिभूति निक्षेप पर देय ब्याज की गणना अनुज्ञप्तिधारी को लागू सुसंगत विनियम के अनुसार प्राधिकृत कुल प्रतिभूति राशि को प्रक्षेपित कर की गई है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कृषि उपभोक्ताओं हेतु 3 माह की औसत मांग तथा अन्य उपभोक्ताओं हेतु डेढ़ माह की औसत मांग पर विचार किया गया है।

4.117 राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मई, 2005 को अधिसूचित आय–व्यय विवरण–पत्र के अनुसार मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को आवंटित उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप की राशि रू.278 करोड़ थी। वित्तीय वर्ष 06 के दौरान, अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप राशि में लगभग 20 करोड़ की राशि की अभिवृद्धि होने की अपेक्षा रखता है। वित्तीय वर्ष 08 की प्रक्षेपित अन्तिम शेष राशियां राज्य शासन द्वारा अधिसूचित अन्तिम शेष राशियों के अनुरूप ही हैं। देय ब्याज की राशि की गणना सुसंगत वर्ष के प्रारंभिक तथा अन्तिम शेष के औसत के 6 प्रतिशत दर पर की गई है। वित्तीय वर्ष 08 हेतु, ब्याज जिसका दावा प्रक्षेपित जमा राशि पर किया गया है, निम्नानुसार दिया गया है :

तालिका 161 : वित्तीय वर्ष 08 हेतु दावा किया गया उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज

(राशि करोड़ रूपये में)

उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप	वित्तीय वर्ष 08
वित्तीय वर्ष 08 के राजस्वों पर उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप	334.32
उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज प्रभार, 6% की दर से	**20.06**

आयोग का विश्लेषण

4.118 वित्तीय वर्ष 08 हेतु, आयोग द्वारा उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप का अवधारण मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) विनियम, 2005 के उपबंधों तथा अनुमोदित टैरिफ हेतु उपभोक्ता की प्रत्येक श्रेणी हेतु प्रक्षेपित किये गये राजस्व के अनुसार किया गया है। उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज वित्तीय वर्ष 08 के प्रारंभिक तथा अन्तिम शेष के औसत के आधार पर अनुज्ञेय किया गया है जैसा कि निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 162 : वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुज्ञेय किये गये उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज

(राशि करोड़ रूपये में)

उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप	वित्तीय वर्ष 08
वित्तीय वर्ष 08 के राजस्वों पर उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप	349.97
उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज प्रभार, 6% की दर से	**21.06**

पूंजी पर प्रतिलाभ (Return on equity)

4.119 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्तीय वर्ष 08 में पूर्ण की गई परिसम्पत्तियों पर अनुमानित लगाई जाने वाली पूंजी पर 14 प्रतिशत की दर से प्रतिलाभ का दावा किया गया है। पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना हेतु, वित्तीय वर्ष 06 में पूंजी के सम्पूर्ण अन्तिम शेष को पूर्ण तथा उपयोगी परिसम्पत्तियों

पर लगाया गया माना गया है। इसके अतिरिक्त अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यह अवधारणा भी की गई है कि प्रत्येक वर्ष हेतु तत्पश्चात् उप–पारेषण (सामान्य) [(सब–ट्रांसमिशन (नॉर्मल)] योजनाओं हेतु सम्पूर्ण पूंजी का अर्न्तबहाव (इनफ्लो) उसी वर्ष के दौरान पूंजीकृत हो जावेगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस अवधारणा हेतु कोई भी कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रतिलाभ हेतु योग्य मानी गई पूंजी निम्न तालिका में दर्शाई गई है :

तालिका 163 : वित्तीय वर्ष 08 हेतु दावा किया गया पूंजी पर प्रतिलाभ (रिटर्न ऑन इक्विटी)

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 08
अंश पूंजी (शेयर केपिटल)	393.19
पूंजीकरण (केपिटलाईजेशन)	160.30
अतिरिक्त पूंजी (इक्विटी) प्रवाह	21.00
मानदण्डीय पूंजी (इक्विटी)	48.09
पूंजी (इक्विटी) जो प्रतिलाभ के योग्य है	403.69
पूंजी पर प्रतिलाभ	**56.52**

4.120 ब्याज तथा वित्त प्रभार संबंधी भाग स्पष्ट रूप से ऋण तथा पूंजी को पूर्ण की गई परिसम्पत्तियों से चिन्हित किये जाने की प्रक्रिया की व्याख्या करता है। यह प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 05–06 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के साथ चिन्हित की गई कुल पूंजी में परिणत होती है। इसे निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है। वित्तीय वर्ष 08 की समग्र राजस्व आवश्यकता हेतु, अनुज्ञेय किये गये पूंजी पर प्रतिलाभ का अवधारण, तत्पश्चात्, आयोग द्वारा निर्दिष्ट की गई 14% दर के अनुसार चिन्हित की गई कुल पूंजी पर जैसा कि इसे स्थाई परिसम्पत्ति को आवंटित किया गया है, को प्रयोज्य कर किया जाता है। आयोग को ज्ञात है कि वित्तीय वर्ष 07 एवं वित्तिय वर्ष 08 की अवधि के दौरान, परिसम्पत्तियों के सृजन के प्रयोजन हेतु, वितरण व्यापार में अतिरिक्त पूंजी का निवेश किया जावेगा, जिससे कि पूर्ण की गई परिसम्पत्तियों को आवंटित की गई पूंजी (इक्विटी) की राशि में अभिवृद्धि होगी। यदि इसे अंकेक्षित लेखे के समर्थन के साथ प्रस्तुत किया जाता है तो इसे अनुज्ञप्तिधारी की भावी समग्र राजस्व आवश्यकता हेतु लेखाबद्ध किया जावेगा।

तालिका 164 : वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुज्ञेय किया गया पूंजी पर प्रतिलाभ

(राशि करोड़ रूपये में)

स्त्रोत	वित्तीय वर्ष 08
शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्तियां जिनका पूंजी के माध्यम से वित्तीय पोषण किया गया है, में 30% की अभिवृद्धि (तालिका 157से)	4.96
दिनांक 31 मई 05 की स्थिति में, सकल स्थाई परिसम्पत्ति के साथ चिन्हित की गई पूंजी का अन्तिम शेष	316.00
दिनांक 31 मार्च 06 की स्थिति में, कुल पूंजी जिसे सकल स्थाई परिसम्पत्ति के साथ चिन्हित किया गया है।	320.96
वित्तीय वर्ष 08 हेतु समग्र राजस्व आवश्यकता में अनुज्ञेय किया गया पूंजी पर प्रतिलाभ, 14% की दर से	**44.93**

समग्र राजस्व आवश्यकता (एआरआर) की अन्य मदें

4.121 व्ययों के अवयवों के अतिरिक्त, कुछ अन्य मदें भी हैं जो समग्र राजस्व आवश्यकता (एआरआर) का भाग बनती हैं। इनमें सम्मिलित हैं डूबन्त ऋण, अन्य विविध व्यय, कोई पूर्व अवधि व्यय/आकलन (क्रेडिट्स) तथा अन्य (गैर–टैरिफ) आय। इनका विश्लेषण निम्नानुसार किया गया है :

डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण

4.122 वित्तीय वर्ष 08 में अनुज्ञप्तिधारी ने रू.67.81 करोड़ की राशि का दावा किया है। यह राशि समग्र राजस्व आवश्यकता में खुदरा विक्रय गतिविधि तथा चक्रण गतिविधि हेतु सम्मिलित की गई है। यह अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसी मद की लागत हेतु असावधानी से दो बार किया गया दावा प्रतीत होता है। अतः आयोग केवल समग्र राजस्व आवश्यकता के मद के रूप में ही संदिग्ध ऋणों की राशि को अनुज्ञप्तिधारी की खुदरा विक्रय गतिविधि के रूप में अनुज्ञेय करता है।

4.123 डूबन्त ऋणों के प्रावधान के संबंध में, आयोग द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के दावे का अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आयोग के विनियमों जिनके अनुसार वितरण अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञेय किये गये अधिकतम डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण विक्रय राजस्व का एक प्रतिशत होंगे, अधिकतम प्रावधान के परिपेक्ष्य में परीक्षण किया गया है। निम्न तालिका, वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा की गई डूबन्त ऋणों की राशि, जैसी कि यह आयोग द्वारा अनुमोदित की गई है, दर्शाती है :

तालिका 165 : वित्तीय वर्ष 08 हेतु डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 08
जिसका दावा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया गया	67.81
वित्तीय वर्ष 08 की अनुमानित टैरिफ दरों के अनुसार विक्रय राजस्व का 1%	23.58
जिसे आयोग द्वारा अनुज्ञेय किया गया	**23.58**

टीप : विक्रय राजस्व की गणना आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 08 हेतु इस आदेश द्वारा अनुमोदित टैरिफ दरों के अनुसार की गई है।

4.124 वित्तीय वर्ष 07 के टैरिफ आदेशों में कहा गया था कि वित्तीय वर्ष 07 हेतु वास्तविक रूप से अपलेखित डूबन्त ऋणों की राशि पर विचार विक्रय राजस्वों के अधिकतम पर 1% के अध्यधीन किया जावेगा तथा किसी आधिक्य/कमी को वित्तीय वर्ष 08 की समग्र राजस्व आवश्यकता में समायोजित किया जावेगा। इसी प्रकार, वास्तविक रूप से अपलेखित डूबन्त ऋणों हेतु किसी सत्यापन पर वित्तीय वर्ष 08 हेतु विचार किया जावेगा जिस समय इन वर्षों के अंकेक्षित लेखे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग को उपलब्ध करा दिये जावेंगे।

अन्य विविध व्यय

4.125 जैसा कि पूर्व भाग में स्पष्ट किया गया है, अनुज्ञप्तिधारी ने डूबंत तथा संदिग्ध ऋणों का समस्त प्रावधान अन्य विविध व्यय के रूप में दावा किया है तथा प्रक्रिया में इसका दो बार दावा प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी अन्य व्यय का पूर्वानुमान नहीं किया गया है। अतएवं, आयोग वित्तीय वर्ष 08 हेतु इस शीर्ष के अंतर्गत किसी व्यय को अनुज्ञेय नहीं कर रहा है।

अन्य आय

4.126 अनुज्ञप्तिधारी ने वित्तीय वर्ष हेतु रू. 55.91 करोड़ की राशि का दावा किया है। इस राशि में, अन्य राशियों के साथ उपभोक्ताओं से मीटर भाड़े की वसूली, विद्युत चोरी से वसूली तथा विविध प्रभार शामिल हैं। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मीटर भाड़े से प्राप्त सम्पूर्ण राशि को चक्रण गतिविधि हेतु अन्य आय माना गया है। वित्तीय वर्ष 08 हेतु, इन प्रभारों तथा वसूलियों से आय के पूर्वानुमान के प्रयोजन से वित्तीय वर्ष 06 हेतु, प्रावधिक लेखे के अंतर्गत साधारण रूप से देय मद की राशि में अभिवृद्धि कारक (Escalation Factor) के प्रयोग द्वारा अभिवृद्धि की है (जो विभिन्न मदों हेतु 8 से 10% की सीमान्तर्गत है)

4.127 आयोग अन्य आय के समस्त अवयवों हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किये गये पूर्वानुमानों को, केवल मीटर भाड़ा को छोड़कर, स्वीकार करता है जिसकी वित्तीय वर्ष 08 हेतु मीटर भाड़े की पुर्नगणना अनुमोदित उपभोक्ताओं की संख्या के औसत (प्रारंभिक तथा अन्तिम शेष का औसत) तथा आयोग के मीटर भाड़े की अनुमोदित दरों के आधार पर की गई है। इसके अतिरिक्त, चूंकि मीटरों का प्रावधान किया जाना अनुज्ञप्तिधारी की खुदरा विद्युत प्रदाय से संबंधित एक गतिविधि है, आयोग इस स्त्रोत से प्राप्त की गई आय को खुदरा विद्युत प्रदाय गतिविधि हेतु अन्य आय मानता है, जबकि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसे चक्रण गतिविधि से प्राप्त आय माना गया है जिसे आयोग स्वीकार नहीं करता है।

अनुज्ञप्तिधारी ने चक्रण गतिविधि से किसी आय पर विचार नहीं किया है जिसे आयोग स्वीकार करता है। तथापि, वित्तीय वर्ष 08 के दौरान, चक्रण प्रभारों से अनुज्ञप्तिधारी की वास्तविक आय उपभोक्ताओं की वास्तविक संख्या पर निर्भर करता है तथा इसे आगामी वर्षों में समायोजित किया जावेगा।

4.128 इस प्रकार, आयोग द्वारा अनुज्ञेय की गई राशि जिसे वित्तीय वर्ष 08 हेतु अन्य आय माना गया है, निम्नानुसार होगी :

तालिका 166 : चक्रण गतिविधि हेतु अन्य आय

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 08
अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा की गई	25.58
आयोग द्वारा अनुज्ञेय की गई	**11.10**

तालिका 167 : खुदरा विक्रय गतिविधि हेतु अन्य आय

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 08
अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा की गई	30.34
आयोग द्वारा अनुज्ञेय की गई :–	
मीटर भाड़ा	26.05
अन्य मदों का योग	30.34
आयोग द्वारा अनुज्ञेय की गई कुल राशि	**56.39**

समग्र राजस्व आवश्यकता (एआरआर) का चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधि के मध्य पृथक्करण

4.129 आयोग द्वारा धारा 61 के अंतर्गत दिनांक 26 दिसम्बर 2006 को अधिसूचित विनियमों में कहा गया है कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा समग्र राजस्व आवश्यकता तीन भागों में दायर की जावेगी, यथा, विद्युत क्रय गतिविधि हेतु, चक्रण (वितरण) गतिविधि हेतु, तथा खुदरा विक्रय गतिविधि हेतु। विनियमों में स्थाई लागतों (अर्थात्, विद्युत क्रय को छोड़कर) की मदें पृथक से सूचीबद्ध की गई हैं जिन्हें कि चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधि में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

4.130 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग के विनियमों का प्रतिपालन उस सीमा तक किया गया है कि यह उनके द्वारा समग्र राजस्व आवश्यकता के पृथक्कृत किये गये विद्युत क्रय, चक्रण गतिविधि तथा खुदरा विक्रय गतिविधियों के व्ययों हेतु इसे दायर किया गया है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा केवल कार्यकारी पूंजी पर मानदण्डीय ब्याज, डूबन्त ऋणों हेतु प्रावधान, तथा उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेपों पर ब्याज को खुदरा विक्रय गतिविधि के अंतर्गत माना है। अन्य समस्त मदें पूर्णरूपेण चक्रण गतिविधि का भाग मानी गई हैं।

4.131 विद्यमान टैरिफ अभ्यास हेतु, आयोग अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लागतों को चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधि के मध्य आवंटित किये जाने संबंधी विधि को स्वीकार करता है। तथापि, आयोग अनुज्ञप्तिधारी को उसके वितरण केन्द्रों, क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों आदि के एक प्रतिनिधि नमूने का गहन अध्ययन किये जाने बाबत निर्देशित करता है जिससे कि प्रत्येक व्यय मद (विद्युत क्रय को छोड़कर) के आवंटन अनुपात को चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधि के मध्य पृथक्कृत किया जाना विकसित किया जा सके। इस अध्ययन के परिणाम आयोग को टैरिफ आदेश जारी होने के छः माह के भीतर प्रस्तुत किये जाने चाहिये। तथापि, यह एक अस्थाई स्थानापन्न व्यवस्था है। आयोग चाहता है कि अनुज्ञप्तिधारी चक्रण गतिविधि तथा खुदरा विक्रय को अलग–अलग व्यय भारित किये जाने का पूर्ण लेखांकन पृथक्करण का उत्तरदायित्व स्वयं संभाले। अनुज्ञप्तिधारी को इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर इस गतिविधि के क्रियान्वयन हेतु संभावित समय–सीमा को दर्शाते हुए आयोग से सम्पर्क स्थापित करना चाहिए।

4.132 अतः इस टैरिफ आदेश के प्रयोजन हेतु, आयोग स्थाई लागतों (अर्थात्, विद्युत क्रय को छोड़कर) का आवंटन निम्न विधि अनुसार करता है :

चक्रण गतिविधि में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :

(ए) संचालन तथा संधारण व्यय

(बी) अवमूल्यन

(सी) परियोजना ऋणों पर ब्याज

(डी) कार्यकारी पूंजी ऋणों पर ब्याज–मानदण्डीय कार्यकारी पूंजी हेतु, चक्रण गतिविधि के लिये

(ई) पूंजी पर प्रतिलाभ (रिटर्न ऑन इक्विटी)

(एफ) अन्य विविध व्यय

(जी) घटायें : अन्य आय, जिसकी पूर्व भाग में गणना की गई है।

खुदरा विक्रय गतिविधि में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :

(एच) कार्यकारी पूंजी ऋणों पर ब्याज–मानदण्डीय कार्यकारी पूंजी हेतु खुदरा विक्रय गतिविधि के लिये

(आई) उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेपों पर ब्याज

(जे) डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण

(के) घटायें : अन्य आय, जिसकी गणना पूर्व भाग में की गई है।

4.133 उपरोक्त दर्शायेनुसार, वित्तीय वर्ष 08 हेतु, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधियों हेतु समग्र राजस्व आवश्यकता निम्नानुसार अनुमोदित की जाती है :

तालिका 168 : वित्तीय वर्ष 08 हेतु चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधियों के मध्य पृथक्करण हेतु अनुज्ञेय की गई समग्र राजस्व आवश्यकता

विवरण	वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुमोदित राशि करोड़ रूपये में
विद्युत क्रय व्यय	1714.97
पारेषण प्रभार (एमपी ट्रांसको)	240.21
चक्रण गतिविधि	
संचालन तथा संधारण व्यय	334.76
अवमूल्यन	49.96
परियोजना ऋणों पर ब्याज तथा वित्त प्रभार	9.38
कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	3.79
पूंजी पर प्रतिलाभ (रिटर्न ऑन इक्विटी)	44.93
अन्य व्यय	0.00
घटायें : अन्य आय	11.10
उप–योग– वित्तीय वर्ष 08 हेतु, अनुमोदित की गई चक्रण समग्र राजस्व आवश्यकता	***432.24***
खुदरा विक्रय गतिविधि	
कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	0.00
डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण	23.58
उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज	21.00
घटायें : अन्य आय	56.38
उप–योग वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुमोदित की गई खुदरा राजस्व आवश्यकता	***(11.80)***
महायोग–वित्तीय वर्ष 07–08 हेतु अनुमोदित वार्षिक राजस्व आवश्यकता	**2375.10**

विद्यमान टैरिफ दरों पर राजस्व अन्तर

4.134 आयोग द्वारा विद्यमान टैरिफ दरों पर राजस्व की गणना इस विक्रय पूर्वानुमान के आधार पर की गई है। राजस्व अन्तर की गणना उपरोक्त तालिका में दर्शाई गई अनुमोदित राजस्व तथा समग्र राजस्व आवश्यकता के प्रयोग द्वारा की गई है। विद्यमान टैरिफ दरों पर विक्रय राजस्वों तथा राजस्व अन्तर निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किये गये हैं। राजस्व–अन्तर जैसा कि इसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दायर किया गया है, को यहां त्वरित संदर्भ हेतु उद्धरित किया जाता है :

तालिका 169 : वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुमोदित समग्र राजस्व आवश्यकता पर विद्यमान टैरिफ दरों के अनुसार राजस्व अन्तर

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 08
अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दायर किया गया राजस्व अन्तर	(496.0)
विद्यमान टैरिफ दरों पर, आयोग द्वारा की गई गणना	2351.30
वित्तीय वर्ष 08 हेतु, अनुमोदित समग्र राजस्व आवश्यकता (उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज, डूबन्त ऋण, आदि सहित जिनकी गणना वित्तीय वर्ष 08 हेतु चालू टैरिफ दरों के अनुसार की गई है)	2374.93
वित्तीय वर्ष 08 हेतु, विद्यमान टैरिफ दरों के अनुसार राजस्व अन्तर	**(23.63)**

4.135 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा रू.496.0 करोड़ की प्रक्षेपित राशि का अन्तर पाटने हेतु आंशिक रूप से टैरिफ दर में वृद्धि तथा दक्षता में अभिवृद्धि द्वारा तथा आंशिक रूप से नियामक परिसम्पत्ति के सृजन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तथापि, आयोग द्वारा अवधारित पुनरीक्षित राजस्व अन्तर, उपरोक्त दर्शायनुसार, केवल रू.23.63 करोड़ ही है। अतएव, आयोग द्वारा उपरोक्त दर्शाये गये कुल राजस्व अन्तर की आपूर्ति हेतु टैरिफ प्रस्तावों में उपयुक्त सुधार किये गये हैं तथा वित्तीय वर्ष 08 हेतु उसे किसी नियामक परिसम्पत्ति के सृजन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

4.136 पुनरीक्षित टैरिफ दरों के अनुसार वितरण अनुज्ञप्तिधारी के प्रत्याशित राजस्व निम्नानुसार हैं:

तालिका 170 : पुनरीक्षित टैरिफ दरों के अनुसार राजस्व

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	राशि
अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दायर की गई याचिका के अनुसार राजस्व अन्तर	(496.0)
वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुमोदित टैरिफ दरों के अनुसार प्रत्याशित राजस्व	2358.38
वित्तीय वर्ष 08 हेतु अनुमोदित समग्र राजस्व आवश्यकता	2375.10
वित्तीय वर्ष 08 की टैरिफ दरों के अनुसार राजस्व (अन्तर)/आधिक्य	**(16.72)**

4.137 उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि अनुज्ञप्तिधारी के पास मामूली सा अन्तर छूट गया है। तथापि, यह राज्य में एक समान टैरिफ दरें रखे जाने के परिणामस्वरूप है। चूंकि छूटा हुआ राजस्व अन्तर बहुत ही मामूली है, इसकी समीक्षा वित्तीय वर्ष 08 के सत्यापन के दौरान की जावेगी।

4.138 वित्तीय वर्ष 08 की अनुमोदित दरों के अनुसार (जिन्हें इस आदेश की टैरिफ अनुसूची में दर्शाया गया है) आयोग द्वारा उपभोक्ता श्रेणी–वार राजस्व की गणना निम्न तालिका में प्रस्तुत की गई है :

तालिका 171 : वित्तीय वर्ष 08 हेतु टैरिफ दरों के अनुसार उपभोक्ता श्रेणी–वार राजस्व

उपभोक्ता श्रेणी	**विक्रय (मिलियन यूनिट में)**	**राजस्व (करोड़ रूपये में)**
निम्न दाब		
घरेलू बत्ती, पंखा तथा पावर	1779	610.00
गैर–घरेलू बत्ती, पंखा तथा पावर	436	239.26
जल प्रदाय संयत्र तथा पथ–प्रकाश	123	40.0
निम्न दाब औद्योगिक *	218	92.35
कृषि उपभोक्ता	1842	422.42
योग (निम्न दाब)	**4398**	**1404.03**
उच्च दाब		
रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन)	694	319.44
कोयला खदाने (कोल माईन्स)	38	21.53
औद्योगिक तथा गैर–औद्योगिक	1133	529.71
मौसमी (सीजनल)	2	1.71
उच्च दाब सिंचाई तथा सार्वजनिक जल प्रदाय	91	30.20
टाऊनशिप तथा आवासीय कालोनी	148	51.76
छूट प्रदायकर्ताओं को थोक विद्युत प्रदाय	0	0.00
योग (उच्च दाब)	**2105**	**954.35**
महायोग (निम्न दाब+उच्च दाब)	**6504**	**2358.38**

* निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी में ग्रामीण क्षेत्रों में (एल.वी 5.2) कृषि आधारित विक्रयसम्मिलित है जिसे कि पूर्व में कृषि श्रेणी में रखा गया था।

ए–5 : सार्वजनिक आपत्तियां तथा अनुज्ञप्तिधारी की याचिका पर टिप्पणियां

भूमिका

5.1 वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 10 हेतु तीन विद्युत वितरण कंपनियों, अर्थात् मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड तथा मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा समग्र राजस्व आवश्यकता (एआरआर) तथा केवल वित्तीय वर्ष 08 हेतु टैरिफ प्रस्ताव को दायर किये जाने उपरांत इनकी मुख्य विशेषताएं समाचार पत्रों में वित्तीय वर्ष 08 हेतु खुदरा टैरिफ के अवधारण हेतु प्रकाशित की गई थीं। आयोग द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा दायर किये गये टैरिफ प्रस्तावों पर हितधारकों (स्टेक–होल्डर्स) की प्रतिक्रिया चाही गई थी जिस हेतु समस्त वितरण कंपनियों हेतु अन्तिम तिथि 26.12.2006 निर्धारित की गई थी। आयोग ने प्रत्येक वितरण कंपनी हेतु बड़ी संख्या में टिप्पणियां/आपत्तियां प्राप्त कीं। आयोग ने सुनवाई तिथि तक प्राप्त की गई समस्त टिप्पणियों पर विचार किया है। व्यक्तियों तथा संस्थाओं जिनके द्वारा टिप्पणियां/आपत्तियां प्रस्तुत की गईं, के विवरण परिशिष्ट–2 में दिये गये हैं। आयोग द्वारा हितधारकों से प्राप्त की गई टिप्पणियों पर विद्युत वितरण कंपनियों की प्रतिक्रिया भी जाननी चाही थी।

सरल क्रमांक	वितरण कंपनी का नाम	प्राप्त की गई के अंतर्गत	टिप्पणियों की संख्या निर्धारित तिथि के बाद
1	पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	20	शून्य
2	पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	40	02
3	मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	20	1

5.2 आयोग द्वारा उसके मुख्यालय भोपाल स्थित सभागार में निर्धारित तिथि को निम्न अनुसूची के अनुसार जनसुनवाई आयोजित की गईं :

सरल क्रमांक	वितरण कंपनी का नाम	जन–सुनवाई की तिथि
1	पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	22.01.2007
2	मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	24.01.2007
3	पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	29.01.2007

5.3 आयोग द्वारा समस्त उपभोक्ताओं के हितों के प्रतिनिधित्व हेतु गैर–सरकारी संस्थाओं को टैरिफ अवधारण प्रक्रिया में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया गया था।

5.4 आयोग ने विभिन्न हितधारकों द्वारा उठाये गये मुद्दों तथा उनकी चिन्ताओं पर ध्यानपूर्वक परीक्षण किया है। मुख्य प्रतिक्रियाएं, उन्हें सम्मिलित कर जिन्हें जन सुनवाई के दौरान उठाया गया था, को उनकी टीपों/आपत्तियों को श्रेणी के आधार पर वर्गीकृत किया गया है तथा इनकी संक्षेपिका इस अध्याय में प्रस्तुत की गई है।

विषय संख्या 1 : मांग प्रभारों (डिमांड चार्जेज) में भेद–भाव

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

5.5 कुछ प्रतिवादियों द्वारा विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर मांग प्रभारों में भेद–भाव का मुद्दा उठाया गया। उनके द्वारा यह तर्क दिया गया कि 33 केवी तथा 132 केवी प्रदाय उपभोक्ताओं के मांग प्रभार 11 केवी प्रदाय उपभोक्ताओं से उच्चतर हैं। तथापि, लाईन हानियां कम हैं तथा उच्चतर वोल्टेज पर ऊर्जा–कारक (पावर फेक्टर) बेहतर है। अतएव, प्रतिवादीगण अपेक्षा करते हैं कि 132 केवी पर मांग प्रभार 11 केवी उपभोक्ताओं के अनुरूप होने चाहिये।

वितरण कंपनियों की प्रतिक्रिया

5.6 केवल विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर मांग प्रभारों की तुलना किया जाना उचित न होगा। प्रभावशील टैरिफ, जिसमें मांग तथा ऊर्जा प्रभार सम्मिलित हैं [भार–कारक (लोड फेक्टर) प्रोत्साहन को सम्मिलित कर] की वोल्टेज स्तरों के स्तर पर तुलना किया जाना उचित होगा।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग वितरण कंपनियों के विचारों से सहमत है। मांग प्रभारों को कुल खपत तथा भार कारक (लोड फेक्टर) के संबंध में देखा जाना उचित होगा। निम्न मांग प्रभार उच्चतर ऊर्जा प्रभारों की ओर परिलक्षित होते हैं। तथापि, आपत्तिकर्ताओं की चिन्ताओं को दृष्टिगत करते हुए स्थाई प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों में कुछ परिवर्तन किये गये हैं।

विषय क्रमांक 2 : ईंधन अधिभार समायोजन (फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट)

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

5.7 कुछ प्रतिवादियों द्वारा यह मुद्दा उठाया गया कि टैरिफ आदेश नवीन ईंधन लागत समायोजन (फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट–एफ.सी.ए.) सूत्र पर विचार नहीं कर सकता है। विनियम 2006 के अंतर्गत कण्डिका क्रमांक 1.29 अनुज्ञप्तिधारी को आयोग से सम्पर्क किये जाने हेतु अनुमति देती है यदि ईंधन प्रभार की अनुमति विद्युत उत्पादक कंपनी को प्रदान की जाती हो।

वितरण कंपनियों की प्रतिक्रिया

5.8 अनुज्ञप्तिधारी का प्रस्ताव राष्ट्रीय टैरिफ नीति की कण्डिका 5.3 (एच) (4) के अनुरूप है। प्रतिवादियों द्वारा इंगित किया गया है कि विनियम 2006 की कण्डिका 1.29 के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी को आयोग से ऐसे सूत्र (फारमूला) हेतु सम्पर्क किये जाने की अनुमति देते हैं जो निम्नानुसार है :

''जैसा कि अधिनियम 62 (4) में प्रावधान किया गया है, आयोग द्वारा ऊर्जा अधिभार सूत्र निर्दिष्ट किया जा सकता है तथा टैरिफ को विनिर्दिष्ट सूत्र के अनुसार प्रभारित की जाने की अनमति दी जावेगी.....''

5.9 अतः राष्ट्रीय विद्युत नीति तथा विनियमों के उपरोक्त अनुबंधों के अनुरूप, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ईंधन प्रभार समायोजन की गणना किये जाने संबंधी सूत्र आयोग के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग वितरण कंपनियों के दृष्टिकोण से सहमत है। आयोग इस संबंध में ईंधन लागत समयोजन (एफ.सी.ए.) सूत्र पर राष्ट्रीय टैरिफ नीति तथा आयोग द्वारा तैयार किये गये विनियमों के परिपेक्ष्य में विचार करेगा।

विषय क्रमांक 3 : वितरण हानि लक्ष्य

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

5.10 कुछ प्रतिवादियों द्वारा वित्तीय वर्ष 08, वित्तीय वर्ष 09 तथा वित्तीय वर्ष 10 हेतु क्रमशः 30. 5%, 29.5%, तथा 28.5% हानि संबंधी मुद्दे को उठाया गया। उनका तर्क है कि 'अब्राहम समिति प्रतिवेदन' के अनुसार, जब तक कि टैरिफ वर्षों में क्रमशः 3%, 2%, तथा 2% तक हानियां कम नहीं कर दी जातीं, कंपनी केन्द्रीय योजना के अंर्तगत धन प्राप्ति की पात्रता नहीं रखेगी। कुछ प्रतिवादियों ने आयोग द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार हानि वक्र मार्ग (लॉस ट्रेजेक्टरी)पर विचार किये जाने का भी निवेदन किया है।

वितरण कंपनियों की प्रतिक्रिया

5.11 राष्ट्रीय टैरिफ नीति की धारा 5.3 (ज) (2) विनिर्दिष्ट करती है कि ''ऐसे मामलों में जहां संक्रियायें (Operation) पिछले कई वर्षों से मानदंड से कम है वहां पर राजस्व जरूरत निर्धारित करने संबंधी व्यवस्था अपेक्षित स्तर के बजाय लचीले स्तर की होनी चाहिए।''

आयोग का दृष्टिकोण

राष्ट्रीय विद्युत नीति की धारा 5.8.10 तथा राष्ट्रीय टैरिफ नीति की धारा 5.3 (एच) (2) के अनुसार राज्य शासन ने आदेश क्रमांक 8414/13/2006 दिनांक 28.12.2006 द्वारा वितरण हानियों (तकनीकी तथा गैर–तकनीकी) के वार्षिक अनुसरण किये जाने वाले आगामी पांच वर्षों, अर्थात्, 2006–07, से 2010–11 तक तीनों वितरण कंपनियों में से प्रत्येक के लक्ष्य अधिसूचित किये हैं। वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु, ये हानि लक्ष्य पूर्व, पश्चिम तथा मध्य क्षेत्र वितरण कंपनियों हेतु क्रमशः 32.5%, 40%, तथा 28.5% निर्धारित किये गये हैं।

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86 (4) के अनुसार,

''राज्य आयोग अपने कृत्यों के निर्वहन में राष्ट्रीय विद्युत नीति, राष्ट्रीय विद्युत योजना और धारा 3 के अधीन प्रकाशित टैरिफ पालिसी से दिशा–निर्देश या मार्गदर्शन लेगा।''

अतः आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 08 हेतु राज्य शासन द्वारा उपरोक्तानुसार अधिसूचित हानि लक्ष्यों के अनुरूप टैरिफ दर अवधारित किये जाने बाबत विचार किया गया है।

विषय क्रमांक 4 : अवमूल्यन तथा अवमूल्यन के विरूद्ध अग्रिम पर विचार किया जावे

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

5.12 कुछ प्रतिवादियों द्वारा यह मुद्दा उठाया गया कि अवमूल्यन को केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (केविनिआ) के मानदण्डों के अनुसार अनुज्ञेय किया जा सकता है परन्तु लेखांकन (एकाउन्टिग) प्रक्रिया के अनुसार नहीं। केविनिआ के अनुसार, अवमूल्यन 50% कम हो

जावेगा। वैसे भी अवमूल्यन नकद व्यय नहीं है तथा यह परियोजनाओं की वित्तीय व्यवस्था हेतु एक आन्तरिक स्त्रोत है।

5.13 विनियमों में अवमूल्यन के विरूद्ध अग्रिम का प्रावधान नहीं किया गया है तथा इसे अनुज्ञेय नहीं किया जाना चाहिए।

वितरण कंपनियों की प्रतिक्रिया

5.14 समग्र राजस्व आवश्यकता को प्रस्तुत करते समय, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्यमान अवमूल्यन दरों को अपनाये जाने हेतु विस्तृत युक्तिकरण प्रस्तुत किया है। यह टीप किया जावे कि केविनआ मापदण्ड विद्युत उत्पादन तथा पारेषण बाबत हैं तथा राष्ट्रीय टैरिफ नीति नियामकों के फोरम (फ़ोरम ऑफ रेगुलेटर्स–एफओआर) को विद्युत वितरण हेतु मानदण्डों का सुधारा गया (विन्यास सैट) प्रस्तुत किये जाने की शक्तियां प्रदान करती है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्यमान अवमूल्यन मानदण्ड जारी रखा जाना चाहा गया है जब तक कि नियामकों का फोरम वितरण हेतु नवीन दरें जारी नहीं कर देता।

5.15 पूर्व में जारी किये गये 'मप्रविनिआ (विद्युत वितरण तथा खुदरा व्यापार के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2005 (जी–27, वर्ष 2005) में अवमूल्यन के विरूद्ध अग्रिम का प्रावधान किया गया था।

5.16 जबकि यह सत्य है कि नवीन विनियम (आर.जी–27 (1)) सुस्पष्ट रूप से अवमूल्यन के विरूद्ध अग्रिम का प्रावधान नहीं करता है, परंतु इस विनियम के अनुच्छेद 2.5 में प्रावधान था कि ''..... *इस अनुच्छेद के अनुसार मूल्यांकित की गई ऋण–पूंजी राशि को ऋण पर ब्याज, पूंजी (इक्विटी) पर प्रतिलाभ, अवमूल्यन के विरूद्ध अग्रिम तथा विदेशी विनिमय दर परिवर्तन की गणना हेतु प्रयोग किया जावेगा।*' इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (टर्म्स एण्ड कंडीशन्स ऑफ टैरिफ), विनियम, 2004 की धारा 15 (2) बी में अवमूल्यन के विरूद्ध अग्रिम का प्रावधान किया गया है। अतः, इन उपबंधों पर विचार करते हुए, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ''अवमूल्यन के विरूद्ध अग्रिम'' के उपचार पर अपना दृष्टिकोण अभिव्यक्त किया गया तथा याचिका की प्रस्तुति में इसे रिकार्ड पर लाया गया।

आयोग का दृष्टिकोण

टैरिफ आदेश में प्रस्तुत की गई गणना के अनुसार, इसका संज्ञान किया जा सकता है कि अवमूल्यन को केविनिआ के मानदण्डों के अनुसार अनुज्ञेय किया गया है तथा अवमूल्यन राशि जो कि स्थाई परिसम्पत्तियों के सृजन की दृष्टि से अनुबंधित की गई है, ऋणों की प्रमुख अदायगी की आवश्यकताओं हेतु पर्याप्त है।

विषय क्रमांक 5 : ब्याज तथा वित्त प्रभार

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

5.17 कुछ प्रतिवादियों द्वारा विनियम 2006 में किये गये प्रावधान से उच्चतर ऋण प्रदाय दर पर विचार किये जाने पर कड़ी आपत्ति प्रस्तुत की गई।

वितरण कंपनियों की प्रतिक्रिया

5.18 इस सुधार की मांग हेतु, अनुज्ञप्तिधारी का आशय यह स्पष्ट करना है कि अनुज्ञप्तिधारियों की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए ब्याज दरों को सुस्पष्ट बाह्य मापदण्ड दर के साथ

जोड़े जाने की आवश्यकता है तथा विनियम से किसी उच्चतर दर की मांग की जाने का उद्देश्य कदापि नहीं है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा अनुज्ञेय ब्याज दर की गणना करते समय सत्यापित कर लिया गया है कि ब्याज दरें विनियमों के अनुरूप हैं।

विषय क्रमांक 6 : श्रेणीवार सेवा की लागत

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

5.19 कुछ प्रतिवादियों द्वारा प्रति–राज्यानुदान (क्रॉस सबसिडी) को कम किये जाने के संबंध में औसत लागत के विरूद्ध आपत्तियां दर्ज की गईं। प्रति राज्यानुदान विनियम 2006 की कण्डिका 3.2 तथा 3.3 के अनुरूप होना चाहिये।

वितरण कंपनियों की प्रतिक्रिया

5.20 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा इस संबंध में राष्ट्रीय टैरिफ नीति की कंडिका 8.3.2 का हवाला दिया गया है जिसके अनुसार ''विद्युत आपूर्ति की लागत को टैरिफ द्वारा उत्तरोत्तर प्रतिबिंबित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये राज्य विद्युत नियामक आयोग सितम्बर 2005 तक रोड मैप अधिसूचित करेगा जिसका लक्ष्य होगा कि टैरिफ 2010–11 के अन्त तक, आपूर्ति की औसत लागत का $\pm$ 20 प्रतिशत हो।'' अनुज्ञप्तिधारियों ने यह उल्लेख भी किया है कि राष्ट्रीय टैरिफ नीति स्पष्ट रूप से यह प्रदर्शित करती है कि प्रति–राज्यानुदान का अवधारण विद्युत प्रदाय की औसत लागत के संबंध में किया जाना है न कि उपभोक्ता की किसी विशिष्ट श्रेणी बाबत विद्युत प्रदाय दर के अनुसार।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा हितधारकों (स्टेक होल्डर्स) की चिन्ताओं पर विचार किया है। आयोग का यह मत है कि श्रेणीवार विद्युत प्रदाय लागत की गणना किया जाना काफी कठिन कार्य है क्योंकि वर्तमान में वितरण कंपनियां वांछित आंकड़े उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं। उपरोक्त परिस्थितियों में, आयोग ने राष्ट्रीय टैरिफ नीति के अन्तर्गत दिशानिर्देशों का अनुसरण किये जाने संबंधी निर्णय लिया है जब तक कि वितरण कंपनियों द्वारा विद्युत प्रदाय की औसत लागत पर विचार किये जाने पर पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं करा दिये जाते। तथापि, आयोग इस विषय पर वितरण कंपनियों से विश्वसनीय वांछित आंकड़े उपलब्ध कराये जाने हेतु आग्रह करेगा जिससे कि श्रेणीवार विद्युत प्रदाय लागत का आवधारण किया जा सके।

विषय क्रमांक 7 : पूंजी पर प्रतिलाभ (रिटर्न ऑन इक्विटी) तथा प्रदाय सीमांत (सप्लाई मार्जिन)

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

5.21 कुछ अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा यह आपत्ति उठाई गई है कि पूंजी पर प्रतिलाभ विनियमों के अनुसार 14% होना चाहिये तथा विनियमों के अनुसार प्रदाय गुंजाइश (सप्लाई मार्जिन) को अनुज्ञेय नहीं किया जा सकता।

वितरण कंपनियों की प्रतिक्रिया

5.22 जैसा कि दायर की गई याचिका की कंडिका 3.9 में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रीय टैरिफ नीति की धारा 5.3.9 (ए) इसे मानती है कि वितरण व्यापार में उच्चतर जोखिम का समावेश होता है, अतः, केविनिआ द्वारा उत्पादन तथा पारेषण हेतु अधिसूचित पूंजी पर प्रतिलाभ में परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है जिसमें अन्तर्निहित उच्चतर जोखिम प्रतिबिंबित हो सके। इसी संदर्भ में, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा या तो 16% की उच्चतर दर का अनुमोदन चाहा गया है अथवा राष्ट्रीय टैरिफ नीति की कंडिका 9.0 के अनुरूप ''प्रदाय'' व्यापार में पृथक से सीमांत (मार्जिन) का प्रावधान किया जाये।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग पूर्ण रूप से हितधारकों की चिन्ता से सहमत है तथा वित्तीय वर्ष 08 हेतु खुदरा टैरिफ दर का अवधारण करते समय पूंजी पर प्रतिलाभ 14% की दर अनुज्ञेय की गई है।

विषय क्रमांक 8 : नियामक परिसम्पत्ति (रेगुलेटरी असेट्स) का बंटवारा

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

5.23 कुछ प्रतिवादियों द्वारा सुझाव दिया गया है कि वितरण कंपनियों की अदक्षता के कारण उपभोक्ता पर नुकसान का अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जा सकता।

वितरण कंपनियों की प्रतिक्रिया

5.24 कंपनियों द्वारा यह प्रतिक्रिया व्यक्त की गई वहुवर्षीय ढांचा उचित रूप से लागतों/लाभों को उपभोक्ताओं से बांटते हुए इकाई (यूटिलिटी) को प्रोत्साहित किये जाने संबंधी सिद्धांत पर कार्य करता है। राष्ट्रीय टैरिफ नीति आदिष्ट करती है कि उपभोक्ताओं को दीर्घ–अवधि लाभ प्रदान किये जाने हेतु, प्रारंभिक वर्षों में लाभ के हिस्सों का बंटवारा असम्मित (Asymmetrical) होना चाहिये जिससे कि प्रारंभिक वर्षों में इसे उच्चतर जोखिम से बचाते हुए अनुज्ञप्तिधारी को अधिक प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा लागतों को केवल विवेकपूर्ण (Prudent) स्तर तक ही अनुज्ञेय किया गया है। आयोग ने वितरण कंपनियों को केवल वही राजस्व अनुज्ञेय किया है जो कि अनुज्ञेय–योग्य लागतों की आपूर्ति करता हो। ऐसी परिस्थिति में, जबकि लागतें तथा राजस्व परस्पर मेल खाते हों, नियामक परिसम्पत्तियों (regulatory assets) की कोई आवश्यकता नहीं है।

विषय क्रमांक 9 : बिलंबित भुगतान अधिभार

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

5.25 कुछ प्रतिवादियों द्वारा यह बात दोहराई गई है कि विलंबित भुगतान अधिभार अर्जित राजस्व का एक भाग है तथा इसकी गणना समग्र राजस्व आवश्यकता के अंतर्गत की जानी चाहिये।

वितरण कंपनियों की प्रतिक्रिया

5.26 अनुज्ञप्तिधारियों के प्राक्कलन विनियम के उपबन्धों के अनुसार तैयार किये गये हैं। आयोग द्वारा पूर्व में भी इस पर विचार किया गया है तथा इसके संबंध में स्थिति को वित्तीय वर्ष 07 के टैरिफ आदेश के पैरा 1.32 में भी स्पष्ट किया गया है। अनुज्ञप्तिधारियों का विश्वास है कि यह एक अच्छी अवधारणा तथा सिद्धांत आधारित दृष्टिकोण है तथा प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत सुझाव टिकाऊ नहीं है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग टैरिफ आदेश दिनांक 31.3.06 में दर्शाये गये कारणों के अनुरूप अपनी स्थिति पर कायम है।

विषय क्रमांक 10 : बैंक गारंटी के रूप में प्रतिभूति निक्षेप

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

5.27 कुछ प्रतिवादियों द्वारा यह मुद्दा उठाया गया कि कार्यकारी पूंजी की गणना करते समय, आयोग द्वारा प्रतिभूति निक्षेप को बैंक गारंटी के रूप में अनुज्ञेय किये जाने के प्रभाव पर विचार किया जावे जिससे कि वितरण कंपनियां स्वतंत्र रूप से बैंक गारंटी स्वीकार कर सकें।

वतरण कंपनियों की प्रतिक्रिया

5.28 आयोग द्वारा अधिनियम के उपबन्ध के अंतर्गत दृष्टिकोण अपनाया जाये।

आयोग का दृष्टिकोण

मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

विषय क्रमांक 11 : भिन्न विद्युत क्रय दरें

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

5.29 व्यय की मुख्य मद विद्युत क्रय लागत (लगभग 60%) है तथा कंपनियां ट्रेडिंग कंपनी पर निर्भर हैं। विद्युत क्रय दरें विभिन्न कंपनियों के लिये भिन्न–भिन्न हैं। प्रतिवादी द्वारा अनुरोध किया गया कि ट्रेडिंग कंपनी हेतु समग्र राजस्व आवश्यकता का सूक्ष्म परीक्षण किये जाने की आवश्यकता है तथा समस्त वितरण कंपनियों हेतु विद्युत क्रय दर एक समान होनी चाहिए।

वितरण कंपनियों की प्रतिक्रिया

5.30 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उनकी प्राक्कलित लागतों तथा राजस्वों के आवश्यक विवरण उपलब्ध करा दिये गये हैं तथा समग्र राजस्व आवश्यकता का अनुमोदन करते समय इसका आयोग द्वारा सूक्ष्म परीक्षण किया जावेगा।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा विद्युत क्रय लागत की गणना मध्य प्रदेश शासन की अधिसूचना के अनुसार की गई है जो कि उत्पादक क्षमता के आवंटन तथा स्टेशन–वार उत्पादन लागत के अनुसार है

जिसकी गणना मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग अथवा केविनिआ द्वारा अथवा न्यूकल्यिर पावर कार्पोरेशन (एनपीसी) द्वारा अवधारित दर के अनुसार की गई है।

विषय क्रमांक 12 : न्यूनतम प्रभार

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

5.31 एक सोसाईटी के प्रतिनिधि द्वारा मप्रविनिआ (टैरिफ तथा प्रभारों की निबंधन तथा शर्तें) विनियम 2006 की कंडिका 3.1 (ई) से संबंधित मुद्दा उठाया गया जहां यह कहा गया है कि ''टैरिफ न्यूनतम : आयोग अतिरिक्त उच्च दाब /उच्च दाब/निम्न दाब उपभोक्ताओं से न्यूनतम टैरिफ दर की वसूली किये जाने के पक्ष में नहीं है।''

वितरण कंपनियों की प्रतिक्रिया

5.32 अनुज्ञप्तिधारियों को विश्वास है न्यूनतम खपत की अवधारणा चालू रखे जाने की आवश्यकता है जहां–जहां यह उपलब्ध है तथा इसे अन्य श्रेणियों हेतु भी लागू किया जाना चाहिये।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग का यह दृष्टिकोण है कि सामान्यतः उपभोक्ताओं से टैरिफ न्यूनतम की वसूली नहीं की जानी चाहिए यदि स्थाई लागत की वसूली पूर्णतः स्थाई प्रभारों के माध्यम से की जाती हो। तथापि, यदि स्थाई प्रभार काफी न्यूनतम स्तर पर रखे जाते हों तो आयोग के पास इसके सिवाय और कोई विकल्प नहीं है कि राजस्व संतुलन बनाये रखे जाने हेतु उपभोक्ताओं की कुछ श्रेणियों हेतु न्यूनतम प्रभार अधिरोपित किये जावें।

विषय क्रमांक 13 : बिलिंग मांग

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

5.33 कुछ आपत्तिकर्ताओं द्वारा सुझाव दिया गया कि बिलिंग मांग अवधारणा को पुनः लागू किया जावे। निवेदन किया गया कि बिलिंग मांग संविदा मांग का 75% अथवा वास्तविक मांग, इनमें से जो भी अधिक हो, होनी चाहिए।

वितरण कंपनियों की प्रतिक्रिया

5.34 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा बताया गया कि यदि बिलिंग मांग की अवधारणा लागू की जाती है तो इससे राजस्व की हानि होगी। अतः, यदि इसे पुनः लागू किया जाता है तो अनुज्ञप्तिधारियों की उच्चतर मांग प्रभारों द्वारा क्षतिपूर्ति की जाना आवश्यक है।

आयोग का दृष्टिकोण

मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी तथा पश्चिमी क्षेत्र वितरण कंपनी द्वारा स्थाई प्रभार पूर्ण संविदा मांग पर प्रस्तावित किये गये हैं जबकि पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी ने संविदा मांग का 85% अथवा अधिकतम मांग, इनमें से जो भी अधिक हो, पर बिलिंग मांग प्रस्तावित किये हैं जिस पर कि स्थाई प्रभार अधिरोपित किये जावेंगें। आयोग का मत है कि यद्यपि पूर्व तथा अन्य दो वितरण कंपनियों के मत भिन्न–भिन्न हैं स्थाई प्रभार संविदा मांग के 90% की दर से अथवा अधिकतम मांग इनमें से जो भी अधिक हो, अधिरोपित किये जाने चाहिये।

विषय क्रमांक 14 : वार्षिक न्यूनतम प्रभार

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

5.35 हितधारकों द्वारा सुझाव दिया गया कि उच्च दाब तथा निम्न दाब औद्योगिक उपभोक्ताओं हेतु वार्षिक न्यूनतम प्रभारों की अवधारणा जैसा कि इसे आयोग द्वारा संशोधित टैरिफ आदेश वर्ष 2006–07 में लागू किया गया है, मासिक मांग/स्थाई प्रभारों के स्थान पर जारी रखी जावे।

वितरण कंपनियों की प्रतिक्रिया

5.36 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा बतलाया गया कि वर्तमान प्रावधान पर्याप्त है तथा इसे परिवर्तित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग अनुज्ञप्तिधारियों के प्रस्तावों से सहमत है।

विषय क्रमांक 15 : ऊर्जा कारक प्रोत्साहन (पावर फेक्टर इन्सेन्टिव)

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

5.37 कुछ प्रतिवादियों द्वारा सुझाव दिया गया कि ऊर्जा कारक प्रोत्साहन 0.95 के स्थान पर 0.90 प्रस्तावित किया जाना चाहिये तथा प्रोत्साहन दोनों मांग तथा ऊर्जा प्रभारों पर दिया जाना चाहिये। उच्च दाब उपभोक्ताओं द्वारा ऊर्जा कारक में सुधार हेतु काफी बड़ी राशि कैपेसीटरों में निवेश किया जा चुका है। इस प्रकार किया गया निवेश कैपेसिटर इन्सेन्टिव में कमी द्वारा पर्याप्त प्रतिलाभ नहीं दे पा रहा है। एक हितधारक द्वारा इंगित किया गया कि उपरोक्त 99% ऊर्जा कारक (पावर फेक्टर) से अधिक हेतु 2 प्रतिशत प्रोत्साहन दिये जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि राज्य में लगभग कोई भी उपभोक्ता इतना अधिक पावर फेक्टर निरन्तर संधारित नहीं कर पा रहा है।

वितरण कंपनियों की प्रतिक्रिया

5.38 अनुज्ञप्तिधारी अन्तिम टैरिफ आदेश का अनुसरण कर रहे हैं तथा वे ऊर्जा कारक प्रोत्साहन (पावर फेक्टर इन्सेन्टिव) के आदेश में दर्शाये गये विचारों से सहमत हैं। टैरिफ में 0.95 से अधिक का भार–कारक प्रोत्साहन प्रणाली में सुधार किये जाने की दृष्टि से अतिरिक्त उपकरण की लागत की क्षतिपूर्ति हेतु उपभोक्ताओं को प्रेरित किये जाने हेतु किया गया है। अतएव अनुज्ञप्तिधारियों को यह अनुरोध स्वीकार नहीं है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग का यह मत है कि ऊर्जा कारक संधारित किया जाना उपभोक्ता का एक उत्तरदायित्व है ताकि न्यूनतम प्रतिक्रियात्मक शक्ति ऊर्जा प्रणाली में प्रवाहित हो तथा वितरण कंपनियों द्वारा न्यूनतम संभावित सीमा के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति प्रदान की जाने की आवश्यकता हो। इस प्रकार, आयोग के मतानुसार उपभोक्ता को अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किये जाने का कोई औचित्य नहीं है, यदि वह वितरण कंपनियों को विद्युत प्रणाली से प्रतिक्रियात्मक शक्ति (reactive power) के आहरण द्वारा हानि की स्थिति में भी लाता हो। तथापि, आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 में भी ऊर्जा प्रभारों पर उन उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन प्रदान किया

जाना जारी रखा जावेगा जो कि किसी बिलिंग माह में 95% से अधिक का ऊर्जा कारक संधारित करते हों।

विषय क्रमांक 16 : भार कारक प्रोत्साहन (लोड फेक्टर इन्सेन्टिव)

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

5.39 एक सोसाइटी के प्रतिनिधियों द्वारा सुझाव दिया गया कि भार कारक प्रोत्साहन 50% से प्रारंभ कर प्रदान किया जाना चाहिये तथा इसे ऊर्जा प्रभारों से घटाया जाना चाहिये ताकि, विद्युत शुल्क (ड्यूटी) को कम किया जा सके। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि भार कारक की गणना करते समय पवन उत्पादित ऊर्जा यूनिटों को कम नहीं किया जाना चाहिये।

वितरण कंपनियों की प्रतिक्रिया

5.40 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उल्लेख किया गया कि प्रोत्साहन संरचना को मांग तथा ऊर्जा प्रभार के साथ संयुक्त रूप से उपभोक्ताओं को भार कारक में सुधार लाये जाने हेतु प्रोत्साहित किये जाने बाबत रूपांकित किया जाना चाहिए।

5.41 विद्युत शुल्क संबंधी विषय राज्य शासन के क्षैत्रधिकार के अन्तर्गत है तथा अनुज्ञप्तिधारी टैरिफ का रूपांकन इसे कम किये जाने/बढ़ाये जाने बाबत नहीं कर सकते हैं।

(अ) अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रोत्साहन उच्चतर खपत को प्रोत्साहित किये जाने हेतु प्रदान किया जाता है। अतएव प्रोत्साहन के प्रयोजन से भार कारक के अवधारण हेतु अन्य स्त्रोतों से ऊर्जा खपत के प्रभाव को अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत प्रदाय खपत के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा हितधारकों के दृष्टिकोण पर विचार किया गया है तथा इस आदेश में भार कारकों के 50 प्रतिशत से अधिक होने पर भार कारक प्रोत्साहन प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है। आयोग ने भार कारक प्रोत्साहन की संरचना को भी पुनः रूपांकित किया है ताकि उपभोक्ताओं को भार कारक में सुधार लाये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके तथा यथासमय वितरण कंपनियों को भी राजस्व हानि द्वारा नुकसान न हो।

विषय क्रमांक 17 : अस्थाई विद्युत प्रदाय प्रभार

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

5.42 एक हितधारक (स्टेक होल्डर) द्वारा निवेदन किया गया कि अस्थाई विद्युत प्रभारों की सामान्य प्रभारों के डेढ़ गुना से 1.1 गुना कम किये जाने की आवश्यकता है।

वितरण कंपनियों की प्रतिक्रिया

5.43 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उल्लेख किया गया कि व्यापारी से लघु–अवधि विद्युत की लागत दीर्घ–अवधि अनुबंधित किये गये नियमित स्त्रोतों से उल्लेखनीय रूप से काफी अधिक होती है। अतः ऐसे विद्युत प्रदाय को उच्चतर प्रभारों को आकर्षित करना चाहिये तथा वर्तमान में डेढ़ गुना अधिक प्रभार जारी रखे जाने चाहिये।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा उपभोक्ताओं की भिन्न–भिन्न श्रेणियों के अस्थाई संयोजनों हेतु प्रभारों के निर्धारण हेतु यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया गया है।

विषय क्रमांक 18 : बाधित तथा अबाधित विद्युत प्रदाय

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

5.44 एक प्रतिवादी द्वारा जोरदार रूप से बाधित तथा अबाधित (Interreptible and uninteruptible) विद्युत प्रदाय हेतु भिन्न–भिन्न टैरिफ दरों का विरोध किया गया क्योंकि अनुज्ञप्तिधारियों के लिये अबाधित विद्युत प्रदाय किया जाना एक मूल दायित्व है तथा यदि इस अवधारणा को स्वीकार कर लिया जाता है तो इससे पिछले दरवाजे (बैक–डोर) द्वारा प्रति–राज्यानुदान लागू हो जावेगा। प्रतिवादी द्वारा सुझाव दिया गया कि 12 से 15 घंटे विद्युत प्रदाय चाहने वाले उपभोक्ताओं को टैरिफ दर में छूट उपलब्ध कराई जा सकती है।

वितरण कंपनियों की प्रतिक्रिया

5.45 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा व्यक्त किया गया कि इस विषय पर आयोग द्वारा निर्णय लिया जावे।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग का विश्वास है कि टैरिफ दरों में विद्युत प्रदाय की गुणवत्ता भी प्रतिबिंबित होनी चाहिये। राज्य के उपभोक्ताओं को समान गुणवत्ता का विद्युत प्रदाय उपलब्ध नहीं हो पाता है तथा असन्तोषजनक गुणवत्ता की विद्युत प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं को इस हेतु क्षतिपूर्ति किये जाने की आवश्यकता है। तथापि, आयोग द्वारा पाया गया है कि विद्युत प्रदाय घंटो के मापन में व्यावहारिक कठिनाईयां हैं अतः वित्तीय वर्ष 2007–08 से इस प्रयोग को समाप्त किया जा रहा है।

विषय क्रमांक 19 : कार्य प्रदर्शन सन्तोषजनक नहीं है

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

5.46 एक हितधारक द्वारा अभ्यावेदन दिया गया कि याचिका क्रमांक 111/2006 के अनुसार लक्ष्य स्तर तक हानियों में कोई कमी नहीं की गई है तथा चालू राजस्व की 98% वसूली नहीं हो पा रही है।

5.47 प्रतिवादी द्वारा पूंजी पर प्रतिलाभ (ROE) रियायत में कमी किये जाने तथा प्रशासनिक एवं सामान्य व्ययों को कम किये जाने पर विचार किये जाने हेतु अनुरोध किया गया।

वितरण कंपनियों की प्रतिक्रिया

5.48 यद्यपि अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रचालन के प्रदर्शन में सुधार बाबत पहल कर काफी कदम उठाये गये हैं, वांछित परिणाम प्राप्त होने में अभी कुछ समय लग सकता है।

5.49 वितरण कंपनियों के दीर्घकालीन तथा वृहद रूप से उपभोक्ताओं के हित में पूंजी पर प्रतिलाभ तथा व्ययों को कम किया जाना एक कुशल रणनीति नहीं होगी। इस प्रकार की गई कमी से

कंपनी के लिये वित्तीय रूप से कष्टदायक परिस्थितियां उत्पन्न होंगी तथा यह वाणिज्यिक रूप से विकास सक्षम नहीं होगा जोकि उपभोक्ताओं के हितों के विपरीत होगा।

आयोग का दृष्टिकोण

राजस्व आवश्यकता की गणना करते समय आयोग द्वारा विनियमों तथा मध्यप्रदेश द्वारा प्रदत्त हानि कम किये जाने संबंधी वक्र मार्ग (लॉस ट्रेजेक्टरी) का परिपालन किया गया है।

विषय क्रमांक 20 : डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

5.50 एक हितधारक द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया कि वित्तीय वर्ष 2005–06 में उपभोक्ताओं पर रू.131.47 करोड़ का वित्तीय बोझ डूबन्त तथा संदिग्ध ऋणों के नाम पर डाल दिया गया है तथा पुनः अब इस याचिका में भी इस हेतु रू.98.81 करोड़ का बोझ प्रस्तावित किया गया है।

वितरण कंपनियों की प्रतिक्रिया

5.51 डूबन्त तथा संदिग्ध ऋणों हेतु किया गया प्रावधान विनियम की कंडिका 2.25 में विनिर्दिष्ट सीमा के अंतर्गत है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग के विनियम वास्तविक डूबन्त ऋणों के अपलेखन का प्रावधान राजस्व राशि के अधिकतम एक प्रतिशत के अध्यधीन करते हैं। इसे सुनिश्चित किया जावेगा।

विषय क्रमांक 21 : प्रतिभूति निक्षेप

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

5.52 हितधारक द्वारा अभ्यावेदित किया गया कि प्रतिभूति निक्षेप की गणना छमाही आधार पर न की जाकर वार्षिक खपत के आधार पर की जावे।

वितरण कंपनियों की प्रतिक्रिया

5.53 प्रतिभूति निक्षेप का प्राक्कलन मप्रविनिआ (प्रतिभूति निक्षेप) विनियम 2004 के आधार पर किया जा रहा है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग अनुज्ञप्तिधारियों से सहमत है।

विषय क्रमांक 22 : ऋणों को परिसम्पत्तियों से संबद्ध (Linkage) किया जाना

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

5.54 कुछ हितधारकों द्वारा निवेदन किया गया कि ऋणों को परिसम्पत्तियों से जोड़ा जाना अत्यावश्यक है। असंबद्ध ऋणों को राज्य द्वारा वहन किया जावे।

वितरण कंपनियों की प्रतिक्रिया

5.55 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस प्रावधान से छूट केवल ऐतिहासिक ऋणों तथा याचिका के प्रस्तुतीकरण में जोड़े गये कारणों से की गई है। जैसा कि याचिका के प्रस्तुतिकरण में प्रकट किया गया है, अनुज्ञप्तिधारी भविष्य में परिसम्पत्तियों तथा उनके वित्तीय संसाधनों के संबंध में इस प्रकार के संबंध स्थापित तथा संधारित किये जाने का हर संभव प्रयास करेंगे।

आयोग का दृष्टिकोण

पूर्व में प्राप्त दायित्वों के कारण वितरण कंपनियां पुराने ऋणों से सृजित परिसम्पत्तियों को चिन्हित किये जाने में स्वयं को सक्षम नहीं पा रही हैं। आयोग आग्रह कर रहा है कि इन कंपनियों के गठन के पश्चात् संविदाकृत किये गये समस्त ऋण परिसम्पत्तियों के साथ संबद्ध किये जावें।

विषय क्रमांक 23 : टैरिफ आय को दबाया जाना

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

5.56 कुछ प्रतिवादियों द्वारा आपत्ति दर्ज की गई कि राजस्व गणनाएं उपभोक्ताओं द्वारा मांग प्रभारों, न्यूनतम प्रभारों, दाण्डिक बिलिंग, सतर्कता प्रकरणों की बिलिंग आदि के संबंध में उपभोक्ताओं द्वारा किये गये अतिरिक्त प्रभारों के भुगतान को इन्हें लेखाबद्ध नहीं करते जैसी कि यह विधि पूर्व में योजना आयोग तथा मप्रराविमं द्वारा वसूली की औसत दर की वसूली की गणना किये जाने बाबत अपनाई गई थी। यह दर टैरिफ दर से 10–15% अधिक थी।

वितरण कंपनियों की प्रतिक्रिया

5.57 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2007–08 अथवा आगामी वर्षों हेतु राजस्व केवल कुछ प्रक्षेपित आंकड़ों के आधार पर किये गये आकलन मात्र हैं। आंकड़ों को प्रक्षेपित करते समय, अपवादों (Exceptions) जैसा कि वे प्रतिवादियों द्वारा उठाये गये हैं, की परिकल्पना किया जाना संभव नहीं हो पाता है। अनुज्ञप्तिधारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि औसत वसूली दर के माध्यम से राजस्व प्राक्कलन की सुझाई गई विधि त्रूटिपूर्ण है तथा यह विभिन्न टैरिफ अवयवों से वसूलियों को प्रतिबिंबित नहीं करती है।

आयोग का दृष्टिकोण

प्रतिवादियों द्वारा सुझाये गये कुछ स्त्रोत गैर–टैरिफ आय प्रकृति के हैं तथा इन पर विचार समग्र राजस्व आवश्यकता के अंतर्गत किया जाता है। टैरिफ आय के अतिरिक्त किसी आधिक्य राजस्व आय संबंधी उठाये गये मुद्दे पर वार्षिक राजस्व आवश्यकता का सत्यापन करते समय सावधानी रखी जायेगी।

विषय क्रमांक 24 : टी.ओ.डी. (टाईम ऑफ डे) टैरिफ में परिवर्तन

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

5.58 कुछ प्रतिवादियों द्वारा अभ्यावेदित किया गया कि मप्र राज्य में जल विद्युत में वृद्धि होने के साथ शीर्ष बाह्य (ऑफ–पीक) तथा शीर्ष–मांग के अंतर में वृद्धि होना अवश्यंभावी है। अतः शीर्ष बाह्य विद्युत के प्रयोक्ताओं को और अधिक प्रोत्साहन दिया जाना आवश्यक है।

उनके द्वारा टीओडी (टाईम ऑफ डे) टैरिफ में परिवर्तन तथा शीर्ष बाह्य छूट में 15% तक वृद्धि किये जाने बाबत अनुरोध किया गया।

वितरण कंपनियों की प्रतिक्रिया

5.59 प्रतिवादियों की शीर्ष बाह्य तथा शीर्ष मांग में बढ़ते हुए अन्तर की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादियों द्वारा लघु–अवधि विद्युत क्रय के संबंध में विचार नहीं किया गया है। अनुज्ञप्तिधारियों को विश्वास है कि प्रदाय किया गया शीर्ष बाह्य पर्याप्त है तथा उनके द्वारा इसमें वृद्धि किये जाने संबंधी सुझाव पर असहमति व्यक्त की गई।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा समय–दिवस अधिभार (टाईम ऑफ डे सरचार्ज) चार घंटे हेतु (सांय 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक) निर्धारित किया है तथा छूट 8 घंटे हेतु (रात्रि 10 बजे से आगामी दिवस को प्रातः 6 बजे तक) निर्धारित की है। आयोग प्रस्तावित की गई छूट की दर बढ़ाये जाने में कोई औचित्य नहीं पाता।

विषय क्रमांक 25 : आधार रेखा आंकड़ों (बेसलाईन डाटा) का अध्ययन तथा ऊर्जा अंकेक्षण (एनर्जी ऑडिट) परिणामों का सत्यापन

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

5.60 कुछ प्रतिवादियों द्वारा सुझाव दिया गया कि प्रत्येक वितरण वृत्त हेतु विभिन्न मापदंडों हेतु आधार रेखा आंकड़ों के स्वतंत्र मूल्यांकन (असेसमेंट) हेतु वास्तविक रूप से यथार्थता से अवगत होना अति आवश्यक है। उनके द्वारा तृतीय पक्ष के माध्यम से ऊर्जा अंकेक्षण परिणामों का सत्यापन किये जाने की अनुशंसा भी की गई है।

वितरण कंपनियों की प्रतिक्रिया

5.61 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा सुझावों की टीप की गई।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा हितधारकों के दृष्टिकोण पर विचार किया गया है। आयोग वितरण कंपनियों को यथासमय उचित निर्देश देगा।

विषय क्रमांक 26 : केवल वाणिज्यिक हानियों हेतु विभेदित (डिफरेंशियल) टैरिफ

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

5.62 एक हितधारक द्वारा अभ्यावेदन दिया गया कि विभेदित टैरिफ दरें, यदि कोई हों तो वे वाणिज्यिक हानियों हेतु ही होनी चाहिए तथा तकनीकी हानियों हेतु नहीं।

वितरण कंपनियों की प्रतिक्रिया

5.63 वर्तमान में अनुज्ञप्तिधारी, तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानियों को, अलग–अलग करने की स्थिति में नहीं हैं। तथापि, प्रस्तुत सुझाव सुविचारित है बशर्ते, इस पर अनुज्ञप्तिधारियों के अंतर्गत प्रदाय क्षेत्रों हेतु एक बार इसे भिन्न–भिन्न किया जाना संभव हो जावे।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तुत तर्क से सहमत है।

विषय क्रमांक 27 : राज्य में औसत हानियों पर आधारित टैरिफ दर तथा बेहतर रूप से अनुपालन किये जाने वाले क्षेत्रों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाना।

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

5.64 एक हितधारक द्वारा सुझाव दिया गया कि टैरिफ दर औसत हानियों पर आधारित होनी चाहिए। औसत से कम हानियां प्रदर्शित करने वाले मुहल्ले/क्षेत्रों हेतु उन क्षेत्रों के स्टाफ/उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। इसे राष्ट्रीय टैरिफ नीति का भी समर्थन प्राप्त है।

वितरण कंपनियों की प्रतिक्रिया

5.65 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा सुझाव की सराहना की गई है परन्तु यह भी उल्लेख किया है कि वर्तमान विभेदित हानियां विभिन्न ऐतिहासिक कारणों से हैं। अतएव, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के बीच केवल हानियों पर आधारित, यर्थाथवादी परिस्थितियों की अवहेलना करते हुए, तत्काल विभेदीकृत किया जाना उचित नहीं होगा।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग हितधारकों के सुझाव से सहमत है तथा भविष्य में वह इसके क्रियान्वयन की संभावना के संबंध में कार्यवाही करेगा।

विषय क्रमांक 28 : निम्न दाब उपभोक्ता परिसरों में मांग मापयंत्रों (डिमांड मीटरों) की स्थापना किया जाना

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

5.66 एक हितधारक द्वारा अभ्यावेदन किया गया कि निम्न दाब उपभोक्ताओं के परिसरों में मांग मापयंत्र (डिमांड मीटर) संस्थापित किये जाने चाहिये। अभिलिखित की गई मांग, संयोजित भार पर विचार किये बिना, भार को नियत किये जाने का मापदण्ड होगी। मांग मापयंत्र में छेड़छाड़ किये जाने पर, संयोजित भार पर विचार किया जा सकता है।

वितरण कंपनियों की प्रतिक्रिया

5.67 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा पृथक मांग आधारित टैरिफ दरें प्रस्तुत की गई हैं।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग का दृष्टिकोण है कि समस्त निम्न दाब उपभोक्ताओं को मांग दर्शाये जाने वाले मापयंत्र उपलब्ध कराया जाना संभव न होगा। वितरण कंपनियों द्वारा केवल कतिपय श्रेणियों हेतु ही मांग आधारित टैरिफ दर प्रस्तावित की गई है। निम्न दाब औद्योगिक उपभोक्ताओं हेतु, मांग आधारित टैरिफ दर 25 अश्वशक्ति से अधिक संयोजित भार हेतु अनिवार्य (आज्ञात्मक) है। तथापि, कोई निम्न दाब औद्योगिक उपभोक्ता जिसका संयोजित भार 25 अश्वशक्ति तक का

है, भी मांग आधारित टैरिफ हेतु विकल्प दे सकता है। इसके अतिरिक्त, निम्न दाब संयोजन हेतु ट्रांसफार्मर का स्वामित्व अनुज्ञप्तिधारी का होता है जो कि प्रायः एक से अधिक उपभोक्ताओं को सेवा दिये जाने हेतु प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर की स्थापना संयोजित भार पर ही आधारित होती है। उच्च दाब उपभोक्ताओं के प्रकरणों में इनका स्वामित्व उन्हीं का होता है, जिसमें इसका संधारण व्यय तथा इसे बदला जाना भी सम्मिलित है। अतएव निम्न दाब संयोजनो हेतु भार की अधिकतम सीमा निर्धारित किये जाने हेतु संयोजित भार को असंबद्ध किया जाना संभव नहीं होगा।

विषय क्रमांक 29 : अमीटरीकृत शहरी तथा ग्रामीण उपभोक्ता

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

5.68 अमीटरीकृत शहरी तथा ग्रामीण उपभोक्ताओं की बिलिंग क्रमशः 77 तथा 38 के निर्धारित यूनिटों हेतु की जाती हैं। एक हितधारक द्वारा, यह आपत्ति दर्ज की गई कि यदि कोई उपभोक्ता उपरोक्त दर्शाये गये यूनिटों से अधिक की खपत करता है तो इस पर कोई अंकुश नहीं है तथा ऐसी स्थिति में राजस्व की हानि का वित्तीय भार घरेलू उपभोक्ताओं के मीटरीकृत मध्यम वर्ग पर आ जाता है।

वितरण कंपनियों की प्रतिक्रिया

5.69 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उल्लेख किया गया है कि निर्धारण बिल एक अंतरिम उपाय है तथा अनुज्ञप्तिधारी समस्त घरेलू उपभोक्ताओं को मीटरीकृत किये जाने का प्रयास कर रहा है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अंतर्गत समस्त अनुज्ञप्तिधारियों को 100% उपभोक्ताओं को मीटरीकृत किये जाने हेतु निर्देशित किया है।

विषय क्रमांक 30 : एचवी 2 तथा एचवी 6 श्रेणियों में स्थाई प्रभारों में अभिवृद्धि किया जाना

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

5.70 एक प्रतिवादी द्वारा एचवी2 श्रेणी में स्थाई प्रभारों में प्रस्तावित की गई 31.25% वृद्धि तथा एचवी 6 श्रेणी में 36.36% की प्रस्तावित वृद्धि के संबंध में आपत्ति उठाई गई। इससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त वित्तीय भार आयेगा।

वितरण कंपनियों की प्रतिक्रिया

5.71 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि स्थाई प्रभारों का आधार, संविदा मांग का 85% अथवा अधिकतम मांग इसमें जो भी अधिक हो, प्रस्तावित किया गया है। इस पर विचार करते हुये प्रभावी परिवर्तन 3.45% ही है जो कि विद्युत प्रदाय की औसत लागत में अभिवृद्धि से भी कम है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा दोनों आपत्तिकर्ताओं तथा वितरण कंपनियों के दृष्टिकोण पर विचार किया गया है तथा इस आदेश के अंतर्गत उचित कार्यवाही की पहल की गई है।

विषय क्रमांक 31 : रेलवे में ऊर्जा प्रभार तथा मांग प्रभार में वृद्धि किया जाना

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

5.72 रेलवे से एक प्रतिवादी द्वारा स्थाई लागत प्रभार तथा ऊर्जा प्रभार में वृद्धि संबंधी प्रस्ताव पर आपत्ति दर्ज की गई जो कि सुसंगत अधिनियमों तथा विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 6.1.2006 को जारी टैरिफ नीति के विरूद्ध है। अतः अभिवृद्धि संबंधी प्रस्ताव राष्ट्रीय टैरिफ नीति तथा विद्युत अधिनियम, 2003 से विचलन है।

वितरण कंपनियों की प्रतिक्रिया

5.73 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि प्रस्तावित टैरिफ दर प्रस्तावित विद्युत प्रदाय की औसत लागत का 116% है। यहां यह भी ध्यान दिलाया जाता है कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मांग प्रभार बिलिंग मांग पर प्रस्तावित किये गये हैं जो कि संविदा मांग के 85% अथवा वास्तविक अधिकतम मांग इनमें से जो भी अधिक हो के आधार पर प्रस्तुत किये गये। अतः प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव सुसंगत अधिनियमों के निर्धारित सिद्धांतों तथा टैरिफ नीति के अनुरूप हैं।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा दोनों हितधारकों तथा वितरण कंपनियों के दृष्टिकोण पर विचार किया है तथा खुदरा टैरिफ का अवधारण करते समय उचित कार्यवाही की है।

विषय क्रमांक 32 : प्रति सहातानुदान (क्रॉस सबसिडी) में कमी की जाना

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

5.74 रेलवे के प्रतिनिधि द्वारा आपत्ति उठाई गई कि विद्युत मंत्रालय द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि वर्ष 2010–11 के अंत तक टैरिफ दरें विद्युत प्रदाय की औसत लागत के +/– 20% के अंतर्गत होंगी। परन्तु प्रस्तावित टैरिफ दर में इसमें किसी कमी किये जाने का प्रावधान नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त यह प्रति–सहायतानुदान का विद्यमान स्तर नहीं दर्शाती है।

वितरण कंपनियों की प्रतिक्रिया

5.75 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि वित्तीय वर्ष 2006–07 के टैरिफ आदेश के अनुसार रेलवे टैरिफ विद्युत प्रदाय की औसत लागत का 129% था। टैरिफ में अभिवृद्धि प्रस्तावित किये जाने पर, प्रभावी टैरिफ दर (58% के औसत भार–कारक पर) वित्तीय वर्ष 2007–08 की औसत विद्युत प्रदाय लागत का 116% होगा। अतः, प्रस्तावित टैरिफ दर राष्ट्रीय टैरिफ नीति की आवश्यकताओं के अनुरूप है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा दोनों आपत्तिकर्ता तथा वितरण कंपनियों के दृष्टिकोण पर विचार किया गया है तथा इस टैरिफ आदेश में लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उचित कार्यवाहीं की है।

विषय क्रमांक 33 : रेलवे में आधिक्य मांग प्रभार

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

5.76 रेलवे के प्रतिनिधि द्वारा ध्यान आकर्षित किया गया कि प्रस्तावित टैरिफ द्वारा संविदा मांग को अधिक मांग पर सामान्य टैरिफ दर का डेढ़गुना प्रभारित किया जावेगा। प्रतिवादी द्वारा एक उदाहरण दिया गया कि जेवीवीएनएल राजस्थान में संविदा मांग के 110% तक, कर्षण (ट्रेक्शन) विद्युत प्रदाय पर कोई आधिक्य मांगे प्रभार अधिरोपित नहीं किये जाते। अतः, अनुरोध है कि मध्यप्रदेश राज्य में भी कर्षण भार पर इसी प्रकार का मानदण्ड अपनाया जावे।

वितरण कंपनियों की प्रतिक्रिया

5.77 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उनके द्वारा बिलिंग मांग, संविदा मांग का 85% अथवा अभिलिखित अधिकृत मांग, इनमें जो भी अधिक हो, प्रस्तावित की गई है। यह उपभोक्ता को संविदा मांग के अंतर्गत अपने प्रचालनों को समायोजित किये जाने का लचीलापन प्रदान करती है। अतः संविदा मांग से 100% अधिक के मांग के उतार–चढ़ाव (फ्लक्चुयेशन) पर बिना दाण्डिक प्रभार विद्युत प्रदाय संबंधी प्रस्ताव स्वीकार योग्य नहीं है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा रेलवे के दृष्टिकोण पर विचार किया गया है तथा उसके द्वारा एकल भाग टैरिफ लागू करने तथा संविदा मांग के 110% तक कोई दाण्डिक प्रभार लागू न किये जाने का निर्णय लिया है।

विषय क्रमांक 34 : रेलवे में वोल्टेज पर छूट

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

5.78 रेलवे के प्रतिनिधि द्वारा तर्क दिया गया कि रेलवे विभाग 132 केवी अथवा 220 केवी पर कर्षण हेतु विद्युत आहरित करता है। इन वोल्टेजों पर पारेषण हानियां नगण्य होती हैं। अतएव उनके द्वारा कर्षण विद्युत प्रदाय पर, जेवीवीएनएल के अनुरूप आयोग से ऊर्जा लागत तथा स्थाई प्रभारों पर 2.5% वोल्टेज छूट प्रदान किये जाने हेतु विचार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

वितरण कंपनियों की प्रतिक्रिया

5.79 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि रेलवे कर्षण हेतु लागू टैरिफ दरें सम वोल्टेज स्तर पर अन्य उपभोक्ताओं हेतु प्रयोज्य दरों से कम हैं। अतः इससे आगे और अधिक प्रोत्साहन दिया जाना न ही औचित्यपूर्ण है तथा न ही स्वीकार योग्य है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा दोनों हितधारकों तथा वितरण कंपनियों के दृष्टिकोण का संज्ञान कर लिया गया है तथा भविष्य में इस पर उचित कार्यवाही की जावेगी।

विषय क्रमांक 35 : उच्च दाब उपभोक्ताओं तथा निम्न दाब उद्योगों हेतु टैरिफ में अभिवृद्धि की जाना

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

5.80 एक प्रतिवादी द्वारा आपत्ति की गई कि उच्च दाब उपभोक्ताओं हेतु किये जाने वाली लघु अभिवृद्धि को भी वापिस लिया जावे तथा निम्न दाब उद्योगों हेतु टैरिफ में वृद्धि को औद्योगिक क्षेत्र के हित में अनुज्ञेय न किया जावे।

वितरण कंपनियों की प्रतिक्रिया

अनुज्ञप्तिधारी, प्रतिवादी द्वारा उच्च दाब टैरिफ दर में प्रस्तावित वृद्धि को वापिस लिये जाने संबंधी दृष्टिकोण का सम्मान करते हैं। अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा व्यक्त किया गया कि उनके द्वारा राष्ट्रीय टैरिफ नीति के दिशा–निर्देशों पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया गया है ताकि प्रति–राज्यानुदान को वर्ष 2010–11 के अन्त तक औसत विद्युत प्रदाय की लागत का $\pm$ 20% तक लाया जा सके। वर्तमान में उच्च दाब टैरिफ का प्रति–राज्यानुदान विद्यमान औसत विद्युत प्रदाय लागत का 126% से घटकर वित्तीय वर्ष 08 हेतु 113% रह गया है जो कि राष्ट्रीय टैरिफ नीति द्वारा विनिर्दिष्ट सीमाओं के अंर्तगत है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा दोनों आपत्तिकर्ता तथा वितरण कंपनियों के दृष्टिकोण पर विचार किया गया तथा खुदरा टैरिफ के अवधारण के दौरान इस पर उचित कार्यवाही की है।

————X————

ए–6 खुदरा टैरिफ का रूपांकन (डिजाइन)

कानूनी स्थिति

6.1 आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 के अंतर्गत दिनांक 10 नवम्बर, 2006 को अधिसूचित विनियमों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु तीन वितरण कंपनियों हेतु वार्षिक राजस्व आवश्यकता अवधारित की है। विद्युत उत्पादक कंपनी, पारेषण कंपनी तथा वितरण कंपनियों हेतु आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक राजस्व आवश्यकता, खुदरा टैरिफ के माध्यम से प्रभारों की वसूली का प्राथमिक आधार निर्मित करती है।

6.2 आयोग द्वारा पृथक से विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 45 (2) के अंतर्गत विनियम जारी किये गये हैं जो कि विद्युत प्रदाय हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रभारों के निर्धारण हेतु विधियां तथा सिद्धांत विनिर्दिष्ट करते हैं।

6.3 इसके अतिरिक्त उपभोक्ता श्रेणीवार टैरिफ दरों के अवधारण में आयोग ने भारत सरकार द्वारा 6 जून 2006 को अधिसूचित राष्ट्रीय टैरिफ नीति से मार्गदर्शन भी प्राप्त किया है।

टैरिफ अवधारण हेतु आयोग की कार्य पद्धति

समान बनाम विभेदित खुदरा टैरिफ दरें (Uniform vs Differantial Retail Tarriffs)

6.4 राज्य शासन से परामर्श द्वारा तथा दीर्घकालीन विचार–विमर्श उपरांत आयोग द्वारा यह दृष्टिकोण अपनाया गया कि समान खुदरा प्रदाय टैरिफ पद्धति एक और वर्ष, अर्थात् वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु भी जारी रखी जाये।

6.5 मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14 मार्च, 2007 जो विद्यमान विद्युत उत्पादन कंपनियों के तीन वितरण कंपनियों के मध्य पुनरीक्षित आवंटन से संबंधित है, वितरण कंपनियों की वार्षिक राजस्व आवश्यकता के संबंध में एक समान टैरिफ दर, कम से कम संतुलित राजस्व आय रखा जाना रखा जाना, संभव बनाती है।

6.6 तथापि, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यह नोट किया जावे कि वार्षिक राजस्व आवश्यकता का अवधारण वित्तीय वर्ष 08 हेतु हानि स्तरों को कम किये जाने तथा निर्धारण प्रचालन मानदण्डों के लक्ष्यों पर आधारित है।

विद्युत प्रदाय की औसत लागत से संबद्धता

6.7 टैरिफ दरों के निर्धारण में, आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की इस अर्हता पर यथोचित विचार किया गया है कि उपभोक्ता टैरिफ दरों में विद्युत प्रदाय की लागत प्रतिबिंबित होनी चाहिये। राष्ट्रीय टैरिफ नीति में यह बाध्यकारी किया गया है कि ''वर्ष 2010–2011 तक टैरिफ दरें औसत विद्युत प्रदाय की लागत के $\pm$ 20% के अंतर्गत होनी चाहिये।'' निम्न तालिका आयोग द्वारा अवधारित वित्तीय वर्ष 07 के टैरिफ आदेश में अवधारित लागत संव्यवहार (Cost coverage) के मुकाबले में पुनरीक्षित टैरिफ दरों को प्रदर्शित करती है :

तालिका 172 : टैरिफ दर बनाम विद्युत प्रदाय की औसत लागत का तुलनात्मक अध्ययन

श्रेणी/उपश्रेणी	वित्तीय वर्ष 07 के टैरिफ आदेश के अनुसार			नवीन टैरिफ संरचना (वित्तीय वर्ष 08)		
	औसत वसूली (रूपये/यूनिट)	विद्युत प्रदाय की औसत लागत (रूपये/यूनिट)	प्राप्त की गई वसूली	राज्य की औसत वसूली (रूपये/यूनिट)	राज्य की विद्युत प्रदाय की औसत लागत (रूपये/यूनिट)	प्राप्त की गई वसूली
घरेलू (30 यूनिट तक)	2.65	3.49	76%	2.65	3.60	74%
घरेलू (शेष यूनिटो हेतु)	3.16	3.49	91%	3.43	3.60	95%
गैर–घरेलू	5.86	3.49	168%	5.48	3.60	152%
सार्वजनिक जल–प्रदाय संयंत्र	2.95	3.49	85%	3.08	3.60	86%
पथ–प्रकाश	3.53	3.49	101%	3.59	3.60	100%
निम्न दाब उद्योग (''वित्तीय वर्ष 07 की टैरिफ संरचना के अनुसार ''ग्रामीण कृषि आधारित उद्योग'' सम्मिलित कर)	4.55	3.49	130%	4.36	3.60	121%
कृषि (मीटर युक्त)	2.03	3.49	58%	2.42	3.60	67%
रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन)	4.64	3.49	133%	4.60	3.60	128%
कोयला खदानें (कोलमाईन्स)	5.50		158%	5.35	3.60	149%
औद्योगिक तथा गैर–औद्योगिक	4.72	3.49	135%	4.56	3.60	127%
उच्च दाब सिंचाई तथा जल–प्रदाय संयंत्र	3.19	3.49	92%	3.16	3.60	88%
थोक आवासीय प्रयोक्ता (बल्क रेसिडेंशियल यूजर्स)	3.60	3.49	103%	3.49	3.60	97%
छूट प्राप्तकर्ताओं को थोक विद्युत प्रदाय	2.83	3.49	81%	2.87	3.60	80%

6.8 इस प्रकार आयोग ने यह सुनिश्चित किया है कि उपभोक्ता श्रेणियों का प्रति–राज्यानुदान (क्रास–सबसिडी) का वित्तीय बोझ, जो कि वित्तीय वर्ष 2006–07 में विद्युत प्रदाय की औसत लागत के 100% से अधिक औसत टैरिफ दरें रखती हों, कम हो जावेगा। इसी प्रकार कृषि (मीटरीकृत) श्रेणी का लागत संव्यवहार 58% से बढ़ाकर 67% कर दिया गया है। उपरोक्त तालिका से यह भी ज्ञात होता है कि आयोग द्वारा औसत विद्युत प्रदाय लागत का 120% से अधिक का भुगतान करने वाली श्रेणियों की टैरिफ दरों में परिवर्तन कर दिया गया है। उदाहरणतया, वित्तीय वर्ष 07 के टैरिफ के आदेश के अनुसार गैर–घरेलू उपभोक्ता औसत टैरिफ दर वित्तीय वर्ष 07 की औसत विद्युत प्रदाय लागत का 168% था। पुनरीक्षित दरों के अनुसार इनकी औसत टैरिफ दर घटकर वित्तीय वर्ष 08 की औसत विद्युत प्रदाय लागत का 152% हो गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को छूट

6.9 स्थाई प्रभारों का उद्देश्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सृजित की गई अधोसंरचना की लागत की वसूली किया जाना है। तथापि, इस तथ्य से अवगत होते हुए कि ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्तागण, शहरी उपभोक्ताओं के मुकाबले में अबाधित तथा विश्वसनीय विद्युत प्रदाय हेतु अलाभकारी परिस्थितियों को वहन करते हैं, आयोग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं के स्थाई प्रभारों के संबंध में छूट दी गई है।

भार कारक (लोड फेक्टर) पर आधारित प्रोत्साहन योजना

6.10 आयोग द्वारा, इस टैरिफ आदेश में उच्च दाब उपभोक्ताओं की निर्धारित श्रेणियों हेतु भार कारक आधारित टैरिफ प्रोत्साहन प्रदान किये जाने की दृष्टि से एक नवीन प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। नवीन भार–कारक प्रोत्साहन योजना एतद द्वारा भार कारक प्रोत्साहनों की पूर्व योजना का स्थान लेगी।

6.11 नवीन योजना प्रोत्साहन उच्च–दाब उपभोक्ताओं की निर्धारित श्रेणियों हेतु भार–कारक आधारित टैरिफ प्रोत्साहन प्रदान किये जाने की दृष्टि से दावे की अर्हता हेतु 60 प्रतिशत से 50 प्रतिशत घटाकर प्रारंभिक भार कारक में ऊर्जा प्रभारों आदि में कमी किया जाना प्रस्तावित करती है। नवीन योजना की एक अन्य महत्वपूर्ण विशिष्टता यह है कि ऊर्जा प्रभारों पर उच्चतर छूट उपभोक्ताओं को भार कारक की 50% से 60% की सीमा के अंतर्गत प्रदान की जावेगी जिसके अनुसार भार कारकों के क्रमशः 61% से 70% तथा 71% से 80% स्लैबों में क्रमिक रूप से कमी की गई है। ऐसा 50% से 60% की सीमा के अंर्तगत आने वाले बड़ी संख्या के उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक बढ़ावा दिलाये जाने की दृष्टि से अभिप्रायपूर्वक उनकी ऊर्जा खपत में वृद्धि करने तथा इनके भार–कारकों को बेहतर बनाये जाने हेतु किया गया है।

निम्न दाब उपभोक्ताओं हेतु भार कारक (लोड फेक्टर) प्रोत्साहन

6.12 उपभोक्ताओं को ऊर्जा–कारक (पावर फेक्टर) में सुधार किये जाने बाबत प्रोत्साहित किये जाने के प्रयोजन हेतु, आयोग द्वारा ऊर्जा प्रभार में प्रोत्साहन प्रदान किया गया है जो कि औसत मासिक भार–कारक के 90% से अधिक होने पर प्रत्येक 1% वृद्धि हेतु 1% की दर से प्रदान किया जावेगा। इससे वितरण अनुज्ञप्तिधारी को हानियों में कमी किये जाने तथा वोल्टेज परिदृश्य सुधार करने में सहायता मिलेगी।

वित्तीय वर्ष 08 के खुदरा टैरिफ रूपांकन को अन्य मुख्य विशेषताएं

6.13 वित्तीय वर्ष 2007–08 के खुदरा टैरिफ रूपांकन की कुछ अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नानुसार हैं :

उच्च दाब श्रेणियों हेतु टैरिफ दरों को युक्तियुक्त करना

6.14 टैरिफ आदेश दिनांक 31 मार्च, 2006 के अनुसार श्रेणी एचवी–3.1 में, 33 केवी निम्न दाब कारकों पर संयोजित उपभोक्ताओं की तुलना में 132 केवी के उपभोक्ताओं से उच्चतर दर भारित की जा रही है। इसका कारण यह है कि 132 केवी पर स्थाई प्रभार 33 केवी से दुगुने थे। यह अपेक्षा की गई थी कि 132 केवी पर संयोजित उपभोक्ता 33 केवी पर संयोजित उपभोक्ताओं से उच्चतर भार कारक (लोड–फेक्टर) संधारित करेंगे, अतएव उच्चतर स्थाई प्रभारों के साथ भी, उनकी प्रभावी औसत टैरिफ दर कम रहेगी।

6.15 वित्तीय वर्ष 2005–06 हेतु अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तुत उपभोक्ता आंकड़ा आधार (डाटा बेस) यह प्रदर्शित करता है कि 11 केवी (एचवी 3.1 श्रेणी) उपभोक्ताओं हेतु औसत भार–कारक 26% है तथा वे वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु टैरिफ के आदेशानुसार रू.4.92 प्रति यूनिट की दर से भुगतान कर रहे हैं, जबकि 33 केवी पर संयोजित उपभोक्ता औसतन 40% के भार कारक पर प्रचालन कर रहे हैं तथा रू.4.52 प्रति यूनिट दर से औसत टैरिफ का भुगतान कर रहे हैं। 132 केवी पर संयोजित उपभोक्ता 50% का भार कारक संधारित कर रहे हैं तथा रू.4.51 प्रति यूनिट की औसत टैरिफ दर के अनुसार भुगतान कर रहे हैं जो कि लगभग 33 केवी उपभोक्ताओं के लगभग समकक्ष है। अतएव 132 केवी उपभोक्ताओं की टैरिफ दर 33 केवी उपभोक्ताओं से काफी कम रखे जाने हेतु, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 132 केवी पर हानियां 33 केवी से काफी कम होती है, आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु 132 केवी के उपभोक्ताओं की टैरिफ दरों के स्थाई प्रभारों में कमी किये जाने का निर्णय लिया है।

रेलवे हेतु एकल – भाग टैरिफ

6.16 रेलवे से ऐतिहासिक रूप से द्वि.भाग टैरिफ दरों के अनुसार वसूली की जाती रही है जिनमें कि संविदा मांग पर मांग प्रभार तथा विद्युत खपत पर ऊर्जा प्रभार सम्मिलित थे। इसके साथ ही, आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 07 के टैरिफ आदेश में यह निर्धारित किया गया था कि अनुज्ञप्ति प्राप्त क्षेत्र में समस्त संयोजन बिन्दुओं पर संविदा मांग उल्लंघन के मापन हेतु समवर्ती अधिकतम मांग (Simultaneous Maximum Demand-SMD) पर विचार किया जावेगा।

6.17 रेलवे द्वारा पूर्व में कई अवसरों पर अधिकतम मांग के नियंत्रण हेतु उनके भारों का गतिमान प्रकृति का होने के कारण इन्हें नियंत्रित किये जाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। आयोग द्वारा भी इस पहलू पर विचार किया गया है तथा गहन विचार–विमर्श के उपरांत उसके द्वारा केवल एकल भाग ऊर्जा आधारित टैरिफ दर रेलवे कर्षण भारों को अधिरोपित किये जाने संबंधी निर्णय लिया गया है। मांग प्रभारों को हटा दिया गया है। चूंकि अब कोई मांग प्रभार विद्यमान नहीं हैं, अतः समवर्ती अधिकतम मांग (SMD) की प्रासंगिकता अब समाप्त हो गई है तथा इसे अब समाप्त किया जा रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न दाब उद्योग हेतु, स्थाई प्रभारों में कमी तथा ग्रामीण कृषि–आधारित उद्योग को निम्न दाब उद्योग के अंतर्गत लाया जाना

6.18 ग्रामीण तथा शहरी उपभोक्ताओं के बीच किये गये प्रभेद को दृष्टिगत रखते हुए, आयोग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न दाब उद्योग हेतु स्थाई प्रभारों को कम कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 07 में पूर्व के निम्न दाब कृषि आधारित उद्योग के वर्गीकृत उपभोक्ताओं को विद्यमान निम्न दाब उद्योग श्रेणी के अंतर्गत लाया गया है।

सहकारी समूह गृह निर्माण संस्थायें जो एकल बिन्दु पर विद्युत प्रदाय प्राप्त करती हों, हेतु नवीन उपभोक्ता श्रेणी को प्रारंभ किया जाना

6.19 उपभोक्ताओं को एक ही बिन्दु पर थोक में विद्युत प्रदाय संबंधी अवधारणा में, अनुज्ञप्तिधारियों को हानि स्तरों में इससे होने वाले अन्तर्निहित लाभ की दृष्टि से, निरंतर वृद्धि हो रही है। इसके अतिरिक्त, अनुज्ञप्तिधारी के मीटरीकरण बिलिंग तथा संग्रहण संबंधी प्रयास भी कम हो जाते हैं क्योंकि अनुज्ञप्तिधारियों को केवल एक ही विपुल (बल्फ) विद्युत प्रदाय बिन्दु को मीटरीकृत करना होता है, कई देयकों के स्थान पर एक ही देयक प्रदाय करना होता है तथा इसी प्रकार एक ही उपभोक्ता से विपुल विद्युत प्रदाय बिन्दु पर केवल एक ही उपभोक्ता से देयक का संग्रहण करना होता है।

6.20 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग विनियम, 2004 [तृतीय संशोधन (क्रमांक एजी–I (iii), वर्ष 2005)] के अनुसार, आयोग द्वारा एक पृथक उप–श्रेणी सहकारी समूह गृह निर्माण संस्थाओं हेतु सृजित की गई है जो कि एकल बिन्दु पर ही उच्च दाब संयोजन से 11 केवी से 132 तक के किसी एक वोल्टेज पर विद्युत प्रदाय प्राप्त करेगी। इस उप–श्रेणी हेतु आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ दर को वैयक्तिक घरेलू संयोजन से कम रखा गया है ताकि ऐसी सहकारी समूह गृह निर्माण योजनाओं को एकल बिन्दु पर उच्च दाब संयोजन बिन्दु से विद्युत की प्राप्ति हेतु करने को प्रोत्साहित किया जा सके।

––x––

ए–7 : आयोग द्वारा पूर्व टैरिफ आदेशों में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुपालन की अद्यतन स्थिति

7.1 विद्युत अधिनियम, 2003 तथा तत्पश्चात् राष्ट्रीय विद्युत नीति/राष्ट्रीय टैरिफ नीति के अधिनियमन द्वारा विद्युत क्षेत्र की संरचना में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। बदलते हुए परिदृश्य में काफी बड़ी संख्या में नये परिवर्तनों हेतु पहल की जाने की आवश्यकता है। आयोग द्वारा जारी 31 मार्च, 2006 के टैरिफ आदेश में पूर्व टैरिफ आदेश में जारी दिशा–निर्देश भी दोहराये गये थे। ये दिशा–निर्देश प्रचालनीय तथा वित्तीय अनुपालन तथा उपभोक्ता सेवाओं की गुणवत्ता से संबंधित हैं। प्रमुख विषय पर अनुपालन की अद्यतन स्थिति तथा आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की चर्चा निम्न परिच्छेदों में की गई है।

7.2 आयोग द्वारा पूर्व में जारी टैरिफ आदेश दिनांक 20.09.2001, 30.11.2002 तथा 10.12.2004 में परिसम्पत्ति पंजियों के संधारण, पारेषण तथा वितरण हानि में कमी लाये जाने, कृषि उपभोक्ता खपत के निर्धारण, विद्युत क्रय किये जाने हेतु आयोग द्वारा पूर्व अनुमोदन, सीमांत ग्रामों की अद्यतन स्थिति, मानव–संसाधन नियोजन, उपभोक्ता की बेहतर देख–भाल हेतु व्यवस्था, आर–15 राजस्व मानिटरिंग (प्रपत्रों) में सुधार, ट्रांसफार्मर असफलता दर में कमी, वसूली में सुधार तथा बकाया राशि का परिसमापन (लिक्वीडेशन), वितरण ट्रांसफार्मर मीटरीकरण, उपभोक्ता मीटरीकरण, एसएमएस के माध्यम से उपभोक्ता सूचना दिये जाने, ऊर्जा अंकेक्षण, स्पॉट बिलिंग प्रारंभ, किये जाने तथा परिपालन के प्रतिवेदक (रिपोर्टर ऑफ कम्पलायंस) की नियुक्ति से संबंधित दिशा–निर्देश जारी किये गये थे। इन दिशा–निर्देशों की पुनरावृत्ति वितरण कंपनियों को जारी खुदरा टैरिफ आदेश दिनांक 31.03.06 के पैरा 5.1 में की गई थी। वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उनके द्वारा प्रस्तुत याचिका में पैरावार इनकी अद्यतन स्थिति के संबंध में कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। आयोग के पास उपलब्ध जानकारी, जो उनके द्वारा पूर्व में प्रस्तुतियों के अंर्तगत दी गई थी, से प्रकट होता है कि किया गया अनुपालन आंशिक है तथा कई विषयों पर, जैसे कि, परिसम्पत्ति पंजियों के संधारण, पारेषण एवं हानियों में कमी किये जाने, विद्युत क्रय हेतु आयोग का पूर्वानुमोदन प्राप्त किये जाने, वितरण ट्रांसफार्मर मीटरीकरण इत्यादि विषयों पर सुधार लाये जाने की आवश्यकता है।

7.3 आयोग द्वारा उसके खुदरा टैरिफ आदेश दिनांक 31.3.2006 के पैरा 5.3 में नये दिशा–निर्देश जारी किये गये थे। इस टैरिफ आदेश के पूर्व के भागों में भी दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। अनुपालन की अद्यतन स्थिति के संबंध में अनुज्ञप्तिधारी की प्रस्तुति तथा आयोग की अभ्युक्ति निम्नानुसार दर्शाई गई है :

(ए) दिशा निर्देश : टैरिफ आदेश दिनांक 31.3.2006 का पैरा 1.20–अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा स्टाफ हेतु प्रोत्साहन तथा अ–प्रोत्साहन योजना क्रियान्वित की जावेगी।

प्रतिवेदित अद्यतन स्थिति

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी : बतलाया गया है कि, उनके द्वारा प्रोत्साहन प्रदान किये जाने संबंधी प्रणाली विद्यमान है तथा वर्ष 2006–07 के दौरान 26 अधिकारियों/कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से प्रोत्साहन प्रदान किये गये हैं।

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी : बतलाया गया है कि दो योजनायें लागू की गई हैं, प्रथम योजना ट्रांसफार्मरों की असफलता दर में कमी किये जाने से संबंधित है तथा द्वितीय प्रति यूनिट वसूली दर में सुधार लाये जाने से संबंधित है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी : अनुज्ञिप्तधारी द्वारा बतलाया गया है कि स्कीम को विकसित किये जाने की प्रक्रियायें प्रगति पर है तथापि यह भी उल्लेख किया गया कि ऐसी एक योजना के संबंध में आदेश जारी किया जा चुका है।

आयोग की अभ्युक्ति : विवरणों के और अधिक सूक्ष्म परीक्षण पर यह पाया गया कि पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रतिवेदित किये जा रहे देय प्रोत्साहन, सुधारों से संबंधित विशिष्ट विषयों, जैसे कि, पारेषण तथा वितरण हानियां, राजस्व में सुधार से संबंधित न होकर विभिन्न विषयों पर व्यक्तिगत विशिष्ट योगदान पर आधारित हैं। पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं द्वारा योजना का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। आयोग का उद्देश्य कर्मचारियों को ऐसे विषयों पर बेहतर अनुपालन हेतु प्रेरित करना है जो कि वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की समग्र दक्षता, विशेषतया हानियों में कमी किये जाने तथा राजस्व वसूली में सुधार लाये जाने से संबंधित है तथा यदि इसे प्राप्त किया जा सकता है तो आयोग ऐसे प्रयासों की प्रशंसा करेगा।

(बी) **दिशा निर्देश : टैरिफ आदेश दिनांक 31.3.2006 का पैरा 1.36 – अनुज्ञप्तिधारी से अपेक्षा की जाती है कि वह टैरिफ से प्रत्याशित राजस्व तथा टैरिफ आदेश के अंतर्गत प्रभारों का प्राक्कलन उपलब्ध कराये तथा उन्हें आयोग को मासिक आधार पर प्रस्तुत करे।**

तीनों वितरण कंपनियों द्वारा प्रस्तुत अद्यतन स्थिति : बतलाया गया कि इस विषय पर पृथक से स्वप्रेरणा याचिका एस.एम.पी./53, वर्ष 2006 के अंतर्गत विचार किया जा रहा है।

आयोग की अभ्युक्ति : टैरिफ आदेश में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार अनुज्ञप्तिधारियों से अपेक्षा की गई थी कि वे अपनी कंपनी के संबंध में जानकारी मासिक आधार पर प्रस्तुत करेंगे जिसका परिपालन नहीं किया गया है। आयोग द्वारा उसके पत्र क्रमांक 981 दिनांक 18.4.2006 द्वारा पुनः दिशा–निर्देश जारी किये गये कि जानकारी पत्र में निर्धारित प्रपत्रों में प्रस्तुत की जावे। तथापि, चूंकि वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई थी, अतः स्व–प्रेरणा से एक याचिका एस.एम.पी. क्रमांक 53/2006 पंजीकृत की गई। आयोग द्वारा निरंतर अनुरोध किये जाने के बावजूद, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले समस्त वृत्तों से संबंधित जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। पश्चिम क्षेविविकं द्वारा माह अप्रैल 06 से जून 06 तक की जानकारी धार वृत्त तथा माह अप्रैल 06 हेतु नीमच वृत्त से संबंधित प्रस्तुत की गई है। मध्य क्षेविविकं द्वारा केवल शहर वृत्त भोपाल के संबंध में माह अप्रैल 06 से जुलाई 06 तक की जानकारी प्रस्तुत की गई है जबकि पूर्व क्षेविविकं द्वारा छतरपुर वृत्त से संबंधित केवल माह मई 06 हेतु ही जानकारी प्रस्तुत की गई है। स्वप्रेरणा याचिका क्रमांक 53/2006 को इन दिशा–निर्देशों के साथ समाप्त किया जा चुका है कि वितरण कंपनियां उनके क्षेत्राधिकार के समस्त वृत्तों हेतु ऐसी जानकारी मासिक आधार पर संधारित किया जाना जारी रखें। आयोग को यह टीप करते हुए खेद है कि अनुज्ञप्तिधारी की ऐसे अभिलेखों को संधारित किये जाने में उसकी कोई अभिरूचि नहीं है जो केवल उनके अनुपालन में सुधार से संबंधित हैं।

(सी) **दिशा निर्देश : टैरिफ आदेश दिनांक 31.3.2006 का पैरा 1.39–अनुज्ञप्तिधारियों को यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि वे माह अक्टूबर 06 में अगली याचिका की प्रस्तुति के दौरान बहुवर्षीय टैरिफ का प्रस्तुतिकरण नियंत्रण काल की सम्पूर्ण अवधि की अर्हताओं का अनुपालन करें।**

प्रतिवेदित अद्यतन स्थिति : तीनों वितरण कंपनियों द्वारा प्रतिपालन प्रतिवेदित किया जा चुका है।

आयोग की अभ्युक्ति : नियंत्रण अवधि हेतु सम्पूर्ण याचिका दायर किये जाने के स्थान पर बहुवर्षीय टैरिफ अवधि हेतु ही बहुवर्षीय टैरिफ नियंत्रण काल हेतु केवल पूर्व क्षेविविकं द्वारा दिनांक 31.10.06 को, पश्चिम क्षेविविकं द्वारा 4.11.06 को तथा मध्य क्षेत्र विविकं द्वारा 7.11.06 को दायर की गई। दायर की गई याचिकाओं में टैरिफ प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये गये थे तथा ये अपूर्ण थीं। अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा बाद में वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु निरंतर अनुरोध किये जाने पर टैरिफ प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये जिनमें काफी विलंब भी हुआ है।

डी) दिशा निर्देश : टैरिफ आदेश दिनांक 31.03.2006 का पैरा 4.20–वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को उनकी वे आवश्यकतायें जो कि टैरिफ आदेश में आधारित विद्युत ऊर्जा की मात्रा से अधिक हो, के लिये आयोग का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

प्रतिवेदित अद्यतन स्थिति :

पश्चिम क्षेविविकं : बतलाया गया है कि उनके द्वारा लद्यु–अवधि विद्युत अध्याप्ति (प्रोक्यूरमेंट) हेतु याचिका क्रमांक 91/06 प्रस्तुत की जा चुकी है।

मध्य क्षेविविकं : बतलाया गया है कि उनके द्वारा लद्यु–अवधि विद्युत अध्याप्ति (प्रोक्यूरमेंट) हेतु याचिका क्रमांक 90/06 प्रस्तुत की जा चुकी है।

पूर्व क्षेविविकं : बतलाया गया है कि आयोग से लद्यु अवधि विद्युत अध्याप्ति हेतु वे शीघ्र सम्पर्क करेंगे। विचलन की वास्तविक मात्रा की जानकारी वर्ष के अंत में ही प्राप्त हो सकेगी।

आयोग की अभ्युक्ति : वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा रबी मौसम के दौरान लद्यु–अवधि विद्युत क्रय हेतु एक याचिका दायर की गई है। आयोग द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को दीर्घ–अवधि अनुबन्धों के विवरण प्रस्तुत किये जाने बाबत निर्देशित किया गया है ताकि लद्यु–अवधि विद्युत की गणना दीर्घ–अवधि अनुबंधों से अधिक उपलब्धता बाबत की जा सके। अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा इस विषय पर दिये गये दिशा–निर्देशों का परिपालन किया जाना अभी शेष है। आयोग द्वारा आगे यह भी पाया गया है कि अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विद्युत क्रय हेतु विनियमों के दिशा–निर्देशों का अनुसरण नहीं किया गया है।

(ई) दिशा निर्देश : टैरिफ आदेश दिनांक 313.2006 का पैरा 2.61– दिशा–निर्देशों के अनुसार वार्षिक पूंजीगत योजना की प्रस्तुति।

प्रतिवेदित अद्यतन स्थिति : तीनों वितरण कंपनियों का कथन है कि उनके द्वारा आयोग को वार्षिक पूंजीगत योजना प्रस्तुत की जा चुकी है।

आयोग की अभ्युक्ति : आयोग द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की व्यवसाय योजना प्रावधिक तौर पर अनुमोदित की जा चुकी है जिसमें निवेश योजना सम्मिलित है। योजना में वे स्कीमें हैं जो कि गठबंधित हैं तथा वे स्कीमें जिन्हें कि निष्पादन हेतु इनके लिये पूंजी एकत्रीकरण हेतु गठबंधित किया जाना शेष है, शामिल हैं। अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दायर की गई समग्र राजस्व आवश्यकता याचिका में यह पाया गया कि अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा वित्तीय वर्ष 08 के दौरान योजनाओं हेतु निवेश राशि

को प्रक्षेपित किया गया है जिनके लिये वित्तीय व्यवस्था को गठबंधित किया जाना बाकी है।

(एफ) **दिशा–निर्देश : टैरिफ आदेश दिनांक 31.3.2006 का पैरा 2.64– अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अवमूल्यन का दावा वर्ष–वार परिवर्धनों पर आधारित विनियमों में निर्धारित दरों के अनुसार किया जावेगा तथा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि किसी भी अवमूल्यन का दावा ऐसी परिसम्पत्तियों पर नहीं किया जा सकेगा जो कि लागत के 90% तक अवमूल्यित हो चुकी हैं।**

प्रतिवेदित अद्यतन स्थिति :

पश्चिम क्षेविविकं : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परिपालन प्रतिवेदित किया जा चुका है, सिवाय दरों को अपनाये जाने के संबंध में जो कि समग्र राजस्व आवश्यकता याचिका में कथित की गई हैं।

मध्य क्षेविविकं : बतलाया गया है कि उन परिसम्पत्तियों को चिन्हित किये जाने संबंधी प्रकरणों में जो कि उनके मूल्य का 90% तक अवमूल्यित हो चुकी हैं के बारे में प्राक्कलित किया गया है कि ऐसी परिसम्पत्तियां कुल परिसम्पत्तियों का 47% हैं तथा तदनुसार इनके अवमूल्यन का दावा किया गया है।

पूर्व क्षेविविकं : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रतिपालन प्रतिवेदित किया गया है।

आयोग की अभ्युक्ति : वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अवमूल्यन का दावा विद्युत मंत्रालय की दरों के अनुसार किया है जबकि आयोग द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार उनके द्वारा अवमूल्यन का दावा केविनिआ की दरों के अनुसार किया जाना है।

(जी) **दिशा निर्देश : टैरिफ आदेश दिनांक 31.3.2006 का पैरा 2.68– मध्य क्षेविविकं अपनी परिसम्पत्ति की पंजिया प्रस्तुत करेगी। समस्त वितरण कंपनियों का इन पंजियों का मिलान अधिसूचित आय–व्यय विवरण–पत्रों के साथ करना, कंपनी अधिनियम के अनुसार इन्हें अद्यतन करना तथा उनकी समस्त परिसम्पत्तियों को संहिताबद्ध (कोडिफाई) करना।**

प्रतिवेदित अद्यतन स्थिति :

पश्चिम क्षेविविकं : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बतलाया गया कि रू. 646 करोड़ राशि की स्थाई परिसम्पत्तियों संबंधी परिसम्पत्ति पंजियां प्रस्तुत की जा चुकी हैं। कंपनी के अन्तिम प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र की अधिसूचना हेतु अन्तिम मिलान किया जावेगा।

मध्य क्षेविविकं : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बतलाया गया कि याचिका एसएमपी/54 में, आयोग ने आदेश दिनांक 18.10.06 द्वारा दिनांक 15.12.2006 तक परिसम्पत्तियों के श्रेणीवार तथा वर्ष–वार विवरण प्रस्तुत किये जाने बाबत दिशा–निर्देश दिये गये थे। विद्युत मंत्रालय के दिशा–निर्देशों के अनुसार दिनांक 31.03.06 की स्थिति में परिसम्पत्तियों के संहिताकरण का कार्य लगभग पूर्ण किया जा चुका है तथा इसे आयोग को एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत कर दिया जावेगा। आगे यह भी बतलाया जाता है कि केविनिआ मार्गदर्शिका का अनुसरण दिनांक 31.3.2006 से आगे किया जावेगा।

पूर्व क्षेविविकं : कार्य प्रगति पर है। माह मार्च 06 के अंत तक 88% कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 115 मैदानी संभागों/कार्यालयों में से 101 संभागों की परिसम्पत्ति पंजियां पूर्ण की जा चुकी हैं।

आयोग की अभ्युक्ति : इस विषय पर मक्षेविविकं का प्रदर्शन उत्साहवर्धक नहीं है तथा इसके द्वारा अभी तक परिसम्पत्ति पंजी प्रस्तुत नहीं की गई है। आयोग द्वारा स्वप्रेरणा याचिका क्रमांक 54/2006 के अंतर्गत वांछित जानकारी परिसम्पत्ति पंजी के अतिरिक्त है, अतः मध्य क्षेविविकं का परिसम्पत्ति पंजी प्रस्तुत किये जाने संबंधी परिपालन का कथन सही नहीं है। इसके अलावा, जवाब में बतलाये गये विवरण निर्धारित तिथि, अर्थात्, दिनांक 15.12.2006 तक प्राप्त नहीं हुए हैं। आयोग को मध्य क्षेविविकं के इस कथन पर विश्वास नहीं है कि केविनिआ के दिशा–निर्देशों का अनुपालन दिनांक 31.03.2006 से आगे किया जावेगा क्योंकि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसे विस्तार–पूर्वक समझाने/औचित्य दर्शाये जाने बाबत कोई विवरण–पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। पूर्व क्षेविविकं द्वारा भी उसके समस्त संभागों/कार्यालयों की परिसम्पत्ति पंजियां प्रस्तुत नहीं की गई हैं। आयोग द्वारा टीप की गई है कि परिसम्पत्ति पंजियां, उन्हें आवंटित किये गये मूल्यों से काफी कम मूल्यों की हैं, अतः अधूरी मात्र हैं। तीनों विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा अवमूल्यन की गणना करते समय विद्युत मंत्रालय की दरों का अनुसरण किया गया है जबकि उनके द्वारा केविनिआ के दिशानिर्देशों का परिपालन किया जाना चाहिए।

(एच) **दिशा निर्देश : टैरिफ आदेश दिनांक 31.3.2006 का पैरा 2.96 : अनुज्ञप्तिधारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में वे स्थाई परिसम्पत्तियों के सृजन तथा कार्यकारी पूंजी आवश्यकता की गणना हेतु समस्त स्त्रोतों के उपयोग किये जाने संबंधी सही विवरण संधारित करेंगे।**

प्रतिवेदित अद्यतन स्थिति :

पश्चिम क्षेविविकं : अनुज्ञप्तिधारी का कथन है कि उपरोक्त जानकारी के संधारण हेतु उसके स्तर पर ईआरपी सॉफ्टवेयर के चयन तथा उसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया जारी है।

मध्य क्षेविविकं : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बतलाया गया कि स्थाई परिसम्पत्तियों के सृजन के उद्देश्य से प्राप्त निधि के उपयोग संबंधी परिशुद्ध विवरण का संधारण कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। मप्रराविमं द्वारा प्रबंधित रोकड़ प्रवाह तंत्र (कैश फ्लो मैकेनिस्म) भारतीय स्टेट बैंक, मप्रराविमं तथा अनुज्ञप्तिधारी के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौते का निष्पादन किया जा चुका है। उपयोगी संबंधी सही विवरणों का संधारण किया जा रहा है।

पूर्व क्षेविविकं : अनुज्ञप्तिधारी लेखे की सारणी (चार्ट) के पुनरीक्षण पर कार्य कर रहा है।

आयोग की अभ्युक्ति : किसी भी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिशानिर्देश का अनुपालन नहीं किया गया है।

(आई) **दिशा निर्देश : टैरिफ आदेश दिनांक 31.3.2006 का पैरा 4.7 (बी) : अनुज्ञप्तिधारी स्थाई नेटवर्क प्रभार हेतु टैरिफ अनुसूची के अनुसार राशि का दावा किये जाने के प्रयोजन से व्यवधानों (Interruptions) का सम्पूर्ण अभिलेख (लॉग) रखेगा। आदेश में**

किये उल्लेख अनुसार क्षेत्रवार व्यवधानों में विशिष्ट क्षेत्रों हेतु एक नियतकालिक एमआईएस भी आयोग की पहुंच में रखा जावेगा।
प्रतिवेदित अद्यतन स्थिति : इस विषय पर सभी वितरण कंपनियों द्वारा प्रतिपालन किया जाना प्रतिवेदित किया गया है।

आयोग की अभ्युक्ति : अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दिशानिर्देशों का पूर्ण अनुपालन नहीं किया गया है। पश्चिम क्षेविविकं के इन्दौर क्षेत्र हेतु जानकारी माह मई 05 से माह दिसम्बर 05 की अवधि हेतु प्रस्तुत की गई थी तथा उज्जैन क्षेत्र हेतु केवल माह अप्रैल 05 तथा मई 05 हेतु प्रस्तुत की गई जो कि आंशिक हैं। पूर्व क्षेविविकं द्वारा केवल माह मई 05 हेतु ही विवरण प्रस्तुत किये गये। मध्य क्षेविविकं ने तथापि इस संबंध में बेहतर अनुपालन का प्रदर्शन किया है तथा अभी तक उनके द्वारा माह अप्रैल 05 से माह सितम्बर 06 तक के विवरण प्रस्तुत किये जा चुके हैं। अतएव अनुपालन आंशिक है।

(जे) **दिशा निर्देश : टैरिफ आदेश दिनांक 31.3.2006 का पैरा 4.15 : आयोग वित्तीय प्रबंधन हेतु पृथक से दिशानिर्देश जारी करेगा। आयोग द्वारा पूर्व में दिशा निर्देश जारी किये जा चुके हैं तथा वितरण कंपनियों द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं से स्थाई नेटवर्क प्रभारों की वसूली हेतु विवरण प्रस्तुत किये जाने आवश्यक हैं।**

प्रतिवेदित अद्यतन स्थिति : समस्त वितरण कंपनियों द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि इस निधि के अभिलेखन बाबत एक लेखा पृथक से सृजित किया गया है तथा जानकारी के विश्लेषण की प्रक्रिया जारी है तथा इसे शीघ्र प्रस्तुत किया जायेगा।

आयोग की अभ्युक्ति : अनुज्ञप्तिधारियों ने घरेलू उपभोक्ताओं से स्थाई नेटवर्क प्रभारों की वसूली संबंधी विवरण प्रस्तुत नहीं किये हैं।

(के) **दिशा निर्देश : टैरिफ आदेश दिनांक 31.3.2006 का पैरा 5.3 (ए) : आयोग द्वारा मप्र राज्य के अनुज्ञप्तिधारियों से अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों से ऊर्जा की न्यूनतम क्रय मात्रा निर्धारित की है तथा पवन ऊर्जा स्त्रोतों से क्रय की टैरिफ दरें भी निर्धारित कर दी गई हैं। आयोग द्वारा वितरण कंपनियों को इस संबंध में प्रगति से अवगत कराये जाने के निर्देश दिये जाते हैं।**

प्रतिवेदित अद्यतन स्थिति :

पश्चिम क्षेविविकं : अनुज्ञप्तिधारियों का कथन है कि उसके द्वारा अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित विद्युत उत्पादकों से स्वयं किसी विद्युत मात्रा की अध्याप्ति (प्रोक्यूरमेंट) नहीं की गई है। अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली में किसी व्यपवर्तित विद्युत प्रवाह के अतिरिक्त, आयोग द्वारा अनुमोदित अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों (एनईएस) विद्युत उत्पादकों द्वारा प्रस्तावित विद्युत ऊर्जा की अध्याप्ति की जा रही है। माह अप्रैल 06 से माह सितम्बर 06 तक पवन ऊर्जा अप्रत्याशित (Inadvertent) प्रवाह के रूप में 1.85 मिलियन यूनिट मात्रा की तथा क्रय के विरूद्ध 3.81 मिलियन यूनिट की मात्रा प्राप्त की गई है। कुल 126 मिलियन यूनिट की आवश्यकता के विरूद्ध, पश्चिम क्षेविविकं द्वारा 60 मिलियन यूनिट की अध्याप्ति (प्रोक्यूरमेंट) की जाना है।

मध्य क्षेविविकं : वे ऊर्जा विकास निगम द्वारा राजगढ़ जिले के जैतपुर ग्राम स्थित 100 किलोवाट क्षमता के सौर्य संयंत्र से उत्पादित ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं तथा यह ऊर्जा 11 केवी प्रणाली में प्रवाहित की जा रही है।

पूर्व क्षेविविकं : वर्तमान में अनुज्ञप्तिधारी एमपीपीटीसीएल (पारेषण कंपनी) से समूह–आधार (पूल बेसिस) पर विद्युत क्रय कर रहा है। पूर्व क्षेविविकं को अभी तक किसी पवन ऊर्जा उत्पादक द्वारा ऊर्जा विक्रय का प्रस्ताव नहीं भेजा गया है।

आयोग की अभ्युक्ति : विद्युत अधिनियम, 2003 तथा राष्ट्रीय विद्युत नीति का मुख्य उद्देय प्रदूषण रहित ऊर्जा (ग्रीन पावर) को प्रोत्साहित किया जाना है। वितरण कंपनियों को उनके क्षेत्र में अपारंपरिक ऊर्जा की उन्नति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

(एल) **दिशा निर्देश : टैरिफ आदेश दिनांक 31.3.2006 का पैरा 5.3 (बी) : अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विस्तृत तथा यथार्थ व्यवसाय योजना प्रस्तुत की जावेगी।**

प्रतिवेदित अद्यतन स्थिति :

पश्चिम क्षेविविकं : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परिपालन प्रतिवेदित किया गया है तथा बतलाया है कि उनकी पांच वर्षीय व्यवसाय योजना आयोग द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है।

मध्य क्षेविविकं : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परिपालन प्रतिवेदित किया गया है तथा बतलाया है कि उक्त योजना उनके पत्र दिनांक 22.06.06 द्वारा प्रस्तुत की गई है।

पूर्व क्षेविविकं : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बतलाया गया कि एक प्रारूप व्यवसाय योजना प्रस्तुत की जा चुकी है तथा अन्तिम व्यवसाय योजना अन्तरण योजना के अन्तिम किये जाने पर प्रस्तुत कर दी जावेगी।

आयोग की अभ्युक्ति : वित्तीय वर्ष 07 से वित्तीय वर्ष 11 तक की अवधि हेतु तीन वितरण कंपनियों की पांच वर्षीय व्यवसाय योजनाएं प्राप्त की जा चुकी है तथा आयोग द्वारा इनका अनुमोदन प्रेषित किया जा चुका है। आयोग यहां पर जोर देना चाहता है कि अनुज्ञप्तिधारी को व्यवसाय योजना में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कड़े प्रयास करने चाहिये।

(एम) **दिशा निर्देश : टैरिफ आदेश दिनांक 31.3.2006 का पैरा 5.3 (सी) : वितरण हेतु बहुवर्षीय टैरिफ की प्रस्तुति।**

प्रतिवेदित अद्यतन स्थिति :

पश्चिम क्षेविविकं : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रतिपालन प्रतिवेदित किया जा चुका है कि बहुवर्षीय टैरिफ याचिका प्रस्तुत की जा चुकी है।

मध्य क्षेविविकं : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रतिपालन प्रतिवेदित किया जा चुका है कि बहुवर्षीय टैरिफ याचिका प्रस्तुत की जा चुकी है।

पूर्व क्षेविविकं : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रतिपालन प्रतिवेदित किया जा चुका है कि बहुवर्षीय टैरिफ याचिका प्रस्तुत की जा चुकी है।

आयोग की अभ्युक्ति : वितरण कंपनियों द्वारा बतलाई गई वस्तुस्थिति केवल आंशिक रूप से ही सही है क्योंकि उनके द्वारा समस्त राजस्व आवश्यकता संबंधी याचिका वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 10 हेतु प्रस्तुत की गई है तथा उनके द्वारा समग्र

राजस्व आवश्यकता के साथ टैरिफ प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। ये टैरिफ प्रस्ताव आयोग द्वारा काफी जोर देने पर ही प्रस्तुत किये गये जो कि केवल वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु ही थे।

(एन) दिशा निर्देश : टैरिफ आदेश दिनांक 31.3.2006 का पैरा 5.3 (डी) : पारेषण सेवा अनुबंध को अन्तिम किया जाना।

प्रतिवेदित अद्यतन स्थिति : अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा परिपालन प्रतिवेदित किया गया है।

आयोग की अभ्युक्ति : अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा एक पारेषण सेवा अनुबंध मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के साथ सम्पादित किया गया है जिसकी एक प्रतिलिपि (आयोग को) प्रस्तुत की जा चुकी है।

(ओ) दिशा निर्देश : टैरिफ आदेश दिनांक 31.3.2006 का पैरा 5.3 (एफ) : राज्यान्तिरक (इन्टरा स्टेट) उपलब्धता आधारित टैरिफ (एबीटी) का क्रियान्वयन ।

प्रतिवेदित अद्यतन स्थिति :

पश्चिम क्षेविविकं : इस विषय पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी प्रतिपालन को प्रतिवेदित नहीं किया गया।

मध्य क्षेविविकं : राज्यान्तरिक एबीटी हेतु आवश्यक मीटरों की अध्याप्ति ट्रांसको द्वारा की जा रही है तथा इनकी संस्थापना 120 अर्न्तमुख (इन्टरफेस) बिन्दुओं पर माह दिसम्बर 06 तक किये जाने का कार्यक्रम है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत प्रवाह के अनुवीक्षण (मानिटरिंग) हेतु भोपाल में एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एसएलडीसी) का स्काडा (SCADA) का विस्तार इस नियंत्रण कक्ष तक किया गया है तथा छद्म अभ्यास प्रारंभ किया जा चुका है। वितरण कंपनी विद्युत का स्वत्वाधिकार प्रत्येक दिवस के 15 मिनट के अन्तराल हेतु प्राप्त कर रही है तथा वितरण कंपनियों की आवश्यकता दिवस–पूर्व (डे–अहैड) आधार पर प्रस्तुत की जा रही है।

पूर्व क्षेविविकं : स्त्रोतवार उत्पादन क्षमता के आवंटन को अन्तिम रूप दिया जा रहा है तथा तत्पश्चात् एबीटी पद्धति के क्रियान्वयन को अन्तिम रूप दिया जावेगा।

आयोग की अभ्युक्ति : आयोग यह इंगित करना चाहता है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा उनकी अधिसूचना दिनांक 17.10.06 तथा तत्पश्चात् इसके पुनरीक्षण दिनांक 14 मार्च 07 के अनुसार प्रत्येक वितरण कंपनी हेतु उत्पादन आवंटित किया गया है। मध्यप्रदेश ट्रांस्को द्वारा आयोग को अवगत करा दिया गया है कि समस्त एबीटी मीटर तथा राज्यान्तरिक एबीटी हेतु अन्य हार्डवेयर/साफ्ट वेयर माह दिसम्बर 06 के अन्त तक संस्थापित कर दिये जावेंगे।

(पी) **दिशा निर्देश : टैरिफ आदेश दिनांक 31.3.2006 का पैरा 3 (एफ) : वित्त तथा संचालन हेतु पूर्णकालिक संचालकों की पदस्थापना।**

प्रतिवेदित अद्यतन स्थिति :

मध्य क्षेविविकं : वर्तमान में वित्त तथा संचालन कार्यों हेतु पूर्णकालिक संचालकों की पदस्थापना का प्रावधान नियमावली (Memorandum of Articles) में नहीं है तथा प्रकरण को राज्य शासन को प्रस्तुत किया गया है।

पश्चिम क्षेविविकं : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बतलाया गया कि उनके द्वारा पूर्णकालिक संचालकों की नियुक्ति कर दी गई है। डा. एल.डी. आर्य को संचालक (संचालन) तथा डा. एस.पी. पाराशर को संचालक (वित्त) को नियुक्त किये जाने बाबत सूचना प्राप्त हुई है।

पूर्व क्षेविविकं : प्रतिपालन किया जाना शेष है।

आयोग की अभ्युक्ति : आयोग द्वारा दिशा–निर्देश इस आशय से जारी किये गये थे कि कंपनियों का प्रबंधन निर्धारित स्तर के विशेष योग्यता वाले व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिये तथा कंपनियों संबंधी मामले दक्ष तथा परिश्रमपूर्वक व्यावहारित किये जावें। यद्यपि पश्चिम क्षेविविकं द्वारा प्रतिपालन प्रतिवेदित किया जा चुका है, अन्य दो वितरण कंपनियों द्वारा दिशा–निर्देश का प्रतिपालन किया जाना शेष है।

(क्यू) **दिशा निर्देश : टैरिफ आदेश दिनांक 31.3.2006 का पैरा 5.3 (जी) : ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु रूपांकन फ्रेन्चाईजी मॉडल**

प्रतिवेदित अद्यतन स्थिति :

पश्चिम क्षेविविकं : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। पंचायत स्तरीय प्रतिनिधि (फ्रेन्चाईजी) को रतलाम जिले के करवा खेड़ी हेतु आदेश प्रदान किया जा चुका है। किशनगीड, गुल बालोद, बुटिया, मुंडला कलां, शेरपुर, हिगंड़ी, रोजाना, प्रीतम नगर, मिनावाड़ा, रूपाडी बटवाड़िया संबंधी पंचायत प्रतिनिधियों हेतु आदेशों की प्रक्रिया जारी है। वितरण केन्द्र स्तर प्रतिनिधियों के टोंक खुर्द तथा टोंक कलां संबंधी आदेश प्रदान किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त खण्डवा जिले के गन्धवा, सिंघोट, जसवाड़ी हेतु वितरण केन्द्र स्तर फ्रेन्चाईजी (प्रतिनिधियों) हेतु आदेश संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

मध्य क्षेविविकं : ग्रामीण क्षेत्र हेतु प्रतिनिधि (फ्रेन्चाईजी) मॉडल विकसित किया जा चुका है तथा मध्यप्रदेश शासन से अनुमोदित कराया जा चुका है। यह मॉडल मैदानी अधीक्षण यंत्रियों को उनकी टीप हेतु भेजा जा चुका है तथा उनके सुझाव प्राप्त होने पर, अन्तिम संस्करण प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

पूर्व क्षेविविकं : प्रतिनिधि (फ्रेन्चाईजी) मॉडल को रूपांतरित किया जा चुका है तथा 10 प्रतिनिधियों की नियुक्ति की जा चुकी है।

आयोग की अभ्युक्ति : राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में ग्रामीण प्रतिनिधियों (फ्रेन्चाईजी) की नियुक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत ऊर्जा के दक्ष वितरण तथा बेहतर राजस्व वसूली हेतु प्रावधान किया गया है। पूर्व तथा पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनियों द्वारा प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है जबकि मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी द्वारा निश्चित

उपलब्धि का प्रदर्शन नहीं किया गया है। प्रचालनीय दक्षता में सुधार हेतु प्रतिनिधि नियुक्ति की प्रक्रिया में गति को बढ़ाया जाना होगा।

(आर) **दिशा निर्देश : टैरिफ आदेश दिनांक 31.3.2006 का पैरा 5.3 (एच) : समस्त पूर्ण की गई परिसम्पत्तियों हेतु अवमूल्यन का दावा प्रस्तुत किये जाने हेतु कार्य तथा वित्तीय समाप्ति प्रमाण पत्र की प्रस्तुति।**

प्रतिवेदित अद्यतन स्थिति :

पश्चिम क्षेविविकं : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 05–06 हेतु स्वतंत्र कंपनी के रूप में उनके द्वारा प्रथम वित्तीय लेखे को हाल ही में अन्तिम रूप दिया गया है तथा इसे प्रस्तुत कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2005–06 हेतु पूंजीकृत की गई परिसम्पत्तियों की कार्य पूर्ण किये जाने संबंधी जानकारी उनके पास उपलब्ध है।

मध्य क्षेविविकं : आयोग के दिशा–निर्देशों का परिपालन किये जाने बाबत सभी संभव प्रयास किये जा रहे हैं।

पूर्व क्षेविविकं : अनुज्ञप्तिधारी तत्कालीन मप्रराविमं के अभिलेखों से उपलब्ध वर्ष–वार परिसम्पत्ति परिवर्धन जानकारी के आधार पर अवमूल्यन का दावा प्रस्तुत कर रहा है।

आयोग की अभ्युक्ति : वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को कंपनी अधिनियम तथा एस्सार (ESSAR) 1985 की अर्हता के अनुसार भी परिसम्पत्ति विवरण संधारित करने होते हैं। वितरण अनुज्ञप्तिधारियों में से किसी के भी द्वारा अर्हतानुसार वर्ष 2006–07 के दौरान परिसम्पत्तियों के पूंजीकरण संबंधी विवरण प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। इसी प्रकार, अनुज्ञप्तिधारियों ने वित्तीय वर्ष 07 के पूर्व की सृजित परिसम्पत्तियों के विवरण अवमूल्यन का दावा किये जाने बाबत प्रस्तुत किये हैं।

(एस) **दिशा निर्देश : टैरिफ आदेश दिनांक 31.3.2006 का पैरा 5.3 (आई) : स्काडा (SCADA) तथा आंकड़ा प्रबंधन प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम विकसित किया जावे।**

प्रतिवेदित अद्यतन स्थिति :

पश्चिम क्षेविविकं : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया तथा प्रस्तुत किया गया था। तथापि, आयोग द्वारा वित्तीय अभाव को दृष्टिगत करते हुए कार्यक्रम का क्रियान्वयन बाद में किसी तिथि से क्रियान्वित किये जाने के निर्देश दिये गये।

मध्य क्षेविविकं : आयोग की इस सहमति में काफी उदारता रही है कि वितरण कंपनी द्वारा स्पष्ट की गई वर्तमान परिस्थितियों के अंतर्गत स्वीकार किया गया है कि निकट भविष्य में स्काडा का क्रियान्वयन किया जाना संभव न होगा तथा आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार वह स्थिति की समीक्षा कर रहा है।

पूर्व क्षेविविकं : जबलपुर शहर हेतु स्काडा तथा वितरण प्रबंधन प्रणाली का क्रियान्वयन, पथ–प्रदर्शक के आधार पर, एडीबी के प्रस्ताव में सम्मलित कर लिया गया है तथा विवरण प्रस्तुत किये जा चुके हैं।

आयोग की अभ्युक्ति : आयोग द्वारा राष्ट्रीय विद्युत नीति के दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत वितरण प्रणाली में स्काडा के क्रियान्वयन हेतु मामले में वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के स्तर पर पहल की गई। एक स्वप्रेरणा याचिका भी अद्यतन स्थिति की समीक्षा हेतु पंजीकृत की गई। प्रकरण में सुनवाईयों के दौरान कंपनियों द्वारा यह निवेदन किया गया कि वे विभिन्न वित्तीय तथा तकनीकी विवशताओं के कारण स्काडा के क्रियान्वयन की स्थिति में नहीं हैं। आयोग द्वारा वितरण कंपनियों के अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है तथा वितरण कंपनियों को निर्देश दिये गये कि वितरण कंपनियां पुनः स्थिति की समीक्षा कर आयोग को प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

(टी) दिशा निर्देश : टैरिफ आदेश दिनांक 31.3.2006 का पैरा 5.3 (जे) : पूर्व भुगतान मापयंत्रों (मीटर) की पथ–प्रदर्शक (पायलट) योजनाओं का क्रियान्वयन।

प्रतिवेदित अद्यतन स्थिति :

पश्चिम क्षेविविकं : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया।

मध्य क्षेविविकं : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बतलाया गया कि वे भोपाल शहर में शीघ्र ही इस पथ–प्रदर्शक योजना के क्रियान्वयन की अपेक्षा कर रहे हैं। तथापि, कोई निश्चित लक्ष्य तिथि प्रसारित नहीं की गई है। उनके द्वारा बतलाया गया कि पथ–प्रदर्शक योजनाओं के विस्तार हेतु, इच्छा की अभिव्यक्ति हेतु निविदा बुलाई जा रही है।

पूर्व क्षेविविकं : प्रतिपालन किया जाना बाकी है।

आयोग की अभ्युक्ति : राष्ट्रीय टैरिफ नीति में राज्य विद्युत नियामक आयोगों से पूर्व भुगतान मापयंत्रों (मीटरों) के प्रयोग को बढ़ावा दिये जाने की अपेक्षा की गई है। तदनुसार, आयोग द्वारा पूर्व भुगतान मापयंत्रों के क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश जारी किये गये थे ताकि इस विषय पर इसके उपयोग के विस्तार हेतु अनुभव प्राप्त किया जा सके। वितरण कंपनियों में से किसी के भी द्वारा अभी तक किसी प्रकार की निश्चित उपलब्धि प्रदर्शित नहीं की गई है।

(यू) दिशा निर्देश : टैरिफ आदेश दिनांक 31.3.2006 का पैरा 5.3 (के) : उच्च हानि क्षेत्र में उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली (हाई वोल्टेज डिस्ट्रब्यूशन सिस्टम–एचवीडीएस) पथ–प्रदर्शक (पायलट) योजनाओं का क्रियान्वयन

प्रतिवेदित अद्यतन स्थिति :

पश्चिम क्षेविविकं : उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि एडीबी/एपीडीआरपी सहायता के अन्तर्गत उच्च हानि क्षेत्र में उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली को क्रियान्वयन किया गया है। माह अक्टूबर 06 तक इसकी उपलब्धियां निम्नानुसार रहीं :

एडीबी :

(ए) निम्न दाब लाईन को उच्च दाब लाईन में परिवर्तन किया जाना–742 किलोमीटर

(बी) निम्न क्षमता के वितरण ट्रांसफर्मरों की संस्थापना किया जाना (संख्या) – 3908

एपीडीआरपी :

(ए) निम्न दाब लाईन को उच्च दाब लाईन में परिवर्तन किया जाना–380 किलोमीटर

(बी) निम्न क्षमता के वितरण ट्रांसफर्मरों की संस्थापना किया जाना (संख्या) – 580

मध्य क्षेविविकं : उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि एचवीडीएस की पथ–प्रदर्शक योजनाएं प्रारंभ की जा चुकी हैं तथा विद्यमान वस्तु–स्थिति निम्न प्रकार है :

स्थान	संस्थापित किये गये लद्यु वितरण ट्रांसफार्मरों की संख्या (बिना निम्न दाब वाले)
ग्वालियर शहर	687
भोपाल	77
मुरैना	78
भिण्ड	109

वितरण कंपनी द्वारा 33/11 केवी उपकेन्द्र से दो की संख्या में 11 केवी फीडर चांदबड़ (जिला सिहोर) के, एचवीडीएस पथ–प्रदर्शक योजना के क्रियान्वयन हेतु चिन्हित किये गये हैं जिस हेतु डीएफआईडी द्वारा परियोजना प्रतिवेदन वित्तीय प्रबंधन हेतु प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, उनके द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत 10 केवीए तथा 16 केवीए वितरण ट्रांसफार्मर के साथ एबीसी केबल पर निम्न दाब लाईन का प्रावधान भी किया गया है। निम्न दर्शाये अनुसार तीन योजनाओं में व्यय के प्रावधान को अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है :

विवरण	लद्यु ट्रांसफार्मरों का प्रावधान		
	गुना	अशोक नगर	भोपाल
10 केवीए एकल फेस	1514	1185	–
16 केवीए 3–फेज	256	578	1395

पूर्व क्षेविविकं : उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि एचवीडीएस के क्रियान्वयन हेतु प्रस्ताव, एडीबी द्वारा अन्तिम किये जाने बाबत सम्मिलित किया गया है तथा विवरण प्रस्तुत किये जा चुके हैं।

आयोग की अभ्युक्ति : राष्ट्रीय विद्युत नीति में तकनीकी हानियों को कम किये जाने, विद्युत की चोरी पर रोक लगाने, वोल्टेज परिदृश्य में सुधार लाये जाने तथा बेहतर उपभोक्ता तुष्टि हेतु एचवीडीएस के क्रियान्वयन का प्रभाशाली ढंग से प्रावधान किया गया है। तकनीकी–आर्थिक पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न–दाब/उच्च–दाब

अनुपात कम किये जाने हेतु इसे बढ़ावा दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं। आयोग यह जानकर प्रसन्न है कि कंपनियां उच्च दाब वितरण प्रणाली (एचवीडीएस) के क्रियान्वयन हेतु अग्रसर हुई हैं तथा आशा करते हैं प्रक्रिया को और शीघ्रता से बढ़ाया जावेगा।

(व्ही) **दिशा निर्देश : टैरिफ आदेश दिनांक 31.3.2006 का पैरा 5.3 (एल) : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वोल्टेज वार–लागत अभिलेख संधारित किये जाने हेतु, प्रक्रिया की पहल की जावेगी**

प्रतिवेदित अद्यतन स्थिति :

पश्चिम क्षेविविकं : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिशा–निर्देशों का परिपालन नहीं किया गया है।

मध्य क्षेविविकं : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिशा–निर्देशों का परिपालन नहीं किया गया है।

पूर्व क्षेविविकं : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रतिवेदित किया इस प्रयोजन हेतु अभिलेख संकलित किये जा रहे हैं।

आयोग की अभ्युक्ति : किसी भी वितरण कंपनी द्वारा दिशा–निर्देशों का परिपालन नहीं किया गया है।

(डब्ल्यू) **दिशा निर्देश : टैरिफ आदेश दिनांक 31.3.2006 का पैरा 5.3 (एम) : आयोग द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार वार्षिक पूंजीगत व्यय योजनाओं की प्रस्तुति।**

प्रतिवेदित अद्यतन स्थिति : समस्त वितरण कंपनियों द्वारा दिशा–निर्देशों का परिपालन किया जा चुका है।

आयोग की अभ्युक्ति : आयोग द्वारा अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तुत निवेश योजना का व्यवसाय योजना के साथ प्रावधिक अनुमोदन दिया जा चुका है।

(एक्स) **दिशा निर्देश : टैरिफ आदेश दिनांक 31.3.2006 का पैरा 5.3 (एन) : परिसम्पत्ति पंजियों का मिलान किया जाना**

प्रतिवेदित अद्यतन स्थिति :

पश्चिम क्षेविविकं : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अनुज्ञप्तिधारी के अन्तिम प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र की अधिसूचना के उपरांत अन्तिम मिलान किया जावेगा। इस बीच, उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर आय–व्यय विवरण–पत्र की राशियों, मूल्य तथा परिसम्पत्ति पंजी के आंकड़े घटकर 4% तक रह गये हैं।

मध्य क्षेविविकं : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बतलाया गया कि दिनांक 31 मार्च, 06 की स्थिति में परिसम्पत्तियों का संहिताकरण लगभग पूर्ण हो चुका है तथा इसे एक सप्ताह में प्रस्तुत कर दिया जावेगा। केविनिआ मापदण्डों का अनुसरण किये जाने संबंधी दिशा–निर्देशों का अनुपालन दिनांक 31.03.06 से प्रारंभ कर दिया जावेगा।

पूर्व क्षेविविकं : अनुज्ञप्तिधारी का कथन है कि इस प्रयोजन हेतु अभिलेखों को संकलित किया जा रहा है।

आयोग की अभ्युक्ति : जबकि पश्चिम क्षेविविकं द्वारा कुछ प्रयास किये गये अवश्य प्रतीत होते हैं, शेष दो वितरण कंपनियों द्वारा दिशा–निर्देशो के परिपालन हेतु कोई कदम नहीं उठाये गये हैं। अवमूल्यन दरों की गणना हेतु परिसम्पत्तियों की मात्रा सुनिश्चित तथा अनुज्ञेय किये जाने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि परिसम्पत्ति पंजियां उचित ढंग से संधारित की जायें तथा वे तत्संबंधी आय–व्यय विवरणों–पत्रों के साथ मेल खायें।

(वाई) दिशा निर्देश : टैरिफ आदेश दिनांक 31.3.2006 का पैरा 5.3 (ओ) : भिन्न–भिन्न वोल्टेज स्तरों पर चक्रण प्रभारों के अवधारण हेतु वितरण तथा खुदरा विद्युत प्रदाय व्यापार के लेखांकन का पृथक्करण।

प्रतिवेदित अद्यतन स्थिति :

पश्चिम क्षेविविकं : अनुज्ञप्तिधारी का कथन है कि वर्तमान लेखांकन प्रणाली उसे वितरण तथा खुदरा विद्युत प्रदाय के पृथक्करण किये जाने संबंधी जानकारी प्रस्तुत किये जाने हेतु समर्थ नहीं बनाती। तथापि उनके द्वारा आवंटन कारकों allocation factors पर आधारित, चालू याचिका की प्रस्तुति के एक भाग के रूप में लेखांकन जानकारी के पृथक्करण की प्राप्ति हेतु सार्थक प्रयास किये गये हैं।

मध्य क्षेविविकं : अनुज्ञप्तिधारी का कथन है कि वर्तमान लेखांकन प्रणाली उसे वितरण तथा खुदरा विद्युत प्रदाय के पृथक्करण किये जाने संबंधी जानकारी प्रस्तुत किये जाने हेतु समर्थ नहीं बनाती। तथापि उनके द्वारा आवंटन कारकों पर आधारित, चालू याचिका की प्रस्तुति के एक भाग के रूप में लेखांकन जानकारी के पृथक्करण की प्राप्ति हेतु सार्थक प्रयास किये गये हैं।

पूर्व क्षेविविकं : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वर्तमान याचिका प्रस्तुति में दो व्यवसायों हेतु पृथक समग्र राजस्व आवश्यकता (ARR) उसे अपनाये जाने हेतु युक्तियुक्त कारणों के साथ प्रस्तावित किया गया है।

आयोग की अभ्युक्ति : मध्य तथा पूर्व क्षेविवि कंपनियों द्वारा केवल चक्रण के कारण सम्पूर्ण व्यय प्रस्तावित किये हैं तथा वितरण तथा खुदरा विद्युत प्रदाय के मध्य गतिविधियों तथा व्ययों के आवंटन हेतु एक वैज्ञानिक आधार रखे जाने हेतु अध्ययन बाबत कोई प्रयास नहीं किये गये हैं। तथापि, मध्य क्षेविविकं द्वारा कुछ व्यय खुदरा विद्युत प्रदाय को आवंटित किये गये हैं। अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा वितरण तथा खुदरा प्रदाय के कारण व्ययों के उचित रूप से एवं परिशुद्ध रूप से पृथक्करण हेतु विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन किये जाने की आवश्यकता है।

(जेड) दिशा निर्देश : टैरिफ आदेश दिनांक 31.3.2006 का पैरा 5.3 (पी) : तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानियों के पृथक्करण हेतु अध्ययनों को प्रारंभ किया जाना।

प्रतिवेदित अद्यतन स्थिति :

पश्चिम क्षेविविकं : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि इस विषय पर विस्तृत अध्ययन प्रारंभ नहीं किया गया है। तथापि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 33/11 केवी के विभिन्न भारों पर तकनीकी हानियों से संबंधित अध्ययन किया जा चुका है।

मध्य क्षेविविकं : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उनके द्वारा तकनीकी हानियों से संबंधित अध्ययन ''CYMDIST'' साफ्टवेयर के माध्यम से किया जा रहा है। मीटरों की संस्थापना 11 केवी फीडरों पर की जाती है तथा संभाग जहां निम्न दाब बिलिंग राजस्व प्रबंधन सॉफ्टवेयर (रेवेन्यू मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर–आएमएस) अप्रसांगिक हो, 11 केवी फीडर–वार कुल विक्रय तथा कुल हानियां उपलब्ध रहते हैं।

पूर्व क्षेविविकं : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सूचित किया गया कि उनके द्वारा अभी तक अध्ययन संस्थित नहीं किया जा सका है।

आयोग की अभ्युक्ति : राष्ट्रीय टैरिफ नीति में निर्देशित किया गया है कि हानियों के तकनीकी तथा गैर–तकनीकी हानियों के मध्य पृथक्करण किये जाने से संबंधित अध्ययन किये जावें। आयोग द्वारा दिशानिर्देशों के अनुसरण में एक स्वप्रेरणा याचिका पंजीकृत की गई। प्रत्युत्तर में, **पश्चिम क्षेविविकं** द्वारा निवेदन किया गया कि उनके द्वारा वितरण ट्रांसफार्मरों की महत्वपूर्ण संख्या (9000 से अधिक) पर मापयंत्रों (मीटरों) की संस्थापना हेतु तथा हानियों के पृथक्करण से संबंधित अध्ययन हेतु आदेश जारी किये गये हैं। कंपनी द्वारा अब यह कहना कि उनके द्वारा विस्तृत अध्ययन आरंभ नहीं किया गया है, उनके द्वारा पूर्व में की गई प्रस्तुति के बिलकुल विपरीत है। **पूर्व क्षेविविकं** द्वारा उपरोक्त दर्शाई गई याचिका के प्रत्युत्तर में निवेदन किया गया है कि उनके द्वारा उनकी कंपनी के छः नगरों के वितरण ट्रांसफार्मरों पर मापयंत्रों की संस्थापना बाबत आदेश जारी किये जा चुके हैं तथा इसी के साथ ही हानियों के पृथक्करण हेतु भी अध्ययन प्रारंभ कर दिया जावेगा तथा समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार इसे पूर्ण कर लिया जावेगा। **मध्य क्षेविविकं** द्वारा, तथापि, कहा गया कि उनके द्वारा अध्ययन प्रारंभ नहीं किया गया है। राष्ट्रीय टैरिफ नीति के दिशा–निर्देशों के परिपालन हेतु आयोग द्वारा विषय संबंधी अध्ययन पूर्ण किये जाने हेतु निर्देश दिये गये तथा इसे माह मार्च, 2007 तक प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने संबंधी अनुदेश भी दिये गये। आयोग पूर्व तथा मध्य क्षेत्र वितरण कंपनियों द्वारा पूर्व में स्वप्रेरणा याचिका के प्रत्युत्तर में अपनाये गये रवैये में परिवर्तन को समझने में स्वयं को असमर्थ पा रहा है तथा समस्त वितरण कंपनियों को प्रकरण में दिये गये दिशा निर्देशों के प्रतिपालन हेतु पुनः निर्देशित करता है।

(एए) दिशा निर्देश : टैरिफ आदेश दिनांक 31.3.2006 का पैरा 5.3 (क्यू) : हानि स्तरों में कमी लाये जाने संबंधी मार्गदर्शिका को विकसित करना ताकि इसे वर्ष 2012 तक अर्न्तराष्ट्रीय स्तरों तक जाया जा सके।

प्रतिवेदित अद्यतन स्थिति :

पश्चिम क्षेविविकं : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उसके द्वारा भार अभिवृद्धि, हानि में कमी लाये जाने, प्रणाली सुदृढ़ीकरण आदि से संबंधित आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु एक निवेश योजना विकसित कर प्रस्तुत की है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा इस मार्गदर्शिका में सुधार किये जाने की संभावना है।

मध्य क्षेविविकं : प्रतिवेदित किया गया है कि हानि स्तरों में कमी किये जाने संबंधी मार्गदर्शिका अनुज्ञप्तिधारी के वर्तमान प्रदर्शन स्तर को दृष्टिगत रखते हुए तैयार की गई है। प्रक्षेपित की गई हानि में कमी किये जाने संबंधी वक्र मार्ग (ट्रेजेक्टरी) की तुलना अर्न्तराष्ट्रीय स्तर से नहीं की जा सकती है।

पूर्व क्षेविविकं : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उनके द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एक विस्तृत निवेश योजना तैयार की गई है।

आयोग की अभ्युक्ति : राष्ट्रीय विद्युत नीति के दिशा–निर्देशों के अनुसार मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2010–11 तक वर्ष–दर–वर्ष आधार पर हानियों में कमी लाये जाने बाबत एक मार्गदर्शिका अधिसूचित की है। कंपनी को मार्गदर्शिका में निर्धारित किये गये लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देश दिये जाते हैं।

(बीबी) **दिशा निर्देश : टैरिफ आदेश दिनांक 31.3.2006 का पैरा 5.5 : दिनांक 29 जून, 05 को पारित टैरिफ आदेश में एक महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश ऐसे क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को स्थाई प्रभारों के एक प्रतिशत वापसी से संबंधित थे जहां विद्युत प्रदाय बाधा (Interruption) की अवधि निर्दिष्ट अवधि से अधिक थी। वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रभावित उपभोक्ताओं को धन वापसी की जा चुकी है। आयोग इनके विवरणों को सत्यापित करेगा तथा आगामी महीनों में इस विषय पर कार्यवाही करेगा।**

प्रतिवेदित अद्यतन स्थिति :

पश्चिम क्षेविविकं : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस विषय में प्रतिपालन प्रतिवेदित नहीं किया गया है।

मध्य क्षेविविकं : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस विषय में प्रतिपालन प्रतिवेदित नहीं किया गया है।

पूर्व क्षेविविकं : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उनके द्वारा धन वापसी संबंधी उपबन्ध का परिपालन किया जा रहा है तथा माह फरवरी, 06 तक के ऐसे धन वापसी (रिफन्ड) के विवरण प्रस्तुत किये जा चुके हैं।

आयोग की अभ्युक्ति : अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा नियमित आधार पर विवरण संधारित नहीं किये गये हैं तथा न ही इन्हें आयोग को प्रस्तुत किया गया है। अनुज्ञप्तिधारियों को ये विवरण आयोग को नियमित आधार पर प्रस्तुत किये जाने संबंधी अनुदेश दिये जाते हैं।

(सीसी) **दिशा निर्देश : टैरिफ आदेश दिनांक 31.3.2006 टैरिफ शेड्यूल एल–वी 1 का नोट (सी) : अनुज्ञप्तिधारी को माह अन्त में प्रत्येक शहर संचालन एवं संधारण संभागों में औसत दैनिक विद्युत प्रदाय को सूचित करना होगा तथा विद्युत देयकों पर भी इसे प्रदर्शित करना होगा।**

प्रतिवेदित अद्यतन स्थिति :

पश्चिम क्षेविविकं : अनुज्ञप्ति द्वारा विषय संबंधी प्रतिपालन प्रतिवेदित किया गया।

मध्य क्षेविविकं : अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि वे इस संबंध में दिशानिर्देशों का पूर्ण रूप से प्रतिपालन करें तथा सुनिश्चित करें कि प्रभारों की वसूली टैरिफ आदेश के उपबन्धों के अनुसार की जावे तथा यदि कोई अधिक वसूली की जाती है तो इसे संबंधित उपभोक्ताओं को शीघ्र वापस करें।

पूर्व क्षेविविकं : अनुज्ञप्ति द्वारा प्रतिपालन प्रतिवेदित किया गया।

आयोग की अभ्युक्ति : अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दिशा–निर्देशों का पूर्ण रूप से प्रतिपालन नहीं किया गया। पश्चिम क्षेविविकं इन्दौर क्षेत्र की जानकारी माह मई, 05 से दिसम्बर 05 तक की तथा उज्जैन क्षेत्र हेतु, यह माह अप्रैल तथा मई 05 हेतु ही प्रस्तुत की गई। मध्य क्षेविविकं द्वारा इस संबंध में बेहतर प्रतिपालन प्रदर्शित किया गया है तथा उनके द्वारा माह अप्रैल 05 से सितम्बर 06 तक के विवरण प्रस्तुत किये गये हैं।

(डीडी) दिशा निर्देश : टैरिफ आदेश दिनांक 31.3.2006 का पैरा 5.6 : अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि प्रत्येक उपभोक्ता को हिन्दी भाषा में टैरिफ कार्ड दिनांक 30.04.2006 तक प्रेषित कर दिया जावे।

प्रतिवेदित अद्यतन स्थिति : इस विषय पर किसी भी वितरण कंपनी ने प्रतिपालन प्रस्तुत नहीं किया है।

आयोग की अभ्युक्ति : आयोग द्वारा उपभोक्ताओं को हिन्दी भाषा में टैरिफ कार्ड जारी किये जाने संबंधी दिशा–निर्देश उपभोक्ताओं को देयक के विभिन्न अवयव तथा प्रभारों की व्याख्या किये जाने के उद्देश्य से जारी किये गये थे। जबकि आयोग यह जानकर प्रसन्न है कि पूर्व क्षेविविकं ने इस विषय में प्रतिपालन प्रतिवेदित कर दिया है, आयोग मध्य तथा पश्चिम क्षेविविकं से भी अब इसका प्रतिपालन किये जाने की अपेक्षा करता है।

7.4 पूर्व में जारी किये गये टैरिफ आदेशों पर प्रतिपालन की अद्यतन स्थिति की समीक्षा से यह प्रकट होता है कि वितरण कंपनियां विद्युत प्रदाय की गुणवत्ता तथा सेवाओं संबंधी काफी विषयों पर प्रतिपालन के साथ–साथ वितरण कंपनियां प्रचालन दक्षता में सुधार करने में असफल रही हैं। आयोग द्वारा दिशा–निर्देश ऐसे परिवर्तन लाये जाने के उद्देश्य से जारी किये गये थे जो कि विद्युत अधिनियम, 2003 तथा राष्ट्रीय विद्युत नीति एवं राष्ट्रीय टैरिफ नीति के उपबन्धों के अनुरूप हैं ताकि सम्पूर्ण विद्युत क्षेत्र में समग्र रूप से सुधार लाया जा सके। वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को दिशा–निर्देशों के प्रतिपालन के महत्व को समझने की आवश्यकता है तथा इसके क्रियान्वयन हेतु अपनी इच्छा शक्ति को प्रदर्शित करना होगा। आयोग अनुज्ञप्तिधारियों से भविष्य में बेहतर प्रदर्शन की अपेक्षा रखता है।

7.5 **<u>इस टैरिफ आदेश के नवीन दिशा–निर्देश</u>** : आयोग अनुज्ञप्तिधारियों से निम्न दिशा–निर्देशों पर कार्यवाही प्रारंभ किये जाने तथा प्रत्येक हेतु प्रतिपालन प्रतिवेदित किये जाने हेतु निर्देश करता है।

(ए) **विद्युत क्रय विनियमों पर प्रतिपालन सुनिश्चित किया जाना** : वितरण कंपनियों को कड़ाई से दीर्घ–अवधि विद्युत क्रय अनुबन्धों तथा लघु–अवधि विद्युत क्रय अनुबंधों के माध्यम से विद्युत क्रय विनियमों का अनुपालन करना चाहिए।

(बी) **ऊर्जा अंकेक्षण का क्रियान्वयन** : स्वविवेक याचिकाओं की सुनवाईयों के दौरान वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा की गई विभिन्न प्रस्तुतियों से ज्ञात होता है कि इस विषय पर प्रगति काफी शिथिल है तथा ऊर्जा अंकेक्षण के परिणाम भी विश्वसनीय नहीं है। वितरण कंपनियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि उचित स्थानों पर ऊर्जा अंकेक्षण मापयंत्र दिनांक 31.12.2007 तक संस्थापित कर दिये जावें तथा प्रतिपालन दिनांक 15 जनवरी तक प्रस्तुत कर दिया जाये।

(सी) **33/11 केवी उपकेन्द्रों तथा वैयक्तिक 11 केवी फीडरों का ऊर्जा अंकेक्षण** : वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को 33/11 केवी उपकेन्द्रों तथा संभागों में 11 केवी वैयक्तिक फीडरों

पर ऊर्जा अंकेक्षण प्रारंभ किया जाने संबंधी निर्देश दिये जाते हैं जहां कि राजस्व प्रबंधन सॉफ्टवेयर (आरएमएस) प्रारंभ किया गया है। वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को इस संबंध में विवरण सहित प्रतिपालन प्रतिवेदित किया जाना चाहिये तथा इसका प्रथम प्रतिपालन माह सितम्बर, 2007 तक प्रस्तुत किया जाना चाहिये। वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उपभोक्ता सूचीकरण, संहिताकरण तथा उचित बिलिंग सॉफ्टवेयर का कार्य प्रारंभ किये जाने संबंधी पहल की जानी चाहिये ताकि कार्य समाप्त किया जा सके तथा वह कंपनी के क्षेत्राधिकार में 33/11 केवी उपकेन्द्र–वार तथा समस्त संभागों हेतु 11 केवी फीडर–वार ऊर्जा अंकेक्षण गणना किये जाने की स्थिति में हो। इस संबंध में गतिविधियों की वार्षिक समीक्षा आगामी टैरिफ अवधारण के समय की जावेगी।

(डी) **हानियों का तकनीकी तथा गैर–तकनीकी पृथक्करण** : आयोग द्वारा राष्ट्रीय विद्युत नीति के दिशा–निर्देशों के अनुरूप इसको स्वविवेक से संज्ञान लिया था तथा तकनीकी तथा गैर–तकनीकी हानियों के पृथक्करण हेतु विशेषज्ञों की सहायता द्वारा अध्ययन किये जाने के निर्देश दिये गये थे। यह अध्ययन पूर्ण किया जाकर प्रतिवेदन आयोग को माह मार्च, 2007 तक प्रस्तुत किया जाना है, जो कि अप्राप्त है। वितरण कंपनियों को अविलंब प्रतिवेदन प्रस्तुति सुनिश्चित किये जाने संबंधी निर्देश दिये जाते हैं।

(ई) **वितरण हानियों में कमी की जाने संबंधी** : मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष–दर–वर्ष आधार पर वर्ष 2010–11 तक हानियों में कमी किये जाने संबंधी मार्गदर्शिका अधिसूचित की गई है। वितरण कंपनियों को अधिसूचना में दर्शाये गये मानदण्डीय हानि स्तरों को उपलब्ध कराये जाने बाबत उचित ऊर्जा अंकेक्षणों को सुनिश्चित किये जाने, विद्युत चोरी को रोके जाने के संबंध में जांच में तीव्रता लाने तथा इसी प्रकार की वांछित कार्यवाहियों द्वारा सभी संभव प्रयास किये जाने संबंधी निर्देश दिये जाते हैं।

(एफ) **सुदूर मापयंत्रण (रिमोट मीटरिंग)** : आयोग द्वारा पूर्व में वितरण कंपिनयों को उच्च क्षमतावान (हाई वेल्यू) उपभोक्ताओं, विशेषतया उच्च दाब उपभोक्ताओं हेतु सुदूर मापयंत्र लगाये जाने के निर्देश प्रसारित किये थे। यद्यपि इस संबंध में कुछ कार्य किया जा चुका है परंतु काफी बड़ी संख्या में उच्च दाब उपभोक्ताओं को अभी तक सुदूर मापयंत्र उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। आयोग द्वारा वितरण कंपनियों को समस्त उच्च दाब उपभोक्ताओं को सुदूर मापयंत्रण का क्रियान्वयन सुनिश्चित किये जाने तथा आगामी टैरिफ याचिका प्रस्तुति में प्रतिपालन प्रतिवेदित किये जाने संबंधी निर्देश दिये जाते हैं। आयोग वितरण कंपनियों को पथ–प्रदर्शक योजनाओं में पूर्व–भुगतान (प्रि–पेड) मापयंत्रों के सहयोजन से सुदूर मापयंत्रण की संभावना का पता लगाये जाने तथा इसके परिणामों से अवगत कराये जाने हेतु भी निर्देशित करता है।

(जी) **उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली (हाई वेल्यू डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम–एच.वी.डी.एस) का क्रियान्वयनः** राष्ट्रीय टैरिफ नीति में एक दिशा–निर्देश वितरण कंपनियों की उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली (एचवीडीएस) क्रियान्वित किये जाने से संबंधित है ताकि विद्युत की चोरी को रोके जाने, वोल्टेज में सुधार लाये जाने तथा विद्युत प्रदाय में विश्वसनीयता लाया जाना संभव हो सके। कुछ योजनाओं में कुछ कार्य को सम्मिलित किया जा चुका है जैसा कि वितरण कंपनियों द्वारा उनकी याचिका में दर्शाया गया है। आयोग एचवीडीसी के क्रियान्वयन का विस्तार किये जाने हेतु निर्देश देता है ताकि तकनीकी हानियों में कमी लाई जा सके, विद्युत चोरी पर रोक लगाई जा सके तथा उपभोक्ता छोर पर वोल्टेज स्तरों में सुधार लाया जा सके। कंपनियों द्वारा आगामी याचिका की प्रस्तुति में परिणामों के विवरण की प्रस्तुति द्वारा प्रतिपालन प्रतिवेदित किया जावे।

(एच) **तात्कालिक बिलिंग व्यवस्था (स्पॉट) बिलिंग** : आयोग द्वारा पूर्व में वितरण कंपनियों को प्रथम चरण में बड़े नगरों में तात्कालिक बिलिंग व्यवस्था (स्पॉट बिलिंग) प्रारंभ किये जाने तथा राज्य में शनैः–शनैः अन्य स्थानों पर इसके उपयोग का विस्तार किये जाने बाबत निर्देश जारी किये थे। आयोग की जानकारी में यह बात लाई गई है कि भोपाल शहर में यह कार्य सीमित ढंग से हाल ही में प्रारंभ किया जा चुका है तथा प्राप्त परिणाम काफी उत्साहवर्धक हैं। आयोग वितरण कंपनियों को एक वर्ष की अवधि के भीतर समस्त जिला मुख्यालय नगरों में तात्कालिक बिलिंग व्यवस्था क्रियान्वित किये जाने तथा प्रतिपालन प्रतिवेदित किये जाने बाबत निर्देशित करता है। यह ध्यान रखे जाने की आवश्यकता है कि कम्प्यूटर सहायता प्राप्त उपकरणों के प्रयोग के माध्यम से तात्कालिक बिलिंग व्यवस्था इस प्रकार क्रियान्वित की जावे कि यह बिलिंग प्रणालियों के साथ भलीभांति एकीकृत रहे। तात्कालिक बिलिंग व्यवस्था का उपयोग बाद में कंपनी के अन्य क्षेत्रों में भी किया जाना चाहिए।

(आई) पूर्ण परिसम्पत्ति पंजियों का संधारण : आयोग वितरण कंपनियों को उनकी परिसम्पत्ति पंजियां विस्तृत रूप से तैयार किये जाने बाबत निर्देशित करता है।

(जे) **प्रतिनिधि (फ्रेन्चाइजी)** : वितरण कंपनियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वे राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में किये गये प्रावधान अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिनिधियों की नियुक्ति हेतु उपयुक्त पहल करें तथा आगामी याचिका के प्रस्तुतिकरण में इसकी प्रगति प्रतिवेदित करें।

आयोग इन दिशा–निर्देशों के क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति के संबंध में त्रैमासिक समीक्षा करेगा।

––x––

वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा पारित टैरिफ आदेश का परिशिष्ट

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

निम्नदाब उपभोक्ताओं हेतु टैरिफ अनुसूची

अनुक्रमणिका

टैरिफ अनुसूचियां	पृष्ठ
एलवी–1 घरेलू	2
एलवी–2 गैर–घरेलू	4
एलवी–3.1 सार्वजनिक जल–प्रदाय संयत्र	6
एलवी–3.2 पथ–प्रकाश	6
एलवी–4 निम्नदाब उद्योग (कृषि आधारित तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को सम्मिलित कर)	7
एलवी–4.1 गैर–मौसमी (नॉन–सीजनल)	7
एलवी–4.2 मौसमी (सीजनल)	9
एलवी–5 कृषि हेतु सिंचाई पंप	11

टीप : टैरिफ अनुसूची में मप्रविनिआ क्र 1031, 1032, 1033, दिनांक 04–06.07 द्वारा जारी संशोधन सम्मिलित हैं।

टैरिफ अनुसूचियां

निम्नदाब उपभोक्ताओं हेतु अनुसूचियां

टैरिफ अनुसूची–एलवी–1

घरेलू :–

प्रयोज्यता :–

यह टैरिफ दर केवल आवासीय उपयोग हेतु बत्ती, पंखा तथा पावर हेतु लागू होगी। इस श्रेणी के अंतर्गत धर्मशालाएं, विद्यार्थियों अथवा कार्यशील महिलाओं (वर्किंग वीमेन) हेतु छात्रावास, वृद्धावस्था आवास गृह (ओल्ड एज हाउसेज), सुधारालय (रसक्यू हाऊस) तथा अनाथालय, पूजा स्थल, धार्मिक संस्थाएं, तथा शासकीय अस्पताल व शासकीय चिकित्सा देखभाल सुविधाएं, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सम्मिलित करते हुए भी शामिल होंगे।

टीप : किसी व्यावसायिक गतिविधि हेतु, संविदा मांग के 10 प्रतिशत से अधिक विद्युत प्रयोग करने वाले उपभोक्ता, व्यावसायिक गतिविधि हेतु निर्धारित की जाने वाली खपत के अनुसार उचित गैर–टैरिफ दरों के अनुसार प्रभारित किये जायेंगे।

ऊर्जा प्रभारों तथा स्थाई प्रभारों हेतु टैरिफ दरें :

इस उप–श्रेणी हेतु टैरिफ दरें चालू मासिक खपत पर निम्न तालिका के अनुसार आधारित होंगी :

(ए) **ऊर्जा प्रभार–** वास्तविक खपत हेतु

सरल क्रमांक	मासिक खपत हेतु स्लैब	समस्त खपत किये गये यूनिटों हेतु, बिना किसी दूरबीनीय (टेलस्कोपिक) लाभ के (पैसे प्रति यूनिट)	न्यूनतम प्रभार (रूपये प्रति संयोजन प्रति माह)
1	30 यूनिट तक	265	30
2	31 से 50 यूनिट तक	270	
3	51 से 100 यूनिट तक	305	
4	100 यूनिट से अधिक	350	
5	स्वयं के गृह निर्माण हेतु (अधिकतम एक वर्ष हेतु), सामाजिक/वैवाहिक प्रयोजन तथा धार्मिक समारोह हेतु अस्थाई संयोजन	400	350
6	बिना मीटर वाले संयोजन (शहरी क्षेत्र में)	77 यूनिट हेतु, 305 पैसे प्रति यूनिट की दर से	शून्य
7	बिना मीटर वाले संयोजन (विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत राज्य शासन की अधिसूचना के अनुसार परिभाषित ग्रामीण क्षेत्रों में)	38 यूनिट हेतु, 270 पैसे प्रति यूनिट की दर से	शून्य
8	वितरण ट्रांसफार्मर मीटर द्वारा	245	शून्य

(बी) **स्थाई प्रभार :** ऊर्जा प्रभार के अतिरिक्त यह प्रभार प्रति माह निम्न तालिका के अनुसार वसूली योग्य होगा। यह प्रभार अस्थाई/बिना मीटर वाले संयोजनों हेतु भी लागू होगा। यह प्रभार 30 यूनिट प्रतिमाह तक विद्युत खपत करने वाले उपभोक्ताओं तथा वितरण ट्रांसफार्मर के माध्यम से विद्युत प्राप्त कर रहे उपभोक्ताओं हेतु लागू नहीं होगा।

मासिक खपत के स्लैब	**शहरी क्षेत्रों में विद्युत प्राप्त कर रहे उपभोक्ता हेतु स्थाई प्रभार**	**विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत राज्य शासन की अधिसूचना के अनुसार परिभाषित ग्रामीण क्षेत्रों मे विद्युत प्राप्त कर रहे उपभोक्ता हेतु स्थाई प्रभार**
30 यूनिट तक	शून्य	शून्य
31 से 50 यूनिट तक	रू. 5 प्रति संयोजन	रू. 2 प्रति संयोजन
51 से 100 यूनिट तक	रू. 10 प्रति संयोजन	रू. 5 प्रति संयोजन
100 यूनिट से अधिक	अधिकृत भार पर, प्रति आधा किलोवाट पर रूपये 15 की दर से	अधिकृत भार पर, प्रति आधा किलोवाट पर रूपये 10 की दर से
स्वयं के गृह निर्माण हेतु (अधिकतम एक वर्ष हेतु), सामाजिक/ वैवाहिक प्रयोजन तथा धार्मिक समारोह हेतु अस्थाई संयोजन	अधिकृत भार पर, प्रति आधा किलोवाट पर रूपये 20 की दर से	अधिकृत भार पर, प्रति आधा किलोवाट पर रूपये 20 की दर से
बिना मीटर वाले संयोजन (शहरी क्षेत्र में)	रूपये 10 प्रति संयोजन	
बिना मीटर वाले संयोजन (विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत राज्य शासन की अधिसूचना के अनुसार परिभाषित ग्रामीण क्षेत्रों में)	रूपये 2 प्रति संयोजन	
वितरण ट्रांसफार्मर मीटर द्वारा	शून्य	शून्य

<u>टीप</u> : अधिकृत भार वही होगा जैसा कि इसे विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 में परिभाषित किया गया है।

(सी) **विलंबित भुगतान अधिभार :** अधिभार की वसूली निम्न दरों अनुसार की जा सकेगी जो कि अधिकतम बकाया राशि के 25 प्रतिशत के अध्यधीन होगी :–

विवरण	**दर**
रू. 500.00 तक की बकाया राशि पर	रू. 1.00 प्रति दिवस, नियत तिथि के बाद
रू. 500.00 से अधिक तथा रूपये 1000.00 तक की बकाया राशि पर	रू. 2.00 प्रति दिवस, नियत तिथि के बाद
रू. 1000.00 से अधिक की बकाया राशि पर	रू. 5.00 प्रति दिवस, अथवा बकाया राशि पर एक प्रतिशत प्रतिमाह या उसका अंश की दर से इनसे जो भी राशि अधिक हो, नियत तिथि के बाद

(डी) अन्य निबंधन तथा शर्तें वही होंगी जैसा कि इन्हें सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

————————

टैरिफ अनुसूची–एलवी–2

गैर–घरेलू :

प्रयोज्यता :

ये टैरिफ दरें रेलवे हेतु कर्षण (ट्रैक्शन) के प्रयोजन को छोड़कर, रेलवे कालोनियों/जलप्रदाय हेतु विद्युत प्रदाय, शासकीय कार्यालय, सर्किट हाऊस, शासकीय विश्राम गृह, शैक्षणिक संस्थाएं, दुकानें/ शोरूम, बैठक कक्ष (पारलर), सार्वजनिक/निजी संस्थाओं के कार्यालय, अतिथिगृह, क्ष–किरण संयंत्र (एक्सरे प्लांट), व्यावसायिक परिसर (चेम्बर्स), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं, लघु स्तर के सेवा संस्थान, अभियांत्रिकी/पालिटेक्निक संस्थानों की कर्मशालाएं (वर्कशॉप) तथा प्रयोगशालाएं, सार्वजनिक भवन, नगर–भवन (टाऊन–हाल), क्लब, रेस्टॉरेंट, खान–पान संबंधी संस्थाएं, बैठक परिसर (मीटिंग हाल), सार्वजनिक मनोरंजन स्थल, सर्कस प्रदर्शन, होटल, सिनेमाघर, निजी औषधालय (क्लीनिक), नर्सिंग होम तथा निजी अस्पताल, बॉटलिंग संयंत्र, कृषि प्रक्षेत्र भवन (फार्म हाउस), वैवाहिक उद्यान स्थल (मैरिज गार्डन), विवाह– घर, विज्ञापन सेवाऐं, प्रशिक्षण संस्थाएं, पेट्रोलपंप तथा सेवा केन्द्र (सर्विस स्टेशन), सिलाई कार्य की दुकानें (टेलरिंग शॉप), वस्त्र धुलाई–घर (लाउण्ड्री), व्यायाम–घर (जिमनेजियम) तथा स्वास्थ्य–क्लब (हेल्थ–क्लब) तथा अन्य कोई संस्था जिन्हें किसी केन्द्रीय/राज्य अधिनियमों के अंतर्गत वाणिज्यिक– कर/सेवा–कर/वेल्यू एडिड टैक्स (वैट)/मनोरंजन–कर/विलास–कर (लक्ज़री टैक्स) का भुगतान करने संबंधी अर्हता हो, को बत्ती, पंखा तथा पावर हेतु प्रयोज्य हैं।

टैरिफ :

विभिन्न उप श्रेणियों हेतु टैरिफ दरें, चालू मासिक खपत पर, निम्न तालिका पर आधारित होगी :

सरल क्रमांक	उप–श्रेणी	ऊर्जा प्रभार (पैसे/यूनिट)	शहरी क्षेत्रों में स्थाई प्रभार	विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिसूचित स्थाई प्रभार
1	समस्त उपभोग किये गये यूनिटों हेतु	545	शून्य	शून्य
2	ऐच्छिक मांग आधारित टैरिफ	430	रूपये 150 प्रति किलोवाट अथवा रूपये 120 प्रति केवीए बिलिंग मांग प्रतिमाह	रू. 90 प्रति किलोवाट अथवा रू. 72 प्रति केवीए बिलिंग मांग प्रतिमाह
3	अस्थाई संयोजन, निम्नदाब पर बहु बिन्दु अस्थाई संयोजन मेला स्थलों के लिए, को सम्मिलित कर *	650	रूपये 75 प्रति किलोवाट अथवा उसका अंश	रूपये 45 प्रति किलोवाट अथवा उसका अंश
4	क्ष–किरण संयत्र हेतु	अतिरिक्त स्थाई प्रभार (रूपये प्रति मशीन प्रति माह)		
	एकल फेज	400		
	तीन फेज	600		

* केवल उसी स्थिति में लागू होंगे जबकि मध्यप्रदेश शासन के राजस्व प्राधिकारियों द्वारा मेला आयोजन की अनुमति प्रदान की गई हो।

निबंधन एवं शर्तें

(ए) **विलंबित भुगतान अधिभार :–** अधिभार की वसूली निम्न दरों दरों के अनुसार की जा सकेगी जो कि अधिकतम बकाया राशि के 25 प्रतिशत के अध्यधीन होगी :–

विवरण	दर
रू. 500.00 तक की बकाया राशि पर	रू. 1.00 प्रति दिवस, नियत तिथि के बाद
रू. 500.00 से अधिक तथा रूपये 1000.00 तक की बकाया राशि पर	रू. 2.00 प्रति दिवस, नियत तिथि के बाद
रू. 1000.00 से अधिक की बकाया राशि पर	रू. 5.00 प्रति दिवस, अथवा बकाया राशि पर एक प्रतिशत प्रतिमाह या उसका अंश की दर से इनसे जो भी राशि अधिक हो, नियत तिथि के बाद

(बी) **वे उपभोक्ता जो मांग आधारित टैरिफ हेतु विकल्प देवें :** इन्हें अतिरिक्त मांग हेतु, स्थाई प्रभारों के 1.5 (डेढ़) गुना टैरिफ दर का भुगतान करना होगा, यदि अभिलिखित की गई (रिकार्डेड) अधिकतम मांग संविदा मांग से अधिक हो।

(सी) **न्यूनतम खपत :** उपभोक्ता को शहरी क्षेत्रों में संयोजित भार अथवा अनुबंधित भार इसमें से जो भी अधिक हो, संविदाकृत भार का (मांग आधारित प्रभारों के प्रकरण में) 360 यूनिट प्रति किलोवाट अथवा उसके एक अंश की न्यूनतम वार्षिक खपत की तथा मध्यप्रदेश शासन के अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में संयोजित भार अथवा अनुबंधित भार इसमें से जो भी अधिक हो, संविदाकृत भार का (मांग आधारित प्रभारों के प्रकरण में) 240 यूनिट प्रति किलोवाट अथवा उसके एक अंश की न्यूनतम वार्षिक खपत की प्रतिभूति (गारंटी) देनी होगी। कम (डेफिसिट) यूनिट (न्यूनतम खपत–वास्तविक खपत) यदि कोई हों, तो उसकी बिलिंग प्रयोज्य ऊर्जा दर के अनुसार की जावेगी।

(डी) अन्य निबंधन तथा शर्तें वही होंगी जैसा कि इन्हें सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

———————

टैरिफ अनुसची–एलवी–3

सार्वजनिक जल–प्रदाय संयत्र एवं पथ–प्रकाश

प्रयोज्यता :

टैरिफ अनुक्रमांक 3.1 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायतों अथवा कोई संस्था जिसे जल प्रदाय/जल प्रदाय संयंत्रों/जल–मल संयंत्रों का उत्तरदायित्व सार्वजनिक उपयोगिता (यूटिलिटी) जल प्रदाय योजनाओं, जल–मल शोधन संयंत्रों (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट), जल–मल पंपिंग संयंत्रों हेतु जल प्रदाय/सार्वजनिक जल प्रदाय संयंत्रों /जल–मल संयंत्रों के संधारण हेतु सौंपा गया हो तथा स्थानीय निकायों द्वारा संधारित विद्युत शव–दाह गृह को लागू होगा।

टैरिफ अनुक्रमांक 3.2 यातायात संकेतों, सार्वजनिक सड़कों तथा सार्वजनिक स्थानों की प्रकाश व्यवस्था मय उद्यानों, स्मारकों तथा इनके संस्थानों, सार्वजनिक प्रसाधनों (टायलेट) शासन द्वारा संचालित सार्वजनिक पुस्तकालयों तथा वाचनालयों को लागू होगा।

टैरिफ :

विभिन्न उप–श्रेणियों हेतु टैरिफ दरें चालू मासिक खपत पर आधारित निम्न तालिका के अनुसार होंगी :

	उपभोक्ता श्रेणी	**स्थाई प्रभार (रूपये/ किलोवाट/ प्रतिमाह**	**ऊर्जा प्रभार (पैसे/यूनिट)**	**न्यूनतम प्रभार**
3.1	**सार्वजनिक जल प्रदाय**			**कोई न्यूनतम प्रभार लागू नहीं होंगे**
(ए)	नगर पालिका निगम/ छावनी बोर्ड	60	290	
(बी)	नगर पालिक/नगर पंचायत	60	270	
(सी)	ग्राम पंचायत	60	230	
(डी)	अस्थाई	90	420	
3.2	**पथ प्रकाश**			**कोई न्यूनतम प्रभार लागू नहीं होंगे**
(ए)	नगर पालिक निगम/छावनी बोर्ड	120	310	
(बी)	नगर पालिक/नगर पंचायत	120	300	
(सी)	ग्राम पंचायत	120	260	

निबंधन तथा शर्तें

(ए) **विलंबित भुगतान अधिभार** : यदि उपभोक्ताओं द्वारा देयकों का भुगतान निर्धारित तिथि तक नहीं किया जाता तो ऐसी दशा में बकाया राशि [बकाया (एरियर) राशि को सम्मिलित कर] पर एक प्रतिशत प्रति माह अथवा उसके एक अंश का अतिरिक्त अधिभार का भुगतान करना होगा।

(बी) अन्य निबंधन तथा शर्तें वही होंगी जैसा कि इन्हें सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

———————

टैरिफ अनुसूची–एलवी–4

निम्नदाब उद्योग (कृषि आधारित तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को सम्मिलित कर)

प्रयोज्यता :

ये टैरिफ दरें प्रिंटिंग प्रेस अथवा अन्य कोई औद्योगिक संस्थाओं तथा कर्मशालाओं [जहां कोई प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) अथवा विनिर्माण (मेन्युफेक्चरिंग) कार्य टायर–रीट्रिडिंग को सम्मिलित कर, सम्पन्न हो] लागू होंगी। ये टैरिफ दरें शीतागार (कोल्ड स्टोरेज), फूल/पौधे/पौध, बालवृक्ष (सैपलिंग)/फल उगाने वाली रोपणियां, मत्स्य तालाबों, एक्वाकल्चर, रेशम उद्योग (सेरीकल्चर) डेरी, अण्डा सेने के स्थानों (हैचरी), कुक्कुट पालन केन्द्र (पोल्टरी फार्म), पशु–प्रजनन केन्द्र (कैटल ब्रीडिंग फार्म), चारागाह (ग्रासलैण्ड), कुकरमुत्ता (मशरूम) उगाने वाले कृषि प्रक्षेत्र, गुड़ (जैगरी) बनाने वाली मशीनें, आटा चक्कियां (फ्लोर मिल्स), मसाला चक्कियां, हलर, खण्डसारी इकाईयां, ओटाई (गिन्निंग) तथा प्रेसिंग इकाईयां, गन्ना पिराई (गन्ने का रस निकालने वाली मशीनों को सम्मिलित करते हुए) विद्युत करघा (पावरलूम), दालमिलें, बेसन मिलें तथा वर्फखाना (आईस–फैक्टरी) तथा अन्य कोई विनिर्माण मेन्युफेक्चरिंग अथवा प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) इकाईयां (बाटलिंग संयत्रों को छोड़कर), खाद्य उत्पादन का प्रसंस्करण उसका संरक्षण/इसके शेल्फ जीवन में अभिवृद्धि हेतु भी लागू होंगी।

टैरिफ : गैर–मौसमी (नॉन सीजनल) तथा मौसमी उपभोक्ताओं हेतु

	उपभोक्ता श्रेणी	**स्थाई प्रभार (रूपये प्रतिमाह प्रति अश्वशक्ति) –शहरी क्षेत्रों में**	**स्थाई प्रभार (रूपये प्रतिमाह प्रति अश्वशक्ति) – ग्रामीण क्षेत्रों में**	**ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)**
अ	**गैर–मौसमी उपभोक्ता**			
4.1 ए	25 अश्वशक्ति तक के निम्नदाब उद्योग	50	10	320
4.1 बी	मांग आधारित टैरिफ (100 अश्वशक्ति तक)	रू. 120 प्रति केवीए अथवा रू. 150 प्रति किलोवाट बिलिंग मांग प्रतिमाह	रू. 50 प्रति केवीए अथवा रू. 60 प्रति किलोवाट बिलिंग मांग प्रतिमाह	410
4.1 सी	मांग आधारित टैरिफ (100 अश्वशक्ति से अधिक तथा 150 अश्वशक्ति* तक) **(केवल विद्यमान उपभोक्ताओं हेतु)**	रू. 160 प्रति केवीए अथवा रू. 200 प्रति किलोवाट बिलिंग मांग प्रतिमाह	रू. 65 प्रति केवीए अथवा रू. 80 प्रति किलोवाट बिलिंग मांग प्रतिमाह	425
4.1 डी	अस्थाई	प्रयोज्य टैरिफ दर का डेढ़ गुना		
ब	**मौसमी उपभोक्ता (मौसम की अवधि एक वित्तीय वर्ष में निरंतर 6 माह से अधिक की न होगी)**			
4.1 ई	मौसम के दौरान	गैर–मौसमी के अनुरूप सामान्य टैरिफ दरें	गैर–मौसमी के अनुरूप सामान्य टैरिफ दरें	गैर–मौसमी उपभोक्ताओं के अनुरूप, सामान्य टैरिफ दरें

4.1 एफ	मौसम बाह्य (ऑफ सीजन) के दौरान	गैर–मौसमी के अनुरूप सामान्य टैरिफ दरें, निविदा मांग के 10 प्रतिशत पर {अथवा वास्तविक अभिलिखित (रिकार्डेड) मांग, जो भी अधिक हो}	गैर–मौसमी के अनुरूप सामान्य टैरिफ दरें, निविदा मांग के 10 प्रतिशत पर (अथवा वास्तविक अभिलिखित (रिकार्डेड) मांग जो भी अधिक हो)	गैर–मौसमी उपभोक्ताओं के अनुरूप सामान्य टैरिफ दर का 120 प्रतिशत

***इसके अतिरिक्त, इन उपभोक्ताओं द्वारा रूपांतर (ट्रांसफार्मरमेशन) हानियां तीन प्रतिशत की दर से तथा ट्रांसफार्मर भाड़ा विविध तथा सामान्य प्रभारों हेतु आदेशानुसार देय होंगे।**

निबंधन तथा शर्तें

(ए) उपभोक्ता की प्रतिमाह अधिकतम मांग, उपभोक्ता के प्रदाय बिन्दुवार उक्त माह में निरंतर 15 मिनट की अवधि हेतु प्रदाय की गई 4 गुणा अधिकतम किलोवाट एम्पीयर आवर्स की मात्रा के बराबर होगी।

(बी) कोई भी उपभोक्ता मांग आधारित टैरिफ हेतु अपना विकल्प दे सकेगा, तथापि उन उपभोक्ताओं हेतु जिनका संयोजित भार 25 अश्वशक्ति से अधिक है, मांग आधारित टैरिफ आदेशात्मक है तथा अनुज्ञप्तिधारी टाई–वेक्टर/बाई–वेक्टर मीटर जो कि मांग केवीए/किलोवाट, किलोवाट आवर, किलोवोल्ट एम्पीयर आवर तथा उपयोग का समय खपत (टाईम ऑफ यूज कंसम्पशन) में अभिलिखित किये जाने हेतु सक्षम हों, प्रदाय करेंगे।

(सी) **न्यूनतम खपत** : निम्नानुसार मानी जावेगी :

- **ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नदाब उद्योगों हेतु** : उपभोक्ता द्वारा न्यूनतम वार्षिक खपत (किलोवाट ऑवर) 240 यूनिट प्रति अश्वशक्ति अथवा उसका अंश, संविदा मांग की प्रतिभूति (गारंटी) दी जावेगी, भले ही वर्ष के दौरान किसी ऊर्जा की खपत की गई हो अथवा नहीं। वास्तविक खपत से किसी कमी (डेफिसिट) के रूप में (अर्थात, न्यूनतम प्रतिभूतित खपत– वास्तविक खपत) को ऊर्जा प्रभारों की विद्यमान दरों के अनुसार टैरिफ न्यूनतम अंतर के रूप में प्रभारित किया जावेगा तथा कम (डेफिसिट) यूनिटों का समायोजन वर्ष के अंत में किया जावेगा।

- **शहरी क्षेत्र में निम्नदाब उद्योग हेतु** : उपभोक्ता द्वारा न्यूनतम वार्षिक खपत (किलोवाट ऑवर) 360 यूनिट प्रति अश्वशक्ति अथवा उसका अंश, संविदा मांग की प्रतिभूति (गारंटी) दी जावेगी, भले ही वर्ष के दौरान किसी ऊर्जा की खपत की गई हो अथवा नहीं। वास्तविक खपत से किसी कमी (डेफिसिट) के रूप में (अर्थात, न्यूनतम प्रतिभूतित खपत–वास्तविक खपत) को ऊर्जा प्रभारों की विद्यमान दरों के अनुसार टैरिफ न्यूनतम अंतर के रूप में प्रभारित किया जावेगा तथा कम (डेफिसिट) यूनिटों का समायोजन वर्ष के अंत में किया जावेगा।

(डी) **अतिरिक्त प्रभार** : निम्नानुसार देय होगा :

- मांग आधारित टैरिफ के अनुसार विद्युत प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं को, सम्पूर्ण समय में वास्तविक अधिकतम मांग, संविदा मांग के अध्यधीन सीमित रखनी होगी। ऐसे किसी प्रकरण में, जहाँ वास्तविक अधिकतम मांग किसी एक माह में अनुबंध मांग से अधिक हो, कथित टैरिफ दर संविदा मांग की सीमा तक लागू होगी। संविदा मांग से अधिक की गई मांग (जिसे इसके बाद ''अतिरिक्त मांग कहा जावेगा) को प्रदाय की गई विद्युत तथा प्राप्त की गई, पृथक–पृथक बिलिंग के प्रयोजन से माना जावेगा। इस प्रकार किसी माह में प्राप्त की गई अतिरिक्त मांग, यदि कोई हो, तो उसे उपभोक्ता हेतु प्रयोज्य टैरिफ मे विनिर्दिष्ट स्थाई प्रभारों का डेढ़ गुना प्रभारित किया जावेगा तथा ऐसा करते समय, टैरिफ की अन्य निबंधन तथा शर्ते, यदि वे लागू हों, कथित अधिक मांग को लागू होंगी।

- वे उपभोक्ता जो मांग आधारित टैरिफ के अतिरिक्त विद्युत प्रदाय प्राप्त करते हों– यदि किसी माह में वास्तविक संयोजित भार स्वीकृत भार से अधिक हो तो कथित टैरिफ दर स्वीकृत भार की सीमा के अंतर्गत लागू होगी। स्वीकृत भार से अधिक की गई मांग (जिसे इसके बाद ''अतिरिक्त मांग'' कहा जावेगा) को प्रदाय की गई विद्युत तथा प्राप्त की गई, पृथक–पृथक बिलिंग के प्रयोजन से माना जावेगा। इस प्रकार किसी माह में प्राप्त की गई अतिरिक्त मांग, यदि कोई हो, तो उसे उपभोक्ता हेतु प्रयोज्य टैरिफ मे विनिर्दिष्ट स्थाई प्रभारों का डेढ़ गुना प्रभारित किया जावेगा तथा ऐसा करते समय, टैरिफ की अन्य निबंधन तथा शर्ते यदि वे लागू हों, कथित अधिक मांग को लागू होंगी।

- उपभोक्ताओं को प्रयोज्य उपरोक्त सामान्य टैरिफ दर की डेढ़ गुना अतिरिक्त बिलिंग अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुबंध के पुनरीक्षण हेतु कहे जाने हेतु अधिकारों के बिना किसी पक्षपात तथा ऐसे अन्य अधिकारों जो कि आयोग द्वारा विनियमों में अधिसूचित किये गये हों, के अंतर्गत प्रयोज्य हैं।

(ई) **विलंबित भुगतान प्रभार** : यदि उपभोक्ताओं द्वारा देयकों का भुगतान निर्धारित अवधि (नियत तिथि) तक नहीं किया जाता तो ऐसी दशा में बकाया राशि [बकाया (एरियर) राशि को सम्मिलित कर] पर एक प्रतिशत प्रतिमाह अथवा उसके एक अंश का अतिरिक्त भुगतान करना होगा।

(एफ) अन्य निबंधन तथा शर्तें वही होंगी जैसा कि इन्हें सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

मौसमी (सीजनल) उपभोक्ताओं हेतु अन्य निबंधन तथा शर्तें :

(ए) उपभोक्ता को वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु मौसम के तथा मौसम बाह्य (आफ सीजन) के महीने, टैरिफ आदेश के 60 दिवस के भीतर घोषित करने होंगे।

(बी) उपभोक्ता द्वारा एक बार घोषित की गई मौसमी अवधि को वित्तीय वर्ष के दौरान परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।

(सी) यह टैरिफ दर उन सम्मिश्रित इकाईयों को प्रयोज्य न होगी जिनके पास मौसमी तथा अन्य श्रेणी भार विद्यमान हैं।

(डी) उपभोक्ता को उसकी मासिक मौसम–बाह्य खपत, पिछले मौसम/चालू मौसम के अंतर्गत जो भी लागू हो, की औसत मासिक खपत का 15 प्रतिशत तक सीमित रखना होगा। यदि किसी प्रकरण में ऐसे किसी मौसम बाह्य माह में कोई खपत इस सीमा से अधिक पाई जावे तो ऐसी दशा में उपभोक्ता की बिलिंग सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु, गैर–मौसमी टैरिफ दर के अनुसार की जावेगी।

(ई) उपभोक्ता को मौसम–बाह्य के दौरान उसकी अधिकतम मांग को संविदा मांग का 30 प्रतिशत तक सीमित करना होगा। यदि उसके द्वारा घोषित मौसम–बाह्य के अंतर्गत किसी माह में अधिकतम मांग इस सीमा से अधिक पाई जावे, तो ऐसी दशा में उपभोक्ता की बिलिंग सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु, गैर–मौसमी टैरिफ दर के अनुसार की जावेगी।

————————

टैरिफ अनुसूची–एलवी–5

कृषि हेतु सिंचाई पंप

प्रयोज्यता :

ये टैरिफ दरें कृषि पंप संयोजनों, भूसा काटने वाले उपकरणों, थ्रेशरों, भूसा उड़ाने वाली मशीनों, उद्वहन सिंचाई योजनाओं हेतु सिंचाई पंप मय पशुओं के उपयोग हेतु कृषि पंपों द्वारा निकाले गये जल हेतु प्रयोज्य होंगी।

टैरिफ :

सरल क्रमांक	उप–श्रेणी	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)
ए)	प्रथम 300 यूनिट प्रतिमाह	205
बी)	माह के अंतर्गत, शेष यूनिटों की खपत हेतु	260
सी)	अस्थाई संयोजन	305
डी)	वितरण ट्रांसफार्मर मीटरीकृत उपभोक्ता	200

बिना मीटर विद्युत उपभोग का निर्धारण :

इसका निर्धारण निम्न विधि द्वारा किया जावेगा :

- विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत अधिसूचित किये गये ग्रामीण क्षेत्रों में, बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं हेतु बिलिंग स्थाई संयोजनों हेतु स्वीकृत भार पर 100 यूनिट प्रति अश्वशक्ति तथा अस्थाई संयोजन हेतु स्वीकृत भार पर 130 यूनिट प्रति अश्वशक्ति के आधार पर की जावेगी।

- शहरी क्षेत्रों में बिना मीटर वाले कृषि उपभोक्ताओं हेतु बिलिग, स्थाई संयोजनों हेतु स्वीकृत भार पर 130 यूनिट प्रति अश्वशक्ति तथा अस्थाई संयोजनों हेतु स्वीकृत भार पर 150 यूनिट प्रति अश्वशक्ति के आधार पर की जावेगी।

निबंधन तथा शर्तें :

(ए) अस्थाई विद्युत प्रदाय हेतु विकल्प देने वाले उपभोक्ताओं को दो माह के प्रभारों का भुगतान करना होगा जो कि बढ़ाई गई अवधि हेतु समय–समय पर प्रतिपूर्ति किये जाने तथा असंयोजन (डिसकनेक्शन) के उपरांत अंतिम बिल में समायोजन के अध्यधीन होगा।

(बी) कृषि उपभोक्ताओं द्वारा ऊर्जा बचत उपकरण स्थापित किये जाने हेतु, अनुज्ञप्तिधारी को तुष्टि के अध्यधीन, निम्न **प्रोत्साहन*** प्रदान किये जावेंगे :

सरल क्रमांक	विवरण	टैरिफ में रिबेट दर
1	पंप सेट्स हेतु आई.एस.आई. मोटरों की संस्थापना हेतु	10 पैसे प्रति यूनिट
2	पंप सेट्स हेतु, आई.एस.आई. मोटरों की संस्थापना हेतु, तथा घर्षण रहित पीवीसी पाईप तथा फुटवाल्व का उपयोग	20 पैसे प्रति यूनिट
3	पंप सेट्स हेतु, आई.एस.आई. मोटरों की स्थापना हेतु, घर्षण रहित पीवीसी पाईप तथा फुटवाल्ब का उपयोग मय उपयुक्त श्रेणी (रेटिंग) के शंट कैपेसिटर की संस्थापना	30 पैसे प्रति यूनिट

*मांग पक्ष प्रबंधन के अंतर्गत, ऊर्जा बचत उपकरण की स्थापना हेतु सामान्य टैरिफ में **प्रोत्साहन** केवल उसी दशा में अनुज्ञेय होगा, यदि पूर्ण बिल की राशि का भुगतान निर्धारित तिथियों के अंदर कर दिया जावे। प्रोत्साहन केवल स्थापना के माह के बाद अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रमाणित किये जाने के उपरांत ही अनुज्ञेय होगा। अनुज्ञिप्तधारी को ग्रामीण क्षेत्रों में उपरोक्त प्रोत्साहन की व्यवस्था हेतु पर्याप्त रूप से इसका प्रचार–प्रसार करना होगा। अनुज्ञप्तिधारी को प्रदान किये गये प्रोत्साहनों के संबंध में त्रैमासिक सूचना अपनी वैब–साईट पर प्रदर्शित करनी होगी।

टीप :

(i) पावर सर्किट से पंप पर या उस के समीप एक 40 वॉट लैम्प लगाने की अनुमति होगी।

(ii) तीन–फेज कृषि पंप का उपयोग, एकल फेज पर उपलब्ध विद्युत प्रदाय के दौरान बाह्य उपकरण की स्थापना को अवैध विद्युत की निकासी माना जावेगा तथा त्रुटिकर्ता उपभोक्ता के विरूद्ध विद्यमान नियमों तथा विनियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।

(सी) **मीटरीकृत उपभोक्ताओं हेतु न्यूनतम खपत** : मीटरीकृत उपभोक्ता को संयोजित भार की न्यूनतम 180 यूनिट प्रति अश्वशक्ति अथवा उसके अंश की प्रतिभूति (गारंटी) देनी होगी।

(डी) **विलंबित भुगतान प्रभार** : यदि उपभोक्ताओं द्वारा देयकों का भुगतान निर्धारित अवधि (नियत तिथि) तक नहीं किया जाता तो ऐसी दशा में बकाया राशि [बकाया (एरियर) राशि को सम्मिलित कर] पर एक प्रतिशत प्रतिमाह अथवा उसके एक अंश का अतिरिक्त भुगतान करना होगा।

(ई) ऐसी दशा में, जहां संयोजित भार, स्वीकृत भार से अधिक पाया जाता है, वहां उपभोक्ता को अतिरिक्त भार हेतु, **रूपये 300 प्रति माह प्रति अश्वशक्ति** की दर से, पिछले तीन माह हेतु प्रभारों के भुगतान करने होंगे तथा इन्हें आगामी महीनों हेतु तब तक जारी रखा जावेगा जब तक अतिरिक्त भार को हटा नहीं दिया जाता अथवा इसे सक्षम प्राधिकारियों द्वारा इसकी स्वीकृत प्रदान नहीं कर दी जाती तथा इस अतिरिक्त भार की

अनुज्ञप्तिधारी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उचित प्रकार से जांच नहीं कर ली जाती। ऐसे प्रकरणों में, उपभोक्ता को कुल संयोजित भार जैसा कि वह जांच में पाया गया हो, हेतु ऊर्जा प्रभारों का भुगतान भी करना होगा।

(एफ) अन्य निबंधन तथा शर्तें वहीं होंगी जैसा कि इन्हें सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिनिर्दिष्ट किया गया है।

निम्नदाब (लो टेंशन) टैरिफ की सामान्य निबंधन तथा शर्ते

1.1 ग्रामीण क्षेत्रों से अभिप्रेत है ऐसे क्षेत्र जिन्हें कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिसूचना क्रमांक 2010/एफ 13/05/13/2006 दिनांक 25 मार्च, 2006 द्वारा अधिसूचित किया गया है।

1.2 **पूर्णांक करना (राऊडिंग ऑफ)** : समस्त देयकों को निकटतम रूपये की राशि तक पूर्णांक किया जावेगा।

1.3 **बिलिंग मांग (बिलिंग डिमांड)** : मांग आधारित टैरिफ के प्रकरण में माह हेतु बिलिंग मांग, उपभोक्ता की वास्तविक अधिकतम केवीए मांग अथवा संविदा मांग का 90 प्रतिशत इसमें से जो भी अधिक हो, होगी। बिलिंग मांग को निकटतम एकीकृत (इनटेगरल) अंक तक पूर्णांक किया जावेगा तथा 0.5 अथवा इससे अधिक की भिन्न (फ्रेक्शन) को आगामी अंक तक पूर्णांक किया जावेगा तथा 0.5 से कम की भिन्न को उपेक्षित (इग्नोर्ड) किया जावेगा।

1.4 **टैरिफ न्यूनतम बिलिंग** : यदि कोई उपभोक्ता वित्तीय वर्ष के किसी एक माह में (यदि वार्षिक न्यूनतम खपत उस श्रेणी हेतु लागू हो) संचयी (कुमुलेटिव) खपत निर्धारित वार्षिक न्यूनतम खपत से अधिक को अभिलिखित करता है, तो ऐसी दशा में कोई भी टैरिफ न्यूनतम बिलिंग खपतें वित्तीय वर्ष के आगामी महीनों हेतु नहीं की जावेगी।

1.5 **निम्नदाब पर अस्थाई विद्युत प्रदाय** :

(ए) किसी प्रत्याशित उपभोक्ता द्वारा अस्थाई विद्युत प्रदाय की मांग अधिकार के रूप में नहीं की जा सकती, परन्तु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सामान्यतः इसकी व्यवस्था की जा सकेगी, जबकि मांग हेतु यथोचित नोटिस दिया जावे। अस्थाई अतिरिक्त विद्युत प्रदाय को अतिरिक्त सेवा माना जावेगा तथा निम्न शर्तों के अध्यधीन इसे प्रभारित किया जावेगा। तथापि, तत्काल योजना के अंतर्गत विविध प्रभारों की अनुसूची अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रभारों के अनुसार सेवा 24 घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जावेगी।

(बी) स्थाई प्रभार तथा ऊर्जा प्रभारों की बिलिंग सामान्य टैरिफ की डेढ़ गुना की दर से, जैसा कि वह समस्त श्रेणियों हेतु लागू हो की जावेगी, यदि वह विशिष्ट रूप से अन्यथा विनिर्दिष्ट न की गई हो।

(सी) **अग्रिम भुगतान** – प्राक्कलित ऊर्जा खपत प्रभारों का भुगतान अस्थाई संयोजनों को सेवाकृत करने से पूर्व, अग्रिम रूप से भुगतान योग्य है जिसे समय–समय पर पुर्नभरण किया जावेगा तथा असंयोजन के समय अन्तिम देयक के अनुसार समायोजित किया जावेगा।

(डी) स्वीकृत भार/संयोजित भार 75 किलोवाट/100 अश्वशक्ति से अधिक न होगा।

1.6 अस्थाई विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से माह से अभिप्रेत है संयोजन तिथि से 30 दिवस तथा आगे उसका एक अंश।

1.7 संयोजन एवं असंयेाजन प्रभार तथा अन्य विविध प्रभारों का भुगतान पृथक से किया जावेगा जैसा कि इसे विविध प्रभारों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया हो।

अन्य निबंधन तथा शर्तें

(ए) खपत की अवधि प्रारंभ होने से पूर्व किये गये अग्रिम भुगतान हेतु, जिसके लिए कि देयक तैयार किया गया है, 0.5 प्रतिशत की छूट प्रतिमाह उस राशि पर दी जावेगी जो कि अनुज्ञप्तिधारी के पास कलेण्डर माह के अंत में शेष रहती है, उपभोक्ता के लेखे में (प्रतिभूति निक्षेप राशि को छोड़कर) अनुज्ञप्तिधारी को देय राशि को समायोजित कर, आकलित (क्रेडिट) कर दी जावेगी।

(बी) स्वीकृत भार/संयोजित भार/निविदा मांग 75 किलोवाट/100 अश्वशक्ति से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि उपभोक्ता उसके भार/मांग को 75 किलोवाट/100 अश्वशक्ति की इस उच्चतम सीमा का दो से अधिक अवसरों पर वृद्धि करता है, तो अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को उच्चदाब विद्युत प्रदाय प्राप्त किये जाने बाबत आग्रह कर सकेगा।

(सी) मीटर (मापयंत्र) किराया : मीटर किराया विविध प्रभारों की अनुसूची के अनुसार प्रभारित किया जावेगा। माह के एक अंश को बिलिंग के प्रयोजन से पूर्ण माह माना जावेगा।

(डी) ऐसे प्रकरण में जहां कि उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये धनादेश (चेक) को अनादरित (डिसआनर्ड) कर दिया गया हो, वहां पर नियमों के अनुसार रूपये 150 प्रति चेक की दर से सेवा प्रभार, विलंबित भुगतान अधिभार के अतिरिक्त, आरोपित किया जावेगा।

(ई) अन्य प्रभार जैसा कि इनका उल्लेख विविध प्रभारों में किया गया है, भी अतिरिक्त रूप से लागू होंगे।

(एफ) वेल्डिंग अधिभार वेल्डिंग ट्रांसफार्मरयुक्त संस्थापनाओं के साथ प्रयोज्य होगा, जहां पर वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का भार कुल संयोजित भार से 25 प्रतिशत अधिक हो तथा जहां पर निर्दिष्ट क्षमता के उपयुक्त कैपेसिटर स्थापित नहीं किये गये हैं जिससे कि ऊर्जा–कारक (पावर फेक्टर) न्यूनतम 0.8 लैगिंग का सुनिश्चित किया जा सके। वेल्डिंग सरचार्ज, माह के दौरान सम्पूर्ण अधिस्थापना हेतु 75 (पिचहत्तर) पैसे प्रति यूनिट की दर से अधिरोपित किया जावेगा।

(जी) वेल्डिंग ट्रांसफार्मरों का संयाजित भार किलोवॉट में गणना किये जाने के प्रयोजन से ऐसे वेल्डिंग ट्रांसफार्मरों का 0.6 का भार कारक (पावर फेक्टर) अधिकतम करंट का अथवा केवीए रेटिंग का प्रयोज्य होगा।

(एच) विद्यमान निम्नदाब उपभोक्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उचित क्षमता (रेटिंग) का निम्नदाब कैपेसिटर प्रदाय किया जावे। तथापि, मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 को मार्गदर्शन हेतु उल्लिखित किया जा सकेगा। उपभोक्ता द्वारा यह सुनिश्चित किये जाने का दायित्व रहेगा कि किसी एक माह के दौरान समग्र रूप से औसत भार कारक (पावर फेक्टर) 0.8 से कम न रहे। उपरोक्त मापदण्ड प्राप्त न किये जाने पर, उपभोक्ता को माह के दौरान 26 (छब्बीस) पैसे प्रति यूनिट की दर से निम्न भार कारक (लो पावर फेक्टर) अधिभार सम्पूर्ण संस्थापना की खपत हेतु भुगतान करना होगा।

(आई) यहां पर दर्शाये गये वेल्डिंग/भार कारक (पावर फेक्टर) सरचार्ज, अनुज्ञप्तिधारी के बिना किसी भेदभाव, उपभोक्ता की संस्थापना को असंयोजित (डिसकनेक्ट) किये जाने के अधिकारों के अंतर्गत होंगे, यदि उसके द्वारा भार कारक (पावर फेक्टर) में

सुधार किये जाने के संबंध में उचित शंट कैपेसिटरों की स्थापना द्वारा उचित कदम नहीं उठाये जाते।

(जे) **भार कारक (लोड फेक्टर) रियायत** : मांग आधारित टैरिफ (डिमांड बेस्ड टैरिफ) के अंतर्गत, उपभोक्ताओं को निम्नानुसार रियायत के स्लैब अनुज्ञेय होंगे।

भार कारक (लोड फेक्टर)	ऊर्जा प्रभारों में रियायत
संविदा मांग पर 25 प्रतिशत से अधिक तथा 30 प्रतिशत तक का भार कारक (लोड फेक्टर)	बिलिंग माह के दौरान, 25 प्रतिशत से अधिक के भार कारक पर समस्त ऊर्जा की खपत पर, सामान्य ऊर्जा प्रभारों पर 10 पैसे प्रति यूनिट की रियायत।
संविदा मांग पर 30 प्रतिशत से अधिक तथा 40 प्रतिशत तक का भार कारक	बिलिंग माह के दौरान, 30 प्रतिशत से अधिक के भार कारक पर समस्त ऊर्जा की खपत पर, सामान्य ऊर्जा प्रभारों पर 20 पैसे प्रति यूनिट की रियायत।
संविदा मांग पर 40 प्रतिशत से अधिक का भार कारक	बिलिंग माह के दौरान, 40प्रतिशत से अधिक के भार कारक पर समस्त ऊर्जा की खपत पर, सामान्य ऊर्जा प्रभारों पर 30 पैसे प्रति यूनिट की रियायत।

(के) किसी विशिष्ट निम्न दाब श्रेणी पर, टैरिफ की प्रयोज्यता के संबंध में विवाद होने की दशा में, आयेाग का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

(एल) टैरिफ दर में विद्युत ऊर्जा पर कर (टैक्स), उपकर (सेस) अथवा चुंगी (डूयूटी) सम्मिलित नहीं होती, जो कि तत्समय प्रचलित किसी कानून के अनुसार किसी भी समय देय हो सकती है। ऐसे प्रभार, यदि लागू हों तो उपभोक्ता द्वारा इनका भुगतान टैरिफ प्रभारों के अतिरिक्त करना होगा।

(एम) एक उपभोक्ता को स्थाई रूप से असंयोजित किये जाने के उपरांत, विलंबित भुगतान अधिभार प्रयोज्य न होगा।

(एन) निम्नदाब संयोजन को उच्चदाब संयोजन में परिवर्तन किये जाने की दशा में, उपभोक्ता द्वारा उच्च दाब विद्युत प्रदाय की सुविधा का लाभ उठाने से पूर्व उपभोक्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी दोनों को उच्चदाब अनुबंध निष्पादित किया जाना अनिवार्य (आदेशात्मक) होगा।

(ओ) **ऊर्जा कारक (पावर फेक्टर) प्रोत्साहन** :

यदि किसी उपभोक्ता का औसत मासिक ऊर्जा कारक (पावर फेक्टर) 90 प्रतिशत से अधिक बढ़ जावे, तो ऐसी दशा में प्रत्येक एक प्रतिशत वृद्धि पर प्रोत्साहन निम्नानुसार देय होगा, जिसके अनुसार औसत मासिक ऊर्जा कारक 90 प्रतिशत से अधिक हो :

ऊर्जा कारक (पावर फेक्टर)	देय प्रोत्साहन
90 प्रतिशत से अधिक होने पर	शीर्ष ''ऊर्जा प्रभार'' के अंतर्गत कुल बिल राशि पर 1.0 प्रतिशत (एक प्रतिशत) की दर से

अनुबंध मांग (केवीए में) पर 0.8 का औसत ऊर्जा कारक (पावर फेक्टर) प्रयुक्त किया जावेगा। इसके अतिरिक्त, किसी माह में यदि अधिकतम मांग संविदा भाग से अधिक हो जावे, तो भार कारक (पावर फेक्टर) की गणना अधिकतम मांग के आधार पर की जावेगी अन्यथा भार कारक (पावर फेक्टर) की गणना संविदा मांग पर की जावेगी।

भार कारक (लोड फेक्टर) की गणना निम्न सूत्रों के अनुसार की जावेगी :

$$\text{भार कारक (लोड फेक्टर) (प्रतिशत में)} = \frac{\text{बिलिंग मांह में खपत किये गये यूनिटों की संख्या (कैप्टिव/पवन ऊर्जा द्वारा उत्पादित यूनिटों को छोड़कर)}}{\text{बिलिंग माह में कुल घंटों की संख्या} \times \text{अधिकतम मांग अथवा संविदा मांग केवीए में, इनमें से जो भी अधिक हो} \times 0.8} \times 100$$

टीप : भार कारक (लोड फेक्टर) प्रतिशत को निकटतम एकीकृत (इनटेगरल) अंक तक पूर्णांक किया जावेगा तथा 0.5 अथवा इससे अधिक की भिन्न (फ्रेक्शन) को आगामी अंक तक पूर्ण किया जावेगा तथा 0.5 से कम के भिन्न को उपेक्षित (इग्नोर्ड) किया जावेगा। यदि उपभोक्ता विद्युत ऊर्जा खुली पहुंच के माध्यम से प्राप्त कर रहा हो, तो अन्य स्त्रोतों से प्रतिप्राप्य यूनिटों की संख्या, उपभोक्ता को बिल की गई शुद्ध ऊर्जा (उपभोग किये गये यूनिटों में से अन्य स्त्रोतों से प्राप्त यूनिटों को घटाकर) को ही केवल भार कारक (लोड फेक्टर) की गणना के प्रयोजन से लिया जावेगा।

(पी) केन्द्र शासन द्वारा दिनांक 6.1.2006 को अधिसूचित राष्ट्रीय टैरिफ नीति की कण्डिका 8. 1(4) के अनुसार,

''यदि प्रतिस्पर्धात्मक दशाओं में आवश्यक हो तो लाइसेंसियों के पास राज्य आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ से कम वसूलने की नम्यता हो सकती है, बशर्ते वे अधिनियम की धारा 62 के अनुसार इसके कारण अतिरिक्त राजस्व की आवश्यकता की पूर्ति का दावा न करें।''

वर्तमान में, म.प्र. राज्य में इस प्रकार की स्थिति विद्यमान नहीं है, इसलिए वितरण कंपनियां शासकीय कंपनियां होने के कारण टैरिफ दर में किसी भी प्रकार की कमी, मय किसी भी श्रेणी हेतु न्यूनतम प्रभारों में किसी भी प्रकार से कम नहीं कर सकतीं, सिवाय किसी आदेश के अंतर्गत, आयोग की पूर्व लिखित अनुमति द्वारा। ऐसी किसी लिखित अनुमति के अभाव में, कोई भी आदेश शून्य और अप्रवृत्त माना जायेगा।

(क्यू) यहां पर विनिर्दिष्ट की गई समस्त शर्तें उपभोक्ता को लागू होंगी, भले ही कोई उपबंध उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के साथ निष्पादित किये गये अनुबंध से विपरीतात्मक हो।

———————

वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा पारित टैरिफ आदेश का परिशिष्ट

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
उच्चदाब उपभोक्ताओं हेतु टैरिफ अनुसूचियां

अनुक्रमणिका

टैरिफ अनुसूचियां	पृष्ठ
एचवी–1 रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन)	2
एचवी–2 कोयला खदानें	4
एचवी–3 औद्योगिक एवं गैर–औद्योगिक	7
3.1 औद्योगिक	
3.2 गैर–औद्योगिक	
एचवी–4 मौसमी	10
एचवी–5 सिंचाई एवं सार्वजनिक जल प्रदाय संयत्र	13
5.1 सार्वजनिक जल प्रदाय संयत्र, उद्‌वहन सिंचाई योजनाएं तथा सामूहिक सिंचाई	
5.2 अन्य कृषि प्रयोक्ता	
एचवी–6 थोक आवासीय उपभोक्ता	14
6.1 टाऊनशिप तथा आवासीय कालोनियां	
6.2 पंजीकृत सहकारी समूह गृह निर्माण समितियां	
एचवी–7 छूट प्राप्तकर्ताओं को थोक विद्युत प्रदाय	16

टीप : टैरिफ अनुसूची में मप्रविनिआ क्रमांक 1034, 1035, 1036, 1037 दिनांक 04–06–07 द्वारा जारी संशोधन सम्मिलित हैं।

टैरिफ अनुसूचियां

उच्चदाब (हाई टेंशन) उपभोक्ताओं हेतु अनुसूचियां

टैरिफ अनुसूची–एचवी–1

रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन) :

प्रयोज्यता :

यह टैरिफ दर रेलवे हेतु केवल कर्षण (ट्रेक्शन) भारों हेतु ही लागू होगी। संविदा मांग केवल पूर्णाकों में अभिव्यक्त की जावेगी।

सेवा का स्वरूप :

सेवा का स्वरूप मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 के अनुसार होगा।

प्रदाय बिन्दु :

प्रत्येक उपकेन्द्र पर विद्युत प्रदाय पृथक रूप से मीटरीकृत तथा प्रभारित किया जावेगा।

टैरिफ :

सरल क्रमांक	उपभोक्ता श्रेणी	स्थाई प्रभार (रूपये प्रति केवीए बिलिंग मांग प्रतिमाह)	ऊर्जा प्रभार (पैसे/यूनिट)
1	132 केवी/220 केवी पर रेलवे कर्षण	शून्य	460

निबंधन तथा शर्तें

(ए) राज्य में रेलवे नेटवर्क के तीव्रतर विद्युतीकरण एवं इसकी वृद्धि को आकर्षित किये जाने की दृष्टि से संयोजन तिथि से पांच वर्षो की अवधि हेतु उन्हीं नवीन रेलवे कर्षण परियोजनाओं हेतु ऊर्जा प्रभारों में 10 प्रतिशत छूट प्रदान की जावेगी जिनके अनुज्ञप्तिधारी से विद्युत प्रदाय की प्राप्ति हेतु अनुबंध वित्तीय वर्ष 08 के दौरान अंतिम किये जावेंगे।

(बी) समर्पित प्रदायक संधारण प्रभार (डेडिकेटिड फीडर मेंटनेंस चार्जेस) लागू नहीं होंगे।

(सी) **न्यूनतम खपत** : उपभोक्ता माह हेतु न्यूनतम वार्षिक खपत (किलोवाट आवर या (केडब्ल्यूएच) संविदा मांग का 20 प्रतिशत भार कारक (लोड फेक्टर) के बराबर प्रत्याभूति (गारंटी) देगा। संविदा मांग के 20 प्रतिशत भार कारक पर तत्संबधी यूनिटों की गणना हेतु 0.85 का एक औसत भार–कारक (लोड फेक्टर) प्रयुक्त किया जावेगा। वास्तविक खपत से कमी (डेफिसिट) यदि कोई हो (अर्थात्, न्यूनतम प्रत्याभूतित खपत–वास्तविक खपत) को ऊर्जा प्रभारों की प्रचलित दर पर टैरिफ न्यूनतम अंतर के बतौर प्रभारित किया जावेगा।

(डी) **अधिकतम मांग का अवधारण** : प्रत्येक माह में विद्युत प्रदाय की अधिकतम मांग, माह के दौरान किसी 15 मिनट की निरंतर अवधि के दौरान, मांग के मापन के सलाईडिंग विंडो सिद्धांत के अनुसार,प्रदाय बिन्दु पर प्रदत्त अधिकतम किलोवाट एम्पीयर घंटे का चार गुना होगी।

(ई) अन्य निबंधन तथा शर्ते वही होंगी जैसी कि वे टैरिफ की सामान्य तथा शर्तो में उल्लेख की गई हैं।

प्रोत्साहन तथा अर्थदण्ड :

ऊर्जा कारक (पावर फेक्टर) अर्थदण्ड :

(ए) यदि उपभोक्ता का औसत मासिक ऊर्जा कारक, 85 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है तो उसे प्रत्येक 1% (एक प्रतिशत) हेतु जिससे कि औसत मासिक ऊर्जा कारक 85 प्रतिशत से नीचे गिर जावे, हेतु अर्थदण्ड का भुगतान करना होगा, जो शीर्ष ''ऊर्जा प्रभार'' के अंतर्गत बिल राशि के एक प्रतिशत की दर से अधिभारित किया जावेगा। ऊर्जा कारक के अवधारण हेतु केवल अनुगामी तर्क (लैग लॉजिक) का उपयोग किया जावेगा तथा अग्रगामी (लीडिंग) ऊर्जा–कारक अभिलिखत होने पर कोई ऊर्जा कारक अर्थदण्ड अधिरोपित नहीं किया जावेगा।

(बी) यदि ऊर्जा कारक 70 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है तो अनुज्ञप्तिधारी को अर्थदण्ड प्रभारों को उच्चतर स्तर पर अधिरोपित किये जाने का अधिकार होगा, जिसकी गणना 70 प्रतिशत से निम्न स्तर हेतु 2 प्रतिशत की दर से की जावेगी।

(सी) इस प्रयोजन से ''औसत मासिक ऊर्जा कारक (Average Monthly Power Factor)'' को माह के दौरान अभिलिखित कुल किलोवाट घंटे तथा कुल किलोवोल्ट एम्पीयर आवर्स के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस अनुपात को दो अंकों तक पूर्णांक किया जावेगा तथा दशमलब के तृतीय स्थान पर 5 अथवा उससे अधिक के अंक को दशमलव के द्वितीय स्थान पर आगामी उच्चतर अंक पर पूर्णांक किया जावेगा।

(डी) उपरोक्त कथन में भले कुछ भी कहा गया हो, यदि किसी नवीन उपभोक्ता का औसत ऊर्जा कारक, संयोजन तिथि से प्रथम 6 माह के दौरान किसी भी समय 85 प्रतिशत से कम पाया जावे, तो उपरोक्त को इसका सुधार कम से कम 85 प्रतिशत तक लाये जाने हेतु निम्न शर्तों के अध्यधीन अधिकतम 6 माह की अवधि हेतु अधिकृत होगा :

– यह 6 माह की अवधि उस तिथि से मान्य की जावेगी जिस पर औसत ऊर्जा कारक प्रथम बार 85 प्रतिशत से कम पाया गया था।

– समस्त प्रकरणों में, उपभोक्ता को निम्न ऊर्जा कारक हेतु अर्थदण्ड प्रभारों का बिलिंग किया जावेगा, परन्तु यदि उपभोक्ता औसत ऊर्जा कारक संधारित करे तो कथित 6 माह की अवधि को वापस ले लिया जावेगा तथा आगामी मासिक बिलों में इन्हें आकलित (क्रेडिट) किया जावेगा।

– उल्लेखित की गई यह सुविधा, नवीन उपभोक्ताओं को एक से अधिक बार देय नहीं होगी, जिनका औसत ऊर्जा कारक संयोजन तिथि से 6 माह के दौरान 85 प्रतिशत से कम न रहा हो। तत्पश्चात्, निम्न औसत ऊर्जा कारक के कारण यदि यह 85 प्रतिशत से कम पाया जाता है तो उन्हें प्रभारों का भुगतान किसी अन्य उपभोक्ता की भांति करना होगा।

टैरिफ अनुसूची–एचवी–2

कोयला खदानें :–

प्रयोज्यता :

यह टैरिफ दर कोयला खदानों को पावर, वातायन (वेटिंलेशन), बत्तियां, पंखे, कूलर आदि हेतु लागू होगी जिससे अभिप्रेत है समस्त ऊर्जा का कोयला खदानों, कार्यालयों, भण्डारों, केन्टीन में प्रकाश व्यवस्था, प्रांगण की प्रकाश व्यवस्था आदि तथा उनसे संलग्न आवासीय उपयोग में विद्युत ऊर्जा की खपत को सम्मिलित किया जाना। संविदा मांग केवल पूर्णाकों में अभिव्यक्त की जावेगी।

सेवा का स्वरूप :

सेवा का स्वरूप मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 के अनुसार होगा।

प्रदाय बिन्दु :

उपभोक्ताओं को सामान्य तौर पर विद्युत प्रदाय सम्पूर्ण परिसर हेतु एक ही बिन्दु पर किया जावेगा। विद्युत प्रदाय, तथापि, उपभोक्ता के अनुरोध पर उसकी तकनीकी संभावनाओं के अध्यधीन, एक से अधिक बिन्दुओं पर प्रदाय किया जा सकेगा परन्तु ऐसे प्रकरण में मीटरीकरण तथा बिलिंग व्यवस्था प्रदाय के प्रत्येक बिन्दु हेतु अलग–अलग की जावेगी।

टैरिफ :

विभिन्न उपश्रेणियों हेतु टैरिफ दर, चालू मासिक खपत पर आधारित निम्न तालिका के अनुसार होगी :

स.क्र.	उप श्रेणी	स्थाई (प्रभार रूपये प्रति केवीए बिलिंग मांग प्रति माह)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)
	कोयला खदानें		
1	11 केवी प्रदाय	385	435
2	33 केवी प्रदाय	385	410
3	132 केवी प्रदाय	385	395
4	220 केवी प्रदाय	385	385

निबंधन तथा शर्तें

(ए) **न्यूनतम खपत** : निम्नानुसार निर्धारित होगी :

– ***220/132 केवीए पर विद्युत प्रदाय :*** उपभोक्ता को 1980 यूनिट प्रति केवीए की अनुबंध मांग पर आधारित वार्षिक न्यूनतम खपत की प्रतिभूति (गारंटी) देनी होगी चाहे वर्ष में किसी ऊर्जा की खपत की जावे अथवा नहीं। वास्तविक खपत से कमी (डेफिसिट), यदि कोई हो (अर्थात, न्यूनतम प्रत्याभूत की गई खपत–वास्तविक खपत) को ऊर्जा प्रभारों की प्रचलित दर पर टैरिफ न्यूनतम अंतर के बतौर प्रभारित किया जावेगा तथा कम यूनिटों (डेफिसिट यूनिट्स) का समायोजन वित्तीय वर्ष के अंत में किया जावेगा।

– ***33/11 केवीए पर विद्युत प्रदाय :*** उपभोक्ता को 1200 यूनिट प्रति केवीए, की अनुबंध मांग पर आधारित वार्षिक न्यूनतम खपत की प्रतिभूति (गारंटी) देनी

होगी चाहे वर्ष में किसी ऊर्जा की खपत की जावे अथवा नहीं। वास्तविक खपत से कमी (डेफिसिट) यदि कोई हो (अर्थात,न्यूनतम प्रत्याभूत की गई खपत–वास्तविक खपत) को ऊर्जा प्रभारों की प्रचलित दर पर टैरिफ न्यूनतम अंतर के बतौर प्रभारित किया जावेगा तथा कम यूनिटों (डेफिसिट यूनिट्स) का समायोजन वित्तीय वर्ष के अंत में किया जावेगा।

(बी) **भार कारक प्रोत्साहन (लोड फेक्टर इन्सेन्टिव)** : उपभोक्ता निम्नांकित व्यवस्था के अनुसार भार कारक (लोड फेक्टर) आधारित ऊर्जा प्रभारों पर प्रोत्साहनों की पात्रता रखेगा :

भार कारक सीमा	**प्रोत्साहन**	**ऊर्जा प्रभार (भार कारक = x%) पर प्रतिशत छूट (डिसकाउंट) की गणना**
भार कारक <=50%	किसी प्रोत्साहन की पात्रता नहीं होगी	= 0.00%
50%<भार कारक <=60%	सम्पूर्ण खपत हेतु, ऊर्जा प्रभारों पर (50% से अधिक भार कारकों में प्रत्येक 1% वृद्धि पर 0.5% का) प्रोत्साहन देय होगा।	= (x-50) * 0.50
60%<भार कारक <=70%	सम्पूर्ण खपत हेतु, ऊर्जा प्रभारों पर (60% से अधिक भार कारकों में प्रत्येक 1% वृद्धि पर 5% धन (+) 0.4% का) प्रोत्साहन देय होगा।	= 5.00 + (x-60) * 0.40
70%<भार कारक <=80%	सम्पूर्ण खपत हेतु, ऊर्जा प्रभारों पर (70% से अधिक भार कारकों में प्रत्येक 1% वृद्धि पर 9% धन (+) 0.3% का) प्रोत्साहन देय होगा।	= 9.00 + (x-70) * 0.30
भार कारक >80%	सम्पूर्ण खपत हेतु, ऊर्जा प्रभारों का 12% का प्रोत्साहन देय होगा।	= 12

उदाहरण,

- *वह उपभोक्ता जिसका भार कारक (लोड फेक्टर) 42 प्रतिशत होगा, वह ऊर्जा प्रभारों पर छूट (डिसकाउंट) प्राप्त नहीं करेगा।*

- *वह उपभोक्ता जिसका भार कारक (लोड फेक्टर) 52 प्रतिशत होगा वह सम्पूर्ण खपत पर 52 प्रतिशत भार कारक के तत्स्थानी [0.5 प्रतिशत * (52–50)] = 1 प्रतिशत छूट (डिसकाउंट) प्राप्त करेगा।*

- *वह उपभोक्ता जिसका भार कारक (लोड फेक्टर) 62 प्रतिशत होगा वह सम्पूर्ण खपत पर 62 प्रतिशत भार कारक के तत्स्थानी [5 प्रतिशत + 0.4 प्रतिशत * (62–60)] = 5%+0. 8%=5.8 प्रतिशत छूट (डिसकाउंट) प्राप्त करेगा।*

- *वह उपभोक्ता जिसका भार कारक (लोड फेक्टर) 72 प्रतिशत होगा वह सम्पूर्ण खपत पर 72 प्रतिशत भार कारक के तत्स्थानी [9 प्रतिशत + 0.3 प्रतिशत * (72–70)] = 9%+0. 6% = 9.6 प्रतिशत छूट (डिसकाउंट) प्राप्त करेगा।*

- *वह उपभोक्ता जिसका भार कारक (लोड फेक्टर) 82 प्रतिशत होगा, वह सम्पूर्ण खपत पर 82 प्रतिशत भार कारक के तत्स्थानी* 12 प्रतिशत छूट (डिसकांउट) प्राप्त करेगा।

(सी) अन्य निबंधन तथा शर्ते वह होंगी जैसी कि वे टैरिफ की सामान्य निबन्धनों तथा शर्तों में उल्लेख की गई हैं।

———

टैरिफ अनुसूची–एचवी–3

औद्योगिक तथा गैर–औद्योगिक

प्रयोज्यता :

टैरिफ क्रमांक 3.1 (औद्योगिक) समस्त उच्चदाब औद्योगिक उपभोक्ताओं को, खदानों को सम्मिलित कर परन्तु, कोयला खदानों को छोड़कर, पावर, बत्ती, पंखा आदि को लागू होगा जिससे अभिप्रेत है कार्यालयों, मुख्य फेक्टरी भवन, भण्डारों, केन्टीन, उद्योगों की आवासीय कालोनियों, प्रांगण आदि की प्रकाश व्यवस्था हेतु खपत की गई समस्त विद्युत ऊर्जा को सम्मिलित किया जाना।

टैरिफ क्रमांक 3.2 (गैर–औद्योगिक) रेलवे स्टेशनों, कार्यालयों, होटलों, संस्थानों आदि जैसी संस्थापनाओं को लागू होगा जिनके पावर, बत्ती तथा पंखा आदि के मिश्रित भार हैं जिससे अभिप्रेत है कार्यालयों, भण्डारों, केन्टीन, प्रांगण आदि की प्रकाश व्यवस्था हेतु खपत की गई समस्त विद्युत ऊर्जा को सम्मिलित किया जाना। इसमें समस्त अन्य श्रेणी के उपभोक्ता भी सम्मिलित होंगे, जो कि निम्नदाब गैर–घरेलू श्रेणी में परिभाषित होते हैं, बशर्ते उच्चदाब उपभोक्ता किसी भी प्रकार से अन्य निम्नदाब/उच्चदाब उपभोक्ताओं को विद्युत ऊर्जा को न ही पुर्नवितरित करेगा अथवा इसे उप–भाटक पर देगा।

सेवा का स्वरूप :

सेवा का स्वरूप मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 के अनुसार होगा।

प्रदाय बिन्दु :

उपभोक्ताओं को सम्पूर्ण परिसर हेतु विद्युत प्रदाय एकल बिन्दु पर किया जावेगा।

टैरिफ :

विभिन्न उप–श्रेणियों हेतु टैरिफ दर चालू मासिक खपत पर आधारित निम्न तालिका के अनुसार होगी :

सरल क्रमांक	उपभोक्ता उप–श्रेणी	स्थाई प्रभार (रूपये प्रति केवीए बिलिंग मांग प्रति माह)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)
3.1	**औद्योगिक**		
	11 केवी प्रदाय	120	405
	33 केवी प्रदाय	200	380
	132 केवी प्रदाय	300	350
3.2	**गैर–औद्योगिक**		
	11 केवी प्रदाय	120	430
	33 केवी प्रदाय	200	400
	132 केवी प्रदाय	300	370

निबंधन तथा शर्तें :

(ए) **न्यूनतम खपत : निम्नानुसार निर्धारित होगी :**

– ***220/132 केवीए पर विद्युत प्रदाय :*** उपभोक्ता को 1980 यूनिट प्रति केवीए की अनुबंध मांग पर आधारित वार्षिक न्यूनतम खपत की प्रतिभूति (गारंटी) देनी होगी चाहे वर्ष में किसी ऊर्जा की खपत की जावे अथवा नहीं। वास्तविक खपत से कमी (डेफिसिट), यदि कोई हो (अर्थात, न्यूनतम प्रत्याभूत की गई खपत–वास्तविक खपत) को ऊर्जा प्रभारों की प्रचलित दर पर टैरिफ न्यूनतम अंतर के बतौर प्रभारित किया जावेगा। **रोलिंग मिल्स हेतु वार्षिक न्यूनतम खपत (किलोवाट आवर) 1200 यूनिट प्रति केवीए अनुबंध मांग पर आधारित होगी** तथा कम यूनिटों (डेफिसिट यूनिट्स) का समायोजन वित्तीय वर्ष के अंत में किया जावेगा।

– ***33/11 केवीए पर विद्युत प्रदाय :*** उपभोक्ता को 1200 यूनिट प्रति केवीए, की अनुबंध मांग पर आधारित वार्षिक न्यूनतम खपत की प्रतिभूति (गारंटी) देनी होगी चाहे वर्ष में किसी ऊर्जा की खपत की जावे अथवा नहीं। वास्तविक खपत से कमी (डेफिसिट) यदि कोई हो (अर्थात,न्यूनतम प्रत्याभूत की गई खपत–वास्तविक खपत) को ऊर्जा प्रभारों की प्रचलित दर पर टैरिफ न्यूनतम अंतर के बतौर प्रभारित किया जावेगा तथा कम यूनिटों (डेफिसिट यूनिट्स) का समायोजन वित्तीय वर्ष के अंत में किया जावेगा।

(बी) **भार कारक प्रोत्साहन (लोड फेक्टर इन्सेन्टिव) :** उपभोक्ता निम्नांकित व्यवस्था के अनुसार भार कारक (लोड फेक्टर) आधारित ऊर्जा प्रभारों पर प्रोत्साहन की पात्रता रखेगा :

भार कारक सीमा	**प्रोत्साहन**	**ऊर्जा प्रभार (भार कारक = x%) पर प्रतिशत छूट (डिसकाउंट) की गणना**
भार कारक <=50%	किसी प्रोत्साहन की पात्रता नहीं होगी	= 0.00%
50%<भार कारक <=60%	सम्पूर्ण खपत हेतु, ऊर्जा प्रभारों पर (50% से अधिक भार कारकों में प्रत्येक 1% वृद्धि पर 0.5% का) प्रोत्साहन देय होगा।	= (x-50) * 0.50
60%<भार कारक <=70%	सम्पूर्ण खपत हेतु, ऊर्जा प्रभारों पर (60% से अधिक भार कारकों में प्रत्येक 1% वृद्धि पर 5% धन (+) 0.4% का) प्रोत्साहन देय होगा।	= 5.00 + (x-60) * 0.40
70%<भार कारक <=80%	सम्पूर्ण खपत हेतु, ऊर्जा प्रभारों पर (70% से अधिक भार कारकों में प्रत्येक 1% वृद्धि पर 9% धन (+) 0.3% का) प्रोत्साहन देय होगा।	= 9.00 + (x-70) * 0.30
भार कारक >80%	सम्पूर्ण खपत हेतु, ऊर्जा प्रभारों का 12% का प्रोत्साहन देय होगा।	= 12

उदाहरण,

- *वह उपभोक्ता जिसका भार कारक (लोड फेक्टर) 42 प्रतिशत होगा, वह ऊर्जा प्रभारों पर छूट (डिसकाउंट) प्राप्त नहीं करेगा।*

- *वह उपभोक्ता जिसका भार कारक (लोड फेक्टर) 52 प्रतिशत होगा वह सम्पूर्ण खपत पर 52 प्रतिशत भार कारक के तत्स्थानी [0.5 प्रतिशत * (52–50)] = 1 प्रतिशत छूट (डिसकाउंट) प्राप्त करेगा।*

- *वह उपभोक्ता जिसका भार कारक (लोड फेक्टर) 62 प्रतिशत होगा वह सम्पूर्ण खपत पर 62 प्रतिशत भार कारक के तत्स्थानी [5 प्रतिशत + 0.4 प्रतिशत * (62–60)] = 5%+0. 8%=5.8 प्रतिशत छूट (डिसकाउंट) प्राप्त करेगा।*

- *वह उपभोक्ता जिसका भार कारक (लोड फेक्टर) 72 प्रतिशत होगा वह सम्पूर्ण खपत पर 72 प्रतिशत भार कारक के तत्स्थानी [9 प्रतिशत + 0.3 प्रतिशत * (72–70)] = 9%+0. 6% = 9.6 प्रतिशत छूट (डिसकाउंट) प्राप्त करेगा।*

- *वह उपभोक्ता जिसका भार कारक (लोड फेक्टर) 82 प्रतिशत होगा, वह सम्पूर्ण खपत पर 82 प्रतिशत भार कारक के तत्स्थानी* 12 प्रतिशत छूट (डिसकांउट) प्राप्त करेगा।

(सी) **दिवस के समय (टाईम ऑफ डे–टीओडी) अधिभार/छूट** : यह शर्त दिवस की अलग–अलग अवधियों हेतु प्रयोज्य होगी, अर्थात सामान्य अवधि (नार्मल पीरियड), शीर्ष–भार (पीक लोड) तथा शीर्ष–बाह्य भार (ऑफ पीक लोड) अवधि/खपत की अवधि के अनुसार ऊर्जा प्रभारों पर अधिभार/छूट निम्न तालिका के अनुसार लागू होंगे :

स.क्र.	शीर्ष/शीर्ष–बाह्य अवधि	ऊर्जा प्रभारों पर अधिभार/छूट
1	सायं शीर्ष–भार अवधि (सायं 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक)	ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर का 15 प्रतिशत अधिभार के रूप में
2	शीर्ष–बाह्य अवधि (रात्रि 10 बजे से आगामी दिवस प्रातः 6 बजे तक)	ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर का 7.5 छूट के रूप में

टीप : स्थाई प्रभारों की बिलिंग सदैव केवल सामान्य दरों पर की जावेगी, अर्थात्, दिवस के समय (टीओडी) अधिभार/छूट स्थाई प्रभारों पर प्रयोज्य न होंगे।

(डी) **ग्रामीण संभरकों (रूरल फीडर्स) के माध्यम से विद्युत प्रदाय हेतु छूट** : ग्रामीण संभरकों से विद्युत प्राप्त करने वाले इस श्रेणी के उच्चदाब उपभोक्ताओं को स्थाई प्रभारों पर तथा तत्संबंधी वोल्टेज स्तरों हेतु उपरोक्तानुसार विनिर्दिष्ट की गई न्यूनतम खपत (किलोवाट ऑवर) पर 10 प्रतिशत छूट की पात्रता होगी।

(ई) अन्य निबंधन तथा शर्तें वह होंगी जैसी कि वे टैरिफ की सामान्य निबंधनों तथा शर्तों में उल्लेख की गई है।

टैरिफ अनुसूची–एचवी–4

मौसमी :–

प्रयोज्यता :

यह टैरिफ ऐसे मौसमी (सीजनल) उद्योगों/उपभोक्ताओं को लागू होगा जिन्हें एक वित्तीय वर्ष में उत्पादन के प्रयोजनों से एक वित्तीय वर्ष में निरंतर 6 माह की अवधि हेतु तथा न्यूनतम 3 माह की अवधि हेतु विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है।

अनुज्ञप्तिधारी मौसमी उपयोग वाले किसी उद्योग को यह टैरिफ दर अनुज्ञेय करेगा। संविदा मांग अभिव्यक्त केवल पूर्णांकों में अभिव्यक्त की जावेगी।

सेवा का स्वरूप :

सेवा का स्वरूप मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 के अनुसार होगा।

प्रदाय बिन्दु :

उपभोक्ताओं को सम्पूर्ण परिसर हेतु पावर (ऊर्जा) एकल बिन्दु पर प्रदान की जावेगी।

टैरिफ :

	उपभोक्ताओं की श्रेणी	**स्थाई प्रभार (रूपये प्रति केवीए बिलिंग मांग प्रति माह)**	**ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)**
	मौसम (सीजन) के दौरान		
	11 केवी प्रदाय	180	420
	33 केवी प्रदाय	200	400
	मौसम बाह्य (आफ सीजन) के दौरान		
	11 केवी प्रदाय	मौसम के दौरान, संविदा मांग (अथवा वास्तविक अभिलिखित मांग, इसमें से जो भी अधिक हो)के 10 प्रतिशत पर, रूपये 180	504 अर्थात्, सामान्य ऊर्जा प्रभारों का 120 प्रतिशत
	33 केवी प्रदाय	मौसम के दौरान, संविदा मांग (अथवा वास्तविक अभिलिखित मांग, इसमें से जो भी अधिक हो) के 10 प्रतिशत पर, रूपये 200	480 अर्थात्, सामान्य ऊर्जा प्रभारों का 120 प्रतिशत

निबंधन तथा शर्तें :

(ए) **न्यूनतम खपत** : उपभोक्ता संविदा मांग के 900 यूनिट प्रति केवीए की न्यूनतम वार्षिक खपत की प्रतिभूति (गारंटी) प्रदान करेगा।

(बी) **भार कारक प्रोत्साहन (लोड फेक्टर इन्सेन्टिव) :** उपभोक्ता निम्नांकित व्यवस्था के अनुसार भार कारक (लोड फेक्टर) आधारित ऊर्जा प्रभारों पर प्रोत्साहन की पात्रता रखेगा :

भार कारक सीमा	प्रोत्साहन	ऊर्जा प्रभार (भार कारक = x%) पर प्रतिशत छूट (डिसकाउंट) की गणना
भार कारक <=50%	किसी प्रोत्साहन की पात्रता नहीं होगी	= 0.00%
50%<भार कारक <=60%	सम्पूर्ण खपत हेतु, ऊर्जा प्रभारों पर (50% से अधिक भार कारकों में प्रत्येक 1% वृद्धि पर 0.5% का) प्रोत्साहन देय होगा।	= (x-50) * 0.50
60%<भार कारक <=70%	सम्पूर्ण खपत हेतु, ऊर्जा प्रभारों पर (60% से अधिक भार कारकों में प्रत्येक 1% वृद्धि पर 5% धन (+) 0.4% का) प्रोत्साहन देय होगा।	= 5.00 + (x-60) * 0.40
70%<भार कारक <=80%	सम्पूर्ण खपत हेतु, ऊर्जा प्रभारों पर (70% से अधिक भार कारकों में प्रत्येक 1% वृद्धि पर 9% धन (+) 0.3% का) प्रोत्साहन देय होगा।	= 9.00 + (x-70) * 0.30
भार कारक >80%	सम्पूर्ण खपत हेतु, ऊर्जा प्रभारों का 12% का प्रोत्साहन देय होगा।	= 12

उदाहरण

- *वह उपभोक्ता जिसका भार कारक (लोड फेक्टर) 42 प्रतिशत होगा, वह ऊर्जा प्रभारों पर छूट (डिसकाउंट) प्राप्त नहीं करेगा।*

- *वह उपभोक्ता जिसका भार कारक (लोड फेक्टर) 52 प्रतिशत होगा वह सम्पूर्ण खपत पर 52 प्रतिशत भार कारक के तत्स्थानी [0.5 प्रतिशत * (52–50)] = 1 प्रतिशत छूट (डिसकाउंट) प्राप्त करेगा।*

- *वह उपभोक्ता जिसका भार कारक (लोड फेक्टर) 62 प्रतिशत होगा वह सम्पूर्ण खपत पर 62 प्रतिशत भार कारक के तत्स्थानी [5 प्रतिशत + 0.4 प्रतिशत * (62–60)] = 5%+0. 8%=5.8 प्रतिशत छूट (डिसकाउंट) प्राप्त करेगा।*

- *वह उपभोक्ता जिसका भार कारक (लोड फेक्टर) 72 प्रतिशत होगा वह सम्पूर्ण खपत पर 72 प्रतिशत भार कारक के तत्स्थानी [9 प्रतिशत + 0.3 प्रतिशत * (72–70)] = 9%+0. 6% = 9.6 प्रतिशत छूट (डिसकाउंट) प्राप्त करेगा।*

- *वह उपभोक्ता जिसका भार कारक (लोड फेक्टर) 82 प्रतिशत होगा, वह सम्पूर्ण खपत पर 82 प्रतिशत भार कारक के तत्स्थानी* 12 प्रतिशत छूट (डिसकांउट) प्राप्त करेगा।

(सी) **दिवस के समय (टाईम ऑफ डे–टीओडी) अधिभार/छूट** : यह शर्त दिवस की अलग–अलग अवधियों हेतु प्रयोज्य होगी, अर्थात सामान्य अवधि (नार्मल पीरियड), शीर्ष–भार (पीक लोड) तथा शीर्ष–बाह्य भार (ऑफ पीक लोड) अवधि/खपत की अवधि के अनुसार ऊर्जा प्रभारों पर अधिभार/छूट निम्न तालिका के अनुसार लागू होंगे :

स.क्र.	शीर्ष/शीर्ष–बाह्य अवधि	ऊर्जा प्रभारों पर अधिभार/छूट
1	सायं शीर्ष–भार अवधि (सायं 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक)	ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर का 15 प्रतिशत अधिभार के रूप में
2	शीर्ष–बाह्य अवधि (रात्रि 10 बजे से आगामी दिवस प्रातः 6 बजे तक)	ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर का 7.5 छूट के रूप में

टीप : स्थाई प्रभारों की बिलिंग सदैव केवल सामान्य दरों पर की जावेगी, अर्थात्, दिवस के समय (टीओडी) अधिभार/छूट स्थाई प्रभारों पर प्रयोज्य न होंगे।

(डी) उपभोक्ता को वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु मौसम के तथा मौसम बाह्य (आफ सीजन) के महीने, टैरिफ आदेश के 60 दिवस के भीतर घोषित करने होंगे।

(ई) उपभोक्ता द्वारा एक बार घोषित की गई मौसमी अवधि को वित्तीय वर्ष के दौरान परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।

(एफ) यह टैरिफ दर उन सम्मिश्रित इकाईयों को प्रयोज्य न होगी जिनके पास मौसमी तथा अन्य श्रेणी भार विद्यमान हैं।

(जी) उपभोक्ता को उसकी मासिक मौसम–बाह्य खपत, पिछले मौसम/चालू मौसम के अंतर्गत जो भी लागू हो, की औसत मासिक खपत का 15 प्रतिशत तक सीमित रखना होगा। यदि किसी प्रकरण में ऐसे किसी मौसम बाह्य माह में कोई खपत इस सीमा से अधिक पाई जावे तो ऐसी दशा में उपभोक्ता की बिलिंग सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु, एच–वी–3 औद्योगिक टैरिफ अनुसूची दर के अनुसार की जावेगी।

(एच) उपभोक्ता को मौसम–बाह्य के दौरान उसकी अधिकतम मांग को संविदा मांग का 30 प्रतिशत तक सीमित करना होगा। यदि उसके द्वारा घोषित मौसम–बाह्य के अंतर्गत किसी माह में अधिकतम मांग इस सीमा से अधिक पाई जावे, तो ऐसी दशा में उपभोक्ता की बिलिंग सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु, एच–वी–3 औद्योगिक टैरिफ अनुसूची के अनुसार की जावेगी।

(आई) अन्य निबंधन तथा शर्तें वह होंगी जैसी कि वे टैरिफ की सामान्य निबंधनों तथा शर्तों में उल्लेख की गई है।

टैरिफ अनुसूची–एचवी–5

उच्चदाब सिंचाई तथा सार्वजनिक जल–प्रदाय संयत्र

प्रयोज्यता :

टैरिफ श्रेणी 5.1 उद्वहन सिंचाई (लिफ्ट इरीगेशन) योजनाओं, समूह सिंचाई (ग्रुप इरीगेशन), सार्वजनिक उपयोगिता की जल–प्रदाय योजनाओं, जलमल उपचार सयंत्रों/जलमल पंपिंग संयत्रों में पावर प्रदाय तथा पंप हाऊस में प्रकाश व्यवस्था हेतु उपयोग की गई ऊर्जा हेतु ही लागू होगी।

टैरिफ श्रेणी 5.2 कृषि पंप संयोजनों को छोड़कर, डेरी (हैचरी), कुक्कुट पालन (पोल्ट्री), पशु–प्रजनन केन्द्र (केटल ब्रीडिंग फार्म), चारागाह (ग्रासलेंड), सब्जी, फल, पुष्प कृषि (फ्लोरीकल्चर), कुकरमुत्ता (मशरूम) उगाने वाली इकाईयों आदि में पावर प्रदाय हेतु लागू होगी।

सेवा का स्वरूप

सेवा का स्वरूप मध्य प्रदेश विद्युत संहिता, 2004 के अनुसार होगा।

प्रदाय बिन्दु

उपभोक्ताओं को सम्पूर्ण परिसर हेतु पावर (ऊर्जा) एकल बिन्दु पर प्रदान की जावेगी।

टैरिफ :

	उपभोक्ताओं की श्रेणी	स्थाई प्रभार (रूपये प्रति केवीए बिलिंग मांग प्रति माह)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)
5.1	**सार्वजनिक जल प्रदाय संयत्र, समूह सिंचाई तथा उद्वहन सिंचाई योजना**		
	11 केवी प्रदाय	100	300
	33 केवी प्रदाय	100	280
	132 केवी प्रदाय	100	250
5.2	**अन्य कृषि प्रयोक्ता**		
	11 केवी प्रदाय	140	320
	33 केवी प्रदाय	130	300
	132 केवी प्रदाय	120	280

निबंधन तथा शर्तें :

(ए) उपभोक्ता वर्ष के दौरान अभिलिखित की गई अधिकतम मांग के उच्चतम अथवा निविदा मांग इनमें से जो भी अधिक हो की 720 यूनिट प्रति केवीए की न्यूनतम वार्षिक खपत की प्रतिभूति (गारंटी) प्रदान करेगा।

(बी) अन्य निबंधन तथा शर्तें वही होगी जैसी कि वे टैरिफ की सामान्य निबंधनों तथा शर्तों में उल्लेख की गई है।

टैरिफ अनुसूची–एचवी–6

थोक आवासीय प्रयोक्ता (बल्क रेसीडेन्शियल यूजर्स)

प्रयोज्यता :

टैरिफ श्रेणी 6.1 औद्योगिक अथवा अन्य टाऊनशिप (उदाहरणतया विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्थाएं), पंजीकृत समूह गृह–निर्माण समितियां (टैरिफ श्रेणी 6.2 के उपभोक्ताओं को छोड़कर), आवासीय कालोनियां जो उच्चदाब विद्युत प्रदाय की इच्छुक हों (उद्योगों की टाऊनशिप को सम्मिलित कर अस्पतालों, एमईएस तथा सीमांत ग्रामों), के लिए घरेलू प्रयोजन हेतु, जैसे कि प्रकाश व्यवस्था, पंखे, ऊष्मा प्रदाय (हीटिंग) हेतु लागू होगी, बशर्ते यह कि अत्यावश्यक सामान्य सुविधाओं जैसे कि आवासीय क्षेत्र में गैर–घरेलू विद्युत प्रदाय, पथ–प्रकाश व्यवस्था हेतु संयोजित भार निम्नानुसार विनिर्दिष्ट की गई सीमाओं के अंतर्गत होगा :–

(ए) जल प्रदाय तथा जल–मल सीवेज पंपिंग, अस्पताल हेतु – **कोई सीमा का बंधन नहीं होगा**

(बी) गैर–घरेलू/वाणिज्यिक तथा अन्य सामान्य प्रयोजन हेतु समन्वित रूप से – **कुल संयोजित भार का 10 प्रतिशत**

टैरिफ श्रेणी 6.2, **भारत सरकार विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 798(ई) दिनांक 9 जून 2005** के अनुसार पंजीकृत सहकारी समूह गृह–निर्माण समितियों को विद्युत प्रदाय हेतु लागू होगी।

सेवा का स्वरूप :

सेवा का स्वरूप मध्य प्रदेश विद्युत संहिता, 2004 के अनुसार होगा।

प्रदाय बिन्दु :

उपभोक्ताओं को सम्पूर्ण परिसर हेतु पावर (ऊर्जा) एकल बिन्दु पर प्रदान की जावेगी।

टैरिफ :

सरल क्रमांक	उपभोक्ताओं की श्रेणी	स्थाई प्रभार (रूपये प्रति केवीए बिलिंग मांग प्रति माह)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)
6.1	**थोक आवासीय प्रयोक्ताओं हेतु**		
	11 केवी प्रदाय	100	340
	33 केवी प्रदाय	110	320
	132 केवी प्रदाय	120	300
5.2	**सहकारी समूह गृह निर्माण समितियों हेतु**		
	11 केवी प्रदाय	20	315
	33 केवी प्रदाय	20	310
	132 केवी प्रदाय	20	300

निबंधन तथा शर्तें :

(ए) **न्यूनतम खपत** : किसी भी वोल्टेज स्तर पर, उपभोक्ता माह हेतु संविदा मांग के 10 प्रतिशत भार कारक (लोड फेक्टर) के बराबर न्यूनतम मासिक खपत (किलोवाट आवर में) की प्रतिभूति (गारंटी) देगा। तत्संबंधी यूनिटों की गणना हेतु 0.90 का एक औसत ऊर्जा कारक (पावर फैक्टर) संविदा मांग पर 10 प्रतिशत का भार कारक प्रयुक्त किया जावेगा। वास्तविक खपत से कमी (डेफिसिट), यदि कोई हो (अर्थात, न्यूनतम प्रत्याभूत की गई खपत–वास्तविक खपत) को ऊर्जा प्रभारों की प्रचलित दर पर टैरिफ न्यूनतम अंतर के बतौर प्रभारित किया जावेगा तथा कम यूनिटों (डेफिसिट यूनिट्स) का समायोजन वित्तीय वर्ष के अंत में किया जावेगा।

(बी) अन्य निबंधन तथा शर्तें वही होगी जैसी कि वे टैरिफ की सामान्य निबंधनों तथा शर्तों में उल्लेख की गई है।

———

टैरिफ अनुसूची–एचवी–7

छूट प्राप्तकर्ताओं को थोक विद्युत प्रदाय (बल्क सप्लाई टू एक्जेम्पटीज)

प्रयोज्यता :

यह टैरिफ दर ग्रामीण सहकारी समितियों, किसी स्थानीय प्राधिकरण, पंचायत संस्था, प्रयोक्ता संध (यूजर्स एसोसियेशन), सहकारी संस्थाओं, गैर–सरकारी संस्थाओं अथवा उनके प्रतिनिधियों (फ्रेन्चाईजी) अर्थात् वे उपभोक्ता जिन्हें कि विद्युत अधिनियम 2003, (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 13 के अंतर्गत अनुमति प्रदान की गई हो, को लागू होगी।

सेवा का स्वरूप :

सेवा का स्वरूप मध्य प्रदेश विद्युत संहिता, 2004 के अनुसार होगा।

प्रदाय बिन्दु :

उपभोक्ताओं को सामान्य तौर पर सम्पूर्ण परिसर हेतु विद्युत प्रदाय एकल बिन्दु पर किया जावेगा। तथापि विद्युत प्रदाय, ग्रामीण सहकारी समिति के अनुरोध पर, उसकी तकनीकी संभावनाओं के अध्यधीन, एक से अधिक बिन्दुओं पर प्रदाय किया जा सकेगा परन्तु ऐसे प्रकरण में मीटरीकरण तथा बिलिंग व्यवस्था प्रदाय के प्रत्येक बिन्दु हेतु अलग–अलग की जावेगी।

टैरिफ :

सरल क्रमांक	उपभोक्ताओं की श्रेणी	स्थाई प्रभार (रूपये प्रति केवीए बिलिंग मांग प्रति माह)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)
	विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 13 के अंतर्गत छूट प्राप्तकर्ताओं को थोक विद्युत प्रदाय		
(ए)	ग्रामीण सहकारी समितियां जो विद्युत का मिश्रित उपयोग कर रही हैं	110	260
(बी)	राज्य शासन द्वारा अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्र में मिश्रित घरेलू तथा कृषि उपयोग (अधिकतम 10 प्रतिशत गैर–घरेलू उपयोग अनुज्ञेय किया जावेगा)	60	220
(सी)	शहरी क्षेत्रों में मिश्रित घरेलू तथा गैर–घरेलू उपयोग (कुल प्रयोग के 10 प्रतिशत के अध्यधीन)	110	270

निबंधन तथा शर्तें :

(ए) विद्युत प्रदाय केवल 33 केवी तथा इससे अधिक वोल्टेज पर प्रदाय किया जावेगा। तथापि, ग्रामीण सहकारी समितियों को 11 केवी पर संयोजन किये जाने बाबत अनुज्ञेय किया जा सकता है। छूट प्राप्तकर्ताओं द्वारा वैयक्तिक उपभोक्ताओं से वसूल किये जाने वाले प्रभार, तत्संबंधी श्रेणी हेतु विनिर्दिष्ट टैरिफ दर के अनुसार सीमित रखे जावेंगे।

(बी) अन्य निबंधन तथा शर्तें वही होगी जैसी कि वे टैरिफ की सामान्य निबंधनों तथा शर्तों में उल्लेख की गई है।

उच्चदाब टैरिफ हेतु सामान्य निबंधन तथा शर्तें

निम्न निबंधन तथा शर्तें समस्त उच्चदाब उपभोक्ता श्रेणियों को लागू होंगी, जो कि तत्संबंधी श्रेणी हेतु उल्लेखित टैरिफ अनुसूची के अंतर्गत उक्त श्रेणी हेतु विनिर्दिष्ट निबंधनों तथा शर्तों के अध्यधीन होंगी :

मांग का अवधारण

1.1 प्रत्येक माह में विद्युत प्रदाय की अधिकतम मांग, माह के दौरान 15 मिनट की निरंतर अवधि के दौरान, मांग के मापन के सलाईडिंग विंडो सिद्धांत के अनुसार प्रदाय बिन्दु पर प्रदत्त अधिकतम किलोवाट एम्पीयर घंटे का चार गुना होगी।

1.2 **बिलिंग मांग (बिलिंग डिमांड)** : माह के दौरान, माह हेतु, बिलिंग मांग, उपभोक्ता की वास्तविक अधिकतम केवीए मांग अथवा संविदा मांग का 90 प्रतिशत इसमें से जो भी अधिक हो, होगी। बिलिंग मांग को निकटतम एकीकृत (इनटेगरल) अंक तक पूर्णांक किया जावेगा तथा 0.5 अथवा इससे अधिक की भिन्न (फ्रेक्शन) को आगामी अंक पर पूर्णांक किया जावेगा तथा 0.5 से कम के भिन्न को उपेक्षित (इग्नोर्ड) किया जावेगा।

1.3 **टैरिफ न्यूनतम बिलिंग** : यदि कोई उपभोक्ता वित्तीय वर्ष के किसी एक माह में (यदि वार्षिक न्यूनतम उपभोग उस श्रेणी हेतु लागू हो) संचयी (कुमुलेटिव) उपभोग निर्धारित वार्षिक न्यूनतम उपभोग से अधिक को अभिलिखित करता है, तो ऐसी दशा में कोई भी टैरिफ न्यूनतम बिलिंग आगामी महीनों हेतु नहीं की जावेगी।

1.4 **पूर्णांक करना (राऊडिंग ऑफ)** : समस्त देयकों को निकटतम रूपये की राशि तक पूर्णांक किया जावेगा।

छूट/अर्थदण्ड

ऊर्जा कारक प्रोत्साहन (पावर फेक्टर इनसेन्टिव)

1.5 यदि किसी उपभोक्ता का औसत मासिक ऊर्जा कारक 95 प्रतिशत से अधिक बढ़ जावे, तो ऐसी दशा में प्रत्येक एक प्रतिशत वृद्धि पर प्रोत्साहन निम्नानुसार देय होगा, जिसके अनुसार औसत मासिक ऊर्जा कारक 95 प्रतिशत से अधिक हो :

ऊर्जा कारक (पावर फेक्टर)	देय प्रोत्साहन
95 प्रतिशत से अधिक	शीर्ष ''ऊर्जा प्रभार'' के अंतर्गत कुल बिल राशि पर 1.0 प्रतिशत (एक प्रतिशत) की दर से

ऊर्जा कारक अर्थदंड (पावर फेक्टर पैनाल्टी)

1.6 यदि उपभोक्ता का औसत मासिक ऊर्जा कारक 90 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है तो वह प्रत्येक 1% (एक) प्रतिशत हेतु, जिससे कि औसत मासिक ऊर्जा कारक 90 प्रतिशत से नीचे गिर जावे, हेतु अतिरिक्त कुल बिल राशि पर 1% (एक प्रतिशत) का भुगतान शीर्ष ''ऊर्जा प्रभार'' के अन्तर्गत करेगा।

1.7 यदि उपभोक्ता का औसत मासिक ऊर्जा कारक 85 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है तो वह प्रत्येक 1 (एक) प्रतिशत हेतु जिससे कि औसत मासिक ऊर्जा कारक 85 प्रतिशत से नीचे गिर

जावे, हेतु अतिरिक्त कुल बिल राशि पर 2% (दो प्रतिशत) का भुगतान शीर्ष ''ऊर्जा प्रभार'' के अन्तर्गत करेगा।

1.8 यदि ऊर्जा कारक (पावर फेक्टर) 70 प्रतिशत से कम गिर जाता है तो अनुज्ञप्तिधारी को उपभोक्ता की अधिस्थापना का विद्युत प्रदाय असंयोजित करने का अधिकार होगा, जब तक कि अनुज्ञप्तिधारी की तुष्टिपर्यन्त इस संबंध में उसके द्वारा आवश्यक कदम उठा नहीं लिये जाते; तथापि, यह निम्न पावर फेक्टर के कारण विद्युत प्रदाय को असंयोजित न किये जाने के कारण उपभोक्ता पर अर्थदण्ड को प्रभारों को अधिरोपित किये जाने संबंधी अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा।

1.9 इस प्रयोजन से ''औसत मासिक ऊर्जा कारक ''(Average Monthly Power Factor)'' को माह के दौरान अभिलिखित कुल किलोवाट घंटे तथा कुल किलोवोल्ट एम्पीयर आवर्स के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस अनुपात को दो अंकों तक पूर्णांक किया जावेगा तथा दशमलब के तृतीय स्थान पर 5 अथवा उससे अधिक के अंक को दशमलव के द्वितीय स्थान पर आगामी उच्चतर अंक पर पूर्णांक किया जावेगा।

1.10 उपरोक्त कथन में भले कुछ भी कहा गया हो, यदि किसी नवीन उपभोक्ता का औसत ऊर्जा कारक, संयोजन तिथि से प्रथम 6 माह के दौरान किसी भी समय 90 प्रतिशत से कम पाया जावे, तो उपरोक्त को इसका सुधार कम से कम 90 प्रतिशत तक लाये जाने हेतु निम्न शर्तों के अध्यधीन अधिकतम 6 माह की अवधि हेतु अधिकृत होगा :

(ए) यह 6 माह की अवधि उस तिथि से मान्य की जावेगी जिस पर औसत ऊर्जा कारक प्रथम बार 90 प्रतिशत से कम पाया गया था।

(बी) समस्त प्रकरणों में, उपभोक्ता को निम्न ऊर्जा कारक हेतु अर्थदण्ड प्रभारों का बिलिंग किया जावेगा, परन्तु यदि उपभोक्ता औसत आगामी तीन महीनों के दौरान (इस प्रकार कुल चार माह) कम से कम 90% ऊर्जा कारक संधारित करे तो निम्न ऊर्जा कारक के कारण बिल किये गये प्रभारों को कथित 6 माह की अवधि को वापिस ले लिया जावेगा तथा आगामी मासिक बिलों में इन्हें आकलित (क्रेडिट) किया जावेगा।

(सी) उल्लेखित की गई यह सुविधा, नवीन उपभोक्ताओं को एक से अधिक बार देय नहीं होगी, जिनका औसत ऊर्जा कारक संयोजन तिथि से 6 माह के दौरान 90 प्रतिशत से कम न रहा हो। तत्पश्चात्, निम्न औसत ऊर्जा कारक के कारण यदि यह 90 प्रतिशत से कम पाया जाता है तो उन्हें प्रभारों का भुगतान किसी अन्य उपभोक्ता की भांति करना होगा।

अधिक मांग हेतु अतिरिक्त प्रभार :

1.11 उपभोक्ता को सम्पूर्ण समय पर, वास्तविक अधिकतम मांग संविदा मांग के अंतर्गत सीमित रखनी होगी। ऐसे प्रकरण में, जहां कि किसी एक माह में वास्तविक अधिकतम मांग, संविदा मांग से बढ़ जाती है तो पूर्व में दर्शाई गई टैरिफ दरें संविदा मांग की सीमा तक ही प्रयोज्य होंगी। संविदा मांग से अधिक प्राप्त की गई मांग (जिसे इसके बाद ''अधिक मांग'' कहा जावेगा) को प्रदाय की गई विद्युत ऊर्जा माना जावेगा तथा बिलिंग के प्रयोजन से इसकी पृथक से गणना की जावेगी। किसी माह में इस प्रकार से अधिक की गई गणना, यदि कोई हो को समस्त उपभोक्ताओं पर, केवल रेलवे कर्षण को छोड़कर प्रयोज्य सामान्य टैरिफ दर के डेढ़ गुना दर से प्रभारित किया जावेगा तथा रेलवे कर्षण के प्रकरण में कोई भी मांग प्रभार अधिरोपित नहीं किये जावेंगे यदि अधिकतम मांग में संविदा मांग से 110 प्रतिशत तक की वृद्धि हो जाती है तथा अधिक मांग, संविदा मांग के 110 प्रतिशत से अधिक हो जाने पर मांग

प्रभार अधिक मांग पर रूपये 225 प्रति केवीए की दर से अधिरोपित किये जावेंगे तथा ऐसा करते समय, विद्युत टैरिफ के अन्य उपबन्ध (जैसे कि टैरिफ न्यूनतम प्रभार, आदि) उपरोक्त अधिक मांग पर भी प्रयोज्य होंगे, जब तक इस संबंध में विशिष्ट रूप से अन्यथा प्रावधान न किया गया हो।

1.12 किसी माह में की गई अधिक मांग की गणना को मासिक देयकों के साथ प्रभारित किया जावेगा तथा उपभोक्ता को इसका भुगतान करना होगा।

1.13 उपभोक्ता को प्रयोज्य अधिक मांग की बिलिंग सामान्य टैरिफ दर के डेढ़ गुना दर पर किया जाना, विद्युत प्रदाय संहिता में अंर्तविष्ट उपबंधों के अनुसार विद्युत प्रदाय बंद किये जाने संबंधी अनुज्ञप्तिधारी के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा।

विलंबित भुगतान अधिभार

1.14 देयकों का भुगतान निर्धारित तिथि तक न किये जाने पर बकाया राशि (एरियर्स राशि को सम्मिलित कर) पर अधिभार का भुगतान एक प्रतिशत प्रतिमाह अथवा उसके अंश हेतु करना होगा। माह के एक अंश को विलंबित भुगतान अधिभार की गणना के प्रयोजन हेतु पूर्ण माह माना जावेगा। उपभोक्ता को स्थाई रूप से असंयोजित कर दिये जाने पर विलंबित भुगतान अधिकार प्रयोज्य न होगा।

अग्रिम भुगतान पर छूट

1.15 खपत की अवधि प्रारंभ होने से पूर्व किये गये अग्रिम भुगतान हेतु, जिसके लिए कि देयक तैयार किया गया है, 0.5 प्रतिशत की छूट प्रतिमाह उस राशि पर दी जावेगी जो कि अनुज्ञप्तिधारी के पास कलेण्डर माह के अंत में शेष रहती है, उपभोक्ता के लेखे में (प्रतिभूति निक्षेप राशि को छोड़कर) अनुज्ञप्तिधारी को देय राशि को समायोजित कर, आकलित (क्रेडिट) कर दी जावेगी।

अनादरित धनादेशों (डिसआनर्ड चेक्स) पर सेवा प्रभार

1.16 ऐसे प्रकरण में जहां कि उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये धनादेश (चेक) को अनादरित (डिसआनर्ड) कर दिया गया हो, वहां पर नियमों के अनुसार रूपये 1000 प्रति चेक की दर से सेवा प्रभार, विलंबित भुगतान अधिभार के अतिरिक्त, आरोपित किया जावेगा।

उच्चदाब पर अस्थाई विद्युत प्रदाय

1.17 यदि कोई उपभोक्ता किसी अस्थाई अवधि के लिए अतिरिक्त विद्युत प्रदाय चाहता हो तो अस्थाई अतिरिक्त विद्युत प्रदाय को पृथक सेवा माना जावेगा तथा इसे निम्न शर्तो के अध्यधीन प्रभारित किया जावेगा :

(ए) स्थाई प्रभार तथा ऊर्जा प्रभार मानक (स्टैंडर्ड) टैरिफ दरों की डेढ़ गुना दर से मय ईंधन लागत समायोजन (फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट–एफसीए) परिवर्तनीय लागत समायोजन (वेरियेबल कॉस्ट एडजस्टमेंट–वीसीए) प्रभारों के, यदि वे लागू हों, प्रभारित किया जावेगा।

(बी) बिलिंग मांग, उपभोक्ता द्वारा विद्युत प्रदाय अवधि के अंतर्गत संयोजन माह से प्रारंभ होकर बिलिंग माह की समाप्ति तक आवेदित की गई मांग अथवा उच्चतम मासिक अधिकतम मांग, इनमें से जो भी अधिक हो, होगी।

(सी) अस्थाई विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से माह से अभिप्रेत है संयोजन तिथि से 30 दिवस तथा आगे उसका एक अंश।

(डी) अस्थाई संयोजन सेवाकृत्त किये जाने से पूर्व उपभोक्ता प्राक्कलित प्रभारों का भुगतान अग्रिम रूप से करेगा जिसका कि वह समय–समय पर पुर्नभरण करेगा तथा जो कि असंयोजन पश्चात्, अंतिम बिल के भुगतान के समायोजन के अध्यधीन होगा।

(ई) उपभोक्ता मीटरिंग प्रणाली हेतु भाड़े का भुगतान करेगा।

(एफ) संयोजन तथा असंयोजन प्रभारों का भुगतान अलग–अलग करना होगा।

अन्य निबंधन तथा शर्तें

1.18 पूर्व में दर्शाई गई टैरिफ दरें विभिन्न विद्युत प्रदाय वोल्टेज सहित संविदा मांग के भारों हेतु निम्नानुसार प्रयोज्य होंगी :

मानक प्रदाय वोल्टेज	न्यूनतम संविदा मांग	अधिकतम संविदा मांग
11 केवी	60 केवीए	300 केवीए
33 केवी	100 केवीए	10000 केवीए
132 केवी	2500 केवीए	50000 केवीए
220 केवी	40000 केवीए	–

1.19 उपरोक्त उपबंधों में तकनीकी कारणों से विचलन, यदि हो, कोई गुण–दोष के आधार पर अनुज्ञेय किया जावेगा जिसके लिए आयोग की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी तथा कोई भी परिवेदित उपभोक्ता आयोग से सम्पर्क कर सकेगा।

1.20 विद्यमान 11 केवी उपभोक्ता जिनकी संविदा मांग 300 केवीए से अधिक हो तथा जो कि 11 केवी पर उसके अनुरोध पर विद्युत प्रदाय जारी रखना चाहते हों, को माह के दौरान स्थाई प्रभारों, ऊर्जा प्रभारों तथा परिवर्तनीय लागत समायोजन (वीसीए) की कुल राशि, यदि वह बिल की गई हो, पर 5 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रभार का भुगतान करना होगा।

1.21 विद्यमान 33 केवी उपभोक्ता जिनकी संविदा मांग 10000 केवीए से अधिक हो तथा जो कि 33 केवी पर उसके अनुरोध पर विद्युत प्रदाय जारी रखना चाहते हों, को माह के दौरान स्थाई प्रभारों, ऊर्जा प्रभारों तथा परिवर्तनीय लागत समायोजन (वीसीए) की कुल राशि,यदि वह बिल की गई हो, पर 3 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रभार का भुगतान करना होगा।

1.22 विद्यमान 132 केवी उपभोक्ता जिनकी संविदा मांग 50000 केवीए से अधिक हो तथा जो कि 132 केवी पर उसके अनुरोध पर विद्युत प्रदाय जारी रखना चाहते हों, को माह के दौरान स्थाई प्रभारों, ऊर्जा प्रभारों तथा परिवर्तनीय लागत समायोजन (वीसीए) की कुल राशि, जो कि माह दौरान यदि वह बिल की गई हो पर 2 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रभार का भुगतान करना होगा।

1.23 मीटर किराया विविध प्रभार की अनुसूची के अनुसार प्रभारित किया जावेगा। माह के एक अंश को बिलिंग के प्रयोजन से पूर्ण माह माना जावेगा।

1.24 अनुबंध मांग (केवीए में) पर 0.9 का एक औसत ऊर्जा कारक (पावर फेक्टर) प्रयुक्त किया जावेगा। इसके अतिरिक्त, किसी माह में यदि अधिकतम मांग संविदा भाग से अधिक हो जावे, तो भार कारक (पावर फेक्टर) की गणना अधिकतम मांग के आधार पर की जावेगी अन्यथा भार कारक की गणना संविदा मांग पर की जावेगी।

1.25 भार कारक की गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जावेगी :

$$\text{भार कारक (प्रतिशत में)} = \frac{\text{बिलिंग मांह में खपत किये गये यूनिटों की संख्या (कैप्टिव/पवन ऊर्जा द्वारा उत्पादित यूनिटों को छोड़कर)}}{\text{बिलिंग माह में कुल घंटों की संख्या x अधिकतम मांग अथवा संविदा मांग केवीए में, इनमें से जो भी अधिक हो x 0.9}}$$

टीप : भार कारक (लोड फेक्टर) प्रतिशत को निकटतम एकीकृत (इनटेगरल) अंक तक पूर्णांक किया जावेगा तथा 0.5 अथवा इससे अधिक की भिन्न (फ्रेक्शन) को आगामी अंक तक पूर्ण किया जावेगा तथा 0.5 से कम की भिन्न को उपेक्षित (इग्नोर्ड) किया जावेगा। यदि उपभोक्ता विद्युत ऊर्जा खुली पहुंच के माध्यम से प्राप्त कर रहा हो, तो अन्य स्त्रोतों से प्राप्त किये गये यूनिट, उपभोक्ता को बिल की गई शुद्ध ऊर्जा (उपभोग किये गये यूनिटों में से अन्य स्त्रोतों से प्राप्त यूनिओं को घटाकर) को ही केवल भार कारक की गणना के प्रयोजन से लिया जावेगा।

1.26 टैरिफ दर में विद्युत ऊर्जा पर कर (टैक्स), उपकर (सेस) अथवा चुंगी (डूयूटी) सम्मिलित नहीं होती, जो कि तत्समय प्रचलित कानून के अनुसार किसी भी समय देय हो सकती है। ऐसे प्रभार, यदि ये लागू हों, तो इनका भुगतान उपभोक्ता द्वारा टैरिफ प्रभारों के अतिरिक्त करना होगा।

1.27 इस टैरिफ आदेश की व्याख्या के संबंध में और/या टैरिफ की प्रयोज्यता के संबंध में, किसी विवाद होने की दशा में, आयोग का निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा।

1.28 केन्द्र शासन द्वारा दिनांक 6.1.2006 को अधिसूचित राष्ट्रीय टैरिफ नीति की कण्डिका 8.1(4) के अनुसार,

''यदि प्रतिस्पर्धात्मक दशाओं में आवश्यक हो तो लाइसेंसियों के पास राज्य आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ से कम वसूलने की नम्यता हो सकती है, बशर्ते वे अधिनियम की धारा 62 के अनुसार इसके कारण अतिरिक्त राजस्व की आवश्यकता की पूर्ति का दावा न करें।''

वर्तमान में, म.प्र. राज्य में इस प्रकार की स्थिति विद्यमान नहीं है इसलिए वितरण कंपनियां शासकीय कंपनियां होने के कारण टैरिफ दर में किसी भी प्रकार की कमी, मय किसी भी श्रेणी हेतु न्यूनतम प्रभार, किसी भी प्रकार से कम नहीं कर सकतीं, सिवाय किसी आदेश के अंतर्गत, आयोग की पूर्व लिखित अनुमति द्वारा। ऐसी किसी लिखित अनुमति के अभाव में, कोई भी आदेश शून्य और अप्रवृत्त माना जायेगा।

1.29 यदि कोई उपभोक्ता, उसी के अनुरोध पर, सुसंगत श्रेणी के अंतर्गत विनिर्दिष्ट की गई मानक प्रदाय वोल्टेज से अधिक वोल्टेज पर विद्युत प्रदाय का उपयोग करता हो, तो ऐसी दशा में उसकी बिलिंग उसके द्वारा वास्तविक रूप से उपयोग की गई वोल्टेज के अनुसार की जावेगी तथा उसके द्वारा उच्चतर वोल्टेज उपयोग किये जाने के कारण कोई अतिरिक्त प्रभार उस पर अधिरोपित नहीं किये जावेंगे।

1.30 रेलवे कर्षण को छोड़कर, समस्त उपभोक्ताओं को प्रत्येक माह में स्थाई प्रभारों का भुगतान करना होगा, भले ही उनके द्वारा विद्युत ऊर्जा की खपत की गई हो अथवा नहीं।

1.31 यहां पर विनिर्दिष्ट की गई समस्त शर्तें उपभोक्ता को लागू होंगी, भले ही उपबंध, यदि कोई हों, उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के साथ निष्पादित किये गये अनुबंध, से विपरीत हों।

परिशिष्ट–2

वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी टैरिफ याचिका क्रमांक 111/06 पर
जन सुनवाई दिनांक 22–1–07

सरल क्रमांक	आपत्तिकर्ताओं के नाम
1	बैंग रिफरेक्टरीज, डिथवाड़ा
2	एचजेआई–प्रो : जीएमएमकं लिमिटेड, पो. अमलाई पेपर मिल्स, जिला अनूपपुर
3	एमपी इलेक्ट्रीसिटी कंस्यूमर्स सोसाइटी, द्वारा, एआईएमओ इंडस्ट्रीयल एस्टेट, पोलो ग्राऊंड, इन्दौर 452015
4	श्री पीजी नाजपाण्डे, नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शन मंच, 6/47, रामनगर आधारताल जबलपुर
5	मध्यप्रदेश खाण्डसारी निर्माता संघ, बगीचा, गाडरवारा–487551
6	मैगनीज ओर (इण्डिया) लि, वेस्ट कोर्ट, काटोल रोड, नागपुर–44013
7	श्री आर.के. थारवानी, स्वामी किराना स्टोर, 2 जौहरी काम्प्लेक्स, बघेलखण्ड पेट्रोल पंप के पास, उर्हट, रीवा–486001
8	एमपी सीमेंट मेन्युफेक्चरर्स एसोसियेशन, एसीसी लिमिटेड, कैमोर सीमेंट वर्क्स, कैमोर–483880 जिला कटनी
9	एमपी इलेक्ट्रीसिटी कन्सूमर्स सोसाइटी, द्वारा, एआईएमओ इंडस्ट्रीयल एस्टेट, पोलो ग्राऊंड, इन्दौर 452015

टैरिफ प्रस्ताव के प्रकाशन उपरांत प्राप्त की गई आपत्तियां

सरल क्रमांक	आपत्तिकर्ताओं के नाम
10	एस.एस. रघुवंशी, ई6/2, अरेरा कालोनी, भोपाल–462016
11	नार्दर्न कोलफील्डस लिमिटेड, पो. सिंगरौली, जिला सीधी–486889
12	मुख्य विद्युत वितरण अभियन्ता, पश्चिम मध्य रेल्वे, कार्यालय मुख्य विद्युत अभियन्ता, जबलपुर
13	एमपी इलेक्ट्रीसिटी कंस्यूमर्स सोसाइटी, द्वारा, एआईएमओ इंडस्ट्रीयल एस्टेट, पोलो ग्राऊंड, इन्दौर 452015
14	श्री राजेन्द्र प्रसाद मोरे, गली क्रमांक 4, आदर्श कालोनी मार्ग, कटनी– 483501
15	श्रीराम आईस फेक्टरी, कोर्ट के पास, मैहर, जिला सतना
16	अध्यक्ष, मप्र फ्लोर मिल्स संघ, खिरानी फाटक, कटनी
17	महाकौशल रिफरेक्टरीज प्राईवेट लिमिटेड, महाकौशल मोटर्स के पीछे कटाय घाट रोड, कटनी–48350
18	मध्यप्रदेश खाण्डसारी निर्माता संघ, बगीचा, गाडरवारा–487551
19	एचजेआई–प्रो : जीएमएमकं लिमिटेड, पो. अमलाई पेपर मिल्स, जिला अनूपपुर
20	एसेन्ट हायड्रो प्रोजेक्ट लिमिटेड, बिल्डिंग क्रमांक 2/आरएच–1, विसावा एन्कलेव, डीपी रोड, औंध, पुणे–411007

वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी टैरिफ याचिका क्रमांक 115/06 पर
जन सुनवाई दिनांक 24–1–07

सरल क्रमांक	आपत्तिकर्ताओं के नाम
1	में. सिद्धार्थ टयूब्स लिमिटेड, तृतीय तल, ओल्ड आईडीए बिल्डिंग, 15–16, जवाहर मार्ग, इंदौर
2	गोवर्धनदास मोदानी, मे. चीयर्स आईसक्रीम फेक्टरी, ब्यावरा, राजगढ़
3	श्री दिनेश कुमार अग्रवाल, मे. बालाजी आईस फेक्टरी, ब्यावरा, राजगढ़
4	एमपी इलेक्ट्रीसिटी कन्सूमर्स सोसाइटी, द्वारा, एआईएमओ इंडस्ट्रीयल एस्टेट, पोलो ग्राऊंड, इन्दौर 452015
5	एमपी सीमेंट मेन्युफेक्चर्स एसोसियेशन, एसीसी लिमिटेड, कैमोर सीमेंट वर्क्स, कैमोर–483880 जिला कटनी
6	श्री सुरेश कुमार जैन, उपभोक्ता स्टोन क्रशर्स, सप्लाई सेंटर, ग्रामीण क्षेत्र, खुरई, जिला सागर

टैरिफ प्रस्ताव के प्रकाशन उपरांत प्राप्त की गई आपत्तियां

स.क्रं	आपत्तिकर्ताओं के नाम
7	श्री के.एल. यादव, 109 सी, सोनागिरी, भोपाल
8	मुख्य विद्युत वितरण अभियन्ता, पश्चिम मध्य रेल्वे, कार्यालय मुख्य विद्युत अभियन्ता, जबलपुर
9	एमपी इलेक्ट्रीसिटी कन्सूमर्स सोसाइटी, द्वारा, एआईएमओ इंडस्ट्रीयल एस्टेट, पोलो ग्राऊंड, इन्दौर 452015
10	अध्यक्ष, एमपी नर्सिंग होम ऐसासियेशन, संजीवनी अस्पताल, मोतिया तालाब के सामने, ताजुल मस्जिद, भोपाल
11	श्री विपिन कुमार जैन, महासचिव, मप्र लद्यु उद्योग संघ, ई–2/30, अरेरा कालोनी, भोपाल
12	श्री वी.एस. ठाकुर, बी'269, डी–सेक्टर, मिनाल रेसीडेंसी, जे.के. रोड, भोपाल–462023
13	सचिव, फेडरेशन ऑफ मध्यप्रदेश चेम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज, ''उद्योग भवन'' द्वितीय तल, 129ए, मालवीय नगर, भोपाल–462003
14	वर्क्स मैनेजर (विद्युत), कोच रिहैबीलिटेशन वर्कशाप, निशातपुरा, भोपाल–462010
15	अध्यक्ष, जनकल्याण नागरिक समिति, ग्वालियर
16	मुख्य अभियंता, अनन्त स्पिनिंग मिल्स, पोस्ट बैग नं.9, प्लाट नं. 1 ए, न्यू इण्डस्ट्रियल एरिया, मण्डीदीप–462046
17	एसोसियेशन ऑफ इण्डस्ट्रीज, 189, न्यू इण्डस्ट्रियल एरिया–II मण्डीदीप–462046
18	इण्डस्ट्रीयल एसोसियेशन, गोविन्दपुरा, एसोसियेशन काम्प्लेक्स, इण्डस्ट्रियल एरिया, गोविंदपुरा, भोपाल–462023
19	श्री के.के. सक्सेना, सेनि. अधीक्षण यंत्री, मप्रविमं, 20, प्रकाश हाऊसिंग सोसायटी, बिजली नगर गोविंदपुरा, भोपाल
20	एचईजी लिमिटेड, मण्डीदीप–462046
21	एसेन्ट हाईड्रो प्रोजेक्ट लिमिटेड बिल्डिंग 2/आरएच–1, विसावा इनक्लेव, डीपी रोड, अंध, पुणे–411 007

वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी टैरिफ याचिका क्रमांक 112/06 पर जन सुनवाई दिनांक 29–1–07

सरल क्रमांक	आपत्तिकर्ताओं के नाम
1	मेसर्स सिद्धार्थ टयूब्स लिमिटेड, तृतीय तल, ओल्ड आईडीए बिल्डिंग, 15–16, जवाहर मार्ग, इंदौर
2	श्री आर.एन. चन्द्रवंशी, अधिवक्ता, बी–82, रामेश्वर रोड, खण्डवा–450001
3	आल इण्डिया इण्डक्शन फर्नेसिस एसोसियेशन, मप्र चेप्टर, 67 इण्डस्ट्रियल एरिया, मन्दसौर
4	वीनस एलायज प्राइवेट लिमिटेड, 67, इण्डस्ट्रियल एरिया, मन्दसौर
5	बीटीए सेलकॉम लिमिटेड, 13–140, इलेक्ट्रनिक्स काम्पलेक्स, परदेसीपुरा, इन्दौर–452010
6	मप्र जिनिंग एण्ड प्रेसिंग फेक्ट्रीज एसोसियेशन, 504, चेतक सेंटर 12/2, आरएनटी मार्ग, इन्दौर–452001
7	केसर एलॉयज एण्ड मेटल्स प्रा. लिमिटेड, 201 रूद्राक्ष अपार्टमेंट, 16, भीरा पथ, इन्दौर
8	गोल्डन इन्गॉट्स प्रा. लिमिटेड, 219–220, सेक्टर–एफ, सांवेर रोड, इंदौर–452015
9	मोयरा स्टील्स लिमिटेड, 103 लक्ष्मी टावर, प्रथम–तल, 576, एमजी रोड, इंदौर
10	श्री मुकेश सक्सेना, अधिवक्ता, 84, तिलक नगर, एबी रोड, देवास
11	एमपी इलेक्ट्रिसिटी कंजूमर्स सोसायटी, द्वारा एआईएमओ इंडस्ट्रीयल एस्टेट पोलोग्राउंड, इंदोर–15
12	ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति, मनासा
13	एमपी सीमेंट मेन्युफेक्चरर्स एसोसियेशन एसीसी लिमिटेड कैमोर सीमेंट वर्क्स, कैमोर–483880 जिला कटनी
14	एसोसियेशन ऑफ इण्डस्ट्रीज, आईएस गजरा इण्डस्ट्रियल एरिया, पराग फैन्स एण्ड कूलिंग सिस्टम के समीप, एबी रोड, देवास–455001
15	श्री प्रकाश सिंह, अधिवक्ता, 4, चामुण्डा काम्प्लेक्स, देवास
16	श्री नारायण सिंह, पुत्र श्री बालचन्द्र परमार, ग्राम एवं पो. केवड़ाखेड़ी, सलसली, जिला शाजापुर–465222

टैरिफ प्रस्ताव के प्रकाशन उपरांत प्राप्त की गई आपत्तियां

स.क्र	आपत्तिकर्ताओं के नाम
17	चीफ इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंजीनियर, बेस्ट सेंट्रल रेलवे ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंजीनियर, जबलपुर
18	एमपी इलेक्ट्रिसिटी कंजूमर्स सोसायटी, द्वारा एआईएमओ इंडस्ट्रीयल एस्टेट पोलोग्राउंड, इंदोर–15
19	श्री अशोक कुमार, दशहरा मैदान, त. बड़वाह, जिला खरगोन
20	अध्यक्ष, आटा चक्की संघ, त. बड़वाह, जिला खरगौन
21	म प्र कोल्ड स्टोरेज एसोसियेशन, 115–बी, इण्डस्ट्रियल एस्टेट, इंदौर–452015
22	श्री चन्दूलाल भास्कर, श्री अनिल कुमार, श्री रंजन कुमार, श्री बाबूलाल राठौड, श्री राधेश्याम बाबूलाल, श्री रामगोपाल सोहन, श्री दीपक कुमार, श्री फिरोज खान, श्री भरत

	सिंह, श्री कपिल कुमार, श्री नवाब खान, श्री साव भाई, श्री संतोष सिंह, श्री जगराज सिंह बाबूलाल, श्री जीतेन्द्र सिंह, श्री भास्कर दुबे, श्री गणपति सिंह, जिला सनावद
23	श्री रमेश नटवरलाल, नर्मदा रोड, बड़वाह
24	एसोसियेशन ऑफ इण्डस्ट्रीज ''उद्योग भवन'', पोलो ग्राऊंड, इण्डस्ट्रियल एस्टेट, इंदौर–452015
25	श्री सुरेश कुशवाह, श्री राधेश्याम, बड़वानी, जिला खरगोन
26	श्री अब्दुल गफूर, श्री अब्दुल लतीफ, श्री शमशुद्दीन, अल्लाह वक्श, नर्मदा रोड, बड़वानी
27	मोयरा स्टील्स लिमिटेड, 103 लक्ष्मी टावर, प्रथम–तल, 576, एमजी रोड, इंदौर
28	अनन्त स्टील्स प्रा. लिमिटेड, 170/10, फिल्म कालोनी, रवीन्द्र नाट्य गृह के सामने, आएनटी मार्ग, इंदौर–452001
29	उज्जैन इलेक्ट्रिक कान्ट्रेक्टर एसोसियेशन, 23/2 शंकु मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन–45610
30	श्री लोकेन्द्र मांगी लाल, केशरपुरी, तह. ठीकरी, जिला बड़वानी
31	श्री देवेन्द्र तोमर, एकलवारा, तह. मनावर, जिला धार
32	आल इण्डिया इण्डक्शन फर्नेसिस एसोसियेशन, मप्र चेप्टर, 67 इण्डस्ट्रियल एरिया, मन्दसौर
33	वीनस एलॉयज प्रा. लिमिटेड, 67, इण्डस्ट्रीज, मन्दसौर
34	श्री राजेश चोगा लाल, श्री अभिषेक तिरूपति इन्जीनियरिंग, श्री जय प्रकाश शर्मा, गुरूनानक मार्ग, बड़वाह
35	श्री प्रेमलाल कर्मा, श्री जगदीश चन्द्र, रामकिशन, श्री कालू राम मिश्रीलाल, श्रीमती सुनीता बाई, ओमप्रकाश, श्री मांगीलाल हरि विश्कर्मा, श्री संतोष कुमार, श्री काले खान, श्री इमरान खान, श्री यशवंत बलराम, महेश्वर रोड, बड़वाह
36	श्री मांगीलाल मोहन, जयमालपुर, बड़वाह
37	श्री प्रकाश देवनारायण, राजेन्द्र उपनगर, बड़वाह
38	मे. कारगिल कृषि उद्योग, मे. फारूक आयरन वर्कशाप, श्री मोहम्मद सलीम, मे. शिवराज आयरन, मे. बजरंग आयरन वर्कशाप, नर्मदा रोड, बड़वाह
39	श्री प्रकाश मोहन लाल, मे. एशियन वर्कशाप मे. हीरालाल आयरन वर्क्स, श्री शेख सादिक, शेख रशीद, मे. आगवान स्टील, श्री जावेद मोहम्मद, श्री इस्माईल खालिद, मे. डाबर स्टार इन्जीनियरिंग, श्री रमजान खान इस्माईल खान, इन्दौर रोड, बड़वाह
40	दीप फूड प्रोडक्टस, पुर्नवास मार्ग, बस स्टेशन, निसरपुर, जिला धार
41	श्री किशन चन्द्र, श्री काफी कुनीशा, श्री हरिराम छपनलाल, श्री शंकरलाल बारीलाल, श्री कुरवाह हातिम बाई, श्री अनोखीलाल खुशीलाल, श्री ताजभान हुन्दल दास, श्री रमेश चन्द्र, श्री भंवरलाल गोविंदराम, श्री हरिसिंह पन्ना सिंह, श्री राम बरूचीलाल गुप्ता, श्री फखरूदीन गुलाम अली, श्री फखरूद्धीन तैयब भाई, श्री पुरालाल दुलीचन्द, श्री मनोहर लाल, श्री नजर फखरूदीन, श्री सैफूदीन ब्रदर्स, श्री सेवानारायण, श्री पंकज कुमार, पी पटेल, मे. आर के ट्रेडर्स, श्री पवन, श्री गिरधारी लाल, श्री नरेश, श्री वरयाल दास, श्री वासुदेव सावल जी, श्री हंसराज ठाकुर दास किराना स्टोर्स, श्री पन्नालाल, श्री प्रकश चन्द्र, श्री जगतराम, श्री नारायण दास, नत्थूमल जी, श्री जगतराम मोहन लाल, श्री राजेन्द्र शर्मा, उज्जैन
42	एसेन्ट हायड्रो प्रोजेक्ट लिमिटेड, बिल्डिंग क्रमांक 2/आरएच–1, विसावा एन्कलेव, डीपी रोड, औंध, पुणे–411007